00130
T193

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक
का
प्रतिवेदन

31 मार्च 1988 को समाप्त वर्ष के लिए

1989 की संख्या 1

संघ सरकार—सिविल

00130

भारत के नियंत्रक – महालेखापरीक्षक
का
प्रतिवेदन

31 मार्च 1988 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
1989 की संख्या 1

संघ सरकार – सिविल

विषय सूची

	पैराग्राफ	पृष्ठ
प्रस्तावनात्मक टिप्पणी		VIII
विहंगावलोकन		X
अध्याय – I		
सामान्य	1	1
अध्याय – 2		
विनियोग लेखा परीक्षा और व्यय पर नियंत्रण	2–3	13
अध्याय – 3		
सिविल विभाग		
कृषि मंत्रालय		
(कृषि एवं सहकारिता विभाग)		
कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु लघु एवं सीमांत कृषकों को सहायता	4	28
कृषि मंत्रालय		
तथा		
भूतल परिवहन मंत्रालय		
एक अधिनिर्णय के विरूद्ध अपील करने पर अविवेक पूर्ण व्यय	5	75
कृषि, भूतल परिवहन		
तथा शहरी विकास मंत्रालय		
भूमि का अधिग्रहण	6	77
वाणिज्य मंत्रालय		
निर्यात/क्रेडिट (ब्याज परिदान) योजना अधीन अनियमित अधिक भुगतान	7	82
चमड़े के जूतों के निर्यात पर नकद प्रतिपूरक सहायता	8	83
गलत वर्गीकरण के कारण नकद प्रतिपूरक सहायता का अनियमित भुगतान	9	84

	पैराग्राफ	पृष्ठ
खम्बों के निर्यात पर नकद प्रतिपूरक सहायता	10	85
रेल वैगनों के संघटकों के निर्यात पर नकद प्रतिपूरक सहायता	11	86
कास्ट आइरन फिटिंग के निर्यात पर नकद प्रतिपूरक सहायता	12	87
मोटर साइकिल/स्कूटर के संघटकों, फालतू पुर्जों के निर्यात हेतु नकद प्रतिपूरक सहायता	13	88
काठ की खपच्चियों के माने गये निर्यात पर नकद प्रतिपूरक सहायता	14	90
अभियांत्रिक वस्तुओं पर नकद प्रतिपूरक सहायता	15	91
एम्पीसिलिन रोनोक्सिल तथा रैसीलिन केप्सूलों के निर्यात पर नकद प्रतिपूरक सहायता	16	92
रक्षा मंत्रालय		
रक्षा पेंशन भोगियों को पेंशन का भुगतान	17	93
विदेश मंत्रालय		
न्यूयार्क में एक कक्ष की खरीद में विलम्ब के कारण अतिरिक्त व्यय	18	94
काहिरा में सम्पत्ति की खरीद में निधियों का अवरोधन	19	95
वोन में सम्पत्ति की खरीद पर निधियों का अवरोधन	20	96
पारस्परिक प्राप्ति के आधार पर करों का भुगतान	21	97
शुल्क न लगाये जाने के कारण राजस्व की हानि	22	99
पारपत्र प्रपत्रों की लागत की गैर-वसूली	23	99
दूतावास के प्रमुख द्वारा विदेश भत्ते का अधिक आहरण	24	101
विदेश यात्राओं की अनुचित स्वीकृति	25	102
वेतन का अधिक भुगतान	26	103
स्थानीय रूप से भर्ती कर्मचारियों को अधिक भुगतान	27	103
अग्रिम वेतन वृद्धियों की अनियमित स्वीकृति	28	104
आवासीय दूरभाषों पर परिहार्य व्यय	29	105
व्यय के बिना प्रमाण के प्रतिपूर्ति	30	106
खाद्य एवं सिविल आपूर्ति मंत्रालय (सिविल आपूर्ति विभाग)		
सामान्य समीक्षा के परिणामस्वरूप टिप्पणियां	31	107

	पैराग्राफ	पृष्ठ
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय		
जापानी मस्तिष्क ज्वर टीके का निर्माण	32	109
(अंडमान और निकोबार प्रशासन)		
एक धुलाई संयंत्र पर निष्फल व्यय	33	114
(चंडीगढ़ प्रशासन)		
बेकार पड़ी डायलिसिस मशीन	34	115
गृह मंत्रालय		
अविकासात्मक क्षेत्रों–जेलों तथा राजस्व एवं जिला प्रशासन में प्रशासन के मानकों में सुधार	35	115
अतिरिक्त फर्नीचर के भंडारण के कारण परिहार्य व्यय	36	130
भूमि के अधिग्रहण में निधियों का अवरोधन	37	131
मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा महिला बाल विकास विभाग		
(चंडीगढ़ प्रशासन)		
एक छात्रावास के निर्माण में सरकारी अनुदानों का अवरोधन	38	131
विद्युतीय उपस्करों की खरीद पर हानि	39	132
उद्योग मंत्रालय		
लेवी सीमेंट पर भाड़ा प्रभारों की अधिक अदायगी	40	133
निष्क्रिय मशीनरी	41	134
एक निगम को अनुचित लाभ का विस्तार	42	135
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय		
प्रकाशन विभाग	43	137
निजी निक्षेप खाता	44	147
(अंडमान व निकोबार प्रशासन)		
एक चलचित्र कैमरे पर निधियों का अवरोधन	45	147

	पैराग्राफ	पृष्ठ
श्रम मंत्रालय		
[रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय]		
प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 के प्रावधानों का कार्यान्वयन	46	148
कार्मिक लोक शिकायत तथा पैंशन मंत्रालय		
किराया मुक्त आवास के बजाए मुआवजे की अनियमित अदायगी	47	166
खान और इस्पात मंत्रालय		
भूमि के अधिग्रहण में निधियों का अवरोधन	48	167
भूतल परिवहन मंत्रालय		
बकाया सर्वेक्षण प्रभार	49	167
निधियों का अविवेकपूर्ण विमोचन	50	168
कपड़ा मंत्रालय		
पावरलूम सेवा केन्द्र	51	169
सामान्य- बट्टे खाते डाली गई/छोड़ी गई हानियां व अप्राप्य देयताएं तथा अनुग्रह पूर्वक की गई अदायगियां	52	187
अध्याय 4		
निर्माण कार्य व्यय		
ऊर्जा मंत्रालय		
[विद्युत शक्ति विभाग]		
सलाल जल- विद्युत परियोजना	53	188
एक वाहक द्वारा सीमेन्ट का गबन	54	198
भूतल परिवहन मन्त्रालय		
सीमा सड़क संगठन द्वारा सेतुओं एवं पहुंच मार्गों का निर्माण	55	199
शहरी विकास मन्त्रालय		
अभियाचित रिक्त आवास पर निष्फल व्यय	56	201

	पैराग्राफ	पृष्ठ
एक ठेकेदार से अतिरिक्त व्यय तथा मुआवजे की गैर वसूली	57	202
भवन मान चित्रों के तैयार करने में विलम्ब के कारण अतिरिक्त व्यय	58	202
सविदा की शर्तों का पालन न करने के कारण अतिरिक्त व्यय	59	203
नक्शों को अन्तिम रूप देने तथा स्थल को सौंपने में विलम्ब के कारण अतिरिक्त व्यय	60	205
ठेके की शर्तों के अनुपालन न करने तथा सामग्री की कमी के कारण हानि	61	206
त्रुटिपूर्ण डीजल जनरेटिंग सैट	62	207
[अंडमान और निकोबार प्रशासन]		
उत्तरी अंडमान के गांवों में नल द्वारा जल आपूर्ति की व्यवस्था और सुधार	63	208
स्थल परिवर्तन के कारण निष्फल व्यय	64	209
[चण्डीगढ़ प्रशासन]		
स्केटिंग मैदान में सागौन की लकड़ी के फर्श का बदल जाना	65	209
जल संसाधन मन्त्रालय		
[फरक्का बांध परियोजना]		
मध्यस्थों द्वारा ब्याज की अनियमित अनुमति के कारण परिहार्य व्यय	66	210
पागला और बंसलोई नदी बेसिन योजना के निष्पादन में विलम्ब	67	211
सामग्री की अविवेकपूर्ण अधिप्राप्ति	68	213
एक गोदाम को भाड़े पर लिये जाने पर अतिरिक्त व्यय	69	214
ठेके के अनियमित निरस्तीकरण के कारण अतिरिक्त व्यय की गैर वसूली	70	215
कांटेदार तारों की अविवेकपूर्ण अधिप्राप्ति	71	216
अध्याय 5		
भंडारों की खरीद		
विदेश मंत्रालय		
त्रुटिपूर्ण विमानन भंडारण की अधिप्राप्ति	72	217
अध्याय 6		
विभागीय रूप से प्रबंधित सरकारी उपक्रम	73	219
सामान्य		

	पैराग्राफ	पृष्ठ
वित्त मंत्रालय		
(आर्थिक मामलों का विभाग)		
सिक्योरिटी पेपर मिल, होशंगाबाद		
–अनुपयुक्त सुरक्षा धागे के प्रयोग के कारण हुआ परिहार्य व्यय	74	219
–कचरे का उपयोग न किया जाना	75	221
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय		
(औषधि भंडार डिपो, करनाल)		
फर्म द्वारा आपूर्त खराब रूई की कीमत की गैर वसूली	76	222
(चिकित्सा भंडार डिपो, कलकत्ता)		
औषधियों की स्वीकृति में अनियमितताएं	77	223
औषधियों की खरीद पर अतिरिक्त परिहार्य व्यय	78	226
सूचना और प्रसारण मंत्रालय		
एक फिल्म संसाधन प्रयोगशाला की स्थापना	79	229
रायल्टी का अधिक भुगतान	80	230
निधियों का अवरोधन	81	231
शहरी विकास मंत्रालय		
(भारत सरकार मुद्रणालय, संतरागाची)		
रद्दी कागज संविदा को अंतिमरूप देने में विलम्ब के कारण हानि	82	232

परिशिष्ट

परिशिष्ट – 1	अनुपूरक अनुदानों/विनियोगों के उपयोग की सीमा	234
परिशिष्ट – 2	दत्तमत्त अनुदानों के अंतर्गत बचत	236
परिशिष्ट – 3	निधियों का विपथन	238
परिशिष्ट – 4	अग्रिमों/बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्रों का असमायोजन	242
परिशिष्ट – 5	जेल प्रशासन	244
परिशिष्ट – 6	राजस्व एवं जिला प्रशासन	245

पृष्ठ

परिशिष्ट – 7	प्रकाशन विभाग की वार्षिक प्राप्तियाँ तथा व्यय की संक्षिप्त स्थिति	246
परिशिष्ट – 8	वर्ष 1987–88 के दौरान बट्टे खाते डाली गई/छोड़ी गई हानियाँ, अप्राप्य राजस्व, शुल्क, पेशगियाँ, आदि तथा अनुग्रहपूर्वक की गई अदायगियाँ को दर्शाने वाला विवरण	247
परिशिष्ट – 9	विभागीय रूप से प्रबंधित सरकारी उपक्रमों के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम	248

प्रस्तावनात्मक टिप्पणी

संघ सरकार (सिविल विभाग) के व्यय पर 31 मार्च 1988 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

2. वैज्ञानिक विभाग, दिल्ली प्रशासन तथा केन्द्रीय स्वायत्त निकायों से संबंधित मामलों को छोड़कर जो 1989 की संख्या 7,8 और 9 प्रतिवेदनों में दिये गये हैं, यह प्रतिवेदन महालेखा-नियंत्रक द्वारा तैयार किए गए वर्ष 1987-88 के लिये संघ सरकार (सिविल) के विनियोग लेखों (कुछ अपवादों सहित) तथा लेखा परीक्षा के नमूना परीक्षणों से उद्भूत मामलों तथा संघ सरकार के सिविल विभागों के वित्तीय लेन-देनों की लेखा परीक्षा से उद्भूत अन्य मुद्दों से सम्बन्धित है।

3. महालेखा- नियंत्रक द्वारा समेकनाधीन वर्ष 1987-88 के लिये संघ सरकार वित्त लेखों से उद्भूत एवं महालेखा नियंत्रक/लेखा नियंत्रकों द्वारा प्रस्तुत किए गए वित्त लेखों के विवरणों पर आधारित कुछ रूचिकर मुद्दे इस प्रतिवेदन के अध्याय- 1 में सम्मिलित किए गए हैं।

4. इस प्रतिवेदन में निम्नलिखित पुनरीक्षण सम्मिलित हैं :

(क) कृषि उत्पादन संवर्धन हेतु लघु एवं सीमान्त कृषकों को सहायता
(ख) भूमि का अधिग्रहण
(ग) जापानी मस्तिक-ज्वर टीके का निर्माण
(घ) अविकासात्मक क्षेत्रों-जेलों तथा राजस्व एवं जिलाप्रशासन के मानकों में सुधार
(ड.) प्रकाशन विभाग
(च) प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के प्रावधानों का कार्यान्वयन
(छ) पावरलूम सेवा केन्द्र तथा
(ज) सलाल जल- विद्युत परियोजना

5. इस प्रतिवेदन में उल्लिखित मामले वे हैं जो वर्ष 1987-88 के दौरान की गई नमूना लेखापरीक्षा के दौरान देखने में आए और वे भी, जो पिछले वर्षों में देखने में तो आए किन्तु जिन्हें पिछले प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किया जा सका था, जहां कहीं आवश्यक समझा गया 1987-88 के बाद की अवधि से संबंधित मामले भी शामिल कर लिए गए हैं।

विहंगावलोकन

31 मार्च 1988 को समाप्त हुए वर्ष के लिये लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में 8 पुनरीक्षणों सहित 82 पैराग्राफ सम्मिलित हैं। प्रतिवेदन में वर्णित मुख्य मुख्य बातें संक्षेप में नीचे दी गई हैं:

1. वित्त मंत्रालय

लोक ऋण:- आन्तरिक ऋण, मार्च 1987 में 86313 करोड़ रू. के प्रति मार्च 1988 के अन्त पर 98646 करोड़ रू. तक बढ़ गया था। बाह्य ऋण भी सदृश वर्ष में 20299 करोड़ रू. के प्रति 23223 करोड़ रू. तक बढ़ गया था। भारत सरकार की कुल देयतायें 5 वर्षों की एक अवधि में 130 प्रतिशत की वृद्धि को पंजीयित करते हुए मार्च 1977 के अन्त में 166546 करोड़ रू. के प्रति मार्च 1988 के अन्त में 195561 करोड़ रू. रही। ये सकल राष्ट्रीय उत्पादन के 67 प्रतिशत से कुछ ऊपर थी। ऋण सेवा अनुपात अर्थात ब्याज अदायगियों का अनुपात तथा भारत सरकार द्वारा बाह्य ऋणों की वापसी, निर्यातों तथा अदृश्यों की प्रतिशतता के रूप में मार्च 1988 में 19.7 प्रतिशत थी।

राजस्व घाटा 1982-83 में 1254 करोड़ रू. से 1987-88 में 9137 करोड़ रू. तक तेजी से बढ़ा था। 1987-88 के दौरान खाद्य, देशी उर्वरकों, निर्यात प्रोत्साहन तथा बाजार विकास इत्यादि पर सहायताओं के रूप में 5497 करोड़ रू. की एक राशि अदा की गई थी।

बजटीय नियंत्रण:- 1987-88 के दौरान प्राप्त किया गया समग्र पूरक प्रावधान मूल प्रावधान का तीन प्रतिशत बना। 20 मामलों में, 546 करोड़ रू. का पूरक प्रावधान अनावश्यक था। 11 मामलों में 53.79 करोड़ रू. की राशि के आधिक्य थे, जिन्हें संसद द्वारा नियमित किया जाना अपेक्षित है।

(पैराग्राफ 1, 2 तथा 3)

2 कृषि मंत्रालय

कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए छोटे एवं सीमान्त किसानों को सहायता:- 1983-84 से 1987-88 तक कार्यक्रम पर 682 करोड़ रू. व्यय किए जा चुके थे। यह देखा गया था कि कार्यक्रम में दबाव विद्यमान थे क्योंकि निधियों का विनियोजन और किया गया व्यय किसी सापेक्षीय प्रभाव को निश्चित करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। कार्यक्रम प्रारंभ किए जाने के तत्काल बाद, सातवीं पंचवर्षीय योजना को सूत्रबद्ध करने के लिए स्थापित उस समय के ग्रामीण विकास मंत्रालय, योजना आयोग और कृषि उत्पादन के कार्यकारी दल द्वारा बनाए गए एक कार्यक्रम के माध्यम से उसी प्रकार के कार्यक्रमों के समाकलन और राज्यों को निधियों को पहुंचाने हेतु आवश्यकता हुई। तथापि, वियोजन में अभिपूर्ति किए जाने के लिए कार्यक्रम को जारी रखा गया।

निधियां एक रूपता के आधार पर विनियोजित की गई अर्थात् ब्लाकों में छोटे एवं सीमान्त किसानों की संख्या को ध्यान में न रखकर प्रति ब्लाक को 5 लाख रू. प्रतिवर्ष, परिणाम स्वरूप विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में निधियों का विनियोजन असमान रहा। कार्यक्रम के अन्तर्गत विनियोजन का एक बड़ा भाग (70 प्रतिशत) ब्लाकों में क्षेत्रों की सिंचाई की आवश्यकताओं या पहले भूमिगत जल स्तरों के अत्यधिक शोषण की स्थिति का अनुमान लगाए बिना "लघु सिंचाई" को दिया गया था।

तिलहनों और दालों के छोटे थैलों का वितरण, कृषि जलवायु की परिस्थितियां और उन्नत किस्मों के प्रमाणित बीजों की प्राप्यता को ध्यान में रखे बिना, सम्पूर्ण देश में किया गया था। राज्यों द्वारा आवश्यकता और प्राथमिक क्षेत्रों तथा लक्ष्य ग्रुपों की पहचान करने की दृष्टि से उपयुक्त सर्वेक्षण नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा के दौरान अनेक वित्तीय कमियां और अनियमितताएं देखने में आई थी। कृषि मंत्रालय द्वारा पिछली तिमाही के दौरान अथवा मार्च के महीने में अनेक राज्यों को असमान रूप में बड़ी राशियां दी गई थी। इसी प्रकार से, बहुत से राज्यों द्वारा मार्च के महीने में बहुत व्यय किया गया था। बहुत सी अधिशासी एजेन्सियों को 29 करोड़ रू. से अधिक के दिये गये अग्रिम अन्तिम व्यय मान लिये गये थे। 10 करोड़ से अधिक रू. अन्य कार्यक्रमों अथवा अन्य क्रियाकलापों को विपथित कर दिए गए थे। 4.10 करोड़ रू. से अधिक की आर्थिक सहायता के भुगतान वित्तीय संस्थाओं से लिए गए कर्जों के प्रति इनको समायोजन करने के बजाय लाभ भोगियों को नगद रूप में सीधे दिये गए थे। गलत दरों के लागू किए जाने के कारण 1.06 करोड़ रू. से अधिक की आर्थिक सहायता का अधिक संवितरण भी ध्यान में आया था।

कार्यक्रम के लागू करने में अनेक अनियमितताएं ध्यान में आई थीं जैसे ऊर्जा की कमी के कारण नलकूपों/सिंचाई कार्यों का प्रयोग न किया जाना और 3.29 लाख कूओं/बोरिंगों आदि के लिए पम्पसेटों का प्रावधान न किया जाना। वेधन कूओं में खुदाई के लिए ऊंची दर प्रभारित किए जाने के कारण आंध्र प्रदेश राज्य सहकारी ग्रामीण सिंचाई निगम को 36.62 लाख रू. की अधिक अदायगी की गई थी, बिहार के मुजफ्फर पुर जिले में ट्यूबवैलों के लिए 81.26 लाख रू. के मूल्य के जी.आई. पाइप और सहायक पुर्जों की खरीद निविदाएं आमंत्रित किए बिना चयनित फर्मों से की गई थी। 1986-87 तथा 1987-88 के दौरान पंजाब में कुओं के बोरिंगों से सम्बन्धित 88.48 लाख रू. का किसानों को सीधा अनियमित संवितरण ध्यान में आया जो कि सरकारी एजेन्सियों के माध्यम से किया जाना अपेक्षित था। राजस्थान के उदयपुर जिले में कोई अधिकारिता न रखने वाली अनौपचारिक समितियों द्वारा दिए गए साधारण प्रमाणपत्रों पर 106.79 लाख रू. की एक आर्थिक सहायता का समायोजन किया गया था। पांच राज्यों में 454.39 लाख रू. के अधिक पुराने बीज वितरित किए गए थे। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में निम्न स्तर के बीजों का वितरण किया जाना पाया गया था। पांच राज्यों में भूमि विकास कार्यों पर निरर्थक व्यय हुआ।

केन्द्र, राज्य और जिला स्तरों पर कार्यक्रम के प्रभावी अनुश्रवण में कमी थी। कार्यक्रम का प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए कोई मूल्यांकन अध्ययन नहीं किए गए थे।

§पैराग्राफ 4§

भूमि का अधिग्रहण:– संघ राज्य क्षेत्र दादरा व नागर हवेली में 1982 से 1987 के दौरान भूमि अधिग्रहण के प्राप्त 50 प्रस्तावों में से, केवल दो मामलों में पंचाट घोषित किए गए थे, कार्यवाहियों को अन्तिम रूप न दिए जाने के कारण दो मामले समाप्त हो गए, 27 मामलों में, करर्यवाहियां प्रगति में थीं, जबकि शेष 19 मामलों में, कार्यवाहियां अभी प्रारंभ की जानी थी।

संघ राज्य क्षेत्र, चण्डीगढ़ द्वारा अधिग्रहीत और जुलाई 1983/जुलाई 1987 में कब्जा ली गई 174.49 लाख रू. मूल्य की 134.45 एकड़ परिमाप वाली भूमि अप्रयुक्त रही । प्रशासन ने

अधिग्रहण कार्यवाही की पूर्ति, संशोधित अधिनियम के अन्तर्गत पंचाट के संशोधन न करने और मुआवजे की अदायगी में देरी के कारण 5.78 लाख रू. का अतिरिक्त व्यय किया।

केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग-47 के कुछ भागों को चौड़ा और पक्का करने के लिए 68.92 लाख रू. की एक लागत पर अधिगृहित की गई 25.45 हैक्टेयर परिमाप वाली भूमि जो 1974 से 1982 के दौरान लोक निर्माण विभाग को उपलब्ध कराई गई थी, भूतल परिवहन मंत्रालय द्वारा अनुमानों को संस्वीकृत न किए जाने के कारण प्रयोग में नहीं लाई गई थी।

(पैराग्राफ 6)

एक पंचाट के विरुद्ध अपील पर अविवेकपूर्ण व्यय:- भारत सरकार तथा एक विदेशी बन्दरगाह से दो भारतीय बन्दरगाहों पर डाइमोनियम फोसफेट लाने वाले एक जहाज के मालिकों के बीच टूटफूट के एक झगड़े में, जहाज मालिकों को फरवरी 1983 में 19896 पौण्ड की एक राशि दी गई थी। इसमें पंचाट में विनिमय की गलत दर अपनाए जाने के कारण 6968 पौण्ड की राशि सम्मिलित है। यद्यपि, भारत सरकार सहमत हो गई थी कि मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, तथा पंचाट धन जहाज मालिकों को अदा किया जाना चाहिए, भारत के उच्चायुक्त लन्दन ने अपील जारी रखी और 6968 पौण्ड (1.67 लाख रू.) की राशि को प्राप्त करने के लिए सोलीसिटरों और कौंसल की फीस के रूप में 46,793 पौण्ड (11.18 लाख रू.) की राशि का व्यय किया।

(पैरागाफ 5)

3 वाणिज्य मंत्रालय

निर्यात क्रेडिट (ब्याज परिदान) योजना, 1968 के अन्तर्गत बैंकों द्वारा समय-समय पर विभिन्न किस्मों के निर्यात क्रेडिट तथा सावधि कर्जे भारत के रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित उच्चतम दरों के भीतर ब्याज दरों पर निर्धारित अवधि के लिए अनुमत किये जाते हैं। सरकार, कतिपय शर्तों के पूरा होने के अध्यधीन बैंकों के कर्जा या आहरित और बकाया अग्रिम की राशि पर 1.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष के हिसाब से आर्थिक सहायता अदा करती है। देश में 75 बैंकों की 440 शाखाओं के लेखों की एक नमूना जांच से पता लगा कि मार्च 1987 तक की अवधि के लिए 413 .92 लाख रू. की ब्याज परिदान की राशि अनियमित रूप से अथवा अधिक आहरित की गई थी। लेखा परीक्षा द्वारा बताए जाने पर, बैंको द्वारा 30 सितम्बर 1988 तक 229.12 लाख रू. की एक राशि भारतीय रिजर्व बैंक को वापस की गई थी जबकि 184.80 लाख रू. की शेष राशि वापस की जानी थी।

(पैराग्राफ - 7)

जूतों के निर्यात पर लिखित मूल्य की नगद प्रतिपूर्ति सहायता (न.प्र.स.) की अदायगी को 25 प्रतिशत तक प्रतिबन्धित न किए जाने के कारण, अधिक अदायगी ध्यान में आई थी। उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर, जुलाई 1986 से जून 1988 की अवधि के दौरान वाणिज्य मंत्रालय के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा 58.71 लाख रू. की अधिक अदायगियां आंकलित की गई थी।

(पैराग्राफ -8)

संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात और निर्यात

§सं.मु.नि.आ.नि.§, बम्बई ने एक फर्म को 1980-81 के दौरान बनाए गए "पूर्वनिर्मित पट्टियों और ब्लाकों" के निर्यात पर निर्यातित मद को इन्जीनियरी उत्पाद के रूप में वर्गीकृत करते हुए 16.50 लाख रू. की राशि की नकद सहायता का भुगतान किया। । अप्रैल 1979 से 13 जुलाई 1983 तक यह मद नगद सहायता के लिए अधिकृत किसी भी ग्रुप के अन्तर्गत नहीं मानी गई तथा अदायगी अनियमित थी।

§पैराग्राफ - 9§

ठेकों के पंजीकरण की योजना के अन्तर्गत, एक निर्यातक संरक्षण के लिए ग्राह्य था यदि उसने ठेके तथा सुपर्दगी अनुसूची का विस्तार, यदि कोई हो, एक मान्यताप्राप्त बैंक के साथ, पंजीकृत करा लिये थे। एक निर्यातक ने जनवरी 1978 में इस्पात टैबूलर खम्बों के निर्यात के लिए एक विदेशी खरीददार के साथ एक संविदा में प्रवेश किया। आपूर्तियां जो जून 1978 तक पूरी की जानी थी, वस्तुत: अप्रैल 1979 में पूरी की गई थीं। निर्यातक सुपर्दगी अनुसूची में समय की वृद्धि को बैंक के साथ पंजीकरण कराने में असफल रहा । स.मु.नि. आ. नि., कलकत्ता ने निर्यात की तारीख को लागू 7.5 प्रतिशत के स्थान पर निर्यातों की पो.प.नि. मूल्य की 20 प्रतिशत की संरक्षित दर पर नकद सहायता अनुमत की , जिसके परिणाम स्वरूप निर्यातक को 10.95 लाख रू. की अधिक अदायगी हुई।

§पैराग्राफ 10§

सं.मु.नि.आ.नि., कलकत्ता ने एक निर्यातक को अक्तूबर 1980 से सितम्बर 1981 तक किए गए रेलवे सवारी डिब्बों/बैगनों के संघटकों और फालतू पुर्जों के निर्यातों के पो.प.नि. मूल्य के 33.33 प्रतिशत की दर पर नगद प्रतिपूरक सहायता अदा की । ये दरें रेलवे सवारी डिब्बों/वैगनों पर लागू थी। अतिरिक्त पुर्जों और संघटक 20 प्रतिशत की दर पर न.प्र.सं. के लिये ग्राह्य थे। इसके परिणामस्वयप 6.53 लाख रू. की अधिक अदायगी हुई।

§पैराग्राफ 11§

एक निर्यातक ने कास्ट आयरन फिटिंग के निर्यात के लिए जनवरी 1981 में दो विदेशी खरीददारों से पांच ठेके किए। जब कि पांच ठेकों में से तीन में एक मूल्य विविधता उपबंध था, अन्य दो में नहीं था। कुछ भाग की आपूर्तियां करने के बाद विशिष्टताओं में परिवर्तन के कारण शेष मात्राओं की दरों पर पुन: समझौता किया गया था। जैया कि नीति के अन्तर्गत अपेक्षित था, पुन: समझौते की दरों को बैंक के साथ पंजीकृत नहीं किया गया था। सं.मु.नि.आ.नि., कलकत्ता ने निर्यात की तारीख पर लागू 5 प्रतिशत की बजाय निर्यातों के पो.प.नि. मूल्य के 12.5 प्रतिशत की संरक्षित दर पर न.प्र.स. अनुमत की, परिणामस्वरूप 6.07 लाख रू. का अनियमित/अधिक भुगतान हुआ।

§पैराग्राफ 12§

अप्रैल 1979 से सितम्बर 1982 के दौरान मोटर साईकिलों, स्कूटरों, मोपेडों, तीन पहिया वाहनों के अमेरिकन, कैरिबियन तथा पश्चिमी यूरोपीय देशों के अलावा अन्य देशों को निर्यात करने हेतु नकद प्रतिपूर्ति सहायता की दर निर्यातों के पो.प. नि. मूल्य की 10 प्रतिशत थी। निर्यात किये गये अवयवों तथा अतिरिक्त पुर्जों सहित इन क्षेत्रों को आटोमोबाईल सहायक तथा उप सहायक 12.5

प्रतिशत अर्थात मूल उत्पाद से 2.5 प्रतिशत अधिक की दर परनकद सहायता के हकदार थे। दिसम्बर 1980 से सहायकों तथा उपसहायकों पर नकद सहायता की दर इस आधार पर 10 प्रतिशत कम कर दी गई थी कि नकद प्रतिपूर्ति सहायता मूल उत्पाद पर लागू से अधिक दर से अनुमत करना उपयुक्त नहीं होगा। संघटकों, अतिरिक्त पुर्जों, सहायकों तथा उप सहायकों के मूल उत्पाद के साथ समान दरों के निर्धारण की चूक से अप्रैल 1979 से नवम्बर 1980 के दौरान 3.81 लाख रू. का परिहार्य भुगतान अन्तर्ग्रस्त हुआ।

17 दिसम्बर 1980 से नकद सहायता की दर 12.5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत कम होने के बाद भी संयुक्त मुख्य नियंत्रक आयात तथा निर्यात, मद्रास 12.5 प्रतिशत की दर से नकद सहायता अदा करता रहा था। 1981-82 में परिणामस्वरूप अधिक अदायगी 2.74 लाख रू. आंकलित की गई थी।

§पैराग्राफ 13§

"कागज तथा लुगदी संयत्रं" के निर्यात पर नकद सहायता केवल मार्च 1981 तक ग्राहय थी। 1984-85 और 1985-86 के दौरान एक फर्म के "लकड़ी खपच्चियों" के माने गए निर्यात के मामले में मुख्यालय वर्गीकरण समिति ने जनवरी 1987 में "औद्योगिक मशीनरी अन्य विनिर्दिष्ट नहीं" के अन्तर्गत नकद सहायता की ग्राह्यता के प्रयोजन के लिये मद को वर्गीकरण करने हेतु निर्णय लिया था। उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी उद्योगों के लिये मार्ग दर्शनों §1983-84§ के अनुसार, "खपच्चियां" कागज तथा लुगदी संयत्र की श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं तथा तकनीकी विकास के महानिदेशक का मत था कि "लकड़ी खपच्चियां" लगुदी उपस्कर के अभिन्न अंग थे। इसलिए मद नकद सहायता के लिये ग्राह्य नहीं थी। इस प्रकार, मुख्यालय वर्गीकरण समिति द्वारा गलत निर्णय के फलस्वरूप संयुक्त मुख्य नियंत्रक आयात तथा निर्यात, बम्बई ने "लकड़ी खपच्चियों" के माने गए निर्यातों के लिए 2.44 लाख रू. की नकद सहायता का भुगतान किया।

§पैराग्राफ 14§

एक निर्यातक के 27 तथा 28 मार्च 1979 को दो विदेशी क्रेताओं के साथ इंजीनियरिंग वस्तुओं की आपूर्ति के लिए दो अलग-अलग संविदाएं कीं। कुछ भाग की आपूर्तियों के निष्पादन होने के बाद, कच्चे मालों की लागत में वृद्धि के कारण 15 तथा 20 मार्च 1980 को शेष मात्रा का संवेदित मूल्य बढ़ा दिया गया था। नीति की शर्तों में, 5 नवम्बर 1979 से पहले समाप्त हुई संविदाएं संरक्षित दर पर नकद प्रतिपूर्ति सहायता के भुगतान के लिए अपात्र हो गयी थी, यदि संविदाओं पर कच्चे माल की लागत में वृद्धि को पूरा करने हेतु पुनः बातचीत की गई थी। संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात तथा निर्यात, कलकत्ता ने नकद प्रतिपूर्ति सहायता, संशोधित संविदित मूल्य के आधार पर अप्रैल तथा मई 1980 में पो.प.नि. मूल्य पर किये गये निर्यात की वास्तविक तिथि को 10 प्रतिशत की आम दर के बजाय संविदा की तिथि को विद्यमान 15 प्रतिशत की संरक्षित दर अदा की थी। इस प्रकार, अपर्याप्त छानबीन के परिणामस्वरूप 2.06 लाख रूपयों की नकद सहायता का अधिक भुगतान हुआ।

§पैराग्राफ 15

रेलवे वैगन के अवयवों, ढलवां लोहे की फिटिंग तथा इंजीनियरी माल के निर्यात पर नक

प्रतिपूरक सहायता के भुगतान से संबंधित सभी मामलों की फाइलें संयुक्त मुख्य नियंत्रक आयात व निर्यात, कलकत्ता द्वारा बारम्बार अनुस्मारक दिये जाने के बावजूद लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गई थी। फाइलों के अप्रस्तुतिकरण ने लेखा परीक्षा के प्रभावपूर्ण कार्य संचालन में अड़चन डाली तथा नियंत्रक महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 18(2) का उल्लघंन भी किया, जो कि विभागीय प्रमुखों को, लेखापरीक्षा को उनके द्वारा मांगे गये सभी दस्तावेजों तथा अभिलेखों को चरम गति तथा शीघ्रता से प्रस्तुत करने के साथ उनके कर्त्तव्यों की उन्मुक्ति में इसे बाध्य कर बनाता है।

(पैराग्राफ 11, 12 तथा 15)

4 विदेश मंत्रालय

भारतीय महावाणिज्य दूतावास, न्यूयार्क ने, वाणिज्य दूतावास के प्रमुख के लिए निवास के रूप में एपार्टमैंट की खरीद के लिए जून 1979 और अगस्त 1981 के बीच विदेश मंत्रालय को विभिन्न प्रस्ताव भेजे । एपार्टमैंट जो जनवरी 1982 में 339300 डालरों के लिये प्रस्तावित किया गया था सितम्बर 1985 में 950000 डालरों में खरीदा गया था। एपार्टमैंट की खरीद हेतु निर्णय लेने में देरी और खरीद के बाद अधिकार लेने में आगे देरी के परिणामस्वरूप 95.58 लाख रू. का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(पैराग्राफ 18)

काहिरा में भारतीय मिशन ने कार्यालय और दो अधिकारियों के स्थान हेतु जद्दाह टावर्स के अन्दर जून 1984 में 127.20 लाख रू. की एक लागत पर सम्पत्ति खरीदी। मालिक द्वारा इमारत का कब्जा चार वर्ष के बाद तक भी नहीं दिया गया था। मंत्रालय, जिसने 1986 में परिसरों का निरीक्षण किया था, सुरक्षात्मक दृष्टि से इसे अनुपयुक्त पाया और अप्रैल 1988 में सम्पत्ति को बेचने का निर्णय किया।

(पैराग्राफ 19)

भारतीय दूतावास, बोन ने, भारतीय मूल के कर्मचारियों के लिए 20 फलैटों के निर्माण हेतु भूमि के प्लाट की खरीद पर 43.53 लाख रू. का व्यय किया। प्लाट का स्वामित्व मार्च 1983 में भारत सरकार को स्थानान्तरित किया गया था। तथापि, निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया था, परिणामस्वरूप सरकारी निधियां पांच वर्षों से अधिक के लिये अवरूद्ध रहीं। इसी बीच, अक्टूबर 1988 तक 33.20 लाख रू. का एक व्यय करते हुए मिशन अपने स्टाफ के लिये आवास किराए पर लेना जारी रखती रही थी।

(पैराग्राफ 20)

वियना समझौते के अन्तर्गत, विदेशी राजनयिक मिशनों को कार्यालय भवन और मिशन के प्रमुखों के आवासों के लिए सम्पत्तिकर से छूट दी गई है लेकिन अन्य सम्पत्तियों के सम्बन्ध में सम्पत्ति कर से छूट पारस्परिकता के आधार पर निश्चित की जाती है। दिल्ली में संयुक्त राज्य दूतावास द्वारा धारित 25 सम्पत्तियों में से, न.दि.न.पा. क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली 15 सम्पत्तियां 1949 से सम्पत्ति कर से मुक्त की हुई थीं। दिल्ली नगर निगम क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली 10 अन्य सम्पत्तियों पर कर का दावा किया जा रहा था। दूसरी ओर, भारतीय दूतावास, वाशिंगटन ने दिसम्बर 1985 तक 16

सम्पत्तियों पर सम्पत्ति कर का भुगतान किया था। सं.रा.अ. की सरकार ने जनवरी 1987 से सभी राजनयिक मिशनों द्वारा धारित सम्पत्ति पर कर छूट प्रदान की थी। वित्तीय पहलुओं में पारस्परिकता को अनदेखा कर दिया गया है तथा विदेश मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, दिल्ली नगर निगम, और नई दिल्ली नगर पालिका के बीच तारतम्य की कमी थी।

§पैराग्राफ 21§

क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय §क्षे.पा.का.§, बम्बई के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि अक्तूबर 1985 से फरवरी 1986 की अवधि के दौरान 10 रू. की निर्धारित शुल्क को प्रभारित किए बिना उत्प्रवास मंजूरी के साथ 76,965 पासपोर्ट जारी किए गए थे। इसके फलस्वरूप 7.70 लाख रू. के राजस्व की एक हानि हुई। मंत्रालय ने क्षे.पा.का., बम्बई से सम्बन्धित 7.70 लाख रू. सहित 74 लाख रू. की कुल हानि को बट्टे खाते डालने का प्रस्ताव किया।

§पैराग्राफ 22§

शिकागो, न्यूयार्क और सैनफ्रान्सिसको में वाणिज्य दूतावासों ने अगस्त 1986 में निर्धारित पासपोर्ट के जारी/ नवीनीकरण करने के लिए आवेदन फार्म का मूल्य वसूल नहीं किया। इसके फलस्वरूप नए फार्मों की प्राप्ति के बाद तीन वाणिज्य दूतावासों द्वारा 5.39 लाख रू. की सीमा तक के राजस्व का कम उद्ग्रहण हुआ।

§ पैराग्राफ 23§:

भारतीय दूतावास, वाशिंगटन ने मिशन के अधिकारियों/कर्मचारियों को आवासों से जुड़े बागों, मैदानों, हैजों के रखरखाव के लिए व्यय का प्रमाण प्राप्त किए बगैर जैसा कि सरकार द्वारा निर्धारित था, 22,532 डालरों §2.95 लाख रू.§ की एक राशि की प्रतिपूर्ति की । मिशन ने अप्रैल से जून 1987 तक की गई यात्राओं के लिए 7082.95 डालरों तथा छुट्टी के दिनों में और कार्यदिवसों में कार्यालय समय से अतिरिक्त कार्यालय में कार्य करने के लिए जुलाई/अगस्त 1987 की अवधि के लिए टैक्सी प्रभारों हेतु 5782.40 डालरों की राशि अदा की। रसीदों को प्रस्तुत किए बिना और की गई यात्रा की दूरी से असम्बद्ध प्रत्येक मामले में 16 डालरों की दर पर भुगतान किये गये थे। इस प्रकार की गई औसतन अदायगी 2573 डालर प्रतिमास §4.04 लाख रू. प्रतिवर्ष§ आंकलित की गई थी।

§पैराग्राफ 30§

5 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

जापानी मस्तिष्क ज्वर टीके का निमार्ण:- केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान कसौली में जापानी मस्तिष्क ज्वर टीके के निर्माण के लिये परियोजना मार्च 1982 में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित की गई थी लेकिन आयातित मशीनरी का एक क्षतिपूर्ण अवस्था में प्राप्त होने के कारण चार वर्षों की अनुबद्ध अवधि के अन्दर पूरी नहीं की जा सकी । यद्यपि संस्थान ने टीके की 4.67 लाख खुराकों का उत्पाद नवम्बर 1987 में समाप्त कर दिया था, परन्तु इसके वितरण और उपयोग की कोई योजना नहीं थी। नियंत्रित क्षेत्र परीक्षण आधार पर तीन लाख खुराकों के उपयोग के लिए समिति की सिफारिशों §जून 1987§ पर भारत सरकार का निर्णय प्राप्त नहीं हुआ था §दिसम्बर

1987§ । 15.16 लाख रू. की एक लागत पर जुलाई 1985 में आदेश दिया गया एक देशज फ्रीज शोषक संयंत्र जिसकी आपूर्ति मई 1986 तक की जानी थी सितम्बर 1987 तक अनेक बार समय बढ़ाए जाने के बावजूद प्राप्त नहीं किया गया था।

§पैराग्राफ 32§

औषधियों की स्वीकृति में अनियमितताएं:- प्राय: चिकित्सा भण्डार डिपो परीक्षण के बाद तथा केवल आपातकालीन मामलों में वारन्टी प्रमाणपत्र पर दवाइयां स्वीकार करते हैं। चिकित्सा भण्डार डिपो, कलकत्ता ने जुलाई-सितम्बर 1985 के दौरान 153.91 लाख रू. मूल्य की दवाइयां स्वीकार की जो वारन्टी प्रमाणपत्रों पर खरीदी गई कुल दवाइयों का 52 प्रतिशत बनती थी। दवाइयां भी अनुवर्ती परीक्षणों के अनुसार नहीं थीं। पुन:, डिपो ने तीन निर्माणिकर्ताओं से 3.60 लाख रू. मूल्य की दवाइयां बिना परीक्षण के स्वीकार की जबकि इन्हीं निर्यातकर्ताओं द्वारा पहले आपूर्ति की गई दवाइयां परीक्षण में अस्वीकार कर दी गई थी। दवाइयों के नमूनों का एक दूसरी प्रयोगशाला में पुनर्परीक्षण की अनुमति नहीं दी जाती है। 2.34 लाख रू. मूल्य की दवाइयां जो कि प्रारंभ में परीक्षण के बाद अस्वीकार कर दी गई थी, बाद में दूसरी प्रयोगशाला द्वारा पुनर्परीक्षण के बाद, परीक्षण-परिणामों में विभिन्नता के कारणों का पता लगाए बिना स्वीकार कर ली गयी थी। नमूनाजांच के दौरान 0.64 लाख रू. मूल्य की निम्न स्तर की दवाइयों को स्वीकार करने तथा जारी करने के मामले भी ध्यान में आए थे।

§पैराग्राफ 77§

दवाइयों की खरीद पर परिहार्य अतिरिक्त व्यय:- 1970 में लोक लेखा समिति की सिफारिशों के बावजूद कि स्थानीय खरीद को कम से कम करने के लिए प्रयत्न किए जाने चाहिए, चिकित्सा भण्डार डिपो, कलकत्ता ने 1984-85 से 1986-87 के दौरान कुल खरीदों की 79 से 89 प्रतिशत की सीमा तक की दवाइयों की स्थानीय खरीद की । डिपो ने चिकित्सा भण्डार शब्दावली में असम्मिलित 19 अकेली संघटक मदों की स्थानीय खरीद के कारण 1985-86 में 130.45 लाख रू. का अतिरिक्त परिहार्य व्यय किया जो कि निर्धारित परम्परा के अनुसार मांगकर्त्ताओं द्वारा खरीदी जानी चाहिए थी। एरीथ्रोमाइसिन स्टीरेट की खरीद के लिए ठेका दरों के वर्तमान रहने के बावजूद, डिपो ने ठेकेदार से काफी ऊंची दरों पर 6.64 लाख रू. का अतिरिक्त परिहार्य व्यय अन्तर्ग्रस्त करते हुए दवाई की खरीद की । डिपो ने उन्हीं फर्मों से, जिनके साथ इसकी निम्नतर ठेका दरें थीं, ऊंची दरों पर खरीदें करते हुए 4.84 लाख रू. का अतिरिक्त परिहार्य व्यय किया। 1985-86 के दौरान, डिपो ने अकेली संघटक औषधियों के लिए विशिष्ट मांगपत्रों के प्रति मांगकर्त्ता विभागों को अधिक कीमती किस्म की दवाइयां जारी की, फलस्वरूप 16.26 लाख रू. का परिहार्य व्यय हुआ।

§पैराग्राफ 78§

6 गृह-मंत्रालय

अविकासात्मक क्षेत्रों तथा राजस्व एवं जिला प्रशासन में प्रशासन के मानकों में सुधार:- सातवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में, भारत सरकार ने §1§ जेलों और §2§ राजस्व एवं जिला प्रशासन में मानकों के सुधार हेतु राज्य सरकारों को क्रमश: 4823.26 लाख रू. और 6288.03

लाख रू. की राशियों की कुल अनुदानें जारी की थी राशियां अनुमोदित योजना की कार्यवाही के अनुसार व्यय की जानी थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि अनेक मामलों में, योजना की कार्यवाही बहुत देरियों से पूरी की गई थी, मंत्रालय द्वारा योजना का कार्यान्वयन अनुश्रवित नहीं किया गया था और निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण किए बिना अनुदानें जारी की गई थी । एक मामले में, अनुमोदित कार्य योजना में प्रदत्त राशि से अधिक और उद्देश्य, जिसके लिए यह खर्च की जानी थी, 96.20 लाख रू. जारी किए गए थे।

जेल क्षेत्र में, 438.85 लाख रू. राशियों के कुल अनुदान अव्ययित रहे। आगे दोनों क्षेत्रों में प्रतिवेदित व्यय में 679.80 लाख रू. शामिल थे जो वास्तव में खर्च नहीं किये गये थे तथा 349.96 लाख रू. अनुमोदित निर्दिष्ट मदों से विपथित कर दिये गये थे और अप्रदत्त मदों पर खर्च किए गए थे। 24.54 लाख रू. के परिहार्य व्यय और 53.50 लाख रू. के अग्राह्य व्यय के मामले देखने में आए थे।

नौ राज्यों में से आठ में जेल क्षेत्र में भवनों के निर्माण के प्रत्यक्ष लक्ष्य प्राप्त नहीं किए गए थे जबकि राजस्व एवं जिला प्रशासन में कमी 17 से 100 प्रतिशत के बीच वर्गीकृत रही। दो जेल निर्माण कार्यों, जिनपर राजस्थान तथा तमिलनाडु की सरकारों द्वारा 253.25 लाख रू. का व्यय किया गया था, पूरे नहीं किए गए थे, परिणामस्वरूप निधियों का अवरोधन हुआ। तीन राज्यों में, 73.75 लाख रू. मूल्य के उपस्कर/बैरेक निष्क्रिय/अप्रयुक्त पड़े रहे थे। भारत सरकार की सहायता के बावजूद, कैदियों की खुराक, दवाइयों, कपड़ों आदि पर चार राज्यों द्वारा किया गया व्यय सिफारिश किए गए मानकों से निरन्तर नीचे रहता रहा ।

§पैराग्राफ 35§

7 उद्योग मंत्रालय

लेवी सीमेन्ट पर भाड़ा प्रभारों की अधिक अदायगी:- सीमेन्ट उत्पादकों द्वारा परिवहन के सर्वाधिक सस्ते साधनों द्वारा भाड़े पर किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति सीमेन्ट नियंत्रण आदेश 1967 के अन्तर्गत स्थापित सीमेन्ट नियमन लेखे से की जाती थी। अवरपुर, महाराष्ट्र में, अवरपुर सीमेन्ट वर्क्स ने , अक्तूबर 1983 में सीमेन्ट का उत्पादन प्रारंभ किया, तथा मानिक गढ़ रेल शीर्ष पर वैगनों में लादने के लिए सड़क द्वारा ले जाए गए लेवी सीमेन्ट के 29.50 रू. प्रतिटन की दर पर यूनिट को अतिरिक्त चढ़ाई उतराई और परिवहन प्रभारों की प्रतिपूर्ति अनुमत की गई थी। रेलवे लाइन दिसम्बर 1985 से अवरपुर फैक्ट्री तक परिचालन योग्य हो गई थी परन्तु औद्योगिक विकास विभाग ने सड़क द्वारा 29.50 रू. प्रतिटन पर अदायगी में छूट अप्रैल 1987 से वापस ले ली । इस प्रकार से एक को 18.48 लाख रू. के अतिरिक्त परिवहन प्रभारों की प्रतिपूर्ति की गई थीं।

§पैराग्राफ 40§

8 सूचना और प्रसारण मंत्रालय

प्रकाशन विभाग:- प्रकाशन विभाग के पास मार्च 1988 के अन्त में 192 शीर्षकों का संचित शेष था। जिसमें से 119 शीर्ष सम्पादकीय पाईपलाइन में थे तथा 73 शीर्ष उत्पादन के विभिन्न चरणों में थे।

83 मामलों में, मुद्रकों से प्रतियां प्राप्त करने में दो वर्षों तक के विलम्ब ध्यान में आये थे। ।। मामले 5 वर्षों से अधिक के लिये सम्पादकीय पाईपलाइन में पड़े रहे थे। नमूना जांच किए गए 391 मामलों में से 199 में मुद्रणालय द्वारा मुद्रणकार्य में 72 महीनों तक के विलम्ब ध्यान में आये थे। मंत्रालय को आधुनिक प्रक्रिया अपनाते हुए मुद्रण के वैकल्पिक स्त्रोतों की संभावना की छानबीन करनी चाहिए तथा मुद्रणालय को कागज की सामायिक आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पग उठाने चाहिए।

विभाग ने सरकारी मुद्रणालय में मुद्रित प्रकाशनों की कीमतें अप्रैल 1977 में जनवरी 1985 तक निर्धारित दरों की पुरानी तालिका के आधार पर नियत की थी। 38 कार्यों में, पुरानी तालिका की दरों तथा मुद्रणालय द्वारा अप्रैल 1983 से जनवरी 1985 के दौरान प्रकाशनों के प्रति प्रभारित दरों के आधार पर कीमतों के नियतन के कारण 22.45 लाख रू. का अन्तर परिकलित किया गया ।

221.72 लाख रू. मूल्य की अनबिकी रह गई प्रचार सामग्री के मुद्रण के लिए मांग का एक समुचित निर्धारण किया जाना चाहिए ताकि प्रकाशन विभाग पर अनबिकी प्रतियों का बोझ न पड़े, जिसके कारण निधियों का अवरोधन हो तथा जिन्हें अन्यथा लाभप्रद प्रकाशनों के लिए उपयोग किया जा सके। मंत्रालय भी ऑल इण्डिया रेडियो तथा दूरदर्शन के माध्यम से जो कि इसी मंत्रालय के अध्यधीन एजेंसियां हैं, बिक्री में वृद्धि के लिये प्रयत्न कर सकता था।

वार्षिक प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था, कमियों/अधिकता के लिए कोई जांच नहीं की गई थी। हालांकि मंत्रालय, लेखापरीक्षा की उपलब्धियों से सहमत था, तथापि, उसने केवल इसी कार्य को करने के लिए एक आन्तरिक निरीक्षण कक्ष के सृजन के लिए, उनके द्वारा प्रस्तावित कार्यवाही को निर्दिष्ट नहीं किया।

(पैराग्राफ 43)

निधियों का अवरोधन:- 1972-73 से 1974-75 के दौरान सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने चंडीगढ़ प्रशासन को आकाशवाणी (आ) के लिए कार्यालय तथा प्रसारकक्ष स्थापित किए जाने हेतु 49.22 लाख रू. 2 वर्षों के लिए भूमि की लागत तथा भूमि भाड़े के रूप में भुगतान किया। क्योंकि स्थल उपयुक्त नहीं था, 53.94 लाख के लिये नवम्बर 1983 में एक दूसरा स्थल आबंटित किया गया था। प्रसारकक्ष के निर्माण का कार्य मार्च 1988 में दिया गया था और प्रगति पर था। इसी बीच, मुख्य अभियन्ता आकाशवाणी द्वारा जनवरी 1982 और मार्च 1987 के बीच 33.68 लाख रू. मूल्य के उपस्कर खरीदे गए थे, जिनमें से 5.43 लाख रू. मूल्य के उपस्कर जुलाई 1983 में विपथित किये गये थे तथा आकाशवाणी रामपुर में प्रतिष्ठापित किये गए थे और शेष 28.25 लाख रू. मूल्य के उपस्कर बिना प्रतिष्ठापित किये गये पड़े हुए थे। भूखण्ड की स्वीकृति तथा समय से बहुत पहले उपस्करों की खरीद के परिणामस्वरूप 84.57 लाख रू. की राशि का 4 से 14 वर्षों के बीच की अवधि के लिए निधियों का अवरोधन हुआ।

(पैराग्राफ 81)

9 श्रम मंत्रालय

शिक्षु अधिनियम, 1961 के प्रावधानों का कार्यान्वयन: अधिनियम के उद्देश्यों में से एक था उद्योगों में कुशल कार्यकर्त्ताओं की आवश्यकता को पूरा करने के विचार से व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने

के लिए उद्योग में उपलब्ध सुविधाओं का सम्पूर्ण उपयोग करना।

भारत सरकार, राज्य सरकारों (गोवा, हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तरप्रदेश और पश्चिम बंगाल) तथा केन्द्र शासित क्षेत्र चंडीगढ़ ने 1982-88 के दौरान शिक्षु अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिये 40.00 करोड़ रू. व्यय किए। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि शिक्षण स्थलों तथा प्रतिष्ठानों की पहचान के लिए कोई व्यापक सर्वेक्षण नहीं किया गया था, प्रशिक्षण सुविधाओं से युक्त मान्यताप्राप्त प्रतिष्ठानों के केवल 28 प्रतिशत की पहचान की गई थी, जिनमें से वास्तव में शिक्षुओं को प्रशिक्षण देने वाले प्रतिष्ठानों की संख्या 66 से 69 तक थी। 139 व्यवसायों में से 67 में, नियुक्त किये गये शिक्षुओं की संख्या एक सौ से अधिक नहीं हुई।

पता लगी सीटों की तुलना में उपयोग में न लाई गई सीटों की प्रतिशतता व्यवसायिक शिक्षुओं के मामले में 28 से 31, स्नातक इंजीनियर शिक्षुओं के मामले में 47 से 66 और डिप्लोमाधारियों के मामले में 24 से 39 के बीच वर्गीकृत थी। कुछ मंत्रालय जैसे कि रेल मंत्रालय ने पता लगाई सीटों की आधी संख्या भी उपयोग नहीं की थी, जबकि इस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड, कलकत्ता ने अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत अपनी स्वयं की समानान्तर प्रशिक्षण परियोजना परिचालित कर रखी थी। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति से संबंधित व्यवसायिक शिक्षुओं के लिए आरक्षित सीटों का क्रमशः 9 से 11 और 2 से 3 प्रतिशत उपयोग में लाया गया था। छोड़ गये शिक्षुओं के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं थी। पंजीधारी शिक्षुओं की संख्या में से व्यवसाय प्रशिक्षण में बैठे शिक्षुओं की संख्या तथा उनके सफल होने की संख्या क्रमशः 35 और 42 प्रतिशत तथा 26 और 30 प्रतिशत के बीच वर्गीकृत थी।

1982-88 के दौरान प्रशिक्षित शिक्षुओं के अनुवर्ती नियोजन हेतु किसी सुसंगत मशीनरी का रूपांकन नहीं किया गया था। पांच राज्यों/ केन्द्र शासित प्रदेशों में शिक्षुओं के 55 से 97 प्रतिशत को लाभंप्रद रोजगार उपलब्ध नहीं कराये गये थे। प्रशिक्षण की गुणवत्ता के मूल्यांकन हेतु क्रमिक व्यवसाय परीक्षण लक्ष्यों के अनुसार संचालित नहीं किए गए थे।

प्रतिष्ठानों द्वारा अथवा शिक्षुओं द्वारा जहां कहीं अधिनियम के प्रावधानों की अवहेलना की गई थी किसी भी मामले में कार्यान्वयन प्राधिकारियों द्वारा अधिनियम के दण्डनीय प्रावधानों को आकर्षित नहीं किया गया था। कार्यक्रम का कोई प्रभावी प्रबोधन नहीं किया गया था। चार राज्यों में राज्य शिक्षु परिषदें प्रभावी रूप से कार्य नहीं कर रही थीं। न तो राज्य शिक्षु परिषदों और न ही केन्द्रीय शिक्षु परिषदों ने अधिनियम के कार्यान्वयन में कमियों की ओर ध्यान दिया था।

(पैराग्राफ 46)

10 कपड़ा मंत्रालय

पावरलूम सेवा केन्द्र:- कपड़ा मंत्रालय के अधीन कपड़ा आयुक्त, बम्बई के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत स्थापित 12 पावरलूम सेवा केन्द्रों तथा कपड़ा अनुसंधान एसोसियेशन के अधीन 4 केन्द्रों की कार्यप्रणाली के एक पुनरीक्षण से प्रकट हुआ कि आन्ध्र प्रदेश, असम और हरियाणा में जहां एक बड़ी संख्या में पावरलूम थे केन्द्र स्थापित नहीं किए गए थे। विद्युत कनेक्शनों के मिलने में विलम्ब के कारण अमृतसर, सूरत और त्रिचूर में 3 केन्द्रों ने 2

से 5 वर्षों के बीत जाने के बाद कार्य चालन प्रारंभ किया था। 1987-88 तक 6 से 10 वर्षों के लिए केन्द्रों से बजट प्रावधान के साथ-साथ कपड़ा अनुसंधान एसोसियेशन के आधीन 1987-88 के दौरान चार केन्द्रों को भुगतान किये गये अनुदान पूर्णतः उपयोग मे नहीं लाये गये थे। पावरलूम बुनकरों की एक बड़ी संख्या की तुलना में प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लक्ष्य कम थे, यहां तक कि ये लक्ष्य भी किसी केन्द्र में प्राप्त नहीं किये गये थे। केन्द्रों के पास सभी आवश्यक मशीनरी नहीं थी, मशीनों की स्थापना तथा उपयोग में विलम्ब के मामले देखे गये थे। सूरत केन्द्र में जो केवल रेशमी धागों के एकांश की आवश्यकताओं का प्रबन्ध करता था, सूती धागों के परीक्षण करने के लिये लाभप्रद मशीनरी मुहैया की गई थी। नमूनों की जांच लक्ष्यों के केवल 22 प्रतिशत तक की सीमा तक थी और नई परिकल्पना के विकास और उत्पादन के विविधीकरण में काफी कमी थी। परामर्शदाता निकायों ने जैसा कि अपेक्षित था अपनी तिमाही बैठके आयोजित नहीं की थीं तथा परामर्शदाता निकायों की सिफारिशों पर की गई अनुवर्ती कार्यवाही कपड़ा आयुक्त के अभिलेखों में तुरन्तता से उपलब्ध नहीं थी।

§पैराग्राफ 5।§

11 ऊर्जा मंत्रालय

सलाल जल- विद्युत परियोजना:- परियोजना की अनुमानित लागत मार्च 1970 में 55.15 करोड़ रू. से बढ़ कर जुलाई 1986 में 585.35 करोड़ रू. हो गई है। मार्च 1987 के अन्त तक 519.40 करोड़ रू. का खर्च किया जा चुका था।

परियोजना का प्रथम चरण जिसे 1970 में प्रारम्भ किया गया था, 1987 में चालू किया गया है। समय-समय पर परियोजना प्रतिवेदनों में विचारी गई समापन की अनुसूची का अनुपालन नहीं किया जा सका तथा करीब-करीब परियोजना के सभी बड़े संघटकों के पूर्ण किए जाने में विलम्ब था।

पत्थर भरे बाधों के निर्माण हेतु 41 करोड़ रू. मूल्य की खरीदी गई मशीनरी का अल्प उपयोग हुआ था क्योंकि 3.53 करोड़ रू. मूल्य के निर्माण कार्य ठेकेदारों को आबंटित कर दिये गये थे तथा विभागीय रूप से निष्पादित नहीं किये गये थे। टेल रेस सुरंग के लिए 43.61 लाख रू. कीमत की खरीदी गई एक न्यूमेटिक ड्रिलिंग जम्बों मशीन भी काम में नहीं ली गई थी। विपथन सुरंग को बन्द करते समय 29.16 लाख रू. मूल्य की मशीनरी एवं उपस्कर पीछे छोड़ दिए गए थे तथा पुनः प्राप्त नहीं किये जा सके।

सीमेन्ट के लिए भाड़ा प्रभारों पर परिदान के कारण 5.04 लाख रू. के लिये दावा निर्धारित अवधि के भीतर दायर नहीं किया गया था, जिसके फलस्वरूप नुकसान हुआ। 1.07 करोड़ रू. मूल्य के फालतू अतिरिक्त पुर्जे तथा 0.29 करोड़ रू. मूल्य की आयातित इस्पात बिना प्रयोग के पड़ी हुई थी।

§पैराग्राफ 53§

12 भूतल परिवहन मंत्रालय

सीमा सड़क संगठन द्वारा पुलों तथा पहुंच मार्गों का निर्माण:- सीमा सड़क संगठन ने दिसम्बर 1981 तक पूर्ण किये जाने वाले मई 1977 में आरम्भ किये गये एक पुल के निर्माण को 59 लाख रूपयों के लिये जुलाई 1978 में एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम §सा.क्षे.उ.§

को प्रदान किया । सा.क्षे.उ. ने जून 1985 तक निर्माण कार्य का 25 प्रतिशत पूर्ण किया था, जब उसके साथ किया गया ठेका रद्द कर दिया गया । बचा हुआ निर्माण कार्य चूककर्त्ता सा.क्षे.उ. की जोखिम व लागत पर 2.12 करोड़ रूपयों के लिये दिसम्बर 1986 में एक निजी फर्म को प्रदान किया गया था। निजी फर्म ने मार्च 1988 तक 52 प्रतिशत कार्य पूरा किया था। कार्य मई 1989 तक पूर्ण किया जाना अनुसूचित था। सा.क्षे.उ. से चल अग्रिम तथा उसके भण्डारणों, मशीनरी आदि के पहरे निगरानीके कारण 4.37 लाख रू. वसूली योग्य थे। सा.क्षे.उ. से पुल के निर्माण पर अधिक व्यय की वसूली की सम्भावना सन्देहपूर्ण थी। पहुंच मार्गों पर 62.54 लाख रू. का व्यय किया गया था, पहुंच मार्ग पर निर्माण कार्य पुल की दो में से एक और की भूमि के एक भाग के अधिग्रहण न हो पाने के कारण अपूर्ण था।

एक अन्य मामले में, फरवरी 1979 में 15.06 लाख रू. के लिए संस्वीकृत किया गया एक पुल का निर्माण अक्तूबर 1982 तक पूर्ण किये जाने हेतु 14.39 लाख रू. के लिये जुलाई 1980 में एक ठेकेदार को सौंप दिया गया था। पुल दिसम्बर 1984 में निर्मित किया गया था परन्तु वजनजांच फरवरी 1987 में पूर्ण किये गये थे तथा यातायात के लिए पुल मार्च 1987 में खोला गया था। विभाग ने दिसम्बर 1984 से जुलाई 1986 के दौरान मौजूदा बायले पुल के अनुरक्षण पर 2.22 लाख रू. खर्च किये हैं।

(पैराग्राफ 55)

13 जल संसाधन मंत्रालय

फरक्का बांध परियोजना:- 1983-88 वर्षों के दौरान, फरक्का बांध परियोजना द्वारा 1966-67 और 1982-83 के बीच ठेकेदारों को सौंपे गए निर्माण कार्य से संबंधित 14 पंचाट अधिनिर्णय ठेकेदार के पक्ष में दिये गये थे। जिनमें से 3.22 करोड़ रू. को अन्तर्ग्रस्त करते हुए 11 अधिनिर्णयों का मई 1988 तक सम्पूर्ण निपटारा कर दिया गया था। लेखा परीक्षा में यह अवलोकित किया गया कि आठ अधिनिर्णयों (प्रत्येक अधिनिर्णय में 0.5 लाख रू. से अधिक अन्तर्ग्रस्ति करते हुए) का निपटारा, न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करते हुए अधिनिर्णय को नियम बनाए बिना किया गया था और भी, 6 अधिनिर्णयों के मामले में, पूर्वव्यापी प्रभाव से पंचाट द्वारा 89.43 लाख रू. ब्याज के लिये अनुमत किये गये थे जो कि न्यायिक अधिघोषणाओं से विपरीत था, जिसके परिणामस्वरूप इन 6 मामलों में 89.43 लाख रू. का अतिरिक्त परिहार्य व्यय हुआ।

(पैराग्राफ 66)

पागला और बंसलोई नदी घाटी योजना उस समय के कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय द्वारा 4.12 करोड़ रू. की एक अनुमानित लागत पर जनवरी 1979 में संस्वीकृत की गई थी। योजना जून 1980 तक पूर्ण की जानी थी और सितम्बर 1988 तक 4.68 करोड रू. का व्यय किये जाने के बावजूद भी अभी तक पूर्ण नहीं की जा चुकी थी। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि एक ठेकेदार से जिसने 2 नियंत्रकों के निर्माण का कार्य नवम्बर 1981 में छोड दिया था, 28.04 लाख रू. बकाया थे तथा 3.29 लाख रू. का अधिक भुगतान दो ठेकेदारों को किया गया था जिन्हें शेष निर्माणकार्य पूर्ण करने हेतु जिम्मेवारी सौंपी गयी थी । अप्रैल 1987 तक पूर्ण किये जाने वाला फाटकों को खड़ा करने का कार्य अभी चालू नहीं किया गया था तथा सितम्बर

1988 तक सामग्रियों की आपूर्ति के प्रति ठेकेदार को 91.81 लाख रू. का भुगतान किया गया था।

(पैराग्राफ 67)

फरक्का बांध परियोजना प्राधिकारियों ने फरक्का बांध के दाहिने किनारे निचली धारा पर सुरक्षा निर्माण कार्यों के निष्पादन के लिये अपेक्षित शिलाखंडों के 50,000 घनमीटर की आपूर्ति का काम फरवरी 1984 में एक ठेकेदार को प्रदानकिया। कार्य जून 1984 से पहले जिसे बाद में 15 दिसम्बर 1984 तक बढ़ा दिया गया था, पूरा किया जाना था। यद्यपि परियोजना अधिकारियों ने चूककर्ता ठेकेदार की जोखिम व लागत पर ठेका 15 दिसम्बर 1984 को निरस्त कर दिया, एक दूसरे ठेकेदार के माध्यम से आपूर्ति की शेष मात्रा प्राप्त करने पर 13.42 लाख रू. का अधिक खर्च चूककर्त्ता ठेकेदार से वसूल नहीं किया जा सका ।

(पैराग्राफ 70)

14 वित्त मंत्रालय

यद्यपि सुरक्षा कागज मिल, होशंगाबाद ने, नवम्बर 1982 में आधुनीकृत मशीनों पर विशेष धात्वीय सुरक्षा (वि.धा.सु) धागे अनुपयुक्त पाये थे तथा मिल के परामर्शदाताओं ने दिसम्बर 1982 में धात्वीय पोलियस्टर आधारित मेक्स धागे की सिफारिश की थी, (वि. धा.सु.) धागे की आगे आपूर्ति रोकी नहीं गई थी तथा इसके बजाय 1.97 टन (वि.धा.सु.) धागे (कीमत 14.84 लाख रू.) अगस्त 1983 में प्राप्त किए गए थे और जनवरी 1986 तक प्रयोग में लाए गए । 1983-84 से 1984-85 के दौरान मिल ने 30.52 टन (वि.धा.सु.) धागे आधुनिकीकृत मशीनों पर प्रयुक्त किए, 10 प्रतिशत अधिक रद्दी के कारण कागज की उत्पादन हानि 274.82 लाख रू. कीमत पर 508.93 टन आंकलित की गई ।

(पैराग्राफ 84)

सुरक्षा पेपर मिल, होंशगाबाद के आधुनिकीकरण के समय उपकरण खरीदने में दोषपूर्ण नियोजन तथा मौजूदा मशीनों के उचित तकनीकी मूल्यांकन के अभाव के परिणामस्वरूप 503.77 टन रद्दी का उपयोग नहीं हुआ इसके परिणामस्वरूप 1982-87 के दौरान सूती तथा कठोर रद्दी के अनुपातिक प्रयोग पर 69.30 लाख रू. का अतिरिक्त परिहार्य व्यय हुआ।

(पैराग्राफ 75)

15 अंडमान और निकोबार प्रशासन

1977-79 के दौरान अन्डमान और निकोबार प्रशासन ने एक हस्पताल में कपड़ा धुलाई संयंत्र हेतु उपकरण की खरीद पर 3.85 लाख रू. व्यय किया। संयंत्र के लिए भवन 7.44 लाख रू. की एक लागत पर मार्च 1985 में पूर्ण किया गया था तथा संयंत्र सितम्बर 1985 में चालू किया गया था। संयंत्र ने अगस्त 1985 से अगस्त 1986 अवधि के दौरान 96 दिन कार्य किया, जिसके बाद यह खराब हो गया। इस प्रकार से कपड़ा धुलाई संयंत्र पर किया गया 11.29 लाख रू. व्यय अधिकतर निष्फल रहा।

(पैराग्राफ 33)

20.26 लाख रू. की एक लागत पर 2 कार्य चालन सत्रों में पूर्ण किये जाने वाला नवम्बर 1983 में संस्वीकृत किया गया उत्तरी अंडमान गांवों में पाइप्ड जल आपूर्ति प्रबन्ध का प्रावधान एवं सुधार कार्य 34.06 लाख रू. की एक लागत परवास्तव में फरवरी 1987 में पूर्ण किया गया था। पहले डाले गए ऊंचे घनत्व वाले पौलीथीन के पम्प अनुप्रयुक्त पाए गए थे और उनहें ढलुवां लौहे के जस्ता चढ़ाए गए लोहे के पम्पों द्वारा बदलना पड़ा था, जिसके परिणामस्वरूप 8.53 लाख रू. की एक हानि हुई।

§पैराग्राफ 63§

16 चन्डीगढ़ प्रशासन

चन्डीगढ़ प्रशासन ने कार्यकारी महिलाओं तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति की छात्रा लड़कियों के लिए एक छात्रावास के निर्माण हेतु अक्तूबर 1975 में 14483 वर्ग गज माप वाला एक भूखण्ड अखिलभारतीय महिला स्वयंसेवी सेवाओं के पंजाब घटक को आबंटित किया। संगठन ने आबंटन के समय 4.34 लाख रू. की भूखण्ड की कुल कीमत की पहली किश्त के रूप में 1.09 लाख रू. का भुगतान किया । मार्च 1975- मार्च 1977 में संगठन को भवन के निर्माण हेतु 11.81 लाख रू. के कुल अनुदान अदा किये गये थे। तथापि, मार्च 1976 में शुरू किया गया भवन का निर्माण मार्च 1977 में संगठन द्वारा रोक दिया गया था। क्योंकि संगठन भूखंड की कीमत की शेष किश्तों के साथ साथ वार्षिक भूमि का भाड़ा अदा करने में असफल रहा, चन्डीगढ़ प्रशासन ने अप्रैल 1979 में आबंटन रद्द कर दिया और संगठन से अगस्त 1983 में सम्पत्ति अधिग्रहित कर ली। चन्डीगढ़ प्रशासन को भूमि का स्वामित्व सुरक्षित रखने के लिए भवन के ठेकेदार को 3.11 लाख रू. का भुगतान करना पड़ा था। छात्रावास का ढांचा अधूरा पड़ा रहा और उसे काम में नहीं लाया गया था §दिसम्बर 1988§। कुल 11.81 लाख रू. के सरकारी अनुदान, 4.34 लाख रू. कीमत का भूमि का आबंटन तथा 3.11 लाख रू. मूल्य के ठेकेदार के दावों के निपटारे ने वांछित उद्देश्य प्राप्त नहीं किये।

§पैराग्राफ 38§

5.50 लाख रू. लागत पर अनुमानित स्केटिंग मैदान में टीक लकड़ी फर्श के बदलने के लिए फरवरी 1985 में आमंत्रित वैध निविदाओं के न्यूनतम प्रस्ताव पर चन्डीगढ़ प्रशासन ने विचार नहीं किया। सितम्बर 1985 में तथा दोबारा जनवरी 1986 में निविदाएं पुनः आमंत्रित करने के बाद प्रशासन ने मार्च 1986 में निर्माण कार्य उच्चतर दरों पर एक अन्य फर्म को सौंप दिया, जिसके परिणामस्वरूप 3.52 लाख रू. का अतिरिक्त व्यय हुआ।

§पैराग्राफ 65§

1. सामान्य

1.1 रेलवे एवं डाक तथा दूर संचार के आंतरिक स्रोतों से पूरे किये गये पूंजीगत व्यय के लिए किए गए समायोजनों के अध्याधीन, महालेखा–नियंत्रक द्वारा प्रस्तुत विनियोग लेखों एवं वित्त लेखों के विवरणों से आविभावित 1987–88 के लिये संघ सरकार के लेखों की संक्षिप्त स्थिति, निम्नलिखित विवरणों में दिखाई गई है।

31 मार्च 1988 को भारत सरकार की वित्तीय स्थिति का विवरण (करोड़ रूपयों में)

देयतायें			परिसम्पत्तियां		
31.3.1987 को राशि		31.3.1988 को राशि	31.3.1987 को राशि		31.3.1988 को राशि
86312.59	आंतरिक ऋण	98645.62	76568.46	सकल पूंजीगत परिव्यय (अनुसूची "क")	
44928.38	लघु बचतें, भविष्य निधि, इत्यादि	54527.94		कम्पनियों, निगमों, सहकारिताओं आदि के शेयरों में निवेश	34464.02
20298.89	बाह्य ऋण	23223.18		अन्य पूंजीगत व्यय	53884.75
50.00	आकस्मिकता निधि	50.00			88348.77
1751.51	आरक्षित निधियां	2173.18	71019.34	ऋण एवं पेशगियां:	
12780.86	जमा एवं पेशगियां	16112.56		केन्द्रीय परियोजनाओं/योजनाओं, इत्यादि के वित्त हेतु	28751.72
6482.47	पूंजीगत व्यय के वित्तपोषण हेतु रेलवे एवं डाक तथा दूर संचार और अन्यों द्वारा अंशदान (प्रतिपक्षी अनुसूची "क" अनुसार देखिए)	7739.74		राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें	49557.82
				विदेशी सरकारें	525.18
				सरकारी कर्मचारी एवं विविध	402.49
					79237.21

324.05	उचंत उवं विविध शेष			819.36
1639.06	प्रेषण शेष			1670.03
4.54	नकद शेष निवेश			4.27
1886.35	अंत में नकद शेष (विभागीय शेषों एवं स्थाई अग्रिम राशियों को सम्मिलित करते हुए)			1695.18
21162.90	घाटा:			
	वर्ष के लिए राजस्व घाटा	9137.25		
	घटाएं: पूंजीगत प्राप्तियां	0.37		
	जमा: विविध प्राप्तियां (निवल)	0.01		
	जमा: पूर्व अवधि समायोजन	397.61		
	जमा: 31 मार्च 1987 को घाटा	21162.90	30697.40	
172604.70		202472.22	172604.70	202472.22

× **संलग्न व्याख्यात्मक टिप्पणियों के अध्याधीन ।**

टिप्पण:- 31 मार्च 1987 को लोक ऋण, कर्जे एवं पेशगियों, लघु बचतों, भविष्य निधियों आदि, आरक्षित निधियों, जमा एवं पेशगियों, उचंत तथा विविध इत्यादि के अंत शेष में महालेखा नियंत्रक द्वारा प्रोफार्मा संशोधन कर दिये गये हैं, जिसके फलस्वरूप-क्रेडिट शेषों में 397.61 करोड रूपये की निवल वृद्धि हुई। ब्यौरों के लिए 1987-88 हेतु संघ सरकार वित्त लेखों के विवरणों को देखिए।

व्याख्यात्मक टिप्पणियां:

1. संक्षिप्त वित्तीय विवरण महालेखा-नियंत्रक द्वारा प्रस्तुत किये गये संघ सरकार वित्त लेखे एवं विनियोजन लेखों के विवरणों पर आधारित हैं और ये उसमें दी गई टिप्पणियों एवं व्याख्याओं के अध्याधीन हैं।

2 सरकारी लेखे मुख्यतया नकद पर आधारित होने से, राजस्व आधिक्य अथवा घाटा नकद आधार पर आंकलित किया गया है। फलतः, देय या प्राप्य मदें अथवा मूल्यह्रास या स्टाक के आंकड़ों में विभिन्नता आदि जैसी मदें, लेखों में प्रकट नहीं होती हैं।

3 पूंजीगत परिव्यय, रेलवे, डाक तथा दूर संचार विभागों के आंतरिक स्रोतों से पूरी की गई तथा आयातित उर्वरकों पर दी गई आर्थिक सहायता हेतु समायोजन को छोड़कर लेखों में दर्ज किये गये पूंजीगत व्यय को दर्शाता है।

4 यद्यपि, राजस्व व्यय तथा ऋणों का एक भाग प्राप्तकर्त्ताओं द्वारा पूंजी सृजन के लिए उपयोग किया जाता है, संघ सरकार के लेखों में इसका वर्गीकरण अंतिम प्रयोग द्वारा अप्रभावित रहता है।

5. सरकारी लेखा प्रणाली के अंतर्गत, राजस्व आधिक्य अथवा घाटा सरकारी खाते में वार्षिक रूप से संवृत किया जाता है, परिणामस्वरूप ऐसे आधिक्य अथवा घाटे की संचयी स्थिति सुनिश्चित करने योग्य नहीं होती है। अतः, 31 मार्च 1982 को संतुलन आंकड़े को 1982-83 के लिए वित्तीय स्थिति का प्रथम विवरण, को जो कि तुलनपत्र का स्थान लेती है, तैयार करने के लिए संचयी आधिक्य के रूप में माना गया है।

6 उचंत तथा विविध शेषों में निर्गमित चैकों परन्तु भुगतान नहीं हुआ, राज्यों तथा अन्यों की ओर से किये गये भुगतानों जिनके निपटारे होने बाकी थे, लोक क्षेत्र बैंकों द्वारा संग्रहीत राशि जिनकों सरकारी खातों में लिया जाना था, सिक्कों के शेष आदि सम्मिलित हैं।

7 दूर संचारों के आंतरिक स्रोतों में ओ वाई टी, इत्यादि योजनाओं के अंतर्गत अग्रिम किराया राशियों को निरूपित करते हुए 344.21 करोड़ रूपये सम्मिलित हैं।

8 लेखे में दिखाये गये 542.99 करोड़ रूपयेके सामान्य नकद शेष के प्रति भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार नकद अंत शेष 623.09 करोड रूपये था। महालेखा नियंत्रक द्वारा अंतर का समाधान नहीं किया गया था (मार्च 1989)।

अनुसूची "क"

(31 मार्च 1988 को वित्तीय स्थिति के विवरण से संलग्न)

(करोड रूपयों में)

1 पूंजीगत परिव्यय के ब्यौरे

31-3-1987 को		31-3-1988 को
73049.83	लेखे के अनुसार सकल पूंजीगत परिव्यय	83572.87

2963.84	घटा: पूंजी को प्रभारित राजस्व व्यय (आयातित उर्वरकों पर परिदान)	2963.84
70085.99		80609.03
6482.47	जमा: रेलवे तथा डाक व दूर संचार के आंतरिक साधनों से वित्तोषित उनके पूंजीगत परिव्यय तथा अन्यों से अंशदान	7739.74
76568.46	कुल पूंजीगत परिव्यय	88348.77

2 क्षेत्रवार पूंजीगत परिव्यय

क्षेत्र	वर्ष के दौरान पूंजीगत परिव्यय	मार्च 1988 के अंत में पूंजीगत परिव्यय
सिविल	6040.32	53683.53
रक्षा	3107.63	11469.64
रेलवे	1970.58	15807.17
डाक	30.48	326.65 क
दूर संचार	631.30	7061.78 क
जोड़ :	11780.31	88348.77

(क) अंतर गत वर्ष के आंकड़ों के पूर्णांकन करने के कारण है ।

3 पूंजीगत व्यय को वित्तपेक्षित करने के लिए रेलवे, डाक एवं दूर संचार तथा अन्यों से अंशदान

	रेलवे	अन्य ×	डाक	दूरसंचार	कुल
1986-87 के अंत तक	2933.77	8.30	56.83	3483.57	6482.47

1987-88 के दौरान	621.56	–	4.41	631.30	1257.27
जोड़ :	3555.33	8.30	61.24	4114.87	7739.74

× राज्य, जिला बोर्ड, इत्यादि ।

4. निधियों के लिये स्रोत एवं उपयोग

(1)	स्रोत	(करोड़ रू. में)	(2)	उपयोग	(करोड़ रू. में)
1	राजस्व प्राप्तियां	45405.25	1	राजस्व खर्च	54542.50
2	लोकऋण में वृद्धि	15255.00	2	विकास तथा अन्य प्रयोजनों के लिए उधार लेना	13794.00
3	लोक खाते से निवल प्राप्तियां	12826.91	3	पूंजीगत व्यय	11780.31
4	ऋणों तथा पेशगियों से वसूलियां	5180.85			
5	पूंजी के लिए प्रयोग किये गये रेलवे तथा डाक एवं दूर संचार के आंतरिक स्रोत	1257.27			
6	विविध पूंजीगत प्राप्तियां	0.37			
7	नकद शेष में कमी	191.16			
	जोड:	80116.81			80116.81

5. 1987–88 के लिए प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार

(करोड़ रूपयों में)

प्राप्तियां			संवितरण			
			अनुभाग क– राजस्व			
I. राजस्व प्राप्तियां			I. राजस्व खर्च	योजनागत	योजनेतर	जोड़
कर राजस्व	35070.44		संविधान के अंतर्गत राज्यों को अनुदान	202.23	1195.21	1357.44
ब्याज प्राप्तियां	5754.77		राज्य/संघशासित प्रदेश सरकारों को अन्य अनुदान	7059.94	752.75	7812.69
सार्वजनिक उपक्रमों से लाभांश तथा अन्य निवेश	239.98		संघ उत्पाद शुल्कों के राज्यों के अंश	—	7002.37	7002.37
भारतीय रिजर्व बैंक, जीवन बीमा निगम, राष्ट्रीयकृत बैंकों और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से लाभांश	339.32		ब्याज और ऋण सेवा आभार	—	11251.36	11251.36
अन्य लाभांश तथा लाभ	25.32		पेंशन तथा विविध सामान्य सेवाएं			
सहायता सामग्रियां तथा उपस्कर	85.23		(स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन सहित)	—	2364.72	2364.72
अन्य गैर कर राजस्व	3483.36		खाद्य परिदान	—	2000.00	2000.00
बाह्य अनुदान सहायता	406.83	45405.25	देशी उवर्रकों पर परिदान		2050.00	2050.00
			निर्यात प्रोत्साहन तथा बजार के विकास के लिए सहायता	—	962.11	962.11
2. अनुभाग ख को ले जाया गया राजस्व घाटा		9137.25	ब्याज परिदान	—	311.26	311.26
			अन्य अनुदान तथा अंशदान	0.24	191.88	192.12
			डाक व्यय	2.16	188.71	190.87
			रक्षा व्यय	—	8859.85	8859.85
			लाभांश राहत आदि के लिए रेलवे को परिदान	—	173.56	173.56
			अन्य व्यय	2640.68	7333.47	9974.15
जोड़:	54542.50			9905.25	44637.25	54542.50

अनुभाग ख– अन्य

3.	विभागीय रोकड शेष तथा स्थाई अग्रिम सहित अथ रोकड़ शेष		1886.34×	2 सकल पूंजीगत व्यय जैसा लेखों में लिया गया है	10523.04	
				घटा अनुभाग क को स्थानांतरित पूंजी को प्रभारित राजस्व व्यय	—	
4.	रेलवे और डाक एवं दूर संचार का पूंजीगत व्यय के लिए प्रतिपक्षी अंशदान		1257.27	जमा डाक व दूरसंचार और रेलवे के आंतरिक स्रोतों से वित्तपोषित प्रतिपक्षी पूंजीगत व्यय	1257.27	11780.3
5.	कर्जों एवं अग्रिमों की वसूलियां:			3. केन्द्र सरकार द्वारा दिये गये कर्ज और पेशगियां:–		
	(क) राज्यों और संघशासित सरकारों से	3562.62		(क) राज्य सरकारों और संघशासित क्षेत्रों से	9414.06	
	(ख) सरकारी कर्मचारियों से	68.12		(ख) अन्य विकास कर्ज	4117.49	
	(ग) अन्यों से	1205.43		(ग) सरकारी कर्मचारी	126.04	
	(घ) विदेशी सरकारों से	344.68	5180.85	(घ) विदेशी सरकार	136.41	13794.0
				4. ऋणों की पुनः अदायगी		123691.
6.	विविध पूंजीगत प्राप्तियां		0.37	5. वर्ष के अंत में नकद शेष:		
7.	लोक ऋण प्राप्तियां		138946.08	(क) सामान्य रोकड़ शेष	542.99	
8.	लोक लेखा प्राप्तियां		12826.91	(ख) विभागीय कार्यालयों के पास रोकड़	1138.13	
				(ग) स्थाई रोकड़ अग्रदाय	14.06	1695.1
				5. अनुभाग क से अग्रेषित राजस्व घाटा		9137.2
जोड़:			160097.82			160097.8

टिप्पणी: (1) रेलवे व दूर संचार की राजस्व प्राप्तियां और व्यय शामिल नहीं है।

(2) रक्षा व्यय और डाक व्यय प्राप्तियों के निवल है।

(3) प्राप्तियां राज्यों के भाग आयकर तथा सम्पदा शुल्क की और संघ राज्य क्षेत्रों के भाग कृषि भूमि पर सम्पदा शुल्क की निवल है (2595.44 करोड़ रू.)।

× अरूणाचल प्रदेश तथा मेघालय द्वारा अथ शेष में आकंडे कम दर्शाये जाने के कारण पिछले वर्ष के आकडों से अलग है । 1987-88 के लिये संघ सरकार वित्त लेखों की विवरणी संख्या–15 को भी देखिए ।

§6§ ऊपर सारांश में दिये गये वार्षिक वित्तीय विवरणों का विश्लेषण निम्नलिखित दर्शाता है :-

1 वर्ष के दौरान योजना गत राजस्व व्यय 10430.70 करोड़ §अनुपूरकों सहित§ के बजट अनुमानों के प्रति, 525.45 करोड़ रूपये की कमी को दर्शाते हुए, 9905.25 करोड़ रूपये था। वर्ष के दौरान योजनेत्तर राजस्व व्यय 45444.78 करोड़ रूपये §अनुपूरकों सहित§ के अनुमानों के प्रति 807.53 करोड़ रूपये की एक कमी दर्शाते हुए 44637.25 करोड़ रूपये §पूर्व वर्ष के दौरान 39922.35 करोड़ रूपये§ था। 55875.48 करोड़ रूपये के अनुपूरकों को जोड़ते हुए बजट अनुमानों के ऊपर 1332.98 करोड़ रूपये की समग्र कमी के लिए कारण 1987-88 के लिए संघ सरकार विनियोग लेखों §सिविल§ में दिये गये हैं।

वर्ष के दौरान राजस्व व्यय §योजनागत तथा योजनेत्तर दोनों§ 1986-87 के दौरान 48138.73 करोड़ रूपये के प्रति, 54542.50 करोड़ रूपये था। विभिन्नताओं के लिए विस्तृत कारण 1987-88 के लिए संघ सरकार वित्त लेखों की विवरणी । में दिये गये हैं।

2 पूंजीगत व्यय बजट अनुमानों से §अनुपूरकों सहित§ 2656.29 करोड रूपये कम रहा। पूंजीगत व्यय में अंतर के लिए मुख्य कारण 1987-88 के लिए संघ सरकार के विनियोग लेखें §सिविल§ में दिये गये हैं।

3 वर्ष के दौरान वास्तविक राजस्व प्राप्तियां 45220.01 करोड़ रूपये के बजट अनुमानों और 46609.03 करोड़ रूपये के संशोधित अनुमानों के प्रति 45405.25 करोड़ रूपये थी। 1985-86 तथा 1986-87 के लिए तुलनात्मक आंकड़े नीचे दिये गये हैं:-

वर्ष	× बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक
		§करोड़ रूपयों में §	
1985-86	32486.63	34646.86	34833.19
1986-87	37537.86	41491.90	40559.81

× आयकर तथा सम्पदा शुल्क का राज्य का भाग तथा कृषि भूमि पर सम्पदा शुल्क का संघ राज्य क्षेत्र का भाग को सम्मिलित नहीं करता है।

नये वित्तीय प्रावधानों के कारण कर राजस्व से अतिरिक्त धन संचयन 514 करोड़ रूपये अनुमानित किया गया था।

4 वर्ष के अंत में सामान्य नकद शेष 1986-87 के अंत में 706.74[×] करोड़ रूपये तथा 1985-86 के अंत में 107.30 करोड़ रूपये शेष की तुलना में 542.99 करोड़ रूपये था।

§×§ अरूणांचलप्रदेश तथा मेघालय द्वारा अथशेष के कम आंकड़े दशायि जाने के कारण गत वर्ष के आंकड़ों से भिन्न हैं।

5 1987-88 के दौरान 9137.25 करोड रूपये के राजस्व घाटे में निम्नलिखितों का प्रभाव सम्मिलित है:-

§करोड़ रूपयों में §

खाद्य परिदान	2000.00
देशी उर्वरकों पर आर्थिक सहायता	2050.00
निर्यात प्रोत्साहन तथा बाजार विकास सहायता	962.11
ब्याज परिदान	311.26
लाभांश राहत आदि के लिए रेलवे को परिदान	173.56
जोड़:	5496.93

6 1986-87 के दौरान 3892.92 करोड़ रूपयों की तुलना में, ऋण सेवा बाध्यताओं पर निवल खपत, 5754.77 करोड़ रूपये की ब्याज प्राप्तियों की कटौती के बाद, 5496.59 करोड़ रूपये थी।

7 संघ उत्पाद शुल्कों §7002.37 करोड़ रूपये§ का राज्यों का तथा राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदानों §9210.13 करोड़ रूपये§ के हिस्सों का भाग, 16212.50 करोड़ रूपये था जो कुल राजस्व व्यय के 29 प्रतिशत से कुछ अधिक तथा संघ सरकार के कुल कर राजस्व के 46 प्रतिशत से ऊपर था।

8 वर्ष के दौरान राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को संवितरित किये गये निवल ऋण तथा पेशगियां §5851.44 करोड़ रूपये§ संघ सरकार की दीर्घ कालीन उधारों से निवल प्राप्तियों के 61 प्रतिशत से अधिक थी।

9 31 मार्च 1988 को सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, अन्य संयुक्त स्टाक कम्पनियों, सहकारी बैंकों एवं समितियों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों इत्यादि में सरकार के कुल निवेश 34464.02 करोड़ रूपये थे। अंतर्राष्ट्रीय निकायों में 344.13 करोड़ रूपये के निवेश पर तथा निर्माणाधीन उद्यमों में निवेशित 4404.07 करोड रूपये पर कोई लाभांश प्राप्य नहीं है। 1642.82 करोड़ रूपये के एक कुल निवेश पर रिजर्व बैंक, औद्योगिक विकास बैंक, जीवन बीमा निगम एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों से लाभों का अंश 339.32 करोड़ रूपये था।

28073.00 करोड़ रूपये के निवेश सहित वर्ष के दौरान अन्यों से प्राप्त लाभांश 239.98 करोड रूपये था जो कि निवेश पर प्रति लाभ के रूप में केवल 0.85 प्रतिशत को निरूपित करता था।

10 31 मार्च 1988 को कुल आंतरिक, बाह्य ऋण एवं लघु बचतें 176396.74 करोड रूपये थी जिसमें से बाह्य ऋण 23223.18 करोड रूपये था जोकि कुल ऋण का 13 प्रतिशत से अधिक का निरूपण करता था। वर्ष के दौरान बाह्य ऋण पर दिया गया ब्याज 976.93 करोड़ रूपये था जो कुल ब्याज के भुगतान के 8 प्रतिशत से अधिक था।

11 31 मार्च 1988 तक, सहायक सामग्रियों एवं उपस्करों सहित 7590.09 करोड रूपये के कुल अनुदान विदेशों तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से प्राप्त किए गए थे, जबकि रिपोर्ट के अंतर्गत वर्ष के लिए प्राप्तियां 492.06 करोड रूपये थी। इनकों राजस्व प्राप्तियां के रूप में माना जाता है। 31 मार्च 1988 को 30697.40 करोड रूपये के संचयी घाटे को अब तक प्राप्त 7590.09करोड रूपये की बाह्य अनुदान सहायता के प्रसंग में दृष्टिगत किया जाना है।

12 सरकारी कम्पनियों/निगमों, गैर सरकारी संस्थानों, स्थानीय निधियों इत्यादि को दिये गये कुल 34.82 करोड रूपये राशि के ऋणों की शर्तों का निपटान अभी तक नहीं किया गया है।

13 1987-88 के अंत तक ऋणों की मूल राशियों (2936.05 करोड़ रूपये) तथा ब्याज (3411.31 करोड रूपये) कुल (6347.36 करोड रूपये) की वसूली राज्य तथा संघ शासित सरकारों तथा सरकारी कम्पनियों/निगमों, गैर सरकारी संस्थानों, इत्यादि से नीचे दिये गये अनुसार बकाया रह गई हैं:

(करोड़ रूपयों में)

	मूल धन	ब्याज
राज्य एवं संघ शासित सरकारें	3.10	28.54
सरकारी कम्पनियां/निगम, गैर सरकारी संस्थाएं, इत्यादि	2932.95	3382.77
	2936.05	3411.31

14 वर्ष 1987-88 के दौरान, विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों, आदि को मूलधन तथा ब्याज के भुगतान करने के लिए 3.70 करोड़ रूपये के नये ऋण संस्वीकृत किये गये थे।

15 31 मार्च 1988 को गारंटियों की अधिकतम राशि जिसके लिए सरकार ने समझौता किया था और गारंटी वाला बकाया राशियां क्रमशः 34014.17 करोड़ रूपये तथा 27943.88 करोड रूपये (के लगभग) थी।

1987-88 के दौरान दी गई प्रत्याभूतियों तथा सरकार द्वारा किये गये भुगतानों के ब्यौरे निम्नवत थे:-

(1) सरकार ने प्राईवेट रेलवे कम्पनियों की प्रदत्त शेयर पूंजी पर 3 से $3\frac{1}{2}$ प्रतिशत /5 प्रतिशत प्रति वर्ष के एक निवल प्रतिफल की गारंटी दी थी। दो कम्पनियों के मामले में 1987-88 के दौरान गारंटी मांगी गई थी और सरकार द्वारा 1.79 लाख रूपये का भुगतान किया गया था।

(2) लघु उद्योगों के लिए केन्द्रीय गारंटी योजना के अंतर्गत मांगी गई गारंटियों के फलस्वरूप कर्ज /पेशगियों की वापसी में चूक के फलस्वरूप सरकार द्वारा 3977 मामलों में, 1356 लाख रूपये अदा किये गये थे।

16 1987 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय निकायों को दिये गये अंशदान की कुल राशि 34.45 करोड़ रूपये थी, मुख्य अंशदान, सं रा वि का (8.04 करोड रूपये), संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि (2.98 करोड रूपये), खाद्य एवं कृषि संगठन (1.12 करोड रूपये), संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (1.58 करोड रूपये), अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ (1.94 करोड़ रूपये), संयुक्त राष्ट्र संगठन (3.87 करोड़ रूपये), विश्व खाद्य कार्यक्रम (1.24 करोड़ रूपये) तथा संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन 1.05 करोड रूपये) को दिये गये ।

17 भारत सरकार कोलम्बों योजना तथा विशेष राष्ट्र मंडल अफ्रीका सहायता योजना के अंतर्गत विभिन्न देशों को सहायता प्रदान करती रही है। 1987-88 के दौरान कोलम्बों योजना के अंतर्गत नेपाल और भूटान की सरकारों को जो सहायता की मुख्य पात्र हैं दी गई सहायता क्रमशः 15.02 करोड रूपये तथा 62.41 करोड रूपये थी। विशेष राष्ट्रमंडल अफ्रीका सहायता योजना के अंतर्गत 1987-88 के दौरान दी गई सहायता 17.62 लाख रूपये तथा 1987-88 के अंत तक 363.50 लाख रूपये थी।

18 वर्ष के दौरान खजाना बिलों से कुल सकल प्राप्तियां 127145.03 करोड़ रूपये थी, जबकि सकल विसर्जन 121460.46 करोड़ रूपये थे, इसके परिणामस्वरूप वर्ष के अंत तक इस स्रोत से उधारों में 5684.57 करोड़ रूपये की निवल वृद्धि हुई।

1.2 लोक ऋण

"लोक ऋण" के कुछ पहलु अन्य बातों के साथ साथ, ऋण तथा अन्य देयताओं के वर्धन को शामिल करते हुए, राजस्व लेखे में बढ़ रहा घाटा, बढ़ रहा समग्र घाटा, निष्फल व्यय की कठोरता से छटाई हेतु आवश्यकता, बाह्य ऋण की वृद्धि तथा बाह्य सेवाई पर 31 मार्च 1987 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की 1988 की रिपोर्ट संख्या 10 में टिप्पणियां की गई

थी। पुनरीक्षण में 1981-82 से 1986-87 तक की अवधि को सम्मिलित किया था। आगे 1987-88 के लिए संघ सरकार के वित्त लेखे, 1988-89 के लिए आर्थिक सर्वेक्षण तथा 1989-90 के लिए बजट दस्तावेजों में उपलब्ध आंकड़ों से लोक ऋण में बढ़ती प्रवृत्ति का पता चलता है।

1.2.1 बढ़ते हुए ऋण तथा अन्य देयताएं

भारत सरकार की कुल देयताओं में विचारणीय बढ़ोत्तरी हुई है, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है :-

(करोड़ रू. में)

वर्ष	आंतरिक ऋण	बाह्य ऋण	लोक ऋण (2+3)	अन्य देयताएं	कुल देयताएं (4+5)	चालू कीमतों पर सकल राष्ट्रीय पैदावार (स.रा.पै.)	सं रा पै से कुल देयताओं की प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7	8
1982-83	46939	13682	60621	24250	84871	158217	53.6
1983-84	50264	15120	65384	29878	95262	184871	51.5
1984-85	58537	16637	75174	38268	113442	206357	55.0
1985-86	71039	18153	89192	48292	137484	232634	59.1
1986-87	86312	20299	106611	59935	166546	258875	64.3
1987-88	98646	23223	121869	73692	195561	291501	67.1
1988-89	114453	25239	139692	88549	228241	-	-

नोट: (1) 1983-84 से स रा पै आंकड़े अनंतिम है तथा 1988-89 के वित्तीय सर्वेक्षण पर आधारित हैं।

(2) अन्य देयताओं में लघु बचतें, भविष्य निधियां, आरक्षित निधियां तथा जमाएं सम्मिलित हैं

उपर्युक्त सारणिक विवरण से यह देखा जायेगा कि भारत सरकार की कुल देयताएं 5 वर्षों की एक अवधि से 130 प्रतिशत की एक बढ़ोत्तरी रजिस्टर करते हुए 1982-83 में 84,871 करोड़ रूपये से 1987-88 में 1,95,561 करोड रूपये तक बढ़ गयी थी। 1987-88 के अंत में कुल देयताएं सकल राष्ट्रीय पैदावार (चालू कीमतों पर) के 67 प्रतिशत से अधिक पर स्थिर रहीं।

1.2.2 राजस्व लेखे में बढ़ता हुआ घाटा

राजस्व घाटा 1982-83 में 1,254 करोड़ रूपये से 1987-88 में 9,137 करोड़ रूपये तक बढ़ गया है। जबकि प्राप्तियां (रेलवे तथा डाक दूर संचार सहित) 1982-83 से 15.6 प्रतिशत की एक औसत दर से बढ़ी है, उसी अवधि के दौरान व्यय 18 प्रतिशत की एक औसत दर पर बढ़ा है। 1988-89 (संशोधित अनुमान) के लिए राजस्व घाटा 11,030 करोड़ रूपये था।

1.2.3 बढ़ता हुआ समग्र घाटा

राजस्व तथा पूंजीगत लेखे दोनों को एक साथ लेने पर बजटीय घाटा1982-83 में 3,399 करोड रूपये की तुलना में 1987-88 में 5,816 करोड़ रूपये तक बढ़ गया । इसको 1988-89 में आगे 7,940 करोड़ रूपये तक बढ़ जाना अनुमानित किया गया है। सरकार का समग्र घाटा सरकार के उधारों, बाजार ऋणों सहित, ऋणों, लघु बचत योजनाओं, भविष्य निधियों तथा अन्य विभिन्न देयताओं की पूर्ण श्रेणी के लिए क्रेडिट लेने के पश्चात् संगणित किया गया है।

1.2.4 बाह्य ऋण सेवाई

ऋण सेवा अनुपात अर्थात भारत सरकार द्वारा ब्याज अदायगियों तथा विदेशी ऋणों के परिशोधन का अनुपात, निर्यातों तथा अदृश्यों की एक प्रतिशतता के रूप में, नीचे दिये गये सारिणी के विवरणों के अनुसार 1982-83 में 8.4 प्रतिशत तथा 1987-88 में 19.7 प्रतिशत था:

वर्ष	ब्याज सहित कुल बाह्य ऋणों की पुनः अदायगियां	निर्यात	निर्यातों की प्रतिशतता के रूप में सेवाई ऋण	विदेशी विनिमय आरक्षित	विदेशी विनिमय आरक्षितों की एक प्रतिशतता के रूप में ऋण सेवाई
1	2	3	4	5	6
1982-83	741.94	8803	8.4	4782	15.5
1983-84	810.53	9771	8.3	5972	13.6
1984-85	946.67	11744	8.0	7243	13.1
1985-86	1167.33	10895	10.7	7820	14.9
1986-87	1660.84	12452	13.3	8151	20.4
1987-88	3100.89	15741	19.7	7687	40.3

नोटः वित्त लेखों तथा आर्थिक सर्वेक्षण पर आधारित।

1988-89 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार,बाह्य सहायता (जिसमें वाणिज्यिक उधारों तथा ट्रस्ट निधि के अलावा आई एम एफ क्रेडिटों की सेवाई शामिल नहीं है) पर ऋण सेवा, सातवीं योजना के पहले तीन वर्षों के दौरान 30.6 प्रतिशत की एक वार्षिक दर पर बढ़ गयी जबकि छठी योजना अवधि के दौरान बढ़ौत्तरी 8 प्रतिशत की एक वार्षिक दर पर थी।

अध्याय – 2

विनियोग लेखापरीक्षा और व्यय पर नियंत्रण

2. सामान्य

1987–88 के दौरान अनुदानों/विनियोगों के प्रति वास्तविक व्यय की संक्षिप्त स्थिति निम्न है:–

		मूल अनुदान/ विनियोजन	पूरक	जोड़	वास्तविक व्यय	अंतर बचत
		1	2	3	4	5
		(करोड़ रूपयों में)				
1	राजस्व:					
	दत्तमत्त	25524.80	2645.61	28170.41	26590.40	1580.01
	प्रभारित	18885.98	1048.71	19934.69	19701.17	233.52
2	पूंजीगत :					
	दत्तमत्त	6862.97	337.22	7200.19	6447.21	752.98
	प्रभारित	33.85	0.10	33.95	29.37	4.58
3	लोक ऋण:					
	प्रभारित	152120.80		152120.80	123693.61	28427.19
4	ऋण एवं पेशगियां:					
	दत्तमत्त	4648.79	628.62	5277.41	4440.13	837.28
	प्रभारित	8967.72	851.39	9819.11	9387.72	431.39
5	अन्य अंतर्राज्यीय निपटारा:				×	
	कुल जोड़	217044.91	5511.65	222556.56	190289.61	32266.95

× अंतर्राज्यीय निपटारें के अंतर्गत आंध्र प्रदेश सरकार को "शून्य" प्रावधान के प्रति 0.10 लाख रूपये की एक राशि अदा की गई थी।

3. विनियोग लेखापरीक्षा के मुख्य परिणाम निम्नप्रकार हैं:-

3.1 1987-88 के दौरान प्राप्त किये गये समग्र पूरक अनुदान और विनियोग मूल अनुदानों और विनियोगों के 3 प्रतिशत बने।

3.2 20 मामलों में 545.76 करोड़ रूपये का पूरक प्रावधान आवश्यक था क्योंकि इन सभी मामलों में बचत, प्राप्त पूरक प्रावधान से अधिक थी ब्यौरे परिशिष्ट -I मैं दिये गये हैं।

3.3 32266.95 करोड़ रूपये (निवल) की समग्र बचत दत्तमत्त अनुदानों और प्रभारित विनियोगों के कुल प्रावधान के 14.5 प्रतिशत और पूरक प्रावधान के 585.4 प्रतिशत की द्योतक थी। यह 193 मामलों में 32320.74 करोड़ रूपये की बचत और 11 मामलों में 53.79 करोड़ रूपये की अधिकता का निवल परिणाम था, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है :-

	बचत		आधिक्य		निवल बचत	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
			(करोड़ रूपयों में)			
दत्तमत्त अनुदान	1629.79 (75अनुदानों में)	1594.24 (57अनुदानों में)	49.78 (6 अनुदानों में)	3.98 (3 अनुदानों में)	1580.01	1590.2
प्रभारित विनियोजन	233.54 (39विनियोजनों में)	28863.17 (22 विनियोजनों)	0.02 (1विनियोजन में)	0.01	233.52	28863.16

3.4 38 अनुदानों में, बचतें प्रावधानों के 20 प्रतिशत से अधिक थी जबकि 25 अनुदानों में, बचतें 30 प्रतिशत से अधिक थी। ब्यौरे परिशिष्ट II में दिये गये हैं।

3.5 दत्तमत्त अनुदानों के अंतर्गत 3224.02 करोड़ रूपये और प्रभारित विनियोगों के अंतर्गत 29096.70 करोड़ रूपये की अंतिम बचतों में से 3 अनुदानों एवं 5 विनियोगों में बचतें क्रमशः 2817.73 करोड़ रूपये तथा 29043.60 करोड़ रूपये आंकी गई , जिनके ब्यौरे नीचे दिये गये हैं:-

क्र.सं.	अनुदान	बचतों की राशि (बचतों की प्रतिशतता)	मुख्य कारण
1	2	3	4
		(करोड़ रूपयों में)	
दत्तमत्त अनुदान			
राजस्व			
1.4-	ग्रामीण विकास का विभाग	68.97 (3.0)	खाध अनाजों की लागत को पूरा करने हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए निधियों की अतिरिक्त आवश्यकता से निपटने हेतु कम भुगतान, एक आर्थिक उपाय के रूप में व्यय में कटौती, विस्तृत परियोजना रिपोर्टों का देर से प्रस्तुतिकरण, पहले जारी की गयी अनुदानों के लेखों का अप्रस्तुतिकरण तथा कुछ लघु मिशन परियोजनाओं में व्यय की धीमी चाल
2.5-	उर्वरक विभाग	531.95 (17.3)	उर्वरकों के आयात की मात्रा में कमी
3.6-	वाणिज्य विभाग	27.57 (2.5)	आपसी व्यापार और भुगतान करारनामों के अंतर्गत विदेशी सरकारों को गैर अदायगी तथा राज्य व्यापार और खनिज तथा धातु व्यापार निगमों को वस्तुतओं के निर्यात पर हानियों की कम प्रतिपूर्ति।

1	2	3	4
4.20–	पर्यावरण और वन मंत्रालय	24.95 (14.5)	राज्य प्रदूषण बोर्डों को सीधे भुगतान करने हेतु बजटोत्तर निर्णय, राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से सहायता के समान रूप हिस्से की अनुपलब्धता, नयी योजनाओं/ कार्यक्रमों को हाथ में न लिया जाना, राज्य सरकारों द्वारा योजनाओं का देर से प्रस्तुतिकरण, निर्माण कार्य की धीमी प्रगति, भंडारणों तथा उपस्करों की कम खरीद।
5.21–	विदेश मंत्रालय	43.36 (11.6)	श्री लंका को पुनर्वास अनुदान की रूपात्मकताओं को अंतिमरूप न दिया जाना (8.00 करोड रूपये), तकनीकी कारणों से कुछ भारतीय सहायता प्राप्त परियोजनाओं को आरंभ करने अकार्यान्वयन में विलंब (27.65 करोड़ रूपये), कुछ बचनबद्धताओं के आंशिक कार्यान्वयन के कारण व्यय में कमी, कुछ उपकरण के आयात में विलंब तथा दूसरे विभागों से डेबिट टिप्पणियों की अप्राप्ति (13.13 करोड़ रूपये)।
6.23–	मुद्रा, सिक्के और टिकटें	50.95 (17.5)	"कार्यचालन तथा रखरखाव" पर व्यय में कमी (36.27 करोड़ रूपये), सामग्री तथा आपूर्तियों के आयात पर सीमा शुल्क की छूट, आपूर्ति एवं निपटान के महानिदेशालय से दावों की अप्राप्ति तथा सुरक्षा कागज मिल, होशंगाबाद से सुरक्षा कागज की कम आपूर्ति (12.48 करोड़ रूपये)।

1	2	3	4
7.25-	पेंशन	98.05 (20.5)	प्रत्याशितों से कम दावों की प्राप्ति ।
8.30-	व्यय विभाग	299.66 (98.7)	विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों द्वारा उनके अपने अपने अनुदानों में अनुकूल प्रावधान को सम्मिलित करने के कारण केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की किश्तों के भुगतान हेतु किये गये एक मुश्त प्रावधान (300.00 करोड रूपये) का अप्रयोग ।
9.34-	अप्रत्यक्ष कर	33.47 (10.6)	केन्द्रीय आबकारी कलक्टरेटों में परिकलित परियोजाओं का अविस्तार (31.26 करोड़ रूपये)।
10.43-	संघशासित प्रदेश सरकारों को स्थानांतरण	58.43 (45.4)	गोवा के लिए स्टेट हुड प्राप्त किये जाने के कारण प्रावधान का अप्रयोग।
11.64-	बायो-प्रौद्योगिकी विभाग	20.06 (46.7)	रिक्त पदों को न भरा जाना, गारंटी संस्थाओं से कम जरूरतें, तकनीकी कारणों से कुछ प्रस्तावों की अप्राप्ति /अअनुमोदन तथा एक आर्थिक उपाय के रूप में व्यय में कटौती ।
12.71-	पत्तन, द्वीप स्तंभ एवं जहाजरानी	47.82 (37.6)	कोचीन शिपयार्ड के लिये परिदान की की असंस्वीकृति (6.50 करोड़ रूपये) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाये जा रहे जहाज के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य का कम

1	2	3	4
			निर्धारण (6.60 करोड़ रू.), विभिन्न शिपयार्डों द्वारा दावों का अप्रस्तुतिकरण तथा सरकार द्वारा कब्जे में ली गई जहाजरानी विकास निधि समिति की देयताओं और परिसम्पत्तियों के कारण अंतरीय ब्याज की गैर अदायगी (38.10 करोड़ रूपये)।
13.79-	परमाणु पावर योजनाएं	60.81 (24.0)	वर्ष के दौरान बनाई गई भारतीय परमाणु पावर निगम लिमिटेड (भा प पा नि लि) को सभी चालित पावर स्टेशनों (राजस्थान परमाणु शक्ति स्टेशन यूनिट- । को छोड़ते हुए) का स्थानांतरण, राजस्थान परमाणु पावर स्टेशन-यूनिट-। के संबंध में स्थापना तथा अनुरक्षण प्रभारों के भुगतान हेतु भा प पा नि लि से दावों की अप्राप्ति तथा भा प पा नि लि से ब्यौरों की अप्राप्ति के कारण पूंजी पर ब्याज का असमायोजन।
पूंजीगत			
14.5-	अर्वरक विभाग	28.03 (4.8)	कम्पनी द्वारा आंतरिक संसाधनों के उच्च सृजन के बाद कृषक भारती सहकारिता लिमिटेड को बजट के रूप में कम समर्थन ।
15.6-	वाणिज्य विभाग	107.99 (44.0)	व्यापार अनुबन्धों में तकनीकी क्रेडिटों की अनुदान के लिए नियत अपनी अपनी सीमाओं के भीतर

1	2	3	4
			संबंधित देशों के साथ व्यापार के घनत्व में विभिन्नता।
16.18–	पावर विभाग	437.26 §29.0§	भारत के राष्ट्रीय थरमलपावर निगम के संबंध में व्यय पर आर्थिक कटौती तथा कुछ संशोधित लागत अनुमानों की गैर निकासी ।
17.21–	विदेश मंत्रालय	43.92 §58.5§	चूखा हाइडल परियोजना के लिए ऋण की आवश्यकता में कमी, भूटान में नगलम सीमेंट संयंत्र पर कार्य का देर से प्रारंभ किया जाना §8.61 करोड़ रूपये§, खरीद सौदों को अंतिम रूप न दिया जाना, चल रहे निर्माण कार्यों पर धीमी प्रगति तथा कुछ आवासीय परियोजनाओं की लागत का समायोजन §6.02 करोड़ रूपये§, भारतीय फर्मों द्वारा बंगला देश को आपूर्तियों हेतु कुछ संविदाओं को अंतिम रूप न दिये जाने के कारण सरकार से सरकार को क्रेडिटों का अल्प प्रयोग §5.73 करोड़ रूपये§ तथा नेपाल की सरकार को नये अतिरिक्त क्रेडिटों की असंस्वीकृति §25.00 करोड़ रूपये§।
18.22–	आर्थिक मामलों का विभाग	89.77 §41.0§	मत्स्य ग्रहण तथा जलपोत भवन परिदान हेतु ऋणों से संबंधित प्रावधान का अप्रयोग §68.96 करोड़ रूपये§, विदेशी सरकारों द्वारा क्रेडिटों का अआहरण/ कम आहरण § 17.20 करोड़ रूपये§।

1	2	3	4
19.23–	मुद्रा, सिक्के और टिकटें	52.72 §27.5§	केन्द्रीय लोकनिर्माण विभाग द्वारा निर्माण कार्य की धीमी प्रगति §2.29 करोड़ रूपये§, नये संयंत्र तथा मशीनरी की खरीद का स्थगन §10.80 करोड़ रूपये§, आस्ट्रेलिया से कापर निक्कल ब्लैंकों की अप्राप्ति/कम प्राप्ति के कारण निधियों की आवश्यकता में कमी, हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड से कापर, निक्कल और एल्युमिनियम मैगेनिजम पत्तियों की कम प्राप्ति, सिक्कों के लिए धातु की कम अधिप्राप्ति §15.85 करोड़ रूपये§, औपचारिकताओं के समापन में विलंब के कारण नम्बरिंग डिब्बों की खरीद का स्थगन §8.32 करोड़ रूपये§, भारतीय सप्लाई मिशन, लंदन द्वारा संविदा को अंतिम रूप न दिया जाना , कुछ मशीनरी की अअधिप्राप्ति §5.89 करोड़ रूपये§ तथा स्टेनलैस स्टील के सिक्कों की कम प्राप्ति, आयातित सिक्कों के संबंध में चेंज तथा फालतू धन की वापसी आदि की कम निकासी/ डिस्टफिंग §7.92 करोड़ रूपये§।
20.24–	वित्तीय संस्थाओं को अदायगियां	25.46 §1.5§	दावों के अभाव में भारत के औद्योगिक विकास बैंक तथा भारतीय औद्योगिक क्रेडिट और निवेश निगम को तुलनात्मक निधियों के जारी करने में कमी तथा विश्व बैंक और

1	2	3	4
			अन्य द्विपक्षी एजेंसियों से समान रूप निधियों की अप्राप्ति, जिसके परिणामस्वरूप कृषि और ग्रामीणविकास हेतु राष्ट्रीयकृत बैंक को ऋण का कम विमोचन हुआ ।
21.33–	प्रत्यक्ष कर	99.99 [83.3]	सरकार द्वारा सम्पत्ति की पूर्व क्रय अधिकार खरीद के प्रति उच्चतम न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश का कार्यान्वयन
22.35–	खाद्य विभाग	32.45 [31.0]	आवेदन पत्रों की संख्या में कमी, समझौते का अनिष्पादन तथा आर्थिक उपायों को लागू करने के कारण पुनर्वासों/आधुनिकरण/गन्ना विकास के लिए चीनी मिलों को ऋणों का कम भुगतान ।
23.41–	पुलिस	38.75 [49.0]	आर्थिक उपायों को लागू करने के कारण निर्माण कार्यों का अप्रारंभ।
23.43–	संघराज्य क्षेत्र सरकारों को स्थानांतरण	86.69 [78.2]	गोवा के लिए स्टेट हुड प्राप्त किये जाने के कारण प्रावधान का अप्रयोग।
25.46–	कला और संस्कृति	20.36 [99.0]	निजाम ज्वेलरी के अधिग्रहण हेतु प्रस्ताव को अंतिम रूप न दिया जाना।
26.50–	रसायन तथा पैट्रोकैमिकल्स विभाग	51.63 [29.5]	निर्माण कार्य की धीमी प्रगति के कारण भारतीय पैट्रो रसायन निगम लिमिटेड की आवश्यकता में गिरावट।

1	2	3	4
27.53-	प्रसारण सेवाएं	67.99 (20.4)	आपूर्तिकर्त्ताओं से उपस्करों की अप्राप्ति/गैर आपूर्ति, योजनाओं का निवारण, सिविल निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति, प्रत्यक्ष प्राप्तकर्त्ता/ अधिक तीव्र गति सैटों की प्राप्ति में गिरावट, नये ढांचों के पुनर्संगठन की योजनाओं की असंस्वीकृति (50.53 करोड़ रू.) तथा उचंत भंडारण लेन देनों के लेखाकरण हेतु संशोधित प्रक्रिया का देर से स्वीकार किया जाना (14.95 करोड़ रू.)
28.69-	भूतल परिवहन	42.87 (31.6)	निगम को ऋणों की संस्वीकृति से संबंधित निति में परिवर्तन के कारण राज्य सड़क परिवहन निगम को ऋण जारी करने में कमी ।
29.70-	सड़कें	33.85 (7.8)	निर्माण कार्यों के लिये निधियों की आवश्यकता में कमी, राज्य सरकारों से प्रतिपूर्ति हेतु दावों की अप्राप्ति (24.80 करोड़ रूपये), कुछ परियोजनाओं का अकार्यान्वयन (3.12 करोड़ रूपये) तथा मितव्यय उपाय के रूप में मशीनरी की गैर खरीद (3.03 करोड़ रूपये)।
30.71-	पत्तन द्वीप स्तंभ व जहाजरानी	73.42 (22.4)	भारतीय जहाजरानी निगम लिमिटेड के संबंध में चरण भुगतानों/ संविदा का अकार्यान्वयन (15.95 करोड़ रूपये), कार्य की धीमी प्रगति तथा बम्बई पत्तन न्यास से प्राप्त ऋण

1	2	3	4
			का प्रयोग (31.71 करोड़ रूपये), पंचाट अधिनिर्णयों हेतु निधियों की आवश्यकता में कमी, पुरानी "लेडी विलिंगटन" के बदले में एक निकर्षण पोत का अअधिग्रहण तथा कंटेनर हैंडलिंग सुविधाओं के लिए संस्वीकृति की देर से प्राप्ति (16.27 करोड़ रूपये) ।
31.78-	परमाणु ऊर्जा	118.54 (24.4)	सामग्रियों की अधिप्राप्ति में घटत निर्माण कार्यों/ नई योजनाओं की धीमी प्रगति/ स्थगन, उत्पादन/ उपस्करों, भंडारणों तथा भारी पानी की खरीद में कमी।
प्रभारित विनियोजन			
राजस्व			
32.26-	ब्याज भुगतान	198.64 (1.7)	खजाना बिलों का कम जारी किया जाना तथा तदर्थ खजाना बिलों का विशेष प्रत्याभूतियों में परिवर्तन।
पूंजीगत			
33.27-	राज्य सरकारों को स्थानांतरण	372.40 (4.0)	लघु बचतों के संग्रहण, राज्य सरकारों को ब्लाक ऋण तथा अन्य प्रकारों से दिये जाने वाले अग्रिम तथा प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत के लिए सहातया में कमी।
34.29-	कर्जे की पुन: अदायगी	28427.19 (18.7)	प्रत्याप्तित की तुलना में कम खजाना बिलों की अदायगी।

1	2	3	4
35.65-	इस्पात विभाग	21.68 §52.9§	सिविल निर्माण कार्यों में चूक के कारण यलेरू जल योजना के कार्यान्वयन में देरी तथा सड़क योजनओं की परियोजनाओं के संशोधित लागत अनुमानों के अनुमोदन की अप्राप्ति ।
36.70-	सड़कें	23.69 §44.0§	कार्य की धीमी प्रगति के कारण एक राज्य सरकार द्वारा ऋणों की आवश्यकता में कमी §23.50 करोड़ रूपये§।

3.6 अनुदानों/विनियोजनों का आधिक्य

राजस्व अनुभाग में, 6 अनुदानों में 49,78,16,691 रूपये तथा एक विनियोजन में 1,99,074 रूपये का कुल आधिक्य था, जबकि पूंजीगत अनुभाग में 3 अनुदानों में 397,91,257 रूपये तथा एक विनियोजन में 93,373 रूपये के आधिक्य बने । संविधान के अनुच्छेद 115 के अंतर्गत इन आधिक्यों का नियमन अपेक्षित था। आधिक्य के ब्यौरे निम्नलिखित हैं:-

क्र. सं.	अनुदान	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य की राशि §आधिक्य की प्रतिशतता§	मुख्य कारण
1	2	3	4	5	
1.	11-रक्षा मंत्रालय	572,51,00,000	586,46,69,203	13,95,69,203 §24.38 §	ग्रुप "क" अधिकारियों के बारे में चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन, लेखा वर्ग का पुनः गठन, महंगाई भत्ते की किश्तों तथा बोनस का भुगतान।

1	2	3	4	5	6
2.	12–रक्षा पैंशनें	1212,36,00,000	1214,05,53,490	169,53,490 (0.14)	अधिक पैंशन मामलों की प्राप्ति।
3.	22– आर्थिक मामलों का विभाग	482,15,00,000	505,80,49,350	23,65,49,350 (4.91)	ब्याज की अधिक अदायगी, विनिमय विभिन्नता के फलस्व–रूप हानियां, तदर्थ बोनस, अतिरिक्त महंगाई भत्ता तथा श्रेणी "क" अधिकारियों की वेतन तथा भत्तों के बकाया की अदायगी मशीनरी तथा उपस्करों के मूल्य में बढ़ोत्तरी।
4.	67– कपड़ा मंत्रालय	479,52,00,000	479,87,23,369	35,23,369 (0.07)	पटसन विशेष विकास निधि से किये गये व्यय का देरी से समायोजन जिसके लिए कोई बजट प्रावधान नहीं किया गया था तथा कुछ कम्पनियों/निगमों को ब्याज परिदान बट्टे खाते डाले गये अवसू–लीयोग्य ऋणों का भुगतान ।
5.	74– लोकनिर्माण कार्य	148,04,00,000	153,71,26,369	5,67,26,369 (3.83)	अधिक निर्माण कार्यों का निष्पादन, तीव्र जमा कार्यों के लिये आपूर्ति कर्त्ताओं को अग्रिमों का भुगतान, चौथे वेतन आयोग की

1	2	3	4	5	6
					सिफारिशों का कार्यान्वयन, सहायक अभियन्ताओं/सहायता सर्वेक्षण कर्त्ताओं निर्माण कार्य के पदों की संख्या में उन्नति/वृद्धि, मंडलीय लेखाकारों के वेतनमानों का संशोधन, बिजली तथा जल प्रभारों के लिए अधिक बिल तथा आधुनिक कार्यालय उपस्कर की खरीद और लेखन सामग्री की स्थानीय खरीद।
6.92– चंडीगढ़		110,86,00,000	115,30,94,910	4,44,94,910 (4.01)	आधिक्य के लिए कारण प्राप्त नहीं हुए हैं (मार्च 1989)।
पूंजीगत					
7.37– स्वास्थ्य विभाग		141,28,00,000	143,90,54,817	2,62,54,817 (1.86)	प्राप्त आपूर्तियों तथा भंडारणों हेतु प्रति पूर्ति दावों के लिए अधिक डेबिटों की प्राप्ति।
8.88– दिल्ली		487,14,00,000	487,25,74,246	11,74,246 (0.024)	कार्यों के निर्माण तथा भूमि अधिग्रहण पर अधिक व्यय।

1 2	3	4	5	6
9.91– लक्ष्यद्वीप	9,34,00,000	10,57,62,194	1,23,62,194 §13.24§	आधिक्य के लिए कारण प्राप्त नहीं किये गये है §मार्च 1989§।
प्रभारित विनियोजन				
राजस्व				
10.12– रक्षा पैंशनें	72,00,000	73,99,074	1,99,074 §2.76§	अधिक न्यायालय मामलों को निपटाया जाना ।
पूंजीगत				
11.74– लोकनिर्माण कार्य	17,00,000	17,93,373	93,373 §5.49§	प्रत्याशित की तुलना में अधिक पंचाट अधिनिर्णयों की प्राप्ति।

गृह मंत्रालय

3.7 व्यय का अनियमित समायोजन

वित्त मंत्रालय ने अनुदान नं0 43– संघ राज्य क्षेत्र सरकारोंको स्थानातरण के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष ख– राज्य सरकारों को सहायता अनुदान के अधीन एक नये उप शीर्ष ख। §।§ ब्लाक अनुदान को खोलने हेतु संस्वीकृति प्रदान की तथा 30 मई 1987 से राज्य का दर्जा दिये जाने के लिये गोवा की योजनागत योजनायों की सहायता अनुदानों के लिये जारी किया गया 15 करोड़ रू. का व्यय दिनांक 30 मार्च 1988 के पुनः विनियोजन द्वारा पूरा किया गया था। अनुदान नं0 43–संघ क्षेत्र सरकारों को स्थानांतरण में यह समायोजन अनियमित था क्योंकि राज्य सरकारों की ब्लाक अनुदानों से संबंधित सभी व्यय, वित्त मंत्रालय के अधीन अनुदान नं0 27– राज्य सरकारों को स्थानांतरण के अन्तर्गत किया जाना था, जिसकी परणिति आधिक्य में होगी तथा संसद द्वारा नियमन अपेक्षित था ।

अध्याय – 3

सिविल विभाग

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

4. कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु लघु एवं सीमांत कृषकों को सहायता

4.1 प्रस्तावना

कृषि मंत्रालय (कृषि एवं सहकारिता विभाग), इसके बाद जो मंत्रालय उल्लिखित किया गया , समाज के गरीबतर प्रभागों के उत्थान हेतु जो अपने अभिग्रहित भूखंडों से जीवन यापन करते थे, 1983–84 में देश के सभी समेकित ग्रामीण विकास खंडों में एक केन्द्र द्वारा प्रायोजित परियोजना "कृषि उत्पादन संवर्धन हेतु लघु एवं सीमांत कृषकों को सहायता" का प्रारंभ किया। कार्यक्रम जिला ग्रामीण विकास अभिकारणों (जि.ग्रा.वि.अ) द्वारा इसी उद्देश्य हेतु पहचाने गए छोटे एवं सीमांत कृषकों के कृषि उत्पादन के संवर्धन पर लक्षित था। इन्हें आवृत करने के उद्देश्य हेतु छोटे/सीमांत कृषकों की परिभाषा जैसे कि समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (स ग्रा वि का) के अंतर्गत था अंगीकार की गई थी यानि कि वह कृषक जिसकी जोत भूमि 2 हैक्टेयर अथवा कम परन्तु एक हैक्टेयर से अधिक थी छोटा किसान माना गया था और वह कृषक जिसकी जोत भूमि एक हैक्टेयर अथवा कम थी सीमांत किसान स्वीकार किया गया था। प्रथम श्रेणी की जोत सुविधा से युक्त भूमि के मामले में एक किसान को जिसके पास 1 हैक्टेयर अथवा कम परन्तु 0.5 हैक्टेयर से अधिक थी छोटा किसान माना गया था तथा एक जिसके पास 0.5 हैक्टेयर तक थी सीमांत किसान माना गया था। आर्थिक सहायता के लिए वांछनीयता या तो निर्धारित सीमा की भूमि का मालकाना या उस पर खेती करना माना जाता था। स ग्रा वि का के मामले से हटकर, कृषि से इतर अन्य आय की गणना नहीं की गयी थी।

4.2 लेखा परीक्षा का क्षेत्र

1983–84 से 1987–88 के दौरान कार्यक्रम के कार्यान्वयन की मंत्रालय/राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों तथा 20 राज्यों और 3 केन्द्र शासित प्रदेशों के कुछ ब्लाकों/जिलों में लेखा परीक्षा द्वारा नमूना जांच की गई थी । लेखा परीक्षा में सूचित हुई महत्वपूर्ण बातें अनुवर्ती पैराग्राफों में दी गई हैं।

4.3 संगठनात्मक ढांचा

केन्द्रीय स्तर पर कार्यक्रम के लिए मंत्रालय निस्पंदन अभिकरण है जो निधियों के प्रावधान हेतु कार्यक्रम के कार्यान्वयन एवं प्रबोधन का सर्वेक्षण करने के लिए उत्तरदाई है। इस प्रयोजन हेतु, मंत्रालय में सचिव (कृषि एवं सहकारिता) की अध्यक्षता में अंतर मंत्रालय प्रयोजन कार्यान्वयन समिति की स्थापना की गई थी। राज्य सरकारों तथा के शा प्रशासनों को राज्य/के शा स्तर पर कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए निस्पंदन अभिकरण का निर्णय करना था। प्रत्येक राज्य के शा प्र को कार्यक्रम के कार्यान्वयन, पर्यवेक्षण एवं प्रबोधन हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली अंतर विभागीय सहयोग समिति की स्थापना करनी थी। जिला स्तर पर, जि ग्रा वि अ कार्यक्रम कार्यान्वयन के सहयोजन एवं प्रबोधन हेतु उत्तरदायी था। लाभ प्राप्तकर्त्ताओं को धन की क्रेडिट सहायता

उपलब्ध कराने हेतु जि ग्रा वि अ/निस्पंदन विभाग द्वारा बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाएं पहचानी जानी थी तथा पृथक लक्ष्य दिए गए थे।

4.4 विशिष्टताएं

पुनर्रीक्षण में अन्य बातों के साथ साथ प्रकट होता है :-

- कार्यक्रम 1983-84 में छोटे एवं सीमांत किसानों का उनके कृषि उत्पादन को बढ़ाते हुए भागय का उत्थान करने हेतु चालू किया गया था। 1983-84 से 1987-88 के दौरान 748 करोड़ रूपये से अधिक की राशि की निधियां विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के पास उपलब्ध थी, जिसमें से 682 करोड़ रूपये से ऊपर व्यय किया जा चुका था।

- कार्यक्रम को अन्य चालू केन्द्रीय रूप से प्रायोजित/केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं जैसे समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, मरूस्थल विकास कार्यक्रम, सूखा पीड़ित क्षेत्र कार्यक्रम, राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना, राष्ट्रीय दाल विकास कार्यक्रम आदि जिनके तदनुरूप अथवा अंशाछादित संघटक थे और जो छोटे एवं सीमांत किसानों के प्रभाग को आवृत करते थे, सम्मिलित करने का प्रयत्न किए बिना ही चालू किया गया था। कार्यक्रम चालू किए जाने के तुरंत बाद ही तब के ग्रामीण विकास मंत्रालय, योजना आयोग तथा कृषि उत्पादन पर सातवीं पंच वर्षीय योजना को सुत्रबद्ध करने के लिए स्थापित कार्यकारी दल द्वारा इन कार्यक्रमों के एकीकरण तथा राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों की निधियों को एक ही कार्यक्रम में पोषित करने की आवश्यकता प्रायोजित की गई थी। कार्यकारी दल ने सितम्बर 1984 में, प्रसार, क्रेडिट निवेश सुपुर्दगी, जल प्रबंध, भूमि सर्वेक्षण जैसे क्षेत्रों में संस्थाओं की कमजोरी की ओर भी संकेत किया था तथा प्रत्येक क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुसार कौशल सुत्रबद्ध करने का सुझाव दिया था। तथापि, कार्यक्रम संरचनात्मक कमजोरी में उपचार किए बिना अलग थलग में कार्यान्वित होते जारी रहे ।

- छोटे तथा सीमांत किसानों की ब्लाकों में संख्या का ध्यान रखे बिना ही प्रति ब्लाक प्रति वर्ष 5 लाख रूपये के एक रूप आधार पर निधियां निर्धारित की गई थी जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में निधियों का निर्धारण एक रूप नहीं रहा । तदनुसार, निधियों का औसत वार्षिक निर्धारण प्रति छोटे/सीमांत किसान 28.67 रूपये (अन्ध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश) और 148.61 रूपये (पंजाब) के बीच विसंगत पूर्ण रहा। छोटे एंव सीमांत किसानों की देश में संख्या को ध्यान में लाए जाने पर निधियों का प्रति व्यक्ति निर्धारण कोई प्रत्यक्ष प्रभाव लाने हेतु बहुत कम था।

- क्षेत्रों की सिंचाई आवश्यकताओं अथवा

ब्लाकों में भूमि जल के पहले से ही अत्यधिक उपभोग के कारण जल स्तर का ध्यान किए बिना ही लघु सिंचाई हेतु निधियां 3.50 लाख रूपये की एक रूप दर पर निर्धारित की गई थी।

- कार्यक्रम में तिलहनों तथा दालों के मिनीकिटों का वितरण कृषि योग्य जलवायु संबंधी स्थितियों का ध्यान किए बिना सभी ब्लाकों में उन्नति किस्म के उपलब्ध सत्यापित बीजों का वितरण शामिल था इस कारण से तिलहन/दालों के उत्पादन हेतु उच्च शक्तिधारी क्षेत्रों में बीजों की उपलब्धता घट गई।
- बहुत से राज्यों द्वारा कार्यक्रम का नियोजन एवं कार्यान्वयन निम्नलिखित पहलु में अपूर्ण था:-

- उचित सर्वेक्षण के माध्यम से जरूरतमन्द प्राथमिकता वाले क्षेत्रों का न पहचाना जाना,

- लाभ प्राप्त कर्त्ताओं की उनकी भूमिधारिता के आधार पर पहचान न की जानी, और

- जिलों के लिए सापेक्ष महत्त्व की / वार्षिक कार्य योजनाओं का तैयार न किया जाना ।

- ध्यान में आई वित्तीय कमियों/ अनियमितताओं में सम्मिलित था:-

- मंत्रालय द्वारा कुछ राज्यों को अंतिम तिमाही/वर्षा के मार्च के महीने के दौरान अनुपातिक रूप से भारी राशियों का जारी किया जाना

- कई राज्यों द्वारा मार्च के महीने के दौरान अनुपातिक भारी राशियों का व्यय {कुल व्यय का 25 प्रतिशत अथवा अधिक} किया जाना,

- कई राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न निष्पादन एजेंसियों को 29 करोड़ रूपये से अधिक की राशि के अग्रिमों को अंतिम व्यय मान लिया जाना, तथा

- कई राज्यों द्वारा अन्य योजना कार्यकलापों को जो कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती 10 करोड़ रूपये से अधिक की निधियों का विपथन ।

- नमूना जांच के दौरान ध्यान में आई आर्थिक सहायता के भुगतान में अनियमितताओं में सम्मिलित थीं:-

- 4.10 करोड़ रू. से अधिक की आर्थिक सहायता का वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त किए ऋणों के प्रति समायोजन के स्थान पर लाभ प्राप्त कर्त्ताओं को सीधे नकद भुगतान,

- अग्राह्य किसानों को आर्थिक सहायता का संवितरण, और

- 6 राज्यों में गलत दरों के प्रयोग के कारण 1.06 करोड़ रूपये की अधिक आर्थक सहायता का संवितरण।

- जि ग्रा वि ए तथा निस्पंदन विभागों द्वारा सिफारिश की गई ऋण प्रार्थना पत्रों को वित्तीय संस्थाओं द्वारा रद्द कर दिए जाने की प्रतिशतता ऊंची थी तथा 5 राज्यों में 37 और 76 के बीच रही ।

- लघु सिंचाई का कार्यान्वयन जिसके लिए निर्धारण का 70 प्रतिशत विचाराधीन था, कई कमियों जैसे कि ऊर्जा किरण के अभाव से नलकूपों/ सिंचाई निर्माण कार्य का अनुपयोग, सिंचाई कुओं के लिए पम्पसैटों की व्यवस्था का न होना, उचित अभिलेखों का रखरखाव न किया जाना आदि से पीड़ित हुआ।

- आन्ध्र प्रदेश में, यद्यपि तकनीकी विभागों द्वारा उचित भूगर्भीय, और जलीय जांच के सर्वेक्षण के बाद संभाव्यता का परामर्श दिया गया था, विभिन्न स्थानों पर 31.11 लाख रूपये की लागत पर खोदे गए 1139 कुएं असफल हो गए थे।

- आंध्र प्रदेश राज्य सहकारी ग्रामीण सिंचाई निगम को 8,760 कुओं की खुदाई में ऊंची दर प्रभारित करने के कारण 36.62 लाख रूपये का अधिक भुगतान किया गया था।

- बिहार के मुज्जफरपुर जिले में, 81.26 लाख रूपये मूल्य के नलकूपों के लिए उपकरण तथा जी आई पम्प बिना निविदाएं आमंत्रित किए तथा जिला खरीद समिति से अनुमोदन प्राप्त किए बिना चुनी हुई फर्मों से खरीदे गए थे।

- छोटे सिंचाई निर्माण कार्यों के संबंध में गुजरात जल स्रोत विकास निगम को 79.77 लाख रूपये की आर्थिक सहायता का अनियमित/अधिक भुगतान किया गया था।

- हिमाचल प्रदेश में, लघु सिंचाई निर्माण कार्यों के लिए 1983–84 और 1984–85 के दौरान जारी की गई 223.42 लख रूपये की केन्द्रीय आर्थिक सहायता के उपयोग दर्शाने वाले ब्यौरे अभिलेख लेखा परीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

- पंजाब में, मंत्रालय के अनुदेशों के बावजूद कि कुंआ खुदाई सरकारी अभिकरणों से कराई जाए, 1986–87 और 1987–88 के दौरान 88.48 लाख रूपये वित्तीय संस्थाओं द्वारा उद्देश्य हेतु किसानों को सीधे ही भुगतान कर दिये गये थे।

- राजस्थान के उदय पुर जिले में, सामुदायिक सिंचाई निर्माण कार्यों के अंतर्गत लाभ प्राप्तकर्त्ता किसानों से वसूली योग्य 15.72 लाख रूपये की वसूली लेखेबद्ध करने के कोई अभिलेखे लेखा परीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए थे। जि ग्रा वि ए उदयपुर ने 106.79 लाख रूपये की आर्थिक सहायता को अनौपचारिक समितियों द्वारा सामान्य प्रमाणपत्र भेजे जाने पर जिसकी कोई अधिकारित मान्यता प्राप्त स्थिति

नहीं थी समायोजन कर दिया गया ।

पश्चिमी त्रिपुरा के जि ग्रा वि ए ने 7.17 लाख रूपये मूल्य की सामग्री को भंडार में दर्ज नहीं किया जबकि 1986-87 के दौरान मिदनापुर जिले (पश्चिम बंगाल) में विभिन्न ब्लाक विकास अधिकारियों को निर्गमित 27.51 लाख रूपये कीमत की सामग्रियां प्रयोग में लाए बिना पड़ी हुई थी।

- आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक (4 जिलों) उड़ीसा तथा पंजाब (4 जिलों) में 434.39 लाख रूपये मूल्य के पुरानी किस्म के बीजों से भरे हुए मिनी किट बांटे गए थे। पश्चिम बंगाल (मिदनापुर जिला) में, बिना अंकुरण परीक्षा प्राप्त किए 10.14 लाख रूपये मूल्य के निकृष्ट बीत खरीदे तथा बांटे गए थे। उड़ीसा (बोलगीर जिले) में, 3.07 लाख रूपये मूल्य के घटिया गुणवत्ता के मुंगफली के बीज बांटे गए थे, जिनके नमूनों की अंकुरण जांच से 86 से 96 प्रतिशत मृत बीजों का पता चला ।

- असम, पंजाब और पश्चिम बंगाल में, 23.19 लाख रूपये मूल्य के बीज बुआई के मौसम बीत जाने के बाद बांटे गए थे। यद्यपि कार्यक्रम के अंदर गेहूं धान और सेम के बीजों के मिनीकिटों के बांटे जाने का विचार नहीं था, इन फसलों के 6.96 लाख रूपये मूल्य के बीज जम्मू और काश्मीर, कर्नाटक तथा महाराष्ट्र में बांटे गए थे।

- 1985-86 से उर्वरकों के मिनीकिटों का वितरण कार्यक्रम के क्षेत्र से निकाल दिये जाने के बावजूद, असम, जम्मू और काश्मीर, कर्नाटक तथा महाराष्ट्र में 191.67 लाख रूपये मूल्य के उर्वरक मिनीकिटों को वितरित किया जाना था, लाभ भोगियों को वितरित किये गए बीज के मिनीकिटों के संबंध में 63.30 लाख रूपये के नाममात्र प्रभार 6 राज्यों से वसूल नहीं किये गये थे।

- गुजरात , कर्नाटक, पंजाब और पश्चिम बंगाल राज्यों में तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और पांडिचेरी केन्द्र शासित प्रदेश में मिनी किटों के वितरण पर कार्यान्वयन एवं पर्यवेक्षण का अभाव था तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन समितियां जिन्होंने मिनीकिटों के संवितरण के प्रभाव का मूल्यांकन करना था कर्नाटक, पंजाब और सिक्किम में गठित नहीं की गई थी।

- असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और जम्मू और काश्मीर, पंजाब तमिलनाडू और पश्चिमी बंगाल के राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में बीज मिनीकिटों के साथ ही जो बिना संवर्धन के पैकटों के न आपूर्त किए जाने और कम / अधिक आपूर्त किए जाने के मामले थे।

- कार्यक्रम के क्षेत्र से 1985-86 से "ईंधन

और फल का वितरण" घटक बंद कर दिये जाने के बावजूद कई राज्यों द्वारा इस घटक पर 10 करोड़ रूपये ऊपर खर्च किये गये थे।

- आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, मनीपुर, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में पौधों की उत्तरजीविता के अभिलेखे नहीं रखे गए थे।

- आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, केरल और और मध्य प्रदेश में भूमि विकास घटक पर व्यय नगण्य था। केरल में लाभकर्त्ताओं की बिना पहचान किए तथा विकास किए जाने वाले क्षेत्रों का सर्वेक्षण किए बिना 277.10 लाख रूपये भूमि विकास निर्माण कार्यों पर खर्च किए गए थे। राशि केवल भूमि बंधक बैंकों द्वारा जारी किए प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की गई थी और न कि लाभकर्त्ताओं द्वारा किए गए निर्माण कार्यों की उचित जांच पड़ताल और मूल्यांकन करने के बाद ।

- केन्द्र, राज्य तथा जिला स्तरों पर कार्यक्रम के प्रभावी प्रबोधन का अभाव था।

- हरियाणा और पंजाब को छोड़ कर जहां आंशिक अध्ययन किये गये थे अन्य किसी भी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में छोटे एवं सीमित किसानों के आर्थिक विकास में कार्यक्रम का प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए मूल्यांकन का संचालन करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया था।

4.5 कार्यक्रम की रूप रेखा

4.5.1 निम्नलिखित कार्यकलापों के माध्यम से लक्ष्य प्राप्त किये जाने थे :-

(1) लघु सिंचाई निर्माण कार्य।

(2) नमी संरक्षण मूल पद्धति अवरोधक बांधों की रूपरेखा का निर्माण ढलान के अंत में हल रेखा के अंतिम छोर का बनाना, छोटे अवरोधक बांधों का बनाना, आदि जैसे भूमि विकास निर्माण कार्य,

(3) उन्नत किस्म के दालों, तिलहनों और मोटे अनाजों के मिनीकिटों और उर्वरकों के मिनीकिटों का वितरण,

(4) ईंधन तथा फल वृक्षों का रोपण ।

4.5.2 कार्यक्रम पर व्यय केन्द्र तथा राज्य सरकारों के बीच बराबर बांटा गया था। केन्द्र शासित प्रदेश के मामले में सारा व्यय केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया गया था।

4.5.3 आर्थिक सहायता का प्रतिमान: प्रत्येक ब्लाक के लिए 5 लाख रूपये का एक वार्षिक परिव्यय उपलब्ध किया जानाथा। परिव्यय का संघटकानुसार ब्यौरा 7:1:2 के अनुपात में था जैसा कि नीचे दर्शाया गया है :

संघटक		1983–84और 1984–85	1985–86 के बाद
§1§	लघु सिंचाई निर्माण कार्यों पर आर्थिक सहायता	3.50	3.50
§2§	फल तथा ईंधन के वृक्षारोपण पर आर्थिक सहायता	0.50	हटा ली गई
§3§	तिलहनों और दालों, भूमि विकास एवं कर्मचारियों की लागत हेतु बीजों तथा उर्वरकों के मिनीकिटों का मुफ्त वितरण	1.00	—
§4§	तिलहनों, दालों तथा मोटे अनाज की फसल के लिए बीजों के मिनीकिटों का मुफ्त वितरण	—	0.50
§5§	प्रत्येक ब्लाक हेतु 4000 रूपये तक प्रतिबंधित कर्मचारियों की लागत सहित भूमि विकास	—	1.00

जबकि राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों के पास एक ब्लाक के अंदर एक संघटक से दूसरे संघटक को निधियों के निपथन की सुविधा थी, प्रत्येक ब्लाक के लिए 5 लाख रूपये के कुल वार्षिक परिव्यय को परिवर्तित नहीं किया जाना था। तथापि, लघु सिंचाई के बीच 7:1:2 के निवेश का संघटकानुसार भाग मिनीकिटों तथा कर्मचारियों सहित भूमि विकास को जिला स्तर पर रखा जाना था।

4.5.4 केन्द्रीय आर्थिक सहायता राज्यों को जारी की गई थीं जिन्हें बदले में अपने उपयुक्त भाग सहित निधियों को जि ग्रा वि अ/ निस्पंदन विभागों के अधिकार में रखना था। केन्द्र शासित प्रदेश को जारी की गई केन्द्रीय सहायता को भी जि ग्रा वि अ /निस्पंदन विभागों के अधिकार में रखना था।

4.5.5 कार्यक्रम के अंतर्गत , लाभ प्राप्त कर्त्ताओं को लघु सिंचाई और भूमि विकास संघटकों हेतु ऋण संयुक्त आर्थिक सहायतायें उपलब्ध की गई थीं। आर्थिक सहायता की सीमा निम्न प्रकार थी :

कृषकों की श्रेणी	आर्थिक सहायता की दर		
	व्यक्तिगत लाभ योजनाएं	सामुदायिक निर्माण कार्य	अधिकतम सीमा
छोटे किसान	25 प्रतिशत	एक अनुमोदित निर्माण कार्य की पूंजीगत लागत का 50 प्रतिशत लाभप्राप्तकर्त्ता को सविभाजनीय	3,000 रू. §सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम क्षेत्रों के संबंध में 4,000 रूपये§
सीमांत किसान अनुसूचित जनजाति	33 $\frac{1}{3}$ प्रतिशत	वही	वही
किसान	50 प्रतिशत	वही	5,000 रूपये

बीजों तथा उर्वरकों के मिनीकिट तथा ईंधन और फल वृक्षों के पौधे मुफ्त अथवा आर्थिक सहायता की घटी दरों पर वितरित किये गये थे।

1985-86 से व्यक्तिगत लघु सिंचाई निर्माणकार्यों के संबंध में अधिकतम सीमाएं समाप्त कर दी गई थी और आर्थिक सहायता की निर्धारित दरें अर्थात 25 प्रतिशत अथवा 33 $\frac{1}{3}$ प्रतिशत अथवा 50 प्रतिशत§ जैसे कि देश में विभिन्न कृषि मौसमी क्षेत्रों के लिए कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक §कृ ग्र वि रा बैं§ द्वारा निर्मित की गई परियोजना की इकाई कीमत पर प्रयुक्त की गई थी। असफल रहे कुओं के संबंध में व्यक्तियों को 1000 रूपये तक की आर्थिक सहायता भी ग्राह्य थी ।

4.6 नियोजन

4.6.1 अंतर्विष्ट कमजोरी : कार्यक्रम में जैसा कि विचार किया गया था नीचे लिखे पहलुओं अनुसार अंतर्विष्ट कमजोरियां थी:

§1§ कार्यक्रम प्रारंभ किए जाने के समय अन्य राज्य योजनाओं के अतिरिक्त अन्य केन्द्रीय प्रायोजित/केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाएं जैसे स ग्रा वि का, मरूस्थल विकास कार्यक्रम, §म वि का§, सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम §सू ग्र क्षे का§, राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना §रा ति वि प§, राष्ट्रीय दाल विकास कार्यक्रम § रा दा वि का§ जिनके उसी प्रकार के अथवा अंशछादित संघटक थे और जो छोटे एवं सीमांत किसानों के एक भाग को आवृत्त करते थे पहले से ही चल रही थीं। जबकि स ग्रा वि का, म वि का , और सू ग्र क्षे के कार्यक्रमों में लघु सिंचाई, भूमि विकास वन विद्या, आदि सम्मिलित थी, रा ति वि प और रा दा वि का में तिलहनों तथा दालों के छोटे किटों का छोटे एवं सीमांत किसानों में संवितरण सम्मिलित था। स ग्रा वि का, म वि का और सू ग्र क्षे का ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कार्यान्वित किये गये थे, अन्य दो कार्यक्रम कृषि

मंत्रालय §कृषि एवं सहकारिता विभाग § द्वारा कार्यान्वित किये गये थे। कार्यक्रम प्रारंभ किए जाने के तुरंत बाद उस समय के ग्रामीण विकास मंत्रालय §इस समय कृषि मंत्रालय के अन्तर्गत ग्रामीण विकास विभाग§ द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के एक जैसे संघटकों के ऐकीकरण की आवश्यकता अनुभूत की गई थी। योजना आयोग ने भी अवलोकित किया था कि स ग्रा वि का से सुसंगत कार्यक्रम के संघटकों को स ग्रा वि का में विलीन कर देना चाहिए। तथापि, ये कार्यक्रम अलग थलग चलते रहे थे।

§2§ छोटे एंव सीमांत किसानों की ब्लाकों में संख्या का ध्यान रखे बिना ही प्रति ब्लाक वर्ष 5 लाख रूपये की निधियां एक रूप आधार पर निर्धारित की गई थीं। इससे विभिन्न राज्यों के बीच निधियों का निर्धारण असमान रहा। तदनुरूप निधियों का औसत वार्षिक निर्धारण प्रति छोटे/सीमांत किसान 28.67 रूपये §आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश § तथा 148.6। रूपये §पंजाब§ के बीच विसंगति पूर्ण रहा ।

§3§ इस तथ्य को ध्यान में रखने पर कि देश में 661.94 लाख छोटे एवं सीमांत किसान थे §कृषि जनगणना 1980-81§, 1983-84 में 250 करोड़ रू. का और 1984-85 के बाद से 200 करोड़ रू. का विनियोजन, 1983- 84 में 38 रूपये प्रति लाभ प्राप्त कर्त्ता और उसके बाद 30 रूपये प्रति लाभ प्राप्त कर्त्ता कोई प्रभावी असर हेतु अति अल्प था।

§4§ क्षेत्रों की सम्बद्ध सिंचाई आवश्यकताओं अथवा भूमिजल स्तरों के पहले से ही अत्याधिक उपभोग की स्थिति का ध्यान किए बिना ही लघु सिंचाई हेतु निधियां 3.50 लाख रूपये प्रति ब्लाक की एक समान दर पर निर्धारित की गई थी। कृषि पर राष्ट्रीय आयोग ने अपनी रिपोर्ट §1976§ में आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र, बिहार में बिहार शरीफ क्षेत्र, गुराजत में कच्छ और मेहसाना जिले, हरियाणा में करनाल जिले, पंजाब में लुधियाना जिले, राजस्थान में झुंझुनू जिला और खरकर घाटी तथा तमिलनाडू में कोयमबटूर, मदुरई, उत्तरी अरकार, और सेलम जिले के क्षेत्रों के बारे में विशेष रूप से उल्लेख किया था तथा सिफारिश की थी कि भूमिजल का इससे आगे शोषण सिर्फ घरेलू एवं औद्योगिक प्रयोग हेतु किया जाये और वह भी उसे सभी व्यवहारिक उपायों से पुनः पूर्ण किए जाने के पग उठाने के बाद।

§5§ कार्यक्रम में कृषि मौसमी स्थितियों का भेद किए बिना तिलहनों तथा फलों के मिनीकिटों का संवितरण शामिल था तथा सभी ब्लाकों में उन्नत किस्म के उपलब्ध सत्यापित बीजों का संवितरण किया जाना था, जिस से तिलहनों/दालों के उत्पादन हेतु उच्च शक्ति धारी क्षेत्रों में बीजों की उपलब्धता घट गयी ।

4.6.2 कार्यकारी दल की टिप्पणियां: सातवी पंचवर्षीय योजना को सूत्रबद्ध करने के लिए कृषि उत्पादन के कार्यकारीदल ने अन्य बातों के साथ साथ सितम्बर 1984 में निम्न टिप्पणियां व्यक्त की थीं:

§1§ कृषि मंत्रालय के साथ साथ ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कुछ एक संख्या में योजनाएं तथा कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे थे जो कि क्षेत्रीय आधार पर थे तथा भूमि संसाधन विकास की ओर अभिमूख थे। इन योजनाओं और कार्यक्रमों में ध्यान देने योग्य अंशदान था। राज्यो ने लेखे रखने तथा विवरण देने के विविध कार्यों के ध्यान देने में कठिनाई अनुभव की थी। इन कार्यक्रमों को संघटित किए जाने तथा राज्यों को केवल एक कार्यक्रम के माध्यम से वर्षा पोषित कृषि विकास हेतु निधियां एक रास्ते से दिये

जाने की स्पष्ट आवश्यकता थी।

§2§ प्रसार, क्रेडिट, निवेश सुपुर्दगी, जल प्रबंध मृदा संरक्षण और अन्य जैसे क्षेत्रों में संस्थाएं तकनीकी तथा प्रबंधन की दृष्टि से कमजोर थी।

§3§ भूमि जल की शक्ति का विकास अत्यधिक असमतल था । जबकि हरियाणा और पंजाब वाले उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र शक्ति के 80 प्रतिशत तक पहुंच गए थे, बिहार में प्रतिशतता लगभग 35, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल में लगभग 20 और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में बहुत कम थी। भूमि तथा भूतल जलों का वैज्ञानिक तरीके से सयुंक्त प्रयोग अभी प्राप्त किया जाना था।

§4§ मौजूदा ढांचे में भूमिजल शोषण की रफ्तार को बढ़ाने की क्रिया में अनेक रूकावटें थी। उन में से कुछ इस प्रकार थीं:

§क§ दोषपूर्ण भूमि अभिलेखों के परिणामस्वरूप किसान बैंक ऋण प्राप्त नहीं कर पा रहे थे;

§ख§ देर से प्राप्त बिजली कनैक्शन किसानों द्वारा किए गए निवेश को अव्यवहारिक कर रहे थे और सम्भावित खराबियों की ओर ले जा रहे थे; तथा

§ग§ पूर्वी क्षेत्र में बहुत अधिक टुकड़े तथा अनार्थिक जोत किसी एक किसान को ऐसे निवेश आदि लेना असंभव कर रही थी।

§5§ बीज एक मूल एंव आधारीय आवश्यकता थी, और जब तक बीज की गुणवत्ता तथा उपज शक्ति सुनिश्चित नहीं की जाती कोई अन्य प्रयत्न जैसे पुष्टिकारकों का उपयोग, सिंचाई, पौधों की सुरक्षा, श्रम आदि व्यर्थ जायेंगे। सत्यापितबीज की उपलब्धता अत्यंत अल्प थी ।

§6§ कई राज्यों में पयविक्षकों के पद या तो शीघ्रता से बनाए नहीं गये थे अथवा जब बनाए गए थे वे भरे नहीं गये थे। यह महसूस नहीं किया गया था कि बिना क्षेत्रीय निरीक्षण के प्रसार प्रक्रिया में किया गया सम्पूर्ण निवेश निष्फल था।

§7§ प्रत्येक क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार कौशल परिरूप तैयार किया जाना चाहिए था।

आवश्यक सुधार उपाय विशेषकर विभिन्न कार्यक्रमों को संघटित करने, भूमि जल के शोषण, सत्यापित उन्नत किस्म के तिलहनों तथा दालों के बीजों की उपलब्धता कराने के संबंध में सर्वोत्तम प्रयत्न, तथापि, कार्यक्रम जारी रखने के साथ नहीं किए गए थे।

4.6.3 राज्य स्तरीय नियोजन: जैसा कि मंत्रालय द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शनों में बताया गया था, कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ प्राप्तकर्त्ताओं की पहचान उनकी भूमि धारिता के आधार पर की जानी थी। राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश को प्रत्येक ब्लाक में विकास हेतु लिए जाने वाले क्षेत्रों की पहचान शुष्क भूमि पर कृषि वाले क्षेत्रों में छोटे पहचाने गए जलस्रोतों को वरीयता देते हुए करनी थी। एक ब्लाक को जिसे विशेष भूमि जल विकास का लाभ प्राप्त नहीं हुआ था उन ब्लाकों पर जिसमें भूमि जल विकास विशेष हुआ था वरीयता देनी थी। राज्य/ के शा प्र को जिले, एक क्षेत्र हेतु पूरे राज्य के लिए, भूमि जल शक्ति की

उपलब्धता पर निर्भर करते हुए लघु सिंचाई के लिए उपयुक्त परियोजनाएं भी तैयार करनी थी। भाग लेने वाले बैंकों तथा अभिकरणों की भी पहचान की जानी थी तथा उनके लिए लक्ष्य तय किए जाने थे और उन्हें परियोजना में ही समाविष्ट किया जाना था।

तथापि, यह देखा गया था कि बिहार, हिमाचलप्रदेश, मध्यप्रदेश और तमिलनाडू में लाभ प्राप्तकर्त्ताओं की पहचान उनकी भूमि धारिता के आधार पर नहीं की गई थी। बिहार , हिमाचल प्रदेश, जम्मू और काश्मीर, केरल , मध्यप्रदेश पंजाब, तमिलनाडू, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में कार्यक्रम के विभिन्न संघटकों के कार्यान्वित करने से पहले जरूरतमंद तथा वरीयता योग्य क्षेत्रों का कोई सर्वेक्षण अथवा पहचान नहीं की गयी थी। और भी आंध्र प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडू और उत्तर प्रदेश में कोई संबंध वार्षिक कार्य योजना तैयार नहीं की गई थी।

4.7 वित्तीय परिव्यय

4.7.1 परिव्यय : 1983-84 के दौरान 125 करोड़ रूपये के एक केन्द्रीय अंश सहित कार्यक्रम के अंतर्गत 250 करोड़ रूपये के एक परिव्यय पर विचार किया गया था। कार्यक्रम 100 करोड़ रूपये प्रति वर्ष के केन्द्रीय अंश सहित 1984-85 से बाद के दौरान जारी रहा था।

जैसा कि मंत्रालय द्वारा सूचित किया गया 1983-84 से 1987-88 के दौरान केन्द्रीय विमोचनों, राज्यों द्वारा मुहैय्या किये जाने वाले अनुरूपयोजी अंश तथा कुल व्यय के ब्यौरे निम्नवत थे:

(लाख रू. में)

वर्ष	केन्द्रीय विमोचन	राज्यों के कुल अनुरूप योजी अंश *	कुल उपलब्ध निधियां	कुल व्यय
1983-84	8500.00	8197.12	16697.12	10556.83
1984-85	8872.41	8549.24	17421.65	13195.23
1985-86	7479.60	7229.82	14709.42	17667.51
1986-87	5774.84	5684.09	11458.93	14241.80
1987-88	7259.00	7230.98	14525.98	12562.94 **

× केन्द्रीय विमोचन राज्यों के अनुपयोजी अंश से अधिक थे क्योंकि इसमें सं.शा क्षे को दी जाने वाली शत प्रतिशत सहायता शामिल थी।

× × असम, बिहार, हिमाचलप्रदेश, जम्मू और काश्मीर, मेघालय, सिक्किम, चंडीगढ़ तथा दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बारे में मार्च 1988 के लिए आंकडों को छोड़ते हुए ।

4.7.2 विमोचनों/व्यय की अधिकता : सामान्य वित्तीय नियमावली में विहित अनुदेशों के बावजूद कि प्रावधान जिसका लाभप्रद रूप से उपयोग नहीं किया जा सका अभ्यर्पण किया जाना था क्योंकि यह सरकार के हित के विपरीत था कि हड़बड़ी में अथवा अविचारणीय ढंग से एक मात्र इसलिए कि यह उपलब्ध या अथवा एक अनुदान को व्ययगत होने से बचाने के लिए धन खर्च किया जाये, मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश (1985-86), हरियाणा (1985-86), हिमाचलप्रदेश 1985-86 तथा 1987-88), जम्मू और काश्मीर (1984-85 तथा 1987-88), कर्नाटक (1986-87), केरल (1985-86 तथा 1986-87), मध्यप्रदेश, (1985-86 तथा 1986-87), महाराष्ट्र (1986-87), मणीपुर (1985-86 तथा 1987-88), उड़ीसा (1985-86 तथा 1986-87), पंजाब (1985-86), राजस्थान (1983-84 तथा 1985-86), सिक्किम (1985-86 तथा 1986-87) और पश्चिम बंगाल (1985-86 तथा 1986-87) को प्रत्येक वर्ष जारी की गई कुल निधियों में से वर्षों की अंतिम तिमाहियों के दौरान 50 प्रतिशत अथवा अधिक निधियां जारी की ।

इसी प्रकार से, वर्षों के एक मात्र मार्च के महीने में जारी की गई निधियां आंध्र प्रदेश (1986-87 तथा 1987-88), असम (1987-88), बिहार (1987-88), गुजरात (1983-84, 1986-87 तथा 1987-88), हरियाणा (1983-84 तथा 1987-88), हिमाचलप्रदेश (1983-84 तथा 1987-88), जम्मू और काश्मीर (1984-85 तथा 1987-88), कर्नाटक (1986-87 तथा 1987-88), केरल (1983-84, 1985-86 तथा 1987-88), मध्य प्रदेश (1983-84, 1986-87 तथा 1987-88), महाराष्ट्र (1985-86 से 1987-88), मणीपुर (1987-88), उड़ीसा (1985-86 से 1987-88), राजस्थान (1987-88), सिक्किम (1985-86 से 1987-88), तमिलनाडू (1985-86 से 1987-88), उत्तर प्रदेश (1987-88) तथा पश्चिम बंगाल (1986-87 को जारी की गई कुल निधियों की 25 प्रतिशत अथवा अधिक थी।

आंध्र प्रदेश (1983-84 तथा करीमनगर जिलें में 1985-86), बिहार (हजारी बाग, मुंगेर तथा मुज्जफर नगर जिलों में 1983-84 से 1987-88), गुजरात (1985-86), हिमाचल प्रदेश (21 इकाइयों में 1983-84 से 1986-87) , जम्मू और काश्मीर (अनंत नाग, बारामुला तथा जम्मू जिलों में 1983-84, 1985-86 से 1987-88) तथा सिक्किम (1983-84 से 1987-88) में प्रत्येक वर्ष मार्च के महीने के दौरान कुल व्यय का 25 प्रतिशत अथवा अधिक खर्च किया गया था। केरल तथा पंजाब में (भूमि विकास संघटक के संबंध में भंटिडा, जालंधर तथा लुधियाना जिलों में) मार्च के महीने के दौरान व्यय 19 तथा 100 प्रतिशत के बीच वर्गीकृत था।

4.7.3 अंतिम व्यय के रूप में माने गये अग्रिम: निम्नलिखित मामलों में कार्यकारी एजेंसियों के पास 2921.66 लाख रूपये के पड़े हुए अग्रिम अन्तिम व्यय के रूप में दशाये गये थे। :

राज्य का नाम	अवधि	अंतिम व्यय के रूप में दशाये गये अग्रिमों की राशि (लाख रू. में)	टिप्पणियां
आंध्रप्रदेश	1986-87 से 1987-88	960.00	
असम	1983-84 से 1987-88	841.00	
बिहार	1983-84 से 1987-88	143.95	नमूना जांच किये गये चार जिलों के बारे में स्थिति
कर्नाटक	1986-87	13.10	केवल धारवार जिले में
केरल	1987-88 के अंत में	337.23	राशि खर्च नहीं की गई थी अपितु बैंक में जमा की गई थी
मध्यप्रदेश	1987-88	323.99	राशि अनियमित रूप से सिविल निक्षेप को क्रेडिट की गई थी

1	2	3	4
उड़ीसा	1985-86 से 1987-88	5.85	
सिक्किम	1983-84 से 1987-88	7.85	
उत्तर प्रदेश	1984-85 से 1987-88	289.98	
	जोड़:	2922.95	

4.7.4 निधियों का विपथन: अभिलेखों की एक नमूना जांच से प्रकट हुआ कि 1016 लाख रू. से अधिक रूपये जैसे कि परिशिष्ट-3 में वर्णित किये गये हैं, विभिन्न राज्यों द्वारा कार्यक्रम के क्षेत्र से बाहर योजनाओं एवं उद्देश्यों का विपथित कर दिये गये थे।

4.7.5. अग्रिमों का असमायोजन/बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र: अभिलेखों की एक नमूना जांच से पता चला कि 7323 लाख रूपये से अधिक के अग्रिमों का समायोजन/उपयोगिता प्रमाणपत्र जैसा कि परिशिष्ट-4 में वर्णित है विभिन्न कार्यकारी एजेंसियों से प्रतीक्षित थे।

4.7.6 परिदान की अदायगी

(i) नकद भुगतान: निम्नलिखित मामलों में 410.47 लाख रूपये के परिदान का ऋणों के संवितरण के समय बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से देने की बजाय जैसा कि कार्यक्रम में विचारा गया था लाभ भोगियों को सीधे नकद भुगतान किया गया था:

राज्य का नाम	जिला	वर्ष	परिदान की राशि (लाख रूपयों में)	टिप्पणियां
बिहार	हजारीबाग, मुंगेर तथा मुजफ्फरपुर	1983-84 से 1987-88	363.97	भुगतान हजारीबाग (145.23 लाख रू.) तथा मुंगेर (152.14 लाख रू.) में खंड विकास अधिकारियों के माध्यम से तथा मुजफ्फरपुर (66.60 लाख रू.) जि.ग्रा.वि.ए द्वारा किया गया था।

1	2	3	4	5
हिमाचलप्रदेश	कांगरा, मण्डी तथा सोलन	1985-86 से 1987-88	15.47	सरकारी निधियों में से भूमि संरक्षण इकाईयों§ मंडी, पालम पुर, देहरा तथा नालागढ़§ द्वारा प्रदत्त।
सिक्किम	राज्य पूर्ण रूप से	1983-84 से 1987-88	14.85	3034 लाभभोगियों, ने जिनको परिदान का भुगतान किया गया था, वित्तीय संस्थाओं से कोई ऋण नहीं लिया गया था।
त्रिपुरा	-	1984-85 से 1987-88	16.18	लघु सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण §ल.सि.बा.नि§ मंडलों द्वारा प्रदत्त। पम्पसैटों की प्राप्ति के कारण प्रमाण में किसानों से पावती ल.सि.बा.नि.मंडलों/जि ग्रा वि ए के पास उपलब्ध नहीं थी। पम्पसैटों के समुचित उपयोग के रूप में अनुवर्ती कार्यवाही भी नहीं की गई थी।
	जोड़ :		410.47	

(2) किसानों को पहचान किये बिना भुगतान: पंजाब में, परिदान उन छोटे किसानों एवं सीमांत किसानों को देय था जिनके पास क्रमश: एक हैक्टेयर अथवा कम तथा 0.5 हैक्टेयर श्रेणी-I की सिंचित भूमि थी। जहां पर भूमि सिंचित थी परन्तु श्रेणी-I किस्म की नहीं थी, दो हैक्टेयरों की एक अधिकतम सीमा तक एक उपयुक्त परिवर्तन अनुपात अपनाया जाना था। राजस्व अभिलेखों के अनुसार, भटिंडा जिले में भूमि का 82.8 प्रतिशत सिंचित की गई थी। परन्तु किसानों की पात्रता को सुनिश्चित करने के लिए कोई राज्य सरकार द्वारा परिवर्तन अनुपात नहीं अपनाया गया था । परिणामत:, एक हैक्टेयर/0.5 हैक्टेयर से अधिक सिंचित भूमि वाले किसानों को छोटे/सीमांत किसानों के रूप में माना गया था तथा उन्हें 4.09 लाख रूपये का परिदान दिया गया था। मुख्य कृषि अधिकारी भटिंडा ने मई 1988 में बताया कि यद्यपि भूमि की नहरों (69 प्रतिशत) तथा ट्यूबवैलों (14 प्रतिशत) द्वारा सिंचाई की गई थी, फसलों के लिए पर्याप्त नहीं मानी गई थी।

पश्चिम बंगाल में 1986-87 तथा 1987-88 के दौरान भूमि विकास तथा लघु सिंचाई की 74 परियोजनाओं के लिए लाभ भोगियों की पहचान किये बिना 43.27 लाख रूपये के परिदान (मिदनापुर: 25.14 लाख रूपये तथा मालदा : 18.13 लाख रूपये) का व्यय किया गया था। परिणामस्वरूप जिस दर पर भुगतान किया गया था सत्यापित नहीं की जा सकी।

(3) अपात्र किसानों को भुगतान आंध्र प्रदेश (महबूब नगर जिला) तथा महाराष्ट्र (अकोला, धुले तथा नासिक जिले) में 1983-84 से 1985-86 तथा 1983-84 से 1987-88 के दौरान 210 तथा 545 लाभ भोगियों को जिनकी भूमिधारिताएं निर्धारित सीमाओं से अधिक थी, क्रमश: 6.62 लाख रूपये तथा 5.05 लाख रूपये का परिदान अदा किया गया था।

कर्नाटक में 1986-87 तथा 1987-88 के दौरान 246 फार्म तालाब अधिग्रहित किये गये थे। इनमें से, कोडगु जिले में 12 तालाबों सहित 26 फार्म तालाब (लागत 2.95 लाख रूपये) बड़े किसानों की भूमि में स्थित थे तथा छोटे एवं सीमांत किसानों को लाभ नहीं पहुंचाते थे।

(4) परिदान की गलत दरों के लागू किये जाने के कारण अधिक भुगतान: कार्यक्रम के अंतर्गत छोटे किसानों, सीमांत किसानों तथा अनुसूचित जन जाति किसानों की परियोजना की लागत का क्रमश: 25 प्रतिशत, 33 $\frac{1}{3}$ प्रतिशत तथा 50 प्रतिशत की दर से परिदान का भुगतान अपेक्षित था। तथापि, आंध्र प्रदेश (करीम नगर जिला: 2.48 लाख रूपये), हिमाचल प्रदेश (कांगड़ा मण्डी तथा सोलन जिले: 4.19 लाख रूपये), जम्मू और काश्मीर (अखनूर, अनंत नाग, बारामुला, जम्मू, कठुआ, पुलवामा तथा उधमपुर जिले/इकाईयां: 4.59 लाख रूपये), मध्यप्रदेश (जबलपुर जिला: 1.35 लाख रूपये) तथा राजस्थान (भरतपुर एवं सवाई माधोपुर जिले: 1:76 लाख रूपये) में 1983-84 तथा 1987-88 के बीच परिदान की निर्धारितों से अधिक दरों को अनुमत करते हुए लाभ भोगियों को 14.37 लाख रूपये की अधिक राशि अदा की गई थी।

आगे, निर्धारित प्रतिशतताओं से सीमित किये बिना आंध्र प्रदेश वारंगल जिला: 21.95 लाख रूपये) में परियोजना की लागत को 80 प्रतिशत पर, बिहार (मुजफ्फरपुर जिला) में 85 प्रतिशत(42.18 लाख रूपये) तथा 100 प्रतिशत (45.45 लाख रूपये) पर और राजस्थान (88.08 लाख रूपये) में 100 प्रतिशत पर, 197.66 लाख रूपये का परिदान किया गया था। यह भी मानते हुए कि सभी लाभग्राही अनुसूचित जनजाति किसानों से संबंधित थे जो

परियोजनाओं की लागत के 50 प्रतिशत की अधिकतम दर से परिदान के लिए पात्र थे, तो भी परिदान का अधिक भुगतान 92.37 लाख रूपये बनेगा।

§5§ सामुदायिक परियोजनाओं के प्रति अनियमित अदायगियां : यद्यपि सामुदायिक सिंचाई कार्य वहां चालू किये जाने थे जहां 50 प्रतिशत से अधिक भूमि मालिक §कम से कम 10 किसान § छोटे एवं सीमांत थे तथा उनके पास भूमि के 25 प्रतिशत से कम नहीं थी, फिर भी निम्नलिखित मामलों में उपरोक्त शर्तों की अनुपालना नहीं की गई थी तथा इस प्रकार से इन कार्यों को सामुदायिक कार्य मानकर परिदान का भुगतान अनियमित था।

यद्यपि आंध्र प्रदेश में सामुदायिक सिंचाई कार्य के मामले में कम से कम 10 किसानों के सीमा क्षेत्र पर विचार किया गया था, इसके अनंतपुर चित्तूर, पूर्वी गोदावरी, गन्टूर तथा महबूबनगर जिलों में अनुसूचित जाति सेवा सहकारी समिति द्वारा किये गये 246। कार्यों के मामले में तथा आंध्र प्रदेश राज्य सिंचाई विकास निगम §आ रा सिं वि नि§ द्वारा निष्पादित 164 कार्यों में अनुपालना नहीं की गई थी। इसके परिणामस्वरूप, 1983-84 से 1987-88 के दौरान 268.63 लाख रूपये के परिदान का अनियमित भुगतान हुआ।

कारीम नगर तथा महबूबनगर दो जि ग्रा वि ए में, 1983-84 से 1987-88 के दौरान परिसम्पत्ति की लागत के 50 प्रतिशत की दर से 43 कुओं की खुदाई तथा समुदाय कुओं के लिए 762 पम्पसैटों, विद्युत मोटरों/डीजल इंजनों के प्रावधान के लिए 26 लाख रूपये राशि का परिदान अदा किया गया था। ये कार्य सामुदायिक सिंचाई कार्य नहीं थे क्योंकि सामुदायिक कार्यों के लिए अपेक्षित 10 छोटे एवं सीमांत किसानों का न्यूनतम सीमा क्षेत्र का पालन नहीं किया गया था।

जि ग्रा वि ए, करीमनगर ने 98 अनुसूचित जन जाति के किसानों को अनन्य लाभ पहुंचाने हेतु जिनमें से 50 छोटे एवं सीमांत किसान थे 21.30 लाख रूपये की एक अनुमानित लागत पर जगन्नादपुर में गोदावरी नदी परएक लिफ्ट सिंचाई योजना का उत्तरदायित्व लेने हेतु आ रा सिं वि नि को 11.80 लाख रूपये §फरवरी 1984:2 लाख रूपये; मार्च 1988: 9.80 लाख रूपये§ का परिदान अदा किया। छोटे एवं सीमांत किसानों को अनुभाजनीय लागत उनके भूमि स्वामित्वों §"आयकुत" में 681 एकड़ों में से 245 एकड़§ के आधार पर 7.66 लाख रूपये परिकलित की गई। कार्य, विलंबों तथा योजना को किफायती बनाने हेतु परिदान की अधिक राशि की आवश्यकता के कारण मई 1988 तक प्रारंभ नहीं किया गया था। अनुभाजनीय लागत के 50 प्रतिशत पर देय 3.83 लाख रूपये के परिदान के प्रति कुल अदा किया गया परिदान 11.80 लाख रूपये था जिसके परिणामस्वरूप 7.97 लाख रूपये के परिदान का अधिक भुगतान किया गया।

गुजरात में जि ग्रा वि ए बडोदरा ने लाभ भोगियों की सूचि से कुछ बड़े किसानों को निकालते हुए जबकि उनकी भूमि आयकुट के अंदर थी, 14 लघु सिंचाई कार्यों के लिए 1984-85 तथा 1985-86 के दौरान गुजरात जल संसाधन विकास निगम §गु ज सं वि नि§ को 19.17 लाख रूपये अदा किये। इससे छोटे एवं सीमांत किसानों के भूमि स्वामित्व की प्रतिशतता बढ़ गयी तथा परिणामस्वरूप 2.98 लाख रूपये के परिदान की अधिक अदायगी हुई। जि ग्रा वि ए, अप्रैल 1988 में गु ज सं वि नि से समापन प्रमाण पत्र की प्राप्ति पर आवश्यक वसूली करने हेतु सहमत हो गयी।

जम्मू और काश्मीर में 31 सामुदायिक परियोजनाओं पर यह निश्चित करने के लिए कि क्या इन मामलों में सामुदायिक कार्यों की शर्तें पूरी की गई थी 1986-87 तथा 1987-88 के दौरान उधमपुर जिले में 1.74 लाख रूपये तथा कथुवा जिले में 0.55 लाख रूपये का व्यय किया गया था।

बारामुला जिले में, छोटे एवं सीमांत किसानों के भूमि स्वामित्वों की संख्या तथा मात्रा का निर्धारण किये बिना सामुदायिक भूमि विकास कार्यों को चालू करने के लिए 1986-88 के दौरान 1.61 लाख रूपये का परिदान अदा किया गया था। परिणामस्वरूप लेखा परीक्षा में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या इन कार्यों के लाभ लक्षित वर्ग तक पहुंच चुके थे।

कर्नाटक में, यद्यपि छोटे एवं सीमांत किसानों से संबंधित भूमियों के विकास पर किये गये व्यय का भाग ही केवल केन्द्रीय सहायता के योग्य था तथापि, विभाग ने छोटे एवं सीमांत किसानों की भूमि की अनुभाजनीय भूमि विकास कार्यों की लागत परिकलित नहीं की । राज्य सरकार ने 1985-86 से 1987-88 के दौरान किये गये 394.57 लाख रूपये के समस्त व्यय के 50 प्रतिशत अंश का दावा किया। छोटे एवं सीमांत किसानों की भूमि के विकास से संबंधित व्यय के हिस्से के अभाव में, केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिक अनुदान की सही राशि सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

उड़ीसा में, 42 मामलों में, लघु सिंचाई कार्यों की अनुभाजनीय लागत के 50 प्रतिशत , 32.64 लाख रूपये के प्रति, उड़ीसा लिफ्ट सिंचाई निगम लिमिटेड को 1984-85 और 1985-86 के दौरान 56.32 लाख रूपये का परिदान जारी किया गया था। इसके परिणामस्वरूप 23.68 लाख रूपये (पुरी में 5 मामलों के लिए 1.08 लाख रू. तथा कटक जिले में 37 मामलों के लिये 22.60 लाख रूपये) अधिक जारी किये गये ।

राजस्थान में, इसको 50 प्रतिशत तक सीमित करने की बजाए जि ग्रा वि ए ने छोटे एवं सीमांत किसानों की भूमि अनुभाजनीय सामुदायिक लिफ्ट सिंचाई परियोजनाओं की समस्त लागत परिदान के रूप में अदा कर दी । समस्त राज्य के लिए योजना को अनियमित रूप से प्रभावित सही राशि सामुदायिक लिफ्ट सिंचाई योजनाओं के लिए अलग लेखों का अनुरक्षण न करने के कारण सुनिश्चित करने योग्य नहीं थी। तथापि, छः जिलों में से भीलवाड़ा सवाई माधोपुर तथा उदयपुर जिलों में (नमूना जांच किये गये) कार्यक्रम निधि से अनियमित रूप से निकाली गई राशि, 41.39 लाख रूपये परिकलित की गई थी।

(6) भुगतानों में विलंब: परिदान का समायोजन बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा लाभ भोगियों को ऋण का भुगतान करते समय किया जाना अपेक्षित था ताकि लाभ भोगियों को परिदान भाग पर ब्याज अदा करने की आवश्यकता न पड़े। तथापि, निम्न मामलों में परिदान के भुगतान में विलम्ब अवलोकित किया गया था:

बिहार में (मुंगेर, पटना तथा सिवन जिले), 1983-84 से 1986-87 से संबंधित 30.94 लाख रूपये के सकल परिदान 1987-88 में अदा किये गये थे। जि ग्रा वि ए, सिवन समस्त निधियां बैंक में रखने की बजाए ताकि सहायता के एकमुश्त संवितरण के समय परिदान भाग को डैबिट किया जा सके जैसा कि अपेक्षित था, समय-समय पर अंशत राशियां डाक घर बचत खाते में जमा करती रही। । जून 1988 को डाक घर बचत खाते में 83.78 लाख रूपये शेष था। इसी प्रकार से, मुजफ्फर पुर जिले के चार खंडों में, 6.97 लाख

रूपये का कुल परिदान या तो आगामी वर्ष में अथवा उसके भी बाद में अदा किया गया था।

पंजाब में, 1983–84 तथा 1986–87 के बीच अमृतसर तथा रोपड़ जिलों में वित्तीय संस्थाओं को लाभ भोगियों के लेखों में समायोजन के लिए 3.13 लाख रूपये का दिया गया परिदान मार्च 1988 तक समायोजित नहीं किया गया था। पुन: 6.84 लाख रूपये का परिदान 6 से 36 महीनों की अवधियों तक विलंब से समायोजित किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप लाभ भोगियों द्वारा 1.26 लाख रूपये के परिहार्य ब्याज का भुगतान किया गया ।

(7) नियत इकाई लागत से अधिक दरों पर परिदान का भुगतान: नमूना जांच किये गये निम्नलिखित मामलों में, परिदान का भुगतान मंत्रालय द्वारा नियत की गई इकाई लागत तक सीमित नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप 20 लाख रूपये से ऊपर का अधिक भुगतान हुआ :

राज्य का नाम	जिला कार्यान्वयन एजेंसियां	कार्य के ब्यौरे	वर्ष	निश्चित की गई इकाई लागत (रू. प्रति हैक्टेयर)	अनुमत की गई इकाई लागत	अधिक भुगतान (लाख रू.में)
हिमाचलप्रदेश	कांगडा तथा सोलन	भूमि विकास कार्य	1984–85 से 1987–88	300 तथा 1000 के मध्य	1650	2.13
सिक्किम	सम्पूर्ण राज्य	भूमि समतल करना	1983–84 से 1987–88	400 से 800	3750	9.86
		कटाव नियन्त्राण तथा आर्द्रता संरक्षण उपाय	1986–87 और 1987–88	600 से 1000	3750	1.07
त्रिपुरा	कृषि अधीक्षक, जिरानिया, मातार बाडी तथा मोहोनपुर	भूमि विकास	1983–84 से 1987–88	300 से 1000	2969	2.42
उत्तर प्रदेश	सभी जिले/जि.ग्रा.वि.अ.	भूमि विकास	(1) 1985–86	300 से 1000	15910	
			(2) 1986–87	उपरोक्त	10821	
पश्चिम बंगाल	मिदनापुर	ट्यूबवैलों का शोधन	1986–87	3600	5569	5.04
					जोड:	20.52

राजस्थान में, सामुदायिक लिफ्ट सिंचाई योजनाओं के लाभ भोगियों के आवेदन प्राप्त किये बिना जि ग्रा वि. ए . द्वारा 116.47 लाख रूपये राशि का परिदान संस्वीकृत अदा किया गया था। आवेदनों के अभाव में, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या लाभ भोगी वास्तव में परिदान के हकदार थे। जोधपुर जिले में, छोटे एवं सीमांत किसानों को जो कि पहले से ही मरूस्थल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत ट्यूबवैलों के निर्माण के लिए परिदान प्राप्त कर चुके थे, कार्यक्रम के लिए निधियों में से उन्हीं ट्यूबवैलों के लिए 8.19 लाख रूपये का पुनः परिदान दिया गया था।

कार्यक्रम के प्रावधान के अनुसार, छोटे एवं सीमांत किसान जो पहले ही एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत परिदान प्राप्त कर चुक थे किसी अन्य केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत उसी उद्देश्य के लिए परिदान के हकदार नहीं थे । तथापि, तीन जिलों में, कार्यक्रम के अंतर्गत अदा की गई लागत के 50 प्रतिशत की सीमा तक के परिदान के अतिरिक्त, किसानों को लागत का शेष 50 प्रतिशत जनजातीय क्षेत्र विकास/आशोधित क्षेत्र विकास कार्यक्रमों के लिए निधियों में से परिदान के रूप में दिया गया था। अनियमित रूप से प्रदत्त परिदान की राशि 21.80 लाख रूपये परिकलित की गई ।

4.7.7 ऋण का संवितरण

§1§ ऋण आवेदनों के निरस्तीकरण की उच्च दर: जि.ग्रा. वि.ए/ निष्पादन एजेंसियों द्वारा अनुशासित ऋण आवेदन पत्रों में से वित्तीय संस्थाओं द्वारा उनके निरस्तीकरण असंस्वीकृति की प्रतिशतता 37 से 46 §गुजरात : खेडा और सुरेन्द्र नगर जिलों में क्रमशः 1984-85 से 1987-88 तक 54 तथा 1984-85 में 55§, 47 §हरियाणा - अम्बाला, फरीदाबाद, हिसार तथा जींद जिलें: 1983-84 से 1987-88§, 45 §केरल-किलोन जिला: 1983-84 से 1987-88§, 41 §तमिलनाडु चिंगलपट्टु, मदुराई, उत्तरी आरकोट तथा तिरूचिरापल्ली जिले: 1983-84 से 1987-88 तथा 76 §त्रिपुरा दक्षिण त्रिपुरा: 1984-85 से 1987-88§ तक उच्च थी।

§2§ अन्य कमियां: आंध्र प्रदेश में, जि ग्रा वि ए पूर्व गोदावरी द्वारा 6 मंडलों में किये गये परिसम्पत्तियों के प्रत्यक्ष सत्यापन §नवम्बर 1987§ से 124 लाभ भोगियों में से जिन्होंने बैंकों से ऋण प्राप्त किये थे पुर्नअदायगी में 80 चूककर्त्ताओं का पता लगा । ऋणों की पुर्नअदायगी में चूक 64.52 प्रतिशत थी।

हिमाचलप्रदेश में, 1983-84 से 1987-88 के दौरान वित्तीय संस्थाओं की बजाए सरकारी निधियों से भूमि विकास कार्यों के लिए 54.16 लाख रूपये के ऋण दिये गये थे। आगे 27.08 लाख रूपये §50 प्रतिशत§ केन्द्रीय निधियों को प्रभावित किये गये थे तथा ऋण की वसूलियां राज्य राजस्वों को क्रेडिट की गई थी जो कि अनियमित थी।

बैंकों द्वारा निरस्तीकरण के लिए कारण, अन्य बातों के साथ साथ योजनाओं की अव्यवहार्यता, किसानों द्वारा चूक, ऋणों का फायदा उठाने हेतु लाभ भोगियों की अनिच्छा इत्यादि, बतायो गये थे। यह जि ग्रा वि ए निष्पादन एजेंसियों द्वारा अपर्याप्त जांच को इंगित करता है।

4.7.8 अन्य अभ्युक्तियां

आंध्र प्रदेश में, बैकों द्वारा संस्वीकृत ऋण के प्रति परिदान को जारी करने की विचारी गई प्रकिया के विपरीत, जि.ग्रा.वि.ए. ने बैंकों को ऋण

की संस्वीकृति हेतु एक मात्र सहमति पत्रों के आधार पर परिदान जारी किया था। तदनुरूप अनंतपुर जिले में जि ग्रा वि ए द्वारा 52.61 लाख रूपये का प्राप्त किया गया परिदान (1983-87) बैंकों द्वारा रोक लिया गया था (जून 1988)। आगे, चार जिलों में (अंनंतपुर : 9.46 लाख रूपये, चित्तूर: 29.35 लाख रूपये, करीम नगर: 7.80 लाख रूपये तथा महबूबनगर: 17.26 लाख रूपये (63.87 लाख रूपये का समग्र अप्रयुक्त परिदान, परिदान के जारी करने से पूर्व गामी ऋण की संसवीकृति हेतु प्रक्रियाओं की अनुपालना न करने के कारण समय समय पर बैंकों द्वारा लौटा दिया गया था (1983-88)। इस प्रकार से, प्रत्यक्ष तथा वित्तीय उपलब्धियां उस सीमा तक बढ़ाई गई थी जैसे कि राज्य सरकार वास्तविक उपलब्धियों की बजाए वापस किए गए अप्रयुक्त परिदान को प्रत्यर्पणों के रूप में लिए बिना जारी की गई संस्वीकृतियों के आधार पर सूचित कर रही थी।

बिहार में लघु सिंचाई कार्यों के निष्पादन जि ग्रा वि ए द्वारा किये जाने थे जिनके लिए निधियां जिला समाहर्त्ताओं द्वारा उपलब्ध की जानी थी। समाहर्त्ता, पटना ने 1983-84 से 1985-86 के दौरान कार्यक्रम के अंतर्गत लघु सिंचाई कार्यों के लिए 97.01 लाख रूपये की कुल राशि आहरित की । राशि जि ग्रा वि ए को जारी नहीं की गई थी (जून 1988)।

गुजरात में, जि ग्रा वि ए खेडा ने मार्च 1987 में भू ज सं वि नि के पक्ष में 8.73 लाख रूपये कुल राशि के दो चैक प्राप्त किये। कथित चैक भू ज सं वि नि को नहीं दिये गये थे क्योंकि व्यय आपत्ति के अधीन था। तथापि, जि ग्रा वि ए द्वारा 4.37 लाख रूपये की केन्द्रीय सहायता का दावा करते हुए 8.73 लाख रूपये 1986-87 के दौरान खर्च किए हुए दर्शाए गए थे। सितम्बर 1987 में, चैक रद्द किये गये थे तथा 8.73 लाख रूपये जि ग्रा वि ए की बहियों में प्राप्ति के रूप में लिए गए थे तथा 1987-88 के दौरान कार्यक्रम पर खर्च किये गये थे। 1987-88 के दौरान 8.73 लाख रूपये के व्यय के प्रति 4.37 लाख रूपये की केन्द्रीय सहायता का पुन: दावा किया गया था जिसके परिणामस्वरूप 4.37 लाख रूपये का दोहरा दावा किया गया ।

हरियाणा में तीन जिलों (अम्बाला: 1984-85 तथा 1985-86, फरीदाबाद: 1984-85 तथा हिसार: 1986-87 तथा 1987-88) में 4000 रूपये प्रति वर्ष प्रतिखंड की दर से स्टाफ पर 1.72 लाख रूपये के ग्राह्य व्यय के प्रति स्टाफ पर किया गया वास्तविक व्यय 2.91 लाख रूपये था। 1.19 लाख रूपये का अधिक व्यय केन्द्रीय सरकार से अनुमोदित नहीं कराया गया था।

कर्नाटक (धारवार जिले) में, 1985-86 तथा 1986-87 के दौरान किये गये अधिक भुगतान, दोहरे आहरण, इत्यादि के कारण 21.40 लाख रूपये के योग के , बैंकों द्वारा किये गये प्रतिदाय व्यय में कमी के रूप में नहीं लिए गए थे।

मणीपुर में, राज्य सरकार ने 30 मार्च

1987 को 26 माइक्रो-जलशेडों की अनुमानित लागत के राज्य के अंश के लिए, 12.99 लाख रूपये की एक राशि संस्वीकृत की तथा राशि को शीर्ष "848-अन्य निक्षेप" के अन्तर्गत जमा कर दिया। यह राशि 17 तथा 20 फरवरी 1988 को निकाली गई थी तथा 11.49 लाख रूपये जिला अधिकारियों को उपयोग के लिए संवितरित किये गये थे। 1.50 लाख रूपये की शेष राशि एक बैंक ड्राफ्ट के रूप में रखी गई थी। इसी प्रकार से, 1987-88 के लिए राज्य का अंश (19.46 लाख रूपये) मार्च 1988 में संस्वीकृत तथा आहरित किया गया था तथा एक चैक के रूप में रख लिया गया। 1987-88 के दौरान लघु सिंचाई पर 48.13 लाख रूपये के कुल व्यय में से 28.49 लाख रूपये की एक राशि मार्च 1988 में आहरित की गई थी और एक चैक के रूप में रखी गई।

उड़ीसा में, जि ग्रा वि ए, पुरी ने दिसम्बर 1984 में 23.08 लाख रूपये डाक घर बचत खाते में जमा किये तथा राशि तीन वर्षों से अधिक के लिए अप्रयुक्त रही।

पंजाब में, मुख्य कृषि अधिकारी, रोपड ने 1983-84 तथा 1986-87 के बीच खजाने में से 66.77 लाख रूपये आहरित किये तथा चालू खाते में जमा किये। 2 मार्च 1988 को चालू खाते में शेष यह इंगित करते हुए कि 63.15 लाख रूपये का परिदान संवितरित किया गया था परन्तु रोकड बही के अनुसार व्यय 62.02 लाख रूपये था तथा खंड-वार अभिलेखों के अनुसार 58.86 लाख रूपये था, रोकड बही के अनुसार 3.62 लाख रूपये था।

राजस्थान में, 1983-84 से 1986-87 के दौरान श्री गंगानगर में तथा 1983-84 से 1987-88 के दौरान जैसलमेर जिलों में कार्यक्रम के अंतर्गत लघु सिंचाई तथा भूमि विकास कार्यों पर कोई व्यय नहीं किया गया था।

सिक्किम में, 5.43 लाख रूपये के लिए पावतियों / रसीदों जैसे संवितरण के प्रमाण तथा राजस्व के रूप में 2.42 लाख रूपये प्रेषण के समर्थन में बैंक रसीदें लेखा परीक्षा को उपलब्ध नहीं कीगई थीं।

तमिलनाडू में, 4000 रूपये प्रति ब्लाक के हिसाब से स्टाफ पर 15.12 लाख रूपये की वार्षिक ग्राह्यता के प्रति कार्यक्रम निधियों में से कर्मचारियों के वेतन पर 1984-85, 1985-86, 1986-87 तथा 1987-88 में क्रमशः 58.58 लाख रूपये, 59.67 लाख रूपये, 62.70 लाख रूपये तथा 71.67 लाख रूपये व्यय किये गये थे।

त्रिपुरा में, खंड विकास अधिकारी, तेलियामुरा में जि ग्रा वि ए पश्चिम त्रिपुरा के पक्ष में कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए अव्ययित शेष के रूप में 1.01 लाख रूपये के लिए बैंक ड्राफ्ट आहरित किया था परन्तु जि ग्रा वि ए की बहियों में बैंक ड्राफ्ट का अता पता नहीं खोजा जा सका।

4.8 लघु सिंचाई

4.8.1 इस अवयव के अंतर्गत योजनाओं में खोदे गये कुओं/छिछले ट्यूबवैलों का निर्माण, कुओं का बेधन तथा गहरी खुदाई, पम्प सैटों का प्रतिष्ठापन विद्युतीय मोटर/इंजन, समुदाय सिंचाई कार्य जैसे गहरे ट्यूबवैलों, लिफ्ट सिंचाई आदि समाविष्ट थे।

कार्यक्रम के अंतर्गत आबंटन के एक मुख्य भाग (70 प्रतिशत) पर इस अवयव के लिए विचा

किया गया था। तथापि, अवयव के प्रभावी कार्यान्वयन की ओर दिए गए अपर्याप्त ध्यान को दर्शाते हुए इस अवयव का कार्यान्वयन ऊर्जस्विता की कमी के कारण ट्यूबवैलों/लिफ्ट सिंचाई कार्यों की अप्रयुक्तता, सिंचाई कुओं के लिए पम्प सैटों के अप्रावधान, लिए गए निर्माण कार्यों के उचित अभिलेखों के अननुरक्षण आदि जैसी विभिन्न कमियों से ग्रस्त था । लेखा परीक्षा में नमूना जांच में विभिन्न कमियां प्रकट हुई जो नीचे वर्णित है।

4.8.2 ऊर्जास्विता के अभाव में ट्यूबवैलों/सिंचाई कार्यों की अप्रयुक्तता निम्नलिखित मामलों में ऊर्जस्विता के अभाव में ट्यूबवैलों/सिंचाई कार्य के प्रयोग में नहीं लाये जा सके । ट्यूबवैलों की ऊर्जित न किये जाने की प्रतिशतता 5 और 100 के बीच वर्गीकृत थी:

राज्य का नाम	जिला	वर्ष	ट्यूबवैलों/सिंचाई कार्यों की संख्या		गैर उर्जित ट्यूबवैलों की प्रतिशतता	गैर ऊर्जित ट्यूबवैलों पर किया गया व्यय (लाख रू. में)	टिप्पणियां
			पूर्ण किए गए	गैर अर्जित			
आंध्र प्रदेश	सम्पूर्णराज्य	1983-84 से 1987-88	2,933	2,077	70	उपलब्ध नहीं	राज्य विभाग पास उपलब्ध नहीं
हरियाणा	भिवानी, फरीदाबाद तथा करनाल	1983-84 से 1985-86	1,495	780	52	24.22	
उड़ीसा		1983-84 से 1986-87	1,765 (लिफ्ट सिंचाई परियोजनाएं)	94 *	5	90.70*	1983-84 :3 1984-85 :11 1985-86 :52 1986-87 :28
राजस्थान	उदयपुर	1984-85 से 1987-88	58	37*	64	80.99*	1984-85 :6 1986-87 :16 1987-88 :15
तमिलनाडु	13 जिले	1983-84 से 1987-88	उपलब्ध नहीं	697	उपलब्ध नहीं		
पश्चिमबंगाल	मिदनापुर	1983-84 से 1987-88	86	86	100	5.59	

1	2	3	4	5	6	7	8
	नाडिया	1985-86 से 1986-87	18	18	100	0.22	

हिमाचल प्रदेश में, नौ सिंचाई कार्यों को उर्जित करने हेतु राज्य विद्युत बोर्ड को मार्च 1984 तथा मार्च 1986 के बीच 22.81 लाख रूपये अग्रिम में दिये गये थे। इन कार्यों का निष्पादन अभी शुरू किया जाना था (जुलाई 1988)।

4.8.3 सिंचाई कुओं के लिए पम्प सैटों का अप्रावधान: निम्न लिखित मामलों में, लाभ भोगियों को पम्प सैट उपलब्ध नहीं किये गये थे, जिससे 3,28,959 निर्मित सिंचाई कुओं का अप्रयोग हुआ:

राज्य का नाम	जिला	वर्ष	लघु सिंचाई कार्यों की संख्या	पंम्पसैटों के साथ उपलब्ध न किये गये कुओं/ बोरिगों की संख्या	व्यय लाख . रू. में	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7
बिहार	सम्पूर्णराज्य	1983-84 से 1987-88	2,46,000 (2,08,000 निजी बोरिंगों तथा 38,000 बड़े खोदे हुए कुएं)	1, 84,000	-	62000 पम्पसैटों की लागत शामिल करते हुए कुल किया गया व्यय 9890.06 लाख रूपये था।
गुजरात	बनासकंठा	1983-84 से 1987-88	1,670	1,670	45.62	जिग्राविए ने जून 1988 में बताया कि निधियों की कमी के कारण तथा अधिक लाभग्राहियों को आवृत करने के लिए या यह निर्णय लिया गया थाकि एक लाभग्राही को एक परिस म्पत्ति दी जावे।

1	2	3	4	5	6	7
उड़ीसा	सम्पूर्णराज्य	1984–85 से 1987–88	1,22,345 (15,983 खोदे गये कुंए, 5,370 ट्यूबवैल तथा 100,992 सामुदाय लघु सिंचाई कार्य)	1,11,921	नोडल विभाग के पास उपलब्ध नहीं	
उत्तरप्रदेश	सम्पूर्णराज्य	1984–85	1,86,355	31,368	941.04	1984–85 के दौरान किये गये 5481 बोरिंगों के संबंध में प्रतिष्ठापित पम्पसैटों की संख्या उपलब्ध नहीं थी।
			जोड़:	3,28,959		

4.8.4 पानी की रियायती दरों का अप्रभारण: यद्यपि मार्ग दर्शनों में विचारा गया था कि छोटे एवं सीमांत किसानों से पानी की दरें अन्य किसानों के लिए नियत की गई दरों के 50 प्रतिशत पर संग्रहित की जानी चाहिए, उनकों आंध्र प्रदेश (ए पी एस आई डी सी द्वारा) गुजरात (भू ज स वि नि तथा सहकारी समितियों द्वारा) तथा उड़ीसा में रियायती पानी दरों का लाभ नहीं दिया गया था।

4.8.5 अन्य विषय: आंध्र प्रदेश में, मुफ्त बोर अंत कुओं की लागत चुकाने के लिए 1986–87 तथा 1987–88 के दौरान जि ग्रा वि ए ने आंध्र प्रदेश राज्य सहकारी ग्रामीण सिंचाई निगम (आ रा ग्रा सि नि) को कुल 290.75 लाख रूपये के अग्रिम जारी किये। आ रा ग्रा सि नि ने इस अवधि के दौरान 8,760 कुएं बेधन किये, राज्य में विभिन्न स्थानों में बरमाई गई गहराई 1,83,088 मीटर थी जो कि अनुमोदित भू वैज्ञानिकों द्वारा की गई समुचित भू जल विज्ञान संबंधी तथा जल विज्ञान संबंधी जांचों में उपयुक्त पाई गई थी। तथापि, 1139 अंत: कुंए बेधन असफल हो गये जिसके परिणामस्वरूप 130 रूपये प्रति मीटर की दर से संगणित करने पर 31.11 लाख रूपये का निष्फल व्यय हुआ।

कार्यक्रम के अंतर्गत सफल तथा असफल अंत: कुआ बेधनों दोनों के लिए आं प्र रा सं ग्रा.स. नि द्वारा ड्रिलिंग के लिए 130 रूपये प्रति मीटर की दर प्रभारित की गई थी, तथापि, यह सूचित किया गया था कि आ प्र रा स ग्रा सं नि ने एक राज्य कार्यक्रम तेलगु ग्रामीण क्रांति पथम के अंतर्गत उसी

अवधि के दौरान तथा उसी क्षेत्र में सदृश कार्य के लिए ड्रिलिंग के लिए केवल 110 रूपये प्रति मीटर प्रभारित किये थे। इस प्रकार से, कार्यक्रम के अंतर्गत हाथ में लिए गए कार्यों में 130 रूपये प्रति मीटर की उच्च दर प्रभारित करना अनुचित था। परिणामत: कार्यक्रम के अंतर्गत 1,83,088 मीटर की कुल गहराई के लिए 20 रूपये प्रति मीटर की विशिष्ट दर पर 8760 अंत: कुओं को ड्रिल करने की अतिरिक्त लागत 36.62 लाख रूपये हुई।

असम में, कच्छार, करीमगंज, करबी जिलों-अंगलोंग तथा उत्तरी कच्छार की पहाड़ियों में छिछले टयूबवैलों के प्रतिष्ठापन हेतु 1986-87 तथा 1987-88 में आहरित 149.74 लाख रूपये की राशि कृषि निदेशक के पास अप्रयुक्त पड़ी थी क्योंकि इन जिलों में छिछले टयूबवैलों के प्रतिष्ठापन के लिए कोई सम्भाव्यता नहीं थी। इन जिलों में डीजल पंपिंग सैटों (निम्न लिफ्टिंग बिंदुओं) के द्वारा धरातल सिंचाई मुहैया कराने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किये गये थे जो कि कृषि विभाग की इंजीनियरी शाखा की रिपोर्टों के अनुसार (सितम्बर 1986) संभव था।

बिहार में, मुजफ्फर पुर जिले में 81.26 लाख रूपये मूल्य के टयूबवैलों के लिए 53,300 मीटर जी आई पाइप तथा अनुषंगी उपकरण, जिला क्रय समिति के अनुमोदन के बिना, निविदा आमंत्रित करने के बजाये चुनी हुई फर्मों से उद्धरण प्राप्त करने के बाद, 1982-83 (46.90 लाख रूपये) तथा 1983-84 (34.36 लाख रूपये) में खरीदें गये थे। मृदुल इस्पात पाइपों की बजाए जी आई पाइपों की खरीद के परिणामस्वरूप 4.40 लाख रूपये का एक अतिरिक्त व्यय हुआ। इसके अतिरिक्त इन पाइपों तथा अनषंगी उपकरणों के उपयोग के ब्यौरे भी उपलब्ध नहीं थे। आगे, जुलाई 1987 में खरीदे गये मृदुल इस्पात पाइप (मूल्य 33.42 लाख रूपये) 14 खंडों में अप्रयुक्त पड़े हुए थे (मई 1988)। उपरोक्त किन्हीं मामलों में भी भंडार का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था (जून 1988)।

गुजरात में, भू ज सं, वि नि के माध्यम से निष्पादित कराये गये लघु सिंचाई कार्यों के प्रति कुल 79.77 लाख रूपये के परिदान के अनियमित/ अधिक भुगतान के उदाहरण लेखा परीक्षा द्वारा की गई नमूना जांच के दौरान पाये गये थे जैसा नीचे दर्शाया गया है :

- 1983-84 से 1985-86 के दौरान चार जि ग्रा वि ए ने भू ज सं वि नि को कार्यक्रम के प्रारंभ होने से पूर्व प्रारंभ किये गये तथा उसके बाद पूर्ण किये गये 32 कार्यों (बनासकंठा :5 कार्य 4.14 लाख रूपये, खेडा: 8 कार्य 6.38 लाख रूपये, सूरत 13 कार्य 17.81 लाख रूपये तथा बडोदरा: 6 कार्य 7.23 लाख रूपये) के लिए 35.56 लाख रूपये का परिदान दिया। जि ग्रा वि ए खेडा ने अप्रैल 1988 में बताया कि यह भू ज सं वि नि द्वारा सही आंकड़े प्रस्तुत करने में असफलता के कारण किया गया था।

- जि ग्रा वि ए सूरत ने 1983-84 से 1985-86 के दौरान कार्यक्रम के प्रारंभ होने से पूर्व 5 लिफ्ट सिंचाई कार्यों के संबंध में जो कि मार्च 1978 तथा दिसम्बर 1981 के मध्य प्रारंभ किये गये थे तथा अक्तूबर 1980 तथा फरवरी 1983के

मध्य पूर्ण किये गये थे भू ज सं वि नि को, 5.16 लाख रूपये का परिदान दिया गया ।

जि ग्रा वि ए खेडा ने सामुदायिक निर्माण कार्यों के रूप में सिंचाई हेतु जलापूर्ति के लिए 104 पाइप लाइन निर्माण कार्य संस्वीकृत किये तथा 1983–84 से 1985–86 के दौरान भू ज सं वि नि को 25.62 लाख रूपये (50 प्रतिशत पर) का परिदान अदा किया। चूंकि पाइप लाइन कार्यों को केवल पृथक निर्माण कार्य के रूप में प्रारंभ किया जाना था, 50 प्रतिशत की अदायगी अनियमित थी। जि ग्रा वि ए ने अप्रैल 1988 में बताया कि इसको नियमित करा दिया जायेगा।

भू ज स वि नि ने 1983–84 से कार्यक्रम के अंतर्गत दो जिलों में (बनासंकठा 18 तथा बड़ोदरा 39) 57 ट्यूबवैल कार्य पूर्ण किये गये सूचित किये (जुलाई 1988)। 45 कार्यों के संबंध में, 15.82 लाख रूपये का परिदान अधिक दिया गया था (बनासकंठा: 14 कार्य 2.05 लाख रूपये तथा बडोदरा: 31 कार्य 13.77 लाख रूपये) तथा 2.39 लाख रूपये कम दिये गये थे (बनासकंठा: 4 कार्य: 0.68 लाख रूपये तथा बड़ौदरा: 8 कार्य: 1.71 लाख रूपये) । 13.43 लाख रूपये का निवल अधिक परिदान जि ग्रा वि ए को वापसी योग्य था (बनासकंठा: 1.37 लाख रूपये तथा बडौदरा: 12.06 लाख रूपये)।

जि ग्रा वि ए, सूरत ने 1983–84 से 1985–86 तक के दौरान 7,539 हैक्टेयर का सिंचाई सम्भाव्य उत्पन्न करने के लिए 49 लिफ्ट सिंचाई योजनाओं हेतु भू ज स वि नि को 74.20 लाख रूपये का परिदान दिया। इन योजनाओं में से, दो योजनाएं (परिदान 4.25 लाख रूपये) छोड़ दी गई थी तथा 14 योजनाओं के संबंध में (परिदान 24.63 लाख रूपये) कार्य प्रारंभ नहीं किया गया था, परिणामस्वरूप 28.88 लाख रूपये के अप्रयुक्त परिदान में अवरोधन हुआ (जून 1988)। जि ग्रा वि ए ने 1984–85 से 1985–86 के दौरान 935 हैक्टेयर भूमि में सिंचाई संभाव्य उत्पन्न करने के लिए 6 लिफ्ट सिंचाई कार्यों के लिए उकई मंडल नं । को 13.85 लाख रूपये अदा किये। कार्यों की धीमी प्रगति के कारण, जि ग्रा वि ए ने मार्च 1987 में 6.73 लाख रूपये वापिस करवा लिये। कोई भी कार्य पूर्ण नहीं किया गया था (जून 1988)।

जि ग्रा वि ए खेडा ने 1984–85 तथा 1985–86 के दौरान 440 हैक्टेयरों में सिंचाई संभाव्य उत्पन्न करने के लिए चार लिफ्ट सिंचाई योजनाओं हेतु भू ज सं वि नि को 7.07 लाख रूपये का एक परिदान अदा किया । न तो कार्य प्रारंभ किये गये थे और न ही परिदान वापिस किया गया (जून 1988)।

जि ग्रा वि ए पंचमहल ने 1983–84 से 1985–86 के दौरान 6 लिफ्ट सिंचाई कार्यों के लिए 14.98 लाख रूपये कार्यक्रमों को तथा 15.61 लाख रूपये अनुसूचित क्षेत्र उप योजना एवं अनुसूचित कल्याण योजनाओं को डेबिट करते हुए एक स्वैच्छिक संगठन को 30.59 लाख रूपये का एक परिदान अदा किया । वास्तविक व्यय, उपयोगिता/समापन प्रमाणपत्र इत्यादि के ब्यौरे प्रतीक्षित थे (जून 1988)।

हिमाचल प्रदेश में, 1983-84 से 1987-88 के दौरान 535.64 लाख रूपये की एक कुल राशि केन्द्रीय निधियों से जारी की गई थी। तथापि, कार्यक्रम के अंतर्गत लघु सिंचाई कार्यों के संबंध में निधियों का अलग से सादृश्य आबंटन करने की बजाए केन्द्रीय निधियां चालू राज्य योजनाओं पर प्रयुक्त की गई थी।

छोटे एवं सीमांत किसानों के लाभार्थ पम्पसैटों का वितरण: संस्थापन तथा कुओं की खुदाई पर 50 प्रतिशत की सीमा तक परिदान उपलब्ध करने के लिए 1983-84 तथा 1984-85 के दौरान 223.42 लाख रूपये की केन्द्रीय सहायता जारी की गई थी। उद्देश्य हेतु राशि के प्रयोग को दर्शाने वाले ब्यौरे/अभिलेख लेखा परीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गये थे।

1985-86 तथा 1986-87 के दौरान सिंचाई तथा लोक स्वास्थ्य मंडल सुंदर नगर धर्मशाला, देहरा, माजरा तथा पौंटा द्वारा 9.30 लाख रूपये मूल्य की अधिप्राप्त की गई सामग्रियां अप्रयुक्त पड़ी हुई थी (जुलाई 1988)।

आठ सिंचाई तथा लोक स्वास्थ्य मंडलों में 8,043 हैक्टेयर कृषि योग्य कमांड क्षेत्र को आवृत्त करने के लिए 1983-84 से 1987-88 के दौरान 67 कार्य हाथ में लिए गये थे। जिसके प्रति जून 1988 तक 4,092 हैक्टेयरों का एक क्षेत्र आवृत्त किया जा सका। उपरोक्त में से 65 कार्य अपूर्ण थे। अपूर्णता के लिए कारण, मंडलों द्वारा राज्य सरकार द्वारा सादृश्य निधियों को जारी करने की कमी पर आरोपित किये गये थे।

कर्नाटक में, जिला ग्रामीण विकास समिति द्वारा राज्य सरकार को भेजी गई प्रगति रिपोर्ट के अनुसार 1983-84 से 1985-86 के दौरान 199 कुएं (लागत उपलब्ध नहीं) असफल हुए सूचित किये गये थे।

केरल में, जून 1987 में बैंक/सरकार के माध्यम से प्राप्त पम्प सैटों के मूल्य में बाजार मूल्य की तुलना में विचारणीय अंतर था जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

मोटर की किस्म	विक्रेता का मूल्य	दर जिस पर एक किसान बैंक/सरकार के माध्यम से पम्पसैट प्राप्त कर सकता है	खुला बाजार मूल्य जिस पर किसान सीधे पम्पसैट प्राप्त कर सकता है
	(रूपये)	(रूपये)	(रूपये)
जी ई सी 1.5 एच पी	2200	2950+ बिक्रीकर	2700
1.5 एच पी मंजेरी	2250	3000	2475
क्रोम्पटोन मोनोब्लॉक 1.5 एच पी	2454	3050	2888

एन ए वी ए आर डी ने भी मई 1987 में राज्य सरकार को संकेत दिया था कि पम्पसैटों के उत्पादकों ने पम्पसैटों के मूल्य बढा दिये हैं।

महाराष्ट्र में, राज्य सरकार ने कार्यक्रम में जैसे विचारे गये लघु सिंचाई कार्य हाथ में नहीं लिए क्योंकि राज्य के बड़े क्षेत्र में जल स्तर बहुत नीचा बताया गया था, इसके बावजूद उन्होंने व्यापक जलशेड विकास कार्यक्रम के अंतर्गत संघटित जलशेड विकास निष्पादन के लिए इस कार्यक्रम में से 5411.99 लाख रूपये की निधियां प्रयोग की §1983-88 के दौरान§। यद्यपि राज्य सरकार द्वारा विचलन के लिए छूट अक्तूबर 1983 में मांगी गई थी, केन्द्रीय सरकार ने इसे केवल फरवरी 1988 में इन शर्तों पर अनुमोदित किया कि §1§ भूमि विकास पर व्यय प्रशासनिक रूप से अनुमोदित राशि के 90 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए, §2§ ऐसे जलशेडों में जहां भू स्वामियों तथा किसानों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत से अधिक छोटे एवं सीमांत किसान थे जिनके पास भूमि 25 प्रतिशत से कम नहीं थी, भूमि विकास कार्य दस से कम नहीं होने चाहिए, तथा §3§ ऊपरी मिट्टी हटाने के लिए बुल्डोजरों/भारी ट्रेक्टरों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। भूमि विकास कार्यक्रम में, विद्यमान आद्रता संरक्षण सुधार हेतु भूमि समतल करना, मूल रेखा अवरोधन बांध निर्माण ढलान के आर पार बंद खूड बनाने का निर्माण तथा अल्पक्रिया रोको सहित मूल रेखा बनाना समाविष्ट होगा ।

लेखापरीक्षा में एक नमूना जांच से पता चला कि §1§ राज्य सरकार 1984-87 के दौरान प्रशासकीय अनुमोदित राशि के 90 प्रतिशत से अधिक 581.25 लाख रूपये भूमि विकास कार्यों पर खर्च कर चुकी थी जिसकी परणिति 290.62 लाख रूपये के अधिक दावे में हुई, §2§ अकोला, अमरावती, औरंगाबाद, धुले, नागपुर तथा नासिक जिलों के 21 उप मंडलों में, 1983-88 के दौरान 464 जलशैडों पर 140.42 लाख रूपये का व्यय किया गया था जबकि इन जल शैडों के अंतर्गत आने वाले कुल किसानों के 50 प्रतिशत से कम छोटे एवं सीमांत किसान थे। इस प्रकार 70.21 लाख रूपये का दावा केन्द्रीय सरकार का अंश होने के नाते ग्राह्य नहीं था, §3§ अकोला, अमरावती, औरंगाबाद तथा नासिक जिलों के 26 जलशेडों में 1983-88 के दौरान 6.95 लाख रूपये खर्च किये गये थे जिनमें छोटे एवं सीमांत किसान दस से कम थे। इस प्रकार से 3.47 लाख रूपये की केन्द्रीय सहायता ग्राह्य नहीं थी, तथा §4§ अकोला और नासिक जिलों में 4.11 लाख रूपये का व्यय करते हुए मई 1984 तथा जुलाई 1986 के बीच बुलडोजर, ट्रेक्टरों इत्यादि की सहायता से भूमि विकास कार्य किये गये थे। इस प्रकार से, 2.05 लाख रूपये की केन्द्रीय सहायता ग्राह्य नहीं थी। अनुबद्ध शर्तों के असमानुरूप निर्माण कार्यों पर व्यय के लिए नियमन/समायोजन की आवश्यकता होगी।

मध्यप्रदेश में, 1987-88 को समाप्त होने वाले पांच वर्षों में से किसी में भी ग्राह्य किसानों की भूमि पर सामुदायिक सिंचाई कार्यों तथा निःशुल्क बेधन चालू नहीं किये गये थे।

पंजाब में 1985-86 के बाद से, राज्य सरकार को इसकी अपनी एजेंसी के माध्यम से छोटे एवं सीमांत किसानों की भूमियों पर निःशुल्क बेधन का प्रबंध करना अपेक्षित था तथा उसकी लागत का समायोजन देय परिदान को समायोजित करना था, परन्तु सरकार द्वारा बेधन चालू नहीं किया गया था। 1986-87 तथा 1987-88 के बीच अमृतसर, भटिंडा तथा रोपड़, जिलों में उपरोक्त उद्देश्य के लिए वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से 88.48 लाख रूपये

की एक राशि किसानों को संवितरित की गई थी। मुख्य कृषि अधिकारी ने विभागीय एजेंसियों के माध्यम से ट्यूबवैलों के बेधन से संबंधित विभागीय अनुदेशों की प्राप्ति से इंकार किया था।

1984-85 से 1986-87 के दौरान अमृतसर, भटिंडा तथा रोपड़ जिलों में बिना संस्वीकृति के वित्तीय संस्थाओं को 3.52 लाख रूपये परिदान जारी किया गया तथा लाभ भोगियों को ऋण की अदायगी की गई थी। इसमें से 3.05 लाख रूपये भटिंडा तथा रोपड जिलों में अवितरित रहे (मई 1988) जो कि लौटाये नहीं गये थे (जून 1988)।

राजस्थान में, जहां संस्थागत वित्त सुलभ नहीं था, सरकारी निधियों से सामुदायिक सिंचाई कार्य चालू किये जाने थे। राज्य सरकार ने मई 1986 में आदेश जारी किये कि योजना की कुल लागत के 10 प्रतिशत का एक न्यूनतम लाभभोगियों द्वारा — श्रम अथवा बैंकों से ऋण के रूप में अंशदान दिया जाना चाहिए उदयपुर जिले में, 15.72 लाख रूपये की कुल राशि किसानों के स्वयं के अंशदान के रूप में संगृहित की जानी थी । राशि के संगृहण तथा इसके लेखाबद्ध करने के समर्थन में लेखापरीक्षा को कोई अभिलेख नहीं दिखाये गये थे।

1984-85 के दौरान 4.57 लाख रूपये की एक लागत पर (पनेर 2.18 लाख रूपये तथा तिरोल: 2.39 लाख रूपये दो सामुदायिक लिफ्ट सिंचाई योजनाएं (गोगुडा पंचायत समिति के पनेर तथा तिरोल (संस्वीकृत की गई थी। ये कार्य उसी वर्ष पूर्ण किये गये दिखाये गये थे। इन योजनाओं के अभिलेखों की जांच से 2.60 लाख रूपये के लिए प्रथक पावतियों की अनु-पलब्धता (पनेर: 1.44 लाख रूपये तथा तिरोल: 1.16 लाख रूपय), पाइप लाइनों से संबंधित कार्य की अपूर्णता, तथा पनेर में कार्य के संबंध में रोकड बही का अनुरक्षण न किये जाने का पता चला ।

उदयपुर जिले में, मूल अनुसूचित दरों पर जिनमें ठेकेदार का लाभ (10 प्रतिशत) तथा श्रम कल्याण पर्यवेक्षण तथा औजार एवं उपस्कर (3 प्रतिशत) शामिल थे जो कि विभागीय कार्य के मामले में ग्राह्य नहीं थे, श्रम प्रभारों के भुगतान के कारण 28 लिफ्ट सिंचाई योजनाओं में 2.30 लाख रूपय का एक अधिक भुगतान किया गया था।

उदयपुर जिले में 1984-85, 1986-87 तथा 1987-88 के दौरान भूजल वैज्ञानिक आंकड़ों का समर्थन न करते हुए 67.43 लाख रूपये की एक लागत पर दुर्बोध मंडल क्षेत्र (क्षेत्र जहां दूसली योग्य पुनः प्रभार के 80 प्रतिशत से अधिक भूमि जल विकास का स्तर है (में 29 सामुदायिक लिफ्ट सिंचाई योजनाएं संस्वीकृत/निष्पादित की गई थी। उपरोक्त योजनाओं में से , 37.24 लाख रूपये के निवेश की अंतर्ग्रस्त करते हुए 15 योजनाएं विद्युतीय कंकशनों इंजनोंके चालू हालत में न होने के कारण बंद की गई थी, दो योजनाओं में सिंचित क्षेत्र लघु सिंचाई के लिए लक्षित कुल क्षेत्र का केवल 16.8 प्रतिशत था, 10 योजनाओं के संबंध में वास्तविक सिंचित क्षेत्र उपलब्ध नहीं था, शेष दो योजनाएं प्रगति में थी। सिंचाई सुविधाएं मुहैय्या न कराये जाने के मुख्य कारण, जैसा कि मूल रूप से आयोजित था, जल की कमी थी।

नए कुओं के निर्माण तथा पुराने कुओं को गहरा करने के लिए परिदान दो किश्तों में अदा किये जाने थे। पहली किश्त 50 प्रतिशत खुदाई कार्य पूर्ण होने पर तथा दूसरी किश्त पहली किश्त के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्राप्ति पर अदा की जानी थी । उदयपुर जिले में, किसानों द्वारा खुदाई

कार्य के 50 प्रतिशत पूर्ण होने के तथ्य को सत्यापित किये बिना 1104 छोटे/सीमांत किसानों को परिदान की पहली किश्त के रूप में 11.71 लाख रूपये की एक राशि अदा की गई थी। ये किसान दूसरी किश्त के लिए उपस्थित नहीं हुए।

राजस्थान में, सभी सामुदायिक सिंचाई कार्यों का निष्पादन, संचालन तथा अनुरक्षण इस उद्देश्य के लिए संगठित अनौपचारिक समितियों को सौंपे गये थे। समितियां न तो पंजीकृत की गई थी, न ही उनके स्वामित्व ग्राम पंचायतों में निहित थे। समितियों का कोई स्थानीय दरजा/मान्यता प्राप्त स्तर न होने के बावजूद, जि ग्रा वि ए उदयपुर ने , समर्थन वाउचरों सहित ब्यौरे वार लेखों के प्रस्तुत किये जाने पर जोर डालने की बजाए उनके साधारण प्रमाण पत्रों पर की अग्रिम में दी गई राशियां पूर्ण रूपेण प्रयुक्त कर ली गई थी, 1984-88 के दौरान सामुदायिक योजनाओं के निष्पादन हेतु उनकों प्रदत्त 106.79 लाख रूपये का परिदान समायोजित कर दिया।

त्रिपुरा में 1983-84 तथा 1984-85 के बीच चालू किये गये चार लघु सिंचाई कार्य 1984-85 तक 2.46 लाख रूपये का एक व्यय करने के बाद बंद कर दिये गये थे। बंद करने के लिए कारण अभिलेख में उपलब्ध नहीं थे। आगे 1983-84 से 1987-88 के दौरान आठ लघु सिंचाई कार्यों के लिए निष्पादन हेतु कार्यकारी अभियंता, लघु सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण मंडल- 3 द्वारा कुल खर्च किये गये 18.20 लाख रूपये अप्रयाप्त जल उन्मुक्ति, पम्पसैटों में त्रुटि तथा अनुचित विद्युत आपूर्ति के कारण निष्फल हो गये ।

1986-87 तथा 1987-88 के दौरान परियोजना निदेशक, जि गा वि ए, पश्चिम त्रिपुरा द्वारा कार्यक्रम के अंतर्गत प्रयोग हेतु 19.99 लाख रूपये मूल्य की सामग्रियां (पाईप, निस्थान्दक, इत्यादि) खरीदी गई थी परन्तु 7.17 लाख रूपये मूल्य की सामग्रियों के संबंध में भंडार प्रविष्टियां नहीं की गई थी। पुनः, यह देखा गया था कि 2.10 लाख रूपये की सामग्रियां (जी आई पाइप तथा निस्थंदक) नवम्बर 1986 से खंड विकास अधिकारी, तेलीमुरा के पास अप्रयुक्त पड़े रहे ।

पश्चिम बंगाल में, जि ग्रा वि ए, बर्दवान ने 1984-85 तथा 1985-86 के दौरान लघु सिंचाइ कार्यों के लिए दो पंचायत समितियों को 3.43 लाख रूपये पेशगी दिये। तथापि, निर्माण कार्य के पूरा होने अथवा अग्रिम के समायोज्य के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं थी (मई 1988)।

जि ग्रा वि ए, मिदनापुर ने 1986- 87 के दौरान 494 ट्यूबवैलों के संस्थापन हेतु विभिन्न खंड विकास अधिकारियों को 27.51 लाख रूपये मूल्य की सामग्री जारी की, जो कि अनुबद्ध गहराई तक

पानी की अनुपलब्धता की आंशका के कारण चालू नहीं किये गये थे। सामग्री की वापसी के बारे में जि ग्रा वि ए के पास सूचना उपलब्ध नहीं थी।

अंडेमान व निकोबार में, यद्यपि बजट में 21.74 लाख रूपये का एक प्रावधान किया गया था, 1983-84 से 1987-88 के दौरान लघु सिंचाई कार्य चालू नहीं किये गये थे। इन निधियों को प्रयुक्त करने के लिए किसी कार्यवाही योजना को अंतिम रूप नहीं दिया गया था तथा परिणामतः ये राशियां अव्ययित पड़ी रही थी (अप्रैल 1988)। प्रशासन ने अप्रैल 1988 में बताया कि लघु सिंचाई के अवयव का कार्यान्वयन नहीं किया गया था चूंकि विभाग के पास पहले से ही वार्षिक योजना के अंतर्गत एक अलग से लघु सिंचाई योजना थी जिसके अंतर्गत ऋण एवं परिदान अधिक अनुकूल थे।

4.8.6 लघु सिंचाई कार्यों के समुचित अभिलेखों का अनुरक्षणा : असम, बिहार, हरियाणा (अम्बाला, फरीदाबाद, जींद तथा हिसार जिले), केरल (इर्नाकुलम, कोजीकोड तथा किलोन जिले), मणीपुर, उड़ीसा तथा त्रिपुरा (तीन गहरे ट्यूबवैलों तथा पांच लिफ्ट सिंचाई कार्यों के संबंध में) की सरकार के पास राज्य/जिलों में उत्पन्न सिंचाई संभाव्यता के बारे में समुचित अभिलेख/सूचना नहीं थी। असम, केरल (इर्नाकुलम, कोजीकोड तथा किलोन जिलों), मणीपुर, मध्यप्रदेश, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल (बर्दवान, मालदा, मिदनापुर तथा नादिया जिलों) में कार्यक्रम की निधियों में से सृजित लघु सिंचाई कार्यों की परिसम्पत्तियों/सूचि के अभिलेख अनुरक्षित नहीं किये गये थे। असम में, यह दिखाने के लिए कोई अभिलेख नहीं था कि असम राज्य लघु सिंचाई विकास निगम द्वारा संस्थापित छिछले ट्यूबवैल नीचे उठान बिंदु उचित के बाद सिंचाई उद्देश्य हेतु लाभ भोगियों को औपचारिक रूप से हाथ में दे दिये गये तथा ले लिये गये थे। कर्नाटक तथा उत्तर प्रदेश में असफल बंद किये गये कुंओं के विवरण अनुरक्षित नहीं किये गये थे।

1986-87 तथा 1987-88 के दौरान जम्मू और काश्मीर में 975। तथा 24600 लाभ भोगियों सहित लघु सिंचाई के अंतर्गत केवल भूमि के क्रमशः 3470 तथा 4429 हैक्टेयरों की पहचान की गई थी परन्तु भूमि का क्षेत्रवार ब्यौरा तथा लाभ भोगियों के ब्यौरे जिनसे की जमीन संबंधित थी जांच किये गये अभिलेखों से उपलब्ध नहीं थे।

4.9 दालों, तिलहन तथा मोटे अनाज के छोटे किटों का वितरण

4.9.1 यह अवयव छोटे एवं सीमांत किसानों द्वारा उनके प्रयोग की आदत को मन में बैठाने के लिए दालों तिलहन तथा मोटे अनाज के बीजों की विकसित किस्मों तथा उर्वरकों के लघु किटों के संवितरण से बना है। प्रति खंड 5 लाख रूपये के आबंटन में से, 0.50 लाख रूपये इस क्रियाकलाप के लिए उद्दिष्ट किये गये थे। 1983-84 से 1987-88 के दौरान, दालों (72.59 लाख), तिलहनों (80.55 लाख) तथा मोटे अनाजों (12.48 लाख) के छोटे किट वितरित किये गये थे।

4.9.2 पुराने/निम्न स्तरीय किस्म के बीजों का वितरण: कार्यक्रम में सत्यापित बीजों की उन्नत किस्मों के वितरण पर विचार किया गया था। तथापि, सच्चाई पूर्वक अंकित बीज-आशाजनक किस्म का एक बीज जो कि उतना ही संख्या जितना कि एक बीज प्रमाणीकरण एजेंसी की किस्म तथा अंकित किये जैसा, जो कि प्रमाणीकृत बीज से भिन्न हो-भी वितरित किया जा सकता है या यदि सत्यापित कृत बीज

उपलब्ध नहीं थे। केवल वे किस्में जो कि अपनी अधिसूचना के सात वर्षों के अंदर थी, वितरित की जानी अपेक्षित थी। उनकी अधिसूचना के सात वर्षों के बाद किस्में केवल केन्द्रीय सरकार के पर्व अनुमोदन के साथ ही वितरित की जा सकती थी। तथापि, यह देखा गया था कि 1983-84 से 1987-88 के दौरान कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन प्राप्त किये बिना 454.39 लाख रूपये मूल्य के पुरानी किस्मों के बीजों वाले लघु किट आंध्र प्रदेश (नमूना जांच किये गये जिले: 71.90 लाख रूपये: 1983-88), गुजरात (12.83 लाख रूपये: 1985-88), कर्नाटक (बंगलौर, दक्षिण कन्नड, धारवार तथा कोडगू जिले: 39.86 लाख रूपये: 1983-88), उड़ीसा (323.02 लाख रूपये : 1983-88) तथा पंजाब (अमृतसर, भटिंडा, लुधियान तथा रोपड जिले: 6.78 लाख रूपये : 1984-88) में वितरित किये गये थे।

उडीसा के बंगलौर जिले में, 1983-84 के दौरान उपनिदेशक, कृषि धनकनाल से 3.07 लाख रूपये लागत से 500 क्विंटल मूंगफली के बीज (2000 लघु किट) अधिप्राप्त किये गये थे तथा लाभ भोगियों का वितरण हेतु 20 आपूर्ति केन्द्रों को आपूर्त किये गये थे। जिला कृषि अधिकारी , बोलागीर तथा उप निदेशक कृषि (जांच) की रिपोर्टों के अनुसार आपूर्त किये गये बीज निम्न कोटि के थे । वितरित किये गये 1664 लघु किटों में से 593 लघु किटों के मामले में, अंकुरण शून्य था, यह 103 लघु किटों में पांच प्रतिशत तक था तथा 387 लघु किटों में 5 से 60 प्रतिशत से ऊपर था । 581 लघु किटों के संबंध में कोई रिपोर्ट नहीं थी, 336 लघु किट अवितरित रहे । तदनन्तर, नमूने परीक्षण प्रयोगशाला, भुवनेश्वर को भेजे गये थे। परीक्षण रिपोर्ट के परिणाम (फरवरी 1984) से पता चला कि 86 से 96 प्रतिशत मृत बीज थे तथा सामान्य अंकुरण केवल चार से पांच प्रतिशत था।

पश्चिम बंगाल कृषि उद्योग निगम ने मिदनापुर जिले में 1985-86 के दौरान निम्न स्तरीय मुंगफली के 6,000 लघु किट (मूल्य 10.14 लाख रूपये) आपूर्त किये परिणामस्वरूप 780 हैक्टेयरों में फसल विफल रही वितरण से पूर्व बीजों की गुणवत्ता के परीक्षण की कोई प्रणाली नहीं थी।

4.9.3 बुआई के मौसम के बाद बीजों के लघु किटों का वितरण: बीजों लघु किटों का समय पर वितरण कार्यक्रम का तत्त्व था तथा किसानों की पहचान बुआई के मौसम से काफी पहले की जानी होती थी। तथापि, बुआई के मौसम के बाद 1983-84 तथा 1987-88 के बीच कार्यक्रम के अंतर्गत 23.19 लाख रूपये मूल्य के बीज असम (जोरहट, नागोन, कच्छार तथा करबीअंगलोंग जिले: 7.80 लाख रूपये), पंजाब (होशियारपुर, जलन्धर, कपूरथला, लुधियाना, पटियाला तथा संघरूर जिले: 2.45 लाख रूपये) तथा पश्चिम बंगाल (मालडा, मिदनापुर तथा नदिया जिले: 12.94 लाख रूपये) में वितरित किये गये थे।

1983-84 से 1987-88 के दौरान तमिलनाडु में चेंगलपटटु, मदुराई, उत्तरी आरकोट तथा तिरूचिरापल्ली जिलों में बुआई के मौसम के बाद लघु किट वितरित किये गये थे। विलंब दो से सात महीनों के बीच वर्गीकृत था।

4.9.4 अपात्र फसलों के बीजों के लघु किटों का वितरण: 6.96 लाख रूपये मूल्य के धान, गेहूं तथा सेम के बीजों के लघु किट, यद्यपि कार्यक्रम में अपेक्षित नहीं थे, जम्मू और काश्मीर (बारामुला तथा पुलवामा जिले : सेम के बीज 1.53 लाख रूपये), कर्नाटक (कोडागु जिला: धान के बीज 0.76 लाख रूपये) तथा महाराष्ट्र (गेहू तथा

धान के बीज : 4.67 लाख रूपये) खरीफ के दौरान क्रमशः 1986-87, 1987-88 तथा 1985-88 में वितरित किये गये थे । सिक्किम में, 1987-88 के दौरान गेहूं के 3058 कि.ग्रा. बीज वितरित किए गए थे।

4.9.5 उर्वरकों के लघु किटों का वितरण: कार्यक्रम के अंतर्गत 1983-84 तथा 1984-85 के दौरान बीजों के लघु किटों के साथ उर्वरकों के लघु किट वितारित किये जाने थे। उसके बाद , उर्वरकों के लघु किटों का वितरण कार्यक्रम कार्यक्षेत्र से निकाल दिया गया था। फिर भी 1984-85 के बाद 191.67 लाख रूपये मूल्य के उर्वरकों के लघु किट असम (87.02 लाख रूपये), जम्मू और काश्मीर (जम्मू तथा उधमपुर जिले: 4.57 लाख रूपये), कर्नाटक) 52.80 लाख रूपये) तथा महाराष्ट्र (47.28 लाख रूपये) में अनियमित रूप से वितरित किये गये थे ।

बिहार में, 1983-84 तथा 1984-85 के दौरान खाद के पैकेटों के वितरण के बारे में सूचना राज्य विभाग के पास उपलब्ध नहीं थी। तथापि, यह देखा गया था कि 1983-84 के दौरान 10 जिलों में 8341 बीज लघु किटों के साथ खादों के पैकेट आपूर्त नहीं किये गये थे।

कर्नाटक में, तिलहनों तथा दालों के लघु किटों के साथ प्रति 0.2 हैक्टेयर बोई गई भूमि के साथ 20 कि ग्रा पर खाद जारी की जानी थी, परन्तु 1983-84 तथा 1984-85 के दौरान बंगलौर, दक्षिण कन्नड, धारवार तथा कोडागु जिलों जिलों में मुंगफली की फसल के लिए कोई खाद वितरित नहीं की गई थी।

4.9.6 अपात्र किसानों को बीजों/उर्वरकों के लघु किटों का वितरण: बीजों के लघु किट कार्यक्रम के अंतर्गत केवल छोटे एवं सीमांत किसानों को वितरित किये जाने थे। तथापि, 1983-84 तथा 1987-88 के बीच 2.26 लाख रूपये लागत के बीजों के लघुकिट बिहार में चार खंडों में ((पटना में तीन तथा रांची जिले में एक (478 लघुकिट, महाराष्ट्र में छः जिलों में (अकोला, अमरावती, औरंगाबाद, धुले, नासिक तथा पुणे (बीजों के 13524 लघु किट छोटे एवं सीमांत किसानों से अन्य किसानों को वितरित किये गये थे। पांडिचेरी में यानम क्षेत्र में, 1983-84 से 1987-88 के दौरान 1090 लघुकिट (2.06 लाख रूपये लागत वाले) कृषि मजदूरों को वितरित किये गये थे।

4.9.7 लघु किटों के सांकेतिक प्रभारों की गैर वसूली: मंत्रालय द्वारा जारी किये गये मार्गदर्शनों के अनुसार 1986-87 तथा इसके बाद से छोटे एवं सीमांत किसानों को वितरित किये गये प्रत्येक लघु किट के लिए राज्य सरकारों द्वारा सांकेतिक प्रभार निश्चित करना तथा वसूलना अपेक्षित था। तथापि, यह देखा गया था कि निम्न लिखित मामलों में लघु किटों के सांकेतिक प्रभारों के लिए 63.30 लाख रूपये की वसूली प्रभावित नहीं की गई थी :

राज्य का नाम	लघुकिटों के वितरण का वर्ष	जिला जिसमें लघुकिट वितरित किये गये थे	सांकेतिक प्रभार की दर	न वसूले गये सांकेतिक प्रभार की राशि (लाख रू. में)	टिप्पणियां
आंध्र प्रदेश	खरीफ 1986-87	सम्पूर्ण राज्य	लघुकिटों की लागत का दसवां भाग	8.21	
	रबी 1986-87 के बाद	सम्पूर्ण राज्य	वही	1.65	
बिहार	1986-87	सम्पूर्ण राज्य	नियत नहीं की गई	45.70	1 अप्रैल 1987 से नियत की गई दर पर आंकलित की गई
	1987-88	हजारीबाग, मुंगेर, पटना, मुजफ्फरपुर तथा सिवन	1 अप्रेल, 1987 से 2रू. प्रति किग्रा. बीज	1.42	
गुजरात	1986-87 तथा 1987-88	खेडा, सूरत, पंचमहल तथा बडोदरा	यदि यह 50 रूपये से अधिक हो तो लघुकिट के मूल्य का 10 प्रतिशत	1.98	
हिमाचलप्रदेश	1986-87	मंडी तथा सोलन	"तोरिया" किट 1 रूपये की दर से तथा अन्य 5 रूपये की दर से	0.42	
महाराष्ट्र	1986-87 के बाद	अकोला, अमरावती तथा धुले	प्रति लघुकिट 1 रूपये तथा 5 रूपये के बीच	0.82	
राजस्थान	मार्च 1986 से अप्रैल 1987	सम्पूर्ण राज्य	20 रूपये तक की लागत वाले लघुकिटों के लिए 1 रूपये तथा 20 रूपये से उपर लागत वालों के लिए 3 रूपये	3.10	
			जोड़:	63.30	

सिक्किम तथा अंडेमान निकोबार द्वीपसमूहों में 1986-87 के बाद से सांकेतिक प्रभार की कोई दर निश्चित तथा संग्रहित नहीं की गई थी।

4.9.8 प्रत्यक्ष उपलब्धियों को सूचित करने में विसंगतियां: प्रत्यक्ष उपलब्धियों को सूचित करने में विसंगतियों के निम्नलिखित मामले देखे गये थे:

बिहार में 27.32 लाख §1983-84 से 1987-88 के दौरान§ तथा उत्तर प्रदेश में 11.51 लाख §1985-86 के दौरान§ लाभ भोगियों की कुल संख्या के प्रति, जिनको लघुकिट बांटे गये थे, वास्तविक लाभ भोगी क्रमशः 20.27 लाख तथा 14.05 लाख थे।

आगे बिहार में जिलों में प्राप्त लघु किटों की संख्या उनके वास्तविक वितरण की रिपोर्ट प्राप्त किये बिना उपलब्धि के रूप में दर्शायी गई थी।

4.9.9 प्रभावी कार्यान्वयन तथा पर्यवेक्षण का अभाव: मार्गनिर्देशनों में किसानों को तकनीकी सलाह तथा विस्तार समर्थन के लिए समुचित प्रावधानों पर विचार किया गया है। विस्तार मजदूरों को लघु किटों के माध्यम से वितरित नई किस्मों के बीजों की विशिष्टताओं से पूर्णरूपेण परिचित होना तथा किस्मों को पुनः विकसित करने हेतु अनुसंधानकर्ता को पुनर्निवेशन उपलब्ध कराना अपेक्षित था। राज्य सरकार /संशा क्षे प्रशासन को राज्य जिला तथा खंड स्तरों पर वरिष्ठ अधिकारियों के विशिष्ट उत्तरदायित्व निश्चित करते हुए कार्यक्रम का प्रभावशाली कार्यान्वयन तथा पर्यवेक्षण सुनिश्चित करना था। तिलहनों, ज्वार तथा दालों के निदेशालयों तथा मंत्रालय के अधिकारियों ने भी लघु किटों को वितरण तथा खेतों में उनके प्रयोग को देखने के लिए यादृच्छिक यात्राएं करनी थी।

गुजरात कर्नाटक, पंजाब तथा पश्चिम बंगाल के राज्यों और अंडेमान तथा निकोबार द्वीप समूहों एवं पांडिचेरी में पर्यवेक्षण या तो किये नहीं गये थे या फिर पर्यवेक्षण के अभिलेख अनुरक्षित नहीं किये गये थे।

4.9.10 रिजोबियम संवर्धन की आपूर्ति: रिजोबियम संवर्धन के पैकेट §जैविक उर्वरक के रूप में प्रयोग हेतु प्रयोगशाला में संवर्धित एक जीवित अवयव जो कि मिट्टी में नाइट्रोजन यौगिकीकरण में सहायता करता है तथा फसल की उपज 10.15 प्रतिशत तक बढ़ाता है तिलहनों तथा दालों के बीजों के पैकेटों के साथ आपूर्त किये जाने अपेक्षित थे। तथापि, निम्नलिखित मामलों में रिजोबियम संवर्धनों के पैकेट आपूर्त नहीं किये/ कम आर्पूत किये/ अधिक आपूर्त किये गये थे:

राज्य/सं शा क्षे का नाम	जिले का नाम	वर्ष	टिप्पणियां
चंडीगढ़	चंढीगढ़	1983-84 से 1987-88	5,367 लघु किटों के साथ रिजोबियम संवर्धन पैकेटों को जारी नहीं किया गया था।

1	2	3	4
गुजरात	बनासकंथा, खेडा, पंचमहल, सूरत तथा सुंदर नगर	उपरोक्त	रिजोबियम संवर्धन के पैकेट सूरत में 3 वर्ष, खेडा में 2 वर्ष तथा सुन्दर नगर में । वर्ष के लिए आपूर्त नहीं किये गये थे। जि ग्रा वि ए बनासकंथा तथा पंचमहल के पास रिजोबियम संवर्धन के आपूर्ति के संबंध में ब्यौरे उपलब्ध नहीं थे।
जम्मू और काश्मीर	अनंतनगा, बारामुला तथा पुलवामा	1983–84 से 1987–88	लघु किटों के साथ रिजोबियम संवर्धन के पैकेटों की आपूर्ति नहीं की गई थी।
पंजाब	अमृतसर, भटिंडा तथा रोपड	1983–84 से 1987–88	अरहर, मूंग, मटर, मसूर, मुंगफली तथा सोयाबीन के लघुकिटों के साथ रिजोबियम संवर्धन के पैकेटों की आपूर्ति नहीं की गई थी।
पश्चिम बंगाल	सम्पूर्ण राज्य	1985–86	3.74 लाख लघुकिटों के साथ रिजोबियम सवंर्धन के पैकेटों की आपूर्ति नहीं की गई थी।
बिहार	सम्पूर्ण राज्य	1986–87 से 1987–88	4.64 लाख रिजोबियम संवर्धन पैकेटों की आवश्यकता के प्रति, केवल 2.25 लाख पैकेट बाटे गये थे।
हिमाचलप्रदेश	सम्पूर्ण राज्य	1983–84 से 1987–88	रिजोबियम संवर्धन के 23,083 पैकेटों की कम आपूर्ति की गई थी।
तमिलनाडु	चेंगलपट्टू, मदुराई, उत्तर अरकोट तथा तिरूचरापल्ली	1983–84 से 1987–88	मुंगफली/ सोयाबीन बीजों के 36,170 लघुकिटों के प्रति केवल रिजोबियम संवर्धन के 3,905 पैकेट ही बांटे गये थे।

1	2	3	4
असम	सम्पूर्ण राज्य	1983-84, 1984-85 तथा 1986-87	2.90 लाख रूपये मूल्य के रिजोबियम संवर्धन के पैकेट अधिक वितरित किये गये थे।
हिमाचलप्रदेश	सिरमोर तथा सोलन	1984-85 और 1987-88	रिजोबियम संवर्धन के 863 पैकेट अधिक वितरित किये गये थे

4.9.11 कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की अस्थापना: मूल्यांकन करने तथा उस पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए राज्य स्तर पर एक कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति गठित की गई थी। समिति ने लघुकिटों के लिए तिलहनों, दालों तथा मोटे अनाजों की किस्मों की पहचान भी करनी थी। ऐसी समिति जिला स्तर पर भी गठित की जानी थी । समिति ने अन्यों के साथ साथ निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण पहलुओं पर भी रिपोर्ट करनी थी:

- उपजातीय प्रवेश तथा विविधता पर प्रभाव,
- तिलहनों, दालों तथा मोटे अनाजों के उत्पादन पर समग्र प्रभाव,
- उपजों में परिणामी वृद्धि सहित वितरित बीजों की गुणवत्ता तथा किस्म, तथा
- क्या लघु किटों के प्राप्त कर्त्ताओं ने ग्राम स्तरीय कार्यकर्ताओं द्वारा तथा अन्य विस्तार एजेंसियों से तकनीकी तथा उपज को अधिकतम करने हेतु अन्य निवेशों की आपूर्ति में सहायता प्राप्त की थी।

तथापि, यह पाया गया था कि कर्नाटक, पंजाब तथा सिक्किम में समिति गठित नहीं की गई थी।

आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हिमाचलप्रदेश, जम्मू और काश्मीर (उधमपुर जिले के सिवाय), कर्नाटक, केरल , मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र मणीपुर, उड़ीसा, राजस्थान तमिलनाडू, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा अंडेमान व निकोबार द्वीप समूहों में, छोटे एवं सीमांत किसानों की कृषि उपज में वृद्धि पर लघु किटों के वितरण के प्रभाव का मूल्यांकन नहीं किया गया था।

4.9.12 लघु किटों के वितरण के अभिलेखों का अनुरक्षण न किया जाना: पात्र किसानों को बीज के लघु किटों के वितरण को सुनिश्चित करने के लिए, कार्यक्रम के मार्गदर्शनों में, नाम, जोत संख्या, पहचान किये गिये किसान की किस्म की क्या छोटे एवं सीमांत किसान जिनकों कि लघु किट दिये गये थे की प्रविष्टियां कर दी गयी हैं तथा स्वयं रजिस्टर में लाभ भोगियों से प्राप्त किये गये लघु किटों की प्राप्ति की पावती को इंगित करते हुए एक ग्राम वार रजिस्टर के अनुरक्षण पर विचार किया गया था। तथापि, यह पाया गया था कि असम, उड़ीसा, त्रिपुरा

(जिरानिया, मातारबाडी, मोहनपुर तथा तेलीयामुरा में रजिस्टर अनुरक्षित नहीं किये गये थे, महाराष्ट्र में अनुरक्षित रजिस्टर अपूर्ण थे तथा सिक्किम में इनमें मूल सूचना नहीं थी। जम्मू और काश्मीर में, चतेरगाम (पुलवामा) के सिवाय कृषि विस्तार अधिकारियों द्वारा रजिस्टर उपलब्ध नहीं कराये गये थे। कर्नाटक में, (बंगलौर, दक्षिण कन्नड, धारवार तथा कोडागू जिले में) या तो रजिस्टर अनुरक्षित नहीं किये गये थे अथवा उनमें पूरे विवरण नहीं थे। पश्चिम बंगाल में, 1983-84 से 1987-88 के दौरान मिदनापुर तथा नादिया जिलों में 33.82 लाख रूपये मूल्य के लघु किटों के वितरण के समर्थन में अभिलेख ग्राम पंचायतों से प्राप्त नहीं किये गये थे जबकि त्रिपुरा में, 10,589 कि ग्रा बीजों (मूल्य: 1.18 लाख रूपये) के वितरण के समर्थन में पावती रसीदें कृषि-अधिक्षक, जिरानिया तथा तेलीमुरे द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई थी।

4.9.13 अन्य अभ्युक्तियां: उड़ीसा में, 1983-84 तथा 1984-85 (दोनों खरीफ व रबी) तथा 1985-86 (केवल खरीफ) के दौरान चार किलों ग्राम के विहित प्रतिमानों के प्रति 0.2 हैक्टेयर के लिए पांच किलों की दर से अरहर, मूंग, बीडी तथा कुलथी के बीजों की तथा 12 किलो के प्रति 15 किलों दर से कोपेया के बीजों के 95004 दालों के मिनी किटों में आपूर्ति किये गये थे (1983-84 : 14,023 मिनी किटों, 1984-85 : 49,903 मिनी किटों तथा 1985-86: 31,078 मिनी किटों) । इसी प्रकार से, दो किलो के प्रति चार किलो के दर से सूरजमुखी के बीज 6,366 मिनी किटों में आपूर्त किये गये थे (1984-85: 5,966 मिनी किट तथा 1985-86: 400 मिनी किट) । विहित प्रतिमानों से ऊपर बीजों का अधिक जारी करने के परिणामस्वरूप 11.05 लाख रूपये का अतिरिक्त व्यय हुआ।

पंजाब में फ़सलों को उगाने के लिए उर्वरकों का प्रयोग करने के लिए नई तकनीकियों के बारे में छोटे एवं सीमांत किसानों को शिक्षित करने हेतु न तो प्रशिक्षण आयोजित किये गये थे और न ही अभ्यासों के पैकेज की सिफारिश की गई तथा क्षेत्रीय भाषा में लिखे गये अन्य अनुदेशों की आपूर्ति की गई थी।

तमिलनाडू में, 1983-84 के दौरान सरकार द्वारा निर्धारित 30 कि ग्रा के प्रति 40 कि ग्रा मूंगफली की फलियों के लघु किट वितरित किये गये थे। इसके परिणामस्वरूप 1984-85 से 1986-87 के दौरान 8,53,630 कि ग्रा मुंगफली की फलियों का अधिक वितरण हुआ। उपरोक्त फलियों की लागत 4 रूपये प्रति कि ग्रा की न्यूनतम दर से 34.15 लाख रूपये आंकलित की गई थी।

त्रिपुरा में, 33.45 लाख रूपये के ग्राह्य व्यय के प्रति, 1983-84 के दौरान 49,186 लघु किटों के वितरण पर 47.24 लाख रूपये व्यय किये गये थे। अधिक व्यय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित से अधिक दर पर भुगतान के कारण हुआ था।

4.10 ईंधन तथा फल वाले वृक्षों का वितरण

4.10.1 छोटे एंव सीमांत किसानों की भूमि पर स्वामित्व पर ईंधन तथा फल वाले वृक्षों के पौधरोपण की योजना वर्ष 1983-84 तथा 1984-85 के दौरान संचालन में थी। इसके बाद योजना बंद कर दी गयी थी। इसके बंद किये जाने के संक्षिप्त कारण उपलब्ध नहीं कराये गये थे।

4.10.2 ईंधन तथा फलदार वृक्षों के अवयन पर इसके बंद किये जाने के बाद अनियमित व्यय:-

1985-86 से ईंधन तथा फलदार वृक्षों का वितरण बंद किये जाने के अनुदेशों को जारी किये जाने के बावजूद, इस गतिविधि पर 1985-86 तथा इसके आगे विभिन्न राज्यों के नीचे दिये गये ब्यौरे अनुसार कुल 10 करोड़ रूपये से अधिक की एक राशि खर्च की गई थी:

राज्य	जिले	वर्ष	व्यय की गई राशि (लाखरू. में)	टिप्पणियां
आन्ध्र प्रदेश	सम्पूर्ण राज्य	1985-86 तथा 1986-87	68.63	
गुजरात	सम्पूर्ण राज्य	1985-86	10.54	
हरियाणा	हिसार और जींद	1985-86	2.20	
हिमाचल प्रदेश	सम्पूर्ण राज्य	1985-86	45.93	
जम्मू और काश्मीर	डोडा कठुआ और ऊधमपुर	1985-86 तथा 1986-87	1.04	
कर्नाटक	सम्पूर्ण राज्य	1985-86	20.89	
		1986-87	उपलब्ध नहीं	6.93 लाख पौध वितरित की गई थी
केरल	सम्पूर्ण राज्य	1985-86	17.16	
मध्य प्रदेश	सम्पूर्ण राज्य	1985-86	76.60	
महाराष्ट्र	सम्पूर्ण राज्य	1985-86	30.64	
उड़ीसा	सम्पूर्ण राज्य	1985-86	20.22	
पंजाब	सम्पूर्ण राज्य	1985-86	22.79	

1	2	3	4	5
तमिलनाडू	सम्पूर्ण राज्य	1985-86	42.35	
त्रिपुरा	सम्पूर्ण राज्य	1985-86	9.95	
उत्तर प्रदेश	सम्पूर्ण राज्य	1985-86 और 1986-87	485.93	
पश्चिम बंगाल	सम्पूर्ण राज्य	1985-86	165.25	
		जोड़:	1020.12	

4.10.3 पौधों का जीवित रहना: निम्नलिखित मामलों में किसानों को वितरित किये गये पौधों के जीवित रहने की प्रतिशतता के अभिलेखों को अनुरक्षित नहीं किया गया/उपलब्ध नहीं कराया गया था:

राज्य का नाम	जिले	वर्ष	वितरित किये गये पौधे		टिप्पणियां
			संख्या (लाखों में)	मूल्य (लाख रू. में)	
1	2	3	4	5	6
आन्ध्र प्रदेश	सम्पूर्ण राज्य	1983-84 से 1985-86	203.55	289.98	
गुजरात	सम्पूर्ण राज्य	1983-84 से 1984-85	- - -	135.78	
केरल	सम्पूर्ण राज्य	1983-84 से 1985-86	504.81	100.22	
मणीपुर	सम्पूर्ण राज्य	1983-84 से 1985-86	29.80	18.93	

1	2	3	4	5	6
सिक्किम	सम्पूर्ण राज्य	1983–84 से 1984–85	उपलब्ध नहीं	3.94	
उत्तर प्रदेश	सम्पूर्ण राज्य	1983–84 से 1986–87	उपलब्ध नहीं	943.59	1983–84 में, 163.62 लाख रू. का व्यय किये जानेके बावजूद कोई पौधे वितरित नहीं किये गये थे। 1984–85 से 1985–86 के दौरान वितरित किये गये पौधे 535.86 लाख थे जबकि वे जो 1986–87 के दौरान बांटे गये थे, उपलब्ध नहीं थे । जि. ग्रा. वि. ए., वाराणासी के पास 1985–86 के दौरान जीवित पौधों के ब्यौरे थे जिन्होने दर्शाया कि रोपी गयी 9.84 लाख पौधे में से केवल 0.98 लाख पौधे (10 प्रतिशत जीवित रह सकी।
पश्चिम बंगाल	बर्दवान, मालदा, मिदनापुर तथा नाडिया	1983–84 से 1985 86	131.84	96.59	मंडल वन अधिकारी नाडिया (मुर्शिदाबाद मंडल) ने बताया कि जीवित बची पौध की दर 1984-85 में 60 प्रतिशत तथा 1985–96 में 42 प्रतिशत थी।

हिमाचल (मंडी जिले) में, 1983-84 और 1985-86 के दौरान रोपे गये पौधों के जीवित बचने की प्रतिशतता 38 और 47 के बीच वर्गीकृत थी।

मध्य प्रदेश में, 1983-84 और 1984-85 के दौरान उगाये गये 458.75 लाख पौधों के प्रति केवल 299.26 लाख पौध रोपण की गई थी। 1984-85 में विकसित किये गये पौधों में से, मार्च 1985 के अन्त में केवल 53.6 प्रतिशत फलदार पौधे तथा 61.5 प्रतिशत ईंधन लकड़ी वाले पौधे जीवित बचे सूचित किये गये थे। तथापि, 1983-84 और 1985-86 के सम्बन्ध में इसी प्रकार की सूचना बागवानी निदेशालय के पास उपलब्ध नहीं थी क्योंकि यह जिलों से प्रतिक्षित थी (मई 1988)।

उड़ीसा में, बागवानी विशेषज्ञों के माध्यम से वितरित किये गये 6.31 लाख पौधों में से (अथागढ़, बोलंगीर, चम्पुआ, जयपुर, खुर्दा, नयागढ तथा रायरंगपुर) तथा 1983-84 और 1984-85 के दौरान कालाहांडी जिले में बांटी गयी 2.36 लाख फल वृक्षों की पौधों में से, क्रमशः 3.55 लाख पौधे (52 प्रतिशत, व्ययः 8.93 लाख रू.) तथा 1.55 लाख पौधे (66 प्रतिशतः व्ययः 0.35 लाख रू.) जीवित नहीं बचे।

4.10.4 निम्नलिखित मामलों में, प्रत्यक्ष उपलब्धियों सूचित करने में कमियां निम्नवत थीः

आन्ध्र प्रदेशः सूचित की गई प्रत्यक्ष उपलब्धियां वास्तविक उपलब्धियों की बजाय जारी की गई संस्वीकृति के आधार पर थी तथा इनमें समय समय पर लौटाये गये अप्रयुक्त परिदानों को हिसाब में नही लिया गया। जि.ग्रा.वि.ए. द्वारा सूचित की गई प्रत्यक्ष प्रगति के सही होने की जांच राज्य स्तरीय कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा नहीं की गई थी।

असमः 1985-86 तक की अवधि के लिए बीजों तथा उर्वरकों के छोटे किटों के सिवाय योजना के अन्तर्गत वर्षवार प्रत्यक्ष उपलब्धियां न तो तैयार की गई थी और न हीं भारत सरकार को सूचित की गई थी।

बिहारः लाभभोगियों की कुल संख्या जिनको 1983-84 से 1987-88 के दौरान फलदार पौधे बांटे गये थे लेखापरीक्षा को सूचित किये गये 2.99 लाख वास्तविक लाभ भोगियों के प्रति जैसा कि भारत सरकार को सूचित किये गये 3.56 लाख थी।

कर्नाटकः बांटी गई पौध की संख्या तथा लाभभोगियों की संख्या से सम्बन्धित आंकड़े राज्य, जिला तथा खंड स्तरों पर अनुरक्षित नहीं किये गये थे। राज्य के विभाग, भारत सरकार को उसे सभी जिलों से संग्रहित करने की बजाय, कतिपय जिलों से प्राप्त उपलब्ध आंकड़ों पर मासिक तथा तिमाही रिपोर्ट भेजते रहे।

4.10.5 अन्य विषयः असम में, 1983-84 तथा 1984-85 के दौरान "ईंधन तथा फलदार वृक्षों" के पौधारोपण पर 3.39 लाख रू. तथा 2.99 लाख रू. का एक व्यय किया गया था। वर्षों के दौरान लाभ भोगी केवल 66 और 65 थे।

गुजरात में, 1984-85 के दौरान "खेदुत शिविरों" (प्रशिक्षण शिविरों) को आयोजित करने के लिए भी जि.ग्रा. वि.ए. को 3.92 लाख रू. की एक कुल राशि अदा की गई थी। इसके प्रयोग तथा प्रशिक्षित किसानों की संख्या के ब्यौरे न तो ग्रामीण विकास, आयुक्त के पास, और

न ही जि.ग्रा. वि.ए. के पास उपलब्ध थे।

उड़ीसा में, 1983–84 से 1985–86 के दौरान 2.51 लाख रू. मूल्य की पौधें (बागवानी विशेषज्ञ पुरी: 0.98 लाख रू. तथा बागवानी विशेषज्ञ बरहामपुरा: 1.53 लाख रू.) निजी नर्सरियों से खरीदी गई थी तथा लाभ भोगियों को वितरित की गई थीं।

पश्चिम बंगाल में, नियत आर्थिक सहायता प्राप्त दरों (25 से 50 प्रतिशत) के प्रति पौधों के नि:शुल्क वितरण के परिणामस्वरूप 1984–86 के दौरान लगभग 108.73 लाख रू. का अतिरिक्त व्यय हुआ।

167.50 लाख रू. की प्राप्त केन्द्रीय सहायता के प्रति ग्राह्य: सहायता 34.87 लाख रू. थी (1983–84 और 1984–85 के दौरान ईंधन तथा फलदार वृक्षों के पौधारोपण पर 69.75 लाख रू. के कुल व्यय का 50 प्रतिशत)। इस प्रकार से, 132.63 लाख रू. की अधिक केन्द्रीय सहायता असमायोजित रही (मई 1988) जबकि अवयव 1985–86 से बंद कर दिया गया था।

4.11 भूमि विकास

4.11.1 भूमि विकास अवयव में व्यक्तिगत तथा सामुदायिक आधार पर आर्द्रता संरक्षण, परिरेखा मूल रेखा अन्तशबरोधन बांध, ढालू के आरपार बंद खूड बनाना, छोटे रोक बांधों को स्थापित करना इत्यादि, जैसे कार्य समाविष्ट हैं।

1983–84 से 1987–88 के दौरान भूमि विकास कार्यों पर किया गया व्यय कार्यक्रम के अन्तर्गत आन्ध्रपदेश (5.99 प्रतिशत), असम (7.81 प्रतिशत), गुजरात (0.71 प्रतिशत), केरल (12.33 प्रतिशत) तथा मध्य प्रदेश (2.93 प्रतिशत) में किये गये कुल व्यय की तुलना में नगण्य था।

असम (1983–85), केरल (1984–85), मणीपुर (1983–86), राजस्थान (1983–86), उत्तर प्रदेश (1983–85), पश्चिम बंगाल (1983–86) तथा अंडेमान तथा निकोबार द्वीप समूह (1983–87) में भूमि विकास पर कोई व्यय नहीं किया गया था। उत्तर प्रदेश में, 1983–85 के दौरान भूमि विकास के निमित्त 141.92 लाख रू. बीजों तथा ऊर्वरकों के लघु किटों के वितरण हेतु प्रयुक्त किये गये थे। पश्चिम बंगाल में, मालदा तथा मिदनापुर जिलों के सिवाय कोई भूमि विकास कार्य हाथ में नहीं लिया गया था। असम में, करबी– अंगलोग तथा नागोल जिलों में, छोटे एवं सीमांत किसानों की पहचान को दशनि वाला कोई अभिलेख अनुरक्षित नहीं किया गया था तथा भूमि विकास कार्य, लाभ भोगियों के अलावा मस्टर रोल पर लगाये गये मजदूरों द्वारा किये गये थे। इस उद्देश्य के लिए अनुरक्षित की गई माप– पुस्तिकाएं किये गये कार्य के लिये जिनका भुगतान करने से पूर्व जांच भी नहीं की गई थी, पूरे ब्यौरे इंगित नहीं करती थी।

4.11.2 अन्य रूचिकर बातें: केरल में, 1983–84 तथा 1985–86 से 1987–88 के दौरान 277.10 लाख रू. के व्यय किये गये थे परन्तु कार्यान्वयन के क्षेत्र का सर्वेक्षण तथा लाभ भोगियों की पहचान की प्रारम्भिक प्रक्रियाओं का अनुकरण नहीं किया गया था। परिदान केवल लैंड मोर्टगेज बैंकों द्वारा जारी किये गए प्रमाणपत्रों के आधार पर ही जारी की गयी थी तथा लाभ भोगियों द्वारा किये गये भूमि विकास कार्यक्रमों के समुचित सत्यापन तथा मूल्यांकन के बाद नहीं। लेखा परीक्षा प्रदत्त परिदान की सत्यता को सुनिश्चित नहीं

कर सका क्योंकि बैंकों द्वारा दावा किये गये परिदान की भेजी गई सूची में भूमि धारिता, लाभान्वित क्षेत्र, लाभ भोगियों द्वारा निष्पादित कार्यों की वास्तविक प्रकृति, इत्यादि के ब्यौरे शामिल नहीं थे।

4.12 प्रबोधन

4.12.1 मंत्रालय नोडल एजेंसी होने के नाते कार्यक्रम के निरीक्षण, पर्यवेक्षण तथा प्रबोधन के लिए उत्तरदायी था। इस उद्देश्य हेतु सचिव (कृषि तथा सहकारिता) की अध्यक्षता में एक अन्तर-मंत्रीमंडलीय परियोजना कार्यान्वयन समिति गठित की गई थी। राज्य स्तर पर सभापति के रूप में राज्य के मुख्य सचिव सहित एक अन्तर मंत्रीमंडलीय समन्वय समिति बनाने पर विचार किया गया था। परियोजना कार्यान्वयन समिति की सभाओं की आवर्तितता के बारे में सूचना तथा किये गये प्रबोधन का विस्तार, जो लेखा परीक्षा में मांगा गया था, मंत्रालय द्वारा नहीं दिया गया था। कार्यक्रम के विभिन्न संघटकों के अन्तर्गत वित्तीय तथा प्रत्यक्ष प्रगति के प्रबोधन हेतु एक नियमित रिपोर्ट तैयार करने की प्रणाली सोच निकाली गई थी। तथापि, मंत्रालय राज्यों/सं.शा. क्षे. द्वारा प्रत्येक वर्ष किये गये घटकवार व्यय के बारे में सूचना नहीं दे सका।

4.12.2 राज्य वार/सं.रा. क्षे.वार प्रबोधन की स्थिति:

असम, बिहार, जम्मू और काश्मीर, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मणीपुर, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह तथा पांडिचेरी के राज्यों/सं. शा.क्षे. में राज्य तथा/अथवा जिला स्तरों पर कार्यक्रम का कोई प्रबोधन नहीं किया गया था। तमिलनाडू सरकार ने जून 1988 में बताया कि योजना की राज्य स्तर पर ए.गा. वि.का. के लिए बनाये गये विशेष अधिकारी (प्रबोधन कक्ष) द्वारा तथा जिला स्तर पर जि.ग्रा.वि.ए. द्वारा समीक्षा की जा रही थी। समीक्षा प्रतिवेदनों तथा उन पर की गई अनुवर्ती कार्यवाही के ब्यौरे लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गये थे। सितम्बर 1988 में यह पुनः बताया गया कि निरीक्षण/समीक्षा से सम्बन्धित कोई फाइलें नहीं रखी गई थी।

मध्य प्रदेश, पंजाब, त्रिपुरा तथा अंडेमान व निकोबार द्वीप समूह में अन्तर विभागीय समितियां स्थापित नहीं की गई थी। फरवरी 1984 में बिहार में स्थापित समिति ने 1984 में दो बार तथा 1985 से 1987 के वर्षों में प्रत्येक में केवल एक बार सभाएं की थीं, हरियाणा में अप्रैल 1986 में स्थापित की गई समिति ने नवम्बर 1986 तथा अगस्त 1987 के बीच तीन अवसरों पर सभा की थी। तमिलनाडू में, समिति ने दिसम्बर 1983 में तथा दोबारा जून 1984 में सभाएं की थी। जून 1985 में, समिति पुनः गठित की गई थी। इसने जुलाई 1985 में केवल एक बार सभी की थी (जून 1988 तक)। पांडिचेरी में, नवम्बर 1983 में गठित राज्य स्तरीय समन्वय समिति ने नियमति रूप से सभाएं नहीं की थी।

4.12.3 कर्मचारियों सहित जिनको जिला स्तर पर अनुरक्षित किया जाना था, लघु सिंचाई, छोटे किटों तथा भूमि विकास के बीच व्यय का 7:1:2 का अन्तर संघटकीय अनुपात, आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, जम्मू और काश्मीर, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणीपुर, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल में, अनुरक्षित नहीं रखा गया था। तमिलनाडू में, जिला स्तर पर अन्तर - संघटकीय अनुपात के अनुरक्षण से

सम्बन्धित सूचना लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करायगी गयी थी।

गुजरात में, 1984-85 से 1987-88 के दौरान प्रत्येक जि.ग्रा.वि.ए. द्वारा चार वार्षिक कार्यवाही योजनाएं तैयार की जानी अपेक्षित थीं। जि.ग्रा.वि.ए., बनासंकठा ने केवल दो कार्यवाही योजनाएं तैयार की जबकि जि.ग्रा. वि.ए., खेडा, तथा बड़ोदरा ने किसी भी वर्ष के लिए कार्यवाही योजनाओं का कोई ब्यौरा नहीं भेजा । वार्षिक कार्यवाही योजनाएं किसी भी प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित नहीं की गई थी।

उड़ीसा में, प्रबोधन प्रबंधों की कमी के कारण राज्य सरकार के पास पात्र लाभ भोगियों को कार्यक्रम के विभिन्न अवयवों के अन्तर्गत उपार्जित लाभों से सम्बन्धित सूचना नहीं थी।

4.12.4 जिला स्तर के अधिकारियों द्वारा राज्य सरकारों की तथा राज्य सरकारों द्वारा केन्द्रीय सरकार को भेजी गई प्रत्यक्ष तथा वित्तीय प्रगति से सम्बन्धित निर्धारित आवधिक रिपोर्टों (मासिक, तिमाही, षट्मासिक तथा वार्षिक), से निम्नलिखित गलतियों/ कमियों का पता चला:

आन्ध्र प्रदेश: जिलों से प्राप्त तिमाही प्रगति रिपोर्टों से रिपोर्ट देने में विलम्ब तथा आन्तरिक असंगतताओं का पता चला। अनन्पुर, चित्तूर, पूर्व गोदावरी, गुन्टूर, करीमनगर तथा महबूबनगर जिलों में जि.ग्रा.वि. ए. द्वारा सूचित की गई प्रगति तथा राज्य स्तरीय कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा सूचित की गई समेकित प्रगति रिपोर्ट में भिन्नताएं थी। सूचित की गई प्रत्यक्ष उपलब्धियां, वास्तविक उपलब्धियों की बजाय, जारी की गई संस्वीकृतियों पर आधारित थी।

बिहार: जि.ग्रा. वि.ए. पटना ने कार्यक्रम के प्रारम्भ से ही राज्य सरकार को कोई रिपोर्ट नहीं भेजी । राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार को प्रगति प्रतिवेदनें भेजेने में विचारणीय विलम्ब था।

हिमाचल प्रदेश: क्षेत्रीय एजेंसियों से जिला अधिकारियों तथा जिला अधिकारियों से राज्य सरकार को प्रस्तुत की गई रिपोर्टों का विश्लेषण नहीं किया गया था। रिपोर्टों में समाविष्ट आंकड़े वास्तविक नहीं थे। जिला अधिकारियों द्वारा प्रबोधन वित्तीय लक्ष्य की उपलब्धित तक सीमित था।

कर्नाटक: केन्द्रीय सरकार को भेजी गई मासिक तथा त्रिमासिक रिपोर्टों में, सभी जिलों से उसे संग्रहित करने की बजाय केवल कुछ जिलों से प्राप्त उपलब्ध आंकड़े अन्तविष्ट थे।

केरल: यद्यपि आवधिक रिपोर्ट तैयार की गई तथा जिला/राज्य स्तरीय अधिकारियों को प्रस्तुत की गई थी, आंकड़ों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने हेतु कोई तंत्र विकसित नहीं किया गया था। प्रगति प्रतिवेदनों में अतिरिक्त फसल पैदावार की प्रमात्रा , खेती के अंतर्गत क्षेत्रों के विस्तारण की मात्रा इत्यादि के बारे में अंगीकार किये गये आंकड़े अभ्यासों के सामान्य पैकेज पर आधारित केवल प्रक्षिप्त आंकड़े थें।

मध्य प्रदेश: समेकित मासिक रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को कभी भेजी ही नहीं गई थी। 1983-84 से 1987-88 के दौरान केवल तिमाही रिपोर्ट भेजी गई थी तथा वे भी 23 महीनों तक के वर्गीकृत, विलंम्ब से।

सिक्किम: एक जिला प्राधिकारी (1985-86) तथा तीन जिला प्राधिकारियों (1987-88) द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण को छोड़ कर, किसी अन्य जिला

प्राधिकारी ने राज्य सरकार को 1986-87 तक कोई आवधिक प्रतिवेदन नहीं भेजे। तथापि, राज्य सरकार ने 1983-84 के दौरान दो मासिक प्रतिवेदन, 1986-87 तथा 1987-88 के लिए सभी त्रैमासिक प्रतिवेदनों के साथ साथ 1983-84 से 1986-87 तक वार्षिक प्रतिवेदन केन्द्र सरकार को भेजे थे। जिला प्राधिकारियों से आवधिक प्रतिवेदनों के अभाव में, केन्द्र सरकार को भेजी गयी प्रतिवेदनों की प्रमाणिकता सत्यापित नहीं की जा सकी।

पश्चिम बंगाल: विभिन्न वित्तीय एजेंसियों द्वारा लाभ भोगियों को अनुमत किये गये ऋण की कुल राशि तथा प्रत्येक वर्ष प्रत्येक संघटक के अंतर्गत लाभभोगियों की कुल संख्या की सूचना, विभाग में उपलब्ध नहीं थी।

अंडमान व निकोबार द्वीप समूह: खंड स्तरों से कोई रिपोर्ट (वार्षिक रिपोर्टों के सिवाय) प्राप्त नहीं हुई थी। प्रबोधन, केवल केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करने के लिए वार्षिक रिपोर्टों का समेकन करने तक सीमित था।

चंडीगढ़: मासिक/तिमाही रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को नियमित रूप से प्रस्तुत नहीं की गई थी तथा जो प्रस्तुत की गई थी वे भी अपूर्ण थीं।

कार्यक्रम के अधीन शामिल छोटे एवं सीमांत किसानों की भूमि में दालों, तिलहन, इत्यादि, की उपज/उत्पादकमा में वृद्धि विषायक सूचना मंत्रालय में उपलब्ध नहीं थी। आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और काश्मीर (उधमपुर जिले के सिवाय), कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र , मणीपुर, उड़ीसा, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा अंडमान व निकोबार द्वीप समूहों में छोटे एवं सीमांत किसानों के कृषि उत्पादन में वृद्धि पर छोटे किटों के वितरण के प्रभाव का मूल्यांकन नहीं किया गया था।

1970-71 से 1986-87 के दौरान देश में समस्त क्षेत्र, उत्पादन तथा दालों एवं तिलहनों की पैदावार के एक विश्लेषण से प्रकट होगा कि केन्द्र द्वारा प्रायोजित अन्य कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के अतिरिक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत 1983-84 से 1986-87 के दौरान दालों (64.80 लाख छोटे किट, प्रत्येक में बीजों के 4 कि.ग्रा. से 12 कि.ग्रा.) तथा तिलहनों (70.61 लाख छोटे किट, प्रत्येक में बीजों के 1 से 30 कि.ग्रा.) के छोटे किटों के वितरण के बावजूद एन.पी.डी.पी. तथा एन.ओ.डी.पी., दालों का उत्पादन न्यून्याधिक स्थिर रहा था जबकि तिलहनों के उत्पादन में एक सीमान्त वृद्धि थी। मूंगफली के मामले में, गुजरात में प्रति हैक्टेयर औसत उपज, जो कि मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक रहा था (क्षेत्रवार) घटती हुई प्रवृति पर थी।

4.13 मूल्यांकन

मंत्रालय के अभिलेखों से यह प्रकट नहीं हुआ कि कार्यक्रम के मूल्यांकन के लिए कोई प्रबंध किये गये थे।

हरियाणा तथा पंजाब को छोड़कर जहां आंशित अध्ययन किये गये थे आर्थिक विकास तथा छोटे एवं सीमांत किसानों के कृषि उत्पादन में वृद्धि पर कार्यक्रम के प्रभाव को सुनिश्चित करने के लिए किसी भी राज्य/सं.शा. क्षे में मूल्यांकन करने पर कोई प्रयत्न नहीं किया गया था।

हरियाणा में, तिलहनों तथा दालों के छोटे किटों के वितरण के मूल्यांकन को अध्ययन शुरू किया गया था। कृषि विभाग द्वारा रबी 1984-85 के दौरान शुरू किये अध्ययन ने प्रकट किया कि छोटे किटों का वितरण सम्पूर्ण रूप से कार्यक्रम में निर्धारित प्राचल के अनुसार नहीं था तथापि 24 प्रतिशत दाल तथा दो प्रतिशत तिलहन उगाने वालों को बीजों के

छोटे पैकेटों के साथ खाद के पैकेट आपूर्त नही किये गये थे। राज्य सरकार के विभाग को छोटे किट अवयव तथा निर्धारित अनुदेशों के अनुरूप कार्यक्रम को भी दृढ़ता से कार्यान्वित करने का निदेश दिया परन्तु सही कदम उठाने के लिए कोई अनुवर्ती कार्यवाही नहीं की गई थी।

पंजाब में, एन ए बी ए आई डी द्वारा भटिंडा जिले में किये गये एक अध्ययन से लाभ भोगियों को तकनीकी मार्गदर्शन का अभाव प्रकट हुआ। छिछले ट्यूबवैलों के संस्थापन के लिए निर्धारित विनिर्देशनों का भी अनुकरण नहीं किया गया था।

तमिलनाडु में, मूल्यांकन तथा प्रायोगिक अनुसंधान के निदेशक को दिसम्बर 1986 में योजना तथा विकास विभाग के साथ सलाह से कार्यक्रम का एक मूल्यांकन करने के लिए तथा तीन माह में एक रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया था। रिपोर्ट प्रतीक्षित थी (जून 1988)।

मामल अक्तूबर 1988 में मंत्रालय को सूचित किया गया था, उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (मार्च 1989)।

कृषि मंत्रालय तथा भूतल परिवहन मंत्रालय

5. एक अधिनिर्णय के विरुद्ध अपील करने पर अविवेकपूर्ण व्यय

एक विदेशी पत्तन से दो भारतीय पत्तनों को डायमोनियम फास्फेट ले जाते हुए "एम वी लिप्स" जलयान के चार्टर (भारत सरकार) तथा मालिकों के बीच विलंब शुल्क पर एक विवाद चार्टर पार्टी में वर्णित उपबंधों के अनुसार प्रत्येक पार्टी द्वारा नियुक्त किये गये दो मध्यस्थों को भेजा गया था। दोनों मध्यस्थों में असहमति होने के कारण, निर्णय देने के लिए फरवरी 1983 में उन द्वारा एक निर्णायक नियुक्त किया गया था। दोनों पार्टियों की सुनवाई करने तथा रिकार्ड में उपलब्ध सबूत का अध्ययन करने के पश्चात, निर्णायक ने जहाज मालिकों के पक्ष में 19,896 पौंड की एक राशि (विलंब शुल्क 15,156 पौंड ब्याज: 4658 पौंड तथा दलाली व भाडे में गलती 82 पौंड) अधिनिर्णय दिया (1983)।

चार्टर पार्टी ने वर्णित उपबंधों के अनुसार, जबकि भाड़ा तथा विलंब प्रभारों के संबंध में लेखा की मुद्रा यू एस डालरों में थी, भुगतान की मुद्रा ब्रिटिश स्टर्लिगों में थी तथा लदान पत्र की तिथि को प्रभावी औसत विनिमय दर आदेश संबंधित भुगतानों /परिशोधनों पर लागू होगा। तथापि, निर्णायक ने अपने अधिनिर्णय में दो मुद्राओं के सम्परिवर्तन विनियम की दर (1.54 अमेरिकन डालर= 1 पौंड) को लदान पत्र की तिथि को प्रचालित विनियम दर (2.37 अमेरिकन डालर =1 पौंड) के बजाए, निर्णय की तिथि को प्रचलित दर पर इस आधार पर कि चार्टर उचित समय पर भुगतान न करके करार को तोड़ रहे थे, अनुमत कर दिया। चार्टर पार्टी में उपाबंधों को विपरीत विनिमय की दर को ग्रहण करने में 6968 पौंड (1.67 लाख रूपये) की हानि अंतर्ग्रस्त थी।

भारतीय उच्चायुक्त , लंदन के प्रतिवक्ताओं ने मिशन को निर्णायक के अधि निर्णय की एक प्रति अग्रेषित करते हुए 3 मार्च 1983 को बताया कि अधि निर्णय की एक प्रति चार्टर के वकील को, उसके विचार तथा सलाह के लिए कि क्या चार्टरों को विनिमय दर हानियों तथा भाड़े तथा विलंब शुल्क के देर से भुगतान पर चक्रवृद्धि ब्याज सम्बंधी निर्णायक के अधिनियिम पर अपील की अनुमति मांगनी चाहिए,

भेज दी गई थी। उन्होंने अधि निर्णय के अंतर्गत निर्णायक के विवेचन पर मिशन के विचार मांगे। तथापि, मिशन ने इस दलील पर कि मामले में सलाह के लिए चार्टर के वकील को निर्णायक के अधि निर्णय की एक प्रति पहले ही भेजी जा चुकी थी, उनसे कोई अनुदेश नहीं मांगे गये थे, प्रतिवक्ता के संदर्भ पर कोई ध्यान नहीं दिया। 15 मार्च 1983को प्रतिवक्ताओं ने मिशन को सूचित किया कि अधिनिर्णय के विरूद्ध अपील करने के लिये समय की सीमा बचाव हेतु उन्होने 14 मार्च 1983 को विनिमय दर तथा ब्याज के विषय पर एक वाणिज्य न्यायालय में एक प्रवर्तन नोटिस जारी किया था। तथापि, प्रतिवक्ताओं ने 16 मार्च 1983 को मत व्यक्त किया कि मुकदमें की अपील इन तथ्यों को देखते हुए नहीं करनी चाहिए कि §1§ निर्णय के संबंध में अंतर्ग्रस्त राशि इतनी कम थी कि यह प्रावेदन लड़ने की लागत मात्र को न्यायोचित नहीं ठहरा पायेगी तथा §2§ यद्यपि वकील तथा प्रतिवक्ता दोनों महसूस करते हैं कि विनिमय दर के निर्णय पर निर्णायक पूर्णतया गलत था, न्यायालय अपील की अनुमति देने से इंकार कर देगी, ऐसी दशा में चार्टर के अन्य मामलों पर भी प्रभाव पड़ेगा।

प्रतिवक्ताओं की सलाह पर अमल करते हुए, मिशन ने मंत्रालय को मार्च 1983 में बताया कि अधि निर्णय के विरूद्ध अपील द्वारा मामले को और आगे नहीं बढ़ाना चाहिए तथा जहाज के मालिकों को अधि निर्णित राशि का भुगतान करने के लिए प्राधिकार भी लेना चाहा। मंत्रालय ने अनुशंसा को स्वीकृत कर लिया तथा मिशन को अधि निर्णीत धन की अदायगी के लिए प्राधिकृत कर दिया । तथापि, मिशन ने, निर्णायक के अधिनिर्णय को मान लेने तथा अपील न करने के सरकार के निर्णय को प्रति वादियों को प्रेषित नहीं किया। परिणामत: प्रतिवक्ताओं ने 14 मार्च 1983 को अधिनिर्णय के विरूद्ध दायर की गई अपील की अनुमति के लिए प्रावेदन का अनुसरण करना जारी रखा । वाणिज्यिक न्यायालय ने जुलाई 1983 में केवल विनिमय की दर के मामले के संबंध में ही अपील करने की अनुमति प्रदान की । सितम्बर 1983 में, प्रतिवक्ताओं ने मिशन को सूचित किया कि वास्तविक अपील शीघ्र ही सुनवाई पर आवेगी तथा वे उसी वकील सहित अपील करेंगे जब तक कि मिशन द्वारा इसके विपरीत अनुदेश नहीं दिये गये हों। इस चरण पर भी, मिशन अधिनिर्णय के विरूद्ध अपील न करने के सरकार के निर्णय के बारे में प्रतिवक्ताओं को सूचित करने में असफल रही। इसलिए वास्तविक अपील अग्रसर की गयी तथा वाणिज्य न्यायालय द्वारा चार्टरों के पक्ष में अनुमत कर दी गई थी । तथापि, अपीलिय न्यायालय में जहाज के मालिकों द्वारा दायर की एक और अपील पर निर्णय सुरक्षित रखा गया था तथा निर्णायक का अधिनिर्णय पुन: लागू कर दिया गया ।

इस लिए कृषि मंत्रालय के पास मिशन से हाउस आफ आर्डस से अपील की अनुमति मांगने के लिए कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अंतत: अपील दायर की गई, सुनी गई तथा चार्टरों के पक्ष में निर्णीत हो गई थी।

संक्षेप में, निर्णायक के अधिनिर्णय के विरूद्ध "अपील की अनुमति" न मांगने के लिए मंत्रालय के निर्णय को मिशन द्वारा प्रतिवक्ताओं को भेजने में असफलता से केवल 6,968 पौंड §1.67 लाख रूपये§ की राशि का विलंब प्रभार प्राप्त करने के लिए प्रतिवक्ताओं तथा वकीलों के शुल्क के रूप में 46,793 पौंड §11.18 लाख रूपये§ के अविवेकपूर्ण व्यय को अंतर्ग्रस्त करते हुए विभिन्न न्यायालयों में मुकदमें लड़ने पड़े।

मामला अप्रैल 1988 में मंत्रालय को सूचित किया गया था, उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं §दिसम्बर 1988§।

कृषि, भूतल परिवहन तथा शहरी विकास मंत्रालय

6. भूमि का अधिग्रहण

6.1 प्रस्तावना

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 जैसा कि संसद द्वारा 1984 में संशोधित किया गया था, सार्वजनिक उद्धेश्य हेतु अपेक्षित भूमि को अधिग्रहित करने के लिये सरकार को शक्ति प्रदान करता है। किसी भी भूमि के अधिग्रहण हेतु प्रारम्भिक अधिसूचना अधिनियम की धारा 6 §1§ के अधीन एक घोषणा द्वारा अनुसरण की गई धारा 4§1§ के अधीन जारी की जाती है कि भूमि सार्वजनिक उद्धेश्य हेतु अपेक्षित है। अत्यावश्यकता के मामले में अधिनियम की धारा 17 के अधीन विचार विमर्श लम्बित रहते हुये भूमि का कब्जा लेने के लिये संग्रहणकर्ता को अधिकार है। अधिग्रहित भूमि के लिए प्रतिपूर्ति का अनुमत किया जाना, धारा 23 के अधीन तथा अदायगी के लिये ब्याज अधिनियम की धारा 34 के अधीन निर्धारित किया जाता है।

अधिनियम के अन्तर्गत संग्रहणकर्ता अथवा विनिर्दिष्ट अधिकारी भूमि का अधिग्रहण करने के लिये उत्तरदायी है।

6.2 लेखापरीक्षा क्षेत्र

संघ राज्यक्षेत्र चंडीगढ़, के भूमि अधिग्रहण अधिकारी के अप्रैल 1982 से मार्च 1988 की अवधि, और संघ राज्य क्षेत्र दादर व नागर हवेली के भूमि अधिग्रहण अधिकारी तथा अधिशासी अभियंता खंण्ड-I के कार्यालयों के 1982 से 1987 की अवधि से सम्बन्धित अभिलेखों की मई/जून 1988 में नमूना जांच की गई थी। केरल राज्य में केन्द्रीय सरकार के विभागों द्वारा भूमि अधिग्रहण करने के कुछ एक मुद्दे भी सामने आये थे। लेखापरीक्षा में सामने आये मुद्दों को अनुवर्ती पैराग्राफों में उल्लिखित किया गया है।

6.3. संगठनात्मक ढांचा

चंडीगढ़ तथा दादर व नागर हवेली के संघ राज्य क्षेत्रों में भूमि अधिकृहण करने का कार्य भूमि अधिग्रहण अधिकारी को सौंपा गया है। संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ को नोटिफाइड एरिया कमेटी, मनीमाजरा द्वारा सार्वजनिक उद्धेश्य हेतु अपेक्षित भूमि सहायता सम्पदा अधिकारी द्वारा अधिग्रहित की जाती है जो समिति के लिये भूमि अधिग्रहण अधिकारी के रूप में कार्य करता है।

6.4 विशिष्टाएं

- **दादर व नागर हवेली संघराज्य क्षेत्र में 1982 से 1987 के दौरान प्राप्त किये गये भूमि अधिग्रहण के 50 प्रस्तावों में से, केवल दो मामलों में अधिनिणाय घोषित किया गया था: दो मामले कार्यवाहियों को अन्तिम रूप न दिये जाने के कारण गतावधि हो गये , 27 मामलों में कार्यवाहियां प्रगति में थी, जबकि बाकी 19 मामलों में कार्यवाहियां अभी शुरू की जानी थी। दादर व नागर हवेली प्रशासन द्वारा बेहतर अंनुश्रवण हेतु सभी अधिग्रहण मामलों के अभिलेख रखने के लिये न तो कोई प्रणाली अभिकल्प्य की गयी थी और न ही भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा किये गये अधिनिर्णय को अन्तिम रूप देने के लिये कोई मापदण्ड नियत किये गये थे।**

- अधिसूचना के विलम्ब से अनुमोदन के कारण भूमि अधिग्रहण कार्यवाहियों को पूरा करने में देरी के परिणामस्वरूप चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र में 2.79 लाख रू. राशि की अतिरिक्त प्रतिपूर्ति की अदायगी की गई।

- संघ राज्यक्षेत्र चंडीगढ़ द्वारा अधिग्रहित 134.45 एकड़ माप वाली भूमि (मूल्य 174.49 लाख रू.) और जुलाई 1983/जुलाई 1987 में कब्जे में ली गई भूमि बिना उपयोग किये पड़ी रही है। चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा न तो कोई आर्थिक सीमा नियत की गई थी जहां तक भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा अधिनिर्णय घोषित किये जा सकते थे और न ही कोई प्राधिकारी जिसका अधिनियम की धारा 11 के अधीन अनुमोदन अपेक्षित था अधिसूचित किया गया था। चंडीगढ़ प्रशासन के द्वारा संशोधित किये गये अधिनियम के अधीन निर्धारित अवधि के भीतर अधिनिर्णय को संशोधित न करने के परिणामस्वरूप 1.13 लाख रू. के ब्याज की परिहार्य अदायगी की गई। प्रतिपूर्ति की लम्बित अदायगी से 1.86 लाख रू. की राशि के ब्याज की अतिरिक्त देयता अपरिहार्य बन गई।

- केरल में 68.92 लाख रू. की लागत पर अधिग्रहित की गई 25.45 हैक्टेयर नाप की भूमि तथा मार्च 1974 से मई 1982 के दौरान लोक निर्माण विभाग (लो नि.विभ) को उपलब्ध कराई गई भूतल परिवहन मंत्रालय द्वारा अनुमानों की असंस्वीकृति के कारण उपयोग में नहीं लायी गयी है।

6.5 भूमि के अधिग्रहण में विलम्ब

दादर व नागर हवेली के संघ राज्यक्षेत्र में 1982 से 1987 के दौरान प्राप्त किये गये भूमि अधिग्रहण के 50 प्रस्तावों में से केवल दो मामलों में अधिनिर्णय घोषित किया गया था, दो मामले कार्यवाहियों को अधिनियम में विहित निर्धारित अवधि के भीतर अन्तिम रूप न देने के कारण गतावधि हो गये और 27 मामलों में कार्यवाहियां विभिन्न स्तरों पर थी अर्थात्: धारा 4 के अधीन 6 मामले अधिसूचना स्तर पर, धारा 6 के अधीन 3 मामले घोषणा स्तर पर, धारा 9 के अधीन 13 मामले आपत्ति स्तर पर और पांच मामले अधिनियम की धारा 11 के अधीन अधिनिर्णय स्तर पर लम्बित थे। बाकी 19 मामलों में कार्यवाहियां अभी शुरू की जानी थी (जून 1988)।

अधिग्रहण कार्यवाहियों में विलम्ब, भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा इस उद्देश्य हेतु नियमित स्टाफ को नियोजित न करने के कारण पर आरोपित किया गया था (सितम्बर 1988)। लम्बित मामलों के सम्बन्ध में यह कहा गया है कि अधिनिणायों को 3 महीने के भीतर यानि उनकी गतावधि से पहले, अन्तिम रूप दिया जायेगा।

एक भूमि अधिग्रहण प्रस्ताव को अधिनिर्णय स्तर तक पहुंचने से पहले भिन्न भिन्न स्तरों से गुजरना पड़ता था। दादर व नागर हवेली संघ राज्यक्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विभिन्न स्तरों को पूरा करने के लिये एक समयबद्ध सूची, न तो अप्रैल 1988 तक प्रशासन द्वारा बनायी गयी थी और न ही यह सुनिश्चित करने के लिये कि अधिग्रहण

कार्यवाहियां अधिनियम में निर्धारित समय के भीतर पूरी की गई थी, सभी अधिग्रहण मामलों के अभिलेख रखने की कोई प्रणाली ईजाद नहीं की गई थी। प्राप्त किये गये प्रस्तावों के संबंध में आवधिक रिर्टन/प्रगति रिपोर्टों के प्रस्तुतीकरण की बेहतर मोनिटरिंग के लिये प्रशासन द्वारा कोई प्रणाली लागू नहीं की गई थी।

6.6 कार्यवाहियों का पूरा न करना

1984 में यथासंशोधित भूमि अधिग्रहण अधिनियम में विचार किया गया कि धारा 4 के अधीन अधिसूचना की तिथि से एक वर्ष के बीत जाने के बाद अधिनियम की धारा 6 की अधीन कोई घोषणा नहीं करनी चाहिए। दादर व नागर हवेली में, करचौंद और जमालपाडा गावों में सड़कों के प्रसार हेतु जनवरी 1986 में प्रस्तावित किये गये क्रमशः 2.80 और 0.90 हैक्टेयर नाप वाली भूमि के अधिग्रहण के लिये धारा 4 के अधीन 2 अधिसूचनाएं 30 जुलाई 1986 को प्रकाशित की गई थी। तथापि, धारा 6 के अधीन तदनुरूपी घोषणा , प्रशासक द्वारा घोषणाओं के बार बार विलम्ब से अनुमोदन करने के कारण से एक वर्ष की निर्धारित समय सीम के भीतर नहीं की गई थी। इसके कारण भूमि के अधिग्रहण में विलम्ब हुआ, जिसके फलस्वरूप वृद्धि के कारण निर्माण की लागत में बढ़ोत्तरी के अलावा बढ़े हुए सुझावओं के लिये अतिरिक्त भुगतान हुआ ।

6.7 अधिसूचना से पहले भूमि का कब्जा

संघ शासित क्षेत्र चण्डीगढ़ में अन्तर्ग्रस्त 13.06 एकड़ भूमि के 4 मामलों में, या तो पूर्व पंजाब सरकार द्वारा अथवा चण्डीगढ़ प्रशासन द्वारा भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत तथा घोषणा धारा 6 के अन्तर्गत अधिसूचना जारी किये बिना चण्डीगढ़ शहर के बाहरी शीवरेज प्रणाली के निर्माण के लिये भूमि का कब्जा 1960 में लिया गया था। 1980 में एक पार्टी द्वारा एक सिविल रिट्ट पिटीशन दायर किये जाने पर, पंजाब तथा हरियाणा हाई कोर्ट ने निश्चय किया कि अधिनियम की धारा 4 तथा 6 के अन्तर्गत अधिसूचना 9 दिसम्बर 1988 को जारी हुई समझी जायेगी तथा उस तिथि को प्रचलित बाजार दर पर मुआवजा अदा किया जाये। 1982 में इस पार्टी द्वारा रिट पिटीशन दायर किये जाने पर कोर्ट ने वैसे ही लागों को अनुमत किया जो पूर्व के पिटीशन में तय किये गये थे।

तदनुसार भूमि अधिग्रहण अधिकारी ने भूमि के बाजार दर अर्थात संघ शासित क्षेत्र चण्डीगढ़ के कजहारी के गांव के पास में वर्ष 1980 में प्रचलित 0.30 लाख रू. प्रति एकड़ पर 1981-82, 1983 तथा 1985 में मुआवजा दिया था क्योंकि पंजाब राज्य के पडौसी गांव के बारे में जिला कलेक्टर रोपड़ से दरे उपलब्ध नहीं थीं। 1971 के एक अधिनिर्णय में अपनाई गई गांव कजहारी की पूर्व बाजार दर, तथापि 11,422 रू. प्रति एकड़ थी। 1960 में प्रचलित दरों के बारे में सूचना, तथापि उपलब्ध नहीं थी । 1971 में पंचाट की गई दर पर आधारित चण्डीगढ़ प्रशासन द्वारा वहन की गयी भूमि अधिग्रहण कार्यवाहियों के काफी विलम्ब समापन से उत्पन्न हुआ अतिरिक्त दायित्व 2.79 लाख रू. बना । 1960 की दरों के आधार पर जो उपलब्ध नहीं थी अतिरिक्त दायित्व वही अधिक होगा। भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया के विलम्बित समापन हेतु कारणों को प्रथित नही किया गया था (सितम्बर 1988)।

6.8 भूमि का अनुपयोग

§1§ संघ शासित क्षेत्र, चण्डीगढ़ में मलोया गांव में 104.46 लाख रू. के बढी हुई §कोर्ट द्वारा§ मूल्य पर 72.87 एकड़ माप वाली भूमि बाजार प्रांगण के विकास के लिये विपणक समितियों को सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्रीय क्षेत्र योजना के अन्तर्गत एक दूसरी अनाज, फल तथा सब्जी बाजार की स्थापना के उद्देश्य से अधिग्रहित की गयी थी। भूमि का कब्जा जुलाई 1983 में विभाग द्वारा लिया गया था। लेकिन यह अनुपयोगी रहा तथा जिस प्रयोजन के लिये भूमि को विकसित करने हेतु कदम उठाये गये थे, जिसके लिये यह अधिग्रहण की गई थी प्रशासन द्वारा सूचित नहीं किये गये थे §अक्तूबर 1988§।

इसी प्रकार, मनीमाजरा गांव में 70.03 लाख रू. मूल्य की 61.58 एकड़ भूमि अधिग्रहण की गयी थी तथा झुगी झोपड़ियों में रहने वालों के पुर्नवास के उद्देश्य हेतु जुलाई 1987 में विभाग द्वारा कब्जे में ली गई थी। तथापि, अधिग्रहण की गई भूमि §अक्तूबर 1988§ के उपयोग को दशाने हेतु अभिलेख पर कुछ नहीं था।

§2§ केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 47 के 462/00 से 470/300, 474/700 से 482/00 तथा 502/ 804 से 506/00 कि. मी. के इकहरी लाइन भाग को 2 लाइन में विस्तृत करने तथा मजबूत करने के कार्य के लिये करीब 30 हैक्टर भूमि अधिग्रहण करने हेतु मांगी, लोग निर्माण विभाग द्वारा राजस्व विभाग को मई –अगस्त 1972 के दौरान भेजी गई थीं। 25.46 हैक्टेयर की सीमा तक भूमि 68.92 लाख रू. की लागत पर अधिग्रहण की गई थी तथा मार्च 1974 से मई 1982 के दौरान जो. नि.वि. को उपलब्ध की गई थी। भूतल परिवहन मन्त्रालय द्वारा निर्माण कार्यों के लिये बार–बार अनुमानों की संस्वीकृतति न दिये जाने के कारण, भूमि प्रयुक्त नहीं की गई है §जुलाई 1988§।

6.9 अधिनिर्णय

संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ में भूमि अधिग्रहण अधिकारी भूमि अधिग्रहण मामलों तथा अधिनिर्णियों की घोषणाओं को तैयार करने के लिये जिम्मेदार है। संशोधित अधिनियम 1984 §मुख्य अधिनियम 1984 की धारा 11 § के अर्न्तगत भूमि अधिग्रहण अधिकारी को उपयुक्त सरकार अथवा ऐसे अधिकारी का जो उपयुक्त सरकार ने सरकार द्वारा उसे शक्तियां दिये जाने की सीमा तक के सिवाय अधिनिर्णयों की घोषणा से पहले इस बारे में अधिकार दिया है अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित होता है। संघ राज्य क्षेत्र, चण्डीगढ़ में न तो कोई आर्थिक सीमा जिस तक संघ क्षेत्र, चण्डीगढ़ प्रशासन के अनुमोदन के बिना भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा अधिनिर्णियों को घोषित किया जा सकें प्रशासन द्वारा तय की गई थी और न ही कोई प्राधिकारी जिसका अनुमोदन धारा 11 के प्रावधान के अर्न्तगत प्राप्त किया जाता था, अधिसूचित किया गया था। इस प्रकार अन्तर्ग्रस्त राशि से कोई सम्बंध न रखते हुए, उपयुक्त सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा अधिनिर्णय घोषित किये गये थे। भूमि अधिग्रहण अधिकारी ने सूचित किया §जून 1988§ कि बताये गये संशोधन के बाद घोषित अधिनिर्णयों के बारे में चण्डीगढ़ प्रशासन का कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा §2§ कर्मचारियों के बार –बार गैर– प्रावधान के कारण भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा अधिनिर्णय की अन्तिम रूप देने के लिये दादर व नागर हवेली प्रशासन द्वारा कोई मानक तय नहीं किये गये थे।

6.10 ब्याज की परिहार्य अदायगी

संशोधित अधिनियम 1984 के अन्तर्गत, अनिवार्य अधिग्रहण प्रभारों (सोलेटियम) में वृद्धि, 15 से 30 प्रतिशत तथा प्रथम वर्ष के लिये ब्याज की दर 6 से 9 प्रतिशत और इसके बाद 15 प्रतिशत 30 अप्रैल 1982 के बाद पूर्वगायी रूप से प्रभावित की गयी थी। संशोधित अधिनियम में अधिनियम की धारा 23 के अन्तर्गत एवं नई उपधारा 1 -क शुरू की गई थी जिसके द्वारा भूमि के बाजारू मूल्य पर 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से अधिसूचना की तिथि से अधिनिर्णय की तिथि अथवा अधिकार की तिथि तक जो भी पहले हो अतिरिक्त मुआवजा भी ग्राह्य था।

(1) संशोधित अधिनियम 1984 के अन्तर्गत अदायगी के अतिरिक्त दायित्त्व को कम से कम करने के उद्देश्य से चण्डीगढ़ प्रशासन को 1 मई 1982 से शुरू हुई 23 सितम्बर 1984 तक अंतर्कालीन अवधि के बीच अधिग्रहण की गई भूमि के लिये अधिनिर्णयों के पूर्णरूप से संशोधन हेतु कदम उठाने चाहिए थे। 24 सितम्बर 1984 को संशोधित अधिनियम एक कानून बन गया तथा प्रशासन 31 दिसम्बर 1984 तक की एक उपयुक्त अवधि में अधिनिर्णयों के संशोधित करवा सकता था। उस हालत में 31 दिसम्बर 1984 तक अतिरिक्त ब्याज दिया जाना पड़ता 1 तथापि, यह ध्यान में आया था - कि अधिनिर्णय पूर्णरूप से संशोधन नहीं किये गये थे तथा पार्टीयां संशोधित अधिनियम, 1984 के अन्तर्गत बढ़े हुए मुआवजे लेती रही जिसके कारण जनवरी 1985 से वास्तविक अदायगी की तिथियों तक की अवधि के लिये 1.13 लाख रू. की ब्योज की परिहार्य अदायगी हुई जो जिला जज द्वारा पचाट किये गये संशोधन की विमुम्ति में अप्रैल तथा अगस्त 1987 में किये गये थे। इसी तरह, मलौया गांव में 72.87 एकड़ माप वाली भूमि के लिये जिला जज द्वारा जनवरी 1985 में बढ़ाई गई (37.70 लाख रू. से 87.44 लाख रू. तक मुआवजे की राशि निर्णय की तिथि से एक माह के अन्दर भुगतान नहीं की गई थी। विलम्बित भुगतान (6 जुलाई 1985 तक) के लिये 1.86 लाख रू. के अतिरिक्त ब्याज सहित यह सितम्बर 1985 में अदा की गई थी।

(2) 1984 में यथा संशोधित अधिनियम की धारा 17 तथा 34 प्रावधान करती है कि (क) तत्कालिकता के मामले में भूमि का अधिकार लेने से पहले कलेक्टर ऐसी भूमि के लिये मुआवजे का 80 प्रतिशत अदा करेगा जैसा कि उसके द्वारा अनुमानित किया गया है तथा (ख) जब ऐसे मुआवजे की राशि अदा नहीं की जाती है तो भूमि को अधिकार में लेने के दिन या उससे पहले, भूमि को अधिकार में लेने की तिथि से राशि पूरी अदा किए जाने तक प्रथम वर्ष के लिये 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष तथा बकाया अवधि के लिये 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष के हिसाब से ब्याज अदा किया जावेगा 1 कर्मचारी क्वाटरों के निर्माण के लिये निदेशक समेकित मछली परियोजना इरनाकुलम द्वारा मार्च 1988 में प्राप्त की गई भूमि के 2.06 हैक्टयरों में से, भूमि के 1.57 हैक्टेयर तत्कालित मुआवजे की अनुमानित राशि के 80 प्रतिशत के बिना अदायगी के फरवरी 1985 में कब्जे में ली गई थी। 54.74 लाख रू. की अग्रिम मुआवजे की राशि केवल सितम्बर 1986 में अदा की गई थी। जब जनवरी 1987 में अधिनिर्णय को अन्तिम रूप दे दिया गया था, अग्रिम अधिकार में ली गई भूमि के लिये देय अन्तिम मुआवजा 65.40 लाख रू. आंकलित किया गया था तथा धारा 34 के अन्तर्गत ब्याज भी अदा किया गया था। यदि अग्रिम अदायगी संविधि के अनुसार समय पर हुई होती तो ब्याज की राशि लगभग 9 लाख रू. तक कम की जा सकती थी। अग्रिम राशि के अदायगी हेतु विलम्ब के लिये कारणों को मांगा गया है (अगस्त 1988)। 0.49 हैक्टेयर

भूमि का शेष क्षेत्र अप्रैल 1988 में अधिकार में लिया गया था तथा 18.51 लाख रू. मुआवजे के रूप में अदा किये गये थें।

निदेशक, समेकित मछली परियोजना ने जनवरी 1989 में बताया कि कम्पाऊड दीवार क्वार्टरों के निर्माण के लिये अनुमान मन्त्रालय/ के.लो.नि. वि. के पास अनुमोदनार्थ विचाराधीन थे, जिसके परिणाम स्वरूप अधिग्रहित भूमि के सम्पूर्ण क्षेत्र का अप्रयोग हुआ।

मामला जुलाई , अगस्त तथा सितम्बर 1988 में मंत्रालयों को प्रतिवेदित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 1988)।

वाणिज्य मंत्रालय

7. निर्यात/क्रेडिट (ब्याज परिदान) योजना के अधीन अनियमित अधिक भुगतान

3 मार्च 1968 से प्रभावी निर्यात क्रेडिट (ब्याज परिदान) योजना, 1968 (इसके बाद योजना के नाम से जानी गयी) को एक निर्यात प्रोत्साहन उपाय के रूप में जून 1968 में आरंभ किया गया था। योजना के अधीन, पैकिंग क्रेडिट या पूर्व शिपमेंट क्रेडिट, पश्चात शिपमेंट क्रेडिट जैसे विभिन्न प्रकार के निर्यात क्रेडिट और मियादी ऋणों को, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय - समय पर निर्धारित की गई नियत दरों से अधिक नहीं, ब्याज की दरों पर नियत अवधि के लिए बैंकों द्वारा अनुमत किया गया है। सरकार बैंकों को 1.5 प्रतिशत परिदान अदा करती है बशर्ते कि क्रेडिट का वापस भुगतान निर्धारित तरीके के अनुसार किया जाता है तथा बैंकों द्वारा उन दरों से जो भा रि बैं द्वारा नियत की गई है अधिक ब्याज वसूल नहीं किया जाता है।

मियादी ऋण की सुविधा के लाभ का उपयोग चाहने वाले निर्यातकर्त्ताओं को भा.रि.बैं का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित है, के लाभ उठाने की अभिलाषा है । वापिस अदायगी की किस्तें और देय तिथियां अग्रिमों में अनुबद्ध की जाती है। प्राप्तियों की वसूली पर निगरानी रखने के लिए प्रत्येक किस्त को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में समझा जाता है। विदेशी आयातकर्त्ता से किस्त की देय तिथि से 6 महीने के अंदर अदायगी प्राप्त की जानी है, जिसके असफल होने पर इस प्रकार के मियादी ऋणों पर कोई आर्थिक सहायता ग्राह्य नहीं है।

1968-69 से 1981-82 के दौरान सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों को 116.72 करोड़ रूपये के ब्याज परिदान के संवितरण में विभिन्न अनियमितताओं तथा अधिक अदायगियों का क्रमशः 1975-76 और 1982-83 के लिए भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की संघ सरकार (सिविल रिपोर्टों के पैराग्राफ 27 और 14 में जिक्र किया गया था।

अप्रैल 1982 से दिसम्बर 1986 तक 108.54 करोड रूपये का एक कुल परिदान अदा किया गया था जिसमें से 93.91 करोड़ रूपये सार्वजनिक क्षेत्र वाणिज्यिक बैंकों को दिये गये थे।

आगे, देश में 75 बैंकों की 440 शाखाओं के लेखों की नमूना जांच से मालूम हुआ कि 413.92 लाख रूपये ब्याज परिदान की राशि उसी प्रकार उस अवधि के लिए अनियमित या अधिक निकाली गई थी जिस तक स्थानीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट मार्च 1987 के अंत तक जारी की गई थी। इस राशि में

से, 221.78 लाख रूपये पैकिंग/पूर्व शिपमेंट क्रेडिटों के लिए, 76.33 लाख रूपये पश्चात शिपमेंट क्रेडिटों के लिए 30.81 लाख रूपये अस्थगित ऋणों के लिए और 85.08 लाख रूपये अन्य मदों के लिए लेखाबद्ध किये गये थे। लेखापरीक्षा द्वारा बताये जाने पर एक 229.12 लाख रूपये की राशि बैंकों द्वारा 30 सितम्बर 1988 तक भा रि बैं को वापस कर दी गई जबकि 184.80 लाख रूपये की शेष राशि अभी वापिस की जाती थी।

इस प्रकार, 1982-83 के लिए लेखापरीक्षा रिपोर्ट के पैराग्राफ 14 पर उनकी की गई कार्यवाही टिप्पणी में विभाग द्वारा किये गये उपचारी उपायों की कार्यवाही के बताये गये (अक्तूबर 1985) के बावजूद बैंकों द्वारा ब्याज परिदान के आहरणों में अनियमितताएं बनी रहीं।

मामला अगस्त 1988 में मंत्रालय को प्रतिवेदित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (फरवरी 1989)।

8. चमड़े के जूतों के निर्यात पर नगद प्रतिपूरक सहायता

आयात तथा निर्यात नीति 1985-88 निर्धारित करती है कि जूतों के पंजीकृत निर्यातक "उपरी चमड़े सहित तल्में वाले जूते" उनके निर्यातों के लिये पो. प. नि. मूल्य के 20 प्रतिशत तथा "ऊपरी चमड़े सहित बिना तल्मे के चमड़े के जूते" के लिये पो. प. नि. मूल्य के 15 प्रतिशत के हिसाब से आयात प्रतिपूर्ति के हकदार होंगे। ये दरें 29 जून 1988 तक चालू रखी गयी थी।

1 जुलाई 1986 से, नकद सहायता अनुमत करने के उद्देश्य के लिए चमड़े के जूते, चप्पल, सैंडल आदि सभी "जूते (जिनमें कम से कम 60 प्रतिशत दृष्टिगोचर बाह्य पृष्ठ क्षेत्र चमड़े का था) के रूप में वर्गीकृत थे" तथा जब ला. बी. भा. तथा ला.भा. आधार पर वायुयान द्वारा निर्यात किये जाने थे तो पो. नि. मूल्य के 22 प्रतिशत की एक नकद सहायता तथा अन्य मामलों में 15 प्रतिशत अनुमत की गयी थी।

मंत्रालय द्वारा निर्धारित मार्गदर्शकों के अन्तर्गत, जो कि नकद सहायता नियमावली में भी निहीत है, एक निर्यात उत्पाद पर नकद सहायता मूल्य जमा (पो.प.नि. मूल्य) घटा आयात तथा निर्यात नीति के अनुसार आयात सहातयता स्थापना) के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिय। मंत्रालय ने अक्तूबर 1977 में स्पष्ट किया था कि नकद सहायता की दर में कमी तब लागू करनी चाहिये जब यह मूल्य, जमा से 25 प्रतिशत अधिक हो जाय तथा निर्यातकों को आयात प्रतिपूर्ति के एक न्यूनतर दावे के लिए नकद सहायता की ऊंची दर का दावा करने का विकल्प नहीं होगा। क्योंकि जूतों पर आयात प्रतिपूर्ति की दर जैसा कि आयात तथा निर्यात नीति 1985-88 में वार्णित है, आयात तथा निर्यात नीति 1988-91 में 29 जून 1988 तक रखी गई थी, पहली जुलाई 1986 के बाद जहां पर नकद सहायता ला.बी.भा. अथवा ला. भा. के आधार पर वायुयान द्वारा "जूते" के निर्यात पर 22 प्रतिशत दी गई थी, "तल्में वाले जूतों" के पो.प.नि. मूल्य के दो प्रतिशत तथा अन्य श्रेणियों पर पो. प.नि. मूल्य के एक प्रतिशत सीमा तक अधिक होगी।

कतिपय लाइसेंस अधिकारियों द्वारा प्रदत्त नगद प्रतिपूरक सहायता न.प्र.स. के संम्बंध में सूचना ने निम्नलिखित स्थिति को प्रकट किया:-

(क) संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात तथा निर्यात (सं.मु.नि.आ.नि.) नई दिल्ली।

जुलाई, सितम्बर 1986, सितम्बर 1987 तथा नवम्बर 1987 से जून 1988 के दौरान वायुयान द्वारा जूते के निर्यात पर प्रदत्त नकद सहायता के 69 मामलों की एक नमूना जांच से प्रकट हुआ कि 2.70 लाख रू. राशि की नकद सहायता 25 प्रतिशत का कट आफ सूत्र का क्रियान्वयन न किये जाने के कारण अधिक अनुमत की गई थी।

(ख) सं.मु.नि.आ.नि. बम्बई

प्रथम जुलाई 1986 से 31 मार्च 1987 के दौरान वायुयान द्वारा 377.69 लाख रू. के जूतों के निर्यातों के पो.प.नि. मूल्य के 22 प्रतिशत की दर पर 27 निर्यातकों को नकद सहायता दर पर दी गई थी। क्योंकि विभिन्न प्रकार के जूतों के निर्यात के पो.प.नि.मूल्य पर एक ब्यौरा लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया था, अधिक प्रदत्त राशि आंकलित नहीं की जा सकी थी। तथापि, 1 प्रतिशत की दर से न्यूनतम अधिक अदायगी 3.78 लाख रू. होगी। 1987-88 के दौरान किये गये निर्यातों के सम्बन्ध में, 18 निर्यातकों से सम्बन्धित निर्यातों के 1109 मामलों में नकद सहायता का अधिक भुगतान, "तस्मे वाले जूतों" तथा "अन्य श्रेणियों के जूतों" पर प्रथक रूप से क्रमशः दो प्रतिशत तथा एक प्रतिशत की दर से 1607.42 लाख रू. के निर्यात के कुल पो. प. नि. मूल्य पर 26.30 लाख रू. बना था।

(ग) सं.मु.नि.आ.नि., मद्रास

जुलाई 1986 से मार्च 1987 के दौरान सं.मु. नि. आ. नि. मद्रास ने वायुयान द्वारा जूते के निर्यात के पो.प.नि. मूल्य पर 22 प्रतिशत की दर से 167.06 लाख रू. की नकद सहायता दी थी तथा जिस पर 20 प्रतिशत की दर से आयात प्रतिपूर्ति भी अनुमत की गई थी, क्योंकि जूते के निर्यात श्रेणीवार उपलब्ध नहीं थे, एक प्रतिशत की दर से न्यूनतम अधिक भुगतान 7.59 लाख रू. बनेगा।

(घ) सं.मु.नि.आ.वि. , कानपुर

34 निर्यातकों से सम्बन्धित निर्यातों के 1023 मामलों की एक नमूना जांच से पता चला कि 1 जुलाई 1986 से 31 मार्च 1988 के दौरान वायुयान द्वारा निर्यात किये गये 1026.60 लाख रू. के "तस्मे वाले जूते" तथा "अन्य श्रेणी के जूते" के निर्यात के पो.प.नि. मूल्य पर 18.34 लाख रू. की राशि की नकद सहायता अधिक अदा की गई थी।

मामले से पता चला कि 1 जुलाई 1986 से 29 जून 1988 के दौरान वायुयान द्वारा जूते के निर्यातों पर मूल्य जमा के 25 प्रतिशत तक नकद सहायता की अदायगी को सीमित न करने से, मु.नि.आ.नि. के क्षेत्रीय कार्यालयों में नकद सहायता का अधिक हुआ था, जिनके निर्धारण किया जाने तथा सम्बन्धि पार्टियों के भविष्य के दावों से वसूली/समायोजन किये जाने की आवश्यकता थी।

मामला अगस्त 1988 में मंत्रालय को भेजा गया था, उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (फरवरी 1989) ।

9. गलत वर्गीकरण के कारण नकद प्रतिपूरक सहायता का अनियमित भुगतान

संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात तथा निर्यात (सं.मु.नि.आ.नि.) बम्बई ने 1980-81 के दौरान बनाये गये "पूर्व निर्मित पट्टियों तथा

ब्लाकों" के निर्यातों पर नकद प्रतिपूर्ति सहायता के सार-संग्रह 1979-82 के क 56 के अंतर्गत निर्यातित मद को इंजीनियरी उत्पाद के रूप में वर्गीकरण करते हुए जो कि इस्पात के पूर्व निर्मित मकानों, लकडी की पट्टी के उत्पादों और अन्य सामग्रियों के निर्यात पर लागू होता था, उत्पाद के पो.प.नि. मूल्य के 10 प्रतिशत पर एक फर्म को 16.50 लाख रूपये राशि की नकद सहायता दी थी। नकद सहायता दावों के आवेदनों के साथ संलग्न जहाज भाडे के बिलों से यह भी अवलोकित किया गया था कि निर्यातित मदें भारतीय व्यापार वर्गीकरण संहित सं0 661-3200 तथा 661-8311 के अनुसार वर्गीकृत की गई थी, जिनके वर्गीकरण निम्नानुसार पठनीय है :

661: (मुख्य वर्ग (चूना, सीमेंट और सज्जित निर्माण सामग्रियां(शीशे और चिकनी मिट्टी की सामग्रियों के सिवाय()।

661.3200: भवन एवं स्मारक पत्थर कार्य और उनकी वस्तुएं।

661.8311: सल्युलोज तन्तु सीमेंट की वस्तुएं अथवा उसकी जैसी।

मद मार्च 1979 तक ख 52.4 (रसायन समूह() के अंतर्गत वर्गीकृत की जाती थी। प्रथम अप्रैल 1979 से 13 जुलाई 1983 तक, मद ने नकद सहायता की हकदारी के लिए किसी समूह के अंतर्गत स्थान प्राप्त नहीं किया। इस प्रकार, प्रथम अप्रैल 1979 से 13 जुलाई 1983 तक इस मद के निर्यात पर कोई नकद सहायता ग्राह्य नहीं थी।

इंजीनियरी वस्तुएं-56 की सूची के अंतर्गत "पूर्वनिर्मित मकानों के संघटक नामतः (क(हल्के स्वचालित नरवरित सैक्यूलर पूर्वनिर्मित कंकरीट की प्रबलित पट्टियां, लिन्टेल तथा अप्रबलित ब्लाक, तथा ढलाई पूर्व कालम , बीम, कंकरीट तथा इस्पात दोनों की सीढ़ियां", एक नई प्रविष्टि केवल 14 जुलाई 1983 से प्रारंभ की गई थी।

तथापि, सं.मु.नि.आ.नि., बम्बई ने जिसकों की मामला मई 1982 में भेजा गया था, वाणिज्य मंत्रालय के दिनांक 8 जनवरी 1979 के पत्र के आधार पर फर्म को नकद सहायता के भुगतान को दिसम्बर 1982 में न्यायसंगत ठहराया। इस पत्र के अनुसार " सल्युलर सीमेंट, कंकरीट ब्लाक/सिढ़ियां" निर्यातक मद के पो.प.नि. मूल्य के 10 प्रतिशत की दर पर नकद सहायता 31 मार्च 1979 तक ग्राह्य था। क्योंकि उक्त आदेश 31 मार्च 1979 के बाद निर्यात की गई मद से संबद्ध नहीं था; फर्म को 16.50 लाख रू. की नकद सहायता का भुगतान अनियमित था। वसूली अभी प्रभावित की जानी थी (दिसम्बर 1988(।

मामला मई 1988 में मंत्रालय को भेजा गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (फरवरी 1989(।

10. खम्बों के निर्यात पर नकद प्रतिपूरक सहायता

एक भारतीय निर्यातकर्त्ता ने 9 मीटर लम्बाई की 15,000 संख्याओं तथा 11 मीटर लम्बाई की 8,000 संख्याओं के इस्पात के नलिकाकार खम्बों के निर्यात हेतु जनवरी 1978 में एक विदेशी क्रेता के साथ एक ठेका किया। ठेके में व्यवस्था थी कि आपूर्तियां, साख पत्र खोलने के चार महीनों के भीतर पूरी की जानी थीं। साख पत्र फरवरी 1979 में खोला गया था तथा इस प्रकार, ठेके के अनुसार, आपूर्तियां जून 1978 तक

पूरी की जानी थी। तथापि, आपूर्तियां अप्रैल 1979 में पूरी हो गयी थीं।

आयात नीति के अंतर्गत इस मद पर 31 मार्च 1979 तक किये गये निर्यातों के लिए पो प नि मूल्य के 20 प्रतिशत की नकद प्रतिपूर्ति सहायता (न प्र स) अनुज्ञेय थी। पहली अप्रैल 1979 से दर 7.5 प्रतिशत घटा दी गई थी। तथापि, ठेकों के पंजीकरण की योजना के अंतर्गत, निर्यातकर्त्ता ठेके की तिथि को चल रही न प्र स की दर के संरक्षण के लिए हकदार था। यदि निर्यातकर्त्ता ने ठेके तथा समय वृद्धि को, यदि कोई हो सपुदर्गी अनुसूचि में , एक अनुसूचित बैंक के साथ पंजीकृत किया गया हो। जहां तक ठेका अनुसूचित बैंक के साथ पंजीकृत किया गया था, निर्यातकर्त्ता सुपुदर्गी अनुसूची में समय वृद्धि को बैंक के साथ पंजीकृत करना भूल गया । तदनुसार, मुख्य संयुक्त नियंत्रक आयात तथा निर्यात (मु सं नि आ नि) कलकत्ता ने निर्यातों के पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य के 7.5 प्रतिशत की दर पर 4 अप्रैल 1979 को किये गये लदानों के एक भाग के लिए न प्र स अनुमत की । निर्यातकर्त्ता ने संरक्षित उच्च दर की मांग करते हुए मुख्य संयुक्त नियंत्रक आयात तथा निर्यात (मु सं नि आ नि) नई दिल्ली को याचिका दी जिसके जून 1981 में याचिका स्वीकार कर ली । परिणामस्वरूप मु सं नि आ नि ने 4 अप्रैल 1979 को लदान किये गये माल की मात्राओं के संबंध में न प्र स की दो दरों के संदर्भ में आकलित की गई राशि में हुए 10.95 लाख रूपये के अंतर की एक राशि जनवरी 1982 में निर्यातकर्त्ता को जारी कर दिया ।.

अधिक अदायगी को नवम्बर 1984 में लेखा परीक्षा द्वारा सूचित किया गया था तथा लेखा परीखा आपत्ति के उत्तर में मु सं नि आ नि नई दिल्ली ने अन्य बातों के साथ साथ बताया कि ठेका एक विदेशी सरकार के साथ था तथा उसमें भारत सरकार की प्रतिष्ठा अंतर्ग्रस्त थी। देरी से किये गये माल लदान दो कठिनाईयों अर्थात कच्चे माल तथा जहाजों की अनुपलब्धता के कारण थे जो निर्यातकर्त्ता के नियंत्रण से परे थे तथा लदान समय में, अर्थात पहली अप्रैल 1979 से पहले नहीं हो सका। अत: 4 अप्रैल 1979 तक समय की माफी स्वीकृत की गई थी। लेखापरीक्षा ने प्रतिवाद किया कि इस मामले में स्वीकृत की गई वास्तविक माफी मु नि आ नि द्वारा बताये गये चार दिनों की अपेक्षा नियत सुपुदर्गी तिथि से 9 महीनों से अधिक के लिए थी। लेखापरीक्षा ने यह भी बताया कि मु नि आ नि की ऐसी माफी के लिए कोई अधिक प्रदत्त नहीं किये गये थे। अंत में मु नि आ नि ने मई 1987 में 10.95 लाख रूपये की अधिक अदायगी को वसूल करने हेतु फैसला किया तथा मु सं नि आ नि को ऐसा करने के लिए निर्देश जारी किये।

नवम्बर 1987 में मु स नि आ नि ने लेखा परीक्षा को सूचित किया कि उसने निर्यातकर्त्ता को एक मांग नोटिस जारी किया था। वास्तविक वसूली अक्तूबर 1988 तक नहीं हो पायी थी। अभियांत्रिकी निर्यात विकास परिषद ने जुलाई 1988 में सूचित किया कि फर्म बन्द हो गई थी तथा 1983 से कार्य करना बन्द कर दिया था। तन्दनुसार इस मामले में वसूली के अवसर कम थे।

मामला जुलाई 1988 में मंत्रालय को सूचित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (फरवरी 1989)।

11. रेल वैगनों के संघटकों के निर्यात पर नकद प्रतिपूरक सहायता

नवम्बर 1978 में एक भारतीय

निर्यातक ने एक विदेशी निगम के साथ 66.46 लाख रूपये के एक कुल पो प नि मूल्य पर संख्या 1500 के सम्पूर्ण स्वचलित संग्रंथ सं0 2 युग्मकों (रेल के सवारी डिब्बों/माल डिब्बों के संघटक एंव अतिरिक्त पुर्जों) के निर्यात हेतु संविदा में प्रविष्ट किया । निर्यात 9 प्रेषणों में की गयी थी। नवम्बर 1982 और उसके बाद में इन निर्यातों पर नकद प्रतिपूरक सहायता (न प्र स) के भुगतान से संबंधित केस फाइलों के लिए लेखापरीक्षा की मांगों के प्रत्युत्तर में, मुख्य संयुक्त नियंत्रक आयात और निर्यात (मु सं नि आ नि), कलकत्ता ने जुलाई/सितम्बर 1983 तथा अक्तूबर 1985 में 49.30 लाख रूपये पो प नि मूल्य 1150 युग्मकों को आवृत्त करते हुए 6 प्रेषणों के बारे में केस फाइलें उपलब्ध कराई । अक्तूबर 1980 से सितम्बर 1981 की अवधि के दौरान निर्यातकर्त्ता को, पो प नि मूल्य के 33.33 प्रतिशत की दर से 16.40 लाख रूपये की न प्र स का भुगतान किया गया था।

न प्र स की यह दर केवल रेल के सवारी/ माल डिब्बों पर ही लागू थी न कि अतिरिक्त पुर्जों तथा संघटकों पर, जिनके लिए पो प नि मूल्य के 20 प्रतिशत पर न प्र स की एक घटी दर निर्धारित की गई थी। इस प्रकार से, 9.87 लाख रूपये की ग्राह्य राशि के स्थान पर न प्र स के रूप में 16.40 लाख रूपये के भुगतान के परिणामस्वरूप 6.53 लाख रूपये का अधिक भुगतान हुआ। आगे, सामान्य ग्राह्य दर से ऊपर आयात प्रतिपूर्ति के ऊंचे मूल्य के आहरण के कारण न प्र स की दर में समानुपातिक कमी करने में असफलता के परिणामस्वरूप कुल मिला कर 7.02 लाख रूपये के सकल अधिक भुगतान के साथ 0.49 लाख रूपये का अतिरिक्त अधिक भुगतान हुआ था।

17.16 लाख रूपये के पो प नि मूल्य के 350 युग्मकों के निर्यात को आवृत्त करते हुए शेष 3 परेषणों से संबंधित रिकार्ड लेखा परीक्षा को उपलब्ध नहीं किये गये थे और इस लिए इन पर हुआ अधिक भुगतान, यदि कुछ था, निकाला नहीं जा सका।

इस प्रकार से , आ नि स नि कलकत्ता द्वारा उचित जांच पड़ताल में कमी के परिणामस्वरूप निर्यातकर्त्ता को 7.02 लाख रूपये का अधिक भुगतान हुआ। मामला जुलाई 1988 में मंत्रालय को सूचित किया गया था, उत्तर प्राप्त हो गया है (फरवरी 1989)।

12. कास्टआयरन फिटिंग के निर्यात पर नकद प्रतिपूरक सहायता

वर्ष 1980-81 के लिए भारत सरकार की आयात नीति की शर्तों के अनुसार पहले से पंजीकृत संविदाएं, जिनमें कीमत पर पुनर्वार्ता हुई थी, संविदाओं के पंजीकरण की योजना के अंतर्गत, नकद प्रतिपूरक सहायता (न प्र स) की संरक्षित दर का लाभ प्राप्त करने से वंचित हो गई । तथापि, एक संविदा जिसमें, अन्य बातों के साथ साथ यदि निर्यात किए जाने वाले माल के विनिर्देशन में परिवर्तन की पूर्ति के लिये मूल्य/कीमत में अंतर अनुमत किया जाता है, तो उसे भी पंजीकृत किया जाना चाहिए, बशर्ते की मूल्य/कीमत में यह परिवर्तन, ऐसे परिवर्तन के 45 दिन के अंदर संबंधित बैंक में विधिवक पंजीकृत किया गया है।

जनवरी 1981 के दौरान 20,700 टन ढलुवां लोहे के साज समान के निर्यात हेतु एक भारतीय फर्म ने 2 विदेशी खरीदरों के साथ 5 संविदाए

निष्पादित की । संविदाएं निर्धारित अवधि के अंदर विदेशी विनिमय में प्राधिकृत व्यापारियों के साथ पंजीकृत किए गए थे। जब कि 5 में से 3 संविदाओं में मूल्य परिवर्तन धारा निहित थी, अन्य दो में नहीं थी। उपरोक्त अनुबंधित मात्रा में से 2,022.898 टन साज सामान मूल संविदा दरों पर निर्यात किया गया था। विनिर्देशनों में परिवर्तन हेतु, संविदा मूल्य को अमरीकी डालर 79.22 लाख से 91.38 लाख डालर बढ़ाते हुए जुलाई 1981– दिसम्बर 1982 में शेष मात्राओं के लिए दरों पर पुनर्वार्ता की गई थी। पुनर्वार्ता में तय हुई दरें संविदाओं की तारीखों पर प्रचलित संरक्षित दरों का लाभ उठाने के लिए, जैसा कि नीति के अनुसार चाहिए था, संबंधित बैंकों के पास पंजीकृत नहीं थी।

इस मद पर न प्र स, 28 जनवरी 1981 तक किए गए निर्यातों के पो प नि मूल्य के 12.5 प्रतिशत की दर से अनुज्ञेय थी । 29 जनवरी 1981 से किए गए निर्यातों पर ये दरें पो प नि मूल्य के 5 प्रतिशत तक घटा दी गई थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इन निर्यातों से संबंधित मामलों की मिसिलों की मांग के उत्तर में मुख्य संयुक्त नियंत्रक आयात और निर्यात (मु सं नि आ नि) कलकत्ता ने, पुनर्वार्ता पर तय दरों पर 14.61 अमरीकी डालर मूल्य का निर्यात अवेष्टित करती हुई 62 मामलों की मिसिलें, उपलब्ध कराई। इन 62 मामलों में से 10.42 लाख अमरीकी डालर मूल्य का निर्यात आवेष्टित करते हुए 6.07 लाख रूपये के अधिक भुगतान के 38 मामले सूचित हुए थे क्योंकि मु सं नि आ नि ने निर्यात की तारीख को प्रचलित कम दरों के स्थान पर न प्र स की संरक्षित दर अनुमत की थी। 76.77 लाख अमरीकी डालर मूल्य के निर्यात पर न प्र स के भुगतान से संबंधित मामलों की मिसिलें लेखा परीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गई थीं और इस प्रकार से इस पर अधिक भुगतान यदि कोई हो, का आकलन नहीं किया जा सका ।

इस प्रकार से मु स नि आ नि कलकत्ता के द्वारा उचित जांच पड़ताल के अभाव के परिणामस्वरूप निर्यातकर्त्ता को 6.07 लाख रूपये का अधिक भुगतान हुआ।

मामला मंत्रालय को जुलाई 1988 में सूचित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (फरवरी 1989)।

13. मोटर साइकिल/स्कूटर के संघटकों, फालतू पुर्जों के निर्यात हेतु नकद सहायता

नीचे चर्चित मामले को छोड़कर इंजीनियरी के माल से संबंधित फालतू पुर्जों/संघटकों/सहायक और सहयोगी घटकों के निर्यातों पर अप्रैल 1979 से सितम्बर 1982 के दौरान नकद प्रतिपूर्ति सहायता (न प्र स) जो नकद सहायता भी कहलाती थी की दर उतनी ही/कम थी जितनी उससे संबंधित मूल निर्यात उत्पादों पर थीं:

अप्रैल 1976 से मार्च 1979 के दौरान, सभी गन्तव्यों हेतु मोटर साइकिलों, स्कूटरों, मोपेडों तिपहिया वाहनों तथा उनके संघटकों/अवयवों सहायक और अतिरिक्त पुर्जों के निर्यात पर पो. प. नि. मूल्य के 10 प्रतिशत की न प्र स की समान दर अनुमत की गई थी। अप्रैल 1979 से सितम्बर 1982 के दौरान टेम्पों को छोड़ते हुए मोटर साइकिलों, स्कूटरों, मोपेडों तिपहया वाहनों के उत्तर और दक्षिण अमेरिका कैरीबियन देशों और पश्चिमी योरूप के देशों को निर्यात करने के लिए न प्र स की दर निर्यात के पा प नि मूल्य की 15 प्रतिशत तथा अन्य गन्तव्यों के लिए

10 प्रतिशत थी। तथापि, अप्रैल 1979 से मोटर कार के संघटकों एवं फालतू पुर्जों तथा ट्रैक्टरों के फालतू पुर्जों एवं संघटकों सहित मोटर के सहायक तथा फालतू पुर्जों के सभी देशों को निर्यात हेतु 12.5 प्रतिशत की एक एकरूप दर निर्धारित की गई थी। निर्यातकर्त्ता फर्मों द्वारा उपलब्ध किए गए वास्तविक लागत के आंकड़ों तथा विभिन्न घटकों, जिन्होंने न प्रैस के निर्धारण में योगदान दिया, में से प्रत्येक के सन्तुलित निम्नतर अनुमानों के परीक्षण के उपरान्त 17 दिसम्बर 1980 को इंजीनियरी सामान की न प्र स की सूची की क्रम संख्या 64 के लिए एक संशोधन, इस आधार पर कि सहायक और सहयोगी संघटकों पर न प्र स मूल उत्पाद पर लागू दर से ऊंची दर पर लागू करना उचित नहीं होगा, पार्श्वगाड़ी सहित द्विपहिया और तिपहिया वाहनों के सहायक तथा अतिरिक्त पुर्जों पर न प्र स की दर 12.5 प्रतिशत से घटा कर 10 प्रतिशत करते हुए जारी किया गया। संशोधन में इस बात का भी प्रावधान था कि इस तारीख से पहले किए गए निर्यातों के लिए अनुमत न प्र स की सूची की क्रम संख्या 64 पर उस समय की प्रविष्टि के आधार पर निर्णीत होना था। अक्तूबर 1982 से जून 1986 की अवधि के लिए सभी गन्तव्य स्थानों हेतु पुनः न प्र स की एकरूप दर मूल उत्पाद के लिए 12 प्रतिशत तथा संघटकों/अवयवों के लिए 10 प्रतिशत थी।

महानिदेशक वाणिज्यिक सतर्कता एवं सांख्यकी, कलकत्ता द्वारा संगृहित आंकड़ों के अनुसार मोटर साइकिलों/स्कूटरों के संघटकों फालतू पुर्जों, सहायक और सहयोगी पुर्जों के विदेशों को निर्यात की पो प नि मूल्य अमेरिका, कैरेबियन और पश्चिम योरूप के देशों को छोड़कर, 1979-80 से 1980-81 के दौरान (नवम्बर 1980 तक) 152.31 लाख रूपये थी। सामन्य निर्णयानुसार 1979-80 से 1980-81 अवधि के दौरान (नवम्बर 1980 तक मूल उत्पादन की तुलना में संघटकों पर न प्र स की ऊंची दर निर्धारण के औचित्य सहित सभी सुसंबंध मुद्दों को ध्यान में रखते हुए संघटकों/अतिरिक्त पुर्जों आदि के निर्यात पर न प्र स की दर निर्धारित मूल उत्पाद की दर के अनुरूप निर्धारित करने में चूक के परिणामस्वरूप 152.31 लाख रू. के 2.5 प्रतिशत पर 3.81 लाख रू. का परिहार्य भुगतान अंतर्ग्रस्त हुआ।

मुख्य संयुक्त नियंत्रक आयत और निर्यात (मु सं नि आ नि), मद्रास द्वारा जून 1988 में प्रस्तुत सूचनानुसार, उसने उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, कैरेबियन और पश्चिम योरूप के देशों को छोड कर मोटर साइकिलों, स्कूटरों/मोपेडों के संघटकों तथा अवयवों आदि के निर्यात के मूल्य पर 17 दिसम्बर 1980 से मार्च 1982 के दौरान भी 12.5 प्रतिशत की दर से न प्र स देना जारी रखा मु सं नि आ नि मद्रास द्वारा दी गई सूचनानुसार 17 दिसम्बर 1980 से 31 मार्च 1981 तक किये गये न प्र स के अधिक भुगतान की सुनिश्चित राशि को निकाला नहीं जा सका। तथापि 1981-82 के दौरान किया गया न प्र स की राशि का अधिक भुगतान 2.74 लाख रूपये निकलता था।

मन्त्रालय ने दिसम्बर 1988 में बताया कि मूल उत्पाद से ऊंची दर पर न प्र स के अनुमत किए जाने का निर्णय लागत आंकड़ों पर आधारित था और उसे मूल उत्पाद के बराबर लिए जाने का बाद का निर्णय एक सोचा समझा निर्णय इस भावना पर आधारित था कि यह मूल उत्पाद के न प्र स से अधिक नहीं होना चाहिए, जैसा कि अन्य मामलों में किया गया था। म नि आ नि मद्रास द्वारा नगद सहायता के अधिक भुगतान पर मंत्रालय की टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई थी (फरवरी 1989)

14. काठ की खपचियों के माने गए निर्यात पर नकद सहायता

अप्रैल 1979 से सभी निर्यात उत्पादों पर नकद प्रतिपूर्ति सहायता (न प्र स) की दरें मंत्रालय द्वारा संबंधित निर्यात प्रोत्साहन परिषदों के माध्यम से प्राप्त इकाईयों की संख्या के प्रतिनिधि से प्रमाणित कीमत तथा अन्य आंकड़ों के आधार पर, निर्धारित की जानी थी। इन आंकड़ों के अभाव में 1979-80 और 1980-81 के दौरान "कागज और लुग्दी संयंत्र" के निर्यात के लिए न.प्र.स., मंत्रालय की नकद सहायता पुनरीक्षण समिति (न. स. पु.स) द्वारा पो प नि मूल्य के 12.5 प्रतिशत पर तदर्थ आधार पर अनुमत किया गया था। क्योंकि अभीष्ठ आंकड़ों इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद (इ नि सं प) से 1980-81 के दौरान भी प्राप्त नहीं हुए थे, "कागज और लुग्दी संयंत्र" पर न प्र स की दर आगे नहीं बढाई गई थी तथा वह अप्रैल 1981 से ग्राह्य होनी बंद हो गई थी।

एक फर्म ने 1984-85 और 1985-86 के दौरान अपनी "काठ खपचियों" की आपूर्तियों को माना हुआ निर्यात मानते हुए "औद्योगिक मशीन- अन्य निर्दिष्ट नहीं की गई" के अंतर्गत न प्र स का दावा किया, जो आयात और निर्यात के मुख्य संयुक्त नियंत्रक (आ नि मु स नि) बम्बई ने, इस आधार पर कि काठ की खपचियां कागज और लुग्दी उद्योगों/संयत्रों के लिए प्रयोग की गई थी तथा इस लिए न प्र स के लिए ग्राह्य नहीं थी, रद्द कर दिया गया था। मंत्रालय में प्राप्त एक प्रतिवेदन पर मामला जनवरी 1987 में मुख्यालय वर्गीकरण समिति (मु व स) के समक्ष रखा गया था, जब समिति ने इस मद को न प्र स के उद्देश्य हेतु "औद्योगिक मशीन अन्य सुनिश्चित नहीं की गई" के अंतर्गत वर्गीकृत करने का निर्णय किया। उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी उद्योग (1983-84), (भाग-II), के लिए मार्गदर्शनों के अनुसार खपचियां "कागज तथा लुग्दी संयत्र" श्रेणी के अंतर्गत आती है और इस लिए इनको न "औद्योगिक मशीनें - अन्य निर्दिष्ट नहीं की गई" के अंतर्गत वर्गीकृत करके न प्र स के लिए ग्राह्य नहीं बनाया जा सकता। प्रौद्योगिकी विकास के महानिदेशालय म.नि.प्रौ. वि. ने भी जिससे मंत्रालय ने सलाह मांगी थी, बताया था कि "काठ खपचियां लुग्दी संयत्र का ही अनिवार्य अंग थी।

इस प्रकार से, जनवरी 1987 में मु व स द्वारा दिए गए त्रुटिपूर्ण निर्णय के परिणामस्वरूप, आ नि मु स नि बम्बई को इसके बाद 2.44 लाख रूपये का "काठ खपचियों" के लिए माने गए निर्यात पर न प्र स का भुगतान करना पड़ा था। मु व स के निर्णय का परिपत्र फरवरी 1987 में सभी लाइसेंसदाता/संवितरक कार्यालयों को भेजे जाने के बाद आ नि मु सं नि कलकत्ता/मद्रास नई दिल्ली द्वारा काठ खपचियों के निर्यात पर किया गया न प्र स के भुगतान, यदि कोई हो, के बारे में सूचना प्रतीक्षित थी (जून 1988)।

मंत्रालय ने नवम्बर 1988 में बताया कि "औद्योगिक मशीनरी-अन्य निर्दिष्ट नहीं" के अंतर्गत काठ खपचियों का वर्गीकरण केवल म नि त वि की सलाह पर स्वीकार किया गया था जो कि एक मत के वर्गीकरण की पुष्टि हेतु तकनीकी प्राधिकारी था। तथापि, यह तथ्य रह जाता है कि निर्णय लेते समय, इस तथ्य को कि कागज और लुग्दी संयंत्र अप्रैल 1981 से न प्र स की ग्राह्यता के अयोग्य हो गए थे, मु व स न भुला दिया था और म नि त वि द्वारा काठ खपचियों को लुग्दी संयंत्र का आवश्यक अंग बताया गया था।

15. अभियांत्रिक वस्तुओं पर नकद प्रतिपूरक सहायता

"नियति संविदाओं के पंजीकरण" की योजना के अंतर्गत, यदि संविदा, संविदा के हस्ताक्षर करने की तिथि से 45 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर विदेशी विनिमय (यानी अनुसूचित बैंक) में अधिकृत डीलर के पास पंजीकृत हो तो पंजीकृत निर्यातक संविदा की तारीख को विद्यमान प्रतिशतता पर नकद प्रतिपूरक सहायता (न. प्र.स.) का दावा करने के पात्र होते हैं।

एक भारतीय निर्यातक ने इंजीनियरी **माल** की आपूर्ति के लिए जिनका सी और एफ मूल्य क्रमशः 13.81 लाख अमरीकी डालर और 15.40 लाख अमरीकी डालर था, दो विदेशी खरीदारों के साथ 27 और 28 मार्च 1979 को दो पृथक निविदाएं की। न.प्र.स. के भुगतान हेतु सुरक्षित दर का लाभ प्राप्त करने के लिए संविदाएं 16 अप्रैल 1979 को एक अनुसूचित बैंक के साथ पंजीकृत की गई थी।

2.18 लाख अमरीकी डालर तथा 4.71 लाख अमरीकी डालर के मूल्य की आंशिक आपूर्तियां पूरी करने के बाद, अन्य बातों के साथ साथ कच्चे माल की कीमत में वृद्धि के कारण 15 और 20 मार्च 1980 को शेष माल की संविदा कीमत क्रमशः 11.63 लाख अमरीकी डालर से 13.93 लाख अमरीकी डालर तथा 10.69 लाख अमरीकी डालर से 11.64 लाख अमरीकी डालर बढ़ा दी गई थी। आयात और निर्यात के मुख्य संयुक्त नियंत्रक (आ नि मु सं नि), कलकत्ता ने निर्यात की वास्तविक तारीख अप्रैल और मई 1980 को पो प नि मूल्य की 10 प्रतिशत की सामान्य दर के स्थान पर संविदा की तारीख को संशोधित संविदा के आधार पर 15 प्रतिशत की दर से न प्र स का भुगतान किया।

भारत सरकार की आयात नीति की शर्तों में 5 नवम्बर 1979 से पहले तय हुई संविदाएं, यदि कच्चे माल की कीमत में वृद्धि को बातचीत द्वारा पुनः तय किया जाया है, तो पहले तय हुए मूल्य सुरक्षित दरों पर न प्र स प्राप्त करने के अगृहय हो जाते थे। आयात नीति न प्र स की सुरक्षित दर का लाभ तब ही अनुमत करती थी जब संविदा में निश्चित मानकों के आधार पर माल मजदूरी की कीमत से संबंधित शर्त संविदा में ही लिखी हो और संविदा के हस्ताक्षार हो जाने के बाद उन्हें चर्चा का विषय न बनाया जा सके। ये संविदाए मार्च 1979 से शुरू हुई थी, तथा मार्च 1980 में अन्य के साथ साथ कच्चे माल की कीमत में वृद्धि के लिए सी एण्ड एफ मूल्य बढ़ा दिए जाने से पुनः वार्ता द्वारा फर्म मूल संविदाओं की तारीख पर प्रचलित सुरक्षित दर पर न प्र प्राप्त करने के अयोग्य थी।

उपरोक्त प्रत्येक संविदाओं के विषय में एक पोत भार से संबंधित सिर्फ एक मामले की मिसिल लेखा परीक्षा को उपलब्ध की गई थी केवल जिसमें यह सूचित हुआ था कि क्रमशः 3.36 लाख अमरीकी डालर तथा 2.93 लाख अमेरीकी डालर के सी एण्ड एफ मूल्य से संबंधित 15 प्रतिशत की सुरक्षित दर पर न प्र स अनुमत की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप केवल दो पोत भारों में क्रमशः 1.10 लाख रू. तक 0.9 लाख रूपये का अधिक भुगतान हुआ। 10.57 डालर तथा 8.71 लाख डालर के शेष सी एण्ड एफ मूल्य वाले अन्य पोत भारों के संबंध में अधिक भुगतान की मात्रा सत्यापित नहीं की जा सकी क्योंकि संबंधित मिसिलें उपलब्ध नहीं की गई थी।

लेखा परीक्षा द्वारा मई 1986 में जब अधिक भुगतान के ये मामले मु सं नि आ नि के ध्यान में लाए गए थे, तो मु सं नि आ नि ने फर्म को अधिक भुगतान की वापसी के लिए जुलाई 1987 में मांग नोटिस जारी किया। फर्म ने अगस्त 1987 में

विदेशी खरीदारों द्वारा निर्यातकों को लिखे गये जुलाई 1987 के 2 पत्रों की प्रतिलिपियां मु स नि आ नि को यह कहते हुए भेजी कि मूल्य में अंतर भाडा वृद्धि, बन्कर अधिभार तथा मुद्रा समायोजन में विभिन्नता के कारण थी जो कि संविदा में अनुमत किये गये थे। बदले में मु सं नि आ नि ने अधिक भुगतान पर विवाद करते हुए निर्यातकर्त्ता का खरीदार को लिखा पत्र तथा खरीदार से निर्यातक द्वारा प्राप्त दिनांक जुलाई 1987 का पत्र यह कहते हुए कि मूल्यों में वृद्धि विनिमय दरों में विभिन्नता के साथ साथ केवल भाडे तथा बन्कर प्रभारों में बढोत्तरी के कारण थी और किसी अन्य कारण से नहीं तथा सुझाव दिया की मामले पर निर्णय होने की आवश्यकता थी। अन्य बातों के साथ साथ कच्चे माल की कीमत में वृद्धि के कारण शेष सामग्रियों के मूल्यों में बढोत्तरी सुझाते हुए निर्यातकर्त्ता से खरीदारों को दिनांक 3 मार्च 1980 के पत्रों को तथा ऐसी वृद्धि को मानते हुए खरीदारों से निर्यातक को दिनांक 15/20 मार्च 1980 के पत्रों को मु सं नि आ नि ने ध्यान में नही रखा। सितम्बर 1987 में लेखा परीक्षा को एक सूचना में मु सं नि आ नि ने बताया कि मूल संविदाएं तथा लेखाक्षा को संदर्भित मामले की मिसलें उसके कार्यालय में उपलब्ध नहीं थी यद्यपि मूल संविदाएं मु स नि आ नि के अपने निजी अधिकार में रखी जानी अपेक्षित थीं।

इस प्रकार से दो पोतभारों से संबंधित मामलों की परीक्षण मु सं नि आ नि द्वारा की गई अपर्याप्त जांच के कारण 2.06 लाख रूपये की अधिक नकद सहायता का भुगतान प्रकट हुआ। संबंधित मिसिलों के अभाव में जो लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं की गई थी, अन्य पोतभारों के संबंध में अधिक भुगतान का निर्धारण नहीं किया जा सका।

जुलाई 1988 में मामला मंत्रालय को सूचित किया गया था, उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (फरवरी 1989)।

16. एम्पीसिलिन रोनोक्सिल तथा रैसीलिन कैप्सूलों के निर्यात पर नकद प्रतिपूरक सहातया

नकद प्रतिपूर्ति सहायता अनुदेश नियमावली 1986 के अनुसार एक निर्यात उत्पाद पर नकद प्रतिपूर्ति सहायता (न प्र स) मूल्य वृद्धि अर्थात पो प नि मूल्य ह्रास आयात प्रतिस्थापन स्थापना मूल्य के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। तथापि, यहां आयात व निर्यात नीति में दिये गये आयात प्रतिस्थापन के आधार पर मूल्य वृद्धि के 25 प्रतिशत का व्यवच्छेदन बिन्दु अधिक हो जाता है, न प्र स की दर अनुपातिक रूप से कम कर देनी चाहिए ताकि यह व्यवच्छेदन बिन्दु के अंदर रहे।

1987 के दौरान एम्पीसिलिन रोनोक्सिल तथा रैसीलिन कैप्सूलों के निर्यात के लिए फर्म को दी गई न प्र स के संबंध में 11 वाउचरों की नमूना जांच से यह प्रकट हुआ कि पो प नि मूल्य के 15 प्रतिशत के हिसाब से न प्र स की 6.44 लाख रूपये की राशि का भुगतान किया गया था। फर्म पो प नि मूल्य के 50 प्रतिशत के हिसाब से एक आयात प्रतिस्थापन की भी हकदार थी। अनुदेशों के अनुसार, न प्र स की दरें व्यवच्छेदन सूत्र को लागू करके पो प नि मूल्य के 12.5 प्रतिशत तक घटायी जानी चाहिए थी यानि कि मूल्य वृद्धि के 25 प्रतिशत अर्थात पो प नि मूलय से उसके द्योतक आयात प्रतिस्थापन के 50 प्रतिशत को घटाकर इसके लागू न किये जाने के परिणामस्वरूप फर्म को 1.06 लाख रूपये का अधिक भुगतान हुआ।

मामला अगस्त 1988 में मंत्रालय को सूचित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (फरवरी 1989)।

रक्षा मंत्रालय

17 रक्षा पेंशन भोगियों को पेंशन का भुगतान

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (सा.क्षे.बैं.) के माध्यम से रक्षा सिविलियन पेंशन भोगियों तथा रक्षा लेखा विभाग के पेंशन भोगियों सहित रक्षा पेंशन भोगियों को पेंशन के भुगतान के लिए कुछ चुने हुए राज्यों में 1 अप्रैल 1977 से तथा सभी राज्यों में 1 अप्रैल 1978 से एक योजना आरंभ की गयी थी। 1 अप्रैल 1987 को 17.94 लाख रक्षा पेंशन भोगियों में से, 2.05 लाख पेंशन भोगियों ने सा क्षे बैं के माध्यम से अपनी पेंशनें प्राप्त की।

सा क्षे बैं की अदा करने वाली शाखाओं में रखे गये खातों, अभिलेखों तथा रजिस्टरों की भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक द्वारा नमूना लेखा परीक्षा की जानी अपेक्षित है। नमूना लेखा परीक्षा में उत्पन्न हुई आपत्तियां रक्षा लेखा नियंत्रक (पेंशन) इलाहबाद के साथ चर्चित की जाती हैं।

5 राज्यों, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक तथा केरल में स्थित सा क्षे बैं में 1978 से 1987 के दौरान किये गये नमूना लेखा परीक्षा से 180 मामलों के बारे में निम्न कारणों से 13.10 लाख रूपये (मार्च 1988) की सीमा तक के अधिक भुगतानों का पता चला:

लाख रू.में

(क)	पुन: रोजगार के दौरान राहत	6.45
(ख)	पेंशन/राहत/अनुग्रहपूर्वक आदि	3.91
(ग)	पेंशन के कम्युटिड भाग की गैर कटौती	1.43
(घ)	अंततम स्थापना को अंतिम रूप न दिये जाने के कारण डिसेबल्टी पेंशन	0.64
(ड.)	चतुर्थ वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पेंशन का गलत निर्धारण	0.67
	जोड़:	13.10

इसके अतिरिक्त, समय समय पर उचित दरों पर राहत की गैर अदायगियों तथा न्यूनतम पेंशन को न बढाये जाने के कारण 1980 से 1987 के दौरान 0.29 लाख रूपये के सीमा तक की अधिक अदायगियां एवं कम अदायगियां भी ध्यान में आयी थीं।

अक्तूबर 1988 में, रखा मंत्रालय ने बताया कि अधिक अदायगियां/ कम अदायगियां पेंशन पर सभी नियमों तथा आदेशों का सा क्षे बैं के सम्बन्धित कर्मचारियों को अधिकतर जानकारी की कमी के कारण थीं। भारतीय रिर्जव बैंक के साथ सलाह मशवरा करके सा क्षे बैं के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला व्यवस्थित करने हेतु एक निर्णय लिया गया था।

संक्षेप में,

- पेंशन तथा राहत की स्थापना की गलत संगणना के कारण, रक्षा पेंशन भोगियों को 13.10 लाख रूपये का अधिक भुगतान किया गया था।

– पैंशन तथा राहत के असंशोधन के परिणाम स्वयप 0.29 लाख रूपये की कम अदायगियां हुई ।

विदेश मंत्रालय

18. न्यूयार्क में एक कक्ष की खरीद में विलम्ब के कारण अतिरिक्त व्यय

न्यूयार्क स्थित भारत के महावाणिज्यदूतावास ने 1972 में वाणिज्यदूतावास के मुखिया के निवास की आवश्यकता पूरी करने के लिए पट्टे पर एक कक्ष किराये पर लिया । सरकार के स्वामित्व वाले कार्यालय भवन (न्यू इंडिया हाऊस) के नवीकरण तथा जिसमें वाणिज्यदूतावास के मुखिया के निवास की व्यवस्था के साथ, कक्ष का निरंतर कब्जा रखने अथवा खाली करने का प्रश्न सितंबर 1979 में विचाराधीन हुआ। कक्ष जल्दी ही बिकने वाला था।

निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर इस भवन को खरीदने के लिए जून 1979 तथा अगस्त 1981 के बीच मंत्रालय को विभिन्न प्रस्ताव भेजे गये थे: –

(1) वर्तमान पट्टा अगस्त 1981 में समाप्त हो रहा था,

(2) कक्ष का आवासीय भवन एक नये प्रबंध को इसे सहकारिता स्वामित्व में बदलने के आशय से बेचा जा रहा था तथा ऐसा प्रतीत होता था कि पट्टा अगस्त 1981 के बाद बढ़ाया नहीं जायेगा,

(3) सरकार के स्वामित्व वाले भवन के निर्माण हेतु वैकल्पिक व्यवस्था सामने नहीं आ रही थी, तथा

(4) वैकल्पिक आवास के लिए किराया, कक्ष के लिए दिये जा रहे 2004 डालर के प्रति प्रतिमाह 5000 यू एस डालर से 6000 यू एस डालर के बीच होगा।

मंत्रालय ने कक्ष के खरीदने का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया (अगस्त 1981) तथा यदि आवश्यक हो तो वैकल्पिक भवन की तलाश करने का सुझाव दिया।

क्योंकि भवन का स्वामित्व सहकारिता में बदला जा रहा था, कक्ष को किरायेदारों को 3,39,300 यू एस डालर में (जोकि गैर किरायेदार खरीदार द्वारा अदायोग्य कीमत से 41 प्रतिशत कम था। (बेचने के लिए एक प्रस्ताव मिशन द्वारा जनवरी 1982 में प्राप्त हुआ था जिसका अनुसरण जुलाई 1982 में 4,40,277 यू एस डालर) जोकि उस समय प्रचलित कीमत से 50 प्रतिशत कम था तथा गैर किराये दार खरीदार को प्रस्तावित किया गया था, के एक अन्य प्रस्ताव से किया गया था। यह अनुबद्ध किया गया था कि विकल्प 90 दिन के भीतर देना था। इन प्रस्तावों पर प्रस्ताव की मान्यता के दौरान कोई कार्यवाही नहीं की गई थी।

नये प्रबंध ने 31 अगस्त 1981 से आगे पट्टा बढ़ाने से मना कर दिया तथा भवन को खाली कराने के लिए वैध कार्यवाही शुरू कर दी। प्रबंध तथापि, मार्च 1985 तक या वाणिज्यदूतावास द्वारा आवासीय भवन का निर्माण पूरा होने तक प्रत्यापन करने के परिणामस्वरूप किरायेदारी जारी रखने के लिए सहमत हुआ।

कक्ष की स्थिति तथा संयुक्त राष्ट्र में भारतीय स्थाई मिशन में नियुक्त होने वाले

अधिकारियों के लिए आवास की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भा स्था मि द्वारा जुलाई 1984 में कक्ष के खरीदने का प्रस्ताव मंत्रालय के साथ फिर उठाया गया था। मंत्रालय के एक दल ने खरीद की बातचीत करने हेतु नवम्बर 1984 तथा अप्रैल 1985 में §यात्रा की लागत 4704 यू एस डालर+हवाई किराया§ दौरा किया था। खरीद को 9,50,000 यू एस डालर पर सितम्बर 1985 में अंतिम रूप दिया गया था। परिणामस्वरूप मूल प्रस्ताव के मुकाबले में 6,10,700 यू एस डालर §73.89 लाख रूपये§ का अतिरिक्त व्यय हुआ। इसके अतिरिक्त 2004 डालर प्रतिमाह की दर से 4 वर्ष का 96,192 डालर किराये के रूप में तथा अप्रैल 1982 से अक्तूबर 1985 के दौरान 67,091 डालर §8.12 लाख रूपये§ मुकदमें के लिए वकीलों को अदा किये गये थे।

कक्ष उप स्थाई प्रतिनिधि के अधिग्रहण के लिए सितम्बर 1985 में खरीदा गया था जो 5,300 डालर के मासिक किराये पर एक कक्ष में रह रहो था। अधिकारी ने वास्तव में नये खरीदे गये कक्ष में दिसम्बर 1985 में अर्थात खरीद के 3 माह पश्चात् प्रवेश किया, जिस बीच किराये के आवास के लिए 15,900 डालर का किराया अदा किया गया था। भा स्था मि द्वारा कक्ष के अधिग्रहण में विलम्ब को वाणिज्यदूतावास के मुखिया द्वारा खालीन किए जाने पर आरोपित किया गया था।

कक्ष की खरीद करने के निर्णय लेने में विलम्ब तथा खरीद उपरान्त अधिग्रहण करने में और विलम्ब के परिणामस्वरूप 7,89,884 डालर §95.58 लाख रूपये§ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

मामला मंत्रालय को जनवरी 1988 में सूचित किया गया था, उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है §नवम्बर 1988§।

19 काहिरा में सम्पत्ति की खरीद में निधियों का अवरोधन

काहिरा में भारतीय मिशन 1958 से 1976 तक 200 एल.ई. §3333 रूपये§ तथा उसके बाद 500 एल.ई §8335 रूपये§ के मासिक किराये पर एक किराये के भवन में स्थित था। भवन का पट्टा 10 वर्ष के लिए जून 1987 तक आगे बढ़ाया गया था। इस भवन की दशा 1983 के शुरू के तूफान के बाद खराब हो गई । अतः मिशन ने मार्च 1983 में दूसरे प्रांगण के रूप में "सिबाक्षी" सम्पत्ति के खरीद का प्रस्ताव रखा। मंत्रालय द्वारा भेजे गये विशेषज्ञों के एक दल ने दिसम्बर 1983 में "सिबाक्षी" सम्पत्ति को अनुपयुक्त पाया तथा जेदाह टावरस में बहुमन्जला भवन वाली एक सम्पत्ति की सिफारिश की जो चान्सरी तथा अटैची की श्रेणी के दो अधिकारियों को रख सकती थी। यह जून 1984 में 12 लाख अमेरिकन डालर §127.20 लाख रूपये § की लागत पर खरीदी थी । खरीद के समय करीब करीब तैयार भवन सितम्बर 1984 तक पूर्णरूपेण तैयार होने की आशा थी।

चार वर्ष बीत जाने के पश्चात भी, सम्पत्ति का स्वामित्व मालिकों द्वारा स्थानान्तरित नहीं किया गया था। मंत्रालय ने, जनवरी 1988 में, बताया कि भवन के मालिकों को पंजीकरण के सवाल पर भवन के स्वामित्व का गैर हस्तान्तरण मार्ग दर्शन करते हुए स्थानीय प्राधिकारियों के साथ कठिनाई पेश हो रही थी। मंत्रालय ने जुलाई 1988 में आगे बताया कि जेदाह टावर के प्रथम तथा तृतीय तलों पर कार्यालय प्रांगण के लिए रखे गये स्थान के वास्ते खरीदारों की अनुउपलब्धता के कारण, भवन निर्माताओं ने अन्य तलों पर दुकानें रखने हेतु योजनाओं को संशोधित किया था। मंत्रालय ने 1986 में प्रांगण का निरीक्षण किया तथा पाया कि सम्पत्ति सुरक्षा दृष्टिकोण से बिल्कुल अनुपयुक्त थी तथा अप्रैल

1988 में सरकार के अधिक हित में सम्पत्ति बेचने हेतु निर्णय किया जब परिसरों के स्वामित्व का स्थानांतरण अभी नहीं किया गया है, यह स्पष्ट नहीं है कि मंत्रालय सरकार के हित को सुरक्षित रखने हेतु सम्पत्ति को कैसे बेच सका था।

मंत्रालय ने जुलाई 1988 में आशा की कि अवरूद्ध हुई निधियें की वसूली संभव हो सकेगी।

20. बोन में सम्पत्ति की खरीद पर निधियों का अवरोधन

भारतीय दूतावास बोन में मिशन के भारतीय कर्मचारियों के लिए 20 फलैटों के निर्माण के लिए 1,035,200 डी एम की अनुमानित लागत पर 2588 वर्ग मीटर माप वाले भूमि के एक टुकड़े को खरीदने के लिए अक्तूबर 1981 में एक प्रस्ताव रखा था। जुलाई 1982 में, प्लाट की खरीद ठीक उसी आधार पर अनुमोदित की दी गई थी। खरीद विलेख जुलाई 1982 तथा अगस्त 1982 में हस्ताक्षरित हुआ था। तथा एक ओवरसीज बैंक को प्लाट के मालिक को 1,035,200 डी एम (41.88 लाख रूपये) की अदायगी करने हेतु अधिकृत किया गया था। मिशन ने सितम्बर 1982 में कमीशन/दलाली तथा नोटरी प्रभारों के रूप में क्रमशः 35,093 डी एम (1.42 लाख रूपये) तथा 5,639 डी एम (0.23 लाख रूपये) भी अदा किये थे तथा मिशन ने वित्तीय वर्ष 1983-84 के दौरान निर्माण की अनुमानित लागत के लिए 2.32 करोड़ रूपये के आबंटन का अनुरोध किया। भारत सरकार को प्लाट का स्वामित्व 31 मार्च 1983 को स्थानान्तरण किया गया।

सितम्बर 1983 में, मंत्रालय ने 1983-84 के दौरान निधियों की उपलब्धता को सूचित करते हुए विभिन्न मिशनों के लिए विदेश में सम्पत्ति अधिग्रहित करने की 5 वर्षीय योजना के अंतर्गत आबंटित की गई निधियों की मंद गति के उपयोग पर विदेश मंत्री के विचार से इस प्रयोजन के लिए निधियों का उपयोग करने हेतु शीघ्र कार्यवाही करने की आवश्यकता पर जोर दिया था।

अक्तूबर 1983 में, मिशन ने स्थानीय नियमों तथा भवन परम्पराओं को विचार में रखते हुए सर्वोत्तर प्रकार, जिसमें निर्माण कार्य शुरू किया जा सके को अंदाजा लगाने हेतु एक भारतीय वास्तुकार के तुरन्त चयन की आवश्यकता को मंत्रालय के ध्यान में लाया। तथापि, मंत्रालय ने इस प्रयोजन के लिए एक परामर्श दात्री फर्म की नियुक्ति के बारे में मिशन को केवल मार्च 1984 में सूचित किया। प्रथम चरण में परामर्शदाता को एक परियोजना रिपोर्ट तैयार करनी अपेक्षित थी तथा अगस्त 1984 तक उसे मंत्रालय को प्रस्तुत करना था।

तदनुसार के लो नि वि के मुख्य वास्तुकार तथा परामर्शदाता ने निर्माण के सभी पहलुओं पर स्थानीय वास्तुकारों से चर्चा करने हेतु मई/जून 1984 में बोन का दौरा किया। चर्चा से पता चला कि स्थानीय नियमों के अनुसार शुरू में विचार किये गये 2184 वर्ग मीटर के प्रति केवल 1460 वर्ग मीटर का अधिकतम निर्मित क्षेत्र ही निर्माण के लिए उपलब्ध होगा। अतः मंत्रालय ने मूलरूप से नियोजित 20 फ्लैटों के प्रति 16 फ्लैटों का निर्माण करने के लिए मार्च 1985 में निर्णय लिया तथा तदनुसार परामर्शदाता को प्रारंभिक ड्राइंग तैयार करने के लिए सूचित किया।

इसके बाद परामर्शदाता ने केवल जून/जुलाई 1986 में बोन का दौरा किया तथा स्थानीय नगर अधिकारियों द्वारा खाका अनुमोदित

करवाया तथा इसके बाद परियोजना रिपोर्ट देरी से फरवरी 1987 में पेश की । निर्माण के समापन के लिए रिपोर्ट में 12-18 महीनों का एक अग्र समय दर्शाया गया था। परियोजना रिपोर्ट अधूरी बतायी गयी थी। यहा तक कि उसमें परियोजना की अनुमानित लागत का संकेत नहीं था ।

जुलाई 1988 में, मिशन ने बताया कि परियोजना रिपोर्ट मंत्रालय के विचाराधीन थी। मामला अभी भी अधर में लटका प्रतीत होता है तथा निर्माण कार्य अक्तूबर 1982 तक शुरू नहीं किया गया था।

इसी बीच मिशन को कर्मचारियों के लिए आवास को किराये पर लेना जारी रखना पड़ा। यदि, उपर्युक्त विलंब न होते तो निर्माण के समापन के लिए अपेक्षित 18 महीने के अधिकतम अग्र समय को गिनते हुए परियोजना सितम्बर 1984 तक पूरी की जा सकती थी। मिशन द्वारा अक्तूबर 1984 से अक्तूबर 1988 तक की अवधि के लिए कर्मचारियों के लिए आवास के किराये पर किया गया खर्च 33.20 लाख रूपये परिकलित किया गया ।

इस प्रकार, मार्च 1983 में खरीदा गया 43.53 लाख रूपये कीमत का एक भूमि खंड लाभकारी प्रयोग में नहीं लाया गया है, जिसके परिणामस्वरूप 5 वर्षों तक सरकारी निधियों का अवरोधन हुआ। इसके अतिरिक्त, 33.20 लाख रूपये का परिहार्य व्यय करते हुए मिशन को अपने कर्मचारियो के लिए आवास को किराये पर लेना जारी रखे रखना पड़ा।

मंत्रालय ने दिसम्बर 1988 में बताया कि विभिन्न कारणों के लिये, जैसे कि वास्तुकार के चयन में विलम्ब, नये अन्तरिक्ष मानक को अन्तिम रूप देना, पर्याप्त कार्यवाही केवल मार्च 1985 में शुरू की जा सकी। इसके अतिरिक्त , अतिरिक्त भूमि के टुकड़े की खरीद के लिये प्रस्ताव के कारण परियोजना को रोक लिया गया है तथा इसके बाद एक संगठित योजना तैयार की जायेगी।

21. पारस्परिक प्राप्ति के आधार पर करों का भुगतान

(क) वियेना समागम के अनुच्छेद 23 के अनुसार एक देश में प्रत्याशित विदेशी राजनयिक मिशन, चान्सरी भवनों तथा मिशनों के प्रमुखों के निवास स्थानों के लिए, सम्पत्ति कर से मुक्त होते हैं। अन्य सम्पत्तियों के संबंध में सम्पत्ति कर की छूट पारस्परिकता के आधार पर निश्चित की जाती है।

दिल्ली स्थित संयुक्त राज्य दूतावास के पास मय चान्सरी एवं निवास क्षेत्र के 25 सम्पत्तियां हैं। इन सम्पत्तियों में से 15 नई दिल्ली नगर पालिका (न दि न पा) क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं तथा 1949 से सम्पत्ति कर से मुक्त की हुई हैं। दिल्ली नगर निगम (दि न नि) क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाली 10 अन्य सम्पत्तियों के बारे में दिल्ली नगर निगम द्वारा (31 मार्च 1987) किये गये दावे का 11.74 लाख रूपये राशि का कर संयुक्त राज्य दूतावास के प्रति बकाया पड़ा था जो प्रतिवाद के अंतर्गत उनके द्वारा अदा नहीं किया गया है।

भारतीय दूतावास, वाशिंगटन ने मार्च 1980 तथा अक्तूबर 1981 के बीच अपने अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए 16 रिहायशी आवास खरीदे। जबकि दिल्ली में संयुक्त राज्य

दूतावास ने प्रतिवाद के अंतर्गत कर अदा नहीं किया था, भारतीय दूतावास, वाशिंगटन ने दिसम्बर 1985 तक सम्पत्ति कर के रूप में 96,195 यू एस डालर अदा किये। जबकि वर्ष 1986 के लिए 18,604 डालर का कर दायित्व तय होना है, संयुक्त राज्य सरकार ने जनवरी 1987 से संयुक्त राज्य में सभी राजनयिक मिशनों द्वारा प्राप्त जायदाद सम्पत्ति कर से मुक्त की (मार्च 1987)। सं रा सरकार ने अगस्त 1987 मे 11.74 लाख रूपये के दिल्ली नगर निगम के बकाया दावे के प्रति 18,604 डालर (2.4 लाख रूपये) के बकायाओं को समायोजन करने हेतु प्रस्ताव किया। वाशिंगटन में भारतीय दूतावास द्वारा यदि कर की अदायगी नहीं की गयी होती जैसा कि नई दिल्ली में सं रा दूतावास द्वारा किया गया था तो 96,195 यू एस डालर (12.60 लाख रूपये7 का खर्च टाला जा सकता था।

लेखापरीक्षा द्वारा यह बताये जाने पर, मंत्रालय ने नवम्बर 1987 में बताया कि निम्नलिखित कार्यवाही की जाने हेतु प्रस्तावित है:-

(1) दिल्ली नगर निगम द्वारा किये गये दावों की माफी न केवल यदि हमारी सम्पत्तियों के प्रति अनिर्णीत दावे माफ कर दिये गये हैं बल्कि अब तक अदा किये हुए कर अब वापिस किये जायें,

(2) यदि उपर्युक्त का हिसाब नहीं लगाया जाता है तो दिल्ली नगर निगम के साथ प्रोटोकोल मंडल दिल्ली/नई दिल्ली में स्थित अमेरिकन दूतावास से दिल्ली नगर निगम को देय दावों को प्राप्त करने के लिए हिसाब लगायेगा।

इस प्रकार, वित्तीय पहलुओं में पारस्परिकता नजर अंदाज की गई है तथा एक तरफ विदेश मंत्रालय में तथा दूसरी तरफ शहरी विकास मंत्रालय, दिल्ली नगर निगम तथा नई दिल्ली नगर पालिका में सहयोग की कमी रही है। विदेश मंत्रालय तथा भारत में नगर पालिका प्राधिकारियों के मध्य तालमेल की कमी ने भी ऐसी स्थिति पैदा की जिसमें भारत में नगर पालिका प्राधिकारियों ने भारत में अमरीकी दूतावास की सम्पत्ति को छूट दे दी, जबकि यू.एस.ए. में वैसा ही व्यवहार भारतीय दूतावास की सम्पत्ति के लिये नहीं किया गया था।

मंत्रालय ने जनवरी 1989 में सूचित किया कि दिल्ली में अमेरिकन दूतावास ने दिननि को पांच सम्पत्तियों के बारे में मार्च 1989 तक की अवधि के लिए सम्पत्ति कर हेतु देय राशियों के रूप में 12.42 लाख रूपये अदा कर दिये थे।

(ख) 1961 तथा 1963 के राजनयिक तथा कन्सूलर संबंधों पर वीयेना सभा के अनुसार पारस्परिकता के आधार पर संयुक्त मैक्सीकन राज्यों की सरकार ने निम्नलिखित लेन देनों/सेवाओं पर आई वी ए (इप्यूसटों ऐल केलोर एरेगेडो) जानी जाने वाली "कर जोडा हुआ मूल्य" की प्रतिपूर्ति के लिए एक योजना आरंभ की (जुलाई 1985):-

(क) माल का विपणन
(ख) स्वतंत्र सेवाओं को मुहैय्या करना
(ग) मालों की अस्थाई अनुदान का प्रयोग
(घ) मालों तथा सेवाओं का महत्त्व

12 फरवरी 1986 से भारतीय मिशन

को मिशन द्वारा की गई खरीदों के प्रति आई वी ए की प्रतिपूर्ति की उपर्युक्त सुविधा पेश की गई थी।

मिशन द्वारा किये गये दावों की छानबीन से पता चला कि मिशन द्वारा की गई खरीदों के लिए करों की प्रतिपूर्ति के केवल अक्तूबर 1986 से दावे किये गये थे। जबकि अक्तूबर 1986 तक के दावे पेश नहीं किये गये थे, अक्तूबर 1986 के बाद करों की प्रतिपूर्ति केवल थोड़ी बहुत पेश की गई थी। फरवरी 1986 से जून 1987 की अवधि के लिए प्रतिपूर्ति योग्य 59.82 लाख मैक्सीकन पेसोस की राशि में से, केवल 9.68 लाख मैक्सीकन पैसोस 50.14 लाख मैक्सीकन पेसोस (0.69 लाख रूपये) की राशि को बिना दावे किये हुए छोड़ते हुए प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन किया गया था।

लेखा परीक्षा द्वारा बताये जाने पर मिशन ने 50.14 लाख मैक्सीकन पेसोस के वापसी के दावे पेश किये (अप्रैल 1988)।

22. शुल्क न लगाये जाने के कारण राजस्व की हानि

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के मार्च 1987 को समाप्त हुए वर्ष के लिए संघ सरकार (सिविल)- 1988 की सं0 1 प्रतिवेदन के पैरा 17 में कम शुल्क लगाये जाने के कारण 62.86 लाख रूपये के राजस्व की हानि के बारे में वर्णन किया गया था। मंत्रालय ने सितम्बर 1985 में सभी पारपत्र जारीकर्त्ता प्राधिकारियों को स्पष्ट कर दिया था कि 1 अक्तूबर 1985 से "प्रवास निकासी आवश्यक" (प्र नि आ) अथवा "प्रवास निकासी आवश्यक नहीं" (प्र नि आ न) पृष्ठांकन लगाने की प्रारंभिक अवस्था में ही 10 रूपये का शुलक वसूल किया जायेगा।

क्षेत्रीय पारपत्र कार्यालय (क्षे.पा.का.) बम्बई ने वास्तव में 14 फरवारी 1986 से मंत्रालय को आदेश का कार्यान्वयन किया।

क्षे पा का के अभिलेखों की नमूना जांच से प्रकट हुआ कि प्रथम अक्तूबर 1985 से 13 फरवरी 1986 की अवधि के दौरान प्रवास पृष्ठांकन सहित 76,965 पारपत्र बिना 10 रूपये वसूल किये जारी किये गये थे। इसके परिणामस्वरूप 7.70 लाख रूपये के राजस्व की हानि हुई।

मंत्रालय ने बताया (अगस्त 1988) कि क्षेत्रीय पारपत्र कार्यालय बम्बई से संबंधित 7.70 लाख रूपये सहित देश में विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा शुल्क वसूल न करने के कारण 74 लाख रूपये के राजस्व की हानि, बट्टे खाते डालनी प्रस्तावित है।

यह नवम्बर 1988 में आगे बताया गया कि पहली अक्टूबर 1985 से शुल्क के न लगाये जाने के कारण हानि पास पोर्ट अधिकारियों द्वारा उनके अनुदेशों के प्राप्त न होने के कारण थी।

23. पारपत्र प्रपत्रों की लागत की गैर वसूली

विदेश मंत्रालय ने 1 सितम्बर 1986 से पारपत्रों को जारी करने/नवीनीकरण के लिए संशोधित आवेदन प्रपत्रों को प्रारंभ करने का निर्णय लिया (अगस्त 1986) प्रपत्रों की लागत (नये पारपत्रों के लिए 10 रूपये तथा अन्य सेवाओं के लिए 5 रूपये) आवेदकों से वसूल की जानी अपेक्षित थी। विदेशी मिशनों के मामले में , मूल्यांकित प्रपत्र, उनके द्वारा प्रपत्रों के प्रापत होने की तिथि से प्रारंभ किये जाने थे। जबकि नये पारपत्र हेतु प्रपत्र

भारतीय दूतावास, वाशिंगटन और सेन फ्रांसिस्को स्थित वाणिज्य दूतावास द्वारा सितम्बर 1986 से पूर्व प्राप्त कर लिये गये थे, शिकांगो तथा न्यूयार्क स्थित वाणिज्य दूतावास द्वारा ये केवल क्रमशः जून 1987 तथा जनवरी 1987 में प्रापत किये गये थे। पारपत्रों के नवीनीकरण के लिए प्रपत्र शिकागो स्थित वाणिज्य दूतावास द्वारा जून 1987, न्यूयार्क और सेन फ्रांसिस्को द्वारा सितम्बर 1987 में प्राप्त किये गये थे।

डालर के अंश को §10 रूपये =0.76 डालर§ को संगृहित करने की समस्या से बचने के लिए भारतीय दूतावास वाशिंगटन ने मंत्रालय से साथ साथ सं.रा.अमेरिका में स्थित वाणिज्य दूतावासों को सूचित किया कि उन्हें नये पारपत्रों के प्रपत्र के लिए 1.00 डालर तथा अन्य सेवाओं के लिए 0.50 डालर§ बाद में 1 दिसम्बर 1986 से 1.00 डालर तक बढ़ाया गया § वसूल करने चाहिए। दूतावास के इस निर्णय की सं रा अमेरिका तथा कनाडा के वाणिज्य दूतावासें की विंग के प्रमुखों की जून 1987 में हुई सभा में भी पुष्टि की गयी थी, जिसमें मंत्रालय का एक प्रतिनिधि भी शामिल था। दो बार के धन संग्रह से बचने के लिए §एक बार प्रपत्र के लिए दूसरी बार सेवाओं के लिए§, इस सभा में प्रपत्रों की लगात के साथ ही की गई अन्य सेवाओं के लिए शुल्क वसूलने का निर्णय लिया गया था। यह भी निर्णय लिया गया था कि जिन वाणिज्य दूतावासों ने दूतावास के भंडारण से प्रपत्र प्राप्त नहीं किये थे उन्हें प्रपत्र उपलब्ध कराये जायें।

सभा में लिए गए निर्णय तथा मंत्रालय के अनुदेशों के बावजूद, सं.रा.अमेरिका में वाणिज्य दूतावासों ने आवेदन प्रपत्र की लागत वसूल नहीं की और इस प्रकार से एक ही देश के अंदर दूतावास तथा वाणिज्य दूतावासों द्वारा अलग अलग दरें वसूल की जा रही थी। सं रा अमेरिका में तीन वाणिज्य दूतावासों ने नये प्रपत्रों की प्राप्ति के बाद 30247 नये पारपत्र जारी किये तथा 10887 पारपत्रों का नवीनीकरण किया। इसके परिणामस्वरूप, प्रपत्रों की प्राप्ति की तिथि के संदर्भ में की गई गणना के अनुसार 41,134 डालर §5.39 लाख रूपये§ के राजस्व की कम वसूली हुई।

लेखा परीक्षा आपत्तियों के प्रत्युत्तर में, वाणिज्य दूतावासों ने नये प्रपत्रों को प्रारंभ न करने तथा बढ़ी दरों पर वसूली न करने के निम्न लिखित कारण प्रस्तुत किये:-

§1§ यद्यपि नये पारपत्रों तथा डुप्लिकेट पारपत्रों के लिए संशोधित पारपत्र जनवरी/ जून 1987 में प्राप्त हो गये थे, पारपत्रों के नवीनकीकरण के अन्य प्रपत्र बाद में प्राप्त हुए थे,

§2§ नये छापे गये प्रपत्र प्रयुक्त नहीं किये गये थे,

§3§ यदि प्रपत्र की लागत अग्रिम में प्राप्त कर ली जाती है तो इसमें अत्यधिक कार्य अन्तर्ग्रस्त होगा,

§4§ न्यूयार्क स्थित वाणिज्य दूतावासों ने बताया §मई 1988§ कि उस कार्यालय द्वारा प्रयोग में लाये गये प्रपत्रों की लागत एयरइंडिया द्वारा पूरी कर दी गई थी और सरकार को कोई वित्तीय हानि नहीं थी।

वाणिज्य दूतावासों के विचारों पर इस

तथ्य के संदर्भ में विचार किया जाना है कि वाशिंगटन स्थित दूतावास की वाणिज्यिक विंग ने इस राजस्व को, उन्हीं परिस्थितियों में जो इन वाणिज्य दूतावासों में विद्यमान है, वसूल किया है। यदि वाणिज्य दूतावासों ने समान कदम उठाये होते तो 5.39 लाख रूपये के राजस्व की कम प्राप्ति से बचा जा सकता था।

मामला अप्रैल 1988 में मंत्रालय को सूचित किया गया था, उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 1988)।

24. दूतावास के एक प्रमुख द्वारा विदेश भत्ते का अधिक आहरण

भारतीय विदेशी सेवा (वेतन, छुट्टी, प्रतिपूरक भत्ते तथा अन्य सेवा की शर्तें) नियम 1961 में निहित प्रावधानों के अनुसार, सरकार, प्रत्येक श्रेणी के अधिकारियों, अथवा किसी विदेशी स्टेशन पर सेवारत कोई विशेष अधिकारी के भारतीय और अथवा स्थानीय घरेलू नौकरों, जिन्हें कि ऐसे अधिकारियों अथवा ऐसे वर्ग के किसी अधिकारी को अनुरक्षित करने की आवश्यकता होगी और जो अधिकारी के विदेशी भत्ते के प्रावधान में ऐसी किस्म के नौकारीं के मानक वेतन के भुगतान हेतु सम्मिलित हो, की संख्या और किस्म निर्धारित करती है। शब्द "स्थानीय नौकर" जैसा कि इन नियमों में परिभाषित है भारतीय मूल/राष्ट्रीयता के केवल उसी व्यक्ति को सम्मिलित करताहै जिसे भारत सरकार के खर्चे पर विदेश नहीं ले जाया गया हो, परन्तु वह एक अधिकारी द्वारा उसकी नियुक्ति के स्टेशन पर भर्त्ती किया गया हो, बशर्ते कि ऐसे नौकर ने उस स्टेशन पर उस तारीख को जिसको वह अधिकारी की नौकरी में प्रवेश करता है निवास करते हुए तीन वर्ष व्यतीत कर लिए हो।

विदेश मन्त्रालय ने विदेश में स्थित भारतीय दूतावास में राजदूत (श्रेणी I) का विदेश सेवा भत्ता 17,850 रू. प्रतिमाह नौकरों के निम्न कर्मी मंडल हेतु प्रावधान को शामिल करते हुए निर्धारित किया (मई 1982):-

दो भारतीय नौकर	प्रत्येक 400रू. प्रतिमाह पर
एक पूर्णकालिक स्थानीय नौकर	2,784 रू. प्रतिमाह पर
एक अंशकालिक स्थानीय नौकर	1,853 रू. प्रतिमाह पर

10 नवम्बर, 1982 को एक दूतावास में एक अधिकारी ने राजदूत के रूप में पदग्रहण करने पर सूचित किया कि उसने 400 रू. प्रतिमाह प्रत्येक के वेतन पर (वेतन को दृष्टिगत करते हुए स्पष्टत: सभी भारतीय नौकर) तीन पूर्ण कालिक नौकर रखे थे। यह सूचना दूतावास द्वारा मंत्रालय को 18 नवम्बर 1982 को भेजी गई थी। तत्पश्चात् अधिकारी ने अपने 23 नवम्बर 1982 के टिप्पण में बताया कि उसके तीसरे भारतीय नौकर को जिसका यात्रा व्यय उसके द्वारा वहन किया गया था पूर्णकालिक स्थानीय नौकर के समान माना जाना था। इस पर दूतावास ने 2784 रू. प्रतिमाह पर नियुक्त पूर्णकालिक स्थानीय नौकर के रूप में, तीन में से एक नौकर की संशोधित स्थिति एवं वेतन का वर्णन करते हुए मंत्रालय को संशोधित सूचना भेजी। मंत्रालय के दिनांक 17 नवम्बर 1982 के टेलेक्स सूचनानुसार इस नौकर को विदेशी हवाई अडडे पर 22 नवम्बर 1982 को ही पहुंच जाना था तथा अधिकारी की 23 नवम्बर 1982 की टिप्पणी के अनुसार दूतावास को उसके वीसा तथा कार्य करने के परमिट के लिये प्रबन्ध करने थे। अत: नौकर ने विदेशी स्टेशन पर अधिकारी के पास अपनी नौकरी की तिथि से 3 वर्ष का प्रवास पूर्ण नहीं किया था और इस प्रकार से

जैसाकि मंत्रालय को मूलरूप से सूचित किया गया था उसका वर्गीकरण 400 रू. प्रतिमाह मानक वेतन वाले केवल एक भारतीय नौकर के रूप में किया जा सकता था न कि एक "स्थानीयनौकर" के रूप में।

दूतावास तथा अधिकारी द्वारा दी गई गलत सूचना के आधार पर मन्त्रालय ने अधिकारी को, उसके पूरे दो वर्ष के कार्यकाल में उस कथित नौकर के संबंध में भारतीय वेन 400 रू. प्रतिमाह के स्थान पर 2784 रू. प्रतिमाह स्थानीय वेतन सहित ऊंचीदरों पर विदेश भत्ता, आहरित करने को प्राधिकृत किया। इसमें कुल 57,216 रू. का अधिक भुगतान अन्तर्ग्रस्त था। दूतावास ने दिसम्बर 1985 में बताया कि अधिकारी ने नौकर को "स्पष्टतः भूल से" पूर्णकालिक स्थानीय नौकर मान लिया था और मामला अधिकारी और विदेश मन्त्रालय के साथ उठाया जा रहा था। मन्त्रालय ने जून 1986 में दूतावास को सलाह दी कि भारतीय नौकरों में से एक को पूर्णकालिक स्थानीय नौकर मानना नियमों में अनुमत नहीं था और उससे कुछ अन्य सूचना/स्पष्टीकरण मांगे । मन्त्रालय को उपयुक्त सुधारात्मक उपाय करने चाहिए थे जिससे इस प्रकार की गलतियां अन्य दूतावासों में घटित न हों।

मामला फरवरी 1986 में मंत्रालय को सूचित किया गया था। मंत्रालय ने दिसम्बर 1988 में बताया कि मंत्रालय के विचारों को तत्काल भेजने की दृष्टि से मामले पर गौर किया जा रहा था। अन्तिम उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 1989)।

25. विदेश यात्राओं की अनुचित स्वीकृति

आकस्मिक घटना के अवसर पर विदेश दूतावासों में नियुक्त भारतीय अधिकारियों और उनके परिवार के अधिकृत सदस्यों को भारत तथा उनकी नियुक्ति के स्थान के बीच विदेश यात्राएं अनुमत की जाती हैं। इस प्रकार से स्वीकृत की गई विदेश यात्राओं की एक नमूना जांच से निम्नलिखित अनियमितताओं का पता चला :-

(क) वाशिंगटन के दूतावास में तैनात एक अधिकारी ने चंडीगढ़ में रह रहे अपने पिता की बीमारी के आधार पर, नवम्बर 1985 में 3 सप्ताह के अवकाश का आवेदन किया और आकस्मिक विदेश यात्रा को अनुमत करने हेतु प्रार्थना की । मंत्रालय से स्वीकृत की प्रतीक्षा में वापसी टिकट (कीमत 0.29 लाख रूपये) खरीदा गया था और अधिकारी को चंडीगढ़ जाने की अनुमति दे दी गई थी।

तथापि, विदेश मंत्रालय ने इस विदेश यात्रा को सम्पूर्ण अवधि हेतु दिल्ली में, अस्थाई सेवा माना । मंत्रालय ने बताया कि (फरवरी 1988) "अधिकारी, जो आकस्मिक विदेश यात्रा पर भारत आया था, को प्रारंभ में परामर्श सेवा कार्य पर लगाया जाना अपेक्षित था..... यह तय किया गया था कि भारत में रूकने का उसका सम्पूर्ण समय सेवाकार्य पर माना जाए.....। मंत्रालय के उत्तर को इस तथ्य के संदर्भ में देखा जाना है कि नियमों के अधीन, जब सरकारी सेवा का सदस्य भारत वर्ष में अवकाश पर हो और उसे दौरे पर रिफेशर कोर्स और अन्य ऐसे कर्त्तव्य जो आवश्यक हो पालन करने अपेक्षित हो तो केवल इस प्रकार से खर्च किया गया समय ही सेवा माना जाये। इसके अतिरिक्त क्योंकि अधिकारीगण अपने सारे कार्य काल में केवल दो आकस्मिक विदेश यात्राओं के हकदार होते हैं, आकस्मिक विदेश यात्रा के सेवाकाल में ऐसा परिवर्तन विदेश यात्रा की संख्या पर लगाए गए

प्रतिबंध के उद्देश्य को समाप्त कर देता था। 0.29 लाख रूपये के आकस्मिक देशान्तरण व्यय को सेवाकार्य माना जाना अनियमिति था।

(ख) इसी प्रकार, वाणिज्य दूतावास (न्यूयार्क) में तैनात एक अधिकारी द्वारा उठाये गये विदेश यात्रा भत्ते के लाभ (0.29 लाख रूपये) को उसके द्वारा जून 1985 में अर्जित अवकाश का उपभोग किये जाने के बाद आकस्मिकअवकाश के साथ सम्मिलित कर सेवाकालीन विदेश यात्रा में परिवर्तित कर दिया गया जो अनियमित था।

मामले जून 1988 में मंत्रालय को सूचित किये गये थे, उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 1988)।

26. वेतन का अधिक भुगतान

भारतीय दूतावास, बोगाटो मंत्रालय के पूर्व अनुमोदन के बिना समय समय पर भर्ती किये गये अपने स्थानीय कर्मचारियों का वेतन बढाता रहा था।

दिसम्बर 1985 में लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर दिसम्बर 1986 में अगस्त 1980 तथा फरवरी के बीच भर्ती किये गये स्थानीय कर्मचारियों के वेतन में तदर्थ वृद्धियों का नियमन करते हुए मंत्रालय ने कार्योत्तर संस्वीकृति जारी की । मंत्रालय (दिसम्बर 1987) ने बताया कि "मिशनों के प्रमुख ने मंत्रालय को संदर्भ किये बिना ही एक तरफा रूप से वेतन में वृद्धि कर दी तथा समुचित प्रक्रिया तथा वित्तीय मानदंडों की इस अवहेलना के बारे में बात को गंभीर रूप से लिया गया था"। कार्योत्तर संस्वीकृति द्वारा नियमित किया गया अधिक व्यय 1.32 लाख रूपये था।

तथ्य यह है कि विदेश मंत्रालय के पास यह सुनिश्चित करने के लिए कि मिशनों द्वारा समुचित प्रक्रियाएं तथा वित्तीय मानदंडों का पालन किया जा रहा है, कोई संतोषजन तंत्र नहीं था। मंत्रालय के आंतरिक लेखा परीक्षा को सुदृढ करने की आवश्यकता है क्योंकि वेतन के ऐसे अप्रधिकृत अधिक भुगतान को आंतरिक लेखा परीक्षा द्वारा एक लम्बे समय से खोजा नहीं गया है।

27 स्थानीय रूप से भर्ती कर्मचारियों को अधिक भुगतान

नियुक्ति की शर्तों के अनुसार लंदन में दूतावास के स्थानीय रूप से भर्ती कर्मचारी साठ वर्ष की आयु पर सेवा निवृत हो जाते है। दूतावास के तीन स्थानीयरूप से भर्ती कर्मचारियों को क्रमशः 10 जुलाई 1982, 27 जून 1983 और 8 अगस्त 1983 को अपनी सेवा निवृत्ति की सामान्य तिथियों के बाद कार्य काल में बढ़ोत्तरी अनुमत की गई थी । जब कि भारत सरकार ने इन अधिकारियों का सेवाकाल सेवा निवृत्ति की सामान्य तिथि से 5 वर्षों के लिए अधिक बढ़ाने की कार्योत्तर संस्वीकृत प्रदान करते हुए अन्य बातों के साथ साथ निर्देश दिया (दिसम्बर 1985) था कि ये कर्मचारी अपने बढ़ाए गए सेवा काल के दौरान उतना ही वेतन प्राप्त करते रहेंगे जितना वे अपने सेवा निवृत्ति के समय प्राप्त कर रहे थे। फरवरी 1986 और मई 1986 में भारत सरकार ने आगे स्पष्ट किया कि बढ़ाए गए सेवा काल के दौरान स्थानीय रूप से भर्ती कर्मचारी न तो वार्षिक वेतनवृद्धियों के लाभ के लिए हकदार होंगे और न ही संशोधित वेतन मानों के लाभ को, यदि कोई हो तथापि, ऐसे कर्मचारियों की यदि बढ़ाए गए सेवा काल के दौरान अतिरिक्त निर्वाह व्यय भत्ता (अ नि व्य भ) संस्वीकृत होता है तो वे उसके हकदार होंगे।

लेखा परीक्षा में §नवम्बर 1987§ में यह पता चला था कि अक्तूबर 1983 में इन कर्मचारियों को दूतावास ने न केवल संशोधित वेतन मानों का लाभ ही अनुमत किया था अपितु सरकार के आदेश के प्रतिकूल संशोधित वेतन मान में वार्षिक वेतन वृद्धियां भी अनुमत की गई थीं। आगे कर्मचारियों में से दो की अपने बढ़े हुए सेवा काल के प्रचलन के दौरान जुलाई 1984 और अक्तूबर 1983 में क्रमशः वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी और प्रशासन अधिकारी के रूप में पदोन्नति की गई थी। इन तीन मामलों में उपरोक्त अनियमितताओं के परिणामरूपरूप सितम्बर 1988 तक हुआ कुल अधिक भुगतान 28,400 पौंड §5.17 लाख रूपये§ बना।

जनवरी 1986 में अपनी गलती महसूस करते हुए दूतावास ने मंत्रालय से अप्रैल 1986 में 12.050 पौंड §1.89 लाख रूपये§ के जनवरी 1986 तक हुए अधिक भुगतान को नियमित करने के लिए सम्पर्क किया जो, मार्च 1987 में मंत्रालय द्वारा कार्योत्तर दे दी गई थी। तथापि, मंत्रालय से अधिक भुगतान की नियमितता प्राप्त करने के समय में भी, दूतावास ने इन कर्मचारियों के पहली फरवरी 1986 से प्रभावी वेतनों को कम किए जाने के लिए कोई पग नहीं उठाए जिससे जनवरी 1986 के बाद भी अधिक भुगतान होने जारी रहे। फरवरी 1986 और सितम्बर 1988 के बीच हुए अधिक भुगतान 18,452 पौंड §3.65 लाख रूपये§ बना। इसी बीच कर्मचारियों में से दो क्रमशः जुलाई 1987 और अगस्त 1988 में नौकरी से सेवा निवृत्त हो गये थे जबकि तीसरे को 31 दिसम्बर 1988 तक और बढ़ौतरी अनुमत कर दी गई थी।

लेखा परीक्षा द्वारा नवम्बर 1987 में मामला उठाया जाने पर, दूतावास ने वेतन में संशोधन करने तथा अधिक हुए भुगतान के वसूल किए जाने के स्थान पर एक बार पुनः फरवरी 1986 से फरवरी 1988 के दौरान हुए अधिक भुगतान के नियमित किए जाने के लिए मंत्रालय से सम्पर्क किया §मार्च 1988"§। जो कि संगणना करने पर 15,371 पौंड §2.91 लाख रूपये§ बनता था। नवम्बर 1988 में मंत्रालय के पत्रानुसार दूतावास को अनियमित अदायगियां बंद करने हेतु तथा वसूलियां शुरू करने के लिए अप्रैल 1988 में कहा गया था, लेकिन उसने मंत्रालय के अनुदेशों का अनुपालन नहीं किया।

ममाला मंत्रालय को मई 1988 में सूचित किया गया था, उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है §फरवरी 1989§।

28. अग्रिम वेतन वृद्धियों की अनियमित स्वीकृति

मूल नियम 27 निर्धारित करता है कि एक प्राधिकारी यदि उसी वेतनमान पर उसी केडर में एक पद सृजित करने हेतु प्राधिकृत हो तो वह वेतन के एक समय मान पर एक सरकारी कर्मचारी का समय पूर्व वेतन में वृद्धि स्वीकृत कर सकता है। भारत सरकार के मंत्रालयों को फरवरी 1955 में प्रदत्त वित्तीय शक्तियों में विचार किया गया कि सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालय, सरकारी सेवा में प्रारम्भिक नियुक्तियों के मामले में आयु, पूर्व अनुभव शैक्षिक योग्यता तथा गत आहरित की गई राशियां, इत्यादि, की शर्तों का ध्यान रखते हुए पद के वेतनमान में प्रारम्भिक उच्च वेतन, जो पांच स्तर/वेतनवृद्धियों से अधिक न हो, स्वीकृत कर सकता है। मू.नि. 27 के अधीन शक्तियों के प्रयोग की संमीक्षा में भारत सरकार §वित्त मंत्रालय§ ने फरवरी 1968 में निर्णय किया कि इस प्रकार की शक्तियों का सराहनीय कार्य के लिये एक मान के रूप

में समय पूर्व तरक्की स्वीकृत करने के लिए साथ-साथ आह्वान नहीं किया जाना चाहिये।

उपर्युक्त शक्तियाँ समय-समय पर विदेश स्थित भारत सरकार के प्रतिनिधियों को प्रदत्त की गयी हैं। इन प्रतिनिधिानों के अनुसार, दूतावास प्रमुख, इन शक्तियों का स्थानीय स्टाफ के मामले में प्रयोग कर सकता है जिन्हें प्रारम्भिक नियुक्ति पर प्रविक्षा पर रखा जाता है तथा पद के संस्वीकृत वेतनमान के निम्नतम पर अदायगी की जाती है तथा ऐसे मामलों में अग्रिम वेतन वृद्धियां प्रवीक्षा अवधि के समाप्त होने के बाद था तो नियुक्ति की पूर्व व्यापि तिथि से अथवा नियुक्ति के समय पर आयु, अनुभव तथा शैक्षिक योग्यता का ध्यान रखते हुए किसी बाद की तिथि से अनुमत की जानी चाहिए। मार्च 1984, में विदेश मंत्रालय ने पुनः सुनिश्चित रूप से स्पष्टीकरण दिया कि चूंकि नियमों में, प्रशासनीय या निष्ठावान सेवा हेतु अग्रिम वेतनवृद्धि स्वीकृत करने के लिये कोई प्रावधान नहीं है, ऐसे किसी विशेष मामले को, जिसमें दूतावास प्रमुख प्रशंसनीय सेवा के आधारों पर अग्रिम वेतनवृद्धि देना चाहे, उसे विद्यमान नियमों में छूट के लिये, मंत्रालय को संदर्भित किया जाना चाहिये ।

तथापि, भारत के उच्चायुक्त, लंदन द्वारा स्थानीय रूप से नियुक्त किये गये 16 कर्मचारियों को प्रशंसनीय/निष्ठावान सेवा के लिये पुरस्कार के रूप में वही नियमों व आदेशों का उल्लघंन करते हुए अग्रिम वेतनवृद्धियां दी गई थी, जिनमें दिसम्बर 1980 से मार्च 1987 की अवधि के लिये 4.38 लाख रू. की अधिक अदायगी अन्तर्ग्रस्त हुई।

अग्रिम वेतनवृद्धियों की अनियमित स्वीकृति को बहुत बाद, मार्च 1983 में मंत्रालय की जानकारी में लाया गया था, लेकिन अधिक अदायगियों के वसूल करने/नियमित करने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गई थी।

मंत्रालय ने दिसम्बर 1988 में सूचित किया कि दूतावास को वसूलियों को प्रभावित करने तथा अधिक अदायगियों को रोकने के लिये नवम्बर 1988 में पुनः अनुदेश जारी किये गये थे। दूतावास द्वारा इस सम्बन्ध में, शुरू की गई कार्यवाही, यदि कोई हो, से लेखापरीक्षा को सूचित नहीं की गयी है (फरवरी 1989)।

29 आवासीय दूरभाषों पर परिहार्य व्यय

विदेश में स्थित एक भारतीय मिशन , मिशन के प्रतिनिधिता रहित सदस्यों को जो आवासीय दूरभाष हेतु हकदार नहीं थे, निवास स्थानों पर दूरभाष उपलब्ध करा रहा था। लेखा परीक्षा द्वारा दिसम्बर 1984 में ऐसे दूरभाषों के विषय में सूचना मांगी गई थी। जबकि लेखा परीक्षा को कोई भी सूचना उपलब्ध नहीं की गई थी। मिशन ने जनवरी 1988 में (लेखा परीक्षा द्वारा ध्यान दिलाए जाने के तीन वर्ष उपरान्त) आवासीय दूरभाषों को विछिन्न किए जाने का निर्णय लिया। तथापि, कुछ अधिकार रहित सदस्यों के पास मई 1988 तक दूरभाष बने रहे।

अप्रैल 1985 से मई 1988 की अवधि के दौरान 3.68 लाख रूपये का मुक्त विदेशी विनिमय बिना किसी सक्षम अधिकारी की संस्वीकृति के दूरभाषों के रखरखाव पर खर्च कर दिया गया था, जबकि इसे अधिकार रहित सदस्यों को दूरभाष न देते हुए टाला जा सकता था। यद्यपि विदेश मन्त्रालय ने मिशन का प्रस्ताव फरवरी 1986 में अस्वीकार कर दिया था परन्तु दूरभाष केवल जनवरी/मई 1988 में

काटे गये थे।

30 व्यय के बिना प्रमाण के प्रतिपूर्ति

अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा किया गया कुछ खर्च कार्यालय आकस्मिक- व्यय से प्रतिपूर्ति किया जाता है। वाउचरों की नमूना जांच से पता चला कि वांशिगटन स्थित मिशन कुछ खर्चों की प्रतिपूर्ति रसिदों की प्रस्तुति के बिना अथवा किसी अन्य प्रमाण की प्रस्तुति के बगैर किया गया था जिससे यह पता चले कि व्यय वास्तव में किया गया ।

(क) बागवानी प्रभार

मार्च 1986 में जारी किये गये भारत सरकार के आदेशानुसार भारत आधारित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के आवासों से संलग्न बागों के रख-रखाव का खर्चा मिशन के मुखिया द्वारा आर्थिक सीमा निर्धारण तक इस शर्त के साथ प्रतिपूर्त किया जाता है कि व्यय वास्तव में किया गया है तथा जिसकी प्रस्तुत की गई रसीदों के आधार पर सत्यापित किया जाना या वांशीगटन में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के निवासों के साथ संलग्न लानों एवं बाजों के रखरखाव के खर्चों की प्रतिपूर्ति से सम्बन्धित वाउचरों की जांच से तथापि, पता चला कि मिशन इन खर्चों की प्रतिपूर्ति भारत आधारित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को रसीदों को प्रस्तुत किए बिना कर रहा था। वर्ष 1986 एवं 1987 (अप्रैल से नवम्बर) के दौरान 22,532 अमेरिकन डालर (2.95 लाख रूपये) की एक राशि की प्रतिपूर्ति रसीदों प्राप्त किए बिना की गई थी।

(ख) टैक्सी प्रभार

जब एक सरकारी कर्मचारी को अवकाश के दिनों में कार्यालय उपस्थित होना अपेक्षित होता है तो कार्यालय प्रधान की संस्वीकृति से सरकार-कर्मचारियों को सवारी के किराए पर किये गए व्यय की प्रतिपूर्ति इस शर्त के साथ संस्वीकृत की जा सकती है कि सवारी पर किया गया व्यय खर्च के निर्धारित मान के अन्दर है तथा इलाके में उपलब्ध परिवहन का सबसे सस्ता साधन प्रयुक्त किया गया है।

जून 1987 में मिशन द्वारा अवकाश/शनिवार/ रविवार को कार्यलय में उपस्थित होने हेतु सवारी- बिलों में किए गए टैक्सी खर्चों के दावों की प्रतिपूर्ति करने का निर्णय किया गया था बशर्ते कि इनके समर्थन में भुगतान के प्रमाण की रसीदें प्रस्तुत की गई थी। तथापि यह निर्णय जुलाई 1987 में संशोधित कर दिया गया था तथा मिशन ने प्रत्येक मामले में 16.00 अमेरिकन डालर तक के सवारी- बिलों के टैक्सी खर्चों का भुगतान बिना किसी रसीदों के करना शुरू कर दिया था।

इस फैसले के अनुसरण से, मिशन में कार्यरत कर्मचारियों को जुलाई 1987 के महिने में उन के द्वारा अप्रैल से जून 1987 महीनों के दौरान की गई यात्राओं के लिये टैक्सी/बस भाड़ों के कारण 7082.95 अमेरिकन डालर की एक राशि तथा जुलाई/अगस्त 1987 अवधि के लिये अवकाश-दिवसों व कार्य दिवसों पर कार्यालय समय के बाद कार्यालय में उपस्थित होने के लिये टैक्सी प्रभारों हेतु 5,782.40 अमेरिकन डालर भुगतान किये गये थे। प्रत्येक मामले में 16.00 अमेरिकन डालर की दर से ये भुगतान , बिना किसी रसदी के प्रस्तुत किये तथा की गई यात्रा की दूरी का विचार किए बिना, किए गए थे। ऐसे किए गए भुगतान प्रति मास औसतन 2573 डालर (4.04 लाख रू. प्रतिवर्ष) बनते हैं।

यह जांच किए बिना कि क्या इन खर्तों (बागवानी, टैक्सी प्रभारों) पर व्यय किया गया व्यय जो वास्तव में हो गया है 6.99 लाख रू. बना है। यह विदित नहीं था कि मिशन ने स्वयं इन दावों की वास्तविकता के बारे में किस तरह सन्तुष्ट किया।

मामला जून 1988, में मंत्रालय को सूचित किया गया था तथा मन्त्रालय ने जुलाई 1988 में बताया कि मिशन को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु अनुरोध किया गया है।

खाद्य एवं सिविल आपूर्ति मंत्रालय
(सिविल आपूर्ति विभाग)

31. सामान्य समीक्षा के परिणामस्वरूप टिप्पणियां

31.1 प्रस्तावना

खाद्य एवं सिविल आपूर्ति मंत्रालय के अधीन सिविल आपूर्ति विभाग मूल्यों के मानिटरिंग तथा आवश्यक वुस्तुओं की उपलब्धता, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, भविष्य के बाजार पर नियंत्रण, व्यापार चिन्हों के पंजीकरण तथा माप एवं तोल मानकीकरण के विनियमों से सम्बन्धित मामले और गणवत्ता नियंत्रण, उपभोक्ता सहकारिता कीमतें तथा वनस्पति तिलहन, वनस्तपति तेलों, साबुनों व चिकनाईयों के वितरण के लिये उत्तरदायी है।

31.2 बजट के लिये प्रावधान

विभाग की अनुमोदित सातवी पंचवर्षीय योजना परिव्यय 82.50 करोड़ रू. की है जिसके प्रति मार्च 1988 तक तीन वर्षों के लिये व्यय 36.35 करोड़ रू. था केवल 44 प्रतिशत बना तथा बाकी 56 प्रतिशत योजना के बकाया दो वर्षों में खर्च किया जाना था।

अनुदानों/विनियोजनों के प्रति सातवी योजना के पहले तीन वर्षों के दौरान विभाग द्वारा किये गये वास्तविक व्यय की संक्षिप्त स्थिति निम्न प्रकार थी :-

वर्ष	अनुदान/विनियोजन	वास्तविक व्यय	(लाख रू. में) अधिक (+) बचत (-)	
1985-86				
राजस्व	योजनागत 301.45	177.93	(-)	123.52
पूंजी	योजनागत 1198.55	1029.23	(-)	169.32
1986-87				
राजस्व	योजनागत 268.00	232.06	(-)	35.94
पूंजी	योजनागत 1312.00	1190.28	(-)	121.72
1987-88				
राजस्व	योजनागत 492.00	359.23	(-)	132.77
पूंजी	योजनागत 678.00	645.61	(-)	32.39

इस प्रकार सभी तीन वर्षों के दौरान में बचतें थीं तथा 1985-86 के दौरान कुल अनुदानों के प्रति बचतें 20 प्रतिशत तक की थी। भारी बचतें निम्नलिखित योजनाओं / परियोजनाओं पर थी :

(1) उपभोक्ता सहकारीताओं का विकास - आबंटन का 34 प्रतिशत प्रतिनिधित्व करते हुए 298.84 लाख रू. की बचत

(2) सोयाबीन संसाधन - आबंटन का 100 प्रतिशत प्रतिनिधित्व करते हुए 150 लाख रू. की बचत ।

(3) तोल एंव माप- आबंटन का 99 प्रतिशत प्रतिनिधित्व करते हुए 64.31 लाख रू. की बचत ।

(4) मानकीकरण तथा गुणावत्ता नियत्रण - आबंटन का 38 प्रतिशत प्रतिनिधित्व करते हुए 49.09 लाख रू. की बचत ।

31.3 लेखापरीक्षा आपत्तियों का असमाधान

विभाग और उसके अधीनस्थ तथा संलग्न कार्यालयों/ संस्थानों की स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान सामने आई वित्तीय अनियमितताएं एवं त्रुटियां समय- समय पर जारी की गई लेखापरीक्षा निरीक्षण रिपोर्टों में शामिल थी। 30 जून 1988 को विभाग के अधीन विभिन्न कार्यालयों के मुखियों को 31 दिसम्बर 1987 तकजारी की गई 173 पैराग्राफों की 24 निरीक्षण रिपोर्टों के समानधान लम्बित थे। 54 पैराग्राफों की 10 निरीक्षण रिपोर्टें 3 वर्षों से अधिक के लिये बकाया थी । 108 पैराग्राफों की 11 निरीक्षण रिपोर्टों के पहले उत्तर भी विभाग और उसके संलग्न व अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा नहीं दिये गये थे, यद्यपि उनसे एक माह के भीतर पहला उत्तर भेजने की प्रार्थना की गई थी। कुछ एक महत्वपूर्ण आपत्तियां निम्न से सम्बन्धित हैं:

(क) वेतन व भतों की अनियमित अदायगी ।

(ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली की योजना का धीमा कार्यान्वयन ।

(ग) लेखों/अभिलेखों का अनियमित रख रखाव

(घ) उपयोगिता प्रमाणपत्रों की अप्राप्ति

लेखापरीक्षा के दौरान सामने आये और बिना समाधान बकाया रहे कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे नीचे दिये गये हैं :-

31.4 अधिप्राप्ति में त्रुटिपूर्ण नियोजन तथा उपस्कर के प्रतिष्ठापन/ प्रचालन में विलम्ब

(क) कार्यशाला उपस्कर की अविवेकपूर्ण खरीद सिविल आपूर्ति विभाग के एक अधीनस्थ कार्यालय वैद्य मापविद्या भारतीय संस्थान , रांची ने कार्यशाला के लिये उपस्कर की खरीद हेतु जो संस्थान का एक आवश्यक संघटक होना बताया गया था नवम्बर 1983 में विभाग को सिफ़ारिश की । संस्थान द्वारा यह कहा गया था कि कार्यशाला के लिये भवन का निर्माण अभी किया जाना था तथा आपूर्तकर्त्ता, मै0 हिन्दुस्तान मशीन टुल्ज लिमिटेड ने यह इंगित किया था कि उपस्कर की आपूर्ति जनवरी / फरवरी 1984 तक कर दी जायेगी। विभाग ने 3.12 लाख रू. की सम्पूर्ण लागत पर मार्च 1984 में खरीद की संस्वीकृति प्रदान कर दी।

उपस्कर, चालू करने की तिथि से 12 महीने अथवा भेजने की तिथि से 15 महीने जो भी पहले थी की गारंटी अवधि सहित, मई और जून 1984 में प्राप्त किये गये थे।

कार्यालय भवन नवम्बर 1988 तक पूरा नहीं किया गया था और, परिणामत: उपस्कर संस्थापित नहीं किया गया था।

इस प्रकार, कार्यशाला भवन की उपलब्धता को सुनिश्चित किये बिना उपस्कर की अधिप्राप्ति के परिणामस्वरूप उपस्कर निष्क्रिय रहा तथा चार वर्षों से अधिक के लिये निधियों का अवरोधन हुआ इसके अतिरिक्त उपस्कर के लिये गारंटी व्यवस्था छोड़नी पड़ी ।

विभाग ने दिसम्बर 1988 में बताया कि कार्यशाला भवन को शीघ्र पूरा करने के लिये केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (के.लो.नि. वि.) पर दबाव डालने के प्रयास किये जा रहे थे ताकि उपस्कर का पूर्ण उपयोग किया जाये जो कि प्रदर्शन/प्रशिक्षण उद्देश्यों के लिये अशंत: उपयोग किये जा रहे थे।

(ख) उपस्कर का अनुपयोग: – एक विदेश के साथ तकनीकी समझौते के अधीन संस्थान वैद्य मापविधा में प्रशिक्षण देने के लिये 7.73 लाख रू. कीमत का उपस्कर उपहार के रूप में प्राप्त किया। 4.27 लाख रू. की एक राशि उत्पाद शुल्क के रूप में अदा की गई थी।

उपस्कर जो मार्च 1982 से पहले प्राप्त हुये थे भवन के अभाव में नवम्बर 1988 तक संस्थापित नहीं किये गये थे। इस प्रकार, 12 लाख रू. की कीमत के उपस्कर, जिस उद्देश्य के लिये मंगवाये गये थे उसे विफल करते हुए, 6 वर्षों से भी अधिक के लिये उपयोग नहीं किये गये थे।

विभाग ने दिसम्बर 1988 में बताया कि संस्थान तथा मंत्रालय दोनों प्रयोगशाला को शीघ्रता से पूरा करने के लिये मामले को के.लो.नि. वि . के साथ जोरी से आगे बढ़ा रहे थे।

(ग) आयातित उपस्कर का निष्क्रिय पड़ा रहना

वनस्पति तेल व चिकनाई निदेशालय ने अगस्त 1986 में 7.04 लाख रू. की सम्पूर्ण लागत पर "उच्च दबाव द्रव वर्ण लेख आयात किये । उपस्करों को मुख्यत: तेल व चिकनाई पर गुणवत्ता नियंत्रण रखने हेतु और अनुसंधान कार्य करने के लिये प्रयोग किया जाना था। 0.35 लाख रू. की एक राशि उपकरण रखने के लिए एक प्रयोगशाला को सज्जित करने/ पृथक करने/वातानुकूलित करने पर व्यय की गयी थी। यद्यपि उपस्कर सितम्बर 1986 में प्राप्त हुए थे, कुछ विशेष पुर्जो/ अन्य समान के अभाव में जो उपस्कर हेतु दिये गये मूल आदेश में शामिल नहीं किये गये थे वे (फरवरी 1989) तक उपभोग में नही लाये गये थे। उपस्कर जिस उद्देश्य हेतु आयात किये गये थे वे इस प्रकार से अनुपयोगी रहें।

विभाग ने फरवरी 1989 में बताया कि निदेशालय ने अतिरिक्त पुर्जों/सहायक पुर्जों की पहचान कर ली गयी थी तथा म.नि.आ.नि. को. इन संघटकों को आयात करने हेतु 19 दिसम्बर 1988 में आदेश दे दिया जा चुका था।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

32. जापानी मस्तिष्क ज्वर टीके का निर्माण

32.1 प्रस्तावना

संक्रामक रोगों के कारण उत्पन्न

रूगणता एवं मृत्यु दर के प्रतिमान के निर्धारण हेतु क्षेत्रीय अनुसंधान एवं चिकित्सा शोध संचालन के लिए 1905 में कसौली में केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान (संस्थान) की स्थापना की गई थी। मार्च 1982 में एक विदेशी सरकार द्वारा तकनीकी जानकारी की सहमति दिये जाने पर मस्तिष्क ज्वर जापानी (म.ज्व.जा.) वैक्सीन के उत्पादन हेतु भारत सरकार द्वारा एक परियोजना अनुमोदित की गई थी।

व्यक्ति, जापानी मस्तिष्क ज्वर वाइरस से, मच्छरों के काटने पर जो वाइरस धारण करते हैं, संक्रामित होता है। यद्यपि, यह संभव नहीं हो पाया था कि हमारे देश में जा.म.ज्व. वैक्सीन की वार्षिक आवश्यकता की मात्रा का सही सही अनुमान लगाया जा सके तथापि, भारत सरकार के पास उपलब्ध चालू सूचना यह दर्शाती थी कि देश के अनेक भागों में जापानी मस्तिष्क ज्वर के वाइरस की सक्रियता उपस्थित है।

32.2 लेखा परीक्षा का क्षेत्र

संस्थान के संचालन हेतु निधियां भारत की समेकित निधि से चुकाई जाती है और इस प्रकार से इनका नियंत्रक- महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, अधिकारी एवं सेवा की शर्तें) के अधिनियम, 1971 की धारा 13 के अंतर्गत भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा किया जाना अपेक्षित है।

32.3 संगठनात्मक ढांचा

संस्थान, 5 उपनिदेशकों की सहायता से एक निदेशक के अधीन, उसकी पूरी देखरेख में कार्य कर रहा है। उत्पादन, पोलियो वैक्सीन, जांच, चिकित्सा एवं अनुसंधान तथा प्रशासनिक कार्यवाही की देखरेख संबद्ध उपनिदेशकों द्वारा की जाती है।

32.4 विशिष्टताएं

- आयातित मशीन के क्षतिग्रस्त स्थिति में प्राप्त होने के कारण परियोजना 4 वर्षों की अनुबंधित अवधि में पूरी नहीं की जा सकी।

- यद्यपि संस्थान के पास नवम्बर 1987 में वैक्सीन की 4.67 लाख खुराकों का तैयार उत्पाद था, वैक्सीन के वितरण तथा उपयोग हेतु कोई योजना नहीं थी। निदेशक, राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम, द्वारा जून 1987 में विभिन्न राज्यों के स्वास्थ्य सेवा के निदेशकों के साथ आयोजित की गई एक बैठक में यह सिफारिश की गई थी कि जून-जुलाई 1988 में नियंत्रित क्षेत्रीय परीक्षण के आधार पर 3 लाख खुराकों का उपयोग करने के अतिरिक्त, वैक्सीन की कीमत के प्रति 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी जानी चाहिए, जिसका परिणाम 36.60 लाख रू. के अतिरिक्त व्यय में होगा। समिति ने जून 1987 में उपकरणों आदि पर व्यय को पूरा करने के लिए 14.34 लाख रू. की निधियों को उपलब्ध कराने हेतु भी सिफारिश की इन सिफारिशों पर भारत सरकार का निर्णय प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 1987)।

- जुलाई 1985 में 15.16 लाख रू. की कीमत पर देशी शीत शोषक संयंत्र की खरीद हेतु एक आपूर्ति आदेश दिया गया था।

सितम्बर 1987 तक अनेक समय वृद्धियां दिए जाने के बावजूद न तो मशीनरी ही प्राप्त हुई है और न ही अब तक आपूर्ति आदेश ही रद्द किया गया (दिसम्बर 1987)।

32.5 परियोजना मूल्यांकन

जापानी मस्तिष्क ज्वर की वैक्सीन के उत्पादन हेतु संस्थान द्वारा भारत सरकार को एक नवम्बर 1978 में एक प्रारूप परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी जो बाद को जनवरी 1979 और अप्रैल 1982 में संशोधित की गई थी। परियोजना रिपोर्ट में चार वर्षों के काल में यानी 1982-83, 1985-86 तक प्रसारित 246.31 लाख रू. के पूंजी निवेश का विचार था। इसमें से सहायता के रूप में 146 लाख रू. तक विदेशी सरकार द्वारा दिए जाने थे। - शेष (100.31 लाख रू.) भारत सरकार की देन दारी थी। 1982-83 से 1985-86 के दौरान भारत सरकार से प्राप्त होने वाली निधियों का वर्षवार बटवारा क्रमशः 10.59 लाख रू., 28.24 लाख रू. और 31.54 लाख रू. विचारा गया था। उपरोक्त के अतिरिक्त इमारत संस्थान द्वारा दी गई थी जो पहले से ही अप्रयुक्त पड़ी हुई थी। उपरोक्त परियोजनाओं के लिए 117.78 लाख रू. तथा 37.41 लाख रू. की कुल सहायता राशि, मशीनरी के रूप में क्रमशः परिदान तथा तकनीकी सहकारिता कार्यक्रम के अंतर्गत विदेशी सरकार से प्राप्त हुई थी। जबकि भारत सरकार द्वारा दी गई निधियों का निर्धारण नहीं किया जा सका था क्योंकि संस्थान में कोई अलग से अभिलेख नहीं रखे गए थे।'

32.6 परियोजना कार्यान्वयन

विदेश सरकार तथा भारत सरकार के मध्य 12 मार्च 1982 को एक विस्तृत समझौते पर हस्ताक्षर किये गये थे, जिसके अंतर्गत परियोजना के लिए तकनीकी सहयोग की अवधि चार वर्ष यानी 11 मार्च 1986 तक तय की गई थी। आयातित मशीनरी के क्षतिग्रस्त स्थिति में प्राप्त होने के कारण उसे विलम्ब से क्रियाशील किए जाने के परिणामस्वरूप अनुबंधित अवधि में परियोजना पूर्ण नहीं की जा सकी। तदनुसार, समझौता 11 मार्च 1987 तक बढ़ा दिया गया था परिणामस्वरूप वैक्सीन के थोक उत्पादन में एवं टीका लगाने के कार्यक्रम में विलंब हुआ।

संस्थान ने वैक्सीन के अपने पहले पांच घान प्रारंभिक क्षमता परीक्षण हेतु 13 दिसम्बर 1985 को विदेशी सरकार को भेजे । इनमें से वैक्सीन के दो घान अस्वीकार कर दिए गए थे (जनवरी 1986), जिसके परिणामस्वरूप इन घानों में उत्पादित 4.26 लाख रू. मूल्य की 1530 मि ग्रा अत्यंत गाढी वैक्सीन नष्ट हो गई थी। समापक उत्पादन का गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण विदेशी सरकार द्वारा 20 मार्च 1987 को पास कर दिये गये थे जिसके लिए नमूने 28 अक्तूबर 1986 को भेजे गये थे। संस्थान के पास 30 नवम्बर 1987 को वैक्सीन के तैयार माल की 4.67 लाख खुराकें थीं। वैक्सीन की भंडारण जीवन अवधि पांच वर्ष है।

32.7 वितरण एवं टीका लगाना

विभिन्न राज्यों की स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशकों से बनी जापानी मस्तिष्क ज्वर की उप समिति की एक बैठक 8 जून 1987 को निदेशक, मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम की अध्यक्षता में वैक्सीन के प्रयोग तथा वितरण के लिए उपाय तथा साधन के चुनाव करने के लिए हुई थी। जून और जुलाई 1988 के दौरान नियंत्रित क्षेत्र परीक्षण के आधार पर 0.60 लाख शीशियों में रखे 3 लाख टीके असम (0.90

लाख) उत्तर प्रदेश (0.90 लाख) और पश्चिम बंगाल (1.20 लाख) लगाये जाने के अतिरिक्त उपसमिति ने जून 1987 में 36.60 लाख रू. (डाक खर्च पैकिंग व आगे भेजने के खर्च को छोड कर 6। रू. 5 खुराकों वाली प्रति शीशी की दर से) के प्रति वैक्सीन की कीमत के लिए जिन्हें संबद्ध राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव था, क्षेत्रीय प्रक्रिया में उपकरणों आदि पर व्यय करने के लिए भारत सरकार द्वारा 14.34 लाख रू. तक की निधियां मुहैय्या करने की भी सिफारिश की थी।

उपरोक्त सिफारिशों पर भारत सरकार का निर्णय प्राप्त नहीं हुआ है। (दिसम्बर 1987)।

संस्थान द्वारा यह बताया गया था (जुलाई 1987) कि वैक्सीन का परीक्षण पूर्ण होने के बाद विभिन्न राज्यों, संघ शासित क्षेत्रों को आवश्यकतानुसार तथा बीते हुए समय में महामारी से प्रभावित राज्यों में आक्रमण की दर पर निर्भर करते हुए, विभिन्न राज्यों में वैक्सीन भेजने की योजना बनाई जायेगी।

32.8 अन्य स्वीकर बातें

(1) मशीनरी की खरीद

समझौते की शर्तों में विदेशी सरकार द्वारा 118 लाख रू. के सहायक अनुदान दिये जाने सम्मिलित थे जो कि विदेशी फर्मों से मशीनरी की खरीद पर प्रयुक्त होने अपेक्षित थे। तदनुसार 117.78 लाख रू. मूल्य की मशीनरी की खरीद के लिए दो विदेशी फर्मों को आपूर्ति आदेश दिया गया था (नवम्बर 1982)। मशीनरी मार्च 1983 में भारत में प्राप्त हुई फर्मों में से एक द्वारा आपूरित फ्रीज ड्राईंग लाइन मशीन (माडल सी एफ 80) बम्बई से कसौली भेजे जाने के दौरान क्षतिग्रस्त हो गई थी। क्योंकि आपूर्तिकर्ता फर्म ने क्षतिग्रस्त पुर्जों की मरम्मत अथवा बदलाव नहीं किया, विशेषज्ञों ने भारत सरकार को सुझाव दिया कि क्षतिग्रस्त पुर्जों की मुख्य उत्पादकों से मरम्मत/ बदलाव कराया जायें। क्षतिग्रस्त पुर्जों की मरम्मत/बदलाव मार्च – सितम्बर 1986 के दौरान 3.11 लाख रू. की लागत पर (1.16 लाख रू. इंजिनियरों के यात्रा व्यय पर शामिल है) पर हुआ । इसके फलसवरूप परियोजना के पूरा होने में एक वर्ष का विलम्ब हुआ।

अवतराण पत्तन से गंतव्य कसोली तक समुद्री व भंडारण एवं स्थापना को आवृत करते हुए बीमें के अंतर्गत 0.82 लाख रू. का प्रीमियम बीमा कम्पनी को देकर मशीन का आयात किया गया था। परिवहन के दौरान क्षतिग्रस्त पाई गई मशीनरी के लिए प्रस्तुत किये गये (अक्तूबर 1985) 2.99 लाख रू. के प्रथम दावे के प्रति, संस्थापन द्वारा 2.28 लाख रू. दिसम्बर 1985 में प्राप्त हुए थे। नवम्बर 1986 में 1.87 लाख रू. के दायर किये गये इसके बाद के दावे को बीमा कम्पनी द्वारा अभी (दिसम्बर 1987) स्वीकार किया जाना तथा भुगतान किया जाना शेष था क्योंकि संस्थान द्वारा वांछित सूचनायें 3 नवम्बर 1987 को भेजी गई थीं।

(2) देशज फ्रीज ड्राईंग संयंत्र की अधिप्राप्ति

आयातित फ्रीज ड्राइंग लाइन मशीन के क्षतिग्रस्त पुर्जों की मरम्मत/बदलने में होने वाली देर को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय किया गया था (फरवरी 1985) कि परियोजना को प्रारंभ करने में होने वाली प्रत्याशित देरी को टालने के लिए

भारतीय फर्म से देशज फ्रीज ड्राइंग खरीदा जाये। तदनुसार, इसके लिए 15.16 लाख रू. (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा केन्द्रीय बिक्री कर के अतिरिक्त) की लागत पर महा निदेशक, आपूर्ति व निपटान के माध्यम से आपूर्ति आदेश प्रस्तुत किया गया था (जुलाई 1985) सुपुर्दगी की तिथि 31 मई 1986 तक थी। फर्म द्वारा न तो मशीनरी भेजी गई थी और न ही अभी तक आपूर्ति आदेश रद्द किया गया था (दिसम्बर 1987)। अपितु महा निदेशक आपूर्ति व निपटान (म नि आ नि) द्वारा फर्म को अनेक समयवृद्धियां दी गई थी(अंतिम समयवृद्धि 30 सितम्बर 1987 तक दी गई थी। इसी दौरान, विदेश से आयातित मशीन के क्षतिग्रस्त पुर्जों की पहले से ही मरम्मत/बदलाव किया जा चुका था (मार्च 1986)।

संस्थान ने बताया (जुलाई 1987) कि सर्प विष प्रतिरोधी सिरम तथा टाइफाइड वैक्सीन, जहां उनकी मांग पहले से ही मौजूद थी, की प्राप्ति पर फ्रीज ड्राइंग हेतु संयंत्र स्थापित करके प्रबंधक मंडल ने स्थिति पर काबू पाने के लिए एक तत्काल विकल्प तथा अपरिहार्य हल हेतु विचार किया। अक्तूबर 1984 में प्रस्तुत किये गये संस्थान के उपयुक्त प्रस्ताव के प्रत्युत्तर में भारत सरकार ने जा म ज्व वैक्सीन उत्पाद इकाई के लिए 20 लाख रू. की अनुमानित लागत पर दो फ्रीज ड्राइंग इकाइयों को खरीदने के लिए संस्वीकृति प्रदान की (जनवरी 1985)। सर्प विष प्रतिरोधी सिरम तथा वैक्सीन इकाइयों के उपरोक्त मशीनरी के संस्थापन के लिए भारत सरकार द्वारा अभी तक कोई संस्वीकृति प्रदान नहीं की गई थी (दिसम्बर 1987)।

(3) तेल द्वारा प्रज्जवलित बायलर का असंस्थापन

द्विपक्षी समझौते में भारत सरकार द्वारा अपने ही व्यय पर कार्यवाही करने की व्यवस्था थी। इनमें विपुल प्रक्रिया तथा अंतिम उत्पाद अनुमानों के लिए दो बायलरों के संस्थापन शामिल थे। इन प्रावधानों की अनुपालना में, म. नि. आ. नि. के माध्यम से अक्तूबर 1984 में अंतिम उत्पाद अनुभाग के लिए 2.24 लाख रू. की लागत पर तेल द्वारा प्रज्जवलित एक बायलर के क्रय के लिए एक भारतीय फर्म को आपूर्ति आदेश दिया गया था। फर्म द्वारा बायलर जुलाई 1985 में आपूरित किया गया था जिसके प्रति 90 प्रतिशत भुगतान जिसकी राशि 2.02 लाख रू. जारी की गई थी (अगस्त 1985)। बायलर मार्च 1987 में एक अलग भवन में स्थित ट्रिपल वैक्सीन डिविजन में स्थापित किया गया था जहां कि यह बायलर निरीक्षणालय द्वारा प्रमाणित किये जाने के बाद चालू होने की प्रतीक्षा में था (दिसम्बर 1987)। मशीन की गारंटी/वारंटी अवधि 15 जनवरी 1987 को समाप्त हो चुकी थी।

संस्थान ने बताया (जुलाई 1987) कि क्योंकि जा म ज्व वैक्सीन परियोजना का अंतिम उत्पाद अनुभाग जुलाई 1986 तक अंतिम संसाधन के लिए वैक्सीन प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं था, संस्थान के कर्मचारियों की उच्च स्तरीय सभा में यह निर्णय लिया गया था कि बायलर को संस्थान के ट्रिपल वैक्सीन डिविजन जहां कि विसंक्रमित कार्य प्रचुर था तथा वर्षानुवर्ष बढ़ता जा रहा था, में स्थापित किया जाये। उपरोक्त डिविजन में बायलर स्थापित किये जाने के पूर्व /बाद में विपथन अनुमोदित नहीं किया गया था।

तदन्तर संस्थान ने म नि आ नि के माध्यम से जा म ज्व वैक्सीन परियोजना के लिए 1.63 लाख रू. मूल्य वाला एक अन्य बायलर खरीदने के लिढ एक अन्य आपूर्ति आदेश प्रस्तुत किया (मई 1987)। सुपुर्दगी की तिथि 30 सितम्बर

1987 थी। न तो मशीनरी ही प्राप्त की गई है न ही उसकी आपूर्ति हेतु कोई समय वृद्धि अनुमत की गई (दिसम्बर 1987)। परियोजना का अंतिम उत्पाद अनुभाग अभी भी बिना बायलर के था।

यह भी देखा गया था कि अप्रैल 1982 में, एक सहयोगी संस्थान, पत्तन स्वास्थ्य संगठन, कांडला से 0.16 लाख रू. के परिवहन प्रभारों को वहन करते हुए एक बायलर तथा एक निष्संक्रमणयंत्र को भी संस्थान द्वारा स्थानांतरित किया गया था। ये मशीन कांडला संस्थान में फालतू पड़ी थी। 465 पौंड मूल्य का बायलर अगस्त 1985 में परियोजना के विपुल प्रक्रिया अनुभाग में स्थापित किया गया था परन्तु बायलर निरीक्षणालय द्वारा प्रमाणित होने पर चालू होने की प्रतीक्षा में था (दिसम्बर 1987)। अभी 1126 पौंड मूल्य वाला निष्संक्रमण यंत्र अभी भी अप्रयुक्त पड़ा हुआ था (दिसम्बर 1897)।

(4) आवश्यकता की प्रत्याक्षा में इस्पात रैकों की खरीद

परियोजना की जा म ज्व वैक्सीन मूषिका प्रजनन कालोनी में चुहियों के प्रजनन के लिये जनवरी 1983 में (0.31 लाख रू.) और अगस्त 1985 (0.66 लाख रू.) में 0.97 लाख रू. मूल्य के इस्पात रैंक खरीदें गये थे। इनमें से 0.66 लाख रू. मूल्य के रैक जून- अगस्त 1987 में उपरोक्त कालोनी को जारी किये गये थे जबकि 0.31 लाख रू. मूल्य के रैक अभी भी भंडार में अप्रयुक्त पड़े हुए थे क्योंकि जब तक रक्षात्मक प्रभावोत्पादकता तथा प्रतिरक्षात्मक प्रतिक्रियाओं का मूल्यांकन किया जाये जिसके लिए जून- जुलाई 1988 में परीक्षण होने प्रस्तावित थे, तब तक चुहियों का प्रजजनन वैक्सीन के उत्पादन के अनुरूप पर्याप्त स्तर पर रखा गया था ।

मामला अगस्त 1987 में मंत्रालय को सूचित किया गया था, उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 1988)।

अंडमान और निकोबार प्रशासन

33. एक धुलाई संयंत्र पर निष्फल व्यय

अंडमान और निकोबार प्रशासन ने स्वास्थ्यकर धुलाई सुविधा उपलब्ध कराने के विचार से एक हस्पताल में एक धुलाई संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया (1976-77)। यह अनुमानित किया गया था कि संयंत्र प्रति माह 13,000 कि.ग्रा. धुलाई क्षमता रखेगा। कोई समग्र वित्तीय अनुमान नहीं किया गया था। 0.88 लाख रूपये लागत का एक कोयला प्रज्जवलित भाप बायलर तथा 1.01 लाख रूपये लागत का एक रोगाणु नाशक यंत्र मार्च 1977 में निविदा आमंत्रित करने के बाद स्थानीय रूप से खरीदे गये थे। 1.96 लाख रूपये लागत के शेष उपस्कर महानिदेशक आपूर्ति एवं निपटान (म नि आ नि) के माध्यम से एक फर्म से सितम्बर 1979 में अधिप्राप्त किये गये थे।

संयंत्र को स्थान देने के लिए 7.44 लाख रूपये की लागत पर भवन मार्च 1985 में विभागीय रूप से पूर्ण किया गया था तथा संयंत्र सितम्बर 1985 में चालू किया गया था।

अगस्त 1985 से अगस्त 1986 की अवधि के दौरान संयंत्र ने वास्तव में 96 दिन की अवधि के लिए कार्य किया जो कि इसकी क्षमता का केवल 14 प्रतिशत बना तथा अब उपभोग धुलाई के लिए कपड़ों की पर्याप्त मात्रा की अनुपलब्धता बताया गया था। इसके पश्चात संयंत्र अगस्त 1986 में घाट पर जहां

यह इसके आगमन से काफी समय तक क्रेटों में पड़ा रहा, वर्षा की अरक्षितता के कारण धुलाई मशीन की विद्युतीय पट्टियों में जंग लगने के कारण खराब हो गया ।

इस प्रकार, धुलाई संयंत्र पर 11.29 लाख रूपये का किया गया व्यय अधिकांश रूप से निष्फल रहा । हस्पताल ने अब परम्परागत साधनों द्वारा धुलाई हस्तचालित रीति को पुनः प्राप्त कर लिया है।

मामला मंत्रालय को जून 1988 में सूचित किया गया था, उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 1989)।

चंडीगढ़ प्रशासन

34. बेकार पड़ी डयलसिस मशीन

चंडीगढ़ प्रशासन ने एक गुर्दे के मरीज के लिए जुलाई 1980 में एक डायलसिस मशीने खरीदने का निर्णय किया। चंडीगढ़ प्रशासन के मुख्य आयुक्त ने इसे सितम्बर 1981 में संस्वीकृत किया । मशीन 12,687 अमेरिकन डालर (1.30 लाख रूपये) की लागत पर दिसम्बर 1981 में अधिप्राप्त की गई थी।

आम हस्पताल, चंडीगढ में डयलसिस यूनिट के संस्थापन तथा प्रचालन हेतु अपेक्षित अवसंरचनाओं के अभाव में, प्रशासन ने अप्रैल 1982 में स्नात्तकोत्तर चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान (पी जी आई) को यूनिट खरीदने का सुझाव दिया। उसके द्वारा इसकी सहमति नहीं दी थी। पी जी आई उधार पर मशीन को खरीदने के लिए सहमत नहीं हुआ क्योंकि यह उनके डायलसिस की प्रणाली के उपयुक्त नहीं थी (दिसम्बर 1983) ।

प्रशासन ने यूनिट के प्रचालन के लिए प्रशिक्षण हेतु अक्तूबर-दिसम्बर 1983 के दौरान अपने एक चिकित्सा विशेषज्ञ को भी जापान भेजा। हस्पताल के अन्य डाक्टर तथा एक नर्स को पी जी आई में मशीन के संचालन के लिए फरवरी 1985 में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा था। जनवरी 1986 में मशीन के लिए 0.19 लाख रूपये मूल्य के अनुषांगी अधिप्राप्त किये गये थे। पी जी आई में प्रशिक्षण प्राप्त डाक्टर ने नाइजिरिया में प्रतिनियुक्ति के लिए जनवरी 1986 में हस्पताल छोड दिया। 0.43 लाख रूपये का व्यय करने के बाद मशीन मई 1986 में संस्थापित की गई थी। विदेश तथा पी जी आई में प्रशिक्षण दिये गये चिकित्सा विशेषज्ञ मशीन के संचालन करने का इच्छुक नहीं था जबतक कि एक आपाती मशीन सहित समुचित गुर्दे का यूनिट स्थापित न किया जाये। मशीन अभी तक अप्रयुक्त रही थी (जुलाई 1988)।

मामले की सूचना अगस्त 1988 में चंडीगढ प्रशासन तथा मंत्रालय को दी गई थी, उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 1988)।

गृह मंत्रालय

35. अविकासात्मक क्षेत्रों- जेलों तथा राजस्व एवं जिला प्रशासन में प्रशासन के मानकों में सुधार

35.1 प्रस्तावना

अन्य बातों के साथ साथ उन राज्यों की आवश्यकताओं पर सिफारिश करने हेतु जो जेलों तथा राजस्व एवं जिला प्रशासन में पिछडे थे, बहुत उन्नत राज्यों में प्राप्त हुए स्तर तक लाने की दृष्टि

से अविकासात्मक क्षेत्रों में मानकों के सुधार हेतु सातवें वित्त आयोग का जून 1977 में गठन हुआ था। आयोग ने अक्तूबर 1978 में प्रस्तुत किए गए अपने प्रतिवेदन में जेलों तथा राजस्व एवं जिला प्रशासन में प्रशासन के मानकों के सुधार हेतु क्रमशः 48.31 करोड़ रूपये तथा 64.41 करोड रूपये के एक परिव्यय की सिफारिश की थी। योजनाएं जो प्रारंभ में 1979-80 से 1983-84 तक क्रियात्मक थी एक साल अर्थात् 1984-85 तक बढ़ा दी गई थी।

35.2 लेखापरीक्षा का क्षेत्र

लेखा परीक्षा द्वारा 12 राज्यों अर्थात आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और काश्मीर, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, उडीसा, राजस्थान, तामिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश के 1979.80 से 1984-85 तक की अवधि के लिए अभिलेखों की नमूना जांच की गई थी तथा ध्यान में आई बातें अनुवर्ती पैराग्राफों में दी गई है।

35.3 संगठनात्मक ढांचा

दोनों क्षेत्रों के अंतर्गत योजनाओं के कार्यान्वयन के प्रबोधन की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार में गृह मंत्रालय की थी। राज्य स्तर पर, जेल से संबंधित योजनाओं के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी महानिदेशक, जेल/केन्द्रीय जेलों के अधीक्षकों के माध्यम से राज्य सरकार के गृह विभाग की थी, जबकि राजस्व तथा जिला प्रशासन से संबंधित योजनाएं राज्य सरकार के राजस्व विभाग द्वारा कार्यान्वित की जानी थी।

35.4 विशिष्टताएं

- राज्य सरकारों द्वारा भारत सरकार, गृह मंत्रालय को कार्य-योजनाओं को समय पर प्रस्तुत करने की कार्यविधि का दोनों ही जेल तथा राजस्व एवं जिला प्रशासन में अनुसरण नहीं किया गया था। जेलों तथा राजस्व एवं जिला प्रशासन में मानकों को सुधार हेतु कार्य योजनाएं कार्यक्रम के प्रारंभ होने के बहुत ही समय पश्चात प्रस्तुत की गई थीं।

मंत्रालय ने राज्य सरकारों को अनुदान जारी करते समय वित्त आयोग द्वारा निर्धारित क्रियाविधि को नहीं अपनाया। योजना का प्रबोधन व मूल्यांकन मंत्रालय की किसी भी टास्क फोर्स अथवा कार्यदल द्वारा नहीं किया गया था।

जेल प्रशासन

छः राज्यों (बिहार, जम्मू और काश्मीर, मध्य प्रदेश, मणीपुर, उड़ीसा तथा तमिलनाडु) ने जेल प्रशासन के मानकों के सुधार हेतु भारत सरकार द्वारा जारी की गई कुल 438.85 लाख रूपये की निधियों का उपयोग नहीं किया

पांच राज्यों ने 472.36 लाख रूपये की राशि जो कि वास्तव में खर्च नहीं की गई थी अपनी व्यय राशि में सम्मिलित कर ली थी।

नौ राज्यों में से आठ राज्यों में भवनों के निर्माण, विद्युत, सफाई तथा जल आपूर्ति निर्माण कार्यों के लक्ष्य प्राप्त नहीं किए गए थे।

- छः राज्य सरकारें ने 222.12 लाख रूपये पूंजीगत से राजस्व लेखे को तथा राजस्व से पूंजीगत लेखे को अपवर्तित किए थे तथा ऐसी मदों पर व्यय किये थे जिनका योजना में प्रावधान नहीं था।

- चार राज्य सरकारों ने 24.54 लाख रूपये का परिहार्य व्यय किया था।

- राजस्थान तथा तमिलनाडु की सरकारों द्वारा क्रमशः अजमेर में तरूण सुधार व पौझाल (मद्रास) में एक नई जेल हेतु भवन के निर्माण पर 253.25 लाख रूपये के किये गये व्यय के परिणामस्वरूप निधियां अवरूद्ध रहीं क्योंकि निर्माण कार्य पूरे नहीं किये गये थे।

- तीन राज्यों में 73.75 लाख रूपयों के मूल्य के उपस्कर/बैरक, निष्क्रिय/अप्रयुक्त रहे थे।

- भारत सरकार की सहायता के बावजूद चार राज्यों द्वारा कैदियों की खुराक दवाईयों, कपड़ों, इत्यादि पर किया गया व्यय सुझाए गए मानकों से कम रहा।

राजस्व एवं जिला प्रशासन

तीन राज्य सरकारों द्वारा 207.44 लाख रूपये की कुल राशियां योजना को प्रभारित की गई थी जबकि वास्तव में राजस्व एवं जिला प्रशासन के मानकों के सुधार पर व्यय नहीं की गई थी।

- भारत सरकार ने उड़ीसा सरकार को 96.20 लाख रूपये कार्य योजना में मुहैय्या 163.80 लाख रूपये की राशि से अधिक बिना किसी मद वार व्यवस्था के विनिर्दिष्ट किये जारी किए थे।

- जम्मू और काश्मीर तथा उड़ीसा सरकारों ने क्रमशः 29.31 लाख रूपये तथा 24.19 लाख रूपये का अस्वीकार्य व्यय प्रभारित किया।

- भवनों/क्वार्टरों के निर्माण के उद्देश्यों में 17 से 100 प्रतिशत के बीच की प्राप्ति में कमी थी।

- पांच राज्य सरकारों द्वारा 127 लाख रूपये से भी अधिक योजना से इत्तर अन्य मदों पर अपवर्तित किए गए थे।

35.5 परिव्यय तथा व्यय

जेल प्रशासन हेतु आयोग द्वारा सिफारिश किए गए 483। लाख रूपये की राशि के प्रति, भारत सरकार ने ।। राज्यों को 4823.26 लाख रूपये के अनुदान जारी किए, जिन्होंने 1979–80 से 1984–85 के दौरान 4449.63 लाख रूपये का कुल व्यय किया। राजस्व एवं जिला प्रशासन हेतु भारत सरकार ने आयोग द्वारा सिफारिश किए गए 644। लाख रूपये के प्रति 12 राज्यों को 6288.03 लाख रूपये की राशि के अनुदान जारी किए । ।। राज्यों द्वारा किया गया व्यय जिस के लिए ब्यौरे उपलब्ध थे 6854.30 लाख रूपये बने । वित्त आयोग द्वारा सिफारिश किए

गए परिव्यय के राजयवार ब्यौरे, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदान तथा उनके प्रति राज्य सरकारों द्वारा 1979–80 से 1984–85 के दौरान जेलों तथा राजस्व एवं जिला प्रशासन के अंतर्गत किये गये व्यय क्रमशः परिशिष्ट 5 और 6 में दिए गए हैं।

35.6 कार्य योजना

जेल प्रशासन के लिए योजनाओं के अंतर्गत व्यय कैदियों, कैदियों की सुख- सुविधाओं तथा जेलों/उप जेलों के निर्माण और राजस्व एवं जिला प्रशासन हेतु किया जाना था। यह आवासीय और अनावासीय भवनों के निर्माण पर खर्च किया जाना था तथा उन से संबंधित आवर्ती एवं अनावर्ती व्यय पूरे किये जाने थे।

राज्य सरकारों द्वारा कार्य-योजना वित्त आयोग द्वारा अपेक्षित प्रतिमान के अनुरूप काफी पहले से तैयार की जानी थी। इसे अपनाए जाने वाले व्यय मानकों की प्रकृति स्थल/स्थलों, इत्यादि की जगह सहित और पांच वर्षों के दौरान व्यय पद्धति को दर्शाते हुए पर्याप्त ब्यौरे में तैयार किया जाना था। इसे तब भारत सरकार के गृह मंत्रालय की सलाह से अंतिम रूप दिया जाना था। निधियां राज्यों द्वारा कार्ययोजना के अनुरूप प्रयुक्त की जानी थी तथा मंत्रालय द्वारा प्रगति की समीक्षा की जानी थी। यह प्रक्रिया नहीं अपनाई गई थी तथा कार्य योजनाएं/परिशोधित कार्य-योजनाएं देर से प्रस्तुत की गई थी जैसाकि नीचे विनिर्दिष्ट है :

आन्ध्र प्रदेश– राज्य सरकार ने जेल प्रशासन हेतु सितम्बर 1979 में (दो योजनाएं) तथा जुलाई 1980 में कार्य-योजनाएं प्रस्तुत की जिन्हें भारत सरकार द्वारा क्रमशः जनवरी, अप्रैल तथा अक्तूबर 1980 में अनुमोदित किया गया था। राज्य सरकार ने व्यापक कार्य-योजना नहीं बनाई तथा कैदियों को सुलभ कराने की मूल सुविधाओं पर विचार नहीं किया गया था। राजस्व एव जिला प्रशासन हेतु व्यापक कार्ययोजना जुलाई-अक्तूबर 1980 तथा फरवरी 1980 में मंत्रालय के निर्देशों पर प्रस्तुत की गई थी क्योंकि नवम्बर 1979 में भेजी गई कार्य योजना अधूरी थी।

असम– राजस्व एवं जिला प्रशासन हेतु कार्य योजना राज्य सरकार द्वारा अगस्त 1979 में प्रस्तुत की गई थी तथा जून 1982 में परिशोधित की गई थी जोकि भारत सरकार द्वारा क्रमशः दिसम्बर 1979 तथा अगस्त 1982 में अनुमोदित की गई थी। राज्य सरकार ने एक बार दोबारा अगस्त 1983 में बड़ा आशोधन प्रस्तवित किया जिसे भारत सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था तथा 1982–83 के पश्चात राज्य सरकार को कोई अनुदान जारी नहीं किया गया था।

जम्मू और काश्मीर– जेल प्रशासन हेतु, राज्य सरकार ने व्यापक कार्य योजना नहीं बनाई। फरवरी 1983 में प्रस्तुत की गई परिशोधित योजना मंत्रालय द्वारा मई 1983 में अनुमोदित की गई थी। राजस्व एंव जिला प्रशासन हेतु 450.13 लाख रूपये की कार्य योजना केवल जुलाई 1981 में प्रस्तुत की गई थी। 200.00 लाख रूपये के लिए एक परिशोधित कार्य-योजना, वित्त आयोग द्वारा उद्दिष्ट, केवल अक्तूबर 1982 में मंत्रालय के निर्देशनों पर भेजी गई थी।

मध्यप्रदेश– 1979–80 के लिए जेल प्रशासन हेतु कार्य योजना राज्य सरकार द्वार केवल मई 1979 में ही भेजी गई थी जिस के लिए मंत्रालय की स्वीकृति जनवरी 1980 में प्राप्त की गई थी। राज्य सरकार ने 1979–84 हेतु कार्य योजना जून 1980 में, 1981–82 हेतु परिशोधित योजनाए जनवरी 1982 में

तथा 1982-84 हेतु सितम्बर 1982 में भेजी जो मंत्रालय द्वारा क्रमशः फरवरी तथा अक्तूबर 1982 में अनुमोदित की गई थी। राजस्व एवं जिला प्रशासन हेतु कार्य योजना लेखा परीक्षा को उपलब्ध नहीं की गई थी। तथापि, यह बताया गया था कि योजना शुरू में मई 1979 में भेजी गई थी तथा कुछ स्पष्टीकरणों के बाद अंतिम रूप से जनवरी 1980 में भेजी गई थी। यह मंत्रालय द्वारा फरवरी 1981 तथा मार्च 1982 में अनुमोदित की गई थी।

मणीपुर–जेल प्रशासन हेतु, राज्य सरकार द्वारा फरवरी 1980 तथा जुलाई 1982 में सुझाए गए निर्माण कार्य, मंत्रालय द्वारा मई 1980 तथा फरवरी 1984 के दौरान अनुमोदित किये गये थे। राज्य सरकार ने राजस्व एवं जिला प्रशासन हेतु मूल तथा परिशोधित कार्य योजनाएं लेखा परीक्षा को प्रस्तुत नहीं की थी। मंत्रालय ने राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट निर्माण के अंतरिम कार्यक्रम के आधार पर 2 करोड़ रूपये जारी किए जोकि उपलब्ध नहीं था। राज्य सरकार द्वारा नवम्बर 1981 में अनुमोदित कार्ययोजना सितम्बर 1983 में परिशोधित की गई थी।

उड़ीसा– जेल प्रशासन हेतु मई तथा सितम्बर 1979 में भेजी गई कार्य योजनाएं मंत्रालय द्वारा दिसम्बर 1979 में अनुमोदित की गई थी। राजस्व एवं जिला प्रशासन हेतु राज्य सरकार द्वारा मई 1979 में प्रस्तुत की गई तथा जून 1979 में संशोधित की गई कार्य योजना मंत्रालय द्वारा अनुमोदित नहीं की गई थी तथा अप्रैल 1981 में परिशोधित की गई थी जो मंत्रालय द्वारा अक्तूबर 1981 में अनुमोदित की गई थी।

राजस्थान राज्य सरकार ने जेल प्रशासन हेतु कार्ययोजना मार्च 1979 में प्रस्तुत की थी जिसके लिए मंत्रालय की औपचारिक संस्वीकृति सूचित नहीं की गई थी। तथापि, महानिरीक्षक जेल को राज्य सरकार द्वारा सूचना दी गई कि कार्य योजना की जनवरी 1980 में मंत्रालय द्वारा संवीक्षा की गई थी। राजस्व एवं जिला प्रशासन हेतु जून 1979 में प्रस्तुत की गई कार्य योजना मंत्रालय द्वारा जनवरी 1980 में अनुमोदित की गई थी हांलाकि यह स्थलवार विवरणों से समर्थित नहीं थी।

तामिलनाडु– जेल प्रशासन हेतु राज्य सरकार द्वारा शुरू में सुझाई गई कार्य योजनाएं समय समय पर परिवर्तित की गई थी। इस प्रकार मंत्रालय ने किसी भी कार्य योजना का अनुमोदन नहीं किया था। तथापि, मंत्रालय द्वारा जून 1980 तथा फरवरी 1985 के दौरान राजस्व लेखा अर्थात खुराक, इत्यादि तथा पूंजीगत व्यय अर्थात भवन निर्माण, कैदियों की सुख सुविधाएं इत्यादि का प्रशासनिक अनुमोदन जून 1980 तथा सितम्बर 1985 के दौरान सूचित किया गया था।

उत्तर प्रदेश– जेल प्रशासन हेतु मूल, परिशोधित तथा अनुपूरक कार्य योजनाएं मंत्रालय को क्रमशः जून 1979, अक्तूबर 1979 तथा अगस्त 1983 में प्रस्तुत की गई थीं, मंत्रालय द्वारा उनके अनुमोदन से संबंधित सूचना उपलब्ध नहीं थी। राजस्व एवं जिला प्रशासन के लिए मई 1979 तथा जुलाई 1980 में प्रस्तुत की गई मूल तथा अनुपूरक कार्य योजनाएं मंत्रालय द्वारा क्रमशः दिसम्बर 1979 तथा अक्तूबर 1980 में अनुमोदित की गई थी।

35.7 निधियों का विमोचन

मंत्रालय द्वारा अनुदानों को जारी करने के लिए आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार.

म वर्ष में "लेखे पर" एक प्रारंभिक अनुदान जारी जानी थी तथा दूसरे वर्ष की अनुदान राज्य कारों द्वारा प्रतिवेदित निष्पादन एवं व्यय के धार पर जारी की जानी थी। तीसरे वर्ष तक, म वर्ष की व्यय तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन लब्ध करने थे जिन को अनुवर्ती वार्षिक अनुदानों जारी करते समय लेखे में लेना था।

राज्य सरकारों को अनुदान जारी ते समय मंत्रालय ने दोनों ही क्षेत्रों के अंतर्गत इस क्रिया को नहीं अपनाया ।

जेल प्रशासन

.8 वित्तीय प्रगति

परिशिष्ट 5 से यह देखा जाएगा कि र राज्यों अर्थात आन्ध्र प्रदेश, 28.03 लाख पये, मेघालय: 12.22 लाख रूपये, राजस्थान: .51 लाख रूपये, तथा उत्तर प्रदेश: 36.46 ख रूपये के मामले में वास्तविक व्यय भारत रकार द्वारा जारी की गई निधियों से अधिक हो ा था। दूसरी तरफ, छः अन्य राज्य {बिहार: 3.23 लाख रूपये, जम्मू और काश्मीर: 0.78 ख रूपये, मध्यप्रदेश: 38.32 लाख रूपये, णीपुर: 3.73 लाख रूपये, उड़ीसा: 5.91 लाख पये तथा तमिलनाडू 356.88 लाख रूपये } उन्हें पलब्ध की गई निधियों का पूर्ण रूप से उपयोग हीं कर सके।

निम्न अन्य बातें भी सामने आयीं थीः-

1} बिहार द्वारा 421.74 लाख रूपये के व्यय में 1980-81 से 1983-84 के दौरान जन स्वास्थ्य इंजीनियरी विभाग {ज स्वा इ वि} को आठ जेलों में जल आपूर्ति एवं सफाई निर्माण कार्यों के निष्पादन के लिए प्रदत्त 17.27 लाख रूपये के अग्रिम सम्मिलित थे जोकि ज स्वा इ वि के पास अव्ययित पड़े हुए थे क्योंकि संबंधित निर्माण कार्य अभी तक चालू नहीं किए गए थे {मई 1988}।

{2} जम्मू और काश्मीर द्वारा 49.22 लाख रूपये के व्यय में 1981-82 {0.12 लाख रूपये }, 1982-83 {0.20 लाख रूपये} तथा 1983-84 {1.83 लाख रूपये} के दौरान उधमपुर स्थित नए जेल कॉम्पलेक्स हेतु विद्युत लाईन तथा ट्रांसफार्मर के लिए प्रदत्त 2.15 लाख रूपये का अग्रिम सम्मिलित था विद्युत विभाग को, जिसके लिए व्यय के ब्यौरे उपलब्ध नहीं थे

{3} मध्य प्रदेश द्वारा 663.68 लाख रूपये के व्यय में 1983-94 में खजाने से निकाले गये तथा बाद में मार्च 1984 में {3.43 लाख रूपये} तथा मई 1986 में {3.60 लाख रूपये} खजाने में विभागीय प्राप्ति के रूप में जमा किए गए, 7.03 लाख रूपये सम्मिलित थे।

{4} उड़ीसा द्वारा 428.38 लाख रूपये के व्यय में मार्च 1984 तक सार आकस्मिक बिलों पर निकाले गए 5.70 लाख रूपये सम्मिलित थे जो कि 31 मार्च 1984 को अव्ययित पड़े हुऐ थे तथा बाद में फरवरी 1986 तक कैदियों के दिन प्रति दिन के सीधे खर्च पर प्रयुक्त किये गए थे।

§5§ तामिलनाडू को 1980-81 से 1985-86 के दौरान पूंजीगत व्यय हेतु जारी किये गये 817.62 लाख रूपये में से, राज्य सरकार द्वारा 437.67 लाख रूपये की एक राशि §अव्ययित अनुदान दशाति हुए§ निकाली गई थी तथा राज्य के लोक लेखे में तामिलनाडू जल आपूर्ति एवं जल व्ययन बोर्ड §31 मार्च 1984 को 244.82 लाख रूपये§ व तमिलनाडू राज्य निर्माण निगम लिमिटेड§ मार्च 1984 में 72.85 लाख रूपये तथा मार्च 1985 में 120 लाख रूपये§ के व्यक्तिगत जमा लेखों में क्रेडिट की गई थी ताकि जारी की गई सम्पूर्ण अनुदानों के आबंटन प्राप्त किए जा सकें। मार्च 1985 के अंत में इन दो निकायों के पास 330.57 लाख रू. अव्ययित पड़े हुए थे। आगे, 31 मार्च 1985 को 109.64 लाख रूपये की राशि लोक निर्माण मंडलों के लेखों में उचंत के अंतर्गत पड़ी हुई थी। इसमें फर्मों को दिये गये 64.56 लाख रूपये का अग्रिम तथा कार्य स्थल पर 45.08 लाख रूपये लागत की सामग्री सम्मिलित थी।

यह भी देखा गया था कि 12.83 लाख रू. का व्यय हुआ उन मदों पर किया गया था जो कि योजना के अन्तर्गत नहीं थी। इसमें महा निरीक्षक जेल कार्यालय में नियुक्त कर्मचारियों पर §अक्तूबर 1981 से मार्च 1984 § खर्च किए गए व जेलों के ऊपरी खर्चों पर 1.19 लाख रू. उप खजानों के लिए प्रयुक्त उप जेल वार्ड ग्रेड II के वेतन पर 9.76 लाख रू. तथा "उन्नयन" शीर्ष के अन्तर्गत गलत वर्गीकृत किए गए 1.88 लाख रूपये सम्मिलित थे।

35.9 प्रत्यक्ष प्रगति

भवनों, विद्युतीकरण, जल आपूर्ति की व्यवस्थाएं, इत्यादि का विनिर्माण लक्ष्यों से निम्नानुसार कम रहा :-

बिहार- निर्माण कार्य की विभिन्न मदों के समापन में 70 से 89 प्रतिशत की न्यूनतम थी । आठ जेलों के लक्ष्य के प्रति, सिर्फ एक जेल में जनरेटिंग सैट स्थापित किया गया था जबकि विद्युत कार्य तथा जल आपूर्ति एंव सफाई कार्य 63 और 55 जेलों के लक्ष्य के प्रति 19 और 6 जेलों में पूरे किये गये थे। कमियों के लिए कारण, निष्पादन ऐजेंसियों की ओर से देरी तथा औपचारिकताओं के समापन में बहुत अधिक समय लिया जाना, थे।

मध्य प्रदेश - कार्य योजना में व्यवस्थित दो जेलों में से कोई भी पूरी नहीं की गई थी, जबकि वर्तमान जेलों में आठ के लक्ष्य के प्रति तीन अतिरिक्त बैरकें थीं। 16 तथा 30 जेलों के जल आपूर्ति तथा सफाई फिटिंग के निर्माण कार्यों में से क्रमशः केवल 13 तथा 27 निर्माण कार्य ही पूरे किए जा सके थे। कमी, तकनीकी तथा प्रशासनिक संस्वीकृतियों की विलंब से प्राप्ति, भूमि का विलंब से सौंपा जाना तथा निर्माण कार्यों के मंद गति से निष्पादन के कारण बताई गई थी §जुलाई 1988§।

मणीपुर- निर्माण कार्य केवल एक जेल में पूरा किया गया था तथा दो जेलों में अधूरा रहा §मार्च 1988§।

मेघालय– तीन नई जेलों में से कोई भी जेल 31 मार्च 1985 तक पूरी नहीं की गई थी, तथापि, दो जेलें 1987–88 में, पूरी की गई थी।

उड़ीसा– नई जेलों (लक्ष्य 11, उपलब्धि 7) तथा जल आपूर्ति एवं सफाई कार्य (लक्ष्य 47, उपलब्धि 42) के विनिर्माण में न्यूनता क्रमशः 36 और 11 प्रतिशत थीं। 11 जेलों में से, 7 जेलों में निर्माण कार्य पूरे किये गये थे तथा चार जेलें जिनमें 130.18 लाख रूपये का व्यय अंतर्ग्रस्त था, अधूरी रही थी (अप्रैल 1988)।

राजस्थान– किशोर सुधारणालय का निर्माण पूर्ण नहीं किया गया था क्योंकि मूलतः नियोजित निर्माण कार्यों की सभी मदें तथा सुधारणालय के संचालन के लिए आवश्यक बुनियादी जरूरतों को निष्पादन हेतु नहीं लिया गया था।

तमिलनाडु– 281 संस्वीकृत निर्माण कार्यों में से, 235 निर्माण कार्य पूर्ण किये गये थे, 19 निर्माण कार्य जिन पर 87.29 लाख रूपये का व्यय किया गया था (फरवरी 1988) अभी भी अधूरे थे तथा 27 निर्माण कार्य (अनुमानित लागत 69 लाख रूपये) चालू नहीं किये गये थे क्योंकि वे अनावश्यक थे अथवा छोड दिये गये थे।

उत्तर प्रदेश– जल आपूर्ति, सफाई तथा विद्युतीकरण योजनाओं के अंतर्गत न्यूनता 38,21 तथा 9 प्रतिशत थी क्योंकि 31 मार्च 1985 तक 32,34 तथा 55 योजनाओं में से क्रमशः 20,27 तथा 50 योजनाएं पूर्ण की गई थी। 31 दिसम्बर 1987 तक केवल 27 जल आपूर्ति तथा 30 सफाई योजनाएं पूर्ण की गई थीं। जल आपूर्ति , सफाई तथा विद्युतीकरण प्रत्येक की चार योजनाएं निधियों की कमी के कारण रद्द कर दी गई थीं। सात जल आपूर्ति तथा तीन सफाई योजनाओं के पूर्ण होने में दो से पांच वर्षों के बीच की देरी थी।

35.10 निधियों का विपथन

योजना में राजस्व शीर्ष के अंतर्गत कैदियों पर व्यय अर्थात खुराक, चिकित्सा, कपड़े, पूंजीगत शीर्ष के अंतर्गत कैदियों के लिए सुख सुविधाओं अर्थात जल आपूर्ति सफाई सुविधाएं, बैरकों को विद्युतीकरण इत्यादि तथा अतिरिक्त जेल क्षमता, नई जेलों, उप जेलों के विनिर्माण की व्यवस्था थी। निम्नलिखित राज्य सरकारों ने 222.12 लाख रूपये पूंजीगत लेखे से राजस्व लेखों से तथा प्रतिलोमतः अपवर्तित किए तथा उन मदों पर खर्च किये जिनके लिए योजना में व्यवस्था नहीं थी, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है :–

– आंध्र प्रदेश में (1) 14.04 लाख रूपये की एक राशि उप जेलों में भंडारण कमरों तथा रसोईयों इत्यादि के निर्माण पर मार्च 1985 तक खर्च की गई थी, यद्यपि आयोग द्वारा निधियों का कोई आबंटन नहीं किया गया था तथा (2) एक केन्द्रीय जेल से संलग्न लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के आठ पदों हेतु 1982.83 और बाद के वर्षों के लिए मुहैय्या 1.94 लाख रूपये मुख्यालय कार्यालय के लिए जनवरी 1983 से मार्च 1985 के दौरान प्रयुक्त किये गये थे। 1982–84 के दौरान बिहार में कैदियों की सुविधाओं के लिए मुहैय्या कराए गए 23.83 लाख रूपये कैदियों की खुराक, चिकित्सा तथा सुविधाओं, इत्यादि पर

खर्च किये गये थे।

- जम्मू और काश्मीर में कैदियों की सुविधाओं हेतु मुहैय्या किये गए 11.14 लाख रूपये तथा 11.99 लाख रूपये क्रमशः 1983-84 में वाहनों की खरीद पर (योजना में मुहैय्या नहीं किये गये)तथा बारामूला, लेह, श्रीनगर तथा उधमपुर जेलों में निर्माण क्रियाकलापों पर प्रयुक्त किए गए थे।

- उड़ीसा में कैदियों की खुराक, चिकित्सा सुविधाओं इत्यादि के लिए मुहैय्या किये गए 60 लाख रूपये 1380 कैदियों के आवास हेतु अतिरिक्त जेल स्थान सुलभ कराने पर, राज्य सरकार की सलाह पर (सितम्बर 1982) व्यय किए गए थे, भारत सरकार इस अपवर्तन के लिए मान गई (नवम्बर 1982)।

- तमिलनाडू में कैदियों की सुविधाओं के लिए मुहैय्या किये गए 44.38 लाख रूपये कैदियों के लिए खुराक, चिकित्सा सुविधाओं इत्यादि पर अपवर्तित किये गये थे, अपवर्तन जो कि आयोग की सिफारिशों तथा कार्य योजना से हट कर था राज्य सरकार द्वारा अनुरोध किये जाने पर भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था। थनजावूर स्थित जेल कैम्प हेतु मुहैय्या की गई 43.32 लाख रूपये की एक राशि पोझाल कॉम्पलैक्स (पौझाल स्थित एक नई आधुनिक जेल) के निर्माण पर खर्च की गई थी।

- उत्तर प्रदेश में 1981-82 से 1983-84 के दौरान फतेहगढ़ तथा वाराणसी स्थित केन्द्रीय जेलों में दो शिशु कारागारों(स्थान जहां किशोर अपराधियों को औद्योगिक प्रशिक्षण दिये जाते हैं तथा उन के सुधार हेतु अनुशासनिक तथा नैतिक प्रभाव मुहैय्या कराया जाता है) की स्थापना हेतु मुहैय्या किये गये 11.48 लाख रूपये खुराक, सुरक्षा कर्मचारियों इत्यादि पर व्यय किये गये थे।

35.11 परिहार्य व्यय

चार राज्य सरकारों द्वारा 24.54 लाख रूपये का परिहार्य व्यय निम्न ब्यौरे अनुसार खर्च किया गया था:-

- मध्य प्रदेश में, प्रत्येक 16,000 कैदियों को एक अतिरिक्त कम्बल मुहैय्या कराने के लिए 16,000 कम्बलों की आवश्यकता के प्रति मार्च 1986 तक जेलों में कैदियों द्वारा 36,705 कम्बल बनाए गए थे जिस में कच्चे माल की जरूरत से अधिक खरीद पर 13.88 लाख रूपये का परिहार्य व्यय अंतर्ग्रस्त हुआ ।

- उड़ीसा में, 12,700 कम्बलों की वास्तविक आवश्यकता के प्रति 17,000 कम्बल (9000, 1979-80 में और 8,000 1983-84 में) खरीदे गये थे जिस में आवश्यकता से अधिक 4,300 कम्बलों की खरीद पर 2.17 लाख

रूपये का परिहार्य व्यय अंतर्ग्रस्त था। इस के अतिरिक्त योजना को प्रभारित 2.82 लाख रूपये मूल्य के कपड़े तथा बिस्तर और 0.88 लाख रू. मूल्य के खुराकीय प्रावधान 1983–84 के अंत तक भंडार में पड़े हुए थे, जिन्हें बाद में सामान्य उद्धेश्यों हेतु प्रयुक्त किया गया था।

- तामिलनाडू में, केन्द्रीय कारगार त्रिचिनापल्ली हेतु जल आपूर्ति कार्य के लिए मार्च 1984 में 80 लाख रूपये की एक राशि तामिलनाडू जल आपूर्ति एंव मल व्ययन बोर्ड {ता ज आ म बो} के पास जमा की गई थी, जोकि जून 1988 तक चालू नहीं की गई थी। कार्य के निष्पादन में देरी के कारण, कारगार के लिए जल की आपूर्ति के प्रबंध हेतु 2.45 लाख रूपये का व्यय किया गया था।

- उत्तर प्रदेश में, कैदियों की सुख सुविधाओं से संबंधित कार्यों के निरीक्षण हेतु 1980–81 में स्थापित एक इंजीनियरिंग कक्ष पर 1983–84 तक 2.34 लाख रूपये का व्यय किया गया था। कक्ष ने कोई भी पूंजीगत कार्य निष्पादन नहीं किये तथा निमार्ण कार्य राज्य लोक निर्माण कार्य विभाग/जल निगम को सौंपे जाने जारी रहे थे।

35.12 निधियोंका अवरोधन

दो राज्य सरकारों द्वारा नई जेलों के निर्माण पर खर्च किए गए 253.25 लाख रूपये के परिणामस्वरूप निधियों का अवरोधन हुआ क्योंकि निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किये गये थे।

- राजस्थान में, किशोर सुधारणालय के निर्माण कार्यों की कुछ मदों पर इसकी 37.08 लाख रूपये की कुल अनुमानित लागत के प्रति अक्तूबर 1982 तक 17.13 लाख रूपये का व्यय किया गया था {केन्द्रीय सहायता 15.00 लाख रूपये, राज्य निधियां 2.13 लाख रूपये} । क्योंकि मूलतः नियोजित सारे निर्माण कार्य तथा किशोर सुधारणलय के संचालन के लिए आवश्यक मूल जरूरतें निष्पादन हेतु नहीं ली गई थी, भवन अधूरा रहा । राज्य सरकार ने नवम्बर 1988 में सूचित किया कि भवन पूर्ण किया जा रहा था और उसे बोरस्टल स्कूल के समान प्रयोग किया जायेगा।

- तामिलनाडू में, वर्तमान केन्द्रीय कारगार, मद्रास के स्थान पर पोझाल स्थित एक नई आधुनिक जेल के तीन चरणों में से दो चरणों के निर्माण पर मार्च 1988 तक 236.12 लाख रूपये का व्यय किया गया था। {मार्च 1985 में अप्रयुक्त सामग्री की लागत तथा 44.97 लाख रूपये के अग्रिम भुगतान सहित 1984–85 तक व्यय किए गए 178.07 लाख रूपये } । नया जेल काम्पलैक्स पूर्ण नहीं किया गया था क्योंकि इसे कार्यात्मक बनाने हेतु आवश्यक निर्माण कार्य का तीसरा चरण तामिलनाडू की सरकार द्वारा अभी तक अनुमोदित नहीं किया गया था जिसके फलस्वरूप 236.12 लाख रूपये की राशि की निधियों अवरोधन हुआ।

35.13 उपस्कर/बैरकों का निष्क्रिय/अप्रयुक्त पड़े रहना

73.75 लाख रूपये कीमत के उपस्कर/बैरकें

निम्न ब्यौरे अनुसार निष्क्रिय/अप्रयुक्त पड़ी रही :-

जम्मू और काश्मीर में डीजल जनरेटर सेट तथा 200/250 के वी ए सब स्टैशन की खरीद पर क्रमश3 1.90 लाख रूपये तथा 1.27 लाख रूपये खर्च किए गए थे। 1985 में लगाया गया डीजल जैनरेटर सेट मई 1988 तक न तो औपचारिक रूप से सौंपा गया था और न ही चालू किया गया था। 200/250 के वी ए सब स्टेशन की स्थापना के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं की गई थी।

मध्यप्रदेश में, मई 1984 में 5.24 लाख रूपये की एक लागत पर जिला कारागार, बिलासपुर में 80 कैदियों हेतु बनाई गई दो अतिरिक्त बैरके सुरक्षा व्यवस्थाओं के अभाव के कारण खाली पड़ी हुई थीं §जुलाई 1988§।

उत्तर प्रदेश में, 50.37 लाख रूपये की एक लागत पर अगस्त -सितम्बर 1984 में खरीदी गई सभी 28 एक्स -रे ईकाईयां एक्स-रे तकनीशीयन तथा रेडिओलाजिस्ट के अभाव में निष्क्रिय पड़ी हुई थी। अगस्त 1984 तथा फरवरी 1985 के बीच चिकित्सा उपकरणों की खरीद पर 14.97 लाख रूपये व्यय किए गए थे । इन उपकरणों में अधिकांश मई 1988 तक भी प्रयुक्त नहीं किए जा सके थे क्योंकि मई 198। में स्वीकृत किये गये फार्मेसिस्ट के 52 पद तथा लेबोरेटरी सहायक के 28 पद भरे नहीं गए थे।

35.14 कैदियों की खुराक, दवाईयों इत्यादि पर व्यय में कमी।

आयोग ने यह आवश्यक समझा था कि सभी राज्यों में 1979-85 वर्षों के लिए कम से कम 6 रूपये प्रति कैदी प्रति दिन का व्यय खुराक §3.00 रूपये§ जेल अधिव्यय §2.00 रूपये§ तथा दवाईयां कपड़ों इत्यादि पर §1.00 रूपये§ मुहैय्या किया जाना चाहिए। कैदियों पर व्यय के मानदंड तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित योजना का भी अनुसरण नहीं किया गया था तथा निम्न राज्यों में कैदियों की खुराक, दवाईयों इत्यादि पर व्यय का अपेक्षित स्तर प्राप्त नहीं किया जा सका था:-

आन्ध्र प्रदेश-§1§ तीन केन्द्रीय जेलों में, वित्तीय एवं प्रशासनीक कारणों से अतिरिक्त कपड़े की आपूर्ति नहीं की गई थी जबकि 1979-85 के दौरान 2.58 लाख रूपये की एक राशि योजना को प्रभारित की गई थी । योजना एक जिला कारागार में इस आधार पर भी क्रियान्वयन नहीं की गई थी कि वहां पर केवल जांच के अधीन कैदी तथा कम अवधि के कैदी रखे गए थे। जबकि कम अवधि के कैदी भी योजना के लाभ के हकदार थे।

§2§ भारत सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा अनुमोदित होने के बावजूद 1980-84 के लिए चार कलीनिकल मनोवैज्ञानिकों की नियुक्ति की योजना पदों के नियमों के अनुमोदन हेतु तथा उम्मीदवारों के चयन में देरी के कारण कार्यान्वित नहीं की गई थी §जुलाई 1988§।

§3§ 6 जूलों §जहां पूर्ण अवधि के लिए चिकित्सा उपलब्ध थी§ के लिए 3.00 लाख रूपये के अस्पताल उपकरणों की खरीद हालांकि दिसम्बर 1982 में संस्वीकृत हो गई थी, मार्च 1985 तक नहीं की गई थी। 1.14 लाख रूपये की कीमत के उपस्कर तथा पि, 1985-88 के बीच खरीदे गए थे।

बिहार- 1980-81 तथा 1981-82 के दौरान दवाईयों इत्यादि पर प्रति दिन प्रति कैदी व्यय निर्धारित । रूपये की राशि से कम था §1980-81 में 0.67 रूपये तथा 1981-82 में 0.93 रूपये§।

उड़ीसा – §1§ 1979–84 अवधि के दौरान खुराक पर व्यय उद्देश्य हेतु भारत सरकार से प्राप्त 79.57 लाख रूपये के प्रति 56.51 लाख रूपये बना 23.06 लाख रूपये का यह भारी अंतर §1§ अप्रैल 1979 की, जगह जनवर 1980 के मानदंडों के अनुसार खुराक मुहैय्या करना, §2§ 14 जेलों में से चार जेलों में खुराक के पूरे कोटे की आपूर्ति का न होना तथा §3§ गार्ड कर्मचारियों इत्यादि को खुराक की आपूर्ति का न करना आदि के कारण था। कपड़े, दवाईयों इत्यादि पर खर्च 1.00 रू. प्रति कैदी के मानदंड के प्रति 1980–81 से 1984–85 के दौरान प्रति दिन प्रति कैदी 0.60 रूपये से 0.88 रूपये के बीच रहा ।

§2§ मई तथा सितम्बर 1979 में प्रस्तावित, अस्पताल के उपकरणों की खरीद का अनुमोदन भारत सरकार द्वारा दिसम्बर 1979 में किया गया था तथा भारत सरकार द्वारा 1.90 लाख रूपये जारी किये गये थे परन्तु ये उपकरण खरीदे नहीं गए थे §फरवरी 1988§।

§3§ अच्छे इलाज हेतु, बिमार कैदियों को जेलों से बाहर अस्पताल ले जाने के लिए 15 वैनों की खरीद पर खर्च की गई 15 लाख रूपये की एक राशि भारत सरकार को सूचित की गई थी जबकि वास्तवित निकाली गई राशि केवल 9.23 लाख रूपये बनी थी। खरीदे गए वैनों का विवरण तथा संबंधित वाउचर उपलब्ध नहीं थे। किसी भी जेल को कोई वैन उपलब्ध नहीं की गई थी तथा कैदियों को किराए की गाडियों, एम्बूलैन्सों इत्यादि में स्थानान्तरित किया गया था।

§4§ सात जेलों में जैसा कि निर्धारित था प्रत्येक कैदी को एक अतिरिक्त कम्बल की आपूर्ति नहीं की गई थी, अन्य सात जेलों में आपूर्ति में दो से तीन वर्षों के बीच की देरी थी।

तामिलनाडू– §1§ नमूना जांच की गई दो जेलों और एक उपजेल के मामले में प्रति दिन प्रति कैदी खुराक की लागत कम से कम 3.00 रूपये से कम थी तथा 1979–84 के दौरान 2.64 रूपये से 2.87 रूपये के बीच रही ।

§2§ 1979–84 वर्षों के दौरान राज्य में इवाईयों, कपड़ों, बिस्तरों इत्यादि पर प्रति दिन प्रति कैदी व्यय कम से कम 1 रूपये से कम रहा तथा 0.14 रूपये से 0.61 रूपये के बीच रहा ।

§3§ मजूदरी अर्जन योजना के बिस्तार हेतु तथा केदियों को साधारण व्यवसायों में प्रशिक्षण इत्यादि के लिए, भारत सरकार ने 49 लाख रूपये की एक रिश जारी की थी जिसमें से केवल 8.41 लाख रूपये ही खर्च किए गए थे। ये योजनाएं क्रमशः जुलाई 1982 तथा जून 1983 में संस्वीकृत की गई थी। 1983–84 से 1985–86 के दौरान 12,960 कैदियों के प्रशिक्षण के उद्देश्य के प्रति केवल 1532 कैदियों को प्रशिक्षण दिया गया था जिसमें 88 प्रतिशत दिया गया था जिसमें 88 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई थी। कमी के कारण क्राफट निरीक्षकों कीनियुक्ति कच्चे मालों की खरीद, अपराधी कैदियों के लिए अन्य जेलों में तीन महीने से भी ज्यादा के लिए स्थानान्तरण में देरी तथा कैदियों के बीच प्रशिक्षण योजनाओं की सर्वप्रियता की कमी थी।

उत्तर प्रदेश–§1§ 1979–84 के दौरान जेल प्रशासन को सशक्त करने हेतु 11.50 लाख रूपये के निर्धारण के प्रति §अधीक्षक/उपअधीक्षक के 30 अतिरिक्त पदों का सृजन तथा भरती करते हुए§

1983–84 तक केवल 0.70 लाख रूपये खर्च किए गए थे क्योंकि अतिरिक्त अधीक्षकों के केवल तीन पद भरे गए थे। अगस्त 1985 तक, केवल 10 पद ही भरे गए थे।

§2§ विभागीय सुरक्षा कर्मचारियों के साथ दो खुली कैम्प जेलों से प्रान्तीय सशक्त पुलिस के स्थानान्तरण के लिए 26 लाख रूपये का एक आंबटन किया गया था जिसके प्रति 1983–84 तक, केवल, 5.43 लाख रूपये खर्च किए गए थे क्योंकि सुरक्षा अधिकारी §एक§ तथा सहायक सुरक्षा अधिकारी §तीन§ के पद/पदों को भरा नहीं गया था। इन जेलों हेतु प्रान्तीय सशक्त पुलिस को रोकना राज्य सरकार के विचाराधीन बताया गया था §मई 1988§।

राजस्व एवं जिला प्रशासन

35.15 वित्तीय प्रगति

परिशिष्ट 6 से यह देखा जाएगा कि आसाम सरकार के सिवाय जोकि उसको जारी की गई 329.17 लाख रूपये के अनुदान में से 0.49 लाख रूपये प्रयुक्त नहीं कर सकी थी सारी राज्य सरकारों ने भारत सरकार द्वारा जारी की गई निधियों से ज्यादा अधिक व्यय किया था।

§1§ तीन राज्य सरकारों द्वारा 207.44 लाख रूपये की कुल राशियां योजना को प्रभारित की गई थी जबकि यह निम्नानुसार वास्तविक रूप से उन पर खर्च नहीं की गई थी:-

असम– 1983–84 के दौरान निर्माण कार्यों के लिए असम सरकार निर्माण निगम लि.को. 146.40 लाख रूपये की एक राशि दी गई थी जिसमें से निगम द्वारा लोक निर्माण मंडलों को 1986–87 के दौरान वास्तविक निर्माण के लिए 129 लाख रूपये की एक राशि जारी की गई थी।

उड़ीसा– मार्च 1985 में उड़ीसा पुल व निर्माण निगम लि. के पास निधियों को व्ययगत होने से बचाने के लिए 25.40 लाख रूपये की एक राशि जमा की गई थी, निगम ने अक्तूबर 1985 में बिना किसी कार्य को निष्पादन किए राशि वापिस कर दी। 11 भवनों के निर्माण के लिए प्राप्त 11.87 लाख रूपये की एक अन्य राशि उड़ीसा पुल व निर्माण निगम लि. को अग्रिम व भवन सामग्री की बुकिंग द्वारा इसे अंतिम लेखा शीर्ष करते हुए पूरी तरह प्रयुक्त की गई दर्शायी गई थी।

उत्तर प्रदेश– उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम को 749.78 लाख रूपये का भुगतान किया गया था जिसके प्रति 1983–84 तक 726.01 लाख रूपये का व्यय किया गया था। 1983–84 के पश्चात किए गए व्यय तथा निगम को दी गई और अधिक राशियों, यदि कोई हो, से संबंधित सूचना उपलब्ध नहीं थी।

§2§ निधियों का अधिक जारी किया जाना

जिलों तथा उप खंडों के पुनर्गठन हेतु पूंजीगत शीर्ष के अंतर्गत उड़ीसा सरकार को 260 लाख रूपये की एक राशि आबंटित की गई थी। राज्य सरकार ने किसी भी जिले का सृजन नहीं किया जबकि अप्रैल 1979 में केवल एक उप खंड का सृजन किया गया था। राज्य सरकार के अनुरोध पर, भारत सरकार ने 163.80 लाख रूपये की संशोधित योजना की प्रशासनीय अनुमति प्रदान की §अक्तूबर 1981§ परन्तु बिना किसी मदवार व्यवस्था विनिर्दिष्ट किए मूलत: आबंटन के रूप में 260 लाख रूपये जारी किए।

§ अस्वीकार्य व्यय

दो राज्य सरकारों ने 53.50 लाख रूपये कुल अस्वीकार्य व्यय, निम्न ब्यौरे अनुसार, खर्च या था:-

म्मू और काश्मीर– जुलाई 1981 में प्रस्तुत की गई ा अक्तूबर 1981 में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित र्ष की योजना में कृषि सुधार संगठन के अंतर्गत अन्य सीलदार के 46 पदों तथा कनिष्ठ लेखाकार के 48 ों § जोकि आम बजट योजना में पहले ही किए गए §के लिए प्रावधान था जिसके लिए 50 लाख रूपये§ जस्व खाता§ का निर्धारण किया गया था तथा .84 लाख रूपये भारत सरकार द्वारा जारी किए थे। आम योजना बजट व्यय को कम करने के श्य से , 29.31 लाख रूपये कुल व्यय 982-83 में 6.72 लाख रूपये तथा 1983-84 में .59 लाख रूपये§ कार्यक्रम उन्नतिकरण के प्रति दर्ज गए थे तथा 8.53 लाख रूपये अप्रयुक्त रहे थे।

उड़ीसा– वर्तमान 70 राजस्व निरीक्षण सर्कलों के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों पर खर्च जोकि पहले राज्य निधियों से पूरा किया जा रहा था अनियमित रूप से जिला एवं राजस्व प्रशासन के विकास के अंतर्गत खताया गया था। इस तरह 1982-83 तथा 1983-84के वर्षों में 24.19 लाख रूपये की राशि खताई गई थी।

35.16 प्रत्यक्ष उन्नति

राजस्व एवं जिला प्रशासन के अंतर्गत भवनों का निर्माण मुख्य कार्य था, जबकि असम में 218 भवनों के उद्देश्य के प्रति उपलब्धि का पता विभाग के पास सम्बधित अभिलेखों के अभाव में नहीं लगाया जा सका था, नमूना जांच किए गए शेष राज्यों से कम मामलों में उपलब्धि उद्देश्यों से कम रही । मार्च 1985 तक कमी की सीमा निम्न ब्यौरे अनुसार 17 से 100 प्रतिशत के बीच वर्गीकृत थी:-

न्य का नाम	मार्च 1985 तक निर्माण किए जाने वाले क्वार्टर/भवनों की संख्या	मार्च 1985 तक बनाए गए क्वार्टर/ भवनों की संख्या	कमी	कमी की प्रतिशतता
न्ध्र प्रदेश	232	138	94	41
ार	958	485 ×	473 ×	50 ×
मू और काश्मीर	8	शून्य	8	100
प्रदेश	106	27	79	75
ापुर	399	258	141	35
ालय	149	शून्य	149	100

1	2	3	4	5
उड़ीसा	193	83	110	57
राजस्थान	120	100	20	17
उत्तर प्रदेश	4290	3005	1285	30

§×§ 1985–86 तक ।

तीन राज्यों ने अर्थात आन्ध्र प्रदेश, मेघालय तथा उत्तर प्रदेश जिन के लिए 1987–88 तक सूचना उपलब्ध थी मार्च 1988 तक भी उद्देश्य प्राप्त नहीं किए थे।

उद्देश्यों की प्राप्ति में अवनति का कारण तकनीकी तथा प्रशासनिक औपचारिकताओं में देरी, परिकल्प तथा स्थान में परिवर्तन, जगहों की अनुपलब्धता/असुपर्दगी कीमत वृद्धि तथा कुछ मामलों में निर्माण स्थलों का दूर क्षेत्रों में बिखरे रहना आरोपित किया गया था।

35.17 निधियों का अपवर्तन/अनुमोदित योजना से दूराव

योजना में पूजीगत के अंतर्गत प्रशासनिक भवनों तथा कर्मचारियों के क्वार्टरों का निर्माण तथा राजस्व के अंतर्गत उप अभिलेख कार्यालय स्थापित करना तहसीलों की सीमा कम करना, उपखंडों की वृद्धि, तहसीलों का सृजन तथा गाड़ियों की व्यवस्था इत्यादि का व्यय विनिर्दिष्ट था। पूंजीगत लेखे में निधियों का अपवर्तन स्वीकार्य नहीं था । तथापि, निम्न राज्यों ने निम्न ब्यौरे अनुसार निधियों का अनियमित अपवर्तन किया था:–

असम– अगस्त 1983 में प्रस्तुत की गई भार सरकार द्वारा कार्य की योजना के अनुमोदन प्रत्याशा में विस्वानाथ – चारेले, मगलदोइ त सोनारी स्थित उप खंडों के निर्माण कार्यों पर 6 लाख रूपये का व्यय किया गया था। परिणामस्वरू अगस्त 1982 में भारत सरकार द्वारा समय अनुमोदित किए गये उत्तर सालभारी दक्षिण–प नागौन तथा रामाकृष्ण नगर में निर्माण कार्य छोड़ना पड़ा था।

मध्य प्रदेश – भूमि §22.64 हैक्टेयर§ की लागत 2.41 लाख रूपये की एक राशि तथा अप्रत्य परिकल्प हेतु 0.15 लाख रूपये भारत सरकार निर्देशों के खिलाफ राज्य निधियों की बजाए योज निधियों को प्रभारित किए गए थे।

मणिपुर– 34.28 लाख रूपये कीमत की इल्की स्टी छड़ें तथा गालवैनाईज्ड लौहे की शीटें 1983–84 1985–86 के दौरान 18 लोक निर्माण डिवीजनों ऐसे निर्माण कार्यों के लिए जारी की गई थीं जो योजना से संबधित नही थे।

मेघालय – राज्य सरकार ने 1983–84 के दौरा शिलांग में कर्मचारियों के क्वार्टरों की 14 ईकाईयों

निर्माण पर 30 लाख रूपये खर्च किए जोकि कार्य की अनुमोदित योजना में सम्मिलित नहीं थे।

उत्तर प्रदेश– दो सहबद्ध इमारतों §सिपाही बैरक तथा गैराज§ का निर्माण कार्य लिया गया था जोकि कार्य की अनुमोदित योजना में उपलब्ध नहीं कराये गये थे। उन पर किया गया व्यय सुनिश्चित नहीं किया जा सका था क्योंकि निर्माण करने वाली ऐजेंसियों ने निर्माण कार्य की प्रगति तथा व्यय के इकाई वार ब्यौरे नहीं दिखाये थे।

35.18 प्रबोधन एवं मूल्यांकन

भारत सरकार द्वारा उन उद्देश्यों के लिए जिन के लिए ये मुहैय्या कराई गई थी जारी की गई निधियों की उपयोगिता सुनिश्चित करने के लिए तथा प्रत्यक्ष रूप में अपेक्षित परिणामों की उपलब्धि जानने के लिए योजना के कार्यान्वयन का प्रबोधन गृह मंत्रालय द्वारा किया जाना था। उन्नतिकरण की अनुमोदित योजनाओं के निष्पादन तथा वास्तविक प्रगति पर वित्तीय एवं प्रत्यक्ष डाटा सहित वार्षिक उन्नति प्रतिवेदन/आविधिक विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना राज्य सरकारों को आगामी निधियों को जारी करने के लिए एक पूर्व शर्त थी। तथापि, यह शर्त किसी भी राज्य सरकार द्वारा पूरी नहीं की गई थी तथा राज्य सरकार से प्राप्त मांगों के आधार पर भारत सरकार द्वारा राशियां जारी की गई थी।

योजनाओं के प्रोग्रामों का मंत्रालय में किसी भी टास्क फोर्स या कार्यकारी दल द्वारा मूल्यांकन नहीं किया गया था।

केन्द्र तथा राज्यों के प्रशासकीय विभागों ने §1§ आविधिक विवरणियों की प्राप्ति की निगरानी §2§ उद्देश्यों के प्रति उपलब्धियों की जांच §3§ किसी टास्क फोर्स तथा कार्य दल के माध्यम से मूल्यांकन अध्ययन नहीं करवाया ।

मामला अक्तूबर 1988 में मंत्रालय को सूचित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है §जनवरी 1989§।

36 अतिरिक्त फर्नीचर के भंडारण के कारण परिहार्य व्यय

संयुक्त निदेशक, जनगणना प्रचालन, पश्चिम बंगाल के नियंत्रण में क्षेत्रीय सारणी कार्यालयों को स्थापित करने के लिए 1981 के दौरान 3.52 लाख रूपये की लागत के फर्नीचर §425 लकड़ी की मेंजे, 1006 कुर्सियां तथा 580 रैक्स§ खरीदे गये थे। कार्य समापन होने पर सारणी कार्यालय अगस्त 1984 में बंद कर दिये गये थे तथा फर्नीचर अधिशेष हो गए । मई 1986 तक उन्हें 13,288 रूपये के मासिक किराये वाले एक 6,644 वर्गफुट के भाड़े के आवास में भंडारण किया गया था। फर्नीचर केवल 11,011 रूपयों में बेच दिया गया था। इसी बीच, विभाग ने 22 माह तक फर्नीचर को जमा रखने के किराये के रूप में ली गई जगह पर 2.92 लाख रूपये खर्च किये जिसको कि सारणी कार्यालयों के बंद होने के तुरन्त बाद अधिशेष को मूल स्थान से बेच कर टाला जा सकता था। फर्नीचर को समय पर बेच कर अधिक राजस्व भी प्राप्त किया जा सकता था। आवास को भी बिना निविदाएं आमंत्रित किये किराये पर लिया गया था।

संयुक्त निदेशक, जनगणना, प्रचालन, पश्चिम बंगाल ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए दिसम्बर 1987 में बताया कि फर्नीचर को बेचने में विलम्ब समाचारपत्रों में विज्ञापनों द्वारा उद्धरण निमंत्रित करने में समय लगना, अस्थायी कर्मचारियों की

छटनी से उत्पन्न हुई स्थिति से निपटना तथा मंत्रालय से अनुमोदन प्राप्त करने जैसे कारणों से उत्पन्न हुआ। तथापि, अभिलेखों से प्रकट हुआ कि अधिशेष फर्नीचर को बेचने का प्रथम प्रयास मार्च 1985 यानि भंडारण के सात माह बाद किया गया था।

जुलाई 1988 में मामला मंत्रालय को सूचित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 1989)।

37. भूमि के अधिकृहण में निधियों का अवरोधन

निदेशक, जनगणना प्रचालन उत्तरप्रदेश लखनऊ ने कार्यालय भवन के निर्माण हेतु अलीगंज लखनऊ में 1.52 एकड़ के माप के एक भूखंड के अधिग्रहण हेतु, लखनऊ विकास प्राधिकरण (ल वि प्रा) को 36.31 लाख रूपये (35.94 लाख रूपये जनवरी 1984 में तथा 0.37 लाख रूपये दिसम्बर 1984 में) अदा किये। बाद में सीतापुर रोड लखनऊ में कर्मचारियों के क्वाटरों के निर्माण के लिए 7.62 एकड़ के एक भूखंड के अधिग्रहण हेतु ल वि प्रा को 73.78 लाख रूपये की राशि का (54.35 लाख रूपये सितम्बर 1985 में और 19.43 लाख रू. नवम्बर 1986 में) भी भुगतान किया गया।

ल.वि.प्रा. द्वारा दोनों भूखंडों का कब्जा नहीं दिया गया था क्योंकि 9.5 लाख रूपये की स्टाम्प शुल्क की अदायगी से छूट के संबंध में मतभेद होने के कारण बिक्री करार को निष्पादित नहीं किया गया था (जून 1988) जिसके लिए निदेशक जनगंणना संचलन द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को छूट के लिए एक प्रार्थना की गई थी (जुलाई 1987)।

इस प्रकार, 1.10 करोड़ रूपये के सरकारी धन की राशि का एक वर्ष से चार वर्षों त के लिए अवरोधन रहने के अतिरिक्त निदेशक जनगणा प्रचालन लखनऊ 9 किराये के कार्यालय भवनों किराये पर 14.72 लाख रूपये प्रतिवर्ष का व्यय वह कर रहा था।

मामला मंत्रालय को अगस्त 1988 में सूचि किया गया ; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्ब 1988)।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
तथा
महिला बाल विकास विभाग
(चंडीगढ़ प्रशासन)

38. एक छात्रावास के निर्माण में सरकारी अनुदा का अवरोधन

अक्तूबर 1975 में, चंडीगढ़ प्रशास द्वारा 400 कार्मिक महिलाओं तथा अनुसूचित जाति स जनजाति की छात्राओं के लिए एक छात्रावास भवन निर्माण हेतु 14483.03 वर्ग गज माप वाला भूमि क एक प्लाट केन्द्रीय नागरिक परिषद (संगठन) अधीन अखिल भारतीय महिला स्वैच्छिक सेवा के पंजा के संघटक, एक निकाय, को आबंटित किया गया था भूमि की लागत 4.34 लाख रू. थी, जिसमें से 1.0 लाख रू. की प्रथम किश्त, संगठन द्वारा आबंटन समय दी गई थी तथा शेष, 7 प्रतिशत वार्षिक द पर ब्याज सहित, 0.11 लाख रू. प्रति वर्ष भू किराये सहित, प्रत्येक 1.24 लाख रू. की त बराबर वार्षिक किस्तों में देय था।

आबंटन की शर्तों के अनुसार, आबंटिती भवन, अक्तूबर 1978 तक पूरा करना अपेक्षित था भवन के निर्माण की लागत 21.71 लाख रु अनुमानित की गई थी (1975)। भवन की विन्या योजना सम्पदा अधिकारी चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा मा

1976 में अनुमोदित की गयी थी। कुल लागत का 25 प्रतिशत §5.43 लाख रू.§ पंजाब सरकार/ संगठन द्वारा वहन किया जाना था तथा शेष का 75 प्रतिशत §16.28 लाख रू.§ भारत सरकार द्वारा अनुदानों के रूप में देय था। भारत सरकार द्वारा जारी किया गया §मार्च 1975– मार्च 1977 § वास्तविक अनुदान 8.14 लाख रू. था तथा पंजाब सरकार द्वारा 3.67 लाख रू. था । मार्च 1976 में एक ठेकेदार के माध्यम से संगठन द्वारा शुरू किया गया भवन का निर्माण मार्च 1977 में संगठन द्वारा बंद कर दिया गया था जिसके लिए कारण चंडीगढ़ प्रशासन के अभिलेख में नहीं दिये गये थे।

संगठन ने न तो वार्षिक भूमि किराया और नहीं क्रमशः नवम्बर 1976, 1977 तथा 1978 में देय भूमि की लागत की तीन समान किस्तें अदा की। इसलिए, चंडीगढ़ प्रशासन ने अप्रैल 1979 में भूमि का आबंटन रद्द कर दिया तथा दो कमरों के सिवाय जो कि मुकदमें की समाप्ति के बाद रवाली करवा लिये गये सूचित किये गये थे, कानूनी कार्यवाहियों के माध्यम से प्राप्त अगस्त 1983 में संगठन से सम्पत्ति §भूमि तथा अंशतः निर्मित भवन§ प्राप्त कर ली । संगठन भवन ठेकेदार के 3.11 लाख रू. के दावें का निपटान करने में भी असफल रहा था, जो कि एक न्यायालय कुर्की के अन्तर्गत भूमि का स्वामित्व रखने के लिए मई 1983 से प्रशासन द्वारा अदा किये जाने पड़े थे।

जून 1986 में, मामला चंडीगढ़ प्रशासन और गृह मामलें तथा मानव संसाधन विकास के मंत्रालय तथा पंजाब सरकार को सूचित किया गया था। गृह मंत्रालय से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है §नवम्बर 1988§ चंडीगढ प्रशासन ने जुलाई 1988 में बताया कि संगठन की और से उनके द्वारा की गई 3.11 लाख रू. की अदायगी, भूमि स्थल पर छोड़े गये अपूर्ण ढाँचे की परिसम्पत्तियाँ §7.50 लाख रू. अनुमानित लागत रखने हुए §से वूसल की जा सकती थी। प्रशासन ने आगे बताया कि पंजाब सरकार द्वारा संगठन को अदा की गई अनुदान की राशियों की वसूलियां उस सरकार का दायित्व था।

पंजाब सरकार ने सितम्बर 1988 में बताया कि संगठन को 3.67 लाख रू. राशि के कुल अनुदान वास्तव में जुलाई 1975 तथा मार्च 1977 के बीच अदा किये गये थे, जिसमें से 2.67 लाख रू. की एक राशि छात्रावास भवन के निर्माण के लिए व्यय की गयी थी।

तथ्यों को स्वीकारते हुए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अगस्त 1988 में बताया कि चंडीगढ प्रशासन को अंशतः निर्मित भवन को पूरा करने तथा कार्मिक महिलाओं छात्रावास चलाने को हाथ में लेने के लिए, किसी उपयुक्त संगठन को प्रोत्साहित करने के लिये कहा गया है। §जून 1988§।

छात्रावास इमारत अपूर्ण रही तथा प्रयोग में नहीं लाई गई थी §सितम्बर 1988§। 11.81 लाख रू. के सरकारी अनुदान, 4.34 लाख रू. मूल्य की भूमि का आंबटन तथा 3.11 लाख रू. मूल्य के ठेकेदार के दावे निपटान से वांछित उद्देश्य प्राप्त नहीं हुआ।

39. विद्युतीय उपस्करों की खरीद पर हानि

राजकीय कला महाविद्यालय चंडीगढ़ ने उन्नत तथा वैज्ञानिक तरीकों से प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए फरवरी 1985 में विनिर्माताओं/विदेशी उद्गम के विशिष्ट बनावटों से संबंधित प्राधिकृत

व्यापारियों से, रिमोट कंट्रोल रंगीन टी वी मोनीटर, वीडियों कैसेट रिकार्डर, वीडियों कैमरे, टेप रिकार्डर, वीडियों लाइटें तथा संबंधित कलपुर्जों की खरीद हेतु, निविदायें आंमत्रित की । निविदा में निर्धारित की गई शर्तों में से एक यह थी कि इस आशय का एक प्रमाणपत्र के उपस्कर सभी करों, उत्पाद सीमा शुल्क से मुक्त हैं, निविदा दाता द्वारा संलग्न करना चाहिए। प्राप्त हुई 4 निविदाओं में से , 2.25 लाख रूपये मूल्य के उपस्करों की खरीद के लिए आदेश एक फर्म को दिये गये थे। एक फर्म द्वारा उपस्कर, यह प्रमाणित करते हुए कि वे सभी शुल्कों/करों से मुक्त थे, मार्च 1985 में आपूर्ति किये गये थे।

मई 1985 में, उपस्करों को सीमाशुल्क अधिनियम 1962 के अधीन केन्द्रीय उत्पाद और सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा इस आधार पर जब्त कर लिया कि उपस्कर बिना किसी वैध सीमाशुल्क/आयात दस्तावेजों/शुल्क अदायगी रसीदों के थे तथा उपस्करों के कानूनी तौर पर आयात करने के लिए कोई प्रमाण नहीं था। सीमाशुल्क प्राधिकारियों ने 0.05 लाख रूपये का विमोचन जुर्माना तथा महाविद्यालय के प्रधानाचार्य पर शुल्क के पहलू की जांच न करने के लिए 0.01 लाख रूपये जुर्माना और फर्म पर 0.50 लाख रूपये का व्यक्तिगत जुर्माना लगाया (नवम्बर 1986)। सीमाशुल्क विभाग द्वारा महाविद्यालय प्राधिकारियों को जब्त किये गये उपस्करों पर 0.93 लाख रूपये के सीमाशुल्क को अदा करने के लिए भी कहा गया था (जुलाई 1987)। सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद प्राधिकारियों को शुल्क, विमोचन जुर्माना और शास्ति के संबंध में 0.99 लाख रूपये अदा किये गये थे (मई- सितम्बर 1987)। उपस्कर अभी तक छोड़े तथा उपयोग नहीं किये गये थे (जून 1988) क्योंकि आपूर्तिकर्त्ता से 0.50 लाख रूपये की वसूली का मामला जैसा कि सीमाशुल्क विभाग द्वारा दायर किया गया, एक न्यायालय में लंबित बताया गया था। चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा फर्म से सीमाशुल्क की वसूली करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई थी (जून 1988)।

मंत्रालय ने दिसम्बर 1988 में बताया कि चंडीगढ़ प्रशासन ने हानियों की वसूली के लिये फर्म के विरूद्ध मुकदमा दायर करने के लिये निश्चय किया है।

उद्योग मंत्रालय

40. लेवी सीमेंट पर भाड़ा प्रभारों की अधिक अदायगी

सीमेंट के न्याय संगत वितरण तथा उचित कीमतों पर इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के विचार से भारत सरकार द्वारा सीमेंट नियंत्रण आदेश 1967 घोषित किया गया था। आदेश में, अन्य बातों के साथ साथ, लेवी सीमेंट के संबंध में सीमेंट के उत्पादकर्त्ताओं के द्वारा भाड़े पर किये गये व्यय को, अदा करने या बराबर करने के उद्देश्य से सीमेंट नियमन लेखा की स्थापना हेतु व्यवस्था थी। सीमेंट के उत्पादन कर्त्ताओं द्वारा यातायात के सबसे सस्ते साधन द्वारा अथवा यातायात के ऐसे साधन द्वारा जहां केन्द्रीय सरकार द्वारा और कोई अन्य यातायात का साधन सुनिश्चित किया गया था, भाड़े पर किया गया व्यय सीमेंट नियमन लेखों में से औद्योगिक विकास विभाग , सीमेंट उद्योग के विकास आयुक्त द्वारा उत्पादनकर्त्ता को प्रतिपूरित किया जाना था।

अवरपुर, महाराष्ट्र में मैसर्स लार्सन

तथा टुबरो लि. की एक यूनिट अवरपुर सीमेंट वर्क्स ने अक्तूबर 1983 में सीमेंट उत्पादन शुरू किया । अवरपुर मानिक गढ़ रेलवे लाइन के समापन के लंबित रहते हुए यूनिट को, मानिकगढ़ रेल छोर पर वैगनों में लादे जाने हेतु सड़क द्वारा लेवी सीमेंट के 29.50 रूपये प्रति टन की दर से अतिरिक्त उतराई चढ़ाई तथा यातायात प्रभारों की प्रतिपूर्ति अनुमत की गई थी। चूंकि परीक्षण अवधि के बाद अवरपुर फैक्टरी तक रेलवे लाइन दिसम्बर 1985 से परिचालन योग्य हो गई थी, यूनिट को, रेल यातायात सबसे सस्ता साधन होने से, अवरपुर से सामान्य रेल भाड़ा अनुमत किया जाना चाहिए था।

दिसम्बर 1985 से मार्च 1987 के दौरान फैक्टरी साइडिंग से 2,93,962 टन सीमेंट की एक कुल मात्रा लादी गई थी। दिसम्बर 1985 से मार्च 1987 के दौरान सीमेंट के कुल उत्पादन में से 1,50,259 टन सरकार द्वारा लेवी की सीमेंट के रूप में घोषित की गयी थी। फैक्टरी ने 68,953 टन फैक्टरी साइडिंग से तथा बकाया 81,306 टन मानिकगढ़ रेलवे साइडिंग से लदान किया। जिसके लिए 18.48 लाख रूपये के अतिरिक्त यातायात प्रभार विभाग द्वारा फैक्टरी को प्रतिपूरित किये गये थे।

तथापि, सड़क यातायात द्वारा 29.50 रूपये प्रति टन की दर पर रियायती अदायगी अप्रैल 1987 से विकास आयुक्त द्वारा वापस ले ली गई थी।

विभाग ने मई 1988 में बताया कि उत्पादक ने फैक्टरी की साइडिंग पर तथा मानिकढ़ स्टेशन पर लेवी तथा गैर लेवी सीमेंट की लदाई की अनुपातिक रूप से बनाये रखने की कोशिश की थी तथा लेवी सीमेंट की फैक्टरी तथा मनिकगढ़ साइडिंग दोनों से लदाई केवल लदानों के अधिकतम स्तर कायम रखने के लिए की गयी थी। तथापि, तथ्य यह निकलता है कि फैक्टरी को, फैक्टरी साइडिंग से लेवी सीमेंट की समस्त मात्रा के लदान को समर्थ बनाने हेतु, फैक्टरी साइडिंग पर वैगनों की काफी उपलब्धता थी, और इस प्रकार, से 18.48 लाख रूपये के अतिरिक्त यातायात प्रभारों की प्रतिपूर्ति करने की आवश्यकता को टाला जा सकता था।

मामला सितम्बर 1988 में मंत्रालय को सूचित किया गया था, उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्तूबर 1988)।

41. निष्क्रिय मशीनरी

मई 1979 में 2.89 लाख रूपये पर अतिरिक्त पुर्जों सहित खरीदी गई एक पोर्टेबल एक्सरे इकाई के क्षेत्रीय परीक्षण केन्द्र (क्षे प के) , बम्बई में निष्क्रीय पड़ी रहने का उल्लेख भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक संघ सरकार (सिविल) के वर्ष 1983-84 के प्रतिवेदन के पैराग्राफ 20 में किया गया था । इकाई संस्थापित नहीं की जा सकी क्योंकि डार्क रूम भवन तैयार नहीं था। कार्यवाही किये गये टिप्पण में, मंत्रालय ने बताया कि क्षे प के में डार्क रूम भवन निर्माण के लिए (लागत 3.70 लाख रूपये) एक औपचारिक संस्वीकृति फरवरी 1984 में जारी की गई थी । कक्ष का निर्माण हो गया है तथा एक्सरे इकाई भी अप्रैल 1987 में संस्थापित की जा चुकी है। इकाई को अभी चालू नहीं किया गया है क्योंकि इसके संचालन हेतु प्रशिक्षित कार्मिक उपलब्ध नहीं है (अगस्त 1988) । इस प्रकार मई 1979 में इकाई को खरीदने पर 2.89 लाख रूपये तथा भवन पर किये जा चुके 3.70 लाख रूपये व्यय से वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं।

मामला अगस्त 1988 में मंत्रालय को प्रतिवेदित किया गया था, उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 1988)।

42. एक निगम को अदेय लाभ को प्रसार

भारत सरकार ने लघु उद्योगों के लिये उनके द्वारा अनुमत किये गये अग्रिमों के सम्बन्ध में सम्भव हानियों के प्रति बैंकों तथा अन्य वित्तिय संस्थानों को सहारा देने के उद्देश्य से 1960 में लघु उद्योगों के लिये "उधार गारंटी योजना" आरंभ की योजना का प्रशासन भारतीय रिर्जव बैंक (भा.रि.बैं.) को सौपा गया था जिसे "गारंटी संगठन" के रूप में अधिसूचित किया गया था।

अनुमान समिति (छटी लोक सभा) ने मार्च 1978 में पेश की गई अपनी 18वीं रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ सिफारिश की थी कि भा.रि.बै. द्वारा प्रशासित योजना को जमा बीमा तथा उधार गारंटी (ज.बी.उ.गा.नि.) के क्षेत्र में लाना चाहिए । औद्योगिक विकास के विभाग ने फरवरी 1979 में एक कार्यकारी दल का गठन किया जिसने अपनी रिपोर्ट सितम्बर 1979 में प्रस्तुत की दल ने अपनी रिर्पोट में अन्य बातों के साथ साथ सिफारिश की कि :-

(1) यह दोनों उधार संस्थानों और अन्ततः लाभभोगियों के लिये लाभप्रद है और प्रचालन के लचीलेपन की दृष्टि से भी कि योजना ज बी उ गा नि की अन्य गारंटी योजनाओं के साथ समेकित है।

(2) प्रस्तावित योजना के अधीन गारंटी फीस की दर वही होगी जोकि लागू है जैसे प्रति इकाई प्रप्ति संस्थान 25000 रू. तक के अग्रिमों के मामले में 0.25 प्रतिशत प्रति वर्ष तथा इससे अधिक के अग्रिमों के मामले में 0.50 प्रतिशत प्रतिवर्ष, लेकिन गारंटी दिये गये लेखों में बकाया शेषों पर संगणित किये गये।

(3) सरकारी देयताएं, निगम द्वारा सरकार की ओर से वहन की जाऐंगी जिससे निगम के दावें पूरे करने हेतु निधियों की व्यवस्था करनी चाहिए।

(4) प्रशासन की लागत, अब तक की भांति भा.रि.बै. द्वारा वहन की जायेगी।

(5) प्रभावित वसूलियों को निगम द्वारा रखने की अनुमति दी जाये जो सीमाओं के आधार पर की बजाय गारंटी दिये गये लेखों में बकायाओं पर आधारित गारंटी फीस की संगणना के सुझाये गये संशोधित उपाय के कारण राजस्व की हानि देयता के उच्च दावे जिनको इसे सौंपे जाने की आशा थी। तथा वसूली के लेखाबद्ध करने एवम् अनुसरण करने में अन्तर्ग्रस्त उच्च प्रशासनिक लागत के लिये उसकी आंशिक रूप से प्रतिपूर्ति करेगा।

मंत्रालय ने नवम्बर 1979 में कार्यकारी दल की सिफारिशों को पूर्णरूप से मान लिया तथा 31 मार्च 1981 को व्यवसाय के बन्द होने की तिथि से योजना को बन्द करने की राजपत्रित विज्ञप्ति जारी कर दी गई । गारंटी फीस की दर, तथापि, मंत्रालय द्वारा 1 अप्रैल 1981 से संशोधित कर दी गई थी।

निगम ने 1 अप्रैल 1981 को छोटे ऋणों (एस.एस.आई.) की एक दूसरी समानान्तर नई गारंटी योजना आरंभ की । यह निर्णय लिया गया था कि इस प्रकार की चालू गारंटीयां जो निगम की नई गारंटी योजना को स्थानांतरित नहीं की जा सकी थी

निगम को भा.रि.बै. के स्थान पर योजना के बाकी बचे कार्य को प्रशासित करने के लिये केन्द्रीय सरकारके एजेन्ट के रूप में कार्य करना होगा जिस को ऐसे दावों के लिये एक पृथक लेखा अनुरक्षित करना होगा जैसा भा.रि.बै. द्वारा किया जा रहा था। चालू योजना के अधीन ऐसे दावों की सरकार से प्रतिपूर्ति को प्राथमिकता दी जायेगी।

उन मामलों में, जहां निगम द्वारा गारंटीयां दी गई है और ऋणियों से ऋणों की वापस अदायगियों में चूके हैं, उधार देने वाले संस्थान गारंटीयों का सहारा ले तथा ऐसी गारंटी की राशि का निगम से दावा करे । निगम सरकार की ओर से दावे की अदायगी करनी है तथा बाद में सरकार से दावोंकी प्रतिपूर्ति करती है। साथ -साथ उधार देनदारों के विरूद्ध उधार देने वाले सस्थानों द्वारा कानूनी कार्यवाहियां शुरू की जाती हैं और परिणामत: ऐसी की गई वसूलियां ऐसी कार्यवाहियों पर हुए वास्तविक व्यय को कम करनेके बाद उनके द्वारा निगम को पारित कर दी जाती हैं जो उन्हें वसूलियों के रूप में मानते हैं।

निगम ने नवम्बर 1983 मे मंत्रालय को लिखा कि योजना से सम्बन्धित कार्य को निगम मुख्यालय के एस.एस.आई. उधार गारंटी विभाग के पूरे स्टाफ और नई दिल्ली, कलकत्ता मद्रास तथा बम्बई स्थित चार शाखाओं द्वारा किया जा रहा था। जनवरी से दिसम्बर 1982 अवधि के लिये स्टाफ पर वार्षिक व्यय की राशि 1.52 करोड़ रू. थी। निगम ने फरवरी 1984 में यह भी बताया कि अप्रैल 1981 में भा.रि.बै.द्वारा निगम को स्थानान्तरित किये गये 98.18 करोड़ रू. के बकाया दावे के अतिरिक्त 203 करोड रू. के दोषपूर्ण लेखें (जिनमें अप्रैल 1981 से पहले चूक की गई थी) भी सरकारी देयताएं थी। इस प्रकार अप्रैल 1981 को भारत सरकार की मूल देयताएं लगभग 300 करोड़ रू. बनी थी। निगम ने सरकार को इसके प्रस्ताव को सरकार की और से इसके द्वारा समाधान किये गये अदा दावे - लेखों की पूरी वसूलियां रखने के लिये अनुमति देने हेतु अनुमोदित करने के लिये अनुरोध किया । मंत्रालय ने निर्णय लिया और सितम्बर 1984 में संस्वीकृति प्रदान की कि निगम को अब तक की गई वसूलियों तथा उनका जो मार्च 1986 तक प्रभावित की जायेगी रखने की अनुमति प्रदान की जावे यद्यपि समेकित वित्त खंड ने सलाह दी कि इस एजेन्सी कार्य के कारण किये गये प्रशासनिक व्यय को पूरा करने के लिये निगम के एक वार्षिक अनुदान दिया जाना अधिक विवेकपूर्ण होगा। निगम के प्रशासनिक व्यय से सम्बन्धित मार्च 1986 के बाद वसूलियों के सम्बन्ध में स्थिति की समीक्षा की जानी थी।

निगम छः उधार गारंटी योजनाएं चला रहा था । इन योजनाओं में से एक के अधीन अर्थात छोटे ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना 1981, निगम ने अप्रैल 1981 से दिसम्बर 1987 के दौरान 412.40 करोड रू. की राशि वाले 1.98 लाख दावें निपटाये । इन दावों में से कुल 203.30 करोड़ रू. (49 प्रति शत) वाले 0.85 लाख दावे (43 प्रतिशत) सरकारी योजना की गणना में लिये गये । 1981-82 से 1986-87 के दौरान इसकी सभी योजनाओं के प्रशासन को चलाने के लिये निगम द्वारा किया गया कुल व्यय 10.72 करोड़ रू. था।

भारत स्रकार की एस.एस. आई (अब रद्द कर दी गई) की उधार गारंटी योजना के दावे अधा लेखों में 1986 के अन्त तक निगम द्वारा रखरी गई वसूलियों की कुल राशि 14.21 करोड़ रू. संगणित की गई ।

निगम ने मार्च 1986 के बाद दावे-अदा-लेखों में वसूलियों को रखने हेतु इसको अनुमति देने के लिये अगस्त 1986 में पुनः मंत्रालय से अनुरोध किया । मंत्रालय ने फरवरी 1988 में बकाया देयों के संग्रहण, स्टाफ के व्यय, इत्यादि के सम्बन्ध में आवश्यक विवरण मांगने का निर्णय लिया, जिनकी प्राप्ति पर वसूलियों को समानुपातिक आधार पर रखने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा। चूंकि निगम ने अपेक्षित सूचना नहीं भेजी, मंत्रालय ने दावे-अदा-लेखों के सम्बन्ध में मार्च 1986 के बाद वसूली गई राशि की वापसी के लिये कहा। निगम से अब तक (नवम्बर 1988) राशि की वसूली प्राप्त नहीं हुई थी।

इस प्रकार सरकार की ओर से योजना सम्बन्धित शेष निमार्ण कार्य पर निगम द्वारा किये गये निर्माण कार्य की मात्रा पर समानुपतिक व्यय पर ध्यान रखे बिना दावे-अदा लेखों में वसूलियों को रखने हेतु निगम को अनुमत करने के मंत्रालय के निर्णय से, सरकारी योजना को प्रशासित करने पर समानुपातिक व्यय से बहुत अधिक राशि को निगम द्वारा रखे जाने को बढ़ावा मिला।

सरकार निगम को, उसके द्वारा अदा किये गये दावों की प्रतिपूर्ति करती है तथा इस प्रकार दावें-अदा-लेखे में वसूली गई राशियां सरकार को प्राप्ति के रूप में जमा की जानी चाहिए। निगम को, डाक ऐजेन्ट के रूप में वसूली गई राशियों को रखने के लिये अनुमत करते हुए तथा उसे सरकारी उधार गारंटी योजना को प्रशासित करने की लागत के लिये अन्य बातों के साथ साथ विनियोजित करना, एक दत्तमत अनुदान के बिना प्रशासनिक लागत के लिये अदायगी करने के समान है।

मंत्रालय ने नवम्बर 1988 में बताया कि निगम को देयता, जो अनिश्चित प्रकृति की थी को पूरा करने हेतु भुगतान हुए दावों के प्रति वसूलियों को रखने के लिए अनुमत किया गया था क्योंकि गारंटी फीस की संगणना की संशोधित विधि के कारण निगम को हो सकने वाली संभाव्य हानि की आसानी से सही आकंडों में संगणना नहीं की जा सकती थी। इसके अतिरिक्त कार्य दल की सिफारिश के आधार पर निगम को योजना का स्थानांतरण एकमुश्त समझौता था तथा इस लिये निगम को केन्द्रीय बजट के माध्यम से अदा किये गये दावों के प्रति वसूलियों के पास करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता था। मंत्रालय का विचार स्वीकार्य नहीं किया जा सकता क्योंकि गारंटी फीस की दरें । अप्रैल 1981 से संशोधित की गई थी। आगे जैसे ही निगम केन्द्रीय सरकार के एजेन्ट के रूप में वसूलियां कर लेती हैं इन्हे भारत की समेकित निधि में क्रेडिट कर देना चाहिये, उन्हें योजना की प्रशासनिक लागत को पूरा करने के लिये विनियोजन करने को अनुमत करना अनियमित था।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

43. प्रकाशन विभाग

43.1 प्रस्तावना

प्रकाशन विभाग (विभाग) भारत में सबसे बड़े प्रकाशन संगठनों में से एक हैं। 1962 में मंत्रालय द्वारा बताए गए विभाग के कार्यों में, "भारत के बारे में देश तथा विदेश के सामान्य व्यक्तियों को ताजा तथा सही सूचना देने के विचार से, आन्तरिक तथा बाहरी प्रचार के राष्ट्रीय महत्त्व के मामलों पर लोकप्रिय इश्तहारों, पुस्तकों तथा जर्नलों के उत्पादन, बिक्री तथा वितरण हैं"।

विभाग द्वारा प्रकाशित की गई पुस्तकें सोदाहरण हैं और कला तथा संस्कृति, यात्रा तथा पर्यटन, राष्ट्रीय नेताओं के भाषण , भारत के महान सपूतों के जीवनवृत्त, गांधी जी से संबंधित साहित्य, स्वतंत्रता-आन्दोलन, विज्ञानशिक्षा पर सुप्रसिद्ध पुस्तकें, इतिहास संदर्भ तथा बच्चों के लिए लिखी गई विशिष्ट पुस्तकों इत्यादि जैसे विषयों पर होती है।

विभाग राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद इत्यादि जैसी संस्थाओं द्वारा प्रकाशित पुस्तकों की बिक्री का उत्तरदायित्व भी लेता है।

4 3 2 लेखा परीक्षा का क्षेत्र

लेखा परीक्षा द्वारा विभाग के 1983-84 से 1987-88 तक की अवधि के अभिलेखों की नमूना जांच मार्च से अक्तूबर 1988 के दौरान की गई थी। लेखा परीक्षा ने यह ध्यान में रखा है कि प्रकाशन विभाग का आदेश लाभ के उद्देश्य से नहीं है, तथा प्रभाग को शिक्षाप्रद तथा लाभप्रद साहित्य को उचित मूल्यों पर उपलब्ध कराना है तथा प्रकाशनों का एक महत्वपूर्ण संघटक नि:शुल्क वितरण के आशय से होता है क्योंकि वे प्रचार अभिमुख होते हैं।

43.3 संगठनात्मक ढांचा

विभाग मंत्रालय का एक आसक्त कार्यालय है। क्रियात्मक रूप से विभाग का कार्य मुख्यतय: चार खण्डों अर्थात (क) सम्पादकीय (ख) उत्पादन (ग) व्यापार तथा (घ) प्रशासन में व्यवस्थित है । फरवरी 1987 में, विभाग को उसकी कार्यप्रणाली के विभिन्न पहलुओं पर सलाह देने के लिए एक सलाहकार समिति गठित की गई थी।

43.4 विशिष्टताएं

- 1983-87 के दौरान इसकी वार्षिक प्राप्तिआंसे विभाग का कुल वार्षिक व्यय बढ़ गया था । तथापि, 1987-88 में व्यय प्राप्तियों से थोड़ा सा कम था।

- मार्च 1988 के अन्त में प्रभाग के पास 192 शीर्षों का संचित ढ़ेर था जिसमें से 119 शीर्ष सम्पादकीय पाईपलाइन में थे तथा 73 शीर्ष उत्पादन के विभिन्न चरणों में थे। 83 मामलों में मुद्रकों से प्रतियों की प्राप्ति में दो वर्ष तक का विलम्ब देखा गया था। ग्यारह मामले सम्पादकीय पाईपलाइन में पांच वर्षों से भी अधिक तक पड़े रहे थे।

- 39। नमून जांच किए गए मामलों में से 199 मामलों में, मुद्रणालय द्वारा मुद्रण में 72 मास तक का विलम्ब देखा गया था। मंत्रालय को आधुनिक पद्धतियां अपनाते हुए मुद्रण के वैकल्पिक स्त्रोतों की सम्भाव्यता की छानबीन करनी चाहिए तथा मुद्रणालय को कागज की सामयिक आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही करनी चाहिए।

- प्रभाग ने सरकारी मुद्रणालय में मुद्रित प्रकाशनों की कीमतें, अप्रैल 1977 में जनवरी 1985 तक निर्धारित दरों पर पुरानी तालिका के आधार पर नियत की 38 कार्यों में , मुद्रणालय द्वारा अप्रैल 1983 से जनवरी 1985 के दौरान प्रकाशनों के प्रति प्रभारित दरों तथा

पुरानी तालिका की दरों के आधार पर कीमतों के नियतन के कारण 22.45 लाख रू. का अन्तर परिकलित किया गया ।

- प्रचार सामग्री के मुद्रण के लिए मांग का उचित निर्धारण किया जाना चाहिए ताकि प्रकाशन विभाग पर अनबिकी प्रतियों का बोझ न पड़े जिसके फलस्वरूप निधियों का अवरोधन होता हो जिसे अन्यथा लाभप्रद प्रकाशनों के लिए उपयोग किया जा सकता हो।

- 221.72 लाख रू. मूल्य की पुस्तकें अनबिकी रह गई थी। मंत्रालय भी, आकाशवाणी तथा दूरदर्शन, जो कि इसी मंत्रालय के अध्यधीन एजेंसियां हैं, के माध्यम से बिक्री में वृद्धि के प्रयत्न कर सकता था।

- कई वर्षों से वार्षिक प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था। जब मंत्रालय लेखापरीक्षा निष्कर्षों से सहमत था, तथापि उसने, केवल इसी कार्य को करने के लिए एक आन्तरिक निरीक्षण कक्ष के सृजन के लिए, उनके द्वारा प्रस्तावित कार्यवाही को निर्दिष्ट नहीं किया।

- 1983–84 से 1987–88 वर्षों के दौरान विभाग की तथा लेखा कार्यालय की पुस्तकों के बीच 4.03 करोड़ की राशि के अन्तर बिना समाधान के ही रह गए थे।

- 25.79 लाख रू. मूल्य के कागज का उपभोग लेखा, मुद्रणालय द्वारा, विभाग को प्रस्तुत नहीं किया गया था।

43.5 वित्त

1983–84 से 1987–88 तक स्वीकृ बजट तथा विभाग चलाने पर किया गया व्यय तथा पुस्तकों, जर्नलों की बिक्री तथा विज्ञापनों से उनकी प्राप्तियां निम्नानुसार थीं:–

(लाख रूपयों में)

	प्रकाशन विभाग			रोजगार समाचार		प्राप्तियां
वर्ष	स्वीकृत बजट	व्यय	प्राप्तियां	स्वीकृत बजट	व्यय	प्राप्तियां
1983–84	177.00	199.60	150.36	122.06	121.59	170.24
1984–85	201.63	270.91	141.64	124.76	130.08	175.45
1985–86	284.50	297.43	226.42	141.79	162.22	189.31
1986–87	325.81	332.78	175.69	141.55	160.28	245.50
1987–88	345.49	336.76	246.11	169.00	223.55	315.85

मार्च 1988 को समाप्त हुए पांच वर्षों के लिये विभाग की प्राप्तियों तथा व्यय की संक्षिप्त स्थिति परिशिष्ट – 7 में दी गई है।

1986–87 तक विभाग का व्यय इसकी प्राप्तियों से बढ़ गया था, अधिकता 1983–84 में 0.57 लाख रू. से 1984–85 में 83.97 लाख रू. के बीच घटी बढ़ी थी। 1987–88 के दौरान आय 1.65 लाख रू. के थोड़े से अन्तर से व्यय से बढ़ी थी।

1987–88 के दौरान नकद आधार पर कार्य–परिणामों में सुधार, मुख्यतः 1986–87 के पश्चात बाहरी संस्थाओं द्वारा प्रकाशित पुस्तकों की बिक्री पर कमीशन §61.17 लाख रू.§ तथा रोजगजार समाचारों से प्राप्तियों §70.35 लाख रू. में वृद्धि के कारण था। दूसरी और विभाग की अपनी पुस्तकों की बिक्री से प्राप्तियां 1986–87 में 78.89 लाख रू. से 1987–88 में 61.05 लाख रू. तक घटी थी।

43.6 प्रकाशन

प्रभाग में, 1982–87 के दौरान 438 पुस्तकों के लक्ष्य के प्रति 493 पुस्तकें प्रकाशित की थी जो कि प्रोत्साहक है। तथापि, प्रभाग ने मूल शीर्षों तथा पुनर्मुद्रणों के प्रकाशन के पृथक लक्ष्य नियत नहीं किए। मार्च 1988 के अन्त में, प्रभाग के पास 192 शीर्षों का संचित ढेर था जिसमें से 119 शीर्ष सम्पादकीय पाईपलाइन में थे तथा 73 शीर्ष उत्पादन के विभिन्न चरणों में थे। लेखापरीक्षा में 11 मामले देखे गए जिनमें पुस्तकें पांच वर्षों से अधिक के लिए सम्पादकीय पाईपलाइन में पड़ी थीं।

यह भी देखा गया था कि प्रभाग ने 20 तथा 100 की संख्या के बीच अग्रिम प्रतियों की प्राप्ति पर प्रकाशनों को जारी किया गया दर्शाया गया था जबकि शेष प्रतियां काफी समय बाद प्राप्त हुई थी। भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के संघ सरकार §सिविल § के वर्ष 1982–83 के प्रतिवेदन के पैराग्राफ 27 में प्रकाशन की अग्रिम प्रतियों तथा शेष प्रतियों की प्राप्ति के बीच लम्बे समयन्तराल का उल्लेख किया गया था। मंत्रालय ने सितम्बर 1987 में बताया कि निदेशालय मुद्रण, प्रबन्धक भारत सरकार मुद्रणालय तथा प्राइवेट मुद्रक जैसे संबंधित संगठनों को जहा संभव था, विशेष शीर्ष के मुद्रण से सम्बन्धित समस्याओं को सुलझाने के लिए सरकारी तथा निजी दोनों तौर पर सिफारिश की गई थी। प्रभाग के अभिलेखों की जांच से प्रकट हुआ कि 83 मामलों की शेष प्रतियों की प्राप्ति के लिए लिया गया समय दो वर्षों के बीच वर्गीकृत था जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:–

1983–88 के दौरान सूचना में आए मामलों की संख्या	प्रकाशन की प्रतियों की	अग्रिम प्रतियों प्राप्ति में अन्तराल			तथा शेष
	1–3 मास	3–6 मास	6–9 मास	9–12 मास	1–2 वर्ष
83	29	18	9	8	19

मंत्रालय ने मार्च 1989 में बताया कि विलम्ब मुख्यत: बाहर स्थित मुद्रणालय के कारण था। तथापि, प्रभाग द्वारा, अग्रिम प्रातियों तथा शेष प्रतियों के अन्तर को कम करने के लिए, प्रभावी पग उठाए जाने थे।

43.7 मुद्रण

प्रभाग की सम्पादकीय शाखा अपनी उत्पादन शाखा की सम्पादित हस्तलिपियां आगे, संचरण के लिए मुद्रण हेतु मुद्रणालय को भेजती हैं। उत्पादन शाखा में हस्तलिपियों की प्राप्ति तथा उन्हें मुद्रण के लिए मुद्रणालय में भेजने के बीच असाधारण विलम्बों का , उसी प्रतिवेदन के पैराग्राफ 27 में संकेत किया गया था। मंत्रालय ने सितम्बर 1987 में बताया था कि प्रभाग को शीर्षों तथा उनके प्रकाशनों के लिये प्रैस नियत करने से पहले कुछ कठिनाइयों, जैसे कि तकनीकी स्टाफ द्वारा परीक्षण, निर्धारित सरकारी प्रक्रियाओं का अनुपालन, काम न ले सकने की स्थिति में सरकारी मुद्रणालय से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करना, निविदाएं आमंत्रित करना आदि, का सामना करना पड़ता था। जैसा कि 387 मामलों की नमूना जांच से प्रकट हुआ, निम्न विवरण के अनुसार इस प्रकार के विलम्ब जारी रहे थे:

उत्पदन शाखा द्वारा विलम्ब

वर्ष	मुद्रणालय को कार्यों के आबंटन में विलम्ब				
	नमूना जांच की संख्या	छ:मास से कम	छ:मास से एक वर्ष से कम तक	एक वर्ष से दो वर्षों से कम तक	पांच वर्षों से कम
1983–84	89	65	18	4	2
1984–85	79	60	13	5	1
1985–86	65	55	7	2	1
1986–87	91	79	9	2	1
1987–88	63	50	6	6	1

मुद्रणालय द्वारा मुद्रण में और अधिक विलम्ब थे। नमूना जांच किए मामलों 391 में से, 199 मामले 51 प्रतिशत ऐसे थे जिनमें विलम्ब एक वर्ष से छ: वर्षों से भी अधिक के बीच थे। ये विलम्ब , 11 कम मुद्रण आदेशों तथा विभाग की ओर से मुद्रकों के पूर्ववर्ती बिलों के निपटान में देरी,

के कारण मुद्रकों के काम लेने में अरूचि §2§ मुद्रणालय को कागजों की आपूर्ति में देरी §3§ मुद्रणालय को विभाग इत्यादि द्वारा प्रूफों की वापसी में देरी, पर आरोपित थे।

मंत्रालय को, आधुनिक प्रौद्योगिकी अपनाते हुए मुद्रण के वैकल्पिक स्त्रोतों की संभाव्यता की छानबीन करनी चाहिए । तथा मुद्रणालय को कागज की समायिक आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये कार्यवाही करनी चाहिए।

इन कमियों को ध्यान में रखते हुए, सलाहकार समिति ने अगस्त 1987 में निर्णय किया कि एक लेखक को एक पुस्तक लिखने के लिए दो वर्ष तक का समय दिया जाए, सम्पादन के लिए छः मास दिए जाएं तथा उत्पादन खंड को इसे अधिकतम छः माह से एक साल के अन्दर प्रकाशित करना चाहिए। मंत्रालय ने मार्च 1989 में बताया कि "पुस्तकें के उत्पादन की प्रक्रिया में किसी सम्भावित विलम्ब को समाप्त करने के सभी प्रयत्न किये जाते हैं"।

43.8 मूल्य निर्धारण नीति

मंत्रालय द्वारा जुलाई 1968 में जारी संशोधित आदेशों के अनुसार, विभाग प्रकाशनों की कीमतें, क्रमशः निजी तथा सरकारी मुद्रणालयों में मुद्रित प्रकाशनों के उत्पादन की प्रत्यक्ष लागत से 100 तथा 125 प्रतिशत से ऊपर की न्यूनतम दर पर निर्धारित कर रहा था।

सरकारी मुद्रणालयों में मुद्रित पुस्तकों के मामले में प्रकाशनों के मूल्य । अप्रैल 1977 से प्रभावित मुद्रण निदेशालय की दरों की अनुसूचित में दी गई दरों पर संगणित उत्पादन की अनुमानित लागत संदर्भ में निश्चित किये गये थे। तथापि, सरकारी मुद्रणालयों द्वारा मुद्रण के लिए बिल उच्च दर पर दावा किये गये थे न कि दरों की अनुसूचि के आधार पर । 1977 की दरों की पुरानी अनुसूचि पर आधारित मंडल के प्रकाशनों के अव-मूल्यांकन से सम्बन्धित भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के उसी प्रतिवेदन के पैरा 27 में वर्णन किया गया था। मंत्रालय ने सितम्बर 1987 में बताया था कि दरों की अनुसूचि मुद्रण निदेशालय द्वारा संशोधनाधीन बताई गई थी। अप्रैल 1983 से जनवरी 1985 के दौरान प्रकाशनों के सम्बन्ध में पुरानी दरों की अनुसूचि पर आधारित मूल्य को निश्चित करने के कारण अंतर की, मुद्रणालय द्वारा प्रभारित दरों से तुलना करने पर यह 22.45 लाख रू. निकलता था।

जनवरी 1985 में, §मंडल द्वारा फरवरी 1985 से प्रभावित किया गया § मंत्रालय ने बढ़ी हुई लागत का ध्यान रखने के लिये दरों की अनुसूचि पर आधारित संचालन लागत में 100 प्रतिशत अधिभार जोड़ने का निर्णय लिया । तथापि, 100 प्रतिशत अधिभार का सम्मिलित करने के बावजूद, विभाग को फरवरी 1985 से मार्च 1988 के दौरान जारी 54 शीर्षकों में से 16 पर 14.15 लाख रू. का अतिरिक्त व्यय वहन करना पड़ा था।

यह पुनः देखा गया था कि प्रभाग ने उत्पादन लागत से विभाग के गोदाम से कागजों के उठाने तथा उनहें मुद्रणालय ले जाने पर हुए ढुलाई तथा अन्य प्रासंगिक प्रभार सम्मिलित करने से छोड़ दिया । ये प्रभार प्रत्येक उत्पादन पर औसतन 175 रू. परिकलित हुए थे। विभाग ने कागज के ढुलाई प्रभारों की वसूली करने में चूक के कारण 1983-84 से 1987-88 के दौरान प्रकाशित 453 प्रकाशनों §मूल्य-रहित को छोड़ते हुए§ के मामले में 1.67 लाख रू. के राजस्व की हानि उठाई। मंत्रालय ने मार्च 1989 में बताया कि अब से ढुलाई

प्रभार उत्पादन की प्रत्यक्ष लागत के रूप में गिना जायेगा।

43.9. जर्नल

विभाग 21 जर्नल प्रकाशित करता था जिसमें तीन साप्ताहिक, ग्यारह पाक्षिक, पांच मासिक तथा दो तिमासिक शामिल थे । इनमें से, इंडियन एंड फारन रिव्यू (अंग्रेजी) तथा कुरूक्षेत्र (अंग्रेजी तथा हिन्दी क्रमशः विदेश मंत्रालय तथा ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से प्रकाशित होते हैं ।

लोक लेखा समिति ने अपने 38 वें प्रतिवेदन (तीसरी लोकसभा- 1964 -65) तथा फिर 76 वें प्रतिवेदन (पांचवीं लोकसभा- 1972-73) में अवलोकित किया था कि "जर्नलों की व्यापारिक व्यवहार्यता को नजर अन्दाज नहीं किया जा सकता है तथा कि मंत्रालय को अर्थोपाय खोजने चाहिये तथा विज्ञापनों को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त कदम उठाने चाहिये ताकि हानियों को न्यूनतम किया जा सके" । तथापि, "रोजगार समाचार" के अतिरिक्त अन्य प्रकाशनों पर विज्ञापनों से राजस्व 1983-84 में 4.83 लाख रू. से अनवरत घटकर 1986-87 में 1.65 लाख रू. हो गया तथा 1987-88 में 2.29 लाख रू. की वृद्धि के बावजूद, अभी भी 1983-84 के राजस्व के 50 प्रतिशत से कम था।

विभाग ने जर्नलों के लेखे की वार्षिक लाभ तथा हानि विवरणी तैयार नहीं की थी। विभाग इन जर्नलों की बिक्री में 1987-88 तक की पांच वर्षों में से तीन में 29.05 लाख रू. की सीमा तक, 1983-84, 1984-85 तथा 1986-87 में क्रमशः 29.05 लाख रू. , 35.48 लाख रू. तथा 27.78 लाख रू. की हानियां उठाई, परिणामस्वरूप 59.09 लाख रू.की निवल हानि हुई

मंत्रालय ने मार्च 1989 में निम्नानुसार बताया :

"यह भी जोर देकर दोहराया जा सकात है कि प्रकाशन विभाग के जर्नलों के मामले में हानि का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता क्योंकि वे मूल रूप से प्रचार अभिमुख हैं, तथा यह भी कि इन जर्नलों को विशिष्ट अवयव विशेषकर योजना के प्रत्यक्ष कारणों से मुफ्त बांटे जाते हैं। इसलिए, प्रकाशन विभाग के जर्नलों के लिए हानि की धारणा को प्रयुक्त करना दृष्यविधाइन का सही विश्लेषण नहीं होगा"।

मंत्रालय ने यह भी बताया कि विज्ञापन दरें जनवरी 1974, जुलाई 1980 तथा जनवरी 1988 में संशोधित की गई थी तथा, जर्नलों के बिक्री मूल्य 1974, 1976 , 1980 तथा 1984 में संशोधित किये गये थे। तथापि, लेखा परीक्षा द्वारा यह अवलोकित किया गया था कि 1983-84 से 1986-87 के दौरान जर्नलों के मूल्य उत्पादन की लागत से 16 से 500 प्रतिशत कम थी।

43.10 बिना बिके प्रकाशन

प्रकाशन आमतौर पर उन के जारी होने के दो-तीन वर्षों के अन्तर सारी मात्रा की बिक्री तथा एक शीर्षक की 40 से 60 प्रतिशत प्रतियों की संख्या की उस के प्रशान के एक साल के अन्दर बिक्री के उद्देश्य से सम्भावित बिक्री के आधार पर प्रकाशित करने चाहिए। 31 मार्च 1988 को विभाग के पास 1980-88 के दौरान

उत्पादित 221.72 लाख रू. (बिक्री कीमत) मूल्य की बिना बिकी पुस्तकों का निम्नानुसार भंडार था:-

वर्ष	शीर्षकों की संख्या (पुनः मुद्रण सहित)	मुद्रित प्रतियों की संख्या	बिक्री प्रतियों की संख्या	उत्पादित पुस्तकों की कीमत	बिक्री पुस्तकों की कीमत	बिना लागत की बांटी गई पुस्तकों की कीमत	बिना बिके भंडार की कीमत
				(लाख रूपयों में)			
1980-81	99	3.02	1.12	39.97	25.61	1.84	12.52
1981-82	113	7.79	6.92	65.59	53.63	1.59	10.37
1982-83	111	3.45	1.76	63.91	25.78	2.50	35.63
1983-84	104	2.48	1.42	45.45	24.12	2.23	19.10
1984-85	87	3.07	1.37	44.34	16.35	1.80	26.19
1985-86.	112	10.31	9.52	108.83	79.42	2.07	27.34
1986-87	94	4.88	2.77	74.49	32.93	2.84	38.72
1987-88	88	2.56	0.39	71.59	17.76	1.98	51.85
जोड़:	808	37.56	25.27	514.17	275.60	16.85	221 .72

मार्च 1988 तक बिना बिकी प्रतियों की 1980-81 से 1985-86 के दौरान मुद्रित प्रतियों से प्रतिशतता 12 (1981-82) से 48 (1982-83) के बीच थी। बिना बिकी पुस्तकों के कुल मूल्य में से, 32.64 लाख रू. मूल्य की पुस्तकें क्षेत्रीय भाषाओं में थी। सलाहकार समिति ने अगस्त 1987 में अनुशंसा की, कि भाषायी प्रकाशन केवल राज्य अकादमियों द्वारा प्रकाशित किये जाने चाहिए। परन्तु अब तक विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई थी (जनवरी 1989)।

कुछ पुस्तकों के शीर्षक ऐसे हैं कि उनकों सामान्य जनता में बड़े पैमाने पर बिक्री योग्य बनाना, उनके केवल प्रचार सामग्री वाले होने के कारण, मुश्किल होगा। सरकारी कार्यालय तथा संस्थान सम्भावित खरीदार होंगे। इस श्रेणी के प्रकाशनों की मांग का एक समुक्ति निर्धारण किया जाना चाहिए ताकि प्रकाशन विभाग पर बिना किसी पुस्तकों का भार न पड़े जिससे निधिरूों का अवरोधन हो जिनको कि दूसरे ढंग से लाभप्रद प्रकाशनों के लिए उपयोग किया जा सके।

मद्रास में 1981 में पुस्तकों की बिक्री के लिए एक अग्रगामी परियोजना प्रारंभ की गई थी जिसकी इसकी सफलता के आधार पर 14 मार्च 1982 से कलकत्ता में इसी प्रकार की परियोजना द्वारा अनुसरण किया जाना था। परियोजना का उद्देश्य अन्य बातों के साथ- साथ शिक्षित बेरोजगार युवकों को लाभदायक रोजगार अवसर उपलब्ध कराने के साथ समाज के प्रतिनिधिक वर्गों को प्रकाशन उपलब्ध कराना था। परियोजना असफल रही क्योंकि विभाग द्वारा इस योजना को विद्यार्थियों तथा बेरोजगार युवकों में लोकप्रिय बनाने के लिए कोई गम्भीर प्रयत्न नहीं किये गये थे।

मंत्रालय ने मार्च 1989 में बताया कि प्रकाशनों की बिक्री को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली प्रयत्न किये जा रहे थे। मंत्रालय द्वारा, महत्वपूर्ण पुस्तक मेलों में भाग लेना, पुस्तक प्रदर्शनियां आयोजित करना, विस्तृत सूचियों का वितरण, एक चलते फिरते पुस्तक वाहन को प्रारम्भ करना, महत्वपूर्ण दैनिक पत्रों के माध्यम से विज्ञापन, नामों से विभिन्न बिक्री प्रोत्साहन कदम उठाये गये बताये गये थे।

मंत्रालय बिक्री प्रोत्साहन प्रयत्नों हेतु आकाशवाणी तथा दूरदर्शन का प्रयोग कर सकता था क्योंकि ये एजेंसियां भी उसी मंत्रालय के अधीन हैं।

43.11 बकाया देय

प्रभाग द्वारा विभिन्न बिक्री तथा रिटेन पार्टियों, सरकारी विभागों तथा विज्ञापन एजेंटों को आपूर्त की गई पुस्तकों की वसूली के प्रति 31 मार्च 1988 को 133.69 लाख रू. की राशि बकाया थी। बकाया 1983-84 में 75.39 लाख रू. से बढ़ कर 1987-88 में 133.69 लाख रू. हो गए थे। 31 मार्च 1988 को 133.69 लाख रू. बकाया में से , 130.15 लाख रू. रोजगार समाच की विज्ञापनों से सम्बन्धित थे।

विभाग ने जनवरी 1989 में बताया 1988-89 के दौरान 130.15 लाख रू. में 94.87 लाख रू. वसूल कर लिए गए थे त 35.28 लाख रू. विज्ञापन तथा दृश्य प्रच निदेशालय/संघ लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चय आयोग [20.04 लाख रू.] रेलवे सेवा आयोग राज्य सरकारों [10.07 लाख रू.] तथा विज्ञाप एजेंसियों [5.17 लाख रू.] से बकाया थे। 35.2 लाख रू. की बकाया राशि का विश्लेषण करने से पा लगा था कि 7.12 लाख रू. 1985-86 की अवधि संबंधित थे।

43.12 प्रत्यक्ष सत्यापन

विभाग के पास नौ केन्द्र हैं जहां प विभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तकों की बहुत बड़ी मात्र का भंडारण तथा बिक्री की जाती है। सात केन्द्र अर्थात छः एम्पोरियम तथा एक पोषक केन्द्र देहली बाहर स्थित है तथा एक एम्पोरियम और एक वर्तमान भंडार देहली में स्थित है । 1987-88 के वर्ष के अन्त तक किसी एक केन्द्र का भी वार्षिक प्रत्यक्ष सत्यापन पूरा नहीं था। विभिन्न एम्पोरियमों क अधूरा तथा बेतरबीब प्रत्यक्ष सत्यापन केवल नवम्बर 1983 से अप्रैल 1987 के दौरान की अवधि का था। इस प्रकार, वर्षों की संख्या जिन का प्रत्यक्ष सत्यापन बकाया था एक से पांच वर्षों के बीच थी। प्रत्येक एम्पोरियम की कमियां बट्टे खाते डाली जा रही थीं तथा अधिकताओं को बिना किसी जांच के अभिलेखों में लिया जा रहा था जिससे भौतिक सत्यापन का यथार्थ उद्देश्य अप्रभावी हो रहा था।

विभाग ने नवम्बर 1988 में बताया कि प्रत्यक्ष सत्यापन कर्मचारियों की कमी के कारण बकाया था। यह स्वीकृत करते हुए कि प्रत्यक्ष सत्यापन में आम तौर पर विलम्ब हो जाता था, मंत्रालय ने मार्च 1989 में बताया कि ऐसा सत्यापन बिना किसी बकाया के सरल ढंग से केवल तभी किया जा सकता था जबकि सही ढंग से कार्य की अनन्य रूप से देख-रेख करने हेतु एक आंतरिक निरीक्षण कक्ष बनाया जाता । तथापि, मंत्रालय ने यह नहीं दर्शाया कि क्या उन के द्वारा कोई कार्यवाही की जा रही थी।

बिक्री एम्पोरियमों को सारे भाग लेने वाले संगठनों को अपने स्टाक के शेष की शुद्धता तथा मूल्यांकन की पुष्टि के लिए बिक्री तथा स्टाक की अर्द्ध-वार्षिक विवरणियां प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली ने मई 1986 तथा अक्तूबर 1987 में इंगित किया कि बिक्री एम्पोरियम कलकत्ता द्वारा, 1 अप्रैल 1982 से 30 सितम्बर 1982 तथा 1 अक्तूबर 1982 से 31 मार्च 1983 की अवधि की भेजी गई पाठ्य पुस्तकों की बिक्री विवरणी में, 4.05 लाख रू. के मूल्य की 15,655 पुस्तकें लेखाबद्ध नहीं की गई थीं। इन में से अभी तक एम्पोरियम ने 0.74 लाख रू. की पुस्तकों का समाधान किया था। इस प्रकार 3.31 लाख रू. की पुस्तकें अभी तक (जुलाई 1988) बिना समाधान के पड़ी थीं।

43.13 लेखों का समाधान

दिल्ली इकाई से सम्बन्धित विभाग के प्रकाशनों की बिक्री आय, वेतन एवं लेखा कार्यालय, विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार निदेशालय इत्यादि की बहियों में लेखाबद्ध की जाती है। दिल्ली से बाहर स्थित बिक्री एम्पोरियां की बिक्री आय, क्षेत्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालयों द्वारा लेखाबद्ध की जाती है। इसके पश्चात मंत्रालय के प्रधान लेखा कार्यालय में इनको समेकित किया जाता है।

प्रभाग की बहियों के अनुसार प्रकाशनों की बिक्री- आय के लेखों तथा उप नियंत्रक लेखा, सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय की बहियों में लेखाबद्ध लेखों में बहुत अधिक अन्तर था। 1983-84 से 1987-88 वर्षों के लिए 4.03 करोड़ रू. की राशि बिना समाधान के ही रही। प्रभाग द्वारा इन अन्तरों के सामाधान के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए थे (जून 1988)।

रोजगार समाचार के मामले में, 44.80 लाख रू. की राशि वर्ष 1983-84 से 1987-88 के लिए बिना समाधान के ही पड़ी रही ।

43.14 कागजों का उपभोग

निजी तथा सरकारी मुद्रणालय में मुद्रित विभिन्न पुस्तकों तथा जर्नलों हेतु कागजों की आपूर्ति विभाग द्वारा की जाती है। मुद्रणालय को किसी विशेष मुद्रण कार्य के समापन पर विभाग को उपभोग किए गए कागजों का लेखा प्रस्तुत करना अपेक्षित है। 1982-83 तथा इस के बाद के वर्षों के उपभोग रजिस्टरों के पुनरीक्षण से प्रकट हुआ कि 29 मुद्रणालयों (निजी 19 तथा सरकारी 10) को 25.79 लाख रू. लागत के 5014 रिम कागजों का उपभोग लेखा 1987-88 तक प्रस्तुत नहीं किया गया था।

मंत्रालय ने मार्च 1989 में बताया कि 19 निजी मुद्रणालयों में से 13 से कागज खाता प्राप्त हो गया था ।

44. निजी निक्षेप खाता

(क) सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अगस्त 1969 में वर्गीकृत विज्ञापनों तथा अन्य प्रसार कार्यों को प्रदर्शित करने तथा उसके माध्यम से इस प्रकार के कार्य हेतु भुगतान के लिए भारत सरकार के अधीन स्वायत्त निकायों तथा अर्ध-सरकारी निकायों से अग्रिमों में प्राप्त राशि को जमा कराने के लिए विज्ञापन और दृष्य प्रचार निदेशालय (वि दृ प्र नि) को किसी कोषालय (अब भारतीय रिजर्व बैंक) में निजी निक्षेप खाता खोलने की अनुमति प्रदान की । वि दृ प्र नि द्वारा प्रत्येक त्रैमास के अंत में प्राप्त की गई राशि उससे विभिन्न विज्ञापनों पर किया गया व्यय समायोजित किये गये अधिभार आदि तथा शेष को दिखाते हुए एक लेखा प्रत्येक स्वायत्त अथवा अर्ध-सरकारी निकाय को पेश किया जाना था।

31 मार्च 1987 को, 148 स्वायत्त निकायों से जिन्होंने अपने विज्ञापनों, प्रदर्शनों इत्यादि के लिए राशि पेशगी में जमा नहीं कराई 65.04 लाख रू. की राशि वसूली योग्य थी।

यह भी सूचित हुआ था कि प्रत्येक स्वायत्त निकाय को शेषों के त्रैमासिक हिसाब भेजने की प्रक्रिया जैसा कि अपेक्षित था, न तो वि दृ प्र नि द्वारा अनुपालना की गई थी और न ही जमाकर्त्ताओं से शेषों की विशुद्धता के वार्षिक प्रमाणपत्र प्राप्त किये गये थे। वि दृ प्र नि द्वारा अनुरक्षित की गई लेजरों में प्रविष्टियां भी अधूरी थीं। वि दृ प्र नि द्वारा यह बताया गया था कि ये कर्मचारियों की कमी के कारण था।

(ख) यह आगे सूचित हुआ था कि मंत्रालयों/भारत सरकार के विभागों से उनके विज्ञापनों आदि पर व्यय से निपटने के लिए वि दृ प्र नि द्वारा अग्रिम में प्राप्त राशियां भी भारत सरकार से बिना किसी अनुमति के इस खाते में जमा की गई थी तथा ऐसे निक्षेपों के विशाल अव्ययित शेष वर्ष प्रति वर्ष आगे ले जाये जा रहे थे और मंत्रालयों/संबधित विभागों को लौटाए नहीं गये थे। इस प्रकार सरकारी धन बिना किसी वैध संस्वीकृति के भारत की समेकित निधि से बाहर रहा था। 31 मार्च 1987 को, 15 मंत्रालयों/सरकारी विभागों से 1981-82 से 1986-87 के दौरान ऐसे निक्षेपों से प्राप्त राशि तथा बिना खर्च किये/बिना लौटाई गई पड़ी रही 307.75 लाख रूपये बनी । वि दृ प्र नि भी मंत्रालयों/सरकारी विभागों से अप्राधिकृत ढंग से विभागीय प्रभारों की वसूली कर रहा था।

मंत्रालय ने जनवरी 1988 में बताया कि सरकारी विभागों/ मंत्रालयों द्वारा जमा की गई तथा निजी निक्षेप खाते में क्रेडिट की गई राशि को वापिस लिया जाएगा तथा "8443 सिविल डिपाजिट-111 अन्य विभागीय डिपाजिट" के अंतर्गत रखा जाएगा और इन विभागों से देय होने वाली राशियों के प्रति समायोजित कर दिया जाएगा।

अंडमान व निकोबार प्रशासन

45. एक चलचित्र कैमरे पर निधियों का अवरोधन

अंडमान व निकोबार प्रशासन ने, सूचना प्रचार तथा पर्यटन, निदेशालय के अंतर्गत फिल्म यूनिट को सुदृढ करने हेतु नवम्बर 1985 में 2.13 लाख रूपये की लागत पर 16 मी.मी. का एक स्विस बोलेक्स पिलर्ड चलचित्र कैमरा खरीदा। मई 1987 में यह सूचित किया गया कि कैमरा सम्भाव्यत: इसकी मोटर में खराबी के कारण काम नहीं कर रहा था। कैमरे के संचालन के लिए कोई टैक्नीशियन/ कैमरा

मैन नियुक्त नहीं किया था। सही ध्वनि रिकार्ड करने के लिए भी कोई प्रबंध अथवा व्यवस्था नहीं थी।

कैमरा अपनी खरीद के समय से अप्रयुक्त पड़ा हुआ है (अगस्त 1988)। कैमरे की खरीद पर किया गया 2.13 लाख रूपये का समस्त व्यय फिजूल परिव्यय में परिणित हुआ तथा निधियों का अवरोधन सिद्ध हुआ।

मंत्रालय को मामला जून/सितम्बर 1985 में सूचित किया गया था, उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 1989)।

श्रम मंत्रालय

रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय

46. प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 के प्रावधानों का कार्यान्वयन

46.1 प्रस्तावना

उद्योग में प्रशिक्षुता प्रशिक्षण कार्यक्रम (एतदुपरान्त कार्यक्रम के रूप में संदर्भित), को उद्योग में प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण तथा एतद् संबंधी विषयों के नियमन एवं नियंत्रण हेतु, प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 के विधिकरण द्वारा सांविधिक बनाया गया था। अधिनियम के निम्न प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार थे;

(1) उद्योग में प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम का नियमन करना जिससे यह केन्द्रीय प्रशिक्षुता परिषद् द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम तथा प्रशिक्षण अवधि आदि, के अनुसार हो सके; एवं

(2) उद्योगों में कुशल कर्मचारियों की आवश्यकता की पूर्ति के उद्देश्य से व्यावहारिक प्रशिक्षण देने हेतु उद्योग में उपलब्ध सुविधाओं के सम्पूर्ण उपयोग करने के लिए।

अधिनियम का कार्यान्वयन सिक्किम के अतिरिक्त समस्त देश में, प्रशिक्षुता नियमावली 1962 बनाने के बाद जनवरी 1963 में प्रारम्भ हुआ। इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी में स्नातकों तथा उपाधिधारियों के प्रशिक्षण को सम्मिलित करने के लिए 1973 में अधिनियम को संशोधित किया गया था।

अधिनियम, सार्वजनिक तथा निजी दोनों क्षेत्रों में नियोजकों के लिए, अकुशल कर्मचारियों के अतिरिक्त कर्मचारियों के प्रशिक्षुओं के साथ, 139 नामित शिल्पों में, प्रत्येक शिल्प के लिए नियमों में निर्धारित अनुपात में शिल्प प्रशिक्षुओं का नियोजन अनिवार्य बनाता है।

वर्तमान में अधिनियम के अन्तर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम की चार श्रेणियां उपलब्ध है, नामतः (1) शिल्प प्रशिक्षु (2) स्नातक प्रशिक्षु, (3) तकनीशियन प्रशिक्षु तथा (4) तकनीशियन (व्यावसायिक) प्रशिक्षु (दिसम्बर 1987 में प्रारंभ)।

शिल्प प्रशिक्षुओं को, नामित शिल्पों पर आधारित सम्बद्ध अनुदेशों सहित छः मास से चार वर्षों के लिए आधारभूत एवम् व्यावहारिक प्रशिक्षण में प्रशिक्षित किया जाना होता है।

46.2 लेखा परीक्षा का क्षेत्र

1982-83 से 1987-88 के दौरान श्रम एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालयों तथा नामतः सात राज्यों - गोवा, हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा संघ क्षेत्र चंडीगढ़ में अधिनियम के कार्यान्वयन सम्बंधी अभिलेखों की जांच के दौरान दृष्टिगत बाते निम्नलिखित पैराग्राफों में वर्णित की गई हैं।

46.3 संगठनात्मक ढांचा

केन्द्रीय क्षेत्र में, कार्यक्रम के कार्यान्वयन की देखभाल, श्रम मंत्रालय, रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय (रो.प्र.म.नि) द्वारा बम्बई, कलकत्ता, फरीदाबाद, हैदराबाद, कानपुर और मद्रास स्थित छः क्षेत्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण निदेशालयों (प्र.प्र. नि.) के माध्यम से करी जाती है।

राज्य क्षेत्र में कार्यक्रम के कार्यान्वयन की देखभाल सम्बद्ध राज्य प्रशिक्षुता सलाहकारों (रा प्र स) द्वारा की जाती है। स्नातकों तथा टकनीशियन (व्यावसायिक) सहित टेकनीशियन प्रशिक्षुओं, के प्रशिक्षण की देखभाल मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) द्वारा बम्बई, कलकत्ता, कानपुर और मद्रास स्थित चार क्षेत्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्डों (प्र प्र बो) के माध्यम से की जाती है। तथापि, अधिनियम के कार्यान्वयन का समग्र उत्तरदायित्व श्रम मंत्रालय में केन्द्रीय प्रशिक्षुता परिषद् (के प्र प) का होता है। इसी प्रकार की प्रशिक्षुता परिषद् राज्य सरकारों/संघ क्षेत्रों द्वारा भी स्थापित की गई हैं।

46.4 विशिष्टतायें

- प्रशिक्षण स्थलों एवम् प्रतिष्ठानों के एकात्मीकरण हेतु कभी कोई विस्तृत सर्वेक्षण नहीं किया गया था, प्रशिक्षण स्थल एवम् प्रतिष्ठान केवल अंशतः ही एकात्मीकृत किए गए थे।

- प्रशिक्षण सुविधा युक्त किन्तु प्रशिक्षण न दे रहे स्थापनाओं/ विभागों की न्यूनता 1985-88 के दौरान 31 से 34 प्रतिशत की रैंज में रही।

- 139 में से 67 शिल्पों में प्रत्येक में प्रशिक्षुओं की केवल 100 तक संख्या ही नियोजित थी।.

- शिल्प प्रशिक्षुओं के मामले में स्थापित स्थानों के समक्ष अप्रयुक्त स्थानों का प्रतिशत 28 से 31, स्नातक इंजीनियर प्रशिक्षुओं के मामले में 47 से 66 और उपाधिधारियों के मामले में 24 से 39 के मध्य थी।

रेलवे मंत्रालय ने इसके द्वारा प्रतिस्थापित स्थानों में से आधी संख्या पर भी नियोजन नहीं किया था, पूर्वी कोयला क्षेत्र लिमिटेड अपनी स्वयं की समानान्तर प्रशिक्षण योजना प्रचालित कर रही थी।

- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति से संबंधित शिल्प प्रशिक्षुओं हेतु आरक्षित स्थानों में से क्रमशः केवल 9 से 11 तथा 2 से तीन प्रतिशत स्थान ही प्रयुक्त हुए थे।

- बीच में छोड़ गए अथवा शिल्प परीक्षाओं हेतु अप्रयुक्त प्रशिक्षुओं की संख्या के सम्बन्ध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं थी। परीक्षा में बैठे प्रशिक्षुओं तथा उत्तीर्ण हुओं की संख्या 35 और 42 के बीच तथा 1982-87 के दौरान रजिस्टर में दर्ज प्रशिक्षुओं की संख्या क्रमशः 26 और 30 प्रतिशत के बीच थी।

- प्रशिक्षण के गुणवत्ता विकास मूल्यांकन

हेतु निर्मित प्रगामी शिल्प परीक्षाएं लक्ष्यानुसार प्रचालित नहीं की गई थीं।

- प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं के नियोजन पर दृष्टि रखने हेतु कोई अप्रयुक्त तंत्र नहीं बनाया गया था, चार राज्यों (महाराष्ट्र , पंजाब, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल) तथा संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में 55 से 97 प्रतिशत प्रशिक्षुओं को लाभकारी नियोजन उपलब्ध नहीं कराया गया था।

- चार राज्यों में प्रशिक्षुओं के व्यावहारिक तथा आधारभूत प्रशिक्षण से संबंधित लागत के 23.74 लाख रू. नियोजकों से वसूल नहीं किए गए थे।

- प्रशिक्षुओं को वृत्ति का भुगतान समय पर नहीं किया गया था।

- किसी भी मामले में अधिनियम के दंड प्रावधानों का आह्वान नहीं किया गया था।

- कार्यक्रम का प्रभावी प्रबोधन नहीं किया गया था।

- चार राज्यों (गोवा, पंजाब, तमिलनाडु और पश्चिमी बंगाल) में राज्य प्रशिक्षुता परिषद् प्रभावी रूप से कार्य नहीं कर रही थी।

- केन्द्रीय प्रशिक्षुता परिषद् द्वारा स्थापित कार्यदल द्वारा किये गये पुनरीक्षण में उपर्युक्त कमियों में से कुछ का अवलोकन नहीं हुआ था।

46.5 बजट प्रावधान तथा व्यय

केन्द्र तथा राज्य सरकारें अपने अधिकार क्षेत्र के अधीन विभागों/ स्थापनाओं में कार्यक्रम के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं। समस्त व्यय उनके स्वयं के बजट प्रावधानों में से ही किया जाता है।

श्रम मंत्रालय ने, 1982–88 के दौरान 689.16 लाख रू. (योजनागत 165.57 लाख रू. योजनेत्तर 523.59 लाख रू.) के बजट प्रावधानों के प्रति कुल 645.84 लाख रू. (योजनागत 168.29 लाख रू., योजनेत्तर 477.55 लाख रू.) का व्यय किया । नमूना जांच में 43.32 लाख रू. (5 से 8 लाख रू. प्रतिवर्ष) की समग्र बचत देखी गई थी।

मानव संसाधन विकास (मा.स.वि.) मंत्रालय ने कुल 1799.47 लाख रू. का व्यय किया था जबकि 1982–88 की अवधि के दौरान उनके पास पूर्ववर्ती वर्षों के अवशिष्ट बकाया सहित चार प्र प बो को कुल 1787.94 लाख रू. का अनुदान जारी किया गया था। 1787.94 लाख रू. में से 1417.06 लाख रू. की राशि का प्रावधान इंजीनियरिंग स्नातकों एवम् उपाधिधारियों को निर्धारित दरों पर वृत्तिका भुगतान हेतु किया गया था।

1982–88 के दौरान सात राज्य सरकारों एवम् संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ द्वारा बजट प्रावधान तथा किया गया वास्तविक व्यय निम्न प्रकार था :

(लाख रूपयों में)

क्रम सं.	राज्य/संघशासित क्षेत्र का नाम	बजट आवंटन	व्यय	अधिक (+) बचत (-)
1	गोवा	8.18	7.80	(-) 0.38
2.	हरियाणा	28.21	27.34	(-) 0.87
3.	महाराष्ट्र	915.19	909.18	(-) 6.01
4.	पंजाब	111.51	106.50	(-) 5.01
5.	तमिलनाडू	178.50	170.72	(-) 7.78
6.	उत्तर प्रदेश	135.09	131.54	(-) 3.55
7.	पश्चिम बंगाल	208.48	182.54	(-) 15.94
8.	संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़	10.48	9.57	(-) 0.91
	योग	1595.64	1555.19	(-) 40.45

टिप्पणी :- (1) पंजाब में 17.13 लाख रू. शिल्पी प्रशिक्षण योजना को आन्तरित किए गए थे।

(2) पश्चिम बंगाल में 5.81 लाख रू. शिल्पी प्रशिक्षण योजना हेतु प्रयुक्त किए गए थे।

46.6 प्रशिक्षण स्थलों तथा स्थापनाओं का एकात्मीकरण

स्नातक उपाधिधारियों के लिए किन्हीं 218 निर्दिष्ट उद्योगों की संख्या से संबंधित तथा 139 निर्दिष्ट व्यवसायों एवं 71 विषय क्षेत्रों में व्यक्तियों को नियोजन करने वाले सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों के समस्त संस्थान, अधिनियम के विस्तार क्षेत्र में आते थे। अधिनियम के अन्तर्गत, नवीनतः स्थापित उद्योगों के लिये प्रशिक्षुता सलाहकार को उद्योग प्रारम्भ करने की तिथि इसके प्रकार, नियुक्त कर्मियों की संख्या आदि के संबंध में विवरण देना अनिवार्य नहीं था। फलस्वरूप क्षे.नि.प्र.प्र./रा.प्र.स.द्वारा, नवीनतः स्थापित उद्योगी की, समाचार पत्र, पत्रिकाओं आदि सहित विविध अनौपचारिक सूत्रों से प्राप्त सूचना के आधार पर पहचान की जानी पड़ी थी। उद्योगों के एकात्मीकरण के उपरान्त अधिनियम के अधीन विशिष्ट नामित व्यवसाय संस्थान में उपलब्ध व्यवसायों के लिए सुविधाओं को सुनिर्धारित करने तथा आवंटित किए जाने के लिए प्रशिक्षुओं की संख्या निश्चित करने के लिए एक सर्वेक्षण किया जाना अभीष्टि था।

म.नि.रो.प्र. द्वारा जनवरी 1989 में प्रस्तुत सूचना के अनुसार, मान्यता प्राप्त संस्थानों के केवल 28 प्रतिशत को ही एकात्मीकृत किया गया था जहां 1986 से 1988 के मध्य प्रशिक्षण सुविधाएं विद्यमान थीं, न्यूनता की परिधि केन्द्रीय तथा राज्य क्षेत्रों में क्रमशः 6 से 17 प्रतिशत तथा 72 से 73 प्रतिशत तक विस्तृत थीं।

कार्यान्वयन प्राधिकारणों द्वारा संस्थानों का एकात्मीकरण, अंशतः किया गया था। प्र.प्र.बो. बम्बई 1982-83 से तथा क्षे.नि.प्र.प्र. 1985-86 से, को छोड़कर अन्य कायान्वयन करने वाले प्राधिकरणों ने सर्वेक्षणों के लक्ष्य निर्धारित नहीं किए थे। अभिलेखों की नमूनाजांच से निम्नलिखित विदित हुआ :-

§1§ क्षे.नि. प्र. प्र. बम्बई ने 1982-83 से 1987-88 तक 2273 प्रतिष्ठापनों में से 343 प्रतिष्ठापनों का §15 प्रतिशत § सर्वेक्षण किया था।

§2§ क्षे. नि.प्र.प्र. हैदराबाद ने 1983 में अपनी स्थापना के उपरान्त केवल चार प्रतिष्ठानों का ही सर्वेक्षण किया था। एक बार आवंटित स्थान बिना पुर्नसर्वेक्षण के परिवर्तितत नहीं किए जाने थे। तथापि, यह देखा गया कि आन्ध्र प्रदेश के चार प्रतिष्ठानों §जिन्हें क्षे.नि.प्र.प्र. मद्रास द्वारा क्षे.नि.प्र.प्र. हैदराबाद के प्रारम्भ किए जाने से पहले ही सर्वेक्षण किया जा चुका था §में परिवर्तन हो गये थे।

§3§ पश्चिम बंगाल में दिसम्बर 1987 तक पंजीकृत 8811 फैक्टरियों में से 1891 §21 प्रतिशत§ का सर्वेक्षण तथा एकात्मीकरण किया गया था।

§4§ संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में रा.प्र.स. के अभिलेखों ने दर्शाया कि सर्वेक्षण तथा निरीक्षण निर्धारित प्रणाली एवं विधि के अनुसार नहीं किए गए थे।

प्रशिक्षण सुविधाओं में परिवर्तन सुनिश्चित करने तथा पूरे मामले का यथार्थवादी विधि से पुनरीक्षण करने हेतु तीन से पांच वर्ष बाद एक सर्वेक्षण किया जाना भी अभीष्ट था। क्षे.नि.प्र.प्र/ रा. प्र. स. द्वारा कभी कोई व्यापक सर्वेक्षण नहीं किया गया था।

मा. सं. वि. मंत्रालय ने दिसम्बर 1988 में बताया कि प्र.प्र.वा द्वारा प्रतिष्ठानों तथा प्रशिक्षण स्थानों के सर्वेक्षण लक्ष्य आवश्यकतानुसार निर्धारित किए जाते थे तथा नवीन संस्थानों को उत्पन्न करने हेतु सर्वेक्षण किए गये थे जबकि विद्यमान प्रतिष्ठानों का पुनः सर्वेक्षण तीन से पांच वर्षों में किया गया था । तथापि, जैसाकि पूर्व उल्लिखित किया गया, 1985-86 के तदन्तर केवल प्र.प्र. बो. बम्बई ने ही लक्ष्य निर्धारित किए थे।

म.नि.रा.प्र. ने जनवरी 1989 में बताया कि कर्मचारीवृन्द की न्यूनता एवम् प्रशासनिक कारणोंवश कभी कभी समस्त प्रतिष्ठानों को शामिल करना सम्भव नहीं था तथा स्थिति में सुधार हेतु उपचारात्मक कार्य किया जाएगा।

46.7. प्रशिक्षण देने वाले प्रतिष्ठानों की न्यूनता

म.नि.रो.प्र. द्वारा जनवरी 1989 मे प्रस्तुत सूचनानुसार उन प्रतिष्ठानों/ विभागों की न्यूनता जिन में प्रशिक्षण सुविधाएं थीं किन्तु जो प्रशिक्षण नहीं दे रहे थे, 1985-88 के दौरान 31 से 34 प्रतिशत के मध्य §केन्द्रीय क्षेत्र 37 से 41 प्रतिशत; राज्य क्षेत्र 30 से 33 प्रतिशत § निम्न प्रकार बढ़ी घटी:-

वर्ष	प्रशिक्षण सुविधायुक्त प्रतिष्ठानों की संख्या			प्रशिक्षु नियोजक संस्थानों की संख्या			कोष्ठों में प्रतिशत न्यूनता		
	केन्द्रीय	राज्य	योग	केन्द्रीय	राज्य	योग	केन्द्रीय	राज्य	योग
1985	869	18760	19629	515	13040	13555	354 (41)	5720 (30)	6074 (31)
1986	886	22602	23488	524	15276	15800	362 (41)	7326 (32)	7688 (33)
1987	851	23009	23860	519	15247	15866	332 (39	7662 (32)	7994 (34)
1988	900	23385	24285	563	15715	16278	337 (37)	7670 (33)	8007 (33)

नमूना जांच में निम्न बातें दृष्टिगत हुई –

राज्य क्षेत्र में, नमूना जांच किए गए सात राज्यों में से पांच में उन प्रतिष्ठानों का प्रतिशत जो वास्तव में प्रशिक्षण देते थे, 1983–88 के मध्य 12 से 90 के मध्य घटा बढ़ा (गोवा – 66, महाराष्ट्र – 90 पंजाब –81, तमिलनाडू – 80 और पश्चिम बंगाल–12)।

46.8 प्रशिक्षुओं का नियोजन

नवम्बर 1987 में, म.नि.रो.प्र. ने प्रत्येक व्यवसाय में नियोजित प्रशिक्षुओं की संख्या का विश्लेषण किया तथा यह दृष्टिगत किया कि 139 व्यवसायों में से, 67 व्यवसायों में समस्त देश में प्रत्येक व्यवसाय में केवल 100 संख्या तक प्रशिक्षु नियोजित थे। प्लास्टिक सांचे निर्माता, क्रीड़ा सामग्री निर्माता (लकड़ी), मिलकर्मी तथा सांचे कर्मी (रिफ्रैक्टरी) जैसे व्यवसायों में एक भी प्रशिक्षु नियोजित नहीं था। लगभग 14 व्यवसायों में, प्रत्येक व्यवसाय में नियोजित प्रशिक्षुओं की संख्या दस से भी कम थी। केबल–योजक, होटल क्लर्क, छपाई (वस्त) तथा दर्जी (महिला) जैसे 13 वयवसायों में नियोजित प्रशिक्षुओं की संख्या 100 और 250 के मध्य घटी बढ़ी तथा ऑटो इलैक्ट्रीशियन, ड्राइवर सह फिटर, बिक्री सहायक तथा दर्जी (पुरूष) जैसे 10 व्यवसायों में, नियोजित प्रशिक्षुओं की संख्या 250 और 500 के मध्य घटी बढ़ी। इस प्रकार, 139 नामित व्यवसायों में से केवल 90 नामित व्यवसायों के संबंध में ही आंकड़े उपलब्ध थे जो दशाति थे कि अधिक प्रशिक्षु नियोजित करने की पर्याप्त गुंजाइश थी। इन व्यवसायों में से अधिकांश दस्तकार प्रशिक्षण

ोजना के अन्तर्गत नहीं आते थे और इस प्रकार यह ंदिग्ध था कि क्या इन व्यवसायों में उपयुक्त शिक्षण सुविधाएं उपलब्ध थी भी या नहीं ।

निम्न लिखित अतिरिक्त मुद्दे दृष्टिगत ए थे:-

क§ सरकार द्वारा स्नातक/उपाधिधारियों के ए निर्दिष्ट 71 विषय क्षेत्रों में दक्षिणी क्षेत्र में वल 31 क्षेत्रों में ही प्रशिक्षण दिया गया था तथा न्य क्षेत्रों में कोई प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध नहीं ीं।

ख§ उत्तर प्रदेश में 139 नामित व्यवसायों से केन्द्रीय क्षेत्र हेतु 74 व्यवसाय तथा राज्य क्षेत्र तु 85 व्यवसायों को प्रशिक्षण देने के लिए आवंटित या गया था।

ग§ आंध्र प्रदेश में जिन 139 व्यवसायों में शिक्षण सुविधाएं विद्यमान थीं, उनमें से 48 के म्बंध में स्थान आंवंटित किए गए थे।

घ§ तीन राज्यों §हरियाणा, पंजाब और श्चिम बंगाल§ में 139 व्यवसायों में से क्रमशः 65 वसायों में §47 प्रतिशत§, 60 व्यवसायों में §43 तिशत § और 49 से 34 व्यवसायों में §35 से + प्रतिशत § प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध थीं। ीगढ़ में 140 नामित व्यवसायों में से केवल 58 वसायों §42 प्रतिशत § में प्रशिक्षण सुविधाएं लब्ध थीं।

म.नि.रो.प्र. ने जनवरी 1989 में ाया कि क्षे.नि.प्र.प्र. तथा रा.प्र.स. से तस्थापित स्थानों की गतिहीनता के कारणों के साथ साथ इन स्थानों के अनुपयोग के कारणों की जांच करने का निवेदन किया गया था तथा ठोस कारण उपलब्ध होने पर समुचित उपचारात्मक कार्यवाही करी जायगी।

46.9. प्रशिक्षण की न्यूनता

कार्यक्रम में उद्योगों को प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं की अधिकतम संख्या उपलब्ध कराने की व्यवस्था थी। लेखापरीक्षा में यह दृष्टिगत हुआ कि उपयोग किये गये स्थानों की संख्या प्रतिष्ठापित स्थानों से अत्यल्प थी। 1983-88 के दौरान व्यावसायिक प्रशिक्षुओं के संबंध में आबंटित स्थानों के समक्ष उपयोग न किए गए स्थानों का प्रतिशत 28 और 31 के मध्य घटा बढ़ा। अनुपयोग, केन्द्रीय क्षेत्र में 36 और 49 के मध्य तथा राज्य क्षेत्र में 22 और 29 के मध्य घटा बढ़ा।

स्नातक इंजीनियरों तथा उपाधिकारी प्रशिक्षुओं के मामले में, 1985-88 के दौरान §1983-85 के लिए सूचना उपलब्ध नहीं थी § स्थानों के उपयोग में न्यूनता का प्रतिशत क्रमशः 47 से 66 और 24 से 39 के मध्य § केन्द्रीय क्षेत्र 37 से 67 और 12 से 34; राज्य क्षेत्र 53 से 70 और 27 से 43 प्रतिशत क्रमशः § घटा बढ़ा।

छः केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों में स्थानों का अनुपयोग 1976 और 1987 के मध्य भरपूर बढ़ा था, जैसा कि नीचे विवरित किया गया है :

मंत्रालय/विभाग का नाम	31 दिसम्बर 1976 को स्थिति			30 जून 1987 को स्थिति		
	आवंटित स्थान	प्रयुक्त स्थान	न्यूनता/ आधिक्य तथा कोष्ठकों में प्रतिशत	आवंटित स्थान	प्रयुक्त स्थान	न्यूनता/ कोष्ठकों में प्रतिशत
ऊर्जा (कोयला तथा विद्युत विभाग)	3222	2842	380 (12)	4424	2021	2403 (54)
रेलवे	19844	17180	2664 (13)	16526	5558	10968 (66)
इस्पात और खान	2623	3154	531 (+)	1959	961	1008
(इस्पात विभाग)			(20)			(51)
खान विभाग	1937	1851	86 (4)	930	468	462 (49)
भूतल परिवहन	2649	3078	429 (+) (16)	2351	1251	1100 (47)
उर्वरक	1777	1794	17 (+) (1)	1364	783	587 (42)
वस्त्र (रा .ब.नि.)	1739	1827	88 (5)	2157	788	1369 (63)

श्रम मंत्रालय ने दिसम्बर 1987 में रेलवे, इस्पात और खान, ऊर्जा तथा उर्वरक मंत्रालयों के साथ अधिनियम के समुचित कार्यान्वयन हेतु मामले को उठाया किन्तु स्थिति में सुधार नहीं हुआ था। रेलवे मंत्रालय ने, जिन्होंने स्वयं अपना आकलन किया था 13120 स्थान प्रतिस्थापित किए थे किन्तु स्थानों के समक्ष प्रशिक्षुओं की आधी संख्या भी नियोजित नहीं की थी।

तमिलनाडु में, विविध मंत्रालयों के

अधीन 30 संस्थानों ने, 545 प्रतिस्थापित स्थानों के प्रति कोई भी प्रशिक्षु भर्ती नहीं किया था। नौ वस्त्र मिलों में, 136 स्थान रिक्त रहे क्योंकि मिल घाटे में चल रहे थे। अधिनियम में घाटे वाली इकाइयों के मामले में किसी छूट का प्रावधान नहीं था।

तीन केन्द्रीय सरकार के उपक्रम, नामतः खनन सह मशीनरी निगम लिमिटेड, दुर्गापुर, बर्न स्टेन्डर्ड कम्पनी लिमिटेड तथा परियोजना एवं विकास इंडिया लिमिटेड, सिन्दरी क्रमशः 1982 से 227 स्थानों के समक्ष, 1981 से 90 स्थानों के समक्ष और 1976 से 64 स्थानों के समक्ष एक भी प्रशिक्षु नियोजित नहीं करते आ रहे थे।

पूर्वी कोयला क्षेत्र लिमिटेड में, 600 स्थान प्रतिस्थापित थे किन्तु प्रतिष्ठान अधिनियम के आयु, योग्यता, आदि सम्बंधी प्रावधानों के अनुसार प्रशिक्षु नियोजित नहीं कर रहा था किन्तु अपनी निजी "भूमि खोने वालों की योजना" नामक योजना के अनुसार तथा उन्हें अपनी आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण दे रहा था। कम्पनी, जिसने 1982-83 से 1986-87 के मध्य 3185 व्यक्ति नियोजित किए थे, अधिनियम के प्रावधानों के विरूद्ध अपनी निजी समानान्तर प्रशिक्षण योजना चला रहा था।

1982-88 के दौरान 7 राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों के स्थानों के उपयोग में न लाए जाने के प्रतिशतता में गिरावट 9 से 58 के बीच (हरियाणा: 16 से 31, महाराष्ट्र: 10 से 21, पंजाब: 10 से 33, तमिलनाडु: 9 से 11, उत्तर प्रदेश: 10 से 27, पश्चिम बंगाल: 10 से 47, गोवा: 32 से 58 और संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ 29 से 55) घटी बढ़ी थी।

मा.स.वि. मंत्रालय ने दिसम्बर 1988 में बताया कि अवस्थित स्थान प्रशिक्षण की सामर्थ्य दशाति थे और वह उद्योगों, उनके आकार, प्रकृति और महत्ता, नियुक्त किए गए तकनीकी व्यक्तियों की संख्या और संस्थान में उपलब्ध प्रशिक्षण की सुविधाएं आदि पर निर्भर होगी, जबकि उपयोग में आई संख्या, प्रशिक्षुता हेतु आवेदन कर रहे उपयुक्त पात्रों की संख्या तथा अंतिमरूप से प्रशिक्षण के लिये आने वालों की संख्या पर निर्भर करती थी तथा रोजगार विहीन स्थिति से संबंधित होगी।

म.नि.रो.प्र. ने जनवरी 1989 में बताया कि मंत्रालय द्वारा किए गए प्रयत्न सफल नहीं हुए। मंत्रालय/विभागों के अधीनस्थ, कोयला, रेलवे इस्पात तथा खान, आदि चूककर्ता प्रतिष्ठानों को कारण बताओं नोटिस जारी किए जाने का निश्चय किया है, और पूर्वी कोयला क्षेत्र लिमिटेड को "भूमि खोने वालों" की श्रेणी के लिए उचित योग्यता, आयु, आदि, वाले प्रशिक्षुओं को नियुक्त करने के लिए भी आदेश जारी किए जा रहे हैं। म.नि.रो.प्र. ने आगे बताया कि स्थानों के न उपयोग में लाए जाने के मामलों में रा.प्र.स. से उचित कार्यवाही करने का अनुरोध किया जायेगा।

46.10 अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों का प्रशिक्षण

प्रशिक्षुता नियमावली 1962 के नियम 4-क के अधीन, केन्द्रीय सरकार द्वारा 1975 में नियत प्रतिशत के अनुसार , नियोजक को अनुसूचित जाति (अ.जा.) और अनुसूचित जन जाति (अ.ज.जा.) से संबंधित प्रशिक्षुओं के लिए स्थान सुरक्षित रखने अभीष्ट थे। जब या तो अ.जा. के अथवा अ.ज.जा. के निर्धारित संख्या में सदस्य उपलब्ध न हो तो उनके लिए इस प्रकार आरक्षित प्रशिक्षण स्थान अ.जा. अथवा अ.ज.जा. से संबंध रखने वाले व्यक्तियों से पूरे किए जाने चाहिए, और यदि निर्धारित प्रशिक्षण

स्थान उपरोक्त प्रकार से भी नहीं भरे जा सकें तब इस प्रकार रिक्त पड़े प्रशिक्षण स्थान अ.जा. अथवा अ.ज.जा. से असंबंधित व्यक्तियों से भर लेने चाहिए।

1983 से 1988 के दौरान अ.जा. तथ अ.ज.जा. शिल्प प्रशिक्षुओं के लिए प्रयुक्त आरक्षित स्थानों की समग्र प्रतिशतता क्रमशः 9 से 11 तथा 2 से 3 निकलती थी।

स्नातक अभियन्ताओं तथा डिप्लोमा धारियों प्रशिक्षुओं के मामले में 1963–88 के लिये स्थानों के उपयोग की समग्र प्रतिशतता क्रमशः अ.जा.के लिए दो से छः तथा तीन से चार तथा अ.ज जाति के लिये एक थी।

चार राज्यों–हरियाणा , पंजाब, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडू और संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में स्थिति नीचे दिए अनुसार थी:

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	(प्रतिशतता में कमी) अनुसूचित जाति	अनुसूतिच जन जाति
हरियाणा	44 से 67	शून्य
पंजाब	6 से 69	88 से 100
तमिलनाडू	5	4
उत्तर प्रदेश	7	97
चंडीगढ़	36 से 63	95 से 100

म.नि.रो.प्र. ने जनवरी 1989 में बताया कि उपयुक्त अ.जा./अ.ज.जा. के अभ्यार्थियों के उपलब्ध न होने से उचित संख्या में व्यक्ति नियुक्त नहीं किए जा सके।

46.11 व्यवसाय परीक्षण

अधिनियम के अधीन प्रत्येक प्रशिक्षु को वर्षभर में 40 दिन के संबद्ध अनुदेशों सहित कम से कम 240 दिन की उपस्थिति रखनी आवश्यक थी जिसके पश्चात वह, एक सांविधिक निकाय, राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद, जो अधिनियम के अधीन उत्तीर्ण प्रशिक्षुओं को राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रमाणपत्र देती है, द्वारा संचालित, अखिल भारतीय व्यवसाय परीक्षण में बैठने का हकदार होता था । परीक्षण वर्ष में दो बार अप्रैल और अक्तूबर में लिया जाता है।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि स्नातक तथा डिप्लोमाधारी को अपना प्रशिक्षण समाप्त करने के बाद सरकार द्वारा अधिनियम के खण्ड 21(4) के अधीन दिए जाने वाले प्रमाणपत्र का स्वरूप अभी तक मा.सं.वि. मंत्रालय के पास विचाराधीन था और प्र.प्र.वो. प्रशिक्षुओं को अस्थाई प्रमाण पत्र जारी कर रहा है (दिसम्बर 1988)।

म.नि.रो.प्र. के पास छोड़कर जाने वालों के संख्या के विषय में कोई भी सूचना उपलब्ध नहीं थी। म.नि.रो.प्र. के पास ऐसे व्यक्ति जो व्यवसाय प्रशिक्षण के योग्य थे की संख्या के विषय में भी सूचना उपलब्ध नहीं थी।

म.नि.रो.प्र. के अभिलेखों की नमूना जांच से प्रकट हुआ कि 1982–87 के दौरान परीक्षा में बैठे प्रशिक्षुओं की संख्या तथा पास होने वालों की संख्या का प्रतिशत क्रमशः 35 और 42 के बीच तथा पंजी में दर्ज प्रशिक्षुओं की संख्या का 26 और 30 के बीच निम्नानुसार घटा बढ़ा था:-

वर्ष	पंजी पर प्रशिक्षुओं की संख्या	परीक्षा में बैठने वाले प्रशिक्षुओं की संख्या	बैठने वालों की प्रतिशतता	सफल रहे	सफल रहो की प्रतिशतता	
					बैठने वोलों से	कुल पंजी से
1982	1.24	0.43	35	0.33	77	27
1983	1.29	0.45	35	0.34	76	26
1984	1.34	0.49	37	0.35	71	26
1985	1.29	0.54	42	0.39	72	30
1986	1.32	0.54	41	0.38	70	29
1987	1.32	0.49	37	0.34	70	26

म.नि.रो.प्र. ने कमी के कारणों का विश्लेषण नहीं किया था।

1983–88 के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र में व्यवसाय परीक्षा में बैठने वाले प्रशिक्षुओं में गिरावट की प्रतिशतता 27 और 85 के बीच वर्गीकृत था। सात राज्यों/संघराज्य क्षेत्र में 1983–88 के दौरान कमी 14 से 88 प्रतिशत के बीच रही (गोवा:43 से 78, हरियाणा: 69 से 88, महाराष्ट्र: 50 से 61, पंजाब: 56 से 77, तमिलनाडू: 29 से 52, उत्तर प्रदेश: 69 से 80, पश्चिम बंगाल: 14 से 29, संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ 15 से 23)।

1983–88 के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र में बैठने वालों की संख्या से सफल होने वालों की प्रतिशतता 47 से 88 के बीच घटी बढ़ी प्रतीत होती थी (क्षे. नि.प्र.प्र. आन्ध्र: 67 से 84, बम्बई:75 से 87, कलकत्ता: 47 से 88)।

1983–88 के दौरान 6 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र में बैठने वालों की संख्या से सफल होने वालों की प्रतिशतता 42 से 89 के बीच घटी बढ़ी (गोवा: 42 से 82, हरियाणा: 52 से 82, महाराष्ट्र: 65 से 72, पंजाब: 48 से 75 , तमिलनाडु: 74 से 82 उत्तर प्रदेश: 70 से 84,

पश्चिम बंगाल:82 से 98 और संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़: 66 से 83%। तमिलनाडु में 1983-87 के दौरान बैठने वालों से पास होने वालों की प्रतिशतता 74 से 82 के बीच घटी बढ़ी थी।

म.नि.रा.प्र. ने जनवरी 1989 में बताया कि प्रशिक्षु जिन्हें परीक्षण में बैठना चाहिए था और वे जो बैठे, की प्रतिशतता करीब 50 होगी और यह संबंधित प्रशिक्षुओं को अन्तिम व्यवसाय परीक्षा में बैठने के लिए बाध्य करना एक कठिन साध्य प्रक्रिया होगी।

46.12 प्रगामी व्यवसाय परीक्षण में कमी

प्रशिक्षण की गुणवत्ता के मूल्यांकन के विचार से म नि रो प्र ने, प्रगामी व्यवसाय परीक्षण/ संबंधित निर्देशन कक्षाओं का निरीक्षण और बुनियादी प्रशिक्षण कार्यक्रम, जो कि क्षे.नि.प्र.प्र. द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में संचालित किए जा रहा था 1970 से शुरू किया । उनकी रिपोर्ट संबंधित राज्य सरकारों तथा प्रतिष्ठानों को उसमें दर्शाई गई कमियों को दूर करने हेतु भेजी गई थी जिससे उपचारात्मक उपाय प्रशिक्षण काल के दौरान ही किये जासकें।

अभिलेखों की जांच से प्रगट हुआ कि नए प्रारम्भ किए गए फरीदाबाद और हैदराबाद के क्षे.नि.प्र.प. ने अभी तक कोई परीक्षण संचालित नहीं किया था, क्षे. नि.प्र.प्र. कानपुर ने 1987 तक दो परीक्षण संचालित किए गए थे, और शेष 3 क्षे. नि.प्र. प्र. बम्बई , कलकत्ता और मद्रास ने 1987-88 के दौरान 25,12 और 25 परीक्षणों के लक्ष्य के प्रति क्रमशः 10,1 और 15 परीक्षण संचालित किए। राज्य क्षेत्र में, म.नि.रो.प्र. द्वारा रा.प्र.स. को इन परीक्षणों को संचालित करने के लिए विशेष कर्मचारियों हेतु अपनी अपनी राज्य सरकारों से सम्पर्क करने का परामर्श दिया। म.नि.रो.प्र. ने नवम्बर 1987 में बताया कि मुश्किल से ही किसी राज्य सरकार ने प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए किसी विशेष कर्मचारी वर्ग का सृजन किया था।

मा.सं.वि. मंत्रालय ने दिसम्बर 1988 में बताया कि सभी प्र.प्र.बो. अधिनियम के अन्तर्गत प्रशिक्षु प्रशिक्षण की गुणवत्ता को सुधारने पर बल दे रहे थे।

म.नि.रो.प्र. ने जनवरी 1989 में बताया कि अभी तक राज्य सरकारें व्यवसाय परीक्षण संचालन हेतु अतिरिक्त कर्मचारी उपलब्ध कराने को राजी नहीं थे और क्षे.नि.प्र.प्र. के पास भी प्रत्येक संस्था में प्रति वर्ष कम से कम एक प्रतिगामी परीक्षण करने हेतु या भ./म.भ. के लिए भी समुचित राशि नहीं थी। म.नि.रो.प्र. ने आगे बताया कि प्रशिक्षण की गुणवत्ता को सुधारने हेतु और अधिक संबद्ध निर्देशन के दो और बुनियादी प्रशिक्षण केन्द्रों को स्थापित करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

46.13 प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं को रोजगार

अधिनियम के अन्तर्गत, नियोक्ता के लिए किसी भी प्रशिक्षु को जिसने कि उसकी संस्था में प्रशिक्षाता प्रशिक्षण अवधि पूरी की हो, को रोजगार देना अनिवार्य नहीं था। प्रशिक्षण में उद्योगों को अधिक से अधिक प्रशिक्षित प्रशिक्षु मुहैया कराना विनिर्दिष्ट था भारत सरकार ने सफल प्रशिक्षुओं को रोजगार सुनिश्चित करने के लिये अप्रैल 1983 में आदेश जारी किए तथा सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के लिए 50 प्रतिशत रिक्तियां सीधी भर्ती हेतु उदिष्ट करना अपेक्षित था तथा इन रिक्तियों में से कम से कम 50

प्रतिशत प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं द्वारा भरी जानी थी। सरकार ने प्रशिक्षुओं के समावेशन की निगरानी तथा उनके लिए उपयुक्त नियोजन हेतु उपयुक्त तन्त्र नहीं बनाया था। कार्यान्वयन प्राधिकारियों के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान पाए गए प्रशिक्षुओं के रोजगार की स्थिति नीचे दी गई है:-

§1§ मार्च 1987 में, क्षे.नि. प्र. प्र. हैदराबाद ने 51 संस्थाओं से पूछताछ की कि क्या संशोधित भर्ती नियमों की अनुपालना हुई थी। केवल नौ प्रतिष्ठानों ने उत्तर दिया जिन में से तीन प्रस्ताव को लागू करने को सहमत हुए, §वास्तविक भर्ती के आंकड़े उपलब्ध नहीं थे §।

§2§ महाराष्ट्र में, विभागीय सर्वेक्षण के अनुसार §1986-87§ 12406 प्रशिक्षुओं में से जो कि 1983-85 में व्यावसायिक परीक्षण में उत्तीर्ण हुए थे, सिर्फ 860 §7 प्रतिशत § नियोजित बताए गए थे।

§3§ पंजाब में, लेखापरीक्षा के कहने पर, रा.प्र.स. द्वारा अप्रैल 1988 में विभिन्न नामित व्यवसायों के प्रशिक्षुओं के सम्बन्ध में, जिन्होंने कि अप्रैल 1986 तथा अप्रैल 1987 के बीच दो जिलों §पटियाला तथा जालन्धर§ में हुई अखिल भारतीय व्यवसायिक परीक्षाएं पास की थी, 182 प्रशिक्षुओं को एक प्रश्नावली भेजकर सर्वेक्षण किया था, इसमें से 52 शिक्षार्थियों के उत्तर प्राप्त हुए थे। सर्वेक्षणा ने दर्शाया कि प्रशिक्षित कार्मिकों के 81 प्रतिशत बेरोजगार थे।

§4§ तमिलनाडू में, 39191 प्रशिक्षुओं में से जिन्होंने कि 1982-88 के दौरान सफलतापूर्वक प्रशिक्षण समाप्त किया था, केवल 6808 ही§17 प्रतिशत§ अपने नियोक्ताओं द्वारा लिये गये थे। 1983 से 1987 के दौरान, 38,985 प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं ने स्वयं को राज्य में रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत करवाया था, इनमें से 4259 §11 प्रतिशत§ को रोजगार प्राप्त हुआ था। प्र.प्र. बो मद्रास ने बताया कि 16246 में से 7029 स्नातक/तकनीकी प्रशिक्षु जिन्होंने 1982-85 के दौरान प्रशिक्षण लिया था, ने , प्र.प्र.बो. को रोजगार की सूचना दी, इनमें से केवल 3215 §45 प्रतिशत§ को लाभप्रद रोजगार प्राप्त हुआ था। क्षे.नि.प्र.प्र. मद्रास के पास 19151 प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं जो 1982-88 के दौरान पास हुए थे, के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं थीं।

§5§ पश्चिम बंगाल में, उन प्रशिक्षुओं के लिए जो कि अप्रैल 1983 तथा अप्रैल 1985 के बीच सफल हुए थे, पर किए गए नमूना सर्वेक्षण ने दर्शाया कि 3170 प्रशिक्षुओं में से केवल 401 §13 प्रतिशत§ ही नियमित कार्य प्राप्त कर सके थे।

§6§ संघ राज्य क्षेत्र चंण्डीगढ़ में केवल 3 से 9 प्रतिशत प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं को उद्योगों में लाभदायक रोजगार मुहैया कराए गए थे।

म.नि.रो.प्र. ने जनवरी 1989 में बताया कि प्रशिक्षुओं को मुहैया कराए गए रोजगार की प्रतिशतता के सम्बन्ध में उसने एक सर्वेक्षण किया था।

46.14 व्यावहारिक तथा बुनियादी प्रशिक्षण लागत की वसूली

अधिनियम के अधीन, प्रत्येक नियोक्ता को उसकी कार्यशाला में उसके द्वारा नियुक्त प्रशिक्षुओं को, प्रशिक्षुता सलाहकार द्वारा अनुमोदित कार्यक्रम के अनुसार व्यावहारिक प्रशिक्षण देने के लिए, उपयुक्त प्रबन्ध करने अपेक्षित थे। 500 कर्मियों या अधिक को नियुक्त

करने वाले नियोक्ताओं को बुनियादी प्रशिक्षण प्रदान करने की सारी लागत बहन करनी थीं, जबकि 500 कर्मियों से कम नियुक्त करने वाले नियोक्ताओं के मामले में बुनियादी प्रशिक्षण सहित व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिये आवर्ती लागत, 1983 से, प्रति प्रशिक्षु प्रति माह 360 रू. की सीमा तक नियोक्ता तथा सम्बन्धित सरकार द्वारा समान रूप से विभाजित की गई थी।

जनवरी 1984 के सरकारी आदेशों के अनुसार, जब प्रशिक्षु प्रशिक्षण हेतु सरकारी संस्थाओं में प्रतिनियुक्त होते थे, तो नियोक्ता से इस प्रकार के प्रशिक्षण की लागत अग्रिम में वसूली योगय थी। तथापि, रा.प्र.स. के अभिलेखों की नमूना जांच से यह देखा गया कि 1982-88 के दौरान 500 से अधिक कर्मियों को रखने वाले नियोक्ताओं से 23.74 लाख रू. {हरियाणा: 7.08 लाख रू., पंजाब: 2.57 लाख रू. महाराष्ट्र: 6.56 लाख रू. पश्चिम बंगाल: 7.53 लाख रू.} वसूल दावा नहीं किया गया था।

46.15 वृत्तिका का भुगतान

अधिनियम के प्रावधानों के अधीन सारे प्रशिक्षुओं को, सम्बन्धित संस्थाओं द्वारा, नियमित रूप से पूरी वृत्तिका का भुगतान किया जाना था तथा प्र.प्र. बो. प्रशिक्षण संस्थाओं को त्रैमासिक आधाइर पर उनसे वृत्तिका-दावों की प्राप्ति पर वृत्तिका के निर्धारित न्यून दरों के 50 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति करते थे।

एक विशेष मास के लिए वृत्तिका आगामी मास के दसवें दिन देनी होती थी तथा वृत्तिका का निरन्तर भुगतान प्रशिक्षु के सन्तोषजनक कार्य तथा व्यवहार पर निर्भर करती है।

मा.स.वि. मंत्रालय ने, 1982-88 के दौरान स्नातक तथा डिप्लोमाधारी प्रशिक्षुओं के संबंध में वृत्तिका भुगतान करने के लिये अपने अपने प्र.प्र.बो. को कुल 1,417.06 लाख रू. की राशि जारी की थी जिसने बदले में नियोक्ताओं को 1441.98 लाख रू. की प्रतिपूर्ति की ।

प्र.प्र.बो. बम्बई द्वारा 1987-88 में भुगतान की गई वृत्तिका की राशि 92.65 लाख रूपये थी जिस में से 72.24 लाख रूपये 1983-84 से 1986-87 से सम्बन्धित थे। प्र.प्र.बो. बम्बई, प्रशिक्षुओं के विवरण तथा ऐसे प्रशिक्षुओं के लिए दावा की गई वृत्तिका की प्रतिपूर्ति को दर्शाते हुए एक रजिस्टर रखता है । नियोक्ता द्वारा किए गए भुगतानों को इस रजिस्टर में इस आधार पर अभिलेखित नहीं किया जाता था कि यह सुचना इसके लिए आवश्यक नहीं थी। प्र.प्र. बो. प्रशिक्षुओं की संख्या जिनको वृत्तिका दी गई थी, यह कहते हुए नहीं दे सका था कि सूचना रजिस्टर में अभिलेखित नहीं की गई थी।

प्र.प्र.बो. कानपुर ने 1982-88 की अवधि के दौरान वृत्तिका की पूरी राशि का भुगतान नहीं किया था। 500.76 लाख रूपयों की कुल राशि में से, प्र.प्र.बो. ने केवल 281.92 लाख रूपयो का भुगतान किया था क्योंकि नियोक्ताओं ने बिल प्रस्तुत नहीं किए थे। इससे यह प्रतीत होता था कि नियोक्ता उपयुक्त प्रशिक्षुओं को समय पर वृत्तिका का भुगतान नहीं कर रहे थे।

मा.स.वि. मंत्रालय ने दिसम्बर 1988 में बताया कि बहुत अधिक संख्या में

नियोक्ताओं ने अपने दावे विलम्ब से भेजे थे अथवा कभी कभी उन्होंने वे दावे प्रस्तुत तक नहीं किये थे।

46.16 संविदाओं का पंजीकरण

प्रशिक्षुता नियम के नियम 4 ख के अनुसार, प्रत्येक नियोक्ता को प्रशिक्षुता संविदा पर हस्ताक्षर होने की तिथि से तीन महीने के अन्दर इसे पंजीकरण हेतु भेजनी चाहिए। संविदा रजिस्टर कार्यान्वयन प्राधिकारी द्वारा प्रशिक्षु तथा नियोक्ता के लाभ की निगरानी के लिए रखा जाता था। लेखा परीक्षा में यह देखा गया था कि अधिनियम के अन्तर्गत, नियोक्ता पंजीकरण हेतु निविदाओं को समय पर नहीं भेजते थे। उत्तर प्रदेश तथा चण्डीगढ़ में 1983–88 के दौरान क्रमशः 39 से 58 तथा 30 से 50 प्रतिशत संविदाएं पंजीकरण हेतु नियोक्ताओं से विलम्ब से प्राप्त हुई थी। संविदाओं के पंजीकरण में देरी उत्तर –प्रदेश में 26 मास तथा प्र.प्र. बो. कलकत्ता के अन्तर्गत संस्थाओं में 12 मास तक थी।

46.17 संविदाओं का रद्द किया जाना

अधिनियम के अन्तर्गत, क्षे.नि.प्र.प्र./रा प्र.स./प्र.प्र.बो. प्रशिक्षुता, के असामयिक संविदा को रद्द करने तथा क्षतिपूर्ति देने अथवा नियोक्ताओं को देय प्रशिक्षण लागत की वसूली के लिए प्राधिकृत थे। तथापि प्र.प्र.बो. तथा रा.प्र.स. संविदाओं को रद्द करने के मामले में नियोक्ताओं को क्षतिपूर्ति के भुगतान के अभिलेख नहीं रख रहे थे।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया था कि क्षे.नि.प्र.प. बम्बई द्वारा 1982–88 के दौरान रद्द कर दी गई प्रशिक्षुता संविदाओं की संख्या 146। थी जिस में से 973 संविदाएं लागत सहित रद्द की गई थीं तथा 488 बिना लागत भंग कर दी गई थीं। क्षे.नि.प्र.प्र. द्वारा वसूली का कोई अभिलेख नहीं रखा गया था क्योंकि प्रशिक्षण की लागत नियोक्ता ने वसूल की थी। प्र.प्र.बो. बम्बई ने 1982–88 के दौरान पंजीकृत 27582 संविदाओं में से 2171, लागत सहित तथा बिना लागत की संविदाओं की संख्या बताए, भंग कर दी थीं।

चंडीगढ़ में, पंजीकृत 746 संविदाओं में से 184 (24 प्रतिशत) लागत सहित (68 संविदाएं) तथा बिना लागत (116 संविदाएं) भंग कर दी थीं। रा.प्र.स. के पास वसूली के विवरण उपलब्ध नहीं थे।

म.नि.रो. प्र. ने जनवरी 1989 में बताया कि क्षे.नि.प्र.प्र. के लिए वसूली अभिलेखों का अनुरक्षित करना आवश्यक नहीं था क्योंकि राशि को वसूल करने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित नियोक्ताओं, जो उनसे संबंधित थे (नियोक्ता), का था।

मा.सा.वि. मंत्रालय ने मार्च 1989 में बताया कि अधिनियम के अन्तर्गत, प्र.प्र.बो. को क्षतिपूर्ति के भुगतान के अभिलेखों को अनुरक्षित करना अपेक्षित नहीं था क्योंकि वे किसी भी क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं करते थे।

46.18 अपराध तथा शास्ति

लेखा परीक्षा द्वारा एक नमूना जांच से पता चला कि कोई भी कार्यान्वयन प्राधिकारी तथा म.नि.रो.प्र. किसी मामले को प्रस्तुत करने की स्थिति में नहीं था जहां पर कि शास्ति लगाई गई थी। अधिनियम की प्रक्षालक धारा की कार्यान्वयन प्राधिकारियों द्वारा आह्वहन नहीं किया जा रहा

था। गोवा में, 32 संस्थाओं के प्रति अधिनियमों के उपबन्धों की उल्लधनों के लिए कारण बताओं नोटिस जारी किए थे। परन्तु मामला संस्थाओं के साथ आगे नहीं बढ़ाया गया था।

मा.स.वि. मंत्रालय ने दिसम्बर 1988 में बताया कि चूक संस्थापन का अभियोजना प्रत्येक प्र.प्र.बो. में एक कानूनी प्रकोष्ठ स्थापित करके किया जा सकता था।

म.नि.रो.प्र. ने जनवरी 1989 में बताया कि क्षे.नि.प्र.प्र. केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों तथा केन्द्रीय सरकार के विभागों से सम्बन्ध स्थापित करता था तथा अधिनियम के कार्यान्वयन को सुधारने हेतु सभी प्रेरक प्रयत्न प्रयुक्त किये गये थे।

46.19 नियोक्ताओं द्वारा अभिलेखों तथा विवरणियों के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब

प्रशिक्षुण की प्रगति पर नियंत्रण करने की दृष्टि से प्रशिक्षुओं के व्यक्तिगत ब्यौरों वाली विभिन्न विवरणियां तथा उनकी उपस्थिति के अभिलेख सहित उनके कार्य की प्रगति की सावधिक समीक्षा का प्रत्येक छः मास के बाद नियोक्ताओं द्वारा कार्यान्वयन एजेंसियों को प्रस्तुत करना अपेक्षित था। लेखापरीक्षा में यह अवलोकित किया गया था कि क्षे.नि.प्र.प्र., प्र.प्र. बो तथा रा.प्र.स. द्वारा इस तर्क के आधार पर किये अभिलेख संस्थापनों के निरीक्षण के समय नमूना जांच किये थे तथा अनुपालना हेतु निरीक्षण प्रतिवेदनों में चूके इंगित की गई थी, इन विवरणियों की प्राप्ति के समुचित अभिलेख अनुरक्षित नहीं किये गये थे। तथापि, स्थापनाओं का भी नियमित रूप से निरीक्षण नहीं किया गया था।

क्षे.नि.प्र.प्र. हैदराबाद ने 1984-8 के दौरान कर्मचारियों के अभाव में 34 स्थापनाओं क केवल एक बार निरीक्षण किया था।

प्र.प्र.बो. बम्बई ने 1982-88 दौरान निश्चित किये गये 9944 के लक्ष्य में पर्यवेक्षी कर्मचारियों की कमी के कारण 426 स्थापनाओं का निरीक्षण किया था।

म.नि.रो.प्र.ने जनवरी 1989 बताया कि सभी क्षे.नि.प्र.प्र. तथा रा.प्र.स. क समय पर अभिलेख प्राप्त करने के लिए पुनः प्रयत्न करने का अनुरोध किया जायेगा।

46.20 प्रबोधन

नियोक्ताओं को कार्यान्वयन प्राधिकारिय अर्थात, क्षे.नि.प्र.प्र. प्र.प्र.बो तथा रा. प्र.स को विवरिणयां प्रस्तुत करनी अपेक्षित थी बदले जिसने समेकित सूचना श्रम मंत्रालय म.नि.रा.प्र. तथा मा.स.वि. मंत्रालय को भेजनी थी। इ प्रकार से संगृहित सूचना रो.प्र.म.नि. द्वारा अन्तत त्रैमासिक तथा वार्षिक समेकित की जाती थी तथ के.प्र.प. को प्रस्तुत की जाती थी जो कि कार्यक्रम क समुचित कार्यान्वयन के लिए अंतिम प्राधिकरण था अधिसूचित प्रतिष्ठानों/उद्योगों से अधिनियम तथ नियमों के अधीन कतिपय विवरणियां कार्यान्वयन प्राधिकारियों को प्रस्तुत करना अपेक्षित था।

लेखा परीक्षा में यह पाया गया था कि न तो प्रतिष्ठानों द्वारा क्षे.नि.प्र.प्र. तथ रा.प्र.स. को नियमित रूप से मासिक विवरणिय तथा छः माही प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी न

ही उनके कार्यालयों में विवरणियों की प्राप्ति पर निगरानी के लिए अभिलेख अनुरक्षित किये जा रहे थे।

आन्ध्र प्रदेश में, जनवरी 1988 के लिए 17 प्रतिष्ठानों की मासिक रिपोर्ट अपूर्ण थीं परन्तु बिना किसी जांच के स्वीकार कर ली गई थीं। अर्धवार्षिक रिपोर्टें कवल कुछ एक प्रतिष्ठानों की संकलित की गई थी अर्थात, मार्च 1985 (29 प्रतिष्ठान), सितम्बर 1985, मार्च 1986) 31 प्रतिष्ठान), सितम्बर 1986 (30 प्रतिष्ठान) तथा मार्च 1987 (28 प्रतिष्ठान)।

प्र.प्र.बो. बम्बई द्वारा नियोक्ताओं से त्रैमासिक विवरणियों की प्राप्ति के संबंध में कोई सूचना नहीं भेजी गई थी। पास की गई परीक्षा, प्रशिक्षण हेतु चयन किये गये प्रत्याशियों के लिए प्रमाण पत्र, अंक – सूची तथा पात्रता प्रमाण पत्रों सहित प्रत्याशियों के इंजिनियरी/तकनीकी के क्षेत्र के ब्यौरे प्राप्त किये गये थे।

पंजाब में, कर्मचारियों की कमी के कारण रा.प्र.स. द्वारा अर्ध वार्षिक विवरणियों पर जोर नहीं दिया गया था।

उत्तर प्रदेश में, प्रतिष्ठानों द्वारा भेजी गई विवरणियां न तो पूर्ण थीं न ही पूरी तरह से राज्य तथा क्षेत्र की एक साफ तस्वीकर के लिए समुचित रूप से तालिकाबद्ध की गई थीं।

पश्चिम बंगाल में, प्रतिष्ठानों द्वारा कोई रिपोर्टें तथा विवरणियां प्रस्तुत नहीं की गई थीं।

संघ क्षेत्र चंडीगढ़ में, 1982–88 के दौरान 72 मासिक विवरणियों में से , केवल 43 विवरणियां मंत्रालय को भेजी गई थी जिनमें से छः विवरणियां 2 से 68 दिनों तक के विलम्ब से भेजी गई थी।

लेखा परीक्षा में यह महसूस किया गया था कि नियोक्ता द्वारा कार्यान्वयन प्राधिकारियों को ऐसी असामयिक विवरणीयों से यह संदेहजनक था कि कार्यक्रम का कोई प्रभावशाली प्रबोधन कार्यान्वित किया गया था।

मा.स.वि. मंत्रालय ने दिसम्बर 1988 में बताया कि, सभी बोर्ड विहित कार्यविधि का पालन कर रहे थे परन्तु प्रयाप्त संख्या में अधिकारियों तथा कर्मचारियों के अभाव में, प्रबोधन, बोर्डों की पूर्ण संतुष्टि तक नहीं किया गया था।

म.नि.रो.प्र. ने जनवरी 1989 में बताया कि विवरणियां समय पर भेजने के लिए क्षे.नि.प्र.प्र. तथा रा.प्र.स. से मामले की नियोक्ताओं के साथ उठाने का अनुरोध किया जायेगा।

46.21 राज्य प्रशिक्षुता परिषदें

अधिनियम के अन्तर्गत, अधिनियम के प्रावधानों के निर्बाध तथा शीघ्र कार्यान्वयन को सूनियिचत करने के लिए राज्य सरकारों को तीन वर्ष की अवधि के लिए रा. प्र. प. गठित करनी थी। रा.प्र.प. की महत्त्वपूर्ण अनुशंसाओं की के.प्र.प. द्वारा इसकी वार्षिक सभाओं मे विवेचना की जानी थी। रा.प्र.प. तीन वर्षों की अवधि के बाद पुर्नगठित की जानी थी जिसके असफल रहने पर वे अप्रचालनीय बन जानी थी।

तथापि, यह पाया गया था कि बहुत से मामलों में रा.प्र.प. समय पर पुर्नगठित नहीं की गई थी। रा.प्र.प. ने वार्षिक सभायें भी आयोजित नहीं की ।

गोवा में, रा.प्र.प.जनवरी 1970 में गठित की गई थी तथा केवल अगस्त 1983 में पुर्नगठित की गई थी। रा.प्र.प. ने 1982-88 के दौरान एक बार भी सभी नहीं की ।

पंजाब में, रा.प्र.प. की अवधि 1978 में समाप्त हो गई तथा यह 1986 में पुर्नगठित की गई थी।

तमिलनाडू में, रा.प्र.प. जून 1978 में गठित की गई थी तथा जून 1987 में पुर्नगठित की गई थी।

पश्चिम बंगाल में यद्यपि रा. प्र.प. समय समय पर गठित की गई थी, इसने कभी भी कार्य नहीं किया क्योंकि इसकी कभी भी कोई सभा आयोजित नहीं की गई थी।

म.नि.रो.प्र. ने जनवरी 1989 में बताया कि राज्य सरकारों से, यह सुनिश्चित करने के लिए रा.प्र.स. समय पर गठित की जाये तथा वर्ष में कम से कम एक बार सभा करें, बार-बार अनुरोध किया गया था और कि मामले का अनुसरण किया जायेगा।

46.22 मूल्यांकन

के.प्र.प. ने अपनी 18वीं सभा (अक्तूबर 1985) में, अधिनियम की एक व्यापक ढंग से समीक्षा करने हेतु अपने सदस्यों में से एक कार्यकारी समूह गठित किया। कार्यकारी समूह ने, नवम्बर 1986 में हुई अपनी 19वीं सभा में के.प्र.प. को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा विचार विमर्श के बाद अनुशंसाओं के इन किसी भी उपाय के कार्यान्वयन को अपनाये जाने के लिये रीति विधान सुझाने के लिये उनके सदस्यों में से पुनः एक कार्यदल गठित किया गया था-

(क) प्रशिक्षु अधिनियम का संशोधन, अथवा
(ख) प्रशिक्षु नियमावली का संशोधन, अथवा
(ग) मदें जहां केवल प्रशासकीय अनुदेश अपेक्षित थे।

परन्तु न तो के.प्र.प. ने न ही कार्यबल ने अधिनियम के कार्यान्वयन के संबंध में निम्नलिखित मुद्दों पर विचार किया गया था:

(1) जाने पहचाने उद्योगो/प्रतिष्ठानों जिनमें प्रशिक्षण सुविधाएं थी, में स्थिति उपलब्ध स्थानों का अनुपयोग,

(2) करारों के अनुपालन करने, प्रशिक्षुओं को उन उद्योगों में प्रवेश न देने जहां प्रशिक्षण सुविधाएं आदि उपलब्ध थी, के संबंध में सक्षम प्राधिकारियों द्वारा अधिनियम के शास्ति प्रावधानों के अनुसरण/आह्वाहन करने में विफलता,

(3) अधिनियम में विहित स्नातक/डिप्लोमा धारी प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम का संशोधन (1973 में प्रारंभ किया), तथा प्रशिक्षण को पूरा करने का प्रमाण पत्र का फोर्मेट।

मा.सं.वि. मंत्रालय ने दिसम्बर 1988

में बताया कि स्नातक तथा डिप्लोमाधारी प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण का कार्यक्रम के प्रतिष्ठान से दूसरे प्रतिष्ठान में भिन्न था तथा एक उपयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करने तथा इसको क्षेत्रीय केन्द्रीय प्रशिक्षण सलाहकारों से अनुमोदित करवाने का उत्तरदायित्व नियोक्ता का था तथा प्रशिक्षण का एक सा लोकप्रिय कार्यक्रम होना सम्भव नहीं था।

म.नि.रो. प्र. ने जनवरी 1989 में बताया कि स्थानों का अनुपयोग एक विशुद्ध प्रशासकीय मामला था तथा के.प्र.प. की हाल की सभा में अधिनियम के अकार्यान्वयन हेतु शास्ति बढ़ाने का निर्णय किया गया था। म.नि.रो. प्र. ने. यह भी बताया कि राज्य सरकारों से चूककर्ता प्रतिष्ठानों के विरुद्ध अधिनियम के शास्ति प्रावधान लगाने का अनुरोध किया जायेगा।

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय

47. किराया मुक्त आवास के बजाए मुआवजे की अनियमित अदायगी

केन्द्र सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा सितम्बर 1974 में जारी किये गये आदेशों के अनुसार, केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी जो पदों को जिनके लिए फ्री आवास ग्राह्य थे, धारण किये हैं लेकिन फ्री आवास प्रदान नहीं किया गया है, कर्मचारियों को जो फ्री आवास के लिए योग्य नहीं थे तथा उन्हें मकान किराया भत्ता (म.कि.भ) ग्राह्य था, दिये सरकारी आवास के बारे में लाइसैन्स फी के रूप में वसूलने योग्य राशि के बराबर मुआवजा के अधिकारी थे। क्योंकि कुल देय मुआवजा वास्तविक अदा किये गये किराये से प्रतिबद्ध किया जाना था, किराया रसीद की प्रस्तुति केवल उन मामलों को छोड़कर जहां दावे सरकारी आवास अथवा मकान किराया भत्ता के लिए लाइसैन्स फी से अधिक न हो, जरूरी थी। आदेश पहली नवम्बर 1973 से प्रभावी थे तथा गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आने वाले पुलिस संगठन के कर्मचारियों लिए लागू नहीं थे। इन आदेशों में कुछ संशोधन करके वित्त मंत्रालय ने उन कर्मचारियों द्वारा किराया रसीद की प्रस्तुति को रद्द करने हेतु जिनका वेतन 750 रूपये से अधिक नही था, मार्च 1978 में आदेश जारी किये । उन मामलों में जहां वेतन 750/- रूपये से अधिक था, कर्मचारियों को उसी दरों से मुआवजा तथा मकान किराया भत्ता वसूलने हेतु विकल्प दिया गया था जैसे कि 750/- रूपये पाने वाले तथा उसी स्टेशन पर कार्य कर रहे कर्मचारी पर लागू होता है।

गृह मंत्रालय ने अगस्त 1978 में स्पष्टीकरण दिया कि वित्त मंत्रालय के पहले दिये गये आदेश केन्द्रीय जांच ब्यूरों (के जां ब्यू) में कार्यरत पुलिस कर्मियों को लागू थे। गृह मंत्रालय ने नवम्बर 1978 में पुनः स्पष्टीकरण दिया कि मुआवजे की अदायगी नवम्बर 1973 से पुलिस कर्मियों को सितम्बर 1974 के आदेशों में विहित दरों से की जानी थी । ये आदेश, गृह मंत्रालय द्वारा गलती से जारी किये गये बताये गये थे, बाद में उसके द्वारा रद्द कर दिये गये थे तथा अदायगी रोकने के आदेश अगस्त 1979 में तार द्वारा जारी किये गये थे। इसी बीच 1.08 लाख रूपये (ग्राह्य के रूप में गलती से बताई गई राशि तथा पहले ही अदा की गई म.कि.भत्ता के बीच का अंतर) की राशि की अदायगी नवम्बर 1973 से नवम्बर 1979 तक की अवधि के लिये मुआवजे के रूप में शेषों की अदायगी के जो न्यू बम्बई के 82 कर्मियों को पहले अदा कर दी गई थी।

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय ने अब बम्बई के 82 कर्मचारियों सहित के.जां ब्यू के 1137 कार्यकारी कर्मचारियों को नवम्बर 1973 से नवम्बर 1979 की अवधि के लिये 16.34 लाख रूपये की राशि की गई अधिक अदायगी की वसूली माफ कर दी है (जून 1988)।

खान और इस्पात मंत्रालय

48. भूमि के अधिग्रहिण में निधियों का अवरोधन

भारतीय खान ब्यूरो (ब्यूरो) को अपना अखिल भारतीय मुख्यालय नागपुर में निर्माण करने के लिए भूखंड की आवश्यकता थी और दिसम्बर 1976 में उसने महाराष्ट्र सरकार से उपयुक्त भूखंड के आबंटन हेतु सम्पर्क किया । राज्य सरकार मार्च 1977 में 6.54 एकड़ मापवाले भूखंड तथा उस पर स्थित संरचना जिनका मूल्य क्रमशः 9.97 लाख रूपये और 1.18 लाख रूपये था, आंबटन करने हेतु राजी हो गई । मार्च 1977 में इस्पात और खान मंत्रालय ने खरीद की संस्वीकृति प्रदान कर दी । भूखंड की कीमत तथा उस पर स्थित संरचना हेतु क्रमशः 9.97 लाख रूपये और 1.18 लाख रूपये का भुगतान मार्च 1978 और अगस्त 1979 में कर दिया गया । राज्य सरकार ने 6.54 एकड़ भूखंड में से केवल 5.15 एकड़ भूखंड तथा उस पर स्थित संरचना को ही अक्तूबर 1979 में सौंपा । तथापि, भूंखड पर स्थित संरचना जो कि जुलाई 1980 में खाली की गई थी, के गिराने की संस्वीकृति मंत्रालय द्वारा अप्रेल 1984 में ही जारी की जा सकी। निर्माण कार्य जनवरी 1985 में, केन्द्रीय लोकनिर्माण विभाग द्वारा नागपुर की एक फर्म को, 254.91 लाख रूपये के निविदा मूल्य पर दे दिया गया ।

इसी बीच राज्य सरकार ने 0.66 एकड़ भूखंड जिसकी कीमत 0.98 लाख रूपये थी के शेष को छोड़ते हुए 0.73 एकड़ भूखंड का कब्जा जून 1983 में सौंप दिया। यह भूखंड का भाग निर्माण कार्य के लिए आवश्यक नहीं था अपितु तलक्षेत्र सूचक की संतुष्टि हेतु था।

बकाया भूखंड का कब्जा प्राप्त करने अथवा उसके मूल्य की वापसी (0.98 लाख रूपये) के दावा करने के विषय में लेखा परीक्षा की एक पूछताछ पर (मार्च 1988) मंत्रालय ने बताया (मई 1988) कि जिलाधीश नागपुर कथित भूखंड के मूल्य की वापसी के लिए राजी हो गया है। तथापि, राज्य सरकार के आदेशों की प्रतीक्षा है (सितम्बर 1988)।

इस प्रकार, जुलाई 1980 में खाली कर दी गई संरचना के गिरा दिए जाने की संस्वीकृति जारी करने में करीब चार वर्ष के विलम्ब ने निर्माण कार्य देरी से प्रारंभ करने में सहयोग दिया था। 0.98 लाख रूपये की राशि का दस वर्षों तक अवरोधन रहा और ब्यूरो द्वारा 4.78 लाख रूपये प्रतिवर्ष का खर्च उसके द्वारा मार्च 1988 तक अधिभोगित परिसर के भाडे पर कर रहा था।

मंत्रालय ने अक्तूबर 1988 में बताया कि महाराष्ट्र सरकार के साथ आबंटित भूखंड के कम किए गए क्षेत्रफल के लिए शुद्धिपत्र जारी करने के लिए जोरदार प्रयत्न किए जा रहे है। अप्रैल 1988 में प्राइवेट भवन को खाली करने के बाद ब्यूरों ने नये मुख्यालय भवन का कब्जा ले लिया है।

भूतल परिवहन मंत्रालय

49 बकाया सर्वेक्षण प्रभार

लघु पत्तन सर्वेक्षण संगठन "न लाभ न हानि" के आधार पर विभिन्न राज्य सरकारों तथा सरकारी निकायों की ओर से सर्वेक्षण कार्य का भार अपने ऊपर लेता है। इस कार्य के लिए भारत सरकार सर्वेक्षण के वर्ष से पिछले वर्ष में सर्वेक्षण पर हुए व्यय तथा सर्वेक्षण वर्ष हेतु अन्तिम किराया प्रभार के आधार पर समय समय पर प्रभार

निर्धारित करती है। सरकारी आदेशों में प्रभार निर्धारित करने संबंधी प्रभार की अग्रिम वसूली का प्रावधान नहीं है।

वर्ष 1981-82 से 1986-87 के दौरान संगठन द्वारा किए गए सर्वेक्षणों के 143.22 लाख रूपये के प्रभार नीचे लिखे ब्यौरे अनुसार 31 मार्च 1988 तक बकाया थे:

राज्य सरकार / सरकारी निकाय	सर्वेक्षण का नाम	वर्ष	देय राशि
			(लाख रू. में)
जम्मू और काश्मीर	डल झील	1981-82	0.37
	झेलम नदी	1983-84	6.21
गुजरात समुद्रवर्ती बोर्ड	गोधा	1984-85	22.71
	देहज	1985-86	15.95
	देहज	1986-87	24.08
अन्तर्देशीय जल मार्ग	जोगीगोफा	1985-86	6.85
प्राधिकरण जोगिगोफा	धूबरी	1986-87	52.28
अण्डमान लक्षद्वीप पत्तन निर्माण कार्य	लक्षद्वीप टापू	1986-87	14.77
			143.22

मंत्रालय ने जून 1988 में बताया कि मामला उच्चतम स्तर पर संबंधित अधिकारियों के साथ उठाया गया है तथा बकाया सर्वेक्षण प्रभार केवल केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के विभागों द्वारा ही देय है।

50. निधियों का अविवेकपूर्ण विमोचन

मार्च 1982 में भूतल परिवहन मंत्रालय ने चंडीगढ़ में राजपथ इंजीनियरों के लिए "प्रवेश काल में" और "सेवा काल में" केन्द्रीय राज्य सरकारों के रापथ इंजीनियरों के प्रशिक्षण हेतु एक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किये जाने का निर्णय लिया। व्यय केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा बराबर बराबर वहन किया जाना था। राज्यों का भाग भी केन्द्रीय सरकार द्वारा केन्द्रीय सड़क निधि से सहायता पूर्वक अनुदान के रूप में जारी किया जाना था। मंत्रालय ने संस्थान के लिए भूमि की कीमत हेतु मार्च 1982 में चंडीगढ़ प्रशासन को 20 लाख रूपये की राशि जारी की। अप्रैल 1982 में मंत्रालय का चैक वापिस कर दिये गये थे। क्योंकि भूमि खरीदने के लिए औपचारिकताएं पूरी नहीं की गई थीं।

जनवरी 1983 में सरकार ने राजपथ इंजीनियरों के प्रशिक्षण हेतु राष्ट्रीय संस्थान स्थापित कर दिया तथा जनवरी 1983 में संस्थान को 20 लाख रूपये का भुगतान कर दिया गया था। संस्थान की प्रार्थना पर मंत्रालय ने मौजूदा बजट आबंटन में से मार्च 1983 में इस उद्देश्य के लिये 40 लाख रूपये की और राशि जारी कर दी ।

वर्ष 1983-84 के लिए संस्थान के लेखों के पुनर्रीक्षण से पता चला कि 1983-84 तक जारी किये गये 60 लाख रूपये के अनुदान में से इसके द्वारा केवल 0.71 लाख रूपये ही व्यय किये गये थे। बची हुई शेष राशि 59.29 लाख रूपये में से इसके द्वारा 48 लाख रूपये नकद विकास पत्रों में निवेशित कर दिये गये थे।

मंत्रालय ने, संस्थान की वास्तविक आवश्यकताओं के विषय में संतुष्ट हुए बिना ही, क्योंकि बजट प्रावधान में 25 लाख रूपये उपलब्ध थे, मार्च 1985 में 25 लाख रूपये की एक और राशि जारी कर दी । 1984-85 के दौरान संस्थान ने केवल 0.53 लाख रूपये का खर्च किया। इस प्रकार से 1981-82 उसे 1984-85 के दौरान भुगतान की गई 85 लाख रूपये की एक कुल अनुदान में से केवल 1.24 लाख रूपये का खर्च संस्थान द्वारा किया गया था। दो अनुवर्ती वर्षों के दौरान इसने 21.94 लाख रूपये की एक और राशि भी खर्च की और उसके पास 31 मार्च 1987 को ब्याज सहित कुल 79.57 लाख रूपये का एक शेष था। संस्थान नई दिल्ली में एक किराए के भवन में कार्य कर रहा है। सितम्बर 1987 में संस्थान के स्थान को गाजियाबाद स्थानांतरित करने का निर्णय सिद्धांत रूप से लिया गया था।

वर्ष 1982, 1983 और 1985 के मार्च महीने के दौरान 85 लाख रूपये का जारी किया जाना जिसका परिणाम भारत सरकार के बजट का परिहार्य घाटा था धन का अविवेकपूर्ण प्रबंध बना । इसका परिणाम निधियों का विपथन भी था क्योंकि निधियां नकद विकास पत्रों में निवेशित कर दी गई थी। आवश्यकताओं की तुलना में इतनी बड़ी मात्रा में राशि को जारी किये जाने का अर्थ उन विभागों तथा संठनों को जो इसका प्रयोग मार्च 1982 से मार्च 1987 के दौरान विकास कार्यों हेतु कर सकते थे निधियों का अस्वीकृती करण था।

मंत्रालय ने जनवरी 1989 में बताया कि संस्थान को 85 लाख रू. राशि की निधियों को जारी इस आशा से किया गया था कि भूमि भवन के लिए उपलब्ध करा दी जाएगी तथा निर्माण निकट भविष्य में हाथ में लिया जाएगा।

कपड़ा मंत्रालय

51. पावर लूम सेवा केन्द्र

51.1 प्रस्तावना

पावरलूम सेवा केन्द्रों की स्थापना, पावर लूम बुनकरों को उत्पादन की नवीन एवं बेहतर विधियों में सहायता देने, पावर लूम उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करने तथा पावर लूम उद्योग में संलग्न व्यक्तिरूों को मार्गदर्शन उपलब्ध कराते हुए उनका विविधीकरण करने, प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने तथा उद्योग सम्बंधी अद्यतन आंकड़े एकत्र करने तथा इस प्रकार व्यक्तियों की सामाजिक - आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए की गई हैं। योजना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय समिति द्वारा तैयार की गई प्रारूप योजना के आधार पर बनाई गई थी।

51.2 लेखा परीक्षा का क्षेत्र

कपड़ा आयुक्त, बम्बई के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत स्थापित समस्त बारह केन्द्रों तथा कपड़ा शोध एसोसिएशनों के अधीन चार में से तीन केन्द्रों के कार्य चालन की समीक्षा फरवरी से जुलाई 1988 के दौरान लेखा परीक्षा द्वारा की गई थी ।

51.3 संगठनात्मक ढांचा

सितम्बर 1977 और जनवरी 1988 के बीच विविध राज्यों में स्थापित सोलह पावर लूम सेवा केन्द्रों में से मार्च 1988 तक बारह केन्द्र कपड़ा आयुक्त, बम्बई के सीधे प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करने हेतु स्थापित किए गए थे। 1987-88 के दौरान स्थापित शेष चार केन्द्र अपने अपने राज्यों में स्थित कपड़ा शोध एसोसिएशन के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करते हैं। कपड़ा आयुक्त विभिन्न केन्द्रों/एसोसिएशनों से नियत कालीय प्रतिवेदनें प्राप्त करता है तथा एक समग्र समन्वयकारी प्राधिकारी के रूप में कार्य करता है।

51.4 विशिष्टताएं

- यद्यपि पावरलूम सेवा केन्द्र, पावरलूमों के अधिक सकेन्द्रण वाले राज्यों से स्थापित किए जाने थे, आंध्र प्रदेश, असम तथा हरियाणा राज्यों में जहां पावरलूमों की अधिक संख्या थी केन्द्र स्थापित नहीं किए गए थे, बिहार, केरल और उड़ीसा में जहां पावरलूमों की संख्या अपेक्षाकृत कम थी, केन्द्र स्थापित किए गए थे।

- अमृतसर, सूरत तथा त्रिचूर के केन्द्रों ने विद्युत कनेक्शन देर से मिलने के कारण कार्य 2 वर्ष से 5 वर्षों तक की देर के बाद प्रारम्भ किया।

- समस्त केन्द्रों में (गया के अतिरिक्त) 1987-88 तक के विगत 6 से 10 वर्षों के मध्य आवास के देर से आबंटन होने, मशीनरी की अनुपलब्धता आदि के कारण बजट प्रावधानों की तुलना में व्यय में न्यूनता थी।

- कपड़ा अनुसंधान एसोसिएशनों के अधीन चार केन्द्रों को 1987-88 के दौरान भुगतान किये गए अनुदानों का पूर्ण उपयोग नहीं हुआ था।

- नीति निर्धारण हेतु सांख्यिकीय आंकड़े एकत्र करने के लिए जुलाई 1979 में प्रारम्भ किया गया घर से घर सर्वेक्षण जून 1982 में बंद कर दिया गया था। तदुपरान्त आदेशित नमूना सर्वेक्षण भी संतोषप्रद नहीं थे। विस्तृत सूचना अभी भी उपलब्ध नहीं है।

- पावर लूम बुनकरों की बृहत संख्या को विचारते हुए, प्रत्येक वर्ष के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु निर्धारित लक्ष्य निम्न थे। किसी भी केन्द्र में ये निम्न लक्ष्य भी प्राप्त नहीं किए गए हैं।

- यद्यपि बुनकरों को परीक्षण सुविधाएं केन्द्रों द्वारा निशुल्क उपलब्ध कराई जानी अपेक्षित थीं, अनेक केन्द्रों के पास उपयुक्त स्थान एवं प्रयोगशाला सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी।

- केन्द्रों के पास समस्त अपेक्षित मशीनरी नहीं थीं, इसके अतिरिक्त मशीनरी के संस्थापन तथा उपयोग में विलम्ब थे। सूरत केन्द्र में जो केवल कला शिल्क धागे वाले एकक की आवश्यकताओं की ही पूर्ति करता था, सूती धागा परीक्षण में उपयोगी मशीनरी उपलब्ध कराई गई थी।
- नमूनों का परीक्षण केन्द्रों के लिए निर्धारित लक्ष्यों का 22 प्रतिशत मात्र था।
- नवीन डिजाइनों के विकास में पर्याप्त न्यूनता थी और उत्पादन के विविधीकरण की केवल 33 प्रतिशत तक की उपलब्धि हुई थीं।
- केन्द्रों के परामर्शदायी निकायों ने अपनी यथा अपेक्षित त्रैमासिक बैठकें नहीं की थीं। कपड़ा आयुक्त के अभिलेखों से, परामर्श दायी निकायों की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई के सम्बंध में सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं थी।
- बुरहापुर, कलकत्ता, कटक, किशनगढ़ और मालेगाव केन्द्रों के सेवा क्षेत्र में अनेक पावर लूम एककों को या तो बन्द कर दिया गया था या उन्हें निष्क्रिय रखा गया था क्योंकि उन का प्रचालन आर्थिक रूप से व्यवहार्य न था।

51.5 केन्द्रों के उद्देश्य

पावरलूम सेवा केन्द्रों को निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए स्थापित किया गया था:-

(क) प्रौद्योगिकी, उत्पादन ढांचा, कच्चेमाल की आपूर्ति, विपणन सुविधाएं, वित्त, श्रम आदि की स्थिति के सम्बन्ध में प्रत्येक राज्य में पावरलूम उद्योग के आंकड़े एकत्र करना तथा सरकार को नीति निर्धारण हेतु सूचना उपलब्ध करना;

(ख) पावरलमों की उत्पादकता एवं गुणवत्ता उन्नत करने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करना;

(ग) पावरलूम बुनकरों को निर्मूल्य परीक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराना;

(घ) नवीन डिजाइनें प्रोन्नत करना एवम् पावर लूम उत्पादन का विविधीकरण करना ;

(ड.) अधिक उत्तम वयवस्था, लागत व बर्बादी में कमी तथा कच्चे माल की अधिप्राप्ति के लिये तकनीकी सूचना तथा मार्गदर्शन उपलब्ध कराना; तथा

(च) पावर लूम उद्योग के विकास हेतु विभिन्न पावरलूम एसोसिएशनों/ सहकारी समितियों तथा राज्य सरकारों के साथ सामंजस्य स्थापित करना।

51.6 केन्द्रों की स्थापना

51.6.1 कपड़ा आयुक्त के अधीन केन्द्र:- कपड़ा

आयुक्त, बम्बई के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन पवरलूम सेवा केन्द्र निम्न प्रकार से हैं:-

क्रम सं.	स्थान	स्थापना का महीना व वर्ष
1.	मालेगांव (महाराष्ट्र)	सितम्बर 1977
2.	कलकत्ता (पश्चिम बंगाल)	जनवरी 1978
3.	बुरहानपुर (मध्य प्रदेश)	जनवरी 1979
4.	गया (बिहार)	जनवरी 1979
5.	किशनगढ़ (राजस्थान)	जनवरी 1979
6.	मउनाथ भंजन (उत्तर प्रदेश)	जनवरी 1979
7.	कटक (उड़ीसा)	दिसम्बर 1980
8.	इरोड (तमिलनाडु)	मार्च 1981
9.	अमृतसर (पंजाब)	अप्रैल 1981
10.	बेलगाम (कर्नाटक)	सितम्बर 1981
11.	त्रिचूर (केरल)	दिसम्बर 1981
12.	सूरत (गुजरात)	मार्च 1982

जबकि अमृतसर और सूरत के केन्द्र क्रमशः ऊनी तथा कला सिल्क पावर लूम उद्योगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, अन्य केन्द्र केवल सूती पावरलूम उद्योगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं।

पावरलूम सेवा केन्द्रों के स्थान का चयन, राज्य में पावरलूमों की संख्या तथा स्थान विशेष पर उनके सघनीकरण को दृष्टिगत रखते हुए किया गया बताया गया था। कपड़ा आयुक्त के अभिलेखों से विदित हुआ था कि आंध्र प्रदेश (13904 करघे), असम (2250 करघे) तथा हरियाणा (5355 करघे) राज्यों में कोई केन्द्र स्थापित नहीं किया गया है जबकि बिहार (907 करघे), केरल (2082 करघे) तथा उड़ीसा (1550 करघे) में ऐसे केन्द्र खोले गए थे। कर्नाटक में बंगलौर में, जहां 24040 पावरलूम थे कोई सेवाकेन्द्र स्थापित नहीं किया गया है जबकि बेलगाम में जहां 8712 पावरलूम थे, ऐसा एक केन्द्र स्थापित किया गया है।

विद्युत शाक्ति कनैक्शन प्राप्त करने में देरी के कारण अमृतसर, सूरत और त्रिचूर के केन्द्रों ने अपनी स्थापना से दो से पांच वर्ष व्यतीत होने के बाद पूर्ण परिचालन प्रारम्भ किया था।

51.6.2 कपड़ा अनुसंधान एसोसिएशनों के अधीन

केन्द्र:- कपड़ा मंत्रालय ने, यह सुनिश्चित करने के लिये कपड़ा आयुक्त के अधीन वर्तमान केन्द्र किस सीमा तक उनको सौंपे गये कार्यों का निष्पादन कर रहे थे तथा उन की प्रचालन सक्षमता में उन्नति हेतु उपाय सुझाने के उद्देश्य से, केन्द्रों के क्रिया कलाप का मूल्यांकन दक्षिण भारत पकड़ा अनुसंधान एसोसिएशन (द.भा.क.अ.ए.) को सौंप दिया। कपड़ा आयुक्त, बम्बई के अधीन वर्तमान केन्द्रों के क्रियाकलाप का मूल्यांकन लम्बित रहने के कारण अप्रैल 1982 से मार्च 1987 के दौरान कोई नया केन्द्र स्थापित नहीं किया गया था । अक्तूबर 1984 के अपने प्रतिवेदन में द· भा.क. अ.ए. ने बताया कि उन के द्वारा दौरें किये गये केन्द्रों का निष्पादन विशेषतया बनुकरों को प्रशिक्षण तथा तकनीकी सहायता देने के मामले में संतोषजनक नहीं था। स्थानीय पावर लूम परिचालकों के साथ पर्याप्त पारस्परिक प्रभाव नहीं था। द.भा. क.अ.ए. ने सिफारिश की कि केन्द्रों की व्यवस्था सहकारी अनुसंधान संगठनों जैसी बाह्य अभिकरणों को दे दी जाये। कपड़ा मंत्रालय ने जुलाई 1986 में कपड़ा अनुसंधान एसोसिएशनों (क.अ.ए.) के अधीन नए पावरलूम केन्द्र खोलने का निश्चय किया। तदनुसार निम्न केन्द्र खोले गए थे:

क्रम संख्या	क.आ.ए. केन्द्र का नाम	स्थापना का महीना व वर्ष
1.	उत्तर भारत कपड़ा अनुसंधान एसोसिएशन (उ.भा.क.अ.ए.) टांडा-उत्तर प्रदेश	अप्रैल 1987
2.	दक्षिण भारत कपड़ा अनुसंधान एसोसिएशन (द.भा.क.अ.ए.) संकरनकोइल-तमिनाडू	मई 1987
3.	अहमदाबाद कपड़ा उद्योग एसोसिएशन (अ.क.उ.अ. ए.) अहमदाबाद-गुजरात	जुलाई 1987
4.	बम्बई राज्य कपड़ा अनुसंधान (ब.क.अ.ए.) इचलकरंजी- महाराष्ट्र	जनवरी 1988

इचलकरंजी के केन्द्र को अपने प्रचालन अभी प्रारम्भ करने हैं (अगस्त 1988)।

51.7 बजट प्रावधान तथा वास्तविक व्यय

51.7 .1 1977 में बनाई गयी योजनाओं के विवरणों के अनुसार प्रत्येक केन्द्र की पूंजी तथा वार्षिक आवर्ती व्यय क्रमश : 2 लाख रू. तथा 0.65 रू. अनुमानित किये गये थे।

31 मार्च 1988 को समाप्त अवधि के लिए वास्तविक बजट आबंटन तथा व्यय निम्न प्रकार थे:

क्रम सं0	केन्द्र का नाम	अवधि	बजट आवंटन (लाख रूपयों में)	व्यय
1.	मालेगांव	1978-79 से 1987-88 (10 वर्ष)	19.00	15.53
2.	कलकत्ता	1982-83 से 1987-88 (6 वर्ष)	14.79	12.31
3.	बुरहानपुर	1978-79 से 1987-88 (10 वर्ष)	18.49	14.08
4.	गया	1981-82 से 1987-88 (7 वर्ष)	9.65	10.20
5.	किशनगढ़	1978-79 से 1987-88 (10 वर्ष)	19.90	16.18
6.	मऊनाथमंजन	1979-80 से 1987-88 (9 वर्ष)	15.91	14.36
7.	कटक	1980-81 से 1987-88 (8 वर्ष)	15.73	13.02
8.	इरोड	1980-81 से 1987-88 (8 वर्ष)	16.39	13.42
9.	अमृतसर	1980-81 से 1987-88 (8 वर्ष)	17.15	13.71
10.	बेलगाम	1981-82 से 1987-88 (7वर्ष)	14.11	12.93

1	2	3	4	5
11.	त्रिचूर	1981-82 से 1987-88 (7 वर्ष)	13.83	11.53
12.	सूरत	1982-83 से 1987-88 (6 वर्ष)	13.07	12.25

बजट आवंटन के सन्दर्भ में व्यय में कमी का कारण अप्रैल 1988 में कपड़ा आयुक्त द्वारा आदेशित मशीनों की अनापूर्त्ति, उपयुक्त स्थान का देर से आबंटन, परिसरों के किराए का अभुगतान, बाजार वांछित धागा बीमों की समय पर अनुपलब्धि तथा प्रतिष्ठापित मशीनरी के लिए शक्ति आपूर्ति के प्राप्त करने में कठिनाइयां, बतायी थी।

51.7.2 कपड़ा अनुसंधान ऐसोसिएशनों के अधीन स्थापित केन्द्रों के लिए 1.50 लाख रू. का पूंजी निवेश तथा 3 लाख रू. का आवर्ती व्यय प्रस्तावित किया गया था। इस केन्द्र के बुनकरों के प्रशिक्षण हेतु आवश्यक उपादानों के लिये सुविधाएं सम्मिलित नहीं थीं। भारत सरकार द्वारा कपड़ा अनसंधान एसोसिएशनों को सहायता अनुदान संस्वीकृत किए गए थे। 1987-88 के दौरान भुगतान शुदा अनुदानों तथा उन में से व्यय की केन्द्र वार स्थिति निम्न प्रकार थी:-

केन्द्र का नाम	संस्वीकृत अनुदान	व्यय
		(लाख रूपयों में)
अहमदाबाद	4.50	उपलब्ध नहीं
इचलकरंजी	4.50	0.11
संकरनकोइल	3.26	1.79
टांडा	4.50	1.33

51.8 आंकड़ों का संग्रहण

कपड़ा आयुक्त ने जुलाई 1979 में प्रत्येक केन्द्र को पावरलूमों का घर से घर से घर सर्वेक्षण करने तथा नीति निर्धारण हेतु सरकार द्वारा वांछित आंकड़े एकत्रित करने का निर्देश दिया था। तथापि, केन्द्र घर से घर सर्वेक्षण करने में असमर्थ थे क्यों कि राज्य सरकारों के पास चालू पावर लूमों की जिले वार तथा क्षेत्रानुसार सूची उपलब्ध नहीं थी। अतः जून 1982 में सर्वेक्षणों को बन्द कर दिया गया। तथापि, 1982 -83 तक केन्द्रों ने कुछ पावरलूम इकाइयों अर्थात अमृतसर (621), बेलगाम (231), कलकत्ता (376), इरोड (484), गया (978), किशनगढ़ (1354) तथा मऊनाथभंजन (320) का भ्रमण कर लिया था।

घर से घर सर्वेक्षण बंद होने के बाद जून 1982 में, केन्द्रों को नमूने सर्वेक्षण कर के आंकड़े प्राप्त करने के लिये निदेश दिया गया था तथा इस उद्देश्य के लिए आवश्यक सूचना राज्य कपड़ा अधिकारियों से प्राप्त की जानी थी। तब से 1987-88 के अन्त तक दौरा की गई पावर लूम इकाइयों की संख्या अमृतसर (1078), बेलगाम (365), बुरहानपुर (38) कलकत्ता (358), कटक (52), इरोड (224), गया (97), किशनगढ़ (1225) मालेगांव (105), मऊनाथभंजन (694), सूरत (625) तथा त्रिचूर (145) थी।

चूंकि वांछित आंकड़े प्राप्त करने का कार्य कई वर्ष व्यतीत होने के बाद भी अपूर्ण था, कपड़ा आयुक्त ने राज्य सरकारों पर अभीष्ट आंकड़े संकलित करने की शीघ्र आवश्यकता पर जोर दिया (नवम्बर 1987)। यह कार्य तथा प्रतिवेदित, पावरलूमों का पंजीकरण पूर्ण होने के बाद अप्रैल 1988 में प्रारम्भ किया जाना था। तथापि, इस सम्बंध में कोई प्रगति नहीं हुई है (अगस्त 1988)। इस प्रकार व्यापक आंकड़े जो योजना के लिए पूर्वापेक्षित हैं, अभी तक उपलब्ध नहीं है।

केन्द्रों के अधिकारियों तथा तकनीकी कर्मचारियों द्वारा पावरलूम इकाइयों के दौरों के दौरान दृष्टिगत लाई गई समस्याएं ये थीं (1) धागे का उच्चमूल्य (कलकत्ता, कटक, इरोड, मऊनाथ भंजन और त्रिचूर), (2) संसाधन एवं विपणन सुविधाओं की कमी (कलकत्ता, गया, मऊनाथ भंजन तथा त्रिचूर), (3) ऊर्जा की कमी (गया, मऊनाथ भंजन तथा त्रिचूर) तथा (4) बुनकरों को अपर्याप्त आर्थिक सहायता तथा प्रचालन पूंजी (कटक, इरोड, गया, मालेगांव तथा मऊनाथ भंजन)। बुनकरों की व्यापारियों पर निर्भरता, श्रम समस्या (कलकत्ता), लाभ की कम मात्रा (मालेगांव), परिमापित बीमों की पर्याप्त संख्या की कमी तथा कच्चा माल प्राप्त करने में कठिनाइयों, राज्य कपड़ा निदेशक तथा जिला उद्योग केन्द्रों/राज्य वित्तीय निगमों के बीच सामंजस्य का अभाव तथा हथकरघा क्षेत्र (कटक) के साथ प्रतिस्पर्धा जैसी दृष्टिगत अन्य समस्याएं थी।

51.9 मासिक प्रतिवेदन

पावरलूम उद्योग के आंकड़े संग्रहीत करने के उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए कपड़ा आयुक्त ने मार्च 1980 से पूर्व अपने नियंत्रणाधीन प्रत्येक केन्द्र द्वारा मासिक क्रियाकलाप प्रतिवेदनें भेजी जानी निर्धारित की। अप्रैल 1987 से जनवरी 1988 के दौरान स्थापित कपड़ा अनुसंधान एसोसिएशनों के नियंत्रणाधीन चार केन्द्रों के लिए इस प्रकार के

प्रतिवेदन सर्वप्रथम फरवरी 1988 में निर्धारित किए गए थे। प्रारूप में बजट, मशीनरी, कर्मचारी वर्ग, प्रतिशक्षित व्यक्ति, परीक्षित नमूने, विकसित नमूने आदि जैसे आंकड़ों पर सूचना देने के लिये प्रावधान था। तथापि प्रारूप में बुनकरों द्वारा प्राप्त किए गए लाभों को सुनिश्चित करने हेतु केन्द्रों द्वारा विकसित तथा अपनाई गई प्रक्रिया को जानने के लिए प्रावधान नहीं था। इस सन्दर्भ में कपड़ा आयुक्त ने मई 1988 में अभिव्यक्त किया कि उनका कार्यालय पावरलूम केन्द्रों के कार्याचालन की निरंतर समीक्षा करता है तथा उन्हें दिशा निर्देश देता है।

5I.10 प्रशिक्षण कार्यक्रम

प्रशिक्षण का उद्देश्य बुनकरों को कुशल क्रियाकलाप के लिए उत्प्रेरित करना और करघों की अधिक साज संवार, धागे का मूल्यांकन आदि था जिससे कि पावरलूम क्षेत्र की उत्पादकता तथा गुणवत्ता में सुधार हो । कपड़ा आयुक्त द्वारा 1979–80 में बनाए गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों में तीन मास की अवधि के लिये प्रशिक्षण की व्यवस्था तथा पाठ्यक्रम में सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक दोनों प्रशिक्षण सम्मिलित थे।

निर्धारित लक्ष्य 12 प्रत्याशी प्रति तिमाही अर्थात् 48 प्रतिवर्ष को प्रशिक्षण देने के थे एक वर्ष की प्रारम्भिक अवधि जो केन्द्रों के प्रशिक्षण हेतु पूर्णरूप से साधन सम्पन्न होने के लिए तर्कसंगत रूप से वांछनीय है की गणना न करते हुए प्रत्येक केन्द्र पर प्रशिक्षण के लक्ष्य एवम् उपलब्धियां निम्न प्रकार थी:–

क्रम सं0	केन्द्र का नाम	वर्ष 1987–88 तक प्रशिक्षित किए जाने वाले वांछित व्यक्तियों की संख्या	1987–88 तक प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या
1.	अमृतसर	324	33
2.	बेलगाम	240	56
3.	बुरहानपुर	384	196
4.	कलकत्ता	432	133
5.	कटक	276	170
6.	इरोड	288	289
7.	गया	384	143
8.	किशनगढ़	384	165

2	3	4
. मालेगांव	432	246
). मऊनाथ भंजन	384	200.
1. सूरत	264	53
२. त्रिचूर	240	108
जोड़ :	4032	1792

उन सभी राज्यों में जहां केन्द्र स्थापित किए गए हैं, पावर करघों की 31 जुलाई 1988 को संख्या 9.61 लाख है तथा पावर लूम बुनकरों की संख्या भी लगभग उतनी ही होगी। एक तरफ इस विशाल संख्या को तथा प्रशिक्षण हेतु निर्धारित लक्ष्यों के प्रति उपलब्धियों को ध्यान में रखने पर प्रशिक्षण में न्यूनता अत्याधिक है।

कपड़ा अनुसंधान एसोसिएशनों के अधीन केन्द्रों द्वारा प्रशिक्षित किये गये व्यक्तियों की संख्या अहमदाबाद में 34, इचलकरंजी में शून्य, संकरनकोइल में 17, तथा टांडा में 40 थी।

लक्ष्यों के प्रति प्रशिक्षण में न्यूनता के लिए मुख्य कारण कर्मचारियों का अभाव (बुरहानपुर, गया तथा मालेगांव) केन्द्र के प्रभारी अधिकारियों में पहल करने की भावना का अभाव (मऊनाथ भंजन) होस्टल सुविधाओं का अभाव (किशनगढ़), पावरलूम क्षेत्र द्वारा श्रमशक्ति संपोषित करने में कम उत्साह (अमृतसर, भागलपुर, सूरत तथा त्रिचूर), मशीनरी की अनुपलब्धता तथा निष्क्रियता और पावर लूमों की कम संख्या (बुरहानपुर और त्रिचूर) बताए गए थे (फरवरी/ जुलाई 1988)। सूरत के केन्द्र ने न्यूनता का कारण न केवल मशीनरी की निष्क्रियता को ही अपितु केन्द्र की सुदूर स्थिति तथा अनुदेश का माध्यम स्थानीय भाषा में न होना भी बताया।

दिसम्बर 1984 में, केन्द्रों की कार्यकुशलता उन्नत करने उपाय सुझाने वाली द.भा.क.अ.ए. की सिफारिशों को दृष्टिगत रखते हुए कपड़ा, आयुक्त ने केन्द्रों से एक आध सप्ताह के लघु अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाने के लिए कहा कलकत्ता, गया और मालेगांव के केन्द्रों ने ऐसे किसी कार्यक्रम की व्यवस्था नहीं की जब कि इस प्रकार के लघु अवधि के पाठ्यक्रम परिचालन करने संबंधी अन्य केन्द्रों की उपलब्धि नगणय थी।

चूंकि पावरलूम उद्योग की विविध योजनाओं का कार्यान्वयन राज्य में पावर लूम बुनकरों की आर्थिक सम्पन्नता हेतु था, भारत सरकार ने 1984 में राज्य सरकारों को 200 रू. प्रति प्रशिक्षु की दर से वृत्तिका भुगतान करने का परामर्श दिया।

तथापि, अमृतसर, किशनगढ़, मालेगांव तथा सूरत के केन्द्रों में प्रशिक्षुओं को कोई वृत्तिका नहीं दी गई थी। कलकत्ता, गया और मऊनाथ भंजन के केन्द्रों द्वारा प्रति प्रशिक्षु 100 रू. प्रतिमास, बेलगांम और बुरहानपुर के केन्द्रों द्वारा 150 रू. तथा त्रिचूर के केन्द्र द्वारा 200 रू. की दर से वृत्तिकाएं दी गई थी। सूरत के केन्द्र ने दिसम्बर 1987 में 300 रू. प्रतिमास के वृत्तिका प्रावधान की सिफारिश की । कपड़ा आयुक्त ने अप्रैल 1988 में बताया कि यद्यपि कुछ राज्य सरकारों में प्रशिक्षुओं के लिए वृत्तिका की व्यवस्था की गई थी, तथापि दूरस्थ स्थानों के व्यक्ति वृत्तिका की अपर्याप्तता के कारण प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो पाते थे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण में व्यतीत किए गए दिनों के दौरान वेतन की हानि होने का भी भय रहता था।

अमृतसर, बुरहानपुर, कलकत्ता, इरोड, गया, किशनगढ़ , सूरत और त्रिचूर के केन्द्रों द्वारा यह दर्शाने हेतु कोई अभिलेख नहीं रखे गये थे कि क्या पावरलूम केन्द्रों में प्रशिक्षीत व्यक्तियों ने पावरलूम क्षेत्र में ही कार्य करना जारी रखा था।

51.11. परीक्षण सुविधाएं

51.11.1 आवास:- प्रत्येक केन्द्र को बुनकरों के लिये निर्मूल्य परीक्षण सुविधाएं उपलब्ध की जानी थी। प्रत्येक केन्द्र पर प्रदर्शन कक्ष, कार्यालय कक्ष तथा मशीनरी के लिए कुल क्षेत्रफल लगभग 4500 से 5000 वर्ग फीट अपेक्षित था। राज्य सरकारों द्वारा केन्द्रों को आबंटित क्षेत्रफल अमृतसर (3700 वर्ग फीट), कटक (2880 वर्ग फीट), गया (2000 वर्ग फीट) सूरत (3600 वर्ग फीट) और त्रिचूर (3700 वर्ग फीट) था। बकाया केन्द्रों के सम्बन्ध में निर्धारित पैमाने के स्थान उपलब्ध किये गए थे। बुरहानपुर केन्द्र जिसे राज्य सरकार द्वारा कोई आवास उपलब्ध नहीं किया गया था, जनवरी 1979 से 3600 वर्ग फीट के 950 रू. प्रतिमास के किराए के आवास में चलाया जा रहा था।

51.11.2 प्रयोगशाला:- मानक स्थितियों का परीक्षण करने हेतु परीक्षण प्रयोगशाला का वातानुकूलित होना अपेक्षित था। निम्नलिखित केन्द्रों में वातानुकूलक खरीदने में तथा उन के प्रतिष्ठापन में विलम्ब हुए थे।

कलकत्ता के केन्द्र में अक्तूबर 1987 से पूर्व परीक्षण प्रक्रिया कर्मशालाओं में की जाती थी जहां पर करघे प्रतिष्ठापित किये गये थे तथा जिनमें वातानुकूलन मशीनरी उपलब्ध थी। गया के केन्द्र में वातानुकूलक अक्तूबर 1987 से निष्क्रिय पड़ा हुआ है। यद्यपि कपड़ा आयुक्त ने सूचित किया था कि बेलगांव में फरवरी 1984 में वातानुकूलित प्रयोगशाला प्रतिष्ठापित की जा चुकी थी, केन्द्र ने मार्च 1988 में बताया कि प्रयोगशाला का निर्माण कार्य अभी भी केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के साथ पत्राचाराधीन था। इस सुविधा के अभाव में 0.67 लाख रू. मूल्य के विभिन्न परिष्कृत उपकरण एक खुले शेड में रखे हुये बताए गए थे।

51.11.3 मशीनरी एवम् उपस्कर:- प्रत्येक पावरलूम सेवा केन्द्र को (1) टोकरायुक्त अनुभागीय ताना मशीन, शंकु लपेटन मशीन की गुच्छी, पिर्नलपेटन मशीनें तथा पांच पावरलूम जैसी तैयारी की मशीनें और (2) परीक्षण उपस्कर यथा रेप रील, लीपरीक्षण, एक धागा परीक्षण, ऐंठन परीक्षण मशीनें इत्यादि से सज्जित किया जाना अपेक्षित था। निम्नलिखित केन्द्रों में निम्नांकित मशीने प्रतिष्ठापित नहीं की गई थी (अप्रैल 1988):-

क्रम सं.	प्रतिष्ठापित न की गई मशीन का नाम	केन्द्र
1.	कपड़ा निरीक्षण स्वचालित कपड़ा निरीक्षण करने वाली मशीन	बुरहानपुर, कटक, इरोड, मऊनाथ भंजन, और त्रिचूर ।
2.	अनुभागीय ताना मशीन	बेलगाम, कलकत्ता, किशनगढ़ और त्रिचूर।
3.	होमी-लैब-ह्यूमीडीफायर	मऊनाथ भंजन
4.	जैक्वार्ड मशीन	बेलगाम
5.	शंकुलपेटन मशीन की गुच्छी	कलकत्ता, किशनगढ़
6.	बोबिन पिर्न बाइन्डिग मशीन	कटक
7.	ड्राप बाक्स मशीन	कलकत्ता
8.	पिर्न वाइंडिंग मशीन	अमृतसर

इन अनिवार्य मशीनों के अभाव में यह ज्ञात नहीं था कि इन मशीनों के कार्य किस प्रकार सम्पन्न किए जा रहे थे। कलकत्ता के केन्द्र ने सूचित किया कि मशीनों के अभाव में बीम बनाने के कार्य में व्यवधान होता था तथा बाजार से बने बनाए बीम खरीदने पड़ते थे। कटक के केन्द्र में क्रील भरने का कार्य तथा करघों के लिए बाना बनाने का कार्य अवरूद्ध था तथा वर्तमान में यह स्वदेशी हस्तचालित "चरखे" से काम चलाया जा रहा बताया गया था। तथापि, कपड़ा आयुक्त ने बताया (अप्रैल 1988) कि केन्द्रों में इन मशीनों की अनुपलब्धता से केन्द्रों की समग्र कार्य चालन स्थिति पर कोई विशिष्ट प्रभाव नहीं पड़ेगा।

51.11.4 मशीनों के प्रतिष्ठापन में विलम्ब:- कपड़ा आयुक्त के अधीन प्रत्येक केन्द्र के पास 11 से 28 तक मशीनें हैं। प्रत्येक केन्द्र में जहा क्रय के उपरान्त प्रतिष्ठापन में एक वर्ष से अधिक का विलम्ब और प्रतिष्ठापन के बाद प्रचालन में विलम्ब था, मशीनों की संख्या निम्न प्रकार थी :-

क्रम सं.	केन्द्र का नाम	मशीनों की संख्या	
		प्रतिष्ठापन में विलम्ब	प्रचालन में विलम्ब
1.	अमृतसर	अभिलेख नहीं रखे गए	
2.	बेलगाम	6	
3.	बुरहानपुर	2	अनुपलब्ध
4.	कलकत्ता	4	6
5.	कटक	4	6.
6.	इरोड	4	6
7.	गया	9	3
8.	किशनगढ़	1	1
9.	मालेगांव	–	4
10.	मऊनाथ भंजन	8	अनुपलब्ध
11.	सूरत	12	15
12	त्रिचूर	13	2

विलम्ब के लिये प्रमुख कारण, इमारत और जल ताल की अनुपलब्धता (इरोड), अतिरिक्त पुरजों की अनुपलब्धता (कलकत्ता, गया और किशनगढ़) मशीनों को प्रतिष्ठापित करने और उनका प्रचालन करने में सक्षम व्यक्तियों की अनुपलब्धता, उपलब्धता में विलम्ब (इरोड, त्रिचूर) आवासीय समास्याएं (कलकत्ता, इरोड और गया), विद्युत कनैक्शनों में विलम्ब (बेलगाम, इरोड, सूरत और त्रिचूर), बताए गए थे। मऊनाथ भंजन के केन्द्र के लिए नवम्बर 1979 में खरीदी गयी एक पावरलूम कपड़ा आयुक्त से अनुमोदन विलम्ब से प्राप्त होने तथा उपस्करों को प्रतिष्ठापित करने के लिए सक्षम व्यक्तियों की अनुपलब्धता के कारण 6 वर्ष और 9 माह व्यतीत होने के उपरान्त प्रतिष्ठापित किया गया था।

51.11.5 मशीनरी प्रतिष्ठापित की गई किन्तु निष्क्रिय पड़ी रही :- अनुभागीय ताना मशीन तथा कपड़ा निरीक्षण मशीन (मालेगांव में), ओवन फैब्रिक शक्ति परीक्षक, हस्तचालित ऐंठन परीक्षक,

तस्मीरा क्रिम्प परीक्षक (बुरहानपुर में), तीन ह्यूमिडीफायर टाइम जो कपड़ा आयुक्त से मंगाए नहीं गए थे तथा एक करधा (किशनगढ़ में) तीन वर्षों से अधिक से निष्क्रिय पड़े हुए थे। अमृतसर के केन्द्र में 1980 और 1985 के बीच खरीदी गई 2.06 लाख रू. मूल्य की मशीनरी मार्च 1986 तक प्रयोग में नहीं लाई गई थी। परीक्षण मशीनरी अर्थात् फैब्रिक शक्ति परीक्षक, स्कल धागा परीक्षक गर्म वायु भट्टी की सूरत के केन्द्र द्वारा आवश्यकता नहीं थी क्योंकि टैंसिल शक्ति परीक्षण केवल सूती वस्त्रों के लिए किये जाने अपेक्षित थे जब कि सूरत केन्द्र केवल कला रेशम पावर लूम उद्योगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। कपड़ा आयुक्त द्वारा इस उपस्कर को अन्यत्र स्थानान्तरित करने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई है (मार्च 1988), जबकि केन्द्र के द्वारा जुलाई 1986 में अनुरोध किया गया था।

51.11.6 नमूनों का परीक्षण: दिसम्बर 1987 से पूर्व केन्द्रों के उनकी मासिक क्रियाकलाप प्रतिवेदनों का अध्ययन करने के उपरांत परीक्षण में सुधार के लिये परामर्श दिया गया था। दिसम्बर 1987 में कपड़ा आयुक्त द्वारा प्रतिमास परीक्षित किए जाने वाले नमूनों के लिए लक्ष्य निर्धारित किये गये थे। पांच प्रकार के परीक्षणों में कुल मिलाकर 50 नमूने परीक्षित किए जाने थे। परीक्षण भारतीय मानक संस्थान (भा मा सं) के विनिर्देशनों के अनुसार किए जाने थे। परीक्षण परिणाम धागे की बारीकी, धागे की "ली" शक्ति, प्रति इंच ऐंठन गणना के प्रतिफल और कपड़ा विश्लेषण के रूप में दर्शाए जाने थे। यदि केन्द्र पर्याप्त नमूने एकत्र करने में असमर्थ रहे तो क्षेत्रीय कार्यालयों को नमूनों की आपूर्ति करने के निर्देश दिए गए थे। दिसम्बर 1986 में केन्द्रों को यह भी निर्देश दिए गए थे कि नमूनों की आपूर्ति हेतु यदि व्यवसायी स्वयमेव पर्याप्त-संख्या में आगे नहीं आते तो नमूनों की आपूर्ति बाजार से की जावें।

दिसम्बर 1987 में निर्धारित 50 नमूने प्रतिमास प्रति केन्द्र के लक्ष्य के अनुसार, विगत 6 वर्षों के दौरान प्रत्येक केन्द्र को कम से कम 3600 नमूनों का परीक्षण कर लेना चाहिए था। तथापि, 1987-88 तक परीक्षित नमूनों की संख्या निम्न अनुसार थी:-

क्रम सं.	केन्द्र का नाम	लक्ष्य	उपलब्धि	कमी	क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त नमूने
1.	अमृतसर	3600	113	3487	12
2.	बेलगाम	3600	717	2883	शून्य
3.	बुरहानपुर	3600	611	2989	शून्य
4.	कलकत्ता	3600	368	3232	अनुपलब्ध
5.	कटक	3600	20	3580	27

6.	इरोड	3600	3257	343	शून्य
7.	गया	3600	243	3357	शून्य
8.	किशनगढ़	3600	1027	2573	शून्य
9.	मालेगांव	3600	2056	1544	शून्य
10.	मऊनाथ भंजन	3600	28	3572	शून्य
11.	सूरत	3600	865	2735	58
12.	त्रिचूर	3600	83	3517	17
		43200	9388	33812	114

इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि नमूनों का परीक्षण निर्धारित लक्ष्य के केवल 22 प्रतिशत तक ही था।

कपड़ा अनुसंधान एसोसिएशनों के अधीन केन्द्रों के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे। संकरन कोइल के केन्द्र द्वारा 1987-88 के दौरान बत्तीस नमूनों का परीक्षण किया गया बतलाया गया था।

अमृतसर के केन्द्र ने सूचित किया (फरवरी 1988) कि कपड़ा (नियंत्रण) आदेश 1986 की शर्तों के अनुसार न तो परीक्षण प्रतिवेदनें स्वीकार्य थीं और न ही केन्द्र द्वारा किए गये परीक्षण सरकार द्वारा मान्य थे। किए गए परीक्षण भा. मा.स. विनिर्देशनों के अनुसार नहीं थे। नमूनों की प्राप्त की गई मात्रा केवल 2-3 परीक्षण नमूने तैयार करने मात्र के लिए ही पर्याप्त बताई गई थी जब कि धागा शक्ति निर्धारण हेतु कम से कम 30 परीक्षण नमूनें आपेक्षित थे।

कटक और त्रिचूर के केन्द्रों ने सूचित किया (मार्च/अप्रैल 1988) कि क्षेत्र में वर्तमान उत्पादन तकनीकी श्रेष्ठता और गुणवत्ता की कम से कम चेतना को चाहता है अतः बुनकर नमूनों का परीक्षण कराने की आवश्यकता को नहीं समझाते थे।

51.12 नए डिजाइनों का विकास तथा उत्पादन का विविधीकरण

51.12.1 दिसम्बर 1987 तक डिजाइनों के विकास के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे। कपड़ा आयुक्त ने बताया कि प्रतिस्थापित क्षमता केन्द्र से केन्द्र के बीच भिन्न थी। दिसम्बर 1987 में प्रतिमास पांच डिजाइन विकसित करने का एक लक्ष्य निश्चित किया गया था। केन्द्रों को प्रत्येक दूसरे केन्द्र को नई डिजाइनों (प्रत्येक कम से कम 6"×6" माप वाले) उन के संदर्भ हेतु बुनाई संरचना का पूर्ण

विवरण देते हुए, नमूने भेजने को कहा गया था जिस से उद्योग के लाभार्थ बुनाई नमूना पुस्तकालय विकसित किया जा सके। केन्द्रों को विकसित नमूनों के अभिलेख रखने के लिए भी कहा गया था। 1987-88 तक की अवधि के लिये उपलब्धियां निम्न प्रकार थी: अमृतसर (80), बेलगाम (93), बुरहानुपर(6), कलकत्ता(216), कटक (143), इरोड (97), गया (193), किशनगढ़ (109), मालेगांव (71), मऊनाथ भंजन (46), सूरत (58) और त्रिचूर (153)।

कपड़ा अनुसंधान एसोसिएशन के आधीन संकरन कोइल के केन्द्र ने 12 नमूने विकसित किए।

पांच नमूने प्रतिमास के लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए, विगत छः वर्षों में प्रत्येक केन्द्र को नमूनों की एक वृहद् संख्या विकसित कर लेनी चाहिए थी।

नमूनों के परीक्षण तथा नए डिजाइनों के विकास में कमी के कारण सामान्यतः इस प्रकार बताए गए थे:-

(क) प्रयोगशाला उपस्करों की अधिप्राप्ति एवम् प्रतिष्ठापन में विलम्ब,

(ख) कुछ उपस्करों की अनुपलब्धता,

(ग) प्रयोगशाला तकनीशियनों के पदो का न भरा जाना,

(घ) बुनकरों/कुछ पावर लूमों से अल्प अनुक्रिया,

(ड़) इकाइयों का केन्द्रों से बहुत दूर स्थित होना,

(च) उपलब्ध सुविधाओं के सम्बंध में अपर्याप्त प्रचार,

(छ) मरम्मत, ताना बीमों इत्यादि के अभाव में करघों का निष्क्रिय रहना,

(ज) परिचालन पूंजी की अल्पता, तथा

(झ) आकर्षक डिजाइन (सूरत केन्द्र) देने के लिए एक कुशल कपड़ा डिजाईन कर्त्ता की अनुपलब्धता।

51.12.2 कलकत्ता केन्द्र ने सूचित किया कि उत्पादों के विविधीकरण हेतु किए गए प्रयास उत्साह वर्द्धक नहीं थे क्योंकि अधिकांश इकाइयों को ताना बीमों और बाना धागे की आपूर्ति हेतु तथा अपने उत्पादों को कम लाभान्तर पर बेचने के लिए, व्यापारियों पर ही निर्भर रहना पड़ता था। अमृतसर, बुरहानपुर, कटक तथा त्रिचूर केन्द्रों द्वारा यह दर्शाने के लिए कि उत्पाद की बेहतर उपलब्धि हेतु अभिप्रेत उत्पादन के विविधीकरण का प्रयास किया गया था, कोई अभिलेख नहीं रखे गये थे। किशनगढ़ के केन्द्रों ने सूचित किया कि जनवरी 1988 के दौरान अनायास ही दौरे किये गये 46 यूनिटों में से केवल एक यूनिट ने ही संश्लेषित मेल वाले कपड़े की मात्राओं के उत्पाद को विविधीकृत किया था। इस प्रकार बेहतर उपलब्धि हेतु विविधीकरण का उद्देश्य अल्प रूप से ही पूर्ण हुआ था।

कलकत्ता, अमृतसर तथा गया के केन्द्रों ने विकसित डिजाइनों हेतु पुस्तकालय स्थापित नहीं किये हैं। बेलगांव , बुरहानपुर तथा त्रिचूर के केन्द्र ने फेब्रिक पुस्तकालयों की स्थापना की थी परन्तु उन्होंने अपने द्वारा विकसित नमूने अन्य केन्द्रों को नहीं भेजे थे।

51.13 परामर्शदाता निकाय

विभिन्न पावरलूम एसोसिएशनों, सहकारी समितियों तथा राज्य सरकारों के साथ क्रियाकलापों के समन्वयन की दृष्टि से तथा केन्द्रों के सुधार हेतु (किये जाने वाले उपायों की चर्चा के लिये भी, प्रत्येक केन्द्र (कपड़ा आयुक्त के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन में परामर्शदाता निकायों का गठन किया गया था। उद्योग एवं पावरलूम का राज्य निदेशक पावरलूम एसोसिएशनों तथा स्थानीय बुनाई मिलों का अध्यक्ष एवं प्रतिनिधि था तथा संबंधित केन्द्र का प्रभारी अधिकारी सदस्य थे। कपड़ा अनुसंधान एसोसिएशन के नियंत्रण के अधीन अहमदाबाद तथा टांडा के दो केन्द्रों में भी परामर्शदाता निकायों को गठन किया गया था। तथापि, कपड़ा अनुसंधान एसोसिएशनों के अधीन संकरन कोइल तथा इचलकरंजी के दो केन्द्रों में ऐसी कोई निकायें गठित नहीं की गई हैं। दिसम्बर 1987 में जारी कपड़ा आयुक्त के निर्देशों के अनुसार, तीन माह में कम से कम एक बार बैठके की जानी थी।

यह देखा गया था कि वर्ष 1987-88 में सभी 12 केन्द्रों में परामर्शदाता निकाय की दो बार बैठके हुई थी। इसके बाद अमृतसर, कटक इरोड़ तथा गया के केन्द्रों में केवल एक बार बैठके की गई हैं। संकरन कोइल तथा इचलकरंजी के केन्द्रों में परामर्शदाता निकायों के अभाव में यह स्पष्ट नहीं था कि इन केन्द्रों के लिये योजनाएं किन प्रकार सूत्रबद्ध की जा रही थी। बुरहानपुर के केन्द्रों में बैठके करने में देरी, केन्द्र के प्रभारी सहायक निदेशक के पद के रिक्त पड़े रहने के कारण बताई गई थी। इरोड में देरी का कारण सदस्यों की पूर्वव्यस्तता थी। अमृतसर के केन्द्र ने सूचित किया कि बैठकों के लिये प्रतिक्रिया अल्प थी।

बुरहानपुर की परामर्शदात्ती समिति की बैठक में चर्चित समस्याएं केन्द्र के कार्यचालन से संबंधित थी। बुनकरों द्वारा सामने आई समस्याएं जैसे कच्चे माल की आपूर्ति तथा उत्पादों का संसाधन एवं विपणन में कमी बैठकों में चर्चित नहीं की गई थी। बेलगांव की परामर्शदात्री समिति की बैठक में भी ऐसी स्थिति बनी रही ।

मालेगावं, मऊनाथ भंजन, किशनगढ़ तथा त्रिचूर के केन्द्रों की परामर्शदात्री समितियों ने सिफारिश की कि वृत्तिका का भुगतान उचित दरों पर होना चाहिये । समितियों की अन्य सिफारिशे निम्नवत थी:-

(क) संश्लेषित कपड़ों हेतु दो करघों की प्रतिष्ठापना (कटक),

(ख) राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा धागों की बिक्री हेतु खुदरा खिड़की का खोलता (गया),

(ग) बुनकरों को किराया मुक्त हॉस्टल सुविधाएं, प्रशिक्षणार्थियों के अध्ययन दौरों का संचालन (किशनगढ़),

(घ) कर्मचारी वर्ग में बढोतरी, स्वचालित करघे की स्थापना, निर्यात कोटा मुहैया करना (मालेगांव),

(ड.) प्रशिक्षण की अवधि में बढौतरी तथा बुनकरों को आर्थिक सहायता देना (मऊनाथ भंजन),

(च) तकनीकी पुस्तकों से पुस्तकालय प्रारंभ करना, श्रव्यदृश्य सहायता, स्थानीय भाषा की अच्छी जानकारी रखने वाले कर्मचारी की नियुक्ति, तथा

(छ) सरकारी विभागों द्वारा प्रयोग हेतु मदों की पहचान तथा उनको वरीयता का व्यवहार देना (त्रिचूर)।

कपड़ा आयुक्त के कार्यालय में तत्काल यह बताने के लिये कि क्या परामर्शदात्री समितियों की समस्त सिफारिशों का परीक्षण कर लिया गया था तथा उन पर कार्यवाही कर ली गई थी, काई रिकार्ड नहीं था।

51.14 अन्य रूचिकर बातें

51.14.1 निष्क्रिय पड़े हुए पावरलूम:- मालेगांव क्षेत्र में लगभग 60 प्रतिशत पावरलूमों ने कार्य करना बंद कर दिया है क्योंकि वे आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं थे। कलकत्ता क्षेत्र में, अल्प लाभांश, चालनपूंजी की अनुपलब्धता, धागे की ऊंची कीमत तथा कपड़ा मिलों के बंद होने के कारण पावरलूमों की प्रतिस्थापित क्षमता 30 प्रतिशत तक कम हो गई है। ऐसे कारणों के लिये अन्य केन्द्रों में निष्क्रिय पड़े हुये पावरलूम बुरहानपुर (40 प्रतिशत) तथा कटक (60 प्रतिशत) थे।

51.14.2 कपड़े के भंडार का निपटान न किया जाना :- बुरहानपुर के केन्द्र में विभिन्न लूमों पर व्यवहारिक प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थियों द्वारा तैयार किया गया 879.50 मीटर माप का कपड़ा तथा 47 साड़ियां एवं तीन चादरें, 1980-81 से केन्द्र में पड़े हुए थे (अप्रैल 1988) तथा नष्ट हो रहे थे। भंडारों का निपटान नहीं किया जा सका क्योंकि निपटान हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्त अभी सूत्रबद्ध किये जाने थे। किशनगढ़ के केन्द्र में, केन्द्र के प्रारंभ से ही प्रशिक्षणार्थियों द्वारा तैयार किया गया 2985.5 मीटर माप का कपड़ा (लागत निर्धारित नहीं की गई) बिना निपटान किये पड़ा हुआ था (दिसम्बर 1988)।

51.14.3 निष्क्रिय श्रमशक्ति:- गया में केन्द्र द्वारा 1981-82 तक कर्मचारी वर्ग, जो प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रारंभ न होने, डिजाइनों आदि का विकास न करने के कारण निष्क्रिय पड़ा रहा , के वेतन एवं भत्तों पर किया गया व्यय 1.32 लाख रू. बना । इसी प्रकार से 1980-81 से 1985-86 के दौरान अमृतसर में केन्द्र के कर्मचारी वर्ग के वेतन एवं भत्तों पर 1.97 लाख रू. का व्यय आमतौर पर निष्फल रहा क्योंकि इस अवधि के दौरान कोई नमूने परीक्षित/विकसित नहीं किये गये थे।

51.14.4 राज्य सरकारों से सहायता:- योजना के विभिन्न उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकारों से पूर्ण सुविधाएं, सहयोग तथा सहायता प्रदान करने के लिये अनुरोध किया गया था (1979)। सूरत के केन्द्र ने तथापि बताया (मार्च 1988) कि जिला उद्योग केन्द्र जिनसे दिसम्बर 1984 में योजना में मुहैय्या कराई गई प्रशिक्षण सुविधाओं हेतु व्यापक प्रचार करने के लिये सम्पर्क किया गया था, उन्होंने ऐसे प्रचार करने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की थी।

51.145 हथकरघा क्षेत्र में अनाधिकार हस्तक्षेप:- भारत सरकार के हथकरघा आरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार, अतिरिक्त ताने के साथ बुने हुए बार्डर वाली धोतियां, शतप्रतिशत सूती चैक शर्टिंग, बुने हुए वार्डर वाली धातियां आदि जैसी 22 मदें, एक मात्र हथकरघा क्षेत्र के लिये आरक्षित की गई थी। मालेगांव केन्द्र जुलाई 1987, दिसम्बर 1987 तथा जनवरी 1988 के मासिक क्रियाकलाप प्रतिवेदन के माध्यम से ऐसी मदों पर हथकरघा यूनिटों के अनाधिकार हस्तक्षेप को, कपड़ा आयुक्त की सूचना में लाया । तथापि, कपड़ा आयुक्त द्वारा कोई उपचारात्मक कार्यवाही नहीं की गई थी (मार्च 1988)। उद्योग एवं वाणिज्य, बंगलौर के

अतिरिक्त निदेशक द्वारा यह बताया गया था कि भारत सरकार, नई दिल्ली के प्रवर्तन अधिकारी ने 1986-87 में बंगलौर जिले में कुछ हथकरघा यूनिटों का निरीक्षण किया था तथा अधिनियम के प्रावधानों के अतिक्रमण के कुछ मामलों को पाया था। पावरलूम एसोसिएशन ने हथकरघा आरक्षण अधिनियम के प्रचलन हेतु एक स्थान आदेश प्राप्त कर लिया है तथा ये मामले सर्वोच्च न्यायालय में लंबित हैं। उद्योग एवं वाणिज्य, बंगलौर के निदेशक ने 1987-88 के दौरान, राज्य के पक्ष में एक पृथक प्रवर्तन कक्ष के सृजन करने के लिये एक प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रस्तुत किया गया थो । निर्णय प्रतीक्षित था (अगस्त 1988)।

कटक केन्द्र ने सूचित किया कि अतिक्रमणों का पता लगाने के लिये हथकरघा क्षेत्र हेतु आरक्षित क्षेत्रों के निरीक्षण के लिये उन्हें कोई शक्तियां अधिकृत नहीं की गई थी।

मामला, अक्तूबर 1988 में मंत्रालय को सूचित किया गया था, उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 1988)।

52. सामान्य- बट्टे खाते डाली गई/छोड़ी गई हानियां व अप्राप्य देयताएं तथा अनुग्रहपूर्वक की गई अदायगियां।

1987-88 के दौरान बट्टे खाते डाली गई/छोड़ी गई हानियां तथा अप्राप्य राजस्व, शुल्क पेशगियां आदि तथा अनुग्रहपूर्वक की गई अदायगियों को दर्शाने वाला एक विवरण इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट 8 में दिया गया है।

परिशिष्ट से यह देखा जायेगा कि व्यक्ति सरकारी कर्मचारियों की ओर से तथा अन्य कारणों के लिये मुख्यत: प्रणाली की विफलता, उपेक्षा, गबन इत्यादि के कारण 1987-88 के दौरान 78 मामलों में 16.93 लाख रू. की हुई हानियों को बट्टे खाते डाला गया था। 454 मामलों में, 927.59 लाख रू. अन्तर्ग्रस्त वसूली छोड दी गयी थी तथा 1524 मामलों में 325.36 लाख रू. कुल राशि की अनुग्रहपूर्वक अदायगियां उसी वर्ष के दौरान की गई थी।

अध्याय – 4

निर्माण – कार्य व्यय

ऊर्जा मंत्रालय

(विद्युत शक्ति विभाग)

53. सलाल जल – विद्युत परियोजना

53.1 प्रस्तावना

सलाल जल विद्युत परियोजना, जम्मू से लगभग 100 किलोमीटर रिआसी के समीप ध्यानगढ़ परिपथ पर स्थित चेनाव नदी पर एक "बहती नदी" योजना (अर्थात बिना किसी संग्रहण जलाशय के) है। परियोजना प्रत्येक 345 मैं.वा. के दो चरणों में क्रियान्वित की जाने वाली 690 मैगावाट (मै.वा.) की विद्युत शक्ति की संस्थापित क्षमता को उपार्जित करने के लिए चेनाब नदी के जल संभाव्य का उपयोग करने पर विचार करती है। प्रथम चरण की तीन इकाईयों (प्रत्येक 115 मैं. वा.) 1970 से जब परियोजना अंतिम रूप से भारत सरकार द्वारा निर्मुक्त की गई थी, कार्यान्वयन के अंतर्गत हैं। उपार्जित विद्युत शक्ति का लगभग 490 परिपथ किलोमीटर की पांच 220 कि. वा. संचरण लाइनों के माध्यम से उत्तरी ग्रिड में संभरण की जायेगी।

इस परियोजना के बारे में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 1977- 78 के लिए संघ सरकार (सिविल) के प्रतिवेदन में वर्णन किया गया था। लोक लेखा समिति की अनुशंसाएं उनके 25 वें प्रतिवेदन (1980-81) तथा 65 वें प्रतिवेदन (1981-82) में अंतर्विष्ट की गई हैं ।

53.2 लेखा परीक्षा का क्षेत्र

1978-79 से 1986-87 की अवधि के लिए परियोजना के लेखों की लेखा परीक्षा में नमूना जांच की गई थी। परवर्ती प्रगतियां भी जहां कहीं भी उपयुक्त समझी गई, संदर्भित की गई हैं।

53.3 संगठनात्मक ढांचा

परियोजना भारत सरकार द्वारा 15 मई 1978 से एजेंसी आधार पर राष्ट्रीय जल-विद्युत ऊर्जा निगम (रा.ज.वि.ऊ.नि.) को सौंप दी गई थी।

53.4 विशिष्टताएं

- मार्च 1970 में संस्वीकृत की गई 55.15 करोड़ रूपये की परियोजना लागत मई 1978 में 222.15 करोड़ रूपये तथा अगस्त 1983 में 490.45 करोड़ रूपये संशोधित की गई थी। 1 मार्च 1987 के अंत तक 519.40 करोड़ रूपये व्यय किये गये हैं।

- "निर्देशन तथा प्रशासन" की अनुमानित लागत 1968 में 375.70 लाख रूपये से 1986 में 3553.86 लाख रूपये तक पहुंच गई हैं, मार्च 1987 के अंत तक वास्तविक व्यय 3084.74 लाख रूपये हुआ।

- परियोजना का प्रथम चरण जो कि 1970 में प्रारंभ किया गया था नवम्बर 1987 में चालू किया गया है। परियोजना रिपोर्टों में समय समय पर विचार किये

गये सम्पूर्णता सारणी का पालन नहीं किया जा सका तथा परियोजना के प्रायः सभी मुख्य चरणों के पूर्ण करने में विलम्ब थे।

- पत्थर निर्मित बांध का विभागीय रूप से निर्माण किया जाना था परन्तु 3.53 करोड़ रूपये मूल्य का निर्माण कार्य ठेकेदारों को आबंटित किया गया था, परिणामस्वरूप विभागीय कार्य निष्पादन हेतु खरीदी गयी 4। करोड रूपये लागत की मशीनरी का कम प्रयोग हुआ। बांध में रिसाब को रोकने के लिए भारी खर्च किये जाने के बावजूद इसको नियंत्रित नहीं किया गया है।

- 1978 के संस्वीकृत अनुमान के अनुसार कंकरीट बांध की लागत 3959.36 लाख रूपये से बढ़कर 1986 के संशोधित अनुमानानुसार 15610.19 लाख रूपये हो गई थी।

- यद्यपि, 315 लाख रूपये मूल्य की आर्थिक सहायता एक फर्म को दी गई थी, तो भी टेल रेस टनल, जो कि सितम्बर 1982 तक पूर्ण की जानी थी, केवल अक्तूबर 1987 में पूरी की गई थी। इस सुरंग के लिए खरीदी गई 43.61 लाख रूपये मूल्य की एक वायवीय बरमा जम्बो मशीन तकनीकी कारणों से प्रयोग में नही लाई जा सकी जिसके कारण इस राशि का अवरोधन हुआ।

- दिसम्बर 1986 में मोड़ सुरंग की मुहंबदी करते समय 29.16 लाख रूपये मूल्य की मशीनरी व संयंत्र पीछे छोड़ दिये गये थे तथा ढूंढे नहीं जा सके।

- सीमेंट के लिए भाड़ा प्रभारों पर परिदान के कारण 5.04 लाख रूपये हेतु दावा विहित अवधि के अंदर दायर नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप एक हानि हुई। सामग्रियों की अप्राप्ति/परिवहन कमियों के कारण रेलवे पर किये गये 2.53 लाख रूपये मूल्य के दावें अभी भी अनिर्णीत पड़े थे। भंडारणों में पड़े हुए 1.07 करोड़ रूपये (2.11 करोड रूपये में से) मूल्य के फालतू पुर्जे अभी तक रा.ज.ऊ.वि.द्वारा प्रयुक्त/निपटाए नहीं गये थे। जून से सितम्बर 1981 के दौरान विदेशों से आयातित 28.87 लाख रूपये मूल्य की इस्पात भी अप्रयुक्त पड़ी हुई है।

53.5 परियोजना अनुमान/व्यय

मार्च 1970 में संस्वीकृत की गई 55.15 करोड रूपये की परियोजना लागत मई 1978 में 222.15 करोड़ रूपये तथा अगस्त 1983 में 490.45 करोड़ रूपये संशोधित की गई थी। सितम्बर 1985 में , 567.34 करोड़ रूपये का एक नवीन परियोजना अनुमान तैयार किया गया था। केन्द्रीय जल आयोग (के.ज. आ.) की टिप्पणियों के आधार पर लागत 585.35 करोड रूपये (जुलाई 1986) संशोधित की गई थी तथा ऊर्जा मंत्रालय के शक्ति विभाग की संस्वीकृति प्रतीक्षित है।

मार्च 1987 तक का व्यय मई 1978 तथा अगस्त 1983 के संस्वीकृत अनुमानों एवं 1986 के संशोधित अनुमान की तुलना में निम्नवत है :-

(लाख रू. में)

कार्य की मद	संशोधित अनुमान 1978	1983	1986	मार्च 1987 के अंत तक व्यय
1. निर्देशन तथा प्रशासन	19,04.35	40,06.64	35,53.86	30,84.74
2. मशीनरी तथा संयंत्र	14,67.59	26,55.04	24,58.09	28,01.27
3. भंडार उचंत	39.35	91.41	1,25.23	2,88,17
4. बांध	85,83.54	199,77.04	255,32.83	234,79.13
5. जल संवाहनप्रणाली (अवधारक नल)	6,35.20	38,66.06	31,31.48	27,26.45
6. बिजली घर	11,89.43	48,67.40	53,23.06	37,59.08
7. जनित्र संयंत्र एवं मशीनरी	31,58.48	39,91.64	36,90.65	33,20.85
8. प्रेषण तथा वितरण	13,50.15	20,38.33	26,96.74	21,47.23
9. संचार तथा भवन	11,76.89	19,09.64	25,42.85	17,58.54
10. सहायक कार्य	9,29.36	26,31.46	30,70.37	29,99.45
11. अन्य व्यय	6,86.06	17,92.58	24,61.62	16,65.67
12. टेल रेस सुरंग	18,12.94	27,27.93	54,24.23	45,67.88
सकल राशि	229,33.34	505,55.17	599,93.01	525,98.46
पूंजीगत लेखे पर प्राप्तियां	(-) 7,18.36	(-)15,10.00	(-)14,58.13	(-) 6,58.26
निवल राशि	222,14.98	490,45.17	585,34.88	519,40.20

1978 के संस्वीकृत अनुमान की तुलना में लागत में वृद्धि 1983 के संस्वीकृत अनुमान तथा 1986 के संशोधित अनुमान में मुख्य रूप से नीचे दिये गये अनुसार वर्गीकृत की गई है :

	(लाख रूपयों में)
(1) जियोतकनीकी कारण	44,74.03
(2) मूल्य वृद्धि	1,54,97.41
(3) अप्रयाप्त/अधिक प्रावधान	47,12.72
(4) डिजाइन/निर्माण नियोजन में परिवर्तन	25,86.61
(5) नई मदें	97,88.90
जोड़	3,70,59.67

लागत में वृद्धि अपर्याप्त प्रारंभिक अन्वेषणों,

त्रुटि पूर्ण नियोजन अनुमान तथा संगठन, निर्माण के दौरान व्यापक डिजाइन परिवर्तनों तथा परियोजना के सभी मुख्य अवयवों के पूर्ण होने में असामान्य विलम्ब के कारण हैं।

मंत्रालय ने अगस्त 1988 में बताया कि खुदाई के दौरान बांधों की नीवं तथा मोड़ सुरंग के टकरावों से संबंधित भूगर्भीय समस्याओं का अन्वेषण चरण के दौरान निर्धारण नहीं किया जा सका तथा निर्माण के दौरान व्यापक डिजाइन परिवर्तन के कारण समापन में असामान्य विलम्ब को टाला नहीं जा सका क्योंकि जब निर्माण कार्य प्रगति पर होता है परियोजना को बहुत सी अप्रत्याशित उठ खड़ी होने वाली भू तकनीकी समस्याओं का प्रत्याक्रमण करना पड़ता है।

ऐसी महत्ता की परियोजना में औचित्य रिपोर्ट में, इन सभी पहलुओं पर विचार किया जाना चाहिए था। यह खेद की बात है कि मंत्रालय देरी तथा लागत बढ़ जाने को उचित ठहराए ।

"निर्देशन तथा प्रशासन" में इस शीर्ष के अधीन 1968 में अनुमानित व्यय 375.70 लाख रूपये से उछल कर 1976 में 1904.35 लाख रूपये तथा 1980 में 2550 लाख रूपये हो जाने से लागत में बहुविध वृद्धि पर विक्षुब्ध होकर लोक लेखा समिति ने अपने 25 वें प्रतिवेदन – (1980-81) में ऊर्जा मंत्रालय से वित्त मंत्रालय के मुख्य लागत लेखा अधिकारी की सहायता से ऐसे इलाकों का अन्वेषण करने के उद्देश्य से जहां किफायत की जा सकती है, इस शीर्ष के अधीन व्यय में असामान्य विलम्ब के कारणों का गहराई से विश्लेषण करने को कहा था। यह निर्दिष्ट करने के लिए कि मामले में कोई अनुवर्ती कार्यवाही की गई थी, परियोजना प्राधिकारियों के अभिलेख में कुछ भी नहीं था। इसी दौरान, 1986 के संशोधित परियोजना अनुमान के अनुसार इस मद की लागत 3553.86 लाख रूपये पर पहुंच गई है, 846 प्रतिशत की वृद्धि, मार्च 1987 के अंत तक 3084.74 लाख रूपये वास्तविक व्यय हुआ।

मंत्रालय ने यह बताते हुए (अगस्त 1988) कि स्थापना पर व्यय के, ज.आ. के समग्र मानदंडों के पूर्णतया अंदर था तथा संस्वीकृत पदों को भरने में पूर्ण किफायत बरती गई थी, यह स्पष्ट नहीं किया कि क्या लोक लेखा समिति की अनुशंसाओं के अनुपालन में "निर्देशन तथा प्रशासन" में आने वाली व्यय की अन्य मदों के संबंध में कोई अनुवर्ती कार्यवाही की गई थी। यह स्पष्ट नहीं है कि "पूर्ण किफायत" क्या थी जो प्रयोग में लाई गई थी जिसके बावजूद, "निर्देशन तथा प्रशासन" के अन्तर्गत होने वाले खर्चे में 846 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

53.6 चालू करने का कार्यक्रम

1981 में तैयार किये गये संशोधित परियोजना अनुमान के अनुसार, परियोजना की प्रथम ईकाई को चालू करने की तिथि अगस्त 1987 थी तथा द्वितीय तथा तृतीय इकाईयों की क्रमशः नवम्बर 1987 और फरवरी 1988 थी। परियोजना अनुमान ऊर्जा मंत्रालय द्वारा अगस्त 1983 में इस शर्त पर संस्वीकृत किये गये थे कि सम्पूर्ण परियोजना नवम्बर 1986 तक पूर्ण होनी सम्भावित थी। साथ साथ, अर्थोपाय जिन्होंने विभिन्न अंतर्धारिताओं में सदृश वृद्धि द्वारा कार्यक्रम को संक्षिप्त किया था, रा.ज.ऊ.नि. द्वारा पहचाने गये थे तथा तदनुसार संशोधित संक्षिप्त कार्यक्रम में परियोजना की प्रथम इकाई दिसम्बर 1985 में द्वितीय इकाई मई 1986 में तथा तृतीय इकाई अक्तूबर 1986 में चालू करने पर विचार किया गया । बाद में सितम्बर 1984 में

प्रथम इकाई को चालू करने की तिथि जून 1986 संशोधित कर दी गई थी। परियोजना को पूरा करने में विलम्ब को मुख्य रूप से §1§ टेल रेस सुरंग में 50 मीटर गहन उच्च जल प्रवाहित टूटे हुए क्षेत्र की उपस्थिति जिसने सुरंग के शेष 300 मीटर के परिवेधन में रूकावट डाली तथा §2§ खुदाई के दौरान सुरंग की लम्बाई में लगभग 50 मीटर की वृद्धि पर आरोपित करते हुए 1985 में तैयार की गई तृतीय संशोधित परियोजना अनुमान में प्रथम इकाई को चालू करने की तिथि पुनः सितम्बर 1986 कर दी गई थी तथा इसके अनुकरण में द्वितीय तथा तृतीय इकाइयों को चालू करने की तिथि क्रमशः अक्तूबर 1986 तथा दिसम्बर 1986 कर दी गई थी। फर्म के संसाधनों के संवर्धन के बावजूद परियोजना प्राधिकारी प्रथम इकाई को अनुसूचित तिथि पर चालू नहीं कर सके। तदनन्तर, 9 जून 1987 को उपलब्ध मार्ग के समक्ष विशालकाय चट्टान के खिसकने के कारण सड़क के दक्षिण की ओर का किनारा 200 मीटर के फैलाव में पूर्णतया मिट गया जिसके परिणामस्वरूप परियोजना की समग्र प्रगति को एक धक्का लगा पुनः जलाशय स्तर ऊंचा उठा दिये जाने के बाद तथा 29 जून 1987 को उत्प्लव मार्ग पर नदी का पानी बह जाने दिया था , भरे तालाब के संनिकट सड़क क दाहिने किनारे पर उछाल के कारण संचालित उत्प्लव मार्ग निरंतर छपाके तथा छिड़काव उत्पन्न करता रहा । छिड़काव जल ने तालाब क्षेत्र के बिजली घर के सिरे को भी आवृत कर लिया जहां पर कार्य चालन करना बहुत मुश्किल हो गया था। इसके अलावा, प्रतिबंध क्षेत्र का पानी के साथ बहाव, टेल रेस सुरंग के निर्माण कार्य की प्रगति को निरंतर प्रभावित करता रहा ।

पंचाट की शर्तों के अनुसार संविदा के अंतर्गत बिजलीघर से संबंधित सभी सुंसगत/सम्बद्ध सेविल निर्माण कार्य राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड§ रा. प.नि.नि.लि.§ द्वारा 31 अक्तूबर 1986 तक पूरे किये जाने थे। पूर्ण करने की विनिर्दिष्ट तिथियों के अंदर कार्य अथवा कार्यों की मदों को पूर्ण करने में असफल रहने के मामले में किसी अन्य अधिकार अथवा उपचार पूर्वाग्रह के बिना संविदा निरस्त की जा सकती थी तथा फर्म की जोखिम व लागत पर अपूर्ण कार्य किसी और तरीके से पूरा किया जाना था। पुनः अक्तूबर 1986 तक सम्पूर्ण निर्माण कार्य को पूरा करने में असफलता के मामले में फर्म निर्माण कार्य का प्रति सप्ताह की देरी के लिए संविदा राशि §1867.26 लाख रूपये§ का 1/4 प्रतिशत की दर पर अधिकतम मुआवजा संविदा मूल्य के 5 प्रतिशत §93.36 लाख रूपये§ तक अदा करने के लिए उत्तरदायी थी। यद्यपि, सिविल निर्माण कार्य केवल मई 1987 में पूरे किये गये थे फर्म के विरूद्ध उपरोक्त शास्ति धाराएं नहीं लगाई गई हैं। उपर्युक्त सभी कारणों के कारण परियोजना के चरण– । की तीन इकाइयों नवम्बर 1987 तक विलम्ब से चालू की गई थी।

मंत्रालय ने अगस्त 1988 में बताया कि अनिवार्य निर्माण कार्यों के पूरा करने में सीमांत विलम्ब फर्म के नियंत्रण से बाहर था तथा विलम्ब को §1§ अप्रैल 1983 में औद्योगिक अशांति के कारण बिजली घर में आप्लावन, §2§ मार्च 1984 तथा जुलाई 1986 में बाढ़ों के कारण बिजली घर का जलमग्न होना, §3§ पंजाब में उपद्रवों के कारण मुख्य निर्माण सामग्रियों तथा कुशल मानव शक्ति का अभाव, तथा §4§ नवम्बर 1984 में परियोजना परिसर में उपद्रव तथा दंगोंपर आरोपोति किया गया ।

53.7 पत्थर निर्मित बांध

53.7.1 निर्माण में विलम्ब: के.ज.आ. ने सलाल परियोजना पर अपना प्रतिवेदन §1971§ में पत्थर निर्मित बांध के लिए फरवरी 1977 में पूरा

करने के कार्यक्रम सहित जनवरी 1974 में निर्माण कार्य प्रारंभ करने पर विचार किया। तथापि, पत्थर निर्मित बांध पर निर्माण कार्य पहुंच मार्गों के विकास के बाद केवल 1976 में प्रारंभ किया गया था। जलाशय भराई के लिए पत्थर निर्मित बांध वास्तव में जनवरी 1987 में पूरा किया गया था।

परियोजना अभिलेखों के अनुसार विलम्ब के लिए मुख्य कारण निम्नवत हैं :-

(1) अवास्तविक निर्माण कार्यक्रम,

(2) भारत पाक संधि को अंतिम रूप दिये जाने के कारण सम्पूर्ण परियोजना पर निर्माण कार्य के प्रारंभ करने में विलम्ब,

(3) मोड़ सुरंग तथा नदी के मोड़ को पूर्ण करने में विलम्ब,

(4) नीवं तथा आधार निरूपण निर्माण कार्यों में महत्वपूर्ण वृद्धि,

(5) पत्थर भराई सामग्री की मात्रा में वृद्धि,

(6) देशज तथा आयातित मूल के नये उपकरणों की अधिप्राप्ति में प्रक्रिया संबंधी विलम्ब,

(7) नवम्बर 1984 में परियोजना क्षेत्र में दीर्घकालीन कर्फ्यू लगाये जाने के परिणामस्वरूप लगभग 3 मास के लिए प्रगति में बाधा।

53.7.2 निर्माण कार्य का विभागीय निष्पादन: फरवरी 1974 में हुई इसकी अपनी सभा में, परियोजना की स्थायी समिति ने तकनीकी कारणों से पत्थर निर्मित बांध का विभागीय रूप से निर्माण करने का निर्णय लिया क्योंकि निजी क्षेत्र में समुचित सुविज्ञता उपलब्ध नहीं थी। तदनुसार, परियोजना ने 41 करोड़ रूपये मूल्य की भारी मिट्टी हटाने की मशीनरी खरीदी, इस व्यय का 75 प्रतिशत निर्माण कार्य के समापन तक मशीनरी के मूल्यह्रास के कारण पत्थर निर्मित बांध को डैबिट किये जाने का निर्णय लिया। परियोजना ने इस कार्य को विभागीय रूप से निष्पादन के लिए क्षेत्रीय तथा मूल कार्यशालाएं भी स्थापित की तथा उपस्करों के अनुरक्षण मरम्मत तथा पुनः ठीक कराने के लिए कुशल तथा अकुशल दोनों, 2000 कार्मिकों से अधिक को भर्ती किया। लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया था कि लगभग 230.70 लाख रूपये लागत के रेत, नदी उत्पन्न सामग्री तथा मिट्टी इत्यादि के संग्रहण तथा ढुलाई से संबंधित बहुत से निर्माण कार्य भी 1984-85 में ठेकेदारों को आबंटित किये गये थे क्योंकि परियोजना प्राधिकारियों के अनुसार पत्थर निर्मित बांध के कुछ अवयवों की प्रगति कार्यक्रम से पीछे थी। इसके अतिरिक्त लगभग 1.22 करोड रूपये की एक लागत पर ठेकेदारों द्वारा बांध के ग्रुनिटिंग तथा शौट क्रिटिंग निर्माण कार्य भी निष्पादित कराये गये थे।

यद्यपि, मंत्रालय के अनुसार (अगस्त 1988) इस प्रकार समर्पित फालतू कुशल/अकुशल मजदूर तथा मशीनरी कुछ अन्य स्थानों पर नदी से उत्पन्न सामग्रियों के खनन में प्रयुक्त की गई थी, परियोजना के वित्त खंड द्वारा अनुमान वार लेखों के असंकलन के कारण वास्तविक नियोजन के ब्यौरे आकलित नहीं किये जा सके इसके अतिरिक्त, 41 करोड रूपये की लागत से खरीदी गई मशीनरी भी बहुधा अवप्रयुक्त रही क्योंकि ठेकेदारों से केवल 2.68 लाख रूपये राशि के किराया प्रभार वसूल किये गये थे।

53.7.3 लागत में वृद्धि: 1978 में संस्वीकृत किये गये द्वितीय संशोधित अनुमान में पत्थर निर्मित बांध की अनुमानित लागत 4028.70 लाख रूपये से 1983

के संस्वीकृत अनुमान में 6943.43 लाख रूपये तथा 1986 के संशोधित अनुमान के अनुसार 9125.37 लाख रूपये बढ़ जाना मुख्यतया मूल्य वृद्धि (2130.65 लाख रूपये), अप्रयाप्त प्रावधान (174.29 लाख रूपये), डिजाइन में परिवर्तन (298.97 लाख रूपये), नई मदों का शामिल करना (2092.92 लाख रूपये) तथा भू तकनीकी कारणों (399.94 लाख रू.) को आरोपित किया गया है। यह त्रुटिपूर्ण योजना तथा अनुमान का सूचक है।

53.7.4 पानी का रिसाव: पानी के रिसाव को रोकने के लिए 1983 के संस्वीकृत अनुमान के अनुसार 11.66 लाख रूपये की एक लागत से पतले मसाले का आवरण तथा 7.90 लाख रूपये की लागत से बांध की कोर बुनियाद में कंकरीट रिसाव अवरोधन के अतिरिक्त कोर आधार तथा समस्त कोर सम्बद्ध क्षेत्र में 93.21 लाख रूपये की लागत से सख्त इस्पात निर्मित जाल पर 50 मी.मी. मोटे गनाइट का प्रबंध करने का निर्णय लिया गया था। 1985 के संशोधित अनुमान के अनुसार इस गनाइटिकरण कार्य की लागत 44.47 लाख रूपये तक घटा दी गई थी तथा 50 मि.मी. मोटे गनाईटिकरण की जगह 78.85 लाख रूपये की अनुमानित लागत पर दायें तथा बायें अत्याधारों में 150 मी.मी. मोटाई का शीटक्रिटिकरण कर दिया गया था। परन्तु जब मार्च 1987 से तालाब में पानी भरना शुरू हो गया था, पत्थर निर्मित बांध में रिसाव हो गया था। तलाब में जल स्तर की वृद्धि के साथ रिसाव बढ़ता गया । इस प्रकार से पतले मसाले का आवरण, ग्नाइटिककरण तथा 150 मी. मी. मोटे शीट्क्रिटिकरण रिसाव को नहीं रोक पाया।

इसके प्रति, शीटक्रिटिकरण तथा गनाइटिकरण के कार्य 1.22 करोड़ रूपये की लागत से ठेकेदारों के माध्यम से कराये गये थे। फिर भी रिसाव को अभी तक रोका नहीं गया है।

उप प्रबंधक सलाल पत्थर निर्मित बांध मंडल ने मई 1988 में बताया कि तकनीकी सलाहकार समिति (त.स.स.) के सुझावानुसार, पियाजोमीटरों , सहायक दिवारों तथा क्षैतिज छिद्रों का निर्माण कार्य चालू कर दिया गया है तथा केन्द्रीय जल ऊर्जा अनुसंधान स्टेशन (के.ज.ऊ.अ.स्टे.) ने भी अध्ययन किये हैं परन्तु उनकी रिपोर्टें प्रतीक्षित थी। तथापि , मंत्रालय ने बताया (अगस्त 1988) कि रिसाव का रास्ता/स्रोत अभी भी ज्ञात नहीं हुआ था तथा रिसाव के रास्ते की खोज के लिए के.ज.ऊ.अ.स्टे. के अध्ययन प्रगति के अधीन थे। यह पुन: बताया गया कि यह दृढ़ता से नहीं कहा जा सका कि क्या रिसाव पूर्णत: पत्थर निर्मित बांध की नींव के माध्यम से हो रहा है अथवा अन्य कहीं से परन्तु बांध के सामने धारा के प्रतिकूल रेग जमने के कारण रिसाव अगस्त 1987 में 25 क्यूसिक से घटकर अप्रैल 1988 में 21.43 क्यूसेक हो गया था।

53.8 कंक्रीट बांध

1978 में संस्वीकृत किये गये द्वितीय संशोधित अनुमान में कंक्रीट बांध की अनुमानित लागत में 3959.36 लाख रूपये से 1983 के संस्वीकृत अनुमान में 12338.30 लाख रूपये तथा 1986 के संशोधित अनुमान के अनुसार 15160.19 लाख रूपये वृद्धि हो जाना मुख्यतया मूल्य वृद्धि (4462.87 लाख रूपये), अप्रर्याप्त प्रावधान (1325.58 लाख रूपये), भू तकनीकी कारण (2829.36 लाख रूपये), तथा नयी मदों का शामिल करना (3835.36 लाख रूपये), प्लन्ज तालाब के डिजाइन में परिवर्तन के कारण 802.34 लाख रूपये की कम प्रतिसंतुलन पर

आरोपित की गयी है।

53.9 टेल रेस सुरंग

53.9.1 ठेकेदार को दी गई वित्तीय सहायता

टेल रेस सुरंग के निर्माण के लिए प्रदान किये गये निर्माण कार्य के संबंध में गमन इंडिया लिमिटेड, बम्बई को कुल 315 लाख रूपये के प्रदत्त अग्रिम में से मई 1987 के अंत में 63.22 लाख रूपये की एक राशि अभी भी बकाया थी इसी प्रकार से 9.49 करोड़ रूपये के एक संविदा मूल्य के प्रति ठेकेदार को संविदा मूल्य के लगभग 33 प्रतिशत के बराबर की राशि की वित्तीय सहायता दी गई थी परन्तु कार्य फर्म द्वारा सितम्बर 1982 की बजाए वास्तव में अक्तूबर 1987 में पूरा किया गया था।

लोक लेखा समिति द्वारा उनके 25 वें प्रतिवेदन (1980-81) के पैरा 1.198 तथा 1.199 में की गई अनुशंसाओं की अनुपालना में ऊर्जा मंत्रालय ने सितम्बर 1981 में समिति को सूचित किया कि रा.ज.ऊ.नि. को फर्म के विरूद्ध अनुबंध के दंडात्मक उपबंधों को लगाने में हिचकिचाहट नहीं होगी तथा निर्माण कार्य करवाने के लिए वैकल्पिक कदम उठाये जाने में जो कि आवश्यक हो गये हैं। तथापि, लेखापरीक्षा द्वारा यह अवलोकित किया गया है कि रा.ज.ऊ.नि. द्वारा कोई दंडात्मक उपबंध नहीं लगाये गये थे यद्यपि, उनके द्वारा संशोधित कार्यक्रम की अनुबंधित तिथि अर्थात मार्च 1984 में भी निर्माण कार्य पूरा नहीं किया गया था।

तथापि, मंत्रालय ने बताया (अगस्त 1988) कि ठेके के मूल्य में मंद भू वैज्ञानिक अवस्थाओं तथा निर्माण तकनीक में परिवर्तन इत्यादि के कारण फर्म को अर्थोपाय अग्रिम दिया गया था। यह भी बताया गया था कि जब किये गये निर्माण कार्य पर ठेकेदार को भुगतान, श्रमिकों तथा अन्य अंर्तगामियों को भुगतान की राशि से मेल नहीं खाता तो अग्रिम की वसूलियां आस्थगित कर देनी पड़ी थी।

53.9.2 वायवीय बरमा जुम्बों मशीन की खरीद पर निष्फल व्यय

टेल रेस सुरंग के निर्माण को और तेज करने के लिए एक वायवीय बरमा जम्बों मशीन की खरीद के लिए जुलाई 1984 में परियोजना के महाप्रबंधक द्वारा रा.ज.ऊ.नि. को एक मांग प्रस्तुत की गई थी। परियोजना प्राधिकारियों द्वारा यह चाहा गया था कि आदेश केवल उसी दशा में प्रस्तुत किया जाये जब मशीन परियोजना तक पहुंच सके तथा फरवरी 1985 तक चालू की जा सके। फर्म ने जिसे कि "डल हस्ती परियोजना" के लिए उसी बेधक मशीन की खरीद के लिए आदेश प्रस्तुत किया गया था उक्त तिथि तक मशीन की आपूर्ति करने में अपनी असमर्थता व्यक्त कर दी। इसलिए, अक्तूबर 1984 में महाप्रबन्धक द्वारा आयोजित की गई एक सभा में मशीन की अधिप्राप्ति के प्रस्ताव को छोड़ देने का निर्णय किया गया था। तथापि, रा.ज.ऊ.नि. के आदेशों (नवम्बर 1984) के आधार पर 43.61 लाख रूपये की लागत पर मशीन तथा अतिरिक्त पुर्जों के लिए आपूर्ति आदेश क्रमशः नवम्बर 1984 तथा जनवरी 1985 में प्रस्तुत किये गये थे। मशीन परियोजना भंडारों में मार्च 1985 में प्राप्त की गई थी तथा परिसर पर उसका संयोजन मई 1985 में पूरा किया गया था। मशीन के एक महत्त्वपूर्ण भाग शॉक अडोप्टर की विलम्ब से प्राप्ति के कारण परीक्षण चालन केवल फरवरी 1986 में किये गये थे तथापि, यह अवलोकित किया गया था कि तकनीकी कारणों से

मशीन सुरंग के बेधन में उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं थी तथा इस प्रकार से उसे तत्काल भंडार में लौटा दिया गया था तथा वहां अप्रयुक्त पड़ी हुई है, जिसके परिणामस्वरूप 43.61 लाख रूपये का अवरोधन हुआ।

53.10 मोड़ सुरंग

मोड़ सुरंग के दरवाजे तथा हविस 1980 में 71.67 लाख रूपये की एक लागत पर त्रिवेणी स्टील लिमिटेड द्वारा आपूर्त तथा प्रतिस्थापित किये गये थे, इस निर्माण कार्य का सामग्री अवयव 50 लाख रूपये मूल्य का था। मोड़ सुरंग दिसम्बर 1986 में इसके स्थायी रूप से बंद होने तक मार्च 1980 से संचालन में थी। मोड सुरंग का मुहबंदी कार्य मई 1985 में 94.93 लाख रूपये की समझौता लागत पर एक सीमित निविदा आधार पर हिन्दुस्तान निर्माण निगम लिमिटेड को आंबटित किया गया था। सुरंग की मुहंबदी के समय, सुरंग से केवल 0.84 लाख रूपये मूल्य के उपस्कर पुनः प्राप्त हुए थे तथा उपस्कर अर्थात 20 लाख रूपये मूल्य के स्थिर घुमावदार दरवाजों को मोड सुरंग की कंक्रीट में अंतस्थापित कर देना पड़ा था। तथापि, यह अवलोकित किया गया था कि 29. 16 लाख रूपये का उपस्कर जो कि पुनः प्राप्त किया जा सकता था, इस दलील पर मोड़ सुरंग की कंक्रीट की मुहबंदी मे दबा दिया गया था, कि उपस्कर को हटाने के लिए उत्थित कक्ष का कोई प्रवेश मार्ग नहीं था क्योंकि प्रवेश मार्ग एक आर.सी.सी. दिवार द्वारा दो भागों में बंटा हुआ था तथा इस कार्य को करने के लिए बहुत कम समय था। तथापि, मंत्रालय द्वारा अगस्त 1988 में यह बताया गया था कि अपर्याप्त मर्दे दुष्परिचालनीय तथा अत्यधिक भारी थी तथा स्थिति की शीघ्रता के कारण गड़ी हुई छोड़ देनी पड़ी थी तथा इन्होनें अपना पूर्ण उपयोग पहले ही पूरा कर दिया था और इनका रद्दी मूल्य केवल 5 लाख रूपये के लगभग था।

53.11 सिविल भंडार तथा अधिप्राप्ति मंडल

53.11.1 भाड़ा प्रभारों/परिदान की गैर वसूली के कारण हानि, भारत के सीमेंट नियंत्रक द्वारा किये गये आबंटन के आधार पर क्रमशः 2000 तथा 4000 टन लेवी सीमेंट की आपूर्ति के लिए ज.व.का. सीमेंट लिमिटेड (ज.व. का. सरकार का एक उपक्रम) के खरू सीमेंट उद्योग को जून 1984 तथा अप्रैल 1985 में दिये गये आपूर्ति आदेश के प्रति, परियोजना प्राधिकारी केवल 5456.20 टन सीमेंट ही उठा सके। उक्त आदेशों में निर्धारित शर्त के अनुसार, परियोजना अधिकारियों को सीमेंट उनकी अपनी व्यवस्था द्वारा ले जानी थी तथा उद्योग को भाड़े के यौक्तिकीकरण की योजना के अधीन भारत सरकार द्वारा निर्धारित सूत्र के अनुसार भाड़े की प्रतिपूर्ति की जानी थी। जून 1984 के आपूर्ति आदेश के संबंध में उद्योग को 101.30 रूपये प्रति टन की दर से 1456.20 टन उठायी गई सीमेंट के प्रति, 485.65 टन के लिए भाड़ा परिदान प्रतिपूर्त किया गया था। परन्तु शेष राशि की वापसी के लिए दावे पर विचार करने से, इस दलील पर इंकार कर दिया कि उसे छः महीने की निर्धारित, समय के अन्दर प्रस्तुत नहीं किया गया था तथा आवश्यक दस्तावेजों से समर्थित नहीं था अप्रैल 1985 के आपूर्ति आदेश के संबंध में परियोजना प्राधिकारियों ने उनके दावे के समर्थन में आवश्यक दस्तावेजों की अधिप्राप्ति में उनकी असफलता के कारण विहित अवधि के भीतर भाड़े के लिए कोई प्रतिदाय दावा दायर नहीं किया। परियोजना ने इस प्रकार से, 5.04 लाख रूपये की हानि उठाई है। मंत्रालय ने बताया (अगस्त 1988) कि मामला सीमेंट उद्योग तथा भारत के सीमेंट नियंत्रक के साथ पत्राचाराधीन था।

53.11.2 रेलवे के साथ अनिर्णीत दावे: मार्च 1981 में एक सीमेंट कम्पनी द्वारा विरक्कम से जम्मू भेजी गई सीमेंट के 7149 थैलों वाले आठ वैगन परियोजना प्राधिकारियों द्वारा जम्मू तवी रेल शीर्ष पर प्राप्त नहीं किये गये थे। सीमेंट की कम सुपुर्दगी के लिए रेलवे के विरुद्ध 2.14 लाख रू. (30 रूपये प्रति थैले की दर से आकलित) की राशि का दायर किया गया दावा अभी तक (अगस्त 1988) निर्णीत नहीं हुआ है।

इसी प्रकार से, मार्च, जुलाई तथा अक्तूबर 1982 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी (टिस्को) तथा शारदा इंडस्ट्रीज द्वारा भेजा गया इस्पात परियोजना प्राधिकारियों द्वारा जम्मू तवी रेल शीर्ष पर 0.39 लाख रूपये की सीमा तक कम प्राप्त किया गया था। इन प्रेषण कमियों के लिए दावे अभी तक अनिर्णीत रहे हैं।

तथापि, अगस्त 1988 में मंत्रालय द्वारा यह बताया गया है कि इन दावों की यथासंभव शीघ्र निपटाने के लिए प्रयत्न जारी हैं।

53.11.3 अतिरिक्त पुर्जों का अनिपटान : परियोजना के यांत्रिकी भंडार मंडल के भंडारणों में पड़े हुए 207.68 लाख रूपये तथा 3.25 लाख रूपये मूल्य के अतिरिक्त पुर्जों का यांत्रिकी अधिप्राप्ति तथा परिवहन कम्पलैक्स मंडल द्वारा अभी तक निपटान नहीं किया गया था (अगस्त 1987) यद्यपि, मामला वरिष्ठ प्रबंधक, रा.ज.ऊ. नि. के साथ अगस्त 1986 से पत्राचाराधीन में था। मंत्रालय ने अगस्त 1988 में बताया कि 104.32 लाख रूपये मूल्य के अतिरिक्त पुर्जों अन्य परियोजनाओं के हस्तांतरित हो चुके थे (जनवरी 1988 तक)।

53.11.4 बिना आवश्यकता के आयातित इस्पात की खरीद : 28.87 लाख रूपये मूल्य का विभिन्न साइजों का इस्पात भारी मात्रा में कोरिया तथा इटली से आयात किया गया था तथा जून से सितम्बर 1981 के दौरान जम्मू में प्राप्त किया गया था। इस्पात जो कि परियोजना निर्माण कार्यों का प्रयोग करने के लिए अधिप्राप्त किया गया था, बिद्दा तलवाड़ा के परियोजना भंडारों को हस्तांतरित नहीं किया गया था तथा रेलवे साइडिंग जम्मू पर पड़ा हुआ था (सितम्बर 1987)। यद्यपि, परियोजना नवम्बर 1987 में चालू कर दी गई थी 28.87 लाख रूपये मूल्य का यह इस्पात प्रयोग में नहीं लाया गया था और न ही इसका निपटान किया गया था परिणामस्वरूप पूंजी का अवरोधन हुआ।

एक लेखा परीक्षा पूछताछ के उत्तर में मंडलीय अभियन्ता सलाल परियोजना ने सितम्बर 1987 में बताया कि सलाल परियोजना जैसी बड़ी परियोजना के नियोजन में, सामग्री जिस कि तत्काल आवश्यकता नहीं है, परन्तु बाद के चरण में प्रयुक्त की जानी है, की समस्त अधिप्राप्ति के लिए अग्रिम कार्यवाही आवश्यक है। तथापि, अगस्त 1988 में मंत्रालय द्वारा यह बताया गया कि बिजली घर/परियोजना के द्वितीय चरण की मांग को ध्यान में रखते हुए कुछ मात्रा सुरक्षित रख ली गई है तथा शेष का निपटान अन्य सह परियोजनाओं की निर्मुक्त/जारी करने की प्रक्रिया के अधीन था।

53.12 वित्त तथा लेखे

53.12.1 मूल्यांकित भंडार लेजर का अनुरक्षण: सलाल जल विद्युत परियोजना का नियंत्रण रा.ज.ऊ.नि. को एजेंसी आधार पर हस्तांतरित हो जाने के बाद एक वित्त तथा लेखा (वि.ले.) शाखा

में से , भंडारों की प्राप्ति व निर्गम पर एक प्रभावशाली नियंत्रण रखने के लिए वि.ले. शाखा को एक मूल्यांकित भंडार लेजर का अनुरक्षण करना भी अपेक्षित था। यह अवलोकित किया गया कि उक्त लेजर का अनुरक्षण परियोजना के प्रारंभ से बकाया था जिसका परिणाम यह था कि भंडार लेनदेनों पर कोई केन्द्रीय रूप से नियंत्रण नहीं था।

मंत्रालय ने बताया (अगस्त 1988) कि मूल्यांकित भंडार लेजर का अद्यतन किया जाना प्रगति में था।

53.12.2 93.76 लाख रूपये का अंतर: 1985-86 के लिए भंडार व भडारणों का अंत शेष 1685-73 लाख रू. मूल्यांकित किया गया था, जबकि वि.ले. शाखा ने इसे 1591.97 लाख रूपये मूल्यांकित किया। परिणामस्वरूप 93.76 लाख रूपये का अंतर हुआ। सही स्थिति का निश्चय करने हेतु इन आंकड़ों का अभी तक समाशोधन नहीं किया गया है तथा परिणामत: 1986-87 के लिए सूचि विवरण बकाय में हैं (जुलाई 1987) । तथापि, जैसा कि मंत्रालय द्वारा बताया (अगस्त 1988) 1985-86 वर्ष के लिए भंडारों का प्रत्यक्ष सत्यापन अभी किया जाना है।

54. एक वाहक द्वारा सीमेंट का गबन

कार्यकारी अभियंता, भण्डार व वाहन मंडल, ब्यास परियोजना भिवानी ने जून 1984 में 1.28 लाख रू. की अनुमानित लागत पर सूचीबद्ध ठेकेदारों से मुहरबंद उद्धहरण आमंत्रित करने के बाद निर्माण कार्य आदेश आधार पर , लखेरी से भिवानी तथा गंगूवाल तक 700 टन सीमेंट की ढुलाई एक परिवहन कम्पनी को प्रदान की । कार्य 20 जुलाई 1984 तक पूरा होना था। 30 जून 1984 तक लखेरी से भिवानी के लिए प्रत्येक 13 टन वजन भार वाले सात ट्रक भरे गये जिनमें से 4 ट्रक भिवानी पहुंचे । यह देखा गया था कि सीमेंट के कुछ बोरों की सिलाई ठीक प्रकार नहीं थी, रंग भिन्न प्रतीत होता था और सीमेंट के बौरों का वजन भी कम था। ट्रक चालकों ने ट्रक का वजन कराने से मना कर दिया तथा दोट्रक बिना सीमेंट की सुपुर्दगी दिये वापस ले गये। इसके बावजूद भी विभाग ने सरकार के हित को सुरक्षित रखने हेतु प्रभावकारी कदम नहीं उठाये तथा इसके बाद वाहक को, उसके द्वारा प्राप्त 521 टन सीमेंट में से 430 टन सीमेंट उठाने दिया। आपूर्तकर्ता से अच्छी अवस्था में प्राप्त की गई 521 टन सीमेंट के प्रति वाहक ने 14.35 टन मिलावटी सीमेंट सहित केवल 273.31 टन सीमेंट की विभाग को सुपुर्दगी दी थी, शेष 247.69 टन सीमेंट बाकी रहा जिसकी सुपुर्दगी नहीं की गई थी। अनापूर्त या मिलावटी रूप में आपूर्त की गई 262.04 टन सीमेंट की कुल लागत (3.93 लाख रू.) तथा खराब सीमेंट के प्रयोग से हानि (0.20 लाख रू.) 4.13 लाख रू. आंकी गई। निर्माण कार्य आदेश के प्रति प्राप्त की गई 0.05 लाख रू. की बयाना राशि व 0.14 लाख रू. की बैंक गारंटी जब्त कर ली गई थी तथा समायोजन के बकाया रहते जमा को क्रडिट कर दी गई थी। वाहन अधिनियम 1965 की धारा 10 के अधीन परिवाहक को 6 माह की समय सीमा के भीतर नोटिस नहीं दिया गया तथा वह गतावधि हो गया । 30 जून 1984 के बाद सीमेंट की आगे आपूर्तियों को नियमित तथा सुनिश्चित करने तथा आगे धारा 10 के अधीन नोटिस जारी करने में विलम्ब के उत्तर दायित्व को निर्धारित नहीं किया गया है। वाहक से वसूली करके हानि को भी पूरा नहीं किया गया है।

नवम्बर 1987 में मामला मंत्रालय को सूचित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (फरवरी 1989) ।

भूतल परिवहन मंत्रालय

55. सीमा सड़क संगठन द्वारा सेतुओं एवं पहुंच मार्गों का निर्माण

सीमा सड़क संगठन द्वारा (सी स सं) सेतुओं एवं पहुंच मार्गों के निर्माण में पर्याप्त समय एवं मूल्य अतिरेख के दो मामले ध्यान में आए हैं।

मामला I

जहाजरानी और परिवहन मंत्रालय (मंत्रालय) ने मई 1977 में एक सामरिक महत्व की सड़क, दो पथ वाला यातायात तथा एक स्थल तक उपमार्ग सुविधा भी प्राप्त करने के उद्देश्य से, 77 लाख रूपये की अनुमानित लागत पर एक सेतु निर्माण की संस्वीकृति प्रदान की। जुलाई 1977 और अप्रैल 1980 में पहुंच मार्ग पर सड़क उठान को सम्मिलित करते हुए प्रस्तावित सेतु तथा पट्डी के पहुंच मार्ग के लिए कुल 69.16 लाख रूपये की लागत पर संस्वीकृति भी प्रदान की गई थी।

जुलाई 1978 में, सी स सं ने निविदाएं आमंत्रित करने के बाद 59 लाख रूपये की न्यूनतम बोली लगाने वाले एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सा क्षे उ) को, सेतु निर्माण कार्य सौंप दिया। सा. क्षे. उ. ने दिसम्बर 1978 में निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया। निर्माण कार्य दिसम्बर 1981 में पूर्ण किया जाना था।

सा क्षे उ को एक बैंक गारंटी के प्रति 5.9 लाख रूपये का एक लामबंदी अग्रिम भुगतान किया गया था। अग्रिम पर 4 प्रतिशत ब्याज देय था तथा चालू खाते के भुगतानों से वसूली योग्य था।

निर्माण कार्य की प्रगति धीमी थी। सा क्षे उ की नींव कुओं के खोदने की वैकल्पिक विधि (वायवीचय) के प्रयोग हेतु प्रार्थना सी. स. सं द्वारा अक्तूबर 1981 में अनुमोदित कर ली गई थी। परन्तु संविदा की शर्तों के अनुसार उसके अतिरिक्त भुगतान के लिए दावा स्वीकार नहीं किया जा सका। जनवरी 1983 में सा.क्षे.उ. ने अतिरिक्त भुगतान किए जाने पर बल दिया और बदले में कार्य छोड़ने की धमकी दी। सा क्षे उ द्वारा निष्पादित कार्य की मात्रा का अनुमान 23 प्रतिशत पर लगाया गया था तथा अक्तूबर 1982 तक इसको 26.95 लाख रूपये की राशि का भुगतान किया जा चुका था।

विधि मंत्रालय ने, जिसे सा क्षे उ की ऊंची दर के लिए प्रार्थना भेजी गई थी, सितम्बर 1983 में मत प्रकट किया कि बायवीय विधि से कुआं खोदा जाना, मूल संविदा में परिवर्तन नहीं था और ठेकेदार बिना किसी अतिरिक्त भुगतान के निर्माण कार्य निष्पादित करने के लिए बाध्य था। सा क्षे उ ने जनवरी 1984 में निर्माण कार्य पुनः प्रारंभ कर दिया, परन्तु कोई ठोस प्रगति नहीं हुई। अंत में जून 1985 में ठेका निरस्त कर दिया गया। ठेका रद्द कर दिये जाने से पूर्व उपलब्ध प्रगति 25 प्रतिशत थी। दिसम्बर 1986 में 2.12 करोड़ रूपये कीमत पर शेष निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु दोषी सा क्षे उ की जोखिम एवं लागत पर एक व्यक्तिगत फर्म के साथ नई संविदा निष्पादित की गई थी। मार्च 1988 में निर्माण कार्य की प्रगति 52 प्रतिशत थी और व्यक्तिगत फर्म को एक 69.10 लाख रूपये की राशि का भुगतान किया जा चुका था। निर्माण कार्य मई 1989 तक पूर्ण किए जाने के लिए अनुसूचित था।

लामबंदी अग्रिम में से उस पर 4 प्रतिशत ब्याज सहित 3.48 लाख रूपये की एक राशि

सा. क्षे. उ. से वसूली योग्य थी (जुलाई 1988)। इसके अतिरिक्त, जनवरी 1986 से फरवरी 1987 तक सी स सं ने 0.89 लाख रूपये, सा क्षे उ द्वारा छोड़े गए भंडारों, संयंत्र और मशीनरी की देख रेल पर खर्च किया था। 3.48 लाख रूपये के लिए बैंक गारंटी भुनाई नहीं गई थी (जुलाई 1988)।

पहुंच मार्ग के निर्माण के संबंध में निर्माण कार्य सेतु के केवल एक तरफ ही विभागीय रूप से पूरा किया गया था, मई 1988 तक पहुंच मार्गों के दोनों ओरों पर 62.54 लाख रूपये का खर्च किया गया था। सेतु के दूसरी ओर पहुंच मार्ग के निर्माण का कार्य अभी भी अपूर्ण था (जुलाई 1988), क्योंकि उसके लिए अपेक्षित भूमि का एक भाग अभी अधिगृहित नहीं किया गया था (जुलाई 1988)।

मामला 2

फरवरी 1979 में, मंत्रालय ने एक राष्ट्रीय राजमार्ग पर 15.06 लाख रूपये की एक अनुमानित लागत पर एक स्थाई सेतु के निर्माण के लिए 4.62 लाख रूपये की एक अनुमानित लागत पर इसके पहुंच मार्ग के निर्माण के लिए संस्वीकृति प्रदान की।

जुलाई 1980 में, सेतु का निर्माण कार्य 14.39 लाख रूपये की एक मुश्त राशि पर एक ठेकेदार को सौंप दिया गया था। पहुंच मार्ग पर निर्माण का कार्य विभागीय रूप से चालू किया गया था। सेतु का निर्माण कार्य जो अक्तूबर 1982 में पूर्ण होना तय था, केवल दिसम्बर 1984 में ही पूरा किया गया था। जनवरी 1985 में ठेकेदार से भार परीक्षण करवाने के लिए कहा गया था। जबकि पहला चरण परीक्षण सफल रहा था। फरवरी 1986 में किये गये दूसरे चरण परीक्षण का परिणाम असंतोषजनक पाया गया था। तदनुसार ठेकेदार के तीसरे चरण परीक्षण में आगे कुछ न करने का निर्देश दिया गया था। मई 1986 में, ठेकेदार से पुनः भार परीक्षण कराने के लिए कहा गया था परन्तु उसने यह कहते हुए कि इसके पूर्व किये गये परीक्षण के परिणाम पूर्णतः संतोषजनक थे, ऐसा करने से मना कर दिया। उसने यह भी कहा कि पुनः भार परीक्षण, यदि आवश्यक हो तो विभाग के खर्चे पर करवा लेना चाहिए। क्योंकि ठेकेदार नोटिसों के बाद भी भार परीक्षण करवाने में असफल रहा, ठेका अक्तूबर 1986 में भंग कर दिया गया तथा अंततः ठेकेदार को जोखिम और लागत पर भार परीक्षण कराने का फैसला लिया गया। फरवरी 1987 में विभाग द्वारा सेतु का पुनः भार परीक्षण करवाया गया था। यह परीक्षण में सफल रहा और अंततः मार्च 1987 में यातायात के लिए खोल दिया गया। ठेकेदार ने पंचाट की मांग की। पंचाट 19 जून 1987 को नियुक्त किया गया था। पंचाट का निर्णय प्रतीक्षित था (जुलाई 1988)।

सेतु के निर्माण पर मार्च 1987 तक 16.11 लाख रूपये का व्यय किया जा चुका था। विभाग ने भी दिसम्बर 1984 से जुलाई 1986 तक मौजूदा प्राचीर सेतु के अनुरक्षण पर जो नए पुल की अनुपस्थिति में यातायात की आवश्यकता को पूरा करता था, 2.22 लाख रूपये का खर्च करना पड़ा था।

पहुंच मार्ग पर सी स सं ने 4.62 लाख रूपये के संस्वीकृत अनुमान के प्रति 20.26 लाख रूपये का खर्च किया था। कीमत में हुई असाधारण वृद्धि के कारण जांच पड़ताल के अंतर्गत है (जुलाई 1988)। अनुमान से अधिक के लिए संस्वीकृति

प्रतीक्षित थी (जुलाई 1988)।

प्रथम मामले के संबंध में सी. स. सं. ने जुलाई 1988 में बताया कि निविदा पत्रों में वायवीय खुदाई की मदों के लिए उद्धरण प्राप्त करने हेतु प्रावधान था। सा. क्षे. उ. ने अपनी निविदा में, जो अंततः संविदा का भाग बनी वायवीय खुदाई हेतु अलग से उद्धरण दिये थे। सा.क्षे.उ. का निर्माण कार्य के शेष को उसकी जोखिम एवं लागत पर दिये जाने के बारे में अवगत करा दिया गया है तथा सा क्षे उ के साथ संबंधित मामले पंचाट के माध्यम से तय किए जाने प्रस्तावित हैं, जिसके लिए सा.क्षे. उ. की सहमति प्रतीक्षित थी।

संक्षेप में:-

(क) सी स सं ने 77 लाख रूपये की अनुमानित लागत वाले एक सेतु का निर्माण सा क्षे उ को, उसकी 59 लाख रूपये की बोली पर सौंप दिया। सा. क्षे. उ निर्माण कार्य पूरा करने में असफल रहा । तदन्तर सी स सं ने 2.12 करोड रूपये की लागत पर बचे हुए 75 प्रतिशत निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए अन्य ठेकेदार का सहारा लिया। सा क्षे उ से अतिरिक्त व्यय की वसूली की संभावना संदेहस्पद थी। यहां तक कि सा. क्षे.उ. से बकाया 3.48 लाख रूपये लामबंदी अग्रिम का भुगतान भी उसके लिए बैंक गारंटी होने के बावजूद भी वसूल करने से रहता है। गमन मार्गों पर 69.16 लाख रूपये की अनुमानित लागत में से 62.54 लाख रूपये की एक राशि खर्च हो चुकी थी (फरवरी 1988)। परन्तु सेतु के एक तरफ का निर्माण कार्य अपूर्ण था, क्योंकि भूमि का एक भाग अभी अधिग्रहित किया जाना था तथा सेतु जो दिसम्बर 1981 तक पूरा हो जाना अनुसूचित था अभी भी पूरा किया जाना है (जुलाई 1988), परिणामस्वरूप 90 लाख रूपये की निधियों का अवरोधन हुआ।

(ख) गमन मार्ग के साथ - साथ एक अन्य पुल जिसका अनुमानित व्यय कुल मिलाकर 19.68 लाख रूपये होना था, एक पुराने सेतु के रखरखाव पर 2.22 लाख रूपये के एक परिहार्य व्यय को अंतर्ग्रस्त करने के अतिरिक्त अक्तूबर 1982 से मार्च 1987 तक करीब 4-1/2 वर्ष का बढ़ा समय लगा तथा 36.37 लाख रूपये का अधिक खर्च भी हुआ ।

शहरी विकास मंत्रालय

56. अभियाचित रिक्त आवास पर निष्फल व्यय

अक्तूबर 1965 में कलकत्ते में केन्द्रीय सरकार के विभागों को आबंटन के लिए सम्पदा निदेशक द्वारा एक निजी भवन में 15,239 वर्गफुट माप वाला तलक्षेत्र अधिग्रहण किया गया था । अधिग्रहण की तारीख से स्थान के अधिक्रेता भारतीय प्राणीविज्ञान सर्वेक्षण ने जून 1987 में उसे खाली कर दिया । जबकि आवास को उसके स्वामी को सौंप दिए जाने का मामला परीक्षाधीन था, इसे उसके कलकत्ता में स्थित कुछ अधीनस्थ कार्यालयों के लिए खाली स्थान के आबंटन के लिए पर्यावरण मंत्रालय से एक निवेदन प्राप्त हुआ। इसी बीच, मालिकाना कब्जे के लिए मालिक ने फरवरी 1988 में कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक समादेश याचिका दाखिल की और खाली स्थान को किसी अन्य विभाग को आबंटित किए जाने के विरूद्ध न्यायलय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया । विभाग ने केन्द्रीय सरकार के कलकत्ता स्थित कार्यालयों के स्थल के लिए, आवास पर कब्जे को कायम रखने के लिए सफाई पेश की । जून 1988 में विभाग तथा आवास के मालिक के मध्य हुए आपसी समझौते के अनुसार यह तय हुआ कि विभाग

...

5.35 रूपये प्रति वर्गफुट की दर से भाड़ा , जो कि 1982 से प्रभावी निश्चित था, दे कर आवास पर कब्जा रखेगा। जुलाई 1987 से सितम्बर 1988 तक संचयित भाड़े की देयताएं 12.93 लाख रूपये बनती है। इस प्रकार बिना उसके आबंटन के आवास की अवधारणा पर 12.23 लाख रूपये का निष्फल व्यय हुआ। आवास कलकत्ता में स्थित 2 केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों को अगस्त 1988 में आबंटित कर दिया गया है, परन्तु वह जनवरी 1989 तक भरा नहीं गया है।

मामला जुलाई 1988 में मंत्रालय को सूचित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 1989)।

57. एक ठेकेदार से अतिरिक्त व्यय तथा मुआवजे की गैर वसूली।

अक्तूबर 1979 में, साल्ट लेक, कलकत्ता में 4.33 लाख रूपये की लागत पर "तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान भवन का निर्माण" कार्य एक ठेकेदार को प्रदान किया गया था तथा कार्य अप्रैल 1980 में पूर्ण होना था। ठेकेदार ने अक्तूबर 1979 में कार्य शुरू किया, परन्तु नियत तिथि तक इसे पूरा नहीं कर सका। अप्रैल 1981 में कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद, विभाग ने उसकी जोखिम व लागत पर मई 1981 में ठेका निरस्त कर दिया। कारण बताओ नोटिस को जारी करने में विलम्ब, विभाग द्वारा ठेकेदार को उस अवधि के दौरान एक अवसर देने के कारण पर आरोपित किया गया था (सितम्बर 1988) । ठेकेदार की 0.10 लाख रूपये की राशि की जमानत निक्षेप मई 1981 में जब्त कर ली गई थी परन्तु अनुमानित लागत (0.42 लाख रूपये) के 10 प्रतिशत के बराबर मुआवजा उद्ग्रहीत नहीं किया गया था। दिसम्बर 1980 तक ठेकेदार को 1.35 लाख रूपये राशि अदा की जा चुकी थी।

2.98 लाख रूपये मूल्य का शेष निर्माण कार्य 4.68 लाख रूपये की लागत पर अगस्त 1982 में एक अन्य ठेकेदारको प्रदान किया गया था। कार्य जनवरी 1983 में पूर्ण किया जाना था। यह 5.70 लाख रूपये की कुल लागत पर अप्रैल 1985 में पूरा किया गया था। 2.72 लाख रूपये का अतिरिक्त व्यय दोषी ठेकेदार से वसूल नहीं किया गया था। मामले में विधि मंत्रालय की सलाह भी नहीं ली गई थी। विभाग ने सितम्बर 1988 में बताया कि शेष कार्य के संबंध में अन्तिम भुगतान नहीं किया गया था। अत: दोषी ठेकेदार से हानि की वसूली का प्रश्न ही नहीं उठता था।

इस प्रकार से सरकार को शेष कार्य के निष्पादन में किये गये अतिरिक्त व्यय तथा कार्य के निष्पादन में विलम्ब के लिए मुआवजे के गैर उद्ग्रहण के कारण 3.14 लाख रूपये की हानि उठानी पड़ी ।

मामला जुलाई 1988 में मंत्रालय को प्रतिवेदित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 1989)।

58. भवन मान चित्रों के तैयार करने में विलम्ब के कारण अतिरिक्त व्यय

निर्माण कार्य एवं आवास मंत्रालय ने जून 1985 में चाणक्यपुरी नई दिल्ली में 16 चुने हुए डी । फ्लैटों को बाथरूम सहित एक शयन कक्ष जोड़ते हुए उन्हें नमूने के सी ।। फलैटों में परिवर्तन हेतु 6.44 लाख रूपये की राशि के लिए प्रशासनिक अनुमोदन तथा व्यय संस्वीकृति प्रदान की ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (के लो नि वि) ने जुलाई 1985 में दो फलैटों में निर्माण कार्य तुरंत निष्पादित करने तथा बाद में उन ब्लाकों को

जिनमें शेष निर्माण कार्य शुरू किया जाना था, को छांटने का निर्णय लिया। जैसा कि स्थानीय निकाय के उपनियमों तथा के लो नि वि की संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत अपेक्षित था, भवन के मानचित्रों को तैयार कराये और उसे स्थानीय निकाय से अनुमोदित कराये बिना, 1.30 लाख रूपये की लागत पर दो फलैटों में निर्माण कार्य जुलाई 1985 में प्रारंभ किया गया था तथा अप्रैल 1986 में पूर्ण कर दिया गया । बकाया 14 फ्लैटों के लिए निविदाएं अगस्त 1985 में आमंत्रित की गई थी। कार्यकारी अभियन्ता द्वारा निविदा के लिए दी गई 4.13 लाख रूपये की अनुमानित लागत के 17.85 प्रतिशत अधिक आकलित ठेकेदार "क" की सबसे कम उद्धृत राशि 4.86 लाख रूपये को स्वीकार करने की सिफारिश की गई थी। तथापि, निविदाएं अप्रैल 1986 में रद्द कर दी गई थी क्योंकि मानचित्रों को बनाने तथा उन्हें स्थानीय निकाय से अनुमोदित कराने की कार्यवाही नहीं की गयी थी। के लो नि वि ने प्रशासनिक अनुमोदन के एक वर्ष बाद स्थानीय निकाय को मानचित्रों को अनुमोदन करने के लिए जून 1986 में निवेदन किया । तथापि, मानचित्रों का अनुमोदन कराये बिना ही जुलाई 1986 में निविदाएं आमंत्रित की गई थी। सितम्बर 1986 में निर्माण कार्य 8.10 लाख रूपये मूल्य परजो कि निविदा में दिये गये 5.07 लाख रूपये के 59.82 प्रतिशत से अधिक था ठेकेदार "ख" को सौंप दिया गया था। निर्माण कार्य ठेकेदार "ख" द्वारा सितम्बर 1986 में प्रारंभ किया गया था तथा 9 महीनों में पूर्ण किया जाना था । ठेकेदार "ख" ने केवल 8 फ्लैटों में ही निर्माण कार्य निष्पादित किया और उसे अगस्त 1987 में 6.73 लाख रूपये की लागत पर, जिसमें निर्माण कार्य देते समय अविचारित 1.02 लाख रूपये की राशि की अतिरिक्त प्रतिस्थापित मदें शामिल थी, पूरा किया । मानचित्र स्थानीय निकाय द्वारा निर्माण कार्य अनअधिकृत रूप से प्रारंभ करने के लिए 0.50 लाख रूपये की समाधेय शुल्क के उद्ग्रहण के साथ जनवरी 1987 में पास किये गये थे।

बचे हुए 6 फ्लैटों के लिए नई निविदाएं आमंत्रित की गई थी और निर्माण कार्य निविदा में दिये गये 2.98 लाख रूपये के अनुमोदित निविदा मूल्य से 48.25 प्रतिशत से अधिक 4.42 लाख रूपये पर फर्म "ग" को अगस्त 1987 में सौंप दिया गया था। ठेकेदार "ग" द्वारा 6 फ्लैटों में निर्माण कार्य 4.48 लाख रूपये की लागत पर निष्पादित किया गया था। इस प्रकार से 14 फ्लैटों में निर्माण कार्य 11.21 लाख रूपये की लागत पर मार्च 1988 में पूरा किया गया था। मंत्रालय ने सभी 16 फ्लैटों के लिए संशोधित प्रशासनिक अनुमोदन तथा व्यय की संस्वीकृति 12.73 लाख रूपये के लिए फरवरी 1987 में प्रदान की ।

इस प्रकार से भवन मानचित्रों को बनाने में विलंब तथा स्थानीय निकाय से मानचित्रों को अनुमोदित करवाये बिना पहले ही निर्माण कार्य के निष्पादन के कारण स्थानीय निकाय को 0.50 लाख रूपये की परिहार्य समाधेय शुल्क की अदायगी तथा ठेकेदार "ख" और "ग" को ऊंची दरों परकिये गये 2.32 लाख रूपये के अधिक भुगतान से अतिरिक्त व्यय हुआ।

मामला अगस्त 1988 में मंत्रालय को सूचित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। (दिसम्बर 1988)।

59. संविदा की शर्तों का पालन न करने के कारण अतिरिक्त व्यय

हौजखास (भीम नगरी) नई दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवायें (के स स्वा से)

डिस्पैंसरी का निर्माण कार्य हेतु ठेका , जनवरी 1978 में ठेकेदार "क" को केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (के लो नि वि) द्वारा उसकी 4.14 लाख रूपये की निवेदित राशि पर जोकि निविदा में दी गई 3.65 लाख रूपये की अनुमानित लागत से 13.37 प्रतिशत अधिक थी, प्रदान किया गया था। निर्माण कार्य के शुरू और पूरा करने की निर्धारित तिथियां क्रमशः 30 जनवरी 1978 और 29 जनवरी 1979 थी। बुनियादी योजनाएं/ नक्शे केवल अप्रैल 1978 में आपूर्त किये गये थे, यद्यपि के लो नि वे नियमावली के प्रावधानों के अनुसार ठेकेदार को विस्तृत योजनाएं निविदा दस्तावेजों के साथ उपलब्ध कराई जानी थी। ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य अप्रैल 1978 में शुरू किया गया था।

ठेके की शर्तों के अनुसार निर्माण कार्य पर प्रयोग की जाने वाली सिमेंट भी के लो नि वि द्वारा आपूर्त की जानी थी। वह फरवरी 1978 से जनवरी 1979 के दौरान आपूर्त की गई थी। ठेकेदार को जारी की गई सिमेंट के लो नि वि प्रयोगशाला से जांच की गई सिमेंट जून तथा जुलाई 1978 और दौबारा जनवरी 1979 में जांच कराई गई थी तथा वह आर सी सी कार्य के लिए अपेक्षित शक्ति से कम शक्ति की पाई गई थी। के लो नि वि ने ठेकेदार को निर्माण कार्य के समापन की निर्धारित तिथि से 21 दिन पहले संरचनात्मक नक्शे आपूर्त किये। ठेकेदार ने निर्माण कार्य शुरू नहीं किया क्योंकि अपेक्षित शक्ति की सिमेंट जनवरी 1979 तक आपूर्त नहीं की गई थी जब ठेकेदार ने के लो नि वि को सूचित किया कि उसे के लो नि वि द्वारा आपूर्त की गई सिमेंट से निर्माण कार्य करने के लिए कोई आपत्ति नहीं थी बशर्ते कि विभाग को कम संदाबी शक्ति का निर्माण कार्य स्वीकार्य हो । आपेक्षित शक्ति की सिमेंट जारी किये बिना के लो नि वि ने ठेकेदार पर निर्माण कार्य को समापन की निर्धारित तिथि तक पूरा न करने के लिए और निर्माण कार्य में लापरवाही के लिए फरवरी 1979 में कारण बताओ नोटिस जारी किया । के लो नि वि ने ठेके को अंतिम रूप से मई 1979 में निरस्त कर दिया।

शेष निर्माण कार्य को ठेकेदार "क" की जोखिम व लागत पर 5.51 लाख रूपये में जो निविदा में दी गई 3.44 लाख रूपये की अनुमानित लागत से 64.27 प्रतिशत अधिक था अप्रैल 1980 में ठेकेदार "ख" को दे दिया गया था । निर्माण कार्य 4. 92 लाख रूपये की लागत पर जून 1981 में पूर्ण हुआ था।

ठेकेदार "क" ने अप्रैल 1979 में पंचाट में याचिका दायर की तथा उसके द्वारा निष्पादित कार्य एवं उसे देय अदायगी के लिए दावा किया। उसने ढांचों की लागत , स्थापना और स्टाफ पर व्यय, स्टरिंग के किराया प्रभारों तथा बिजली के अस्थाई कनेक्शनों, लंबित अदायगी के लिए ब्याज आदि की प्रतिपूर्ति के लिए भी दावा किया। के लो नि वि ने पंचाट को 3.01 लाख रूपये जिसमें बाकी छोड़े हुए कार्य को ठेकेदार "ख" के माध्यम से पूरा कराने के संबंध में, 1.72 लाख रूपये शामिल थे, के लिए प्रति दावा प्रस्तुत कर दिया । पंचाट ने के लो नि वि का दावा इस आधार पर अस्वीकार्य कर दिया कि निर्माण कार्य ठेकेदार "क" द्वारा के लो नि वि के पक्ष में विभिन्न उल्लंघनों/कमियां होने के कारण पूर्ण नहीं किया जा सका। उसने निरस्तिकरण को कानूनी तौर पर अन्यायोचित ठहराया तथा ढांचे पर व्यय, स्थापना, स्टरिंग के किराया प्रभारों और अस्थाई बिजली कनेक्शनों तथा अप्रैल 1979 से पंचाट की वास्तविक अदायगी की तिथि, जो भी पहले हो तक, 12 प्रतिशत की वार्षिक दर से ब्याज के लिए प्रतिपूर्ति के कारण ठेकेदार "क" के पक्ष में 0.10 लाख रूपये की अदायगी मंजूर कर दी । अदायगियां पंचाट की शर्तों के अनुसार मई 1988 में कर दी गई थी।

इस प्रकार के लो नि वि ने मामले में संविदात्मक दायित्वों नामतः योजनाएं/नक्शे को ठेकेदार "क" को समय पर आपूर्त न करना तथा §2§ अपेक्षित शक्ति की सिमेंट ठेकेदार "क" को जारी न करने के कारण 1.98 लाख रूपये राशि का अतिरिक्त व्यय किया ।

मामला अगस्त 1988 में मंत्रालय को सूचित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है §दिसम्बर 1988§।

60. नक्शों को अंतिम रूप देने तथा स्थल को सौंपने में विलम्ब के कारण अतिरिक्त व्यय

क्षेत्रीय मौसम केन्द्र, कलकत्ता में लघु-कम्प्यूटर को लगाने के लिए, एक "साधारण कमरे" को "कम्प्यूटर कमरे" में बदलने का कार्य अप्रैल 1984 में संस्वीकृत किया गया था तथा कार्यभार मई 1984 में 1.88 लाख रूपये की लागत परएक ठेकेदार को सौंपा गया था। कार्य 15 जुलाई 1984 तक पूरा होना था। निर्माण कार्य के निष्पादन के लिए नक्शे उच्चतर प्राधिकारियों से दिसम्बर 1984 में प्राप्त हुए थे तथा वे शीघ्र ही यानि कार्य पूरा होने की नियत अवधि के 5 महीने बाद ठेकेदार को सौंप दिये गये थे। ठेकेदार को जगह §कम्प्यूटर कमरे में बदलने के लिए निश्चित खाली कमरा§ अप्रैल 1985 में सौंपी गयी थी जिसके बाद ही क्षेत्रीय निदेशक मौसम वैधशाला, उसे प्रभाग को सौंप सका । ठेकेदार ने कार्य जून 1985 में आरंभ किया तथा उसे कार्य अवधि को जुलाई 1986 तक बढ़ाने की अनुमति दी गयी थी। जब कार्य की प्रगति असंतोषजनक पायी गयी थी तो चूककर्त्ता ठेकेदार की जोखिम व लागत पर ठेका जून 1986 में रद्द कर दिया गया था।

ठेकेदार ने जून 1986 तक 0.79 लाख रूपये की कीमत का निर्माण कार्य किया था। 1.99 लाख रूपये §पहले ठेकेदार की कीमत की दर पर § की लागत का शेष निर्माण कार्य दौबारा निविदा किया गया था तथा अगस्त 1986 में 1.87 लाख रूपये की लागत पर दूसरे ठेकेदार को सौंपा गया था तथा वह अप्रैल 1987 में 2.17 लाख रूपये की लागत पर पूर्ण किया गया था। पहले ठेकेदार से 1.08 लाख रूपये का अतिरिक्त व्यय वसूल नहीं किया जा सका, जिसने एक मध्यस्थ होने के नाते विभाग के दावों की जांच करने के बाद कहा §दिसम्बर 1987§ कि ठेके को प्रारंभिक उलंघन अनुभाग द्वारा नक्शे न बनाने तथा ठेकेदार को जगह न उपलब्ध कराने से किया गया था तथा इस प्रकार ठेकेदार की जोखिम व लागत पर ठेके को रद्द करना युक्तिसंगत नहीं था। विभाग ने मध्यस्थ का अधिनिर्णय जनवरी 1988 में मान लिया था।

इस प्रकार नक्शों को अंतिमरूप दिये बिना निर्माण कार्य को सौंपना तथा जगह को सौंपने में विलम्ब के परिणामस्वरूप 1.08 लाख रूपये तक का अतिरिक्त परिहार्य व्यय हुआ।

विभाग ने बताया §सितम्बर 1988§ कि नक्शों और जगह को सौंपने में विलम्ब के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई थी।

मामला मंत्रालय को जुलाई 1988 में सूचित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है §जनवरी 1989§ ।

61. ठेके की शर्तों के अनुपालन न करने तथा सामग्री की कमी के कारण हानि

आराम बाग क्षेत्र, नई दिल्ली में "क्रेश कार्यक्रम के अन्तर्गत आवासों का निर्माण, उपशीर्ष: सड़के तथा पथ" का निर्माण कार्य निविदा में दी गई 3.62 लाख रू. की अनुमानित लागत के 6 प्रतिशत कम पर 3.41 लाख रू. के लिये ठेकेदार "क" को दिसम्बर 1984 में दिया गया था।

ठेके में अन्य बातों के साथ – साथ यह व्यवस्था थी कि "कार्यस्थल उपलब्ध है । कार्यस्थल जैसे कि नीचे उल्लिखित है हिस्सों में उपलब्ध कराया जायेगा" । तथापि, जितने हिस्सों में स्थान उपलब्ध कराया गया/ कराया जाना था, उल्लिखित नहीं किये गये थे।

निर्माणकार्य दिसम्बर 1984 से आरम्भ किया जाना अनुसूचित था तथा चार महीनों में पूरा किया जाना था। चूंकि ठेकेदार ने कार्य की प्रगति नहीं बनाये रखी थी तथा जनवरी 1986 में उसे कारण बताओ नोटिस दिये जाने के बावजूद वह उसे पूरा करने में असफल रहा था, मार्च 1986 में, जब वह निर्माण कार्य का एक भाग निष्पादित कर चुका था तथा उसे 0.68 लाख रू. की राशि की जा चुकी थी, ठेका निरस्त कर दिया गया था। बकाया निर्माण कार्य जून 1986 से जनवरी 1987 के दौरान , 0.56 लाख रू. की अतिरिक्त लागत पर ठेकेदार "क" की जोखिम व लागत पर चार ठेकेदारों के माध्यम से कराया गया था । मार्च 1986 में ठेकेदार "क" को संयुक्त मापों के लिये स्थान पर उपस्थित रहने को कहा गया था। किये गये निर्माण कार्य के संयुक्त माप ठेकेदार "क" की उपस्थिति में किये गये थे, जिसने माप पुस्तिका में हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया गया बताया गया है । बिटुमन के स्टाक का जो निर्माण स्थल पर पड़ी हुई थी, जिस पर ठेकेदार "क" को जुलाई 1985 से 0.34 लाख रू. का आरक्षित अग्रिम दिया गया था, कोई माप दर्ज नहीं किया गया था, जबकि फरवरी 1986 में कार्यस्थल निरीक्षण के दौरान , 104 ड्रमों में से 53 खाली पाये गये थे तथा ठेकेदार द्वारा बिटूमैन के प्रयोग को आवश्यकता दर्शाने वाली निर्माण कार्य की कोई मद निष्पादित नहीं की गई थी।

ठेके के रद्द होने के बाद, ठेकेदार "क" ने जून 1986 में के .लो.नि. वि. से उसके चालू लेखा बिल में दिये गये आरक्षित अग्रिम की राशि का समायोजन करके बिटूमैन लौटाने हेतु अनुरोध किया।

सा.लो.नि.वि. द्वारा ठेकेदार "क" को सूचित किया गया था कि बिटूमैन अभी भी उसकी सुरक्षा में था। जनवरी 1987 में उसको पुन: स्थल पर उपस्थित होने का तथा बिटूमैन के समस्त ड्रमों को जिन पर उसे आरक्षित अग्रिम दिया गया था, लौटाने का अनुरोध किया गया था। तथापि, ठेकेदार "क" स्थल पर उपस्थित नहीं हुआ। बिटूमैन ड्रम जनवरी 1987 में फिर से के.लो.नि. वि. द्वारा जांचे गये थे तथा ड्रमों की जांच करने की तिथि के दो माह से अधिक के बाद, के.लो. नि. वि. ने मार्च 1987 में ठेकेदार को सूचित किया कि केवल 54 ड्रम भरे हुए थे तथा बाकी 50 ड्रम खाली थे। उन्होंने उससे अनुरोध किया कि या तो वह अदा किये गये आरक्षित अग्रिम की राशि लौटा दे अथवा 50 खाली ड्रमों को भरे हुये ड्रमों से बदल दे। तथापि, जब 54 भरे बताये गये ड्रम वास्तव में नवम्बर 1987 में तौले गये थे, ये भी आंशिक रूप से भरे पाये गये थे तथा 16.276 टनों के प्रति जिस के लिये आरक्षित अग्रिम अदा किया गया था, उन ड्रमों में केवल 2.40 टन की मात्रा पाई गई थी।

ठेकेदार, अन्य बातों के साथ अपने अन्तिम दावे के भुगतान को प्राप्त करने हेतु जो ठेके को निरस्त होने के कारण रोक लिया गया था, मार्च 1987 में पंचाट में चला गया । उसने कार्यस्थल पर छोड़े गये 104 बिटूमैन ड्रमों की लागत का भी दावा किया। ठेकेदार ने सफाई में कहा कि निर्माण काम के समापन की उल्लिखित तिथि के बहुत बाद तक उसे पूर्ण कार्य स्थल नहीं दिया गया था। मध्यस्थ ने, यह बताते हुए कि निर्माण कार्य के समापन के लिये विहित अवधि समाप्त हो जाने के बाद भी कार्य के निष्पादन के लिये स्वच्छ तथा पूर्ण कार्यस्थल की अनुपलब्धता संबंधी रूकावटें थीं और इसलिये, ठेकेदार को निर्माण कार्य जारी रखने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता था, ठेकेदार के पक्ष में निर्णय दिया। न्यायाधीश ने यह भी निर्णय किया कि ठेकेदार 0.57 लाख रू. की राशि का हकदार था क्योंकि 104 ड्रमों में बिटूमैन की सम्पूर्ण मात्रा की लागत उसके द्वारा कार्यस्थल पर लाई गई थी, क्योंकि उसने ठेकेदार "क" का दावा कि के.लो.नि.वि. ने बिटूमैन का स्टाक पहले ही प्राप्त कर लिया था अस्वीकार करने के लिये कोई सबूत नहीं पाया । तदनुसार के.लो.नि.वि. को कम पाये गये बिटूमैन की लागत प्रतिनिधित्व क़रने वाली 0.49 लाख रू. की हानि वहन करनी पड़ी थी।

इस प्रकार, सरकार ने के.लो.नि.वि. की लापरवाही से निम्नलिखित कमियों के कारण 1.05 लाख रू. की हानि उठाई :-.

(1) ठेकेदार को निर्माण कार्य के समापन की निर्धारित तिथि तक भी स्वच्छ तथा पूर्ण कार्य स्थल उपलब्ध नहीं कराया गया था।

(2) यद्यपि, आरक्षित अग्रिमों के लिये करारनामा के.लो.नि.वि.को ऐसा करने हेतु अधिकार देता था, फरवरी 1986 के दौरान कम पाये गये बिटूमैन के स्टाक को बदलवाने हेतु कार्यवाही नहीं की गई थी।

(3) निर्माण कार्य स्थल पर बिटूमैन की उपलब्ध मात्रा ठेके के रद्द होने के समय अधिग्रहित नहीं की गई थी।

के.लो.नि.वि. ने अक्तूबर 1988 में बताया कि उन्होंने बकाया निर्माण कार्य के निष्पादन पर व्यय की गई अतिरिक्त लागत के लिये अपने दावे मध्यस्थ को न भेजने का निश्चय किया क्योंकि न्यायाधीश ने उनके निर्माण कार्य को रद्द करने के लिये आदेश को प्रोत्साहित नहीं किया था, जहां तक बिटूमैन पर हुई हानि का संबंध था, मामला विस्तृत जांच पड़ताल तथा उत्तरदायित्व नियत करने के लिये के.लो.नि.वि. की सतर्कता इकाई को भेजा जा रहा था।

मामला जुलाई 1988 में मंत्रालय को सूचित किया गया था, उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 1988)।

62. त्रुटिपूर्ण डीजल जनरेटिंग सैट

हिंडन केन्द्रीय विद्युत प्रभाग गाजियाबाद ने, केन्द्रीय भारतीय भेषज संग्रह प्रयोगशाला, गाजियाबाद (के भा भे प्र) को निरंतर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए महानिदेशक आपूर्ति एवं निपटान , नई दिल्ली (म नि आ नि) के माध्यम से , 5. 99 लाख रूपये की लागत पर (0.17 लाख रूपये संस्थान प्रभार सम्मिलित करते हुए) एक 200 कि.वा. का डीजल जनरेटिंग सैट खरीदा, जिसमें से 90 प्रतिशत लागत के रूप में 5.24 लाख रूपये प्रेषण

की साक्षी तथा निरीक्षण के प्रति भुगतान किये गये थे, शेष 0.75 लाख रूपये संतोषजनक संस्थापन तथा परीक्षण के पश्चात जारी किये जाने थे।

मार्च 1983 में आपूरित सैट की गारंटी देने की तिथि से 15 माह अथवा चालू होने की तिथि से 12 माह जो भी पहले हो दी गई थी इस से पहले कि अगस्त 1984 में इसका निरीक्षण किया जा सके, आपूर्तिकर्त्ता के सैट को संस्थापित करने में एक वर्ष के विलंब तथा निरीक्षण के लिए आवश्यक लोड की व्यवस्था करने में प्रभाग के पांच माह के विलम्ब के कारण गारंटी की अवधि समाप्त हो गई। परिणामस्वरूप, निरीक्षण के दौरान पाई गई त्रुटियों को आपूर्तिकर्त्ता द्वारा दूर नहीं किया गया था। तथापि, प्रभाग ने अंतर्निर्मित स्वचालित ओवर लोड सुरक्षा को पृथक करने के पश्चात, त्रुटिपूर्ण सैट का मार्च 1985 से प्रयोग करते हुए कार्य प्रारंभ कर दिया, जिसके कारण जुलाई 1985 तक समय समय पर प्रयोग के बाद यह जल गया । आपूर्तिकर्त्ता की कीमत परसैट को मरम्मत करने के लिए आपूर्तिकर्त्ता ने प्रभाग को मार्च 1986 में प्राधिकृत कर दिया। अप्रैल 1986 में मरम्मत हेतु कोई प्रतिभूति प्राप्त किये बिना ही सैट दूसरी फर्म को सौंप दिया गया । सैट जोकि 20 मई 1986 तक मरम्मत होना था मरम्मत होने के पश्चात उस फर्म द्वारा वापिस नहीं किया गया था (जुलाई 1988); 1985-86 में अधिप्राप्त किये गये 2.50 लाख रूपये की कीमत के अतिरिक्त पुर्जे भीबेकार पड़े हुए थे। के.भा. प्र. आवश्वस्त विद्युत आपूर्ति के बिना ही कार्य करती रही

मामला सितम्बर 1988 में मंत्रालय को सूचित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 1988)।

अंडमान और निकोबार प्रशासन

63. उत्तरी अंडमान के गावों में नल द्वारा जल आपूर्ति की व्यवस्था और सुधार

नवम्बर 1983 में अंडमान और निकोबार प्रशासन के प्रधान अभियन्ता ने कालीपुर - शिवपुर को नल द्वारा जल आपूर्ति उपलब्ध कराने और उत्तरी अंडेमान में दुर्गापुर के लिए नल द्वारा जल आपूर्ति के विकास हेतु प्रशासनिक अनुमोदन और 20.26 लाख रूपये के व्यय की संस्वीकृति प्रदान की । कार्य को विभागीयतौर पर दो कार्यवधियों के समय के अंदर निष्पादित किया जाना था। तथापि, कार्य 34.06 लाख रूपये की लागत पर फरवरी 1987 में पूरा किया गया । संस्वीकृति से अधिक किये गये 13.80 लाख रूपये के अतिरिक्त व्यय को नियमित नहीं कराया गया है (जुलाई 1988)। मंडल ने प्रधान अभियन्ता को जून 1988 में बताया कि मुख्यत: स्थल की असंतोषजनक दशा, स्थल की दूरगम्यता , परिवहन की कठिनाईयां, सामग्री की लागत में बढ़ोत्तरी, मजदूरों की कार्यक्षमता का कम होना और सीमित कार्यवधि कालों ने कार्य सम्पूर्ण करने में विलम्ब में सहयोग दिया। मंडल का तर्क स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कार्य का अनुमान, कार्य निष्पादन करने में आने वाली कठिनाईयों को ध्यान में रखने के बाद बनाया गया था और अभिलेखों में यह सिद्ध करने के लिए कोई असामान्य स्थितियां नहीं थीं कि अधिक लागत और अधिक समय लगने को टाला नहीं जा सकता था।

लेखापरीक्षा द्वारा निर्माण कार्य के लेखे और अन्य संबंधित अभिलेखों की जांच से निम्नलिखित तथ्य सामने आये थे:-

(i) मूल अनुमान में उच्च घनत्व के 14,370 मीटर पोलीथिन पाइपों को डालने पर विचार किया था। मई 1984 में कार्य शुरू करने के कुछ समय बाद ही यह पाया गया कि उच्च घनत्व पोलीथिन पाइप इतने सुदृढ़ नहीं थे कि पानी के वेग को बरदास्त कर सकें और अत: वे अनुपयुक्त

थे। इससे, पहले से बिछाये गये उच्च घनत्व के 4859.15 मीटर पोलीथिन पाइपों को ढलवां लोहे तथा जस्ती नलों द्वारा बदलने की आवश्यकता हुई जिसके परिणामस्वरूप व्यर्थ करार दिये गये अनुपयुक्त उच्च घनत्व पोलीथिन पाइपों की 8.53 लाख रूपये लागत की हानि हुई। अनुमान में, पोलीथीन पाइपों के लिए प्रावधान करते हुए पहाड़ी क्षेत्रों इत्यादि जैसे तथ्यों को ध्यान में न रखने के कारण न तो अभिलेखों में दर्ज थे और न ही बताये गये ।

§2§ स्थल पर सामग्री लेखे में दिखाया गया कि 2.12 लाख रूपये मूल्य के उच्च घनत्व पोलीथीन पाइप अगस्त 1986 में अनुपयोगी पडे थे। विभाग ने बताया §जून 1988§ कि अतिरिक्त सामग्री भंडारों को वापस कर दी गई थी। लेकिन पाइपों को उपयोग करने की संभावना के बारे में कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जा सका था।

मामला अप्रैल 1988 को मंत्रालय को सूचित किया गया था; कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है §जनवरी 1989§।

64. स्थल परिवर्तन के कारण निष्फल व्यय

पोर्ट-ब्लेयर में मत्स्य पालन विभाग के लिए प्रशिक्षण केन्द्र, कार्यशाला तथा छात्रावास के निर्माण के लिए प्रशासकीय अनुमोदन और 7.64 लाख रूपये के व्यय की संस्वीकृति अगस्त 1980 में प्रदान की गई थी। कार्य एक वर्ष के भीतर पूरा करने के लिए विभागीय तौर पर अक्तूबर 1980 में आरंभ किया गया । स्थल का चयन करते समय मिट्टी की जांच नहीं की गयी थी। तथापि, भवन की नींव की खाईयों की खुदाई का कार्य दिसम्बर 1980 में शुरू हुआ और 2 लाख रूपये की लागत पर मार्च 1981 में पूरा हुआ। परन्तु जमीन के ऊपरी भाग में भू-स्खलन तथा दरार के कारण आगे का कार्य नहीं किया जा सका। स्थल की संयुक्त जांच के बाद एक तकनीकी कमेटी ने प्रशिक्षण केन्द्र को दूसरे स्थान पर बदलने की सिफारिश की तथा मूल स्थल पर कार्य छोड़ दिया गया । इसके परिणामस्वरूप अनुपयुक्त स्थल पर मिट्टी की जांच किये बिना कार्य के निष्पादन में 2 लाख रूपये का अपव्यय हुआ।

विभाग का ध्यान मामले की ओर पहले नवम्बर 1984 में दिलाया गया परन्तु बार-बार स्मरण पत्रों के बावजूद भी कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ । मई 1988 में विभाग ने अंततः पुष्टि की कि मूल स्थल का चयन करने से पहले मिट्टी की कोई जांच नहीं की गई थी तथा आपत्ति को स्वीकार कर लिया ।

मामला जुलाई 1988 में मंत्रालय को सूचित किया गया; उत्तर प्रापत नहीं हुआ है §जनवरी 1989§।

चंडीगढ़ प्रशासन

65. स्केटिंग मैदान में सागौन की लकड़ी के फर्श का बदला जाना

फरवरी 1985 में, स्केटिंग मैदान, चंडीगढ़ में सागौन की लकड़ी के फर्श को बदलने के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई थी। कार्य की

अनुमानित लागत 5.50 लाख रू. थी। प्राप्त चार निविदाओं में से, फर्म "क" द्वारा उद्धृत दर §68.65 रू. प्रति वर्ग फुट§ न्यूनतम थी, इसके बाद 74.60 रू. तथा 119.00 रू. प्रति वर्ग फुट के बीच दरों सहित "ख" से "ग" की दरें थी। अगस्त 1985 में फर्म "क" की दर इस आधार पर नामंजूर कर दी गई थी कि निविदा बयाना राशि के साथ नहीं भेजी थी । शेष फर्मों द्वारा प्रस्तावित दरों पर विचार नहीं किया गया था जिसके लिए कोई कारण अभिलेख में नहीं थे।

उपरोक्त कार्य के लिए निविदाएं सितम्बर 1985 में पुनः आमंत्रित की गई थी। फर्म "ड़" द्वारा प्रस्तावित "ख" की दर 80.75 रू. प्रति वर्ग फुट न्यूनतम थी, इसके बाद "च" तथा "छ" की दरें क्रमशः 81.45 रू. तथा 139.75 रू. प्रति वर्ग फुट थीं। फर्म "ड़" की न्यूनतम दर तकनीकी आधार पर स्वीकृत नहीं की गई थी। अन्य फर्मों द्वारा उद्धृत दरों पर भी विचार नहीं किया गया था जिसके लिए अभिलेख में कोई कारण नहीं थे।

जनवरी 1986 में तीसरी बार निविदाएं पुनः आमंत्रित की गई थी तथा फर्म "ज" की 114.98 रू. प्रति वर्ग फुटकी न्यूनतम दर पर मार्च 1986 में आदेश प्रस्तुत किया गया था।

इस प्रकार से, फर्म "ख" पर आदेश की अप्रस्तुती §फरवरी 1985 में प्राप्त द्वितीय न्यूनतम निविदा§ तथा तीसरी बार निविदाएं आमंत्रित किये जाने के कारण प्रशासन को 87.14 वर्ग फुट के कार्य निष्पादन के लिये 3.52 लाख रू. का अतिरिक्त व्यय वहन करना पड़ा था।

दिसम्बर 1987 में मंत्रालय ने चंडीगढ़ प्रशासन के विचार पृष्ठांकित किये जिसमें सूचित किया गया था कि प्रथम तथा द्वितीय बार आमंत्रित निविदाओं के बाद क्रमशः फर्म "क" तथा "ड़" की न्यूनतम निविदाओं के निरस्त किये जाने के समय तक अन्य फर्मों के प्रस्तावों की वैधता अवधि समाप्त हो गई थी। तथापि, तथ्य यह निकलता है कि अतिरिक्त व्यय निविदाओं के संसाधन में विलम्ब के कारण हुआ था।

जल संसाधन मंत्रालय
§फरक्का बांध परियोजना§

66. मध्यस्थों द्वारा ब्याज की अनियमित अनुमति के कारण परिहार्य व्यय

फरक्का बांध परियोजना द्वारा 1966-67 तथा 1982-83 के बीच ठेके पर दिये गये निर्माण कार्यों से संबंधित 14 मध्यस्थम् अधिनिर्णय, 1983-88 वर्षों के दौरान, ठेकेदारों के पक्ष में दिये गये थे। एक को छोड़ कर बाकी सभी अधिनिर्णय मूक थे। ठेकेदारों को 3.22 करोड़ रूपये के भुगतान शामिल करते हुए ग्यारह अधिनिर्णय मई 1988 तक पूरी तरह निपटा दिये गये थे। जैसा कि नियम पुस्तक के प्रावधानों के अंतर्गत अपेक्षित था ग्यारह में से आठ अधिनिर्णय §0.5 लाख रूपये से अधिक शामिल करता हुआ प्रत्येक अधिनिर्णय§ न्यायालय के अधिनिर्णय नियम बनाए बिना निपटाए गये थे। ठेकेदारों को 44.23 लाख रूपये के भुगतान को शामिल करते हुए तीन अधिनिर्णय न्यायलय के विचाराधीन हैं §मई 1988§।

11 अधिनिर्णयों में अंतर्ग्रस्थ तथा अधिनिर्णयों के अमल में ठेकेदारों को अदा किये गये 3.22 करोड़ रूपयों में 1.13 करोड रूपये का ब्याज सम्मिलित था। माध्यस्थों ने 11 में से 6 मामलों में 89.43 लाख रूपये की राशि के ब्याज का अधिनिर्णय

पूर्वगामी प्रभाव से दिया गया था। हालांकि पंचाट को संदर्भ न्यायलय के हस्तक्षेप पर नहीं किया गया था। यह न्यायिकरूप से मान लिया गया है कि उन मामलों में जहां उसे न्यायलय के साथ हवाला नहीं दिया गया है, पूर्व गामी प्रभाव से अधिनिर्णय की राशि पर ब्याज प्रदान करना मध्यस्थ के क्षेत्राधिकार में नहीं है। इस लिए अधिनिर्णय की राशि पर ब्याज की देयता का पूर्वगामी प्रभाव से समावेश अनियमित था तथा जिसके परिणामस्वरूप 89.43 लाख रूपये की राशि का अतिरिक्त परिहार्य भुगतान हुआ। परियोजना प्राधिकारियों ने सितम्बर 1988 में बताया कि मध्यस्थों द्वारा प्रदान किये गये अधिनिर्णयों के मूक होने के कारण पूर्वगामी प्रभाव की तारीख से ब्याज की स्वीकृति के कारणों को सुनिश्चित करना संभव नहीं था।

मंत्रालय ने दिसम्बर 1988 में बताया कि भारी ब्याज देयता को टालने के लिए उचित न्यायालय अधिनिर्णय नियमों को बनाये बिना, कुछ एक मध्यस्थम अधिनिर्णयों को निपटाना पड़ा था। इसलिए, पूर्वगामी अधिनिर्णय को चुनौती देने के लिए कोई गुंजाईश नहीं थी।

चूंकि मध्यस्थम को संदर्भ न्यायालय के हस्तक्षेप से नहीं किया गया था, 6 मामलों में पूर्वगामी प्रभाव से ब्याज प्रदान करना मध्यस्थों की अधिकारिता न थी। पूर्वगामी प्रभाव से ब्याज के भुगतान के परिणामस्वरूप 89.43 लाख रूपये का परिहार्य व्यय हुआ है।

67. पागला और बसंलोई नदी बेसिन योजना के निष्पादन में विलम्ब

1975 में फरक्खा फीडर नहर के शरू होने के पश्चात् मुरशीदाबाद के जिले में पागला और बंसलोई नदियों के निचले भाग का लगभग 20 वर्गमील का एक क्षेत्र पागला और बंसलोइ नहरों के रास्तों से भागीरथी नदी से पानी के वापस बहाव के द्वारा पूर्णयता जलमग्न हो गया था। परक्खा फीडर नहर के चालू किये जाने से पहले मौनसून अवधि के दौरान निचला भाग 3 महीनों के लिये जलमग्न रहा करता था तथा जैसे ही मौनसून के बाद भागीरथी दरिया का जल स्तर नीचे जाता था सारे क्षेत्र का जल पागला और बंसलोई नहरों के द्वारा भागीरथी में बह जाया करता था।

संचित जल को बाहर निकालने तथा प्रभावित क्षेत्र को फीडर नदी के चालू होने से पहले वाली दशा में वापस लाने के उद्धेश्य से , 4.12 करोड़ रू. की लागत पर पूर्व कृषि और सिंचाई मंत्रालय द्वारा जनवरी 1979 में एक योजना संस्वीकृत की गई थी जिसे श्रम और सामग्री की लागत में बढ़ोतरी के मुख्य कारण से जून 1987 में 5.67 करोड़ रू. संशोधित कर दिया गया था। योजना का मुख्य उद्धेश्य, क्षेत्र मैरबी और मौनसून से पहले की फसलों को बढ़ाने के लिये भूमि को उपयोगी बनाना था। जैसा कि परियोजना की रिपोर्ट में विचार किया गया था, योजना जून 1980 तक पूरी की जानी थी, लेकिन वह अभी भी पूरी नहीं की गई है, जबकि सितम्बर 1988 तक 4.68 करोड रू. खर्च कर दिये गये थे।

योजना में मूल रूप से निम्नलिखित निर्माण कार्य थे:

(1) पागला और बसंलोई नदियों के पार दो नियंत्रको (सिविल और गेट भाग) का निर्माण।

(2) आरपार नालियों का निर्माण कार्य तथा

अन्य आकस्मिक निर्माण कार्य ।

नियंत्रकों का निर्माण: 1.68 करोड़ रू. की अनुमानित लागत पर होने वाले दो नियंत्रकों (सिविल कार्य अवमव) के निर्माण को 2.69 करोड़ रू. की लागत पर दिसम्बर 1979 में ठेकेदार "क" को दिया गया था तथा कार्य नवम्बर 1981 में पूर्ण होना था। ठेकेदार "क" ने जनवरी 1980 में कार्य शुरू कर दिया तथा बाद में बिना किसी नोटिस के नवम्बर 1981 में कार्य छोड़ दिया । किये गये कार्य के लिये 16.99 लाख रू. की एक राशि उसे पहले ही अदा की जा चुकी थी। जून 1982 में ठेकेदार "क" को एक कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद ठेके को परियोजना प्राधिकारियों द्वारा सितम्बर 1982 में ठेकेदार "क" की जोखिम व लागत पर निरस्त कर दिया गया । ठेके को निरस्त करते समय 1.05 लाख रू. की सुरक्षा जमा को भी जब्त कर लिया गया था। (1) निर्माण कार्य को सम्पूर्ण न करने के कारण प्रतिपूर्ति (15.70 लाख रू.) , (2) बाकी निर्माणकार्य को अन्य एजेन्सियों द्वारा कराने के लिये संभावित अधिक्य राशि हेतु प्रतिपूर्ति (7.43 लाख रू.), (3) अग्रिम संग्रहण पर ब्याज (1.61 लाख रू.), (4) जारी की गई लेकिन वसूली नहीं की गई सामग्रियों की लागत (1.12 लाख रू.) तथा (5) औजारों व संयत्रों के किराया प्रभार , बिजली प्रभार, आवास किराया तथा सीट पाईल्स इत्यादि (2.18 लाख रू.) के समायोजन के लिये वसूली के कारण 28.04 लाख रू. की एक राशि जमा ब्याज मामले को अन्तिम रूप दिये जाने से पहले निर्धारण न किये जाने वाला ठेकेदार "क" से वसूली योग्य थे। लेकिन राशि की वसूली नहीं की जा सकी क्योंकि ठेकेदार का अता पता मालूम नहीं था।

बाकी निर्माण कार्य को दो ठेकेदार "ख" और "ग" को जुलाई 1983 में क्रमशः 1.54 करोड़ रू. और 1.04 करोड रू. की लागत पर दिया गया था तथा निर्माणकार्य अप्रैल 1985 में पूरा किया जाना था। ठेकेदार "ख" और "ग" ने निर्माण कार्य अक्तूबर 1983 में शुरू किया तथा निर्माण कार्य को क्रमशः सितम्बर और अक्तूबर 1985 में पूरा कर दिया गया । ठेकेदार "ख" और "ग" को सितम्बर 1988 तक चालू अदायगी के रूप में 1.54 करोड़ रू. और 0.95 करोड रू. अदा किये गये थे। दोनों ठेकेदार "ख" और "ग" के अन्तिम बिलों का भुगतान अभी नहीं किया गया है (अक्तूबर 1988)।

नवम्बर 1986 में लेखापरीक्षा द्वारा की गई नमूना जांच से पता चला कि दो नियंत्रकों (बाकी कार्य) पर सिविल निर्माण कार्य के निर्माण हेतु ठेकेदार "ख" और "ग" के साथ किये गये करारों के अनुसार किये गये कार्य को परियोजना प्राधिकारियों द्वारा आर्पूत की गई सामग्रियां छोड़ते हुए श्रम और सामग्रियों की दर में घटत अथवा बढ़त के लिये सामायोजन (करारों में विनिदिर्ष्ट फार्मूले के अनुसार) किया जाना था। परियोजना प्राधिकारियों द्वारा आर्पूत की गई सामग्री की लागत को तथापि, बढ़ती अदायगियां करते समय लेखे में गलत लिया गया था। इसके परिणाम स्वरूप ठेकेदारों "ख" और "ग" को 3.29 लाख रू. की अधिक अदायगी की गई । इसके अतिरिक्त वृद्धि की राशि को अनुमत करते समय त्रैमासिक औसत कार्य उस अवधि के लिये जिसमें ठेकेदार "ख" और "ग" को भुगतान किये गये थे और न कि उस अवधि के लिये जिसमें निर्माण कार्य किया गया था, संगणित की गई थी। इसके फलस्वरूप ठेकेदार "ख" और "ग" को 0.43 लाख रू. की अधिक अदायगी भी हुई। परियोजना अधिकारियों ने मार्च 1988 में बताया कि किये गये कार्य का तार्त्पय , किये गये कार्य की लागत तथा माप पुस्तक में लिये गये माप से या इस बात पर विचार किये बिना कि कार्य के लिये उपयोग की गई सामग्रियां चाहे, परियोजना प्राधिकारियों द्वारा अथवा

ठेकेदारों द्वारा आपूर्त की गई थी तथा इस प्रकार से कोई अधिक अदायगी नहीं की गई थी। तथापि, तर्क सही नहीं हैं क्योंकि ठेकेदार "ख" और "ग" के साथ किये गये करारों के अनुसार वृद्धि की प्रयोजन से परियोजना प्राधिकारियों द्वारा आपूर्त की गई सामग्रियों की लागत विशेषत: कम की गई थीं।

पागला और बंसलोई नियंत्रको §उत्तोलन प्रबन्धों सहित § के ऊपरगेटों की संरचना, नमूना, निर्माण और आपूर्ति का कार्य अगस्त 1985 में 1.5। करोड़ रू. की लागत पर ठेकेदार "घ" को दिया गया था। निर्माण कार्य अप्रैल 1987 तक पूरा किया जाना था। ठेकेदार द्वारा मार्च 1988 तक केवल 429.86 टन सामग्रियां ही आपूर्त की गई थी तथा निर्माण कार्य को खड़ा करने का कार्य अभी शुरू नहीं किया गया है §सितम्बर 1988§। सामग्रियों की आपूर्ति के प्रति फर्म को सितम्बर 1988 तक 91.8। लाख रू. अदा किये गये थे।

आरपार नालियों का निर्माण कार्य इत्यादि: परियोजना प्राधिकारियों ने अप्रैल 1988 में बताया कि योजना के उपर्युक्त संयंत्र के प्रभावशील होने का तब पता चला जब गेटों की संरचना पूर्ण होने के बाद नियंत्रकों को चलाया गया था। गेट कार्य मार्च 1989 तक पूरा होना अपेक्षित था। परियोजना प्राधिकारियों ने यह भी बताया §अक्तूबर 1988§ कि बाकी निर्माण कार्य को पूरा करना निलम्बित कर दिया गया था ताकि नालियों के निर्माण कार्य की आवश्यकता ही न पड़े।

इस प्रकार, यद्यपि मूलरूप से सूचीबद्ध योजना परियोजना रिपोर्ट के अनुसार 4.12 करोड़ रू. की कुल लागत पर जून 1980 में पूरी की जानी थी, परन्तु 8 वर्ष बीत जाने के बाद भी पूरी नहीं की गई है तथा सितम्बर 1988 तक 4.68 करोड़ रू. का काम करने पर भी जिस उद्देश्य के लिये योजना शुरू की गई थी उपलब्ध नहीं हुआ है। निर्माण कार्य के पूरा करने के परिणाम स्वरूप ठेकेदार "क" को अधिक अवसूलीयोग्य रोकड़ अग्रिम तथा सेवाओं की लागत §28.04 लाख रू.§ हुई जो सरकार की हानि मानी गई । वृद्धि के रूप में प्रदत राशि की गलत संगणना के कारण ठेकेदारों "ख" और "ग" को 3.72 लाख रू. का अधिक भुगतान दिया गया था।

परियोजना प्राधिकारियों ने मार्च 1988 में बताया कि भूमि के अधिग्रहण में विलम्ब, नक्शों की प्राप्ति में विलम्ब , सामग्रियों की आपूर्ति तथा निविदाओं के नवीकरण में विलम्ब जैसे कारणों से 8 वर्षों तक के विलम्ब हुये थे। परियोजना प्राधिकारियों ने अक्तूबर 1988 में पुन: बताया कि विधि और न्याय मंत्रालय ने जिनका सुझाव जनवरी 1988 में लिया गया था उन्हें यह पता लगाने का सुझाव दिया था §मार्च 1988§ कि क्या फर्म §ठेकेदार "क"§ परिसमापन में चली गई थी अथवा नहीं । आगे की जाने वाली कार्यवाही, विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा, उर्पयुक्त सूचना की प्राप्ति पर सुझायी जावेगी।

मामला जुलाई 1988 में मंत्रालय को प्रतिवेदित किया गया था,' उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है §जनवरी 1989§।

68. सामग्री की अविवेकपूर्ण अधिप्राप्ति

फरक्का बांध परियोजना स्थल पर जल आपूर्ति के संवर्धन के लिए कार्यक्रम के भाग के रूप में, जुलाई 1978 में फरक्का बांध परियोजना की भवन निर्माण समिति द्वारा यह अनुशंसित किया गया कि प्रबलित कंकरीट सिमेंट की छतों वाले भवनों पर

घरेलू काम में आने वाली ऊपरी टंकियां मुहैया करायी जानी चाहिए।

उपरोक्त अनुशंसा के अनुसरण में छतों की भार वहन क्षमता का अनुमान किये बिना प्राधिकारियों ने, 22.49 लाख रूपये मूल्य की सामग्री खरीदी (नवम्बर 1980 तथा जुलाई 1981 के मध्य 3.83 लाख रूपये की लागत वाली 200 ऊपरी टंकियां, अप्रैल 1980 तथा अप्रैल 1981 के मध्य 13.59 लाख रूपये की लागत वाले 3" जस्तेदार लोहे के 21,660.62 मीटर पाइप और जून 1984 में 5.07 लाख रूपये की लागत वाले 86.50 मीटर ढलवां लोहे के दोहरे कोरदार पाइप)। कार्यकारी मंडल ने अगस्त 1986 में पाया कि ऊपरी टंकियां भवनों की छतों पर नहीं रखी जा सकती थी तथा टंकियों के उत्थापन के लिए छतों की संरचना में परिवर्तन के लिए काफी अतिरिक्त व्यय करना पड़ेगा। परन्तु इस संबंध में सितम्बर 1988 तक कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। परिणामस्वरूप, कोई भी सामग्री जिस कार्य के लिए वे अभिप्रेत थी, उपयोग में नहीं लाई जा सकी। अन्य कार्यों में केवल 10,057 मीटर जस्तेदार लोहे के पाइप (6.31 लाख रूपये मूल्य के) ही प्रयुक्त किये जा सके। अन्य सभी सामग्रियां भंडार में अप्रयुक्त पड़ी थी (सितम्बर 1988)। अक्तूबर 1988 में, परियोजना प्राधिकारियों ने स्वीकार किया कि ऊपरी टंकियां अप्रयोज्य हो गई थीं परन्तु शेष सामग्रियां प्रोज्य अवस्था में थी।

इस प्रकार, कार्य की तकनीकी संभाव्यता की जांच किये बिना सामग्रियो की अविवेकपूर्ण खरीद के कारण अन्य सामग्रियों के क्रय पर 12.35 लाख रूपये के अवरोधन के अतिरिक्त 200 ऊपरी टंकियों की खरीद पर 3.83 लाख रूपये का व्यय निष्फल हो गया ।

मामला मंत्रालय को जुलाई 1988 में सूचित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 1989) ।

69. एक गोदाम को भाड़े पर लिए जाने पर अतिरिक्त व्यय

फरवरी 1980 में फरक्का बांध परियोजना प्राधिकारियों ने विभिन्न व्यासों की एम.एस. गोलाईयों में बदलने के लिए 22.13 लाख रूपये की कीमत पर 994.564 टन एम. एस. बिलिट आयात किया। बिलिट हल्दिया गोदी से छोड़े जाने थे जिनके लिए आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशक के माध्यम से फरवरी 1980 में निकासी एजेंट नियुक्त किया गया था। बिलिटों को कलकत्ता में निकासी एजेंट के गोदाम में जमा करने के लिए किराया भाड़ा 10 रूपये प्रति टन प्रति माह या उसके अंश के रूप में स्वीकृत हुआ था। निकासी एजेंट को फरवरी 1980 से मार्च 1983 तक गोदाम के लिए भाड़ा प्रभारों के रूप में 3.18 लाख रूपये सहित 4.11 लाख रूपये का भुगतान किया गया था।

यद्यपि, बिलिट्स फरवरी 1980 में प्राप्त हुए थे, बिलिटों को गोलाईयों में लपेटने हेतु दूसरे बुलावे के लिए निविदा आमंत्रित पत्र (नि.आ.प.) सितम्बर 1980 में जारी किया गया था क्योंकि निविदाकार द्वारा जिसका कि रेट स्वीकृत किया गया था बैंक गारंटी पेश न करने के कारण पहले बुलावे के लिए नवम्बर 1979 में जारी किया गया नि.आ.प. रद्द करना पड़ा था । तथापि, ठेकेदार को 5.54 लाख रूपये पर कार्य पूरा करने के लिए अंतिम आदेश दिसम्बर 1980 में भेजे गये थे। इस अपेक्षा से कि 200 टन तैयार उत्पाद हर माह प्राप्त किया जाना था, तैयार उत्पाद का संवितरण अप्रैल 1981 में पूरा होना अपेक्षित था। तथापि ठेकेदार ने आपूर्ति

को दिसम्बर 1983 में भागों में पूर्ण किया । आपूर्ति में विलम्ब के लिए कोई दण्ड नहीं लगाया गया था।

तैयार उत्पादों की आपूर्ति की स्थिति के संदर्भ में ठेकेदार को निकासी एजेंट के गोदाम से बिलिट को जारी करना नियत किया गया था। भंडार की यह अवधि जिसके लिए परियोजना को किराया दायित्व वहन करना था ठेकेदार तैयार उत्पादों को संवितरण करने की क्षमता पर निर्भर करता था। इस आकस्मिकता से निपटने के लिए समझौते में कोई प्रावधान नहीं था। इसके अतिरिक्त प्राधिकारियों द्वारा समझौते के प्रावधानानुसार सामग्री को बनाने के लिए 3.30 लाख रूपये की बैंक गारंटी के प्रति ठेकेदार को । लाख रूपये की बैंक गारंटी देने की अनुमति दी गयी थी। इसने सामग्रियों की मात्रा को गारंटी की राशि तक सीमित कर दिया। जिसके फलस्वरूप संचय की अवधि बढ़ गई और सामग्रियां कम हो गई । दिसम्बर 1983 तक काम पूरा करने के लिए ठेकेदार को कार्यकाल की अवधि को बढ़ाने की अनुमति देनी पड़ी थी।

दोबारा लपेटने के कार्य विलम्ब के फलस्वरूप गोदाम के लिए किराया प्रभारों के रूप में 2.90 लाख रूपये का अतिरिक्त परिहार्य व्यय हुआ। दोबारा लपेटने के कार्य को पूरा होने में विलम्ब का आरोप परियोजना प्राधिकारियों ने अक्तूबर 1988 में फर्म द्वारा समझौते की शर्तों के अनुसार पूरी राशि की बैंक गारंटी न दिये जाना, असाधारण विद्युत कटौती, ठेकेदार के कारखाने में मजदूर असंतोष, ईंधन तथा अन्य आवश्यक सामग्रियों के संकट पर ठहराया ।

मामला जुलाई 1988 में मंत्रालय को प्रतिवेदित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 1989)।

70. ठेके के अनियमित निरस्तीकरण के कारण अतिरिक्त व्यय की गैर वसूली

फरक्का बांध परियोजना प्राधिकारियों ने, फरक्का बांध की जल धारा के नीचे की ओर दाहिने किनारे के सुरक्षा निर्माण कार्यों को निष्पादित करने केलिए अपेक्षित 80.15 रू. प्रति घनमीटर के हिसाब से 50,000 घनमीटर शिलाखंडों की आपूर्ति का काम फरवरी 1984 में एक ठेकेदार को प्रदान किया। आपूर्ति जून 1984 से पहले पूर्ण की जानी थी। यह परिसमापन अवधि क्षतिपूर्तियां वसूल करने के अधिकार के साथ, 15 दिसम्बर 1984 तक बढ़ा दी गई थी।

तथापि, 3 दिसम्बर 1984 को परियोजना प्राधिकारियों ने , यह स्पष्ट करते हुए कि यदि आपूर्ति संतोषप्रद नहीं हुई तो ठेका भंग कर दिए जाने के लिए पग उठाए जायेंगे, आपूर्ति में विलम्ब के लिए परिसमापन क्षतिपूर्तियों हेतु अनुबंध का आवाहन किया। ठेकेदार ने 4 दिसम्बर 1984 को शिलाखंडों का एक और प्रेषण आपूर्त कर दिया । 15 दिसम्बर 1984 को परियोजना अधिकारी ने ठेकेदार के जोखिम व लागत पर ठेका निरस्त कर दिया। क्योंकि समय की वृद्धि 15 दिसम्बर 1984 तक ही दी गई थी, ठेकेदार शिलाखंडों की शेष मात्रा की आपूर्ति उस या उससे पहले की तारीख तक कर सकता था तथा इसके अलावा, एक तरफा ठेका भंग करने का विकल्प अधिकारियों को तभी उपलब्ध था यदि आपूर्ति अंतिम बढ़ी तिथि से 10 दिन बाद तक अवधि के लिए क्षतिपूर्तियां लगाने के बाद भी न की गई होती। इस प्रकार से ठेके का निरस्तिकरण अनुबंध के अनुसार नहीं था। क्योंकि ठेके का निरस्तिकरण अनियमित था, इसलिए परियोजना द्वारा

दूसरे ठेकेदार के माध्यम से 35,000 घन मीटर शिलाखंडों की शेष मात्रा की आपूर्ति को प्राप्त करने के लिए किया गया 13.42 लाख रूपये का अतिरिक्त व्यय चूककर्त्ता ठेकेदार से वसूल नहीं किया जा सका। कोई समापन क्षतिपूर्तियां भी उससे वसूल नहीं की जा सकी।

मार्च 1988 में परियोजना प्राधिकारियों ने बताया कि विधि मंत्रालय जिसकी सलाह परियोजना द्वारा निरस्तिकरण आदेशों पर मांगी गई थी, ने परामर्श दिया था कि विखंडन अनियमित था और इसलिए पहले ठेकेदार से अतिरिक्त व्यय वसूली योग्य नहीं था। परियोजना प्राधिकारियों ने सितम्बर 1988 में आगे बताया कि दिसम्बर 1984 में ठेके के विखंडन के बाद ठेकेदार ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में परियोजना अधिकारियों की कार्यवाही को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की थी। विधि मंत्रालय के परामर्श पर परियोजना अधिकारियों ने ठेकेदार से मामला उठा लेने के लिए कहा, जिसके लिए वह राजी हो गया। इस प्रकार से बिना किसी कानूनी तथा वित्तीय प्रतिक्रियाओं के ठेका विखंडित माना गया। इसलिए परिसमापन क्षमिपूर्तियों की वसूली पर जोर नहीं डाला जा सका ।

मामला जुलाई 1988 में मंत्रालय को सूचित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 1989)।

71. कांटेदार तारों की अविवेकपूर्ण अधिप्राप्ति

फरक्का बांध परियोजना प्राधिकारियों ने महा निदेशक आपूर्ति निपटान के माध्यम से 6.24 लाख रूपये की लागत पर 184 टन कांटेदार तारों की आपूर्ति के लिए अप्रैल 1977 में एक आपूर्ति आदेश प्रस्तुत किया। कांटेदार तारों की आपूर्ति जून 1977 तक की जानी थी परन्तु वास्तव में आपूर्ति फरवरी 1980 में की गई थी। आपूर्त किये गये 184.377 टनों में से 141.588 टन घटिया जस्तेदार कोटिंग के कारण प्राप्ति के समय जंग लगे पाये गये थे। व्यापार में बाहर निकल जाने से पूर्व आपूर्तिकर्त्ता ने 26.695 टन कांटेदार तारों को बदल दिया। तथापि, आपूर्तिकर्त्ता को 6.22 लाख रूपये की राशि अदा की गई थी (जून से नवम्बर 1977 तक) भंडार में 83.931 टन खराब तारों को छोड़ते हुए, 30.962 टन खराब तारों को बाड़ लगाने के लिए प्रयुक्त किया गया था। विनिर्देशन के अनुरूप पाये गये कांटेदार तारों में से, भंडार में अप्रयुक्त 63.168 टन का शेष छोड़ते हुए, केवल 6.316 टन बाड़ लगाने के कार्य में प्रयुक्त किये गये थे।

भंडार में कांटेदार तारों का मूल्य 4.99 लाख रूपये (खराब कांटेदार तारों का मूल्य 2.85 लाख रूपये तथा ठीक विनिर्देशनों के कांटेदार तारों की लागत 2.14 लाख रूपये) बनता है।

परियोजना प्राधिकारियों ने जून 1988 में बताया कि खराब तारों की शेष मात्रा को प्रयुक्त करने की प्रत्याशा का अन्वेषण किया जा रहा था। परन्तु लेखा परीक्षा में यह पाया गया था (अक्तूबर 1988) कि सामग्री के प्रयोग के संबंध में कोई प्रगति नहीं की जा सकी थी तथा 2.85 लाख रूपये मूल्य की भंडार में त्रुटिपूर्ण सामग्री प्रयोग के लिए अनुपयुक्त ठहरा दी गई है।

147.099 टन कांटेदार तारों की अविवेकपूर्ण खरीद के परिणामस्वरूप निर्माण कार्य में खराब स्तर की सामग्री के प्रयोग होने के अलावा 4.99 लाख रूपये अवरूद्ध रहे ।

मामला जुलाई 1988 में मंत्रालय को प्रतिवेदित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 1989)।

अध्याय – 5

भंडारों की खरीद

विदेश मंत्रालय

72. त्रुटिपूर्ण विमानन भंडारण की अधिप्राप्ति

विमानन भंडारणों की 25 मदों की अधिप्राप्ति के लिए वायुयान मुख्यालय (मांगकर्त्ता) द्वारा एक मांगपत्र विदेश में स्थित एक भारतीय मिशन की आपूर्ति शाखा (आ.शा.) को अक्तूबर 1982 में दिया गया था। आ.शा. द्वारा जनवरी 1983 में शुरू की गई निविदा पूछताछ के उत्तर में "क" "ख" "ग" और "घ" चार फर्मों ने मदों के लिए उद्धरण प्रस्तुत किये। विभिन्न मदों के लिए खंडों में संबंधित निम्नतम उद्धरण के आधार पर चार फर्मों के साथ चार ठेके सम्पन्न किये गये थे। तथापि, "उन्मुक्त अंतराल" मद के लिए कोई आदेश नहीं दिया गया था जिसके लिए आ.शा. ने मांगकर्त्ता को उसके निर्णय का अन्वेषण करते हुए कि क्या मद फर्म "ख" से अधिप्राप्त करनी चाहिए जिसने मद के लिए उद्धरण दिया था, लेकिन प्रत्येक 40 पौंड दर पर एक वैकल्पिक भाग संख्या के साथ अथवा फर्म "ग" से (जिसके पक्ष में मांगकर्त्ता ने मालिकाना वस्तु प्रमाणपत्र जारी किये थे) प्रत्येक 77.56 पौंड की दर पर, उसी भाग संख्या के साथ जैसा निविदा में दर्शाया गया था, एक संदर्भ किया। आ.शा. ने यह भी बताया कि फर्म "ग" फर्म "ख" से खरीद के अनुसार मद की आपूर्ति कर रही थी क्योंकि फर्म उत्पादनकर्त्ता नहीं थी। जबकि इस संबंध में मांगकर्त्ता से एक निर्णय अभी प्रतिक्षित था, आ.शा. ने फर्म "ड़" से (जिसको कभी कोई निविदा पूछताछ जारी नहीं की गई थी) 33 पौंड (बाद में कम करके 31.95 पौंड) की एक दर उद्धरित करते हुए अप्रैल 1983 में एक टैलेक्स उद्धरण प्राप्त किया। इस उद्धरण पर आधारित, आ.शा. ने मांगकर्त्ता से बिना विचार विमर्श किये तथा फर्म "ग" द्वारा उसके उद्धरण प्रस्तुत करते समय मद की उपयोगिता के बारे में कि वह आपूर्ति के अन्य स्रोतों से उपलब्ध कराई जा सकेगी, दी गई सावधानी को अनदेखा करते हुए उन्मुक्त अंतराल की 671 संख्या की अधिप्राप्ति के लिए मई 1983 में एक ठेका सम्पन्न किया। तथापि, भंडारण वास्तव में फर्म "च" (फर्म "ड़" के साथ ठेके के प्रति) द्वारा सितम्बर 1983-फरवरी 1984 के दौरान आपूर्त किये गये थे तथा 20,295 पौंड की कुल अदायगियों के भुगतान देरी से आपूर्ति के लिए निर्धारित किये गये हरजानों तथा उतराई चढ़ाई प्रभारों के संबंध में 1,143 पौंड को कम करते हुए अक्तूबर 1983 से मार्च 1984 के दौरान किये गये थे।

671 संख्या में से मद की 481 फर्म "च" द्वारा आपूर्त की गई, उपयोग करते समय त्रुटिपूर्ण पाई गई थी क्योंकि वे "अपेक्षित 1.9 से 2.1 के .वी. के प्रति 1.75 से 1.95 के.वी. के बीच फाईरिंग के थे"। त्रुटिपूर्ण उन्मुक्त अंतरालों को बदलने के लिए फर्म "च" को जून 1984 में की गई एक प्रार्थना पर, उसने जांच रिपोर्ट इत्यादि के बारे में विवरणों को और 25 संख्या की रद्द की गई खेप को उसके यहां जांच करने के लिए वापस मांगा (अगस्त 1984)। चूंकि रद्द मद की 25 संख्या को शर्तानुसार प्रेषण के लिए सरकार सहमत नहीं हुई, मांगकर्त्ता ने जुलाई 1985 में उन्मुक्त अंतरालों की सभी 641 संख्या (160 संख्या सहित फिर त्रुटिपूर्ण

पाये गये) को फर्म को वायुयान भाड़ा अदायगी के लिये कहते हुए, भेज दिया ।

उन्मुक्त अंतरालों की संख्या 641 की प्राप्ति की पुष्टि करते हुए फर्म ने आ.शा. को अगस्त 1985 में सूचित किया कि उसका निर्माता आपूर्ति की तिथि (सितम्बर 1983– फरवरी 1984) तथा रद्दद मद की वापस करने की तिथि (जुलाई 1985) के बीच और इस प्रकार के समय विलम्ब के कारण त्रुटियों के लिए कोई देयता करने का अन्विच्छुक था तथा इस प्रकार से, रद्दद की गयी खेप का 10 प्रतिशत एक अनुमोदित निरीक्षण एजेंसी द्वारा निरीक्षण किया गया था, जिसके अनुसार जांची गई इकाईयाँ संतोषजनक परिणाम दर्शाती थीं, तथापि, यदि बाकी ईकाइयों की भी जांच की जाती तो जांच करने की लागत को आ.शा. को वहन किया जाना चाहिए। इसके लिए उनके उत्तर में, आ.शा. ने जून 1986 में फर्म को आग्रह किया कि उन्मुक्त अंतरालों की संख्या 641 को बिना लागत के बदल दिया जाना चाहिए।

उन्मुक्त अंतरालों की संख्या 641 की अभी भी बदली की जानी थी (सितम्बर 1988) ।

लेखा परीक्षा द्वारा मामला उठाये जाने पर, आ.शा. ने जून 1988 में बताया कि "फर्म का पता लगाने के उनके सभी प्रयास असफल रहे तथा व्यापार माध्यमों से उसका अता पता लगाने की पूछताछ की जा रही थीं " ।

एक फर्म से, जिसके पक्ष में निविदा कर्ता द्वारा मालिकाना वस्तु प्रमाणपत्र भेजा गया था के अलावा अन्य किसी फर्म से और वह भी निविदाकर्त्ता का अनुमोदन प्राप्त किये बिना तथा बिना अनुरोध किये टेलेक्स उद्धरण के आधार पर, उन्मुक्त अंतरालों की संख्या 641 अधिप्राप्ति के परिणामस्वरूप 19,337 पौंड (3.37 लाख रूपये) का निष्फल व्यय हुआ।

मामला रक्षा मंत्रालय तथा विदेशमंत्रालय को सितम्बर 1988 में सूचित किया गया था। रक्षा मंत्रालय ने दिसम्बर 1988 में बताया कि फर्म का उसके अपने नये स्थान पर पता लगा लिया गया था तथा मामला आपूर्ति खंड द्वारा भंडारणों को निः शुल्क बदलने के लिए फर्म "च" के विरूद्ध कानूनी कार्यवाहियां आरंभ करने के लिए सोलीसिटर्स को भेजा जा रहा था। विदेश मंत्रालय से कोई उत्तर नहीं था (दिसम्बर 1988)।

विभागीय रूप से प्रबंधित सरकारी उपक्रम

73 सामान्य

31 मार्च 1988 को, वाणिज्यिक और अर्ध–वाणिज्यिक प्रकार के विभागीय रूप से प्रबंधित 37 सरकारी उपक्रम थे।

इन उपक्रमों के वित्तीय परिणाम, प्रतिवर्ष, सरकार के सामान्य लेखों से बाहर प्रोफार्मा लेखे तैयार करके सुनिश्चित किये जाते हैं। उपक्रमों अर्थात्, प्रकाशन विभाग, दिल्ली तथा भारत सरकार मुद्रणालयों द्वारा व्यापारिक तथा लाभ और हानि लेखे तथा तुलन पत्र तैयार नहीं किये जाते हैं, केवल भंडार लेखें तैयार किये गये थे। लोक लेखा समिति की , उनकी इकतालिसवीं रिपोर्ट (पांचवीं लोकसभा– 1971–72) के पैरा 1.107 में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के अनुसरण में सरकार, भारत सरकार के मुद्रणालयों के लिये विनिर्माण, लाभ औरहानि लेखें तथा तुलनपत्र तैयार करने के लिये सहमत हो गई। तदनुसार, इस प्रयोजनार्थ 1 अप्रैल 1983 से प्रभावी लेखाओं का प्रारूप (फार्मेट) अनुमोदित किया गया था।

वर्ष 1987–88 हेतु उपक्रमों में से किसी से भी सम्बन्धित, प्रोफार्मा लेखें प्राप्त नहीं किये गये थे (नवम्बर 1988) । विभागीय उपक्रमों के, उनके अद्यतन उपलब्ध लेखों के आधार पर, संक्षिप्त वित्तीय परिणामों को दर्शाने वाला एक संक्षिप्त विवरण परिशिष्ट 9 में दिया गया है। यह देखने में आयेगा कि बहुत से मामलों में प्रोफार्मा लेखें कई वर्षों से बकाया थे। लेखों के संकलन में विलम्बों को, सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालयों के ध्यान में लाया गया था।

वित्त मन्त्रालय
(आर्थिक मामलों का विभाग)
सिक्योरिटी पेपर मिल, होशंगाबाद

74. अनुपयुक्त सुरक्षा धागे के प्रयोग के कारण हुआ परिहार्य व्यय

सिक्योरिटी पेपर मिल, होशंगाबाद के विदेश में स्थित एक भारतीय मिशन द्वारा जून 1980 (29 टन) और जुलाई 1982 (17 टन) में दिए गए 2 आदेशों के प्रति एक विदेशी आपूर्तिकर्ता से 46 टन विशेष धात्वीय सुरक्षा धागे (एस के एम प्रकार के) प्राप्त किए, सामग्री जून 1983 के बाद तक प्राप्त की जाती रही थी। आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतिस्थापित द्वततर समप्रवाह आधुनिकीकृत पेपर मशीन हेतु धागे अनुपयुक्त होने से भविष्य में उनका प्रयोग बंद कर देने से पहले मिल ने धागों का प्रयोग बैंक नोट कागज उत्पाद हेतु जनवरी 1986 तक किया। जनवरी 1987 में मिल ने इस आधार पर कि इस धागे के प्रयोग से 35.21 लाख रू. के कुल 65 टन के उत्पादन को प्रभावित करने वाले अतिरिक्त कचरे के उत्पादन के कारण 5.75 लाख रू. की अतिरिक्त हानि अवेष्टित होगी, 3.91 टन (लागत: 29.46 लाख रू.) की शेष मात्रा को बट्टे खाते में डाल देने का प्रस्ताव दिया। मन्त्रालय से राशि को बट्टे खाते में डाल देने की संस्वीकृति अभी तक प्राप्त नहीं हुई है (नवम्बर 1988)।

लेखापरीक्षा द्वारा की गई नमूना जांच (सितम्बर 1986) से प्रकट हुआ कि यद्यपि, मिल ने नवम्बर 1982 में बारबार टूटने के कारण धागों को आधुनिक मशीनों के लिए उपयुक्त नहीं पाया था तथा इसके बजाए मिल के सहयोगियों/सलाहकारों ने परीक्षण के बाद दिसम्बर 1982 में पोलियस्टर

आधारित मैक्स धात्वीय धागों के प्रयोग की सिफारिश की थी, आपूर्तिकर्ता से, जो आधुनिकीकरण कार्यक्रम में भी मिल का साझीदार था, एस.के. एम धागों की अतिरिक्त आपूर्ति को बंद कर देने के कोई प्रयास नहीं किये गये थे और अगस्त 1983 में, आपूर्तिकर्ता के जून 1983 के बीजक के प्रति 1.97 टन कागज (मूल्य: 14.84 लाख रू.) की आपूर्ति प्राप्त हुई थी। वरन यह धागा जनवरी 1986 तक प्रयोग में लाया जाता रहा था। 1983-84 से 1985-86 के दौरान आधुनिक मशीनों पर कागजों के उत्पादन हेतु मिल ने 30.52 टन एस के एम धागों का प्रयोग किया तथा 14.84 लाख रू. कीमत के 1.97 टन धागों की परिहार्य खरीद के अतिरिक्त , 10 प्रतिशत अधिक कचरे के कारण कागज की उत्पादन हानि 508.93 टन (मूल्य: 274.82 लाख रू.) बनती है।

मिल ने बताया (अगस्त और दिसम्बर 1987) कि इस बात का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सका कि एस के एम धागे आधुनिक मशीन पर नहीं चल पाएंगे और विदेशी सलाहकारों ने भी इसके मशीन की उच्च रफ्तार संतोषप्रद चलन के बारे में जुलाई 1976 में सुस्पष्टतः प्रमाणित किया था।

तथापि, यह देखा गया था कि

- यदि 1981 और 1982 के दौरान एस के एम धागों का आयात प्रत्येक वर्ष की वास्तविक आवश्यकता तक सीमित रखा गया होता (आयात के लिए मार्ग दर्शन काल 9 से 12 माह), तो मिल 1983-84 के दौरान ही, मेक्स धात्वीय धागों के लिए परिवर्तित हो सकता था तथा 1983-84 से 1985-86 के दौरान उत्पादन हानियों और कचरे को टाला जा सकता था

- आधुनिकीकरण कार्यक्रम के कार्यान्वयन में मिल एस के एम धागों की सतत उपयोगिता को ध्यान में रखने में असफल रही जिसमें तेज समवेग वाली आधुनिक मशीनों पर चलने के प्रति कम शक्ति अंतर्भूत थी तथा इसके बार - बार टूट-फूट के परिणामस्वरूप अधिक कचरा तथा उत्पादन हानि हुई;

- यद्यपि, आधुनिकीकरण के बाद मिल ने परीक्षण हेतु पोलियस्टर लेमिनेटेड धागे (मैक्स मेटिल) की कुछ मात्रा के आयात करने पर विचार किया था (दिसम्बर 1980) जिसके लिए नमूना तथा उद्धरण क्रमशः सितम्बर और दिसम्बर 1980 में प्राप्त हुए थे, यह धागा वास्तव में प्राप्त तथा परीक्षित नहीं किया गया था, तथा

- यद्यपि, सलाहकारों ने दिसम्बर 1982 में पोलियस्टर आधारित धागे (मेक्स मेटिल) के उसके सफलतापूर्वक परीक्षणों के बाद अपना लेने की सिफारिश की थी, तो भी मैक्स मेटल धागे की बड़ी मात्रा की आपूर्ति का आदेश अप्रैल 1984 में देने से पहले एक 500 कि.ग्रा. मात्रा का परीक्षण आदेश एक वर्ष बीत जाने के बाद दिसम्बर 1983 में दिया गया था।

मंत्रालय ने जनवरी 1988 में बताया कि अधिक कचरे की समस्या को पराभूत करने के लिए

सलाहकारों ने मार्च 1984 से पहले मेक्स मेटल धागे को प्रयोग करने की सलाह नहीं दी थी तथा परिवर्तन यथेष्ट परीक्षणों के बाद ही प्रभावित किया जा सकता था, इसलिए ऊपर दर्शाए गये तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह विचार तर्क संगत नहीं है।

75. कचरे का उपयोग न किया जाना

सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद के आधुनिकीकरण हेतु परियोजना सुझावों (1978) में, बैंक नोट कागज के सकल मशीन उत्पादन के 20 प्रतिशत सीमा तक अपशेष कागज (बेकार हुए) के उपयोग पर विचार किया गया। बचे 80 प्रतिशत में काम्बर तथा सख्त अपशेष शामिल था।

लेखापरीक्षा द्वारा नमूना जांच (सितम्बर 1986 तथा अगस्त 1987) ने दर्शाया कि 1982-83 से 1986-87 के दौरान 6,286.87 टन उपलब्ध कचरे में से तथा 4,461.10 टन जिसका उपयोग किया जा सकता था के प्रति केवल 3,957.33 टन की पुनः लुगदी बनाई गयी तथा प्रयोग में लाया गया था, 2,329.54 टन की शेष मात्रा या तो जला दी गई (1,549.62 टन) या बिक्री द्वारा उसका निपटान कर दिया गया था (779.92 टन)।

कचरों की पुनः लुगदी बनाने के लिए 3,141 टन प्रतिस्थापित वार्षिक क्षमता के दो सोल्वों पल्पर (लागत 2.93 लाख रू.), मिल के पास 1967 से ही थे तथा आधुनिकीकरण के समय एक अन्य पल्पर की व्यवस्था नहीं की गई थी क्योंकि यह सोचा गया था कि संयंत्र के आधुनिकीकरण के बाद भी वर्तमान सोल्वों उद्देश्य पूरा कर सकते थे। तथापि, 1981-82 से, अर्थात अगस्त 1983 में आधुनिकीकरण कार्यक्रम के विचार से पूर्व पल्परों का निष्पादन संतोषजनक नहीं रहा था तथा फालतू पुर्जों की अनुपलब्धता के कारण वे ठीक प्रकार चालू हालत में नहीं रखे जा सके थे। अभिलेखों की छानबीन से पता चला कि यद्यपि, मार्च 1981 में एक देशी पल्पर की खरीद का प्रस्ताव किया गया था, तथा जून 1984 में सरकार द्वारा संस्वीकृति भी प्राप्त हो गई थी, परन्तु मिल ने उस पल्पर को कचरे में कृत्रिम धागों के सम्मिश्रण से लुगदी में उसकी अनुपयुक्तता के कारण, अधिप्राप्त करने का विचार छोड़ दिया तथा अंततः दिसम्बर 1985 में ही एक तैयार ब्रोक उपस्कर संयंत्र (हेलीकल पल्पर आदि) हेतु मांग पत्र बाहर भेजा (अनुमानित लागत : 71.03 लाख रू.) उपस्कर मई 1988 में प्राप्त किया गया था तथा सितम्बर 1988 में आरम्भ किया गया था।

इस प्रकार दोषपूर्ण आयोजन तथा मिल के आधुनिकीकरण के समय वर्तमान मशीनरी के उचित तकनीकी जानकारी के अभाव के परिणामस्वरूप 503.77 टन कचरे का अनुपयोग हुआ तथा 1982-83 से 1986-87 के दौरान सख्त अपशेष तथा सूती कतरन के आनुपातिक प्रयोग पर 69.30 लाख रू. का परिणामी अतिरिक्त परिहार्य व्यय हुआ।

मिल ने तर्क दिया (जनवरी 1988) कि अतिरिक्त परिहार्य व्यय को 779.52 टन कचरे की बिक्री से प्राप्त 26.64 लाख रू. द्वारा अंशतः पूरा किया जायेगा। तर्क युक्तिसंगत नहीं है, क्योंकि जैसा कि ऊपर बताया गया 1,549.62 टन कचरों का निपटान भी जला कर किया गया था। मंत्रालय ने स्वीकार किया (जनवरी 1988) कि 4461 टन तक कचरा उपयोग किया जा सकता था। मंत्रालय ने सूचित किया (जनवरी 1989) कि सितम्बर 1988 में नये ब्रोक संयन्त्र के आरम्भ करने से सम्पूर्ण ब्रोक की प्रक्रिया की जायेगी ।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(औषधि भंडार डिपो, करनाल)

76. फर्म द्वारा आपूर्त खराब रूई की कीमत की गैर वसूली

आपूर्ति और निपटान के महानिदेशालय (आ नि म नि) बम्बई और मद्रास ने अप्रैल 1979 से अगस्त 1980 के दौरान विभिन्न औषधि भंडार डिपो (औं भ डि) को ऊनी रूई अवशोषकों की आपूर्ति हेतु 3 फर्मों को आपूर्ति आदेश दिए। औ भ डि करनाल के अभिलेखों की एक नमूना जांच से यह प्रकट हुआ कि मई 1980 से फरवरी 1981 के दौरान प्राप्त हुई 28,500 कि.ग्रा ऊनी रूई अवशोषकों में से 2.94 लाख रूपये मूल्य की 19,575 कि.ग्रा. ऊनी रूई अवशोषक अवशोषण परीक्षण में असफल हो गयी तथा बाद में अक्तूबर 1980 में अस्वीकृत/अमानकीय घोषित कर दी गयी थी। उपरोक्त भण्डारों के आपूर्तिकर्त्ताओं ने निरीक्षण टिप्पणियों और प्रेषण के प्रमाण की प्रतिलिपियों के आधार पर 95 और 98 प्रतिशत के बीच अग्रिम भुगतान पहले ही प्राप्त कर लिये थे। औषधि भण्डार डिपो के लिए संहिता के पैरा 246 (3) के अनुसार, आपूर्तिकर्त्ता फर्म को या तो अमानकीय ऊनी रूई अवशोषकों को मानकीय रूई अवशोषकों से बदल देना अथवा वापस कर देना अपेक्षित है।

औ भ डि करनाल ने मई और दिसम्बर 1980 में 2 आपूर्तिकर्त्ताओं को ऊनी रूई अवशोषकों के बदल दिए जाने का प्रबंध करने के लिए कहा था और नवम्बर 1980 में लेखा नियंत्रक बम्बई से अमानकीय ऊनी रूई अवशोषकों के तीसरे आपूर्तिकर्त्ता से मूल्य आदि की वसूली हेतु प्रभावी कदम उठाने के लिए अनुरोध किया था। एक आपूर्तिकर्त्ता फर्म से 4250 कि.ग्रा. ऊनी रूई अवशोषकों को वापस करते हुए डिपो द्वारा केवल 0.67 लाख रूपये वापस लिए जा सके थे, बकाया 2.27 लाख रूपये मूल्य के 15325 कि.ग्रा. भार वाले ऊनी रूई अवशोषक पिछले 8 वर्षों से अभी तक भंडार के पास पड़े हुए थे। चूककर्त्ता फर्मों को काली सूची में दर्ज नहीं किया गया था। डिपो से बिना प्रयोग में लाए गए माल के बदले में, औषधि भण्डार डिपो के लिए किए गए वैकल्पिक प्रबंध से अवगत कराने को कहा गया था। डिपो ने अगस्त 1988 में बताया कि सीधी खरीद हेतु प्रदत्त शक्तियों तथा उसके अंतर्गत नियमों के अधीन अल्पकालिक दर पूछताछ जारी कर के वैकल्पिक प्रबन्ध किये गये थे। डिपों ने आगे बताया कि निरीक्षण निदेशालय म नि आ नि द्वारा प्रारंभिक निरीक्षण प्रभावी किया जा चुका था और इन फर्मों को बाद के वर्षों में कोई आपूर्ति आदेश नहीं दिए गए थे। जहां तक फर्मों को काली सूची में दर्ज किए जाने का प्रश्न है यह म नि आ नि के अधिकार क्षेत्र में आता है।

लोक लेखा समिति ने अपनी पांचवी रिपोर्ट के पैरा 2.51 (चौथी लोकसभा-1967-68) में सिफारिश की थी कि मंत्रालय को औषधियों की गुणवत्ता तथा प्रभावोत्पादकता की परख करने के लिए तथा उचित समन्वयन प्रभावित करने के लिए उपयुक्त क्रिया विधि विकसित करनी चाहिए। लोक लेखा समिति की सिफारिशों पर की गई कार्यवाही की रिपोर्ट के अनुसार फर्म को आपूर्तिकर्त्ताओं की सूची से निकाल दिया जाना अपेक्षित था तथा अन्य संबंधितों को निर्माण की सूचना दे देनी चाहिए थी। उपरोक्त कार्यवाही प्रारंभ न किए जाने के अतिरिक्त, मंत्रालय ने आपूर्तिकर्त्ताओं से अमानकीय ऊनी रूई अवशोषकों की कीमत 2.27 लाख रूपये की वसूली भी नहीं की थी।

मंत्रालय ने अक्तूबर 1987 में बताया कि आपूर्ति विभाग तथा उनके वेतन एवं लेखा कार्यालय से किये गये दीर्घकालिक पत्र व्यवहार से कोई परिणाम नहीं निकला था।

मामले की सूचना भी आपूर्ति विभाग को सितम्बर 1988 में दे दी गई थी, उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 1988)।

चिकित्सा भंडार डिपो, कलकत्ता

77. औषधियों की स्वीकृति में अनियमितताएं

निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, चिकित्सा भंडार डिपो में प्राप्त किये डाक्टरी सामान भंडारों को सामान्यत: जांच के बाद स्वीकार किया जायेगा। तथापि, आपतकालिक मामलों में भंडारों को केवल समाश्वासन पर स्वीकार किया जायेगा तथा हर समय नहीं। चिकित्सा भंडार डिपो, कलकत्ता द्वारा वर्ष 1985-86 के लिए रखे गये अभिलेखों की एक नमूना जांच से निम्नलिखित अनियमितताएं सामने आयीं :-

(क) सामाश्वासन प्रमाणपत्र का अविवेकपूर्ण उपयोग

जुलाई से सितम्बर 1985 तक के 3 महीने के लिए खरीद दस्तावेजों की एक जांच से विदित हुआ कि 153.91 लाख रूपये राशि की औषधियां जो खरीदी गई औषधियों की सकल लागत का 52 प्रतिशत बनती हैं, समाश्वासन प्रमाणपत्र पर स्वीकृत की गई थी। इस प्रकार समाश्वासन प्रमाणपत्र पर औषधि की स्वीकृति के लिए प्रावधान एक नेमी मामले के रूप में जाना गया था। आगे यह पता चला था कि 1985-86 के दौरान समाश्वासन प्रमाणपत्रों पर स्वीकृत की गई औषधियों की पुन: जांच नहीं की गई थी। यह खतरे से भरा हुआ था कि सरकारी अस्पतालों/डिस्पैन्सरियों में नकली औषधियां मुफ्त पार हो जायें।

यह भी जानकारी में आया कि यद्यपि परीक्षण पर औषधियों की एक खेप अस्वीकृत कर दी गयी थी, तथापि, उन्हीं औषधियों की दूसरी खेपें बिना परीक्षण के समाश्वासन प्रमाणपत्र पर स्वीकृत कर दी गई थी। दो ऐसे उदाहरण नीचे दिये गये हैं:

(1) विशाल थैरेपी केयर लैबोरेटरी से उन्हीं खेपों से संबंधित 0.88 लाख रूपये लागत की 4.70 लाख किविनोल गोलियां जुलाई 1985 में जांच के बाद अस्वीकृत कर दी गयी थी। लेकिन, उसी आपूर्तिकर्त्ता से अन्य खेपों से संबंधित उसी औषधि की 16,47,000 गोलियां (लागत: 3.08 लाख रूपये) समाश्वासन प्रमाणपत्र पर बिना जांच जुलाई और सितम्बर 1985 के बीच बाद में प्राप्त और स्वीकृत की गई थी यद्यपि यह एक सामान्य खरीद की मद थी।

(2) इसी प्रकार, यद्यपि एक खेप की ए और डी की 4:12 लाख गोलियां (लागत : 0.14 लाख रू.) जून 1985 में जांच पर अस्वीकृत कर दी गई थीं फिर भी उसी आपूर्तिकर्त्ता से अन्य खेपों की 9,26,000 गोलियां (लागत : 0.31 लाख रू.) जुलाई 1985 और सितम्बर 1985 के बीच बिना जांच के स्वीकृत की गई थीं।

(3) दो खेपों से अन्तर्ग्रस्त 2.10 लाख पेटाड्ड गोलियां (लागत : 0.64 लाख रूपये) जून 1985 में जांचने पर अस्वीकृत कर दी गयी थी तथा दो अन्य खेपों को औषधियों द्वारा बदला गया था। जबकि एक खेप की औषधि जांची और स्वीकृत की गई थी, अन्य खेप की

70,000 गोलियां (लागत 0.21 लाख रूपये) डिपो द्वारा जुलाई 1985 में बिना जांच के स्वीकृत की गई थीं।

(ख) परीक्षण रिपोर्ट

निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार खरीदी गई दवाईयों के नमूने डिपो की प्रयोगशाला में जांचे जाने होते हैं यदि वहां उनके परीक्षण करने की व्यवस्था है तथा उनका दूसरी प्रयोगशाला में पुनः परीक्षण करना अनुमत नहीं होगा। तथापि, यह आपूर्तिकर्त्ता द्वारा अभ्यावेदन पर यदि उप सहायक महानिदेशक (चिकित्सा भंडार) संतुष्ट है कि एक पुनः परीक्षण करने के लिए कहा गया है, तो वह उसी प्रयोगशाला द्वारा पुनः परीक्षण करने के लिए अनुमतः कर सकता है।

1985-86 के दौरान किये गये परीक्षणों की रिपोर्टों की एक नमूना जांच से पता चला कि बहुत से मामलों में प्रयोगशाला द्वारा जांचे जाने पर औषधियों की कुछ एक खेप के नमूनें निम्न स्तर गुणावस्था के पाये गये थे। लेकिन, आपूर्तिकर्त्ताओं के अभ्यावेदन पर वे एक भिन्न प्रयोगशाला में पुनः परीक्षण किये गये थे जिसमें दवाईयों की मानक गुणावस्था पाई गई। परीक्षण परिणामों में इस प्रकार की गहरी भिन्नता के कारणों को स्थापित करने के लिए कोई पूछताछ नहीं की गयी थी। इस प्रकार की पूछताछ के अभाव में, दवाईयों की गुणवत्ता का प्रमाणपत्र संदेहपूर्ण हो जाता है।

कुछ उदाहरण नीचे दिये जाते हैं :-

(1) नवम्बर 1985 में 1.24 लाख रूपये की 250 मि.ग्रा. की एक लाख स्थ्रोसीन गोलियां (खेप संख्या 83-056 वाई ए) खरीदी गई थी। खेप के एक नमूने का दिल्ली में एक प्राधिकृत प्रयोगशाला "क" द्वारा दिसम्बर 1985 में परीक्षण किया गया था जिसने प्रतिवेदित किया कि दवाई मानक गुणवत्ता की नहीं थी। आपूर्तिकर्त्ता के अभ्यावेदन करने पर बम्बई में एक अन्य प्राधिकृत प्रयोगशाला "ख" द्वारा पुनः परीक्षण किया गया था जो कि नियमों के विरूद्ध था तथा उसने मार्च 1986 में दवाई की मानक गुणवत्ता को प्रमाणित किया तथा उसे स्वीकृत किया गया था।

दोनों परीक्षणों के निष्कर्षों की एक तुलना नीचे दी जाती है :

जांचे गये संघटक का नाम	आपूर्तिकर्त्ता द्वारा दावा	प्रयोगशाला "क" द्वारा निष्कर्ष	प्रयोगशाला "ख" द्वारा निष्कर्ष
एथ्रोमाईसीन स्टेरेट	250 मि.ग्रा. प्रति गोली	220.93 मि.ग्रा.	248 मि.ग्रा.

पहले परीक्षण का परिणाम दूसरे परीक्षण के परिणाम से काफी भिन्न था। पहली परीक्षण रिपोर्ट बिना पूछताछ अपेक्षित कर दी गई थी।

§2§ चार खेपों की किविनोल की 4.70 लाख गोलियां 0.88 लाख रूपये में जनवरी 1986 में खरीदी गई थी। आपूर्त किये गये चार खेपों के नमूनें प्रारम्भ में डिपो से जुड़ी हुई प्रयोगशाला द्वारा जांचे गये थे। प्रयोगशाला ने दवाईयां, अस्वीकृत कर दी थी क्योंकि, गोलियों के ऊपर काले धब्बे उभर आये थे। वे आपूर्तिकर्त्ता द्वारा चार अन्य खेपों से बदली गयी थी जिनका डिपों की प्रयोगशाला द्वारा परीक्षण किया गया था तथा इस आधार पर अस्वीकृत कर दिया गया था कि काफी संख्या की गोलियों पर काले धब्बे होने से वे भारतीय मान्य औषध कोष §भा.ओ.को§ के अनुरूप नहीं थी। आपूर्तिकर्त्ता से एक अभ्यावेदन पर प्राधिकृत प्रयोगशाला "क" द्वारा पुनः जांच की गई थी जो कि नियमों के विरूद्ध थी। प्रयोगशाला "क" ने प्रतिवेदित किया कि नमूनें मानक गुणवत्ता के थे क्योंकि वे भा औ को के अनुरूप थे, लेकिन प्रयोगशाला "क" ने यह नहीं बताया कि क्या गोलियों पर काले धब्बे थे यद्यपि वे डिपो प्रयोगशाला द्वारा स्पष्टतया स्थापित किये गये थे। डिपो ने दवाई अपने निकाले गये निष्कर्षों को छोड़ते हुए बाहरी एजेंसी द्वारा की गई जांच के बल पर स्वीकृत की ।

§3§ खेप सं0 468 की स्टेपटोचेम की 70,000 टिकियां 22,131 रूपये में अप्रैल 1986 में खरीदी गई थी। प्रयोगशाला "क" ने नमूने को निम्न स्तर गुणवत्ता का पाया । प्रयोगशाला "ख" में पुनः परीक्षण करने पर जो कि नियमों के विरूद्ध था, यह मानक गुणवत्ता का पाया गया था। पहली जांच और पुनः जांच के परिणामों की एक तुलना नीचे दी जाती है :

संघटक का नाम	आपूर्तिकर्त्ता द्वारा प्रति गोली दावा	परिणाम	
		पहली जांच	दूसरी जांच
विटामिन –डी	500 आई यू	307.45 आई यू	562.5 आई यू
मिनाडइन सोडियमबाइ–सल्फाईड	10 मि.ग्रा.	3.41 मि.ग्रा.	10.98 मि.ग्रा.

इस प्रकार परिणामों में गहरी भिन्नता प्रकट हुई और नमूनों को प्रमाणित करते हुए जांच परिणामों को बिना किसी पूछताछ के केवल उत्पादों की अंतिम स्वीकृति के लिए विचारा गया था।

§4§ खेप सं0 445 की 3.50 लाख फराटेब टिकियां 0.23 लाख रू. में मई 1986 में खरीदी गई थी। प्रयोगशाला "क" में नमूनों की जांच की और इसे निम्न स्तर गुणवत्ता का पाया। डिपो प्रयोगशाला में पुनः परीक्षण पर इसे मानक गुणवत्ता का पाया गया था तथा दवाई को डिपो द्वारा स्वीकृत कर दिया गया था इस प्रकार, प्रयोगशाला में जहां पहला परीक्षण किया गया था पुनः परीक्षण नहीं किया गया था और पहले परीक्षण की रिपोर्ट को बिना कोई कारण बताये ही रद्द कर दिया गया था।

§ग§ दवाईयों को यद्यपि जांच पर अस्वीकृत किया गया तथा डिपो द्वारा स्वीकृत की गई एवं जारी की गई के 3 उदाहरण नीचे दिये जाते हैं:

§1§ 0.23 लाख रूपये लागत की रैलक्रीसीन औषध की 60,000 गोलियां §खेप सं0 375 और 378§ अक्तूबर 1985 में आपूर्त की गई थी। दवाई का नमूना एक प्रयोगशाला में जांचा गया था जिसने जनवरी 1986 में प्रतिवेदित किया कि दवाईयां निम्न स्तर गुणवत्ता की थी क्योंकि इनग्रडिन्ट पेपसीन तथा डाईस्टेन की प्रक्रिया क्रमशः 5 मि.ग्रा. प्रति टिकिया और 10 मि.ग्रा. प्रति टिकिया, जैसा कि दावा था, के प्रति ना के बराबर पायी गई थी। डिपो ने रिपोर्ट को स्वीकारा तथा आपूर्तिकर्त्ता को फरवरी 1986 में अस्वीकृति ज्ञापन जारी किया। आपूर्तिकर्त्ता के अभ्यावेदन पर अप्रैल 1986 में डिपो ने यह कारण देते हुए अपना अस्वीकृति ज्ञापन वापस ले लिया कि §क§ दवाईयों का पूरा भंडार पहले ही जारी किया जा चुका था तथा §ख§ पुनः परीक्षण के लिए कोई भंडार नहीं बचा था।

§2§ 200 मि. ग्रा. इबुपोन की 40,000 दोषपूर्ण फिल्म-कोएटिड §खेप सं0 4502§ 0.20 लाख रूपये की लागत पर फरवरी 1986 में खरीदी गई थी तथा उन्हें अरूचिकर महक के होने के बावजूद भी स्वीकृत किया गया था।

§3§ क्यूनोल की 1.10 लाख टिकियां §खेप सं. 010385§ समाश्वासन प्रमाणपत्र पर 20592 रूपये में अप्रैल 1985 में खरीदी गयी थी। उसी खेप की वही औषधि बाद में एक अन्य आपूर्ति आदेश के प्रति जुलाई 1985 में आपूर्त की गई थी तथा जुलाई 1985 में डिपो प्रयोगशाला द्वारा परीक्षण में अस्वीकृत कर दी गई थी तथा बदली गई थी। समाश्वासन प्रमाणपत्र पर निम्न स्तर गुणवत्ता की क्यूनोल गोलियों की स्वीकृति के परिणामस्वरूप रोगियों के प्रयोग हेतु निम्न स्तर की औषधियां जारी की गई।

मामला जुलाई 1988 में मंत्रालय को प्रतिवेदित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है §जनवरी 1989§ ।

78. औषधियों की खरीद पर अतिरिक्त परिहार्य व्यय

भारत सरकार की चिकित्सा भंडार शब्दावली 1983 § चि भं श § खंड । के अनुच्छेद-। में सामान्य औषधियों की सूची तथा अनुच्छेद-।। में स्वामित्व औषधियों की सूची शामिल है। चिकित्सा भंडारों की आपूर्ति के लिए मांगपत्र प्राथमिक रूप से चि भ श में दिये गये मदों के लिए दिये जाने चाहिएं क्योंकि केवल यही मदें डिपो में संचयित की जाती है। चि भ श में मांगकर्त्ता द्वारा सम्मिलित न की गई मदों §चि भ श में न शामिल मदें§ को मांगकर्त्ता द्वारा स्थानीय रूप से खरीदा जाना होता है तथा नाकि चि भा डि द्वारा। केन्द्र द्वारा दिये गये मांग आदेशों में न शामिल चि भ श मदों के दो माह के भंडार को बनाने हेतु चि भ श मदों तथा प्राकृतिक आपदाओं के कारण आकस्मिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए सभी मदों की स्थानीय खरीद सामान्य खरीद नियमों के अधीन चि भ डि द्वारा की जा सकती है।

इस तथ्य पर विचार करते हुए कि महा निदेशक आपूर्ति एवं निपटान §म नि आ नि § जैसी एक केन्द्रीय एजेन्सी के माध्यम से खरीदों की तुलना में स्थानीय खरीदें सामान्यतया महंगी थी, लोकलेखा समिति ने अपनी 103 वीं रिपोर्ट §चौथी लोक सभा 1970 § के पैराग्राफ 1.25 में सिफारिश की थी

कि स्थानीय खरीदों को न्यूनतम स्तर पर लाने के लिए प्रयत्न किये जाने चाहिएं। लेकिन जैसा कि निम्नलिखित सारणी से पता चलेगा, स्थानीय खरीद की कुल वार्षिक खरीद से प्रतिशतता वर्षानुवर्ष बढ़ी थी:-

लेखावर्ष	कुल खरीद (लाख रू. में)	स्थानीय खरीद	म नि आ नि के माध्यम से खरीद	कुल खरीद से स्थानीय खरीद की प्रतिशतता
1	2	3	4	5
1982-83	382.57	110.19	172.38	28.8
1983-84	476.45	238.28	238.26	50.0
1984-85	883.55	695.88	187.66	78.7
1985-86	1384.35	1238.40	145.95	89.4
1986-87	1438.00	1276.00	162.00	88.7
1987-88	----	उपलब्ध नहीं -------		

1985-86 के दौरान की गई खरीद से संबंधित अभिलेखों की एक नमूना जांच से पता चला कि व्यापारिक नामों से खरीदी गई मदों में चि भ श में सूचीबद्ध हुई एक संघटक वाली सामान्य औषधियों की 19 मदें सम्मिलित थीं तथा 206.42 लाख रूपये की राशि की थीं। व्यापारिक नामों को एन आई वी के रूप में समझा गया तथा तब चि भ श में सामान्य नामों की अपेक्षा करके स्थानीय खरीद की गई थी।

डिपों, गलती से चि भ श में शामिल सामान्य ओषधियों को एन आई वी की औषधियों के रूप में (अर्थात् चि भं श में न शामिल औषधियां) समझ रहा था तथा स्थानीय खरीद का सहारा लेते हुए उन्हें एन आई वी मदों के रूप में अधिप्राप्त किया। इसके अतिरिक्त, जिन दरों पर उसी एन आई वी मदों में सम्मिलित सामान्य औषधियां प्रतियोगी बाजार दरों अर्थात म नि आ नि के माध्यम से खरीद हेतु निविदा स्वीकृति (नि/स्वी) की दर पर अथवा करार दर पर स्थानीय खरीद के लिए प्रतियोगी उद्धरणों को आमंत्रित करने के बाद प्राप्त दर पर, खरीदी गई थी, की तुलना में तथा कथित एन आई वी की मदें एकाधिकृत उत्पादों के रूप में अधिक ऊंची दरों पर खरीदी जा रही हैं।

यह देखा गया था कि 1985-86 के दौरान एक मात्र संघटक वाली एन आई वी की उपरोक्त 19 मदों की स्थानीय खरीद के परिणामस्वरूप नि/स्वी दरों (4.81 लाख रूपये), प्रतियोगी स्थानीय खरीद दरों (88 लाख रूपये) तथा दर संविदा दरों (37.64 लाख रू.) की तुलना में 130.45 लाख रूपये का अतिरिक्त परिहार्य व्यय हुआ।

फरवरी 1981 में जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार खरीदें प्रतियोगी शर्तों तथा सरकार के अधिकतम लाभ की शर्तों (मूल्य सहित) के अंतर्गत की जानी चाहिए तथा मांग पत्रों का डी ए डी जी (एम एस) की प्रत्यक्ष खरीद सीमा अर्थात 25,000 रू. प्रति मद के अंतर्गत लाने के लिए किन्हीं भी परिस्थितियों के अंतर्गत विभाजित नहीं किया जा सकता ।

तिस पर भी डिपो ने सहज मामले के रूप में उच्च अधिकारियों द्वारा संस्वीकृति की आवश्यकता को टालने हेतु मांगपत्र विभाजित कर दिये । लेखा परीक्षा में यह देखा गया था कि एक ही मद के लिए एक से अधिक आपूर्ति आदेश एक ही आपूर्तिकर्त्ता को एक ही दिन जारी किए गए थे ताकि प्रत्येक आपूर्ति आदेश का मूल्य डिपो को संस्वीकृत करने की शक्ति के अंतर्गत रहे ।

स्थानीय खरीदों के कुछ उदाहरण नीचे दिये गये हैं :-

(क) 1985-86 के दौरान एरिथरोमाइसीन स्टीरेट 250 मि.ग्रा. (सामान्य) की आपूर्ति के लिए तीन विभिन्न फर्मों के साथ तीन दर संविदाएं थीं । लेकिन दर ठेकों का उपयोग करने के बजाय डिपो ने वहीं औषधि विभिन्न एन आई वी मदों के नाम में संविदा दरों की तुलना में काफी ऊंची दरों पर खरीदी और जिसके कारण 6.64 लाख रूपये का परिहार्य व्यय अंतर्ग्रस्त हुआ।

(ख) 1985-86 के दौरान, एक फर्म के पास 87.50 रूपये की प्रति 100 गोलियों के हिसाब से एरिथरों माइसीन स्टीरेट 250 मि.ग्रा. की आपूर्ति के लिए दर/संविदा थी। लेकिन 1985-86 के दौरान डिपो में 2.23 लाख रूपये का अतिरिक्त परिहार्य व्यय अंतर्ग्रस्त करते हुए, 162 रूपये प्रति 100 गोलियों के हिसाब से उसी फर्म से 3 लाख एरिथ्रोसिल गोलियां (एन आई वी) (प्रत्येक में एरिथरोमाइसीन स्टेरेट 250 मि.ग्रा. का समावेश होते हुए) स्थानीय रूप से खरीदी।

(ग) यद्यपि एक फर्म के पास 75.25 रूपये की प्रति 100 गोलियों के हिसाब से मेथिलडोपा 250 मि.ग्रा. गोलियों की आपूर्ति हेतु दर संविदा थी, फिर भी 4,02,500 सिलाडोपा गोलियां, (एन आई वी) जिसमें प्रत्येक में मिथलडोपा 250 मि.ग्रा. था, उसी फर्म से 1985-86 के दौरान 140 रूपये की प्रति 100 गोलियों के हिसाब से स्थानीय रूप से खरीदी गई थी, जिसके परिणामस्वरूप 2.61 लाख रूपये का परिहार्य व्यय हुआ।

(घ) 1985-86 के जारी वाऊचरों की एक नमूना जांच से प्रकट हुआ कि सामान्य नामों में एक मात्र संघटक वाली सामान्य औषधियों के लिए विशेष मांग पत्रों के प्रति डिपो द्वारा उन्ही औषधियों के अधिक मंहंगे एन आई वी मार्क जारी किए गए थे जिसमें मांगकर्त्ता विभागों का 16.26 लाख रूपये का अतिरिक्त व्यय अंतर्ग्रस्त हुआ।

मामला जुलाई 1988 में मंत्रालय को सूचित किया गया था, उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 1989)।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

79. एक फिल्म संसाधन प्रयोगशाला की स्थापना

लोक लेखा समिति ने वर्ष 1975-76 के लिए अपनी 182 वीं रिपोर्ट के पैरा 4.46 में, जो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की वर्ष 1972-73 के लिए रिपोर्ट संघ सरकार: सिविल के पैरा 49 से संबंधित थी, फिल्म प्रभाग के व्यक्तिगत संसाधन प्रयोगशालाओं पर सम्पूर्ण रूप से निर्भरता के लिए प्रतिकूल टिप्पणी की थी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा गठित कमेटी ने सितम्बर 1978 में बम्बई में एक फिल्म संसाधन प्रयोगशाला को स्थापित करने के लिये सिफारिश की थी। छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) के दौरान कार्यान्वयन हेतु 130 लाख रूपये (जो बाद में 256.22 लाख रूपये तक बढ़ा दी गई थी) की एक अनुमानित लागत पर 35 मि मी तथा 16 मि मी की श्वेत श्याम तथा रंगीन फिल्मों के संसाधन करने के लिए एक फिल्म संसाधन प्रयोगशाला की स्थापना हेतु एक परियोजना तैयार की थी। प्रस्तावित प्रयोगशाला के पूर्ण रूप से प्रचालित हो जाने के बाद 61.40 लाख रूपये प्रतिवर्ष की एक बचत की आशा की जाती थी।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने जनवरी 1982 में नगर एंव औद्योगिक विकास निगम महाराष्ट्र लिमिटेड (न औ वि नि) से नई बम्बई में वाशी तालोज काम्प्लैक्स में एक भूखंड का अधिग्रहण करने हेतु 10.50 लाख रूपये व्यय किए जाने की संस्वीकृति प्रदान की। न औ वि नि को 10.50 लाख रूपये पट्टा अधिशुल्क का भुगतान करके मार्च 1982 में भूखंड अधिग्रहित किया गया था। फिल्म प्रभाग ने घेराबंदी चौकीदार के आवास के निर्माण की लागत तथा चौकीदार की तैनाती पर 1.36 लाख रूपये व्यय किया।

मंत्रालय ने नवम्बर 1984 में फिल्म प्रभाग को सूचित किया कि एक प्रयोगशाला स्थापित किये जाने की परियोजना रद्द कर दी गई थी। मंत्रालय ने न औ वि नि को आगे सूचित किया (मार्च 1985) कि फिल्म प्रभाग अपना कार्य बम्बई में अनेक संसाधन करने वाली प्रयोगशालाओं द्वारा करा सकता था और प्रयोगशाला संस्थापित करने पर न केवल एक अच्छी धनराशि का निवेश अंतर्ग्रस्त था अपितु एक बड़े कर्मचारी दल का अनुरक्षण भी किया जाना होता है और इस कारण से संसाधन प्रयोगशाला स्थापित नं किये जाने का निर्णय लिया गया था।

यद्यपि, परियोजना रद्द करने का निर्णय नवम्बर 1984 में ले लिया गया था भूखंड अभ्यर्पित करने के अनुदेश जुलाई 1987 में ही सूचित किए गए थे। तदनुसार, फिल्म प्रभाग ने न औ वि नि से भूखंड अभ्यर्पित करने का मामला जुलाई 1987 में उठाया। यद्यपि भूमि अधिग्रहण की कीमत 10.50 लाख रूपये की राशि वापस प्राप्त हो गई थी (अक्तूबर 1987), 1.36 लाख रूपये के घेराबंदी, चौकीदार के आवास निर्माण तथा चौकीदार की तैनाती पर खर्च की क्षतिपूर्ति का दावा पट्टे की शर्तों के अनुसार न औ वि नि द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था। फिल्मों के मुद्रण तथा चित्र उभारने के लिए व्यक्तिगत संसाधन प्रयोगशालाओं को अप्रैल 1982 से मार्च 1988 तक भुगतान किए गए संसाधन प्रभार निम्न प्रकार थे :

वर्ष	राशि (लाख रूपयों में)
1982-83	38.44
1983-84	88.47
1984-85	80.38
1985-86	89.71
1986-87	113.39
1987-88	99.63
	560.02

इस प्रकार से इस परियोजना के रद्द करने के निर्णय के परिणामस्वरूप जिसे पहले वांछनीय समझा गया था और जिससे 61.40 लाख रूपये प्रतिवर्ष की बचत की आशा की जा सकती थी 5 वर्षों के लिए 10.50 लाख रूपये की निधियों का अवरोधन हुआ तथा 1.36 लाख रूपये का निष्फल व्यय हुआ।

मामला मई 1988 में मंत्रालय को सूचित किया गया था, उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 1988)।

80. रायल्टी का अधिक भुगतान

दूरदर्शन केन्द्र, कलकत्ता (कलकत्ता केन्द्र) अपने स्थानीय रूप से प्रारंभ किये गये चित्रमाला कार्यक्रम में बंगाली फिल्मों से गीत के दृश्यों को प्रसारित करने के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गई दर के अनुसार रायल्टी का भुगतान करता है। पहली जनवरी 1988 तक रायल्टी की दर जब इसे 500 रूपये तक बढ़ाया गया था 250 रूपये प्रति गीत थी।

दिसम्बर 1985 में , कलकत्ता केन्द्र ने दूरदर्शन महा निदेशालय नई दिल्ली से सूचना और प्रसारण मंत्रालय को भेजा गया दिनांक 26 नवम्बर 1985 का एक हवाला पृष्ठांकन द्वारा प्राप्त किया इसमें यह बताया गया था कि निदेशालय ने 21 सितम्बर 1984 की एक विज्ञप्ति में पहले ही सभी दूरदर्शन केन्द्रों को अनुदेश जारी कर दिये थे कि चित्रमाला में प्रसारित हिन्दी गीतों के लिए जितनी रायल्टी (1000 रूपये प्रति गीत) का भुगतान किया जा रहा है वही भुगतान अहिन्दी गीतों के लिए भी किया जाए। बिना जांच पड़ताल किये कि संसूचना में बताया गया "चित्रमाला" कार्यक्रम राष्ट्रीय नेटवर्क में प्रसारित किया जाने वाला चित्रमाला कार्यक्रम था अथवा विभिन्न केन्द्रों द्वारा भिन्न भिन्न नामों से जाना जाने वाला स्थानीय रूप से शुरू किया गया चित्रमाला किस्म का कार्यक्रम, कलकत्ता केन्द्र ने 5 दिसम्बर 1985 से बताई गई संसूचना के आधार पर 1000 रूपये प्रति गीत की दर से स्थानीय रूप से शुरू किये चित्रमाला कार्यक्रम के लिए रायल्टी का भुगतान आरंभ कर दिया । संभ्रांति संभवतः इस लिए उत्पन्न हुई क्योंकि कलकत्ता केन्द्र अपने स्थानीय रूप से शुरू किये गये गीत के दृश्यों के कार्यक्रम को चित्रमाला कहता है जो कि क्षेत्रीय फिल्मी गीत दृश्यों के लिए राष्ट्रीय तौर पर प्रसारित किये गये कार्यक्रम का भी नाम है। स्थानीय रूप से शुरू किये गये कलकत्ता केन्द्र के चित्रमाला और दिल्ली से प्रसारित राष्ट्रीय तौर पर चित्रमाला के बीच अंतर यह है कि पहले वाला केवल बंगाली गीत प्रसारित करता है जबकि दूसरा विभिन्न भाषाओं का मिलाजुला रूप प्रसारित करता है।

कलकत्ता केन्द्र ने दूरदर्शन महानिदेशालय से दर की पुष्टि प्राप्त न करने के कारणअगस्त 1986 में अन्य दूसरे दूरदर्शन केन्द्रों को जैसे दिल्ली, बम्बई तथा मद्रास यह पूछते हुए कि अपने स्थानीय चित्रमाला कार्यक्रम में प्रसारित किये गये गीत दृश्यों के लिए वे किस दर पर भुगतान कर रहे थे, मामला संदर्भित किया। जबकि दिल्ली दूरदर्शन केन्द्र से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था, बम्बई और मद्रास दूरदर्शन केन्द्रों ने यह बताते हुए उत्तर दिया कि उनके स्थानीय चित्रमाला किस्म के कार्यक्रम में गीत दृश्यों के लिए भुगतान की दर 250 रूपये प्रति गीत थी। कलकत्ता केन्द्र तब पुरानी 250 रूपये प्रति गीत की दर की ओर प्रत्यावर्तित हुआ। इसी दौरान उसने अपने स्थानीय चित्रमाला कार्यक्रम में 5 दिसम्बर 1985 और 24 जुलाई 1986 के बीच 184 मामलों में 1000 रूपये प्रति गीत की बढी हुई दर से रायल्टी का भुगतान कर दिया था, जिसके फलस्वरूप 1.38 लाख रूपये का अधिक भुगतान हुआ। समनुदेशकों के साथ किये गये ठेकों में किसी अधिक भुगतान को लौटाने का कोई प्रावधान नहीं बनाया गया ।

मामला मंत्रालय को जून 1988 में सूचित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 1989)।

81. निधियों का अवरोधन

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अखिल भारतीय आकाशवाणी (अ भा आ) के कार्यालय तथा एक स्टुडियो स्थापित करने हेतु चंडीगढ प्रशासन चंडीगढ से चंडीगढ में 2.6 एकड़ भूमि पट्टा आधार पर अधिगृहित की (अप्रैल 1973)। 1972-73 से 1974-75 के दौरान अ भा आ द्वारा दो वर्षों के लिए भूमि की लागत तथा भूमि किराये के रूप में 49.22 लाख रूपये की एक राशि नकद अदा की गई थी। भवन का निर्माण चालू नहीं किया गया था क्योंकि चंडीगढ प्रशासन की वास्तुशिल्पीय शाखा, इस तथ्य के बावजूद कि अ भा आ की आवश्यकता दो मंजिले भवन की थी, छः मंजीले भवन के निर्माण पर जोर दे रही थी। चंडीगढ प्रशासन द्वारा नवम्बर 1983 में 53.94 लाख रूपये पर 3.01 एकड़माप वाला एक दूसरा परिसर आंबटित किया गया था, जिसका अधिग्रहण पुरानी तथा नयी स्थलों की दरों में अंतर के द्योतक 7.10 लाख रूपये अदा करने के बाद मार्च 1984 में किया गया था। स्टुडियो के निर्माण का कार्य मार्च 1988 में प्रदान किया गया था तथा प्रगति में है।

34.30 लाख रूपये के एक आबंटन के प्रति मुख्य अभियंता अखिल भारतीय आकाशवाणी नई दिल्ली द्वारा जनवरी 1982 तथा मार्च 1987 के बीच वैकल्पिक परिसर के अधिग्रहण तथा स्टुडियो के निर्माण के लिए कार्य प्रदान करने से पहले 33.68 लाख रूपये मूल्य के उपस्कर खरीदे गये थे। कुल खरीद में से मार्च 1983 में खरीदा गया 5.43 लाख रूपये मूल्य का उपस्कर जुलाई 1983 में अपवर्तित कर दिया गया था तथा अ भा आ रामपुर के दूसरे स्टेशन पर स्थापित कर दिया गया । 28.25 लाख रूपये मूल्य के शेष उपस्कर चंडीगढ तथा दिल्ली में अस्थापित पड़े हुए थे। इसी बीच उपस्कर के लिए एक वर्ष की वारंटी अवधि समाप्त हो गई। आवश्यकताओं से काफी पहले उपस्कर की खरीद के बारे में एक पूछताछ पर, मंत्रालय ने मई 1988 में बताया कि विदेश से उपस्कर की अधिप्राप्ति के लिए अग्रता समय 2 से 5 वर्षों के बीच रहा था तथा इसी लिए, परियोजना के अनुमोदन के बाद खरीद का आदेश तुरंत प्रस्तुत किया गया था, ताकि जिस समय तक भवन तैयार हो जाये उपस्कर संस्थापन हेतु उपलब्ध रहे ।

इस प्रकार से चंडीगढ प्रशासन को इसके भवन तथा तकनीकी आवश्यकताओं को नोटिस में लाये बिना भूमि के प्लाट की स्वीकृति तथा काफी पहले से उपस्कर की खरीद के परिणामस्वरूप 4 से 14 वर्षों के बीच की अवधि के लिए 84.57 लाख रूपये तक की निधियों का अवरोधन हुआ।

शहरी विकास मंत्रालय

(भारत सरकार मुद्रणालय, संतरागाची)

82. रद्दी कागज संविदा को अंतिम रूप देने में विलंब के कारण हानि

1985-86 के दौरान संतरागाची में भारत सरकार मुद्रणालय के प्रकाशन तथा प्रपत्र इकाइयों के रद्दी कागजों को बेचने हेतु निविदा सूचना के प्रत्युत्तर में जनवरी 1985 में प्राप्त हुई फर्म "क" की 362.81 रूपये प्रति क्विंटल की उच्चतम दर की सिफारिश मुद्रण निदेशालय के अनुमोदन के लिए मार्च 1985 में की गई थी। मुद्रण निदेशालय ने प्रस्ताव की तीन माह की वैधता अवधि की समाप्ति के पश्चात् इसे मई 1985 में अनुमोदित कर दिया। जब फर्म "क" को अनुबंध के निष्पादन के लिए कहा गया तो उसने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया।

नई निविदा सूचना के प्रत्युत्तर में अगस्त 1985 में फर्म "ख" से प्राप्त 115.15 रूपये प्रति क्विंटल का प्रस्ताव उच्चतम था तथा नवम्बर 1985 में यह मुद्रण निदेशालय द्वारा अनुमोदित किया गया था। 1982-83, 1983-84 तथा 1984-85 के लिए प्रति क्विंटल स्वीकृत दरें क्रमशः 201.00 रूपये, 227.51 रूपये तथा 305.25 रूपये थीं। इसी फर्म "ख" ने ही जनवरी 1985 की पूर्व निविदा सूचना के प्रत्युत्तर में 291.25 रूपये प्रति क्विंटल को उद्धृत किया था।

मंत्रालय ने बताया (सितम्बर 1988) कि पहले निविदा आमंत्रण तथा दूसरे वाले की अंतराल अवधि के बीच आयात नीति में एक परिवर्तन हुआ था तथा सरकार ने सामान्य लाइसेंस के अंतर्गत लुगदी का आयात अनुमत कर दिया था जिसके परिणामस्वरूप रद्दी कागजों की कीमत में पर्याप्त कमी हुई। इस लिए निविदा दाताओं द्वारा दूसरी बार उद्धृत की गई दरें पूर्व वृत्तियों की तुलना में अधिक आकर्षक नहीं थी। परन्तु 1986-87 के दौरान निविदा दाताओं द्वारा उद्धृत की गई उच्चतम कीमत (222 रूपये प्रति क्विंटल) तथा 1987-88 के लिए स्वीकृत संविदा कीमत (308.85 रूपये प्रति क्विंटल) मंत्रालय के कथन की संपुष्टि नहीं करती है। इसके अतिरिक्त मुद्रणालय प्राधिकारियों ने स्वीकार किया कि मानसून (जून से सितम्बर) के दौरान खुले आकाश में ढेर किये गये रद्दी कागज की दशा बिगड गई क्योंकि 1985-86 हेतु संविदा को नवम्बर 1985 से पहले अंतिम रूप नहीं दिया जा सका था। 1986-87 के दौरान किसी संविदा को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका 1987-88 के दौरान भी जनवरी 1988 से पहले किसी संविदा को पूरा नहीं किया जा सका तथा पिछली संविदा का भी समय बढाया नहीं गया था। 1988-89 के ठेके को भी अगस्त 1988 तक पूरा नहीं किया जा सका था जिसके परिणामस्वरूप 1985-86 से 1988-89 के दौरान संचित रद्दी कागज, प्रति वर्ष मानसून के समय सड़ने दिये गये थे। मुद्रणालय ने भी जनवरी 1988 में स्वीकार किया कि सरकार को हानि के अतिरिक्त, अग्नि संकट तथा स्वास्थ्य संकट उत्पन्न करते हुए, मुद्रणालय के अहाते में बिखरे पड़े हुए रद्दी कागज सूर्य तथा वर्षा से प्रभावित हुए थे। परन्तु वर्ष प्रति वर्ष ऐसी हानि से छुटकारा पाने के लिए प्रभावशाली कदम नहीं लिए गए थे।

अनुबंध के निष्पादन के पश्चात फर्म "ख" ने

1.23 लाख रूपये के भुगतान पर दिसम्बर 1985 से अप्रैल 1986 तक 1069.81 क्विंटल रद्दी कागज उठाया।

यदि जनवरी 1985 में प्राप्त निविदाएं प्रस्ताव की वैधता अवधि के भीतर ही निष्पादित की जाती तो सरकार को 1069.81 क्विंटल रद्दी कागज बिक्री से 2.65 लाख रूपये राजस्व के रूप में अधिक अर्जित होते।

मंत्रालय ने सितम्बर 1988 में बताया कि परिस्थितियों के निदेशालय के नियंत्रण से बाहर होने के कारण जनवरी 1985 में प्राप्त उच्चतम प्रस्ताव का लाभ नहीं उठाया जा सका।

(धर्मवीर)
निदेशक लेखापरीक्षा - I,
केन्द्रीय राजस्व

नई दिल्ली :
दिनांक 13 मई 1989

प्रतिहस्ताक्षरित

त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी

(त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी)
भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली :
दिनांक 13 मई 1989

परिशिष्ट-I

(देखिए पैरा 3.2)

अनुपूरक अनुदानों/विनियोगों के उपयोग की सीमा

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग	अनुदान/विनियोग की राशि			
		मूल	अनुपूरक	वास्तविक व्यय	बचत
1	2	3	4	5	6
		मामले जिनमें अनुपूरक अनुदान/विनियोग अनावश्यक सिद्ध हुए			
		राजस्व - दत्तमत		(लाख रुपयों में)	
		कृषि मंत्रालय			
1	5-उर्वरक विभाग	2772,63	303,25	2543,93	531,95
		वित्त मंत्रालय			
2	34-अप्रत्यक्ष कर	303,15	11,41	281,09	33,47
		गृहमंत्रालय			
3	39-गृहमंत्रालय	131,02	7,31	125,73	12,60
4	42-गृहमंत्रालय के अन्य व्यय	186,94	5,00	182,83	9,11
		उद्योग मंत्रालय			
5	49-कंपनी मामले का विभाग	6,33	0,01	6,28	0,06
		श्रम मंत्रालय			
6	54-श्रम मंत्रालय	166,78	6,59	162,16	11,21
		कार्मिक जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय			
7	57-कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय	32,86	0,81	31,45	2,22
		विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय			
8	64-बायो तकनीकी विभाग	40,99	2,00	22,93	20,06
		शहरी विकास मंत्रालय			
9	75-लेखन सामग्री एवं मुद्रण	67,40	2,64	50,37	19,67
		कल्याण मंत्रालय			
10	77-कल्याण मंत्रालय	259,87	2,00	258,94	2,93
		पूंजीगत - दत्तमत			
		वाणिज्य मंत्रालय			
11	6-वाणिज्य विभाग	226,19	19,00	137,20	107,99

1	2	3	4	5	6
				(लाख रूपयों में)	
		ऊर्जा मंत्रालय			
12	18-विद्युत विभाग	1407,27	100,03	1070,04	437,26
		पैट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय			
13	58-पैट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय	435,83	3,83	431,65	8,01
		भूतल परिवहन मंत्रालय			
14	69-भूतल परिवहन	112,36	23,14	92,63	42,87
15	70-सडक	411,01	24,42	401,58	33,85
16	71-पत्तन, दीपस्तंभ तथा जहाजरानी	294,89	33,61	255,08	73,42
		राजस्व - प्रभारित			
		भूतल परिवहन मंत्रालय			
17	70-सडक	...	0,01	...	0,01
		शहरी विकास मंत्रालय			
18	75-लेखन सामग्री तथा मुद्रण	0,01	0,01	...	0,01
		पूंजीगत - प्रभारित			
		कृषि मंत्रालय			
19	2-कृषि तथा सहकारिता विभाग की अन्य सेवाएं	22,03	0,50	22,03	0,50
		गृह मंत्रालय			
20	42-गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	10,22	0,19	7,36	3,05

परिशिष्ट- 2

(पैरा 3.4 देखिए)

दत्तमत अनुदानों के अंतर्गत बचत

कुल अनुदानों के 20 **प्रतिशत** से अधिक बचतों (प्रत्येक मामले में 5 लाख रु. से अधिक) वाले दत्तम अनुदान नीचे दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	अनुदान	कुल अनुदान	व्यय	बचत	बचत की प्रतिशतत
1	2	3	4	5	6
	राजस्व		(लाख रूपयों में)		
1	30-व्यय विभाग	303,66	4,00	299,66	98.7
2	64-बायो तकनीकी विभाग	42,99	22,93	20,06	46.7
3	43-संघ राज्य क्षेत्रीय सरकारों को स्थानांतरण	128,56	70,13	58,43	45.4
4	71-पत्तन, दीप स्तंभ तथा जहाजरानी	127,13	79,31	47,82	37.6
5	81-समुद्रीय विकास विभाग	24,42	16,08	8,34	34.1
6	69-भूतल परिवहन	20,29	13,68	6,61	32.6
7	75-लेखन सामग्री तथा मुद्रण	70,04	50,37	19,67	28.1
8	32-राजस्व विभाग	69,85	51,91	17,94	25.7
9	79-परमाणु पावर योजनाएं	264,09	203,28	60,81	23.0
10	40-केबिनेट	15,43	11,96	3,47	22.5
	पूंजीगत				
11	38-परिवार कल्याण विभाग	1,05	...	1,05	100.0
12	46-कला एवं संस्कृति	20,51	0,15	20,36	99.3
13	4-ग्रामीण विकास विभाग	0,36	0,02	0,34	94.4
14	81-समुद्रीय विकास विभाग	2,31	0,16	2,15	93.1
15	20-पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	2,36	0,17	2,19	92.8
16	32-राजस्व विभाग	1,98	0,30	1,68	84.8
17	33-प्रत्यक्ष कर	120,00	20,01	99,99	83.3
18	43-संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को स्थानांतरण	110,93	24,24	86,69	78.1
19	54-श्रम मंत्रालय	0,16	0,05	0,11	68.8
20	21-विदेश मंत्रालय	75,06	31,14	43,92	58.5
21	41-पुलिस	79,10	40,35	38,75	49.0
22	76-जल संसाधन मंत्रालय	13,80	6,91	6,89	49.9
23	6-वाणिज्य विभाग	245,19	137,20	107,99	44.0

24	75-लेखनसामग्री तथा मुद्रण	8,24	4,66	3,58	43·4
25	22-आर्थिक मामले का विभाग	218,80	129,03	89,77	41·0
26	52-सूचना और प्रसारण मंत्रालय	2,91	1,88	1,03	35·4
27	72-नागर विमानन	8,67	5,73	2,94	33·9
28	69-भूतल परिवहन	135,50	92,63	42,87	31·6
29	35-खाद्य विभाग	104,84	72,39	32,45	30·9
30	50-रसायन तथा पैट्रोकैमिकल्स विभाग	175,00	123,37	51,63	29·5
31	18-विद्युत विभाग	1507,80	1070,04	437,26	29·0
32	23-मुद्रा, सिक्के तथा टिकटें	192,00	139,28	52,72	27·5
33	1-कृषि	23,60	17,51	6,09	25·8
34	78-परमाणु ऊर्जा	485,57	367,03	118,54	24·4
35	42-गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	73,41	56,75	16,66	22·7
36	71-पत्तन, दीप स्तम्भ तथा जहाजरानी	328,50	255,08	73,42	22·3
37	73-शहरी विकास एवं आवास	93,26	73,29	19,97	21·4
38	53-प्रसारण सेवाएं	333,95	265,96	67,99	20·4

परिशिष्ट- 3

(देखिए पैराग्राफ 47.4)

निधियों का विपथन

राज्य/जिला	वर्ष	राशि (लाख रु. में)	मदें/योजनाएं जिन पर निधियां व्यय की गइ थी
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश			
अनन्तपुर	1984-85	33.88	ए.ग्रा.वि.का., सू.प्र.क्षे.का., आदि ।
चित्तूर	1983-84	5.00	
चित्तूर	1984-85	0.19	0.36 लाख पौधों का आवासीय कालोनियों तथा कुक्कुट समूहों को वितरण ।
असम			
छः जिले	1985-86 से 1987-88	39.36	ए.ग्रा.वि.का., आर.एल.ई.जी.पी., बायोगैस एन.आर.ई.पी., इत्यादि जैसी अन्य योजनाएं ।
गौहाटी	1984-85	4.02	"ईधन तथा फलवाले वृक्ष" के कार्यान्वयन के लिए प्रयोजनार्थ राशि, जिला वन अधिकारी, एस.एफ.मंडल गोहाटी द्वारा, प्रशासकीय व्यय अर्थात प्रपत्रों की छपाई, लेखन सामग्री की खरीद, कर्मचारियों पर व्यय, आदि को पूरा करने के लिए आहरित कर ली गई थी ।
बिहार			
चार जिले	...	133.06	जब कार्यक्रम संचालन में नहीं था 1980-81 से 1982-83 से संबंधित दावों के लिए भूमि विकास बैंकों को प्रदत्त
हजारी बाग	1985-86 से 1986-87	1.49	खोदे गये कुओं के लिए (योजना में अपेक्षित नहीं) संकेतपट्टों की खरीद पर आकस्मिक व्यय ।
हिमाचल प्रदेश			
सम्पूर्ण राज्य के रूप में	1985-86 से आगे	51.75	राज्य सरकार द्वारा पहले ही चलाये जा रहे लघु सिंचाई कार्य ।
सिरमोर	1985-86 से 1986-87	4.39	गिरीनगर झील से गाद को हटाना ।

1	2	3	4
कांगड़ा और सिरमोर	मार्च 1986	2·31	इस कार्यक्रम की निधियों से खरीदे गये भंडारण अन्य कार्यक्रमों के अंतर्गत आवृत्त सिंचाई कार्यों पर प्रयुक्त किये गये थे
कांगड़ा और सोलन	1983-84 से 1986-87	2·02	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंडलों, धर्मशाला, देहरा, पालमपुर तथा सोलन-II द्वारा कर्मचारियों की मजदूरी, उपकरणों तथा संयंत्रों, वैज्ञानिक उपस्करों, कार्यालय फर्नीचर, निर्माण कार्यों का अनुरक्षण, इत्यादि जैसी मदों पर व्यय किये गये ।
कांगड़ा तथा सिरमोर	1983-84, 1985-86 तथा 1986-87	0·63	कार्यक्रम के अंतर्गत अनावृत मदों जैसे तारकोल, ड्रिल कपड़े, पैट्रोल, टेलिफोन बिलों, सब्जी के बीजों पर छोटी पुस्तकों के मुद्रण, इत्यादि पर व्यय किये गये ।
कर्नाटक			
धारवार	1985-86	1·72	परिक्रमी निधि (गोबर गैस) को विपथित ।
दक्षिण कन्नड	1985-86	0·16	सहायक आयुक्त, कुन्दापुर के कार्यालय के मैदान में बागवानी विभाग द्वारा पम्पसैट का संस्थापन ।
दक्षिण कन्नड़	1985-86	1·82	वन विभाग द्वारा विभागीय वृक्षारोपण के लिए 6·45 लाख बीजांकुरों का उपयोग क्योंकि खंड विकास अधिकारियों ने उनको लाभ ग्राहियों में बांटने की कार्यवाही नहीं की थी ।
महाराष्ट्र			
अकोला तथा धुले	1983-84 तथा 1987-88 के बीच	3·37	योजना के कार्यक्षेत्र से बाहर दो तलुका बीज फार्मों में 190·18 हैक्टेयर भूमि का विकास ।
अकोला	1985-86 से 1986-87	2·28	नाला बांध तथा स्तरीय बांध की मरम्मत ।
अकोला, अमरावती, औरंगाबाद, धुले, नागपुर, नासिक तथा पुणे	फरवरी 1984 तथा सितम्बर 1987 के के बीच	38·14	"स्टाइलो हेमेटा घास बीजों की खरीद सहित फार्म पर शुष्क भूमि विकास" तथा " भूमि विकास एवं बागवानी" कार्यों पर किया गया ।
सभी जिले	1983-84 तथा 1984-85	22·80	वन महोत्सव तथा कार्यक्रम के अंतर्गत आवृत्त न होने वाले विभिन्न अन्य कार्यक्रमों के लिये 30·10 लाख पौध का वितरण

1	2	3	4
उड़ीसा			
सभी 13 जिले	1983-84 से 1987-88 तक	587·79*	उड़ीसा लिफ्ट सिंचाई निगम लिमिटेड द्वारा लिफ्ट सिंचाई परियोजनाओं के संचालन व अनुरक्षण की लागत पूरी करने के लिए ।
कटक	1983-84 तथा 1984-85	1·83	संकेतपट, मूंगफली प्रदर्शनों में प्रयोग हेतु डीसल के पैकेटों की खरीद तथा कार्यक्रम में न विचारे गये इंधन तथा स्नेहक, वाहनों की मरम्मत, लेखन सामग्री, इत्यादि के लिए व्यय।
बोलांगीर	1984-85 तथा 1985-86	2·68	कपास प्रदर्शन पर ।
कालाहांडी, मयूरभंज तथा सुन्दरगढ़	1983-84 से 1985-86	3·61	वृक्ष रक्षकों, पूर्जे तथा उपकरण, मिट्टी के बर्तन, संकेतपट, इंधन, स्नेहक का निर्माण तथा वाहनों के मरम्मत प्रभार।
पंजाब			
लुधियाना	नवम्बर 1983 तथा अक्तूबर 1985 के बीच	1·64	केन्द्रीय सहायता तथा बाढ़ राहत को प्रयुक्त करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत फार्म वानिकी पर ।
राजस्थान			
अलवर तथा सवाईमोधोपुर	1987-88	4·78	अनुसूचित जाति विकास सहकारी निगम लिमिटेड को प्रभार्य राशि ।
सवाईमाधोपुर	1983-84 तथा 1984-85	4·00	ए·ग्रा·वि·का·
तमिलनाडू			
2 जिले	मार्च 1985	11·10	राज्य बीज फार्मों के लिए पावर हल, फव्वारा सैटों, तेल के इंजिनों, इत्यादि जैसे फार्म उपस्कर खरीदे गये ।
2 जिले	1984-85 से 1987-88	3·62	ए·ग्रा·वि·का·
	1987-88	0·38	तमिलनाडू भूदान विकास न्यास ।
त्रिपुरा			
5 लघु सिंचाई	1983-84		नदी विपथन योजनाएं, स्व रोजगार कार्यक्रम के लिए

1	2	3	4
तथा बाढ़ नियंत्रण मंडल तथा 2 खंडविकास अधिकारी	से 1987-88	31·12	ग्रामीण युवकों का प्रशिक्षण तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों तथा बच्चों का विकास ।
मंडलीय वन अधिकारी तेलियामुरा	1983-84 से 1984-85	1·71	सामाजिक वानिकी योजना ।
उत्तर प्रदेश			
आजमगढ़	1985-86	4·84	कार्यक्रम से असंबंधित कार्यों पर ।
पश्चिम बंगाल			
वीरभूमि मालदा तथा नाडिया	1983-84 तथा 1987-88 के बीच	9·88	ए·ग्रा·वि·का·
	जोड़	1016·37	

× वास्तव में विपथित, 721·00 लाख रूपये के विनियमन हेतु सुझाव (अन्य कार्यक्रमों से संबंधित 133·21 लाख रूपये सहित) दिसम्बर 1987 में राज्य सरकार द्वारा ठुकरा दिया गया था ।

परिशिष्ट- 4

(देखिए पैराग्राफ 4.7.5)

अग्रिमों/बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्रों का असमायोजन ।

राज्य/जिलों का नाम	निष्पादन एजेंसियों के नाम जिनको अग्रिम दिये गये थे	अवधि	अग्रिमों की राशि जिनके लिए समायोजन लेखा/ उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रतीक्षित थे (लाख रु. में)	टिप्पणियां
आंध्र प्रदेश	अंचलीय अधिकारी/बैंक/अन्य	1986-87	840.77	
	करीमनगर में 12 खंडविकास अधिकारी	1984-85	6.87	
	करीम नगर जिले में विभिन्न अंचलीय अधिकारी	1984-85	7.00	
गुजरात (बनासकंथा, खेड़ा, पंचमहल, सुरेन्द्रनगर तथा बड़ोदरा)	विभिन्न क्रियान्वयन अधिकारी	1983-84 से 1987-88	486.77	
हरियाणा (अम्बाला)	विभिन्न वाणिज्यिक/ सहकारी बैंक	1983-84, 1984-85 तथा 1987-88	2.04, 3.57 तथा 4.48	
जम्मू और काश्मीर (1) (उधम पुर	विभिन्न खंडविकास अधिकारी	1984-85 तथा 1985-86	1.34	
(2) जम्मू	7 खंड विकास अधिकारी	मार्च 1985	1.75	
कर्नाटक	जिला ग्रामीण विकास समितियां तथा जिला परिषदें	1983-84 से 1987-88	762.21	

केरल	दो खंड	1983-84 से 1986-87	3·56	
मध्यप्रदेश	वित्तीय संस्थाएं	1983-84 से 1987-88	1470·52	
पांडिचेरी	वाणिज्यिक बैंक	1984-85 से 1987-88	4·89	
उड़ीसा	जि·ग्रा·वि·ए·	1983-84 से 1986-87	2354·38	इसमें 348·73 लाख रु· उड़ीसा लिफ्ट सिंचाई निगम 313·72 लाख रूपये उड़ीसा राज्य विद्युत बोर्ड तथा 13·86 लाख रूपये लिफ्ट सिंचाई मंडल, मयूरभं के पास पड़े, शामिल थे ।
पंजाब (अमृतसर, भटिंडा तथा रोपड़)	विभिन्न बैंक	1983-84 से 1987-88	100·51	
राजस्थान	जि·ग्रा·वि·ए·, कृषि तथा वन विभाग	1984-85 से 1986-87	689·14	
पश्चिम बंगाल (बर्दवान, मालदा मिदनापुर तथा नाडिया)	वित्तीय एजेंसियां	1983-84 से 1987-88	583·64	
		जोड़	7323·44	

परिशिष्ट-5

(पैराग्राफ 3.5 देखिए)

जेल प्रशासन

(लाख रूपयों में)

	राज्य का नाम	सिफारिश किया गया अनुदान			जारी किया गया अनुदान			व्यय		
		राजस्व	पूंजीगत	योग	राजस्व	पूंजीगत	योग	राजस्व	पूंजीगत	योग
1	आंध्र प्रदेश	182.00	-	182.00	182.00	-	182.00	210.03	-	210.03
2	असम	सातवें वित्त आयोग द्वारा निधियों का कोई आवंटन नहीं किया गया था ।								
3	बिहार	205.00	250.00	455.00	204.98	249.99	454.97	228.81	192.93	421.74
4	हिमाचल प्रदेश	सातवें वित्त आयोग द्वारा निधियों का कोई आवंटन नहीं किया गया था ।								
5	जम्मू और काश्मीर	-	50.00	50.00	-	50.00	50.00	-	49.22	49.22
6	मध्य प्रदेश	496.00	206.00	702.00	448.20	253.80	702.00	409.88	253.80	663.68
7	मणिपुर	-	68.00	68.00	-	68.00	68.00	-	64.27	64.27
8	मेघालय	-	55.00	55.00	-	55.00	55.00	-	67.22	67.22
9	नागालैण्ड	सातवें वित्त आयोग द्वारा निधियों का कोई आवंटन नहीं किया गया था ।								
10	उड़ीसा	221.00	221.00	442.00	153.29	281.00	434.29	147.38	281.00	428.38
11	राजस्थान	-	22.00	22.00	-	22.00	22.00	-	24.51	24.51
12	सिक्किम	-	14.00	14.00	-	14.00	14.00	-	-	-
13	तमिलनाडु	631.00	862.00	1 493.00	675.38	817.62	1 493.00	327.26	808.86	1 136.12
14	उत्तर प्रदेश	1 078.00	270.00	1 348.00	1 078.00	270.00	1 348.00	1 100.40	284.06	1 384.46
	योग	2 813.00	2 018.00	4 831.00	2 741.85	2 081.41	4 823.26	2 823.76	2 025.87	4 449.63

परिशिष्ट- 6

(पैराग्राफ-35.5 देखिए)

राजस्व एवं जिला प्रशासन (लाख रूपयों में)

	राज्य का नाम	सिफारिश किया गया अनुदान			जारी किया गया अनुदान			व्यय			
		राजस्व	पूंजीगत	योग	राजस्व	पूंजीगत	योग	राजस्व	पूंजीगत	योग	
1	आंध्र प्रदेश	—	250.00	250.00	—	250.00	250.00	—	298.93	298.93	
2	असम	—	470.00	470.00	—	329.19	329.19	—	182.30+ 146.40	182.30	+ 146.40 (क)
3	बिहार	263.00	1000.00	1263.00	263.00	1000.00	1263.00	263.00	1000.00	1263.00	
4	हिमाचल प्रदेश	40.00	—	40.00	40.00	—	40.00	45.02	—	45.02	
5	जम्मू और काश्मीर	50.00	200.00	250.00	37.84	200.00	237.84	29.31	213.06	242.37	
6	मध्य प्रदेश	100.00	344.00	444.00	100.00	344.00	444.00	143.20	593.73	736.93	
7	मणीपुर	—	500.00	500.00	—	500.00	500.00	—	505.58	505.58	
8	मेघालय	—	150.00	150.00	—	150.00	150.00	—	206.51	206.51	
9	नागालैण्ड	50.00	24.00	74.00	50.00	24.00	74.00	(आंकडे उपलब्ध नहीं)			
10	उडीसा	190.00	260.00	450.00	190.00	260.00	450.00	244.40	260.00	504.40	
11	राजस्थान	50.00	350.00	400.00	50.00	350.00	400.00	51.42	389.25	440.67	
12	सिक्किम	—	—	—	—	—	—				
13	तमिलनाडू	सातवें वित्त आयोग द्वारा अनुदानों का आबंटन नहीं किया गया था ।									
14	उत्तर प्रदेश	150.00	2000.00	2150.00	150.00	2000.00	2150.00	186.08	2096.11	2282.19	
	कुल	893.00	5548.00	6441.00	880.84	5407.19	6288.03	962.43	5745.47+ 146.40	6707.90 146.40	+

(क) 1983-84 के दौरान असम सरकार निर्माण निगम को 146.40 लाख रूपये अग्रिम दिये गये ।

परिशिष्ट- 7

(उप-पैराग्राफ 43.5 देखिए)

प्रकाशन विभाग की वार्षिक प्राप्तियों तथा व्यय की संक्षिप्त स्थिति ।

(लाख रूपयों में)

		1983-84	1984-85	1985-86	1986-87	1987
प्राप्तियां						
(1)	प्रकाशन विभाग पुस्तकों की बिक्री	30.77	23.37	64.19	78.89	61.05
(2)	गैर प्रकाशन विभागपुस्तकों पर अर्जित कमीशन	56.74	49.57	43.53	41.79	102.96
(3)	जर्नलों की बिक्री	21.31	25.68	22.73	31.78	35.19
(4)	विज्ञापन	4.83	3.52	2.47	1.65	2.29
(5)	अन्य विभागों से उनके जर्नलों की लागत इत्यादि के लिए प्राप्त राशि	36.71	39.50	93.50	21.58	44.62
(6)	रोजगार समाचार	170.24	175.45	189.31	245.50	315.85
		320.60	317.09	415.73	421.19	561.96
	व्यय से आय की अधिकता	(-) 0.57	(-) 83.97	(-) 43.94	(-) 71.84	(+) 1.65
व्यय						
	(योजनागत तथा योजनेत्तर)					
(1)	वेतन	95.59	108.59	121.25	141.45	159.81
(2)	यात्रा भत्ते	1.04	1.04	1.47	1.96	2.08
(3)	कार्यालय खर्चे	8.80	8.19	10.31	12.53	13.11
(4)	प्रकाशन	56.79	116.20	122.52	130.68	115.28
(5)	पेशेवर तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	5.85	6.20	6.77	11.09	8.50
(6)	किराया दरें तथा कर	9.69	9.39	8.98	9.06	9.67
(7)	सामान तथा आपूर्तियां	5.33	5.87	6.60	5.68	4.08
(8)	अन्य प्रभार	16.50	15.44	19.55	20.33	24.11
(9)	रोजगार समाचार	121.58	130.14	162.22	160.25	223.5
	कुल	321.17	401.06	459.67	493.03	560.3

परिशिष्ट- 8
(पैराग्राफ-52 देखिए)

वर्ष 1987-88के दौरान बट्टे खाते डाली गई/छोडी गई हानियों, अप्राप्य राजस्व, शुल्क, पेशगियों आदि तथा अनुग्रहपूर्वक की गई अदायगियों को दर्शाने वाला विवरण ।

(लाख रुपयों में)

मंत्रालय/विभाग का नाम	हानियों, अप्राप्य राजस्व, शुल्क, पेशगियों इत्यादि को बट्टे खाते में डालना						वसूली को छोड दिया जाना		अनुग्रहपूर्वक	भुगतान
	प्रणाली आदि की विफलता के कारण		अलग अलग सरकारी कर्मचारियों की ओर से उपेक्षा, धोखा इत्यादि के कारण		अन्य कारणों से					
	मामलों की सं.	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
गृह मामले	2	0·16	-	-	25	1·85	446	926·83	-	-
परमाणु ऊर्जा	-	-	-	-	3	0·23		-	-	-
वित्त (आर्थिक मामलों का विभाग)	-	-	-	-	1	0·39	-	-	-	-
वाणिज्य	-	-	-	-	-	-	-	-	1524	325·36
शहरी विकास	-	-	-	-	3	0·07	6	0·67	-	-
श्रम	-	-	-	-	1	2·19	-	-	-	-
अंतरिक्ष विभाग					15	1·56				
सूचना और प्रसारण	1	1·40			5	2·72	2	0·09		
ऊर्जा			1	1·07	13	2·55				
विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी			1	0·17						
विदेशी मामले					2	0·11				
इस्पात और खान					5	2·16				
	3	1·56	2	1·24	73	14·13	454	927·59	1524	325·36

टिप्पणी :-

निदेशक लेखापरीक्षा, रक्षा सेवाएं, नई दिल्ली, दो महालेखाकारों तथा 5 लेखानियंत्रकों से सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

परिशिष्ट–9

(पैराग्राफ 73 देखिए)

विभागीय रूप से प्रबंधित सरकारी उपक्रमों के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम

(लाख रुपयों में)

क्र.सं.	उपक्रम का नाम	लेखों की अवधि	सरकारी पूंजी निवल	ब्लाक परिसंपत्तियां तक मूल्यह्रास	आज की तिथि लाभ(+) हानि(-)	सरकारी पूंजी पर ब्याज	कुल प्रति लाभ	औसत पूंजी से कुल प्रति लाभ की प्रतिशतता	अभियुक्तियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
वित्त मंत्रालय										
1	भारतीय सुरक्षा प्रेस नासिक रोड	1986-87	3165.03	2843.54	434.36	(-)650.66	553.18	(-)97.48		आंकडे अलेखापरीक्षित लेखों पर आधारित
2	सुरक्षा मुद्रणालय हैदराबाद	1985-86	611.11	526.12	78.07	(+)139.53	81.86	221.39	36.23	
3	मुद्रा नोट प्रेस, नासिक रोड	1985-86	1736.70	2299.15	360.01	(+)1152.45	677.03	(+)1829.48	21.62	
4	सरकारी अफीम फैक्ट्री, गाजीपुर	1982-83	63.08	18.75	15.71	(-) 30.23	260.77	(+) 230.54	5.89	
5	सरकारी अफीम फैक्ट्री, नीमच	1984-85	173.94	107.67	0.08	(+) 141.91	203.31	345.22	12.41	आंकडे अलेखापरीक्षित लेखों पर आधारित
6	सरकारी क्षारोद कार्यशाला, नीमच	1984-85	335.86	235.82	0.72	(-) 88.89	43.96	(-) 45.02	-	–वही–
7	सरकारी क्षारोद कार्यशाला, गाजीपुर	1982-83	24.56	12.20	9.17	(-) 72.13	18.13	(-) 54.00	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	भारत सरकार टक्साल, बम्बई	1983-84	29·89	516·46	25·22	§+§1561·18	193·32	§+§1754·50	63·98	
9	भारत सरकार टक्साल, कलकत्ता	1984-85	182·00	107·00	220·00	§+§ 419·00	150·00	569·00		
10	भारत सरकार टक्साल, हैदराबाद	1985-86	966·65	343·48	117·09	1642·09	12·57	1654·66	171·17	
11	परख विभाग, बम्बई	1980-81	13·00	12·76	0·32	§+§ 8·04	0·43	§+§ 8·47	119·89	
12	परख विभाग, कलकत्ता	1984-85	0·74	0·27	0·03	§+§ 2·00	-	§+§ 2·00	-	
13	रजत परिष्करणशाला, कलकत्ता	1984-85	59·00	12·00	90·00	§+§ 278·00	174·00	452·00		
14	बैंक नोट प्रेस, देवास	1984-85	3419·41	1858·22	672·22	§+§ 279·52	250·70	530·22	15·78	
15	सुरक्षा पेपर मिल, होशंगाबाद	1973-74	1072·07	685·80	386·31	§-§ 86·29	38·42	§-§ 47·87		
	सूचना और प्रसारण मंत्रालय		पूंजीगत परिसम्पत्तियां							
16	आकाशवाणी	1979-80	5562·01	3125·28	2344·72	§-§ 589·59	197·70	§-§ 391·89		
			राजस्व परिसम्पतिया							
				92·01	19·96					
17	रेडियो प्रकाशन आकाशवाणी	1983-84	513·64		§-§ 77·44	§-§ 77·44	0·96	§-§ 76·48		
			राजस्व परिसम्पतियां							
				0·61	0·08					
18	दूरदर्शन केन्द्र									

1 अप्रैल 1976 से आकशवाणी से पृथक किया गया । वर्ष 1976-77 से 1985-86 के लिए प्रोफार्मो लेखे प्राप्त

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										नहीं किये गये थे ।
19	फिल्म प्रभाग, बम्बई	1983-84	416·16	245·14	246·80	§-§	83·20	47·61	§-§ 35·59	§1§1983-84 स लेखापद्धति में परिवत न के कारण निवल हानि क्षेत्रिय प्रचार निदेशालय को की गई आपूर्ति के संबंध में राजस्व तथा राज्य सरकारों को दी गई मुद्रित सामग्री की निशुल्क आपूर्ति के लिए राष्ट्रीय राजस्व §19·81 लाख रु· को लेखे में लेने के बाद निकाली गई । §1·1§निवल हानि की गणना पिछले वर्षों से संबंधित समायोजनो को निकालने के बाद की गई है ।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		पूंजीगत परिसम्पत्तियां								
20	वाणिज्यिक प्रसारण सेवा, आकाशवाणी	1980-81	157·80	83·25	69·08	§+§ 827·41		§+§ 827·41		§3§1984-85 के लिए प्रोफार्मा लेखों के संकलन बकाया हैं ।
		राजस्व परिसम्पत्तियां								
				5·47	1·24					
	परिवहन मंत्रालय									
21	दीपशाला तथा दीपपोत विभाग	1985-86	3545·62	2943·64	669·77	§-§ 14·67	116·74	102·07	2·77	
22	जहाजरानी विभाग अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह	1972-73	43·38	56·80	7·89	§-§ 80·15	4·47	§-§ 75·68		
23	नौका सेवा, अंडमान	1979-80	150·03	110·12	39·91	§-§ 59·37	2·00	§-§ 57·37		
24	समुद्री विभाग§गोदी§अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह	1979-80	4·72	3·48	1·25	§-§ 21·78	8·77	§-§ 13·01		
25	चंडीगढ़ परिवहन,उपक्रम चंडीगढ़	1986-87	859·90	554·45	72·09	§-§ 243·91	58·81	§-§ 185·10		
26	राज्य परिवहन सेवा,अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1977-78	35·87	16·05	50·05	§-§ 21·03	1·64	§-§ 19·39		स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई ।
	कृषि मंत्रालय									
27	दिल्ली दुग्ध योजना	1982-83	1067·37	425·84	657·28	§-§1112·14	75·78	§-§1036·36		
28	हिम तथा हिमकरण संयंत्र, कोचीन	1984-85	39·74	39·24	29·71	§-§ 8·89	0·33	§-§ 8·56		

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय											
29	वन विभाग, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह	1982-83	196·75	196·75	50·91	½+½	296·36	51·38	½+½	1067·29	147·5
स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय											
30	केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान कसौली	1985-86	206·79	12·41	15·63	½+½	4·96	15·74	½+½	92·35	प्रतीक्षित
31	चिकित्सा भंडार डिपो	1977-78	64·54	45·40	28·12	½+½	43·45*	93·87	½+½	137·32	8·05
32	केन्द्रीय मनोवैज्ञानिक संस्थान कांके, राची का वनस्पति उद्यान	1984-85	0·31	0·27	0·04*	½-½	0·11	0·02	½-½	0·09	
शहरी विकास मंत्रालय											
33	प्रकाशन विभाग, दिल्ली	1979-80 के									
34	भारत सरकार के मुद्रणालय	1979-80 के									

*यह चिकित्सा भंडार डिपो के समेकित लाभ व हानि लेखों; चिकित्सा भंडार डिपो से संलग्न फैक्ट्रियों के लाभ व हानि लेखों एवं वर्कशाप लेखों में लेखाबद्ध सरकारी पूंजी पर ब्याज को दर्शाती है ।

*व्यापारिक एवं लाभ व हानि लेखे तथा तुलनपत्र तैयारनहीं किये जाते है बल्कि केवल स्टोर लेखे

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										तैयार किये जाते हैं ।
ऊर्जा मंत्रालय										
35	विद्युत विभाग, अंडेमान[क]	1980-81	379·71	248·12	58·12	½-½ 115·92	22·36	½-½ 93·56	-	-
36	विद्युत विभाग, लक्ष्यदीप	1982-83	185·80	110·57	36·76	½-½ 64·04	8·11	½-½ 55·93	-	-
रक्षा मंत्रालय										
37	कैन्टीन भंडार विभाग[क]	1986-87	48·00	271·39	283·79	½+½1767·13	525·51	2292·64	41·66	

क प्रोफार्मा लेखे वित्त मंत्रालय ज्ञापन संख्या एफ ।½35½/बी/71। दिनांक 23·1·1974 में विहित संशोधित क्रियाविधि के अनुसार तैयार नहीं किये गये हैं ।

ख मूल्य ह्रास केवल इस वर्ष के लिए ।

शुद्धि पत्र

पृष्ठ सं·	कालम	पंक्ति	अशुद	शुद
	2	12	(दिसम्बर 1988)	(सितम्बर 1988)
11	सारणी का प्रथम कालम		1988-89	1988-89 (संशोधित अनुमान)
14	सारणी का पांचवां कालम		0·01	0·01 (1. विनयोजन में)
20	विवरणी का चौथा कालम		2·29 करोड रुपये	2·99 करोड रुपये
34	सारणी के दाई और लाइन के ऊपर			(लाख रुपयों में)
36	1	नीचे से 8,9	1983·····प्राप्त कर्त्ता	(1983-84····प्राप्तकर्त
52	सारणी कालम 3 उत्तर प्रदेश के सामने		1984-85	1984-84 से 1987-
57	1	नीचे से 9	पनेर 2·18 लाख रु·	पनेर 2·18 लाख
70	1	नीचे से 10	52 प्रतिशत	53 प्रतिशत
75	2	8	(1983)	(फरवरी 1983)
80	2	8	मुख्य अधिनियम 1984	मुख्य अधिनियम 1894
81	2	नीचे से 15	मार्च 1988	मार्च 1983
83	1	4	85·08 लाख रुपये	85·00 लाख रुपये
85	2	नीचे से 2	फरवरी 1979	फरवरी 1978
92	1	16	3 मार्च	3/7 मार्च
120	2	नीचे से 13	1983-94	1983-84
151	तालिका क सं·7 के सामने		182·54	192·54
156	1	नीचे से 5	9 से 11	8 से 11
156	1	नीचे से 7	9 से 58	8 से 58
157	2	2	1963-88	1983-88
158	तालिका में सबसे ऊपर			(संख्या लाखों में)
158	2	अंतिम पंक्ति	तमिलनाडु: 74 से 82 उत्तरप्रदेश:70-84	उत्तर प्रदेश:70-80
186	2	नीचे से 9	51·145	51·14·5
190	तालिका 6 कालम की नवीं संख्या		17,58,54	17,85,54
202	1	4	12·93	12·23
205	2	2	1·99 लाख रुपये	1·09 लाख रुपये
235	परिशिष्ट 1 कालम 6 क·सं·18के सामने		0,01	0,02
237	परिशिष्ट कालम 3 क·सं·31 के सामने		1507,80	1507,30
239	परिशिष्ट 1 कालम 2 3 महाराष्ट्र के समाने		3·37	2·37
244	परिशिष्ट 5 के नीचे		(पैराग्राफ 3·5 देखिए)	(पैराग्राफ 35·5 देखिए)